विचार पत्रक (मॉड्यूल्स)

सीमित उपयोग के लिये

वृहत् सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1989

NIEPA DC
D04841

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश
6-माल एवेन्यू, लखनऊ-226001

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....4841........
Date....14/8/89........

मुद्रक : हिन्दुस्तानी आर्ट कॉटेज, लखनऊ तथा प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ ।

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बनायी गयी कार्य योजना (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) के सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना (1986–90) के दौरान प्रति वर्ष पांच लाख अध्यापकों के लिए वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम को लागू किया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों में नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जागृति तथा क्षमताओं का विकास करना है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को इस कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के विकास तथा इसकी व्यवस्था को सुनियोजित करने का दायित्व सौंपा गया है । कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य स्तर की नोडल एजेन्सियों की प्रमुख भूमिका है ।

वृहत् विद्यालयी शिक्षा अभिनवीकरण कार्यक्रम की संरचना इस प्रकार की गई है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्य दस हजार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दस दिन की समयावधि में पूर्ण किया जा सके ।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा दस हजार शैक्षिक कार्मिकों को शिक्षक अभिनवीकरण शिविरों के कोर्स डायरेक्टर तथा रिसोर्स पर्सन्स के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है । एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया है । साथ ही सेवारत अध्यापकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण विधाओं को इस प्रकार तैयार किया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूरी जानकारी हो सके । राज्य स्तरीय/संघीय क्षेत्र की नोडल एजेन्सियां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सेवारत प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए संशोधित कर सकती हैं ।

ऐसे सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण को पूर्णतः उपयोगी बनाने के लिए वर्ष 1986 में उक्त विषयक विचार पत्रकों (मॉड्यूलों) का निर्माण किया गया था जिससे सम्बन्धित अध्यापकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके । वर्ष 1987 में भी उपरोक्त की भांति संशोधित रूप में कार्य सम्पन्न हुआ था । इस कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के विकास संबंधी नीतियों में परिवर्तन तथा नवीन अपेक्षाओं के समावेश के कारण क्रियान्वयन संबंधी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुये हैं । वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम में अध्यापकों की विषय विशेष के लिए क्षमताओं के विकास पर इस वर्ष विशेष बल दिया गया है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति में संकल्पित लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक वातावरण के निर्माण को प्रमुखता प्रदान की गयी है । समुदाय और स्थानीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियों और विचारों में परिवर्तन के लिए अध्यापकों को स्वतंत्रता होनी चाहिये । इसके निमित्त अध्यापकों को पर्याप्त सामग्री लेखों के रूप में तथा सहायक सन्दर्भ पुस्तकों की जानकारी देकर की गई है तथा क्रियान्वयन स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता समझी गई । इसी के परिप्रेक्ष्य में अभिनवीकरण कार्यक्रम में अध्यापकों के विषय विशेष में क्षमताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है । इन विभिन्न विचार पत्रकों (मॉड्यूलों) तथा सन्दर्शिकाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापक तथा सम्बन्धित सन्दर्भदाता लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा है ।

वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम अपने आप में एक उत्कृष्ट नवीन कार्यक्रम है । एन० सी० ई० आर० टी० ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् जैसी राज्य स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऐसी सामग्री तैयार की है । अभिनवीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 लाख अध्यापकों के सक्रिय योगदान के लिए एन० सी० ई० आर० टी० के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुभवी विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सामग्री का निर्माण किया है ।

मैं विशेष रूप से प्रो० ए० के० जलालुद्दीन, संयुक्त निदेशक, एन० सी० ई० आर० टी० एवं प्रो० ए० के० शर्मा, अध्यक्ष (टीचर एजूकेशन, स्पेशल एजूकेशन तथा एक्सटेन्शन सर्विसेज) का आभारी हूँ जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम की योजना तथा अनुश्रवण का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुआ । साथ ही मैं प्रो० एम० एम० चौधरी, संयुक्त निदेशक (सी० आई० ई० टी०) और उनके साथियों का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग से दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

मैं एन० आई० ई० के विभागाध्यक्षों/यूनियन सैल्स तथा रीजनल कालेजस आफ एजुकेशन के प्राधानाचार्यों के सक्रिय सहयोग के लिए भी आभारी हूँ । डी० टी० ई० एस० ई० के डॉ० बी० आर० गोयल तथा डॉ० डी० डी० यादव को इस कार्यक्रम की संरचना, अनुश्रवण एवं परितुलना का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । प्रशिक्षण संबंधी सामग्री को योजनाबद्ध तथा विकसित रूप प्रदान करने के निमित्त उनका योगदान विशेष रूप से सराहनीय है । मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशन विभाग का भी इस चुनौती भरे कार्य को समय से सम्पादित कराने के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ ।

मैं आशा करता हूँ कि सम्बन्धित अध्यापक अपनी व्यावसायिक क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिए प्रस्तुत सामग्री को अधिक उपयोगी पायेंगे तथा देश की विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता की अभिवृद्धि में भी यह सहायक सिद्ध होगी ।

डॉ० पी० एल० मल्होत्रा
निदेशक
एन० सी० ई० आर० टी०

शिक्षकों से

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्प को पूरा करने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन शिक्षक निश्चित रूप से उसकी आधार शिला हैं। शिक्षक की अंतःप्रेरणा और व्यावसायिक दक्षता पर ही आने वाली पीढ़ी के उन संस्कारों का निर्माण निर्भर करता है, जिनकी आवश्यकता लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिये विशेष रूप से जरूरी हैं। बृहत् शिक्षक अभिनवीकरण इसी दिशा में एक मौलिक एवं प्रभावी कदम है।

प्रदेश स्तर पर बृहत् शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में एस. सी. ई. आर. टी. उत्तर प्रदेश द्वारा गत तीन वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1986 में माध्यमिक तथा प्राइमरी स्तर में क्रमशः 19,860, 52,000, 1987 में 17,551, 32,652 तथा 1988 में 33,033, 34,287 शिक्षक प्रशिक्षित किए गये। वर्ष 1989 के लिए माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए 30,000 तथा प्राइमरी स्तर के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में लगभग 72,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शिक्षा नीति के नए परिदृश्यों के स्पष्टीकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा 41 मॉड्यूल्स की रचना की गई, जिसमें 18 मॉड्यूल (कामन) माध्यमिक एवं प्राइमरी स्तर के लिए, 11 मॉड्यूल प्राइमरी तथा 12 मॉड्यूल माध्यमिक स्तर के लिए हैं। प्रदेश स्तर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एस. सी. ई. आर. टी. उत्तर प्रदेश द्वारा 15 अतिरिक्त मॉड्यूल्स की रचना की गई है, जिसमें 6 कामन, 7 माध्यमिक तथा 2 प्राइमरी स्तर के हैं। इन मॉड्यूलों की रचना पाठ्यक्रम के समान कोर के बिन्दुओं तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रख कर ही की गई है।

प्रदेश स्तर पर इनकी रचना में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की विभिन्न इकाइयों, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, मानविकी और सामाजिक विभाग, विज्ञान और गणित विभाग, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, विदेशी भाषा विभाग, हिन्दी भाषा विभाग तथा प्रकाशन विभाग ने जो सहयोग दिया है, इनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।

शिक्षण अधिगम एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, यह 'मॉड्यूल्स' उस प्रक्रिया की ओर केवल संकेत मात्र है, शेष शिक्षकों के चिन्तन, मनन एवं कार्य संस्कृति पर निर्भर करेगा। आशा है उक्त कार्य संस्कृति की झलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मिल सकेगी। मॉड्यूल की संरचना में गुणतावृद्धि हेतु विचारों सुझावों का सदैव स्वागत है।

गोविन्द बल्लभ पन्त
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद
लखनऊ

प्राक्कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन का प्रादुर्भाव भारतीय शैक्षिक जगत में एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के प्रथम चरण में वृहत् विद्यालयी शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम द्वारा अध्यापकों को उनकी प्रस्तावित महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराते हुए योजनावधि 1986–90 के दौरान प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख अध्यापकों का अभिनवीकरण–प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने उक्त प्रशिक्षण की विधाओं को विकसित किया है । साथ ही दस दिवसीय अभिनवीकरण प्रशिक्षण शिविरों के लिये विचार पत्रकों (मॉड्यूल्स) के रूप में प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया है और दूरदर्शन के माध्यम से भी इसे विकसित करके प्रसारण योग्य बनाया है । प्रशिक्षण के उद्देश्यों के स्वरूप में अध्यापक की क्षमताओं के विकास के अतिरिक्त उसके विषय विशेष से सम्बन्धित घटकों की जानकारी को महत्व प्रदान किया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित सामग्री और प्रशिक्षण की रणनीति को अद्यतन कर सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये इसे उपयोगी बनाया गया है ।

यह सामग्री प्राथमिक स्कूल (प्राइमरी स्कूल) के अध्यापकों, अपर प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अलग–अलग खण्डों में है । प्रथम दो खण्ड एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों खण्डों में 41 विचार पत्रक हैं । प्रथम 18 विचार पत्रक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज दोनों स्तरों के लिये समान रूप में हैं । 11 विचार पत्रक विशेष रूप से प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के प्रयोगार्थ हैं और 12 विचार पत्रक अपर प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिये हैं ।

आशा है कि विचार एवं भावना की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सफल क्रियान्वयन में यह सामग्री अध्यापकों के लिये उपयोगी होगी । वृहत् विद्यालयी अभिनवीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की व्यवस्था डिपार्टमेन्ट ऑफ टीचर एजूकेशन, स्पेशल एजूकेशन तथा एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की गयी है ।

इस विभाग के डॉ० बी० आर० गोयल तथा डॉ० डी० डी० यादव प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह, कर्मठता और योग्यता से कार्यक्रम की प्रस्तुत सामग्री को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है । विभाग के मेरे अन्य साथियों ने भी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग प्रदान किया । कु० नम्रता भास्कर और कु० सविता कौशल तथा परियोजना के अन्य साथी सदस्य भी सराहना और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सांख्यिकी आंकड़ों की उपलब्धता एवं अन्य सहायता देकर सहयोग प्रदान किया है । श्री के० एन० माथुर ए० पी० सी० और विभाग के अन्य प्रशासकीय कार्मिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान की है ।

ए० के० शर्मा
प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष
टीचर एजूकेशन, स्पेशल एजूकेशन
टीचर एक्सटेन्शन सर्विसेज

विचार पत्रक (मॉडयूल्स) अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विचार पत्रक (मॉडयूल्स) संख्या	विषय		पृष्ठ संख्या
1.	1 सी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति—अध्यापकों के निहितार्थ	..	1
2.	2 सी	प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप—एक प्रस्तावना	..	7
3.	3 सी	वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में	..	12
4.	4 सी	महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना	..	15
5.	5 सी	पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति	..	21
6.	6 सी	छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण	..	32
7.	7 सी	बच्चों में जिज्ञासा कौशल का विकास	..	39
8.	8 सी	मूल्य-परक शिक्षा	..	45
9.	9 सी	हमारे राष्ट्रीय प्रतीक	..	52
10.	10 सी	राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन	..	58
11.	11 सी	अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व मानवाधिकार शिक्षा	..	63
12.	12 सी	स्कूलों में छात्रों का प्रवेश एवं प्रतिधारण	..	66
13.	13 सी	संस्था योजना एवं व्यवस्था	..	70
14.	14 सी	शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता	..	73
15.	15 सी	विद्यालय परिसर	..	78
16.	16 सी	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड	..	82
17.	17 सी	अल्पव्ययी शिक्षण साधन	..	87
18.	18 सी	जन-माध्यम का प्रयोग	..	92
19.	रा 1 सी	विद्यालय में खेलकूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन	..	98
20.	रा 2 सी	रेडक्रास : एक परिचय	..	113
21.	रा 3 सी	स्काउट एवं गाइड—नियोजन एवं संचालन	..	118
22.	रा 4 सी	सामाजिक वानिकी	..	126

क्रम संख्या	विचार पत्रक (मॉडयूल्स) संख्या	विषय		पृष्ठ संख्या

प्रारम्भिक स्तर

23.	19 पी	बच्चों की आवश्यकताएं और समस्याएं	..	1
24.	20 पी	प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	..	4
25.	21 पी	प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या-शिक्षा	..	8
26.	22 पी	प्राथमिक स्तर पर कला-शिक्षा	..	13
27.	23 पी	प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव	..	17
28.	24 पी	प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण	..	21
29.	25 पी	प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन (सामाजिक अध्ययन)	..	27
30.	26 पी	प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा-शिक्षण	..	31
31.	27 पी	प्राथमिक स्तर पर गणित का अध्यापन	..	35
32.	28 पी	प्राथमिक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन-अध्यापन	..	58
33.	29 पी	प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	..	64
34.	रा 1 पी	परिषद् विद्यालयों के रख-रखाव की व्यवस्था	..	67
35.		वृहत् सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1989 दस-दिवसीय समय-सारिणी	..	69

परिशिष्ट

		राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986	..	71

मॉड्यूल-1 सी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—अध्यापकों के निहितार्थ

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल में, संक्षेप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण तत्वों व क्षेत्रों का विवरण तथा अध्यापकों के लिए उसके महत्व पर विचार किया गया है । प्रथमतः मॉड्यूल में नीति के निर्माण के पीछे राष्ट्रीय चिंता व आवश्यकता की रूप रेखा दी गई है । जब आप उस पर विचार करेंगे तो आप स्वीकार करेंगे कि राष्ट्र के विकास, उसके अस्तित्व की सुरक्षा तथा अच्छे विश्व समाज के निर्माण के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एक मात्र रास्ता है । तत्पश्चात् इस मॉड्यूल में उन विशेष तत्वों पर विचार किया गया है, जो अच्छी शिक्षा के लिए तत्काल जरूरी हैं । इन तत्वों के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध पहलू, शिक्षा के अवसरों की समानता, राष्ट्रीय पाठ्क्रम ढांचा, छात्र केन्द्रित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया एव परीक्षा में सुधार, समुदाय का सहयोग अध्यापक तथा अध्यापक का प्रशिक्षण आदि शामिल है । इन विशेष तत्वों का अध्यापकों से सीधा संबंध है । अतः इस मॉड्यूल में अध्यापक के कार्य व निरंतर शिक्षा पर ध्यान दिया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जरूरी है ।

मॉड्यूल के अंत में विचार विमर्श के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं । इन प्रश्नों का उद्देश्य अध्यापकों के बीच विचार विमर्श को प्रेरित करना है ताकि जानकारी बांटी व प्राप्त की जा सके ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगे :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व,
- इस नीति के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका का महत्व,
- इस नीति के निर्माण की आवश्यकता
- इस नीति के क्रियान्वयन में आपकी सक्रिय भागीदारिता की जरूरत ।

पृष्ठभूमि

मानवीय संभावनाओं के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक देश अपनी शिक्षा व्यवस्था विकसित करता है । हमारे संदर्भ में विकासोन्मुख शिक्षा व्यवस्था हमारे अतीत के अनुभवों व वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित होकर हमारी जनता के लिए, साथ ही मानवता के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेगी ।

हमारे आर्थिक व तकनीकी विकास के आधार पर यह संभव है कि हम सुनियोजित ढंग से तथा समुचित क्रियान्वयन के आधार पर सारी जनता तक पहुंच सकें, उसे शिक्षित कर सकें । इतिहास के इस मोड़ पर सामाजिक एव राजनीतिक दृष्टि से यह अनिवार्य है कि हम इस दिशा में कदम उठा कर जनता की बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति करें ।

आगामी दस वर्षों में जीवन के सामने कई चुनौतियां एवं अवसर आएंगे । भावी पीढ़ी को ऐसी चुनौतियों एवं अवसरों का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह तैयार करना चाहिए । उन्हें सोचने की क्षमता के विकास तथा नवीन विचारों को रचनात्मक रूप से अपनाने के लिए तैयार करना चाहिए । उनके कार्य मानव मूल्यों एवं सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ निष्ठा से संचालित होने चाहिए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण व क्रियान्वयन इसी संदर्भ में देखा व समझा जाना चाहिए । एक अध्यापक के रूप में आप बच्चों के व देश के भविष्य के निर्माण में व्यस्त हैं । आपको इस व्यापक परिपेक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना होगा । इस नीति के क्रियान्वयन में अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है ।

संसद ने 1986 के अपने बजट अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया था । इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य निर्देशों व विशेष महत्व के क्षेत्रों की ओर संकेत किया गया है । 1986 के वर्षाकालीन अधिवेशन में इसके क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम को पेश किया गया था । क्रियान्वयन-कार्यक्रम इस नीति को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की ओर हमारा ध्यान खींचता है ।

विशेष तत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 इस मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है कि "शिक्षा वर्तमान और भविष्य में विशिष्ट पूंजी निवेश है ।" इसका अर्थ है कि शिक्षा सभी के लिए है । शिक्षा, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और प्रजातंत्र, जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकती है और शिक्षा अर्थ व्यवस्था के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान कर सकती है ।

शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण

शिक्षा नीति शिक्षा के प्रति एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करती है । यह इस बात की ओर संकेत करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नों की जरूरत है । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अर्थ एक समानन व संकीर्ण व्यवस्था नहीं है । यह एक व्यापक ढांचे के अन्तर्गत काफी लचीला रुख अपनाने की अनुमति देती है । राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्त का अर्थ है :

(1) सभी के लिए शिक्षा, सफलता व उच्च स्तर प्राप्ति के अवसर,
(2) शिक्षा का समान ढांचा,
(3) एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, तथा
(4) हर चरण में एक निश्चित अध्ययन का स्तर ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की आवश्यकता की झलक हम राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में पाते हैं जब महात्मा गांधी ने आधारभूत शिक्षा का विचार सामने रखा था । 1986 की शिक्षा नीति ने भी समान स्कूली शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने की सिफारिश की है ।

समानता के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमान अवसरों को दूर करने तथा उन सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर देने पर जोर देती है जिन्हें अभी यह अवसर नहीं मिल पाया है ।

(1) लड़कियों के लिए भेदभावरहित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्त्री के अधिकारों में वृद्धि करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभायेगी । शिक्षा द्वारा स्त्रियों के सम्मान व स्तर में वृद्धि की जायेगी । स्त्रियों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा उनके विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम अपनाए जायेंगे । स्त्रियों में अशिक्षा को दूर करने, शिक्षा के अवसर में आने वाली बाधाओं को दूर करने व उन्हें आरंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी । इसके लिए विशेष साधन प्रदान किए जायेंगे तथा उसके बारे में निरंतर सूचना प्राप्त की जाएगी ।

(2) अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा

मैट्रिक से पूर्व उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना है, जिनके परिवार साफ सफाई, चमड़ा कमाने आदि का काम करते है चाहे उनकी आमदनी कितनी ही क्यों न हो । अनुसूचित जातियों सहित समाज में पिछड़े वर्ग के सभी लोगों के लिए शिक्षा के समुचित क्षेत्र में प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है ।

अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भावी शिक्षा प्राप्ति एवं रोजगार हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी । उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जायेगी । अध्यापकों का चयन भी अनुसूचित जातियों में से किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति के बच्चों की भर्ती, उनके स्कूल में बने रहने तथा सफलता पूर्वक पढ़ाई समाप्त करने के लिए निरंतर नियंत्रण रखा जायेगा ।

अन्य कार्यक्रमों—जैसे "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" और "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम"—के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों के लोगों को शिक्षा की सुविधा दी जायेगी ।

(3) अनुसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा

जन-जाति क्षेत्र में स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी । आरंभिक वर्षों के लिए विशेष पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रबंध हो सके । अनुसूचित जातियों की भांति यहां भी अध्यापक शिक्षित जन-जाति के युवकों में से चुने जाएंगे । निवास सहित स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विशेष व्यवस्था तथा सभी प्रकार का प्रोत्साहन जन-जातियों के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा ताकि वे देश के बाकी लोगों के स्तर तक पहुंच सकें ।

(4) अन्य पिछड़े वर्ग व क्षेत्र

शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा । दूरदराज के क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

(5) अल्पसंख्यक

कुछ अल्पसंख्यक समूह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं वे शिक्षा से वंचित हैं । इन समूहों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर अधिकाधिक ध्यान दिया जायेगा ।

(6) विकलांगों के लिए शिक्षा

जिला मुख्यालयों पर विकलांग छात्रों के लिए विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा देने के भी पर्याप्त प्रबंध होंगे । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अपंग लोगों की विशेष कठिनाइयों की दूर करने के लिए प्राथमिक कक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है । जिन बच्चों की नजर खराब है, बोलने में कुछ कमी है, मानसिक तौर पर कोई दिक्कत है या हाथ-पांव में कोई दोष है तो उन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा ।

आरंभिक शिक्षा को सभी के लिए लागू करना

14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए है । संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत इसकी पुष्टि करते हैं । फिर भी हम सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से काफी दूर है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी बच्चों को भर्ती किया जाए । सभी को स्कूल में बनाए रखा जाए तथा शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए ।

शिक्षा का समान ढांचा

शिक्षा आयोग (1964–66) ने 10 + 2 + 3 के रूप में सारे देश के लिए समान शिक्षा के ढांचे की सिफारिश की है। 1968 के बाद देश के अधिकांश राज्यों ने इस ढांचे को स्वीकार किया है और बाकी राज्य इसे अपनाने की प्रक्रिया में जुटे हैं ।

इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की है कि प्रथम दस वर्षीय शिक्षा में 5 वर्षी प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक व 2 वर्ष माध्यमिक शिक्षा को दिए जाएं । 5 वर्ष प्राथमिक व 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, इस प्रकार कुल मिलाकर 8 वर्ष की आरंभिक शिक्षा होगी ।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई है जिसमें कुछ समान तत्व होंगे तथा साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी होंगे जहां लचीली नीति अपनाई जाएगी । आरंभिक व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों का विकास ।

(2) सभी बच्चों के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक व्यापक सामान्य शिक्षा का प्रावधान ।

(3) प्राइमरी, उच्च प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई की समान रूप रेखा ।

(4) पाठ्यक्रम में भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत बनाना, भारत की समान सांस्कृतिक परम्परा, समता, प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विभेद का निराकरण तथा वैधानिक स्वभाव का निर्माण ये प्रमुख तत्व हैं जो समान रूप से सभी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे ।

(5) प्रत्येक क्षेत्र के लिए न्यूनतम अध्ययन परिणाम परिभाषित किए जाएगे ।

(6) न्यूनतम अध्ययन परिणाम का स्तर प्राप्त करने के लिए पाठ्क्रम को लचीला बनाने का प्रावधान होगा ।

(7) शिक्षा छात्र केन्द्रित व गतिविधियों पर आधारित होगी, अध्यापक-केन्द्रित नहीं ।

(8) परीक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण तथा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था होगी जिसमें बुद्धि व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन होगा ।

(9) सारे देश में समान रूप से योग्य व दक्ष अध्यापकों के चुनाव के लिए सही तन्त्र जैसे (नेशनल टेस्टिंग सर्विस (एन. टी. एस.) की स्थापना की जाएगी ।

(10) छात्र के भावी विकास के लिए, चाहे वह किसी भी तरीके व भाषा के माध्यम से पढ़े—पाठ्यक्रम सभी के लिए समान होगा ।

(11) सभी स्कूलों/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पाठ्क्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी न्यूनतम स्तर

शिक्षा के सभी स्तरों पर सब जगह अपेक्षाकृत समान स्तर प्राप्त करने के लिए शिक्षा का जरूरी न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाएगा । पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, अध्यापन-सामग्री के चुनाव व मूल्यांकन में शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक स्तर का ध्यान रखा जाएगा ।

छात्र-केन्द्रित शिक्षा

शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है कि पाठ्यक्रम लागू करते समय पाठ रटने को प्रोत्साहन न देकर छात्र केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित पढ़ाई को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

एक व्यक्ति के रूप में बच्चे की अपनी आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण व क्षमताएं होती हैं । पाठ्यक्रम लागू करते समय इनका ध्यान रखा जाना चाहिए । अध्यापक को कक्षा में पढ़ाई के लिए प्रेरक वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायक होना चाहिए ।

मूल्य शिक्षा

समाज में मूल्यों में तेजी से गिरावट तथा बढ़ते हुए स्तरीपन को देखते हुए ही शिक्षा नीति ने मूल्यों/आदर्शों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है । एक सुपरिभाषित पाठ्यक्रम और उसे लागू करके शिक्षा को सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास का महत्वपूर्ण "औजार" बनाया जा सकता है । शिक्षा द्वारा विश्वजनीन एवं शाश्वत मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए ताकि लोगों में एकता व मेल-मिलाप सुदृढ़ हो सके । ऐसी मूल्य शिक्षा धार्मिक उग्रवाद, हिंसा, अंध विश्वास तथा भाग्यवाद को समाप्त करने में सहायक होगी । शिक्षा, जो विश्वव्यापी व शाश्वत मूल्यों जैसे ईमानदारी, सच्चाई, साहस, दृढ़निष्ठा, सहनशीलता, न्याय के प्रति प्रेम, दया आदि का विकास करती है वह निश्चय ही एक संतुलित व्यक्ति व समाज के निर्माण में सहायक होगी ।

मूल्यांकन प्रक्रिया व परीक्षा प्रणाली में सुधार

मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है । अध्यापन व अध्ययन प्रक्रिया का अविभाज्य अंग है : छात्र की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना । मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षा में सुधार लाने में सहायता कर सकती है । इसके लिए निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए । यहं मूल्यांकन बौद्धिक व अन्य गतिविधियों का होना चाहिए ।

स्कूल स्तर पर, 10वीं व 12वीं कक्षा में सार्वजनिक परीक्षा होगी । राज्य के शिक्षा बोर्डों से आशा की जाती है कि वे छात्रों का विश्वसनीय एवं उचित मूल्यांकन करेंगे । प्रत्येक विषय में अलग से ग्रेड दिए जायेंगे तथा अंक देने की वर्तमान प्रणाली समाप्त की जाएगी ।

सुविधाओं की व्यवस्था

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा के स्तर में सुधार । शिक्षा के क्षेत्र में समुचित स्थिति की स्थापना के लिए कई नीतियां अपनाई गई हैं । मुख्य ध्यान स्कूल के भवनों, अध्यापकों की नियुक्ति व स्कूल में अन्य सुविधाओं पर दिया गया है । "आपरेशन-ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो बड़े कमरे, खिलौने व खेल कूद का सामान, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट व अन्य पढ़ाई संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी । इस बात का प्रयास किया जाएगा कि सभी स्कूलों को खेल के मैदान की सुविधा दी जाए । माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को, जहां अभी पूरी सुविधाएं नहीं हैं, वहां प्रयोगशालाओं व पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी ताकि पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके ।

समुदाय का सहयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जाये । माता-पिता, समुदाय व स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से स्कूल व समुदाय के बीच निकट संबंध स्थापित होगें । इससे स्कूल में अनुपस्थिति कम होगी, कम बच्चे स्कूल छोड़ेंगे तथा शिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ेगी । इससे स्कूल कें अच्छे प्रबन्ध में भी मदद मिलेगी ।

अध्यापक व अध्यापक-प्रशिक्षण

शिक्षा नीति अध्यापक समुदाय में पूर्ण विश्वास रखती है । छात्र की आवश्यकताओं व योग्यताओं के संदर्भ में तथा समुदाय की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अपने अध्यापन में नवीन तत्वों का समावेश करने को स्वतंत्र होंगे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत अध्यापकों के सम्मान व पद में वृद्धि, साथ ही अध्यापकों को अधिक उत्तरदायी बनाने के कदमों का सुझाव दिया गया है । इनमें से कुछ विशेष सुझाव इस प्रकार हैं :

- अध्यापकों के चुनाव की पद्धति में सुधार ।
- अध्यापकों के लिए निवास तथा सेवा शर्तों में सुधार ।
- शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावशाली तंत्र का निर्माण ।
- शिक्षा की योजना व प्रबन्ध में अध्यापकों को शामिल करना ।
- अध्यापक के सम्मान को बनाए रखने, उनकी व्यावसायिक निष्ठा व व्यावसायिक उत्तरदायित्वहीनता को कम करने के लिए अध्यापक संघों को शामिल करना ।
- अध्यापकों के लिए व्यवसाय संबंधी आचार संहिता का निर्माण तथा यह ध्यान रखना कि अध्यापक स्वीकृत नियमों के अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं या नहीं ।
- अध्यापकों में स्वायत्तता एवं नवीन शैली के प्रोत्साहन के लिए अवसर ।

जहां तक अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, सेवा से पूर्व प्रशिक्षण व सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण में परिवर्तन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय नीति को लागू किया जा सके । आरंभिक स्कूल के अध्यापकों व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के लिए सेवा से पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी । यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा संस्था द्वारा किया जायेगा । यह संस्था कुछ समय पश्चात् अन्य स्तरीय संस्थाओं का स्थान लेगी । अध्यापक-प्रशिक्षण-केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि वे माध्यमिक संस्थानों को मान्यता देगी तथा उनके लिए पाठ्यक्रम व व्यवस्था का मार्ग निर्देशन करेगी ।

अध्यापक की भूमिका

अब तक इस मॉड्यूल में जो कुछ कहा गया है उससे आपको यह पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आपकी क्या भूमिका है ।

जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा संस्था में अध्यापक की आधारभूत भूमिका है : बच्चों को प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षा व जानकारी देना। यह कार्य कक्षा में टूटोरियल्स, व्यक्तिगत दिशा निर्देशन तथा बाहरी गतिविधियों द्वारा किया जा सकता है।

शिक्षा नीति में शिक्षा के स्तर के सुधार पर विशेष जोर दिया गया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया में सुधार करना होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नवीन पाठ्यपुस्तकें व शिक्षा सामग्री, अध्यापक-गाइड तैयार किए जाएंगे । बच्चों की प्रभावी शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप इस नवीन सामग्री से भलीभांति परिचित हों ।

शिक्षा नीति में यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाया जाए । पर सिर्फ आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा । उनका प्रभावी उपयोग भी महत्वपूर्ण है । आशा है कि आप इन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे ।

शैक्षणिक मूल्यांकन एक अन्य क्षेत्र है जिसमें अध्यापक को दक्षता प्राप्त करनी होगी । यह दक्षता छात्रों के निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में सहायक होगी ।

आरंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक को अपने क्षेत्र के सभी बच्चों की भर्ती की दिशा में विशेष कदम उठाने होंगे । इसके अलावा सभी छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने होंगे । अध्यापक को स्थानीय समुदाय से निकट संबंध स्थापित करना होगा ताकि वह स्कूल के विकास व शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय का भौतिक व जन सहयोग प्राप्त कर सके । इसके लिए उसे ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे निरंतर स्थानीय समुदाय का सहयोग मिल सके ।

छात्रों को प्रभावपूर्ण ढंग से जानकारी देने के साथ ही अध्यापक को उन विविध गतिविधियों में भाग लेना होगा जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्कूल में आरंभ की गई हैं ।

पाठ्यक्रम लागू करने के साथ ही अध्यापक को एक निश्चित व्यक्तिगत व सामाजिक भूमिका भी निभानी होगी ताकि छात्र अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें । इसका अर्थ यह है कि अध्यापक को न केवल शिक्षण के तत्वों व पद्धति में योग्य होना चाहिए वरन् उसे व्यवसाय के लिए जरूरी मूल्यों/आदर्शों से भी शिक्षित होना चाहिए । शिक्षक संघों द्वारा व्यावसायिक आचार संहिता का निर्माण किया जाएगा जो व्यावसायिक व्यवहार व दायित्व को संचालित करेगी ।

प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए एक अध्यापक को नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना होगा । इसके लिए उसे समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना होगा जो अध्यापकों के लिए सतत शिक्षा का हिस्सा होगी ।

इस मॉड्यूल एवं बाद में अन्य मॉड्यूलों पर विचार विमर्श करने के बाद आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विभिन्न मामलों व प्रमुख तत्वों पर विचार करने का अवसर मिलेगा । आशा है कि आप अपनी भूमिका के बारे में सकारात्मक रुख

अपनाएंगे और शिक्षा के स्तर के सुधार में अपनी भूमिका निभाएंगे । इस प्रकार बच्चे व समाज की सर्वांगीण प्रगति में अपना योगदान अभूतपूर्व होगा ।

विचार के लिए कुछ प्रश्न

यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं । यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे और इन पर चर्चा कर सकेंगे । अन्य प्रश्न भी लिये जा सकते हैं :

- शिक्षा व्यवस्था की रूप रेखा के लिए नीति विषयक घोषणा को पहला कदम क्यों माना गया है ?
- एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 स्वीकृत होने के बाद "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" यह योजना क्यों बनायी गयी ?
- क्या राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाना जरूरी है ?
- जो लोग अब तक शिक्षा लेने से वंचित रहे हैं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अवसरों की समानता क्यों जरूरी है ?
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में शिक्षा में समान तत्व राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है—विचार कीजिए ।
- एक अध्यापक के रूप में अपनी प्रभावपूर्ण भूमिका के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे ?
- छात्रों के मूल्यांकन के लिए आपको कौन से विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होगी ?
- अपने छात्रों में उचित मूल्यों/आदर्शों के विकास के लिए आपने समय-समय पर क्या गतिविधियां आयोजित की हैं ?
- जिला प्रशिक्षण संस्थान/शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र किस प्रकार आपको अपनी भूमिका को प्रभावी रूप में लागू करने में मदद करेंगे ?
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक अध्यापक के रूप में आपको क्या अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होगी ?

मॉड्यूल-2 सी

प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप एक प्रस्तावना

एक दृष्टिपात

स्कूली पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं एवं आकाक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए । समाज की बदलती स्थितियों में उसे भी बदलना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता व गतिशीलता होनी चाहिए अन्यथा उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। अतः राष्ट्र की प्राथमिकताएं एवं सहमति पाठ्यक्रम में समुचित रूप से परिलक्षित होनी चाहिए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के तत्त्वों व प्रक्रिया के बारे में नवीन निर्देशों एवं पुनःनिर्माण की व्यवस्था है । ये मार्ग निर्देशक सिद्धान्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मे विस्तार से दिए गए हैं । ये सिद्धान्त एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा विकसित किए गए हैं । जब आप इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आप राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य व राष्ट्रीय उद्देश्य तथा स्कूली पाठ्यक्रम के बीच आपसी संबंध को जान सकेंगे । आप यह भी जान सकेंगे कि समय-समय पर स्कूली पाठ्यक्रम में परिवर्तन क्यों आवश्यक है । वहां आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे की जरूरत तथा पाठ्यक्रम के विकास की विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया की भी जानकारी मिलेगी । एक अध्यापक के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर विकसित पाठ्यक्रम को लागू करें। अतः यह जरूरी है कि आप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विविध पहलुओं से अवगत हों । इस मॉड्यूल में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की मोटे तौर पर जानकारी दी गई है ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप जान सकेंगे कि:

(1) पाठ्यक्रम की प्रकृति व उसका अर्थ क्या है ?

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की महत्ता क्या है ?

(3) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विशिष्ट तत्त्व क्या हैं ?

(4) शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में मुख्य विषयों की जरूरत तथा महत्ता क्या है ?

(5) अध्यापक की बदलती भूमिका क्या है ? वहां आपको यह भी पता चलेगा कि अध्यापक मात्र ज्ञान देने वाला न होकर, जानकारी व समझ को बढ़ाने वाला भी है ।

(6) राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य तथा स्कूली पाठ्यक्रम के बीच आपसी संबंध क्या हैं ?

पाठ्यक्रम—अर्थ और प्रकृति

एक अध्यापक के नाते आप कक्षा के भीतर और बाहर अपना अधिकतम समय पाठ्यक्रम के निष्पादन में लगाते रहे हैं । आप अपने छात्रों के लिए विविध गतिविधियां (पाठ्यक्रम से संबंधित व अन्य) संगठित करते रहे हैं । छात्र इन्हीं गतिविधियों की सीढ़ियों से नया ज्ञान, समुचित दृष्टिकोण व दक्षता प्राप्त करते रहे हैं ।

क्रियाकलाप-1

1. उन गतिविधियों की सूची बनाइए जो आप सामान्यतः स्कूल में करते हैं । **2. उन गतिविधियों की सूची बनाइए जो आप अब करना चाहेंगे (यदि आपको आवश्यक सुविधाएं मिलें) ।**	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

इन गतिविधियों की सूची पर नजर डालने से पता चलेगा कि ये सूचियां बच्चों को जानकारी व अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साधन हैं । क्या आप इन सभी गतिविधियों को एक नाम दे सकते हैं ? यदि आपने "पाठ्यक्रम" शब्द सोचा है तो आप सही हैं । अब यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप शिक्षा संस्थाओं में जिन गतिविधियों का आयोजन करते हैं या जिनकी योजना बनाते हैं वही "पाठ्यक्रम" है ।

पाठ्यक्रम का बदलता स्वरूप

आप में से कुछ लोग काफी अरसे से पढ़ा रहे होंगे । आप संभवतः जानते होंगे कि कुछ अन्तराल के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन व संशोधन किए गए थे । पाठ्यक्रम में इन परिवर्तनों का संबंध लक्ष्य, उद्देश्यों, तत्वों, शैक्षणिक प्रक्रिया व छात्रों के मूल्यांकन से रहा हैं । आज पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में रचनात्मक तथा स्वतंत्र विचार की क्षमता का विकास महत्त्वपूर्ण है । एक समय था जब स्कूलों में विज्ञान तथा गणित अनिवार्य विषय नहीं थे । लेकिन आज शिक्षा के सभी स्तरों पर ये स्कूली पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग हैं । शिक्षा आयोग रिपोर्ट (1964–65) के बाद सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव संबंधी गतिविधियों पर अधिक जोर दिया गया । +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को पुनः विशेष महत्त्व प्रदान किया गया । इन उदाहरणों से पता चलता है कि पाठ्यक्रम गतिशील व क्रियाशील है । समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बदलने के साथ पाठ्यक्रम भी बदले व संशोधित किये जाते हैं ।

क्रियाकलाप–2

1. पिछले दस वर्षों में स्कूली पाठ्यक्रम और आपके विषय के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी सूची बनाइए । **2. ये परिवर्तन क्यों हुए हैं ?**	**चर्चा कीजिए** **एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए**

चिन्ताएं और प्राथमिकताएं

इस चिंता में वृद्धि हुई है कि मोटे तौर पर शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करनेमे में सफल नहीं हुईहै । ये आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं क्या हैं ? हमारी इच्छा है कि समानता एवं न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो । आज हमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करना है और अपनी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय अस्मिता एवं एकता की रक्षा करनी है । साथ ही चरित्र निर्माण, संवैधानिक दायित्वों के प्रति सम्मान, विश्वव्यापी दृष्टिकोण के विकास पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा तथा छोटे परिवार की विचारधारा के प्रसार की जरूरत है । सबसे पहले तो शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जो निर्माणात्मक हो, बुराईई से संघर्ष कर सके, स्वतंत्र चेतना में वृद्धि तथा एकता का निर्माण कर सके । निर्माणात्मक से हमारा अर्थ है : राष्ट्रीय एकताता व सुदृढ़ता को प्रोत्साहन देने वाले उच्चकोटि के सिद्धान्तों एवं सुसंस्कृत विचारों का क्रियान्वयन । संघर्ष से हमारा तात्पर्य है : समाज में व्याप्त विनाशकारी प्रवृत्तियों (व्यक्तिगत व वर्गगत) का सामना करना । स्वतंत्र चेतना का अर्थ है : अज्ञान एवं अंधविश्वास से मुक्ति, जबकि एकता का अर्थ समाज व छात्र के बीच एकता व अखण्डता का निर्माण करना है ।

अध्ययन संबंधी गतिविधियां

आप आपस में वर्तमान भारत की प्राथमिकताओं व चिंताओं के बारे में विचार-विमर्श करें । इस प्राथमिकताओं व चिन्ताओं से शिक्षा के क्या लक्ष्य सामने आते हैं ? शिक्षा के उन उद्देश्यों की सूची बनाइए जो आपके विचार-विमर्श के बाद सामने आए हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति

ऊपर जिन प्राथमिकताओं व चिंताओं का उल्लेख है वे स्थानीय प्रकृति की नहीं है । इनसे शिक्षा के प्रति एक विस्तृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास की बात सामने आती है और वह है स्कूलों के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की बात । हमें राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए भी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक असमानताओं के बावजूद सभी छात्रों के लिए समान स्तर प्राप्त करना जरूरी है । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का एक लक्ष्य यह भी है कि सारे देश में शिक्षा का एक समान ढांचा हो ।

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अर्थ एक संकीर्ण समानता नहीं है । इसका अर्थ है एक मोटे ढांचे के अन्तर्गत छात्रों के लिए समान शैक्षणिक उद्देश्य, समान शिक्षा का ढांचा व शिक्षा में समान स्तर का निर्माण । विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत अपनी शिक्षा नीति का निर्माण व क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारा देश अपनी भौगोलिक, भाषागत, धर्मगत एवं सांस्कृतिक विविधता से अपनी शक्ति प्राप्त करता हैहै । हमारी एकता भारतीय संस्कृति की विविधता एवं समृद्धि पर आधारित है । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्रत्र में क्षेत्रीय असमानताएं दूर करना तथा प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करना है । इसके लिए अध्यापक, स्कूल तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी लचीला रुख अपना सकते हैं ।

इस व्यवस्था के मुख्य अंग हैं :

1. जातिगत, साम्प्रदायिक, स्थान व लिंग संबंधी भेदभाव के बिना सभी छात्रों को एक स्तर तक अच्छी शिक्षा दी जाए ।
2. सभी को न केवल भर्ती करने के वरन् सफल होने के समान अवसर दिए जाएं ।
3. सभी राज्यों में 10 + 2 + 3 की शिक्षा प्रणाली लागू हो ।
4. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा एक हो जिसमें कुछ प्रमुख विषय सब जगह समान हों । अन्य विषयों में लचीला रुख अपनाया जा सकता है ।
5. हर स्तर पर शिक्षा में जानकारी का न्यूनतम स्तर निर्धारित हो ।
6. छात्रों में भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की विविध संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था की जानकारी व समझ पैदा हो ।
7. कार्य तथा व्यवस्था प्रबंधन क्षमता के बीच तालमेल हो ।
8. छात्र को उच्च शिक्षा एवं व्यवसाय-प्रशिक्षण के लिए विभिन्न अवसर दिए जाएं ।
9. राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए ।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे को हमें राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बनाना होगा । राष्ट्रीय स्तर पर हम पाठ्यक्रम की केवल मोटी रूपरेखा बना सकते हैं ताकि राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करने में समुचित लचीलापन लाया जा सके । देश के विभिन्न क्षेत्रों व राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक समान पाठ्यक्रम का विकास प्रासंगिक नहीं होगा । प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया है उसके विशिष्ट अंग हैं :–

1. राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों का विकास ।
2. प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के सभी स्कूलों में व्यापक सामान्य शिक्षा ।
3. आरंभिक (प्राइमरी व अपर प्राइमरी) तथा माध्यमिक स्तर पर एक समान शिक्षा योजना ।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत समान मुख्य विषय ।
5. सभी स्तरों पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम जानकारी की परिभाषा ।
6. न्यूनतम जानकारी की प्राप्ति के लिए विषयों के चुनाव में लचीलापन ।
7. पाठ्यक्रम लागू करने में अध्यापक-केन्द्रित-दृष्टिकोण की बजाय छात्र केन्द्रित तथा गतिविधियों पर आधारित प्रक्रिया अपनाना ।
8. पूरे शिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन तथा नियमित व विस्तृत मूल्यांकन की व्यवस्था जिसमें शैक्षिक व अशैक्षिक दोनों ही पहलुओं का समावेश हो ।
9. एक समुचित व्यवस्था—जैसे समस्त राष्ट्र में दक्षता व योग्यता जांचने व परखने के लिए राष्ट्रीय मूल्याकन सेवा (नेशनल टैस्टिंग सर्विस) की स्थापना ।
10. पढ़ने के ढंग, माध्यम, साधन व भाषा की विभिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम लागू हो और ऐसी योग्यता प्राप्ति की गारण्टी हो कि वह किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सके ।
11. सभी स्कूलों व अनौपचारिक शिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो ।

क्रियाकलाप-3

पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक सूची तैयार कीजिए ।

समान प्रमुख तत्त्व

जब से उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध आरम्भ हुआ है तभी से राष्ट्रीय अस्मिता की खोज आरम्भ हुई । यह खोज अभी समाप्त नहीं हुई है । वस्तुतः आज इसकी आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा अनुभव की जा रही है । अतः यह स्वाभाविक ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रीय मूल्यों के विकास के संदर्भ में पाठ्यक्रम बनाने की जोरदार बात की जाए । इस संबंध में 10 प्रमुख तत्व हैं जिन्हें पाठ्यक्रमों में उतार कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । निम्नलिखित प्रमुख तत्त्व माने गए हैं जिन्हें देश के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना जरूरी है :

1. भारत की आजादी के आन्दोलन का इतिहास
2. संवैधानिक दायित्व
3. राष्ट्रीय अस्मिता को बढ़ावा देने व मजबूत करने वाले तत्व
4. भारत की समान सांस्कृतिक परम्परा
5. समानता, जनतंत्र व समाजवाद
6. स्त्री-पुरुष में समानता
7. पर्यावरण की सुरक्षा
8. सामाजिक विषमताओं व विभेदों का निराकरण
9. छोटे परिवार के सिद्धान्त का पालन
10. वैज्ञानिक स्वभाव का निर्माण

मूल्यांकन

स्कूल के बाहर से आयोजित दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा व स्कूल में आयोजित सालाना परीक्षा संतुलित नहीं होती क्योंकि यह मौखिक नहीं अपितु लिखित विचार पर ज्यादा जोर देती है । ऐसी परीक्षा सिर्फ निम्न स्तरीय योग्यता (जैसे याददाश्त व किताबी जानकारी) पर आधारित होती है । ऐसी परीक्षा में स्वतंत्र या रचनात्मक विचारों पर जोर नहीं दिया जाता । विषय-गत मामलों में, व्यवसाय गत विषयों में, कार्य अनुभव में तथा शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा से ज्ञान की परीक्षा तो हो जाती है लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हो पाता । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में दिए गए अंक सदैव विश्वसनीय नहीं होते । राष्ट्रीय शिक्षा-नीति–1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अन्तर्गत वर्तमान परीक्षा प्रणाली की अपूर्णताओं पर ध्यान देते हुए उसकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं । प्रस्तावित परीक्षा प्रणाली में "आंतरिक", "निरंतर" एवं "व्यापक" मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया गया है । अध्यापक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन में मूल्यांकन के विविध तरीकों (मौखिक परीक्षा सहित) का समावेश होगा । निरंतर मूल्यांकन से जहां एक ओर पाठ्यक्रम पूरा करना संभव होगा वहां दूसरी ओर हम उसमें विभिन्न गतिविधियों का भी समावेश कर सकेंगे । व्यापक मूल्यांकन के अन्तर्गत व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ ही प्रभावपूर्ण एवं मनःप्रेरक पक्ष को ध्यान में रखना भी संभव होगा।

परस्पर विचार-विमर्श पूर्ण अध्यापन

एक अध्यापक के रूप में आपको अपनी कक्षा में पढ़ाने का अनुभव है । आप इससे सहमत होंगे कि अधिकांश कक्षाओं में पढ़ाने का ढंग सन्तुलित नहीं है, खासकर विभिन्न योग्यताओं और दक्षताओं के विकास में । यह पाठ्यक्रम के घोषित उद्देश्यों के साथ भी प्रासंगिक नहीं है । पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में स्वतंत्र चिंतन, मौलिकता, उत्पादकता, तार्किक विचार व वैज्ञानिक विचारधारा का विकास शामिल है लेकिन व्यवहार में इन योग्यताओं के विकास की दिशा में कम ही प्रयास किया जा रहा है । आजकल अधिकांशतः अध्यापन सूचनापरक होता है जो स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के स्थान पर रट लेने पर ज्यादा जोर देता है । यह शैली अध्यापक को सूचना देने वाला और छात्र को सूचना ग्रहण करने वाला बना देती है । इस प्रकार इस व्यवस्था में छात्र व अध्यापक के बीच संवाद व पारस्परिक विचार-विमर्श का अभाव रहता है । वास्तव में बाहर से परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था इस पद्धति के लिए काफी जिम्मेदार है ।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अन्तर्गत अध्यापक की भूमिका में परिवर्तन किया गया है । इसके अनुसार वह सूचना देने वाला न होकर ज्ञान व चिन्तन को बढ़ावा देने वाला होगा । अध्यापक व छात्र के बीच संवाद पर आधारित अध्यापन की उसमें सिफारिश की गई है । यह कहा गया है कि अध्ययन-अध्यापन में विभिन्न तरीके व गतिविधियां अपनाई जाएं जैसे प्रेक्षण, सामग्री व सूचना एकत्र करना, प्रदर्शन व प्रयोग करना, खास विषय पर लेख लिखना, खेलकूद, शैक्षणिक खेल, शैक्षणिक यात्राएं, नाटक, सामूहिक वाद-विवाद, साप्ताहिक गतिविधियां, समस्याओं का निदान, विचार-विमर्श खोज आदि । इन गतिविधियों से छात्र-केन्द्रित पाठ्यक्रम लागू करने में भारी सहायता मिलेगी ।

समीक्षा व परिशोधन (फीड बैक)

1. हम राष्ट्रीय स्तर पर ही पाठयक्रम ढांचा क्यों तैयार करें ?
2. पाठ्यक्रम निर्माण में विकेन्द्रीकरण के क्या लाभ है ?
3. पाठ्यक्रम के विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है ?
4. प्रमुख तत्त्वों में और क्या तत्त्व शामिल किए जा सकते है ?
5. शिक्षा की व्यवस्था/शैली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है ?

विस्तृत अध्ययन के लिए सुझाव

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन कीजिए तथा उसके विशेष तत्वों का परिचय दीजिए ।
2. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का अध्ययन कीजिए तथा उसकी विभिन्न सिफारिशों पर अपनी टिप्पणी दीजिए।
3. प्रशिक्षण के दौरान आपने अध्यापन के तरीकों पर जो पुस्तकें पढ़ी हैं उन्हें पुनः पढ़िए ।

स्कूली स्थिति पर पुनर्विचार

1. वर्तमान पाठ्यक्रम के बारे में अपने विचार बताइए ।
2. आप जो कक्षाएं पढ़ाते हैं उनके पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दीजिए ।
3. क्या आप सोचते हैं कि यह वैयक्तिक व सामाजिक विकास की जरूरतों के लिए प्रासंगिक है ?

वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के संदर्भ में

एक दृष्टिपात

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में समानता लाने की आवश्यकता एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में समझी गयी है । इस बात पर बल दिया गया है कि "न केवल सबको समान अवसर मिले बल्कि उनके लिए सफलता प्राप्त करने की परिस्थितियां भी समान बनें" । इस संदर्भ में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है ।

"शिक्षण के अवसर सबको समान रूप से प्रदान करने" का अर्थ अभी तक यह लगाया जाता था कि बच्चों के लिए इतनी दूरी पर स्कूल खोले जाएं जहां तक वे पैदल जा सकें । बच्चों की विद्यालय में आवास की सुविधा दी जाय, स्कूलों में हर संप्रदाय के बच्चों को दाखिला मिले, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और उन्हें स्कूल में बनाये रखने की दर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जायं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र उपलब्ध कराये जायं मैट्रिक से पूर्व और मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाय बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न सहायक सेवाएं उपलब्ध करायी जायें आदि । अक्सर यह देखा गया है कि या तो लाभकर्ताओं द्वारा इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है या इन्हें सही संदर्भ में नहीं समझा गया है । दूसरी ओर भारतीय समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के शैक्षणिक विकास में लोगों की आर्थिक गरीबी प्रमुख बाधा होते हुए भी एकमात्र बाधा नहीं है । कई अन्य कारण भी हैं, जैसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबन्ध, बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए प्रेरणा देने का अभाव, उनके माता-पिता का स्वयं को हीन समझने का भाव, पिछड़े समुदायों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के प्रति अध्यापकों का उदासीन रवैया । आमतौर पर, यदि अध्यापक इन समुदायों के शैक्षणिक विकास में सक्रिय भाग लें और विशेषकर उनके बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, तो शिक्षा में उनकी सफलता का मार्ग निश्चय ही प्रशस्त होगा ।

आइए, हम देश में गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जन जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की शैक्षणिक प्रगति को देखें । 1981 की जनगणना के अनुसार, पूरे भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दर क्रमशः 21.38 और 16.35 प्रतिशत थी जबकि गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दर 41.20 प्रतिशत थी । इन समुदायों की महिलाओं की शिक्षा में प्रगति तो और भी शोचनीय है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की महिलाओं में साक्षरता दर क्रमशः 10.93 और 8.04 प्रतिशत थी जबकि शेष अन्य समुदायों की महिलाओं की साक्षरता दर 29.43 प्रतिशत थी । इन समुदायों में उच्च शिक्षा विभिन्न समुदायों में तो नहीं के बराबर है ।

शैक्षणिक विकास की असमानताएँ कई सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को जन्म देती हैं । इससे आमतौर पर देश में मानव संसाधन विकास में गिरावट आती है और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता।

लक्ष्य

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने पर आपको निम्नांकित बातें समझने में सहायता मिलेगी :–

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण यह है कि आजादी से पूर्व इन समुदायों को सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक गरीबी का शिकार बनाया गया ।
- भारतीय समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों और अन्य वर्गों के बीच शैक्षणिक विकास की असमानताओं को विशेष प्रयासों द्वारा कम से कम किया जाना चाहिए ।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के प्रति यदि अनजाने में भी व्यवहार संबंधी भेदभाव दिखाया जाये तो उसका परिणाम यह होता है कि इन बच्चों को पढ़ाई से अरुचि हो जाती है । वे जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनमें हीन भावना घर कर जाती है ।
- इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा के प्रति, विशेषकर पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों की विशेष भूमिका है ।

- अध्यापकों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों और अभिभावकों को उनके लाभार्थ बनायी गयी योजनाओं और दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में समझाएँ तथा अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें ।
- समान व्यावहारिक साक्षरता का अल्पकालिक कार्यक्रम चलाने और अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी से भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के बीच शिक्षा संबंधी असमानताओं की खाई पट सकेगी ।

क्रियाकलाप-1

आपने कक्षा में और कक्षा से बाहर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के प्रति किसी न किसी प्रकार का भेदभाव परिलक्षित किया होगा । वे परिस्थितियां कौन सी हैं ? इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का कारण क्या है ? विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में इस प्रकार के व्यवहार का क्या औचित्य है ? स्कूल में और समुदाय में भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक से क्या भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है ?

इस पर चर्चा करने से कई ऐसी परिस्थितियाँ सामने आयेंगी जब विद्यार्थी, अध्यापकगण और समुदाय के अन्य सदस्य बिना सोचे-विचारे या अनजाने में कुछ समुदायों के छात्रों को उनके जाति नाम से बुलाएंगे और इस तरह उन्हें अपमानित करेंगे। इसे रोका जाना चाहिए और स्कूल में अनुकूल सामाजिक परिवेश तथा शैक्षणिक वातावरण बनाया जाना चाहिए ।

नीचे कुछ सुझाव दिये गये हैं, जिनसे स्कूल में ऐसा परिवेश बनाने में मदद मिलेगी जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों की शिक्षा में प्रगति के लिए सहायक होगा ।

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के प्रति अध्यापक के अपने व्यवहार का उदाहरण ही अनुकूल वातावरण बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है ।

(2) नियमानुसार, स्कूल के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य वर्गों के बीच भेदभाव मिटाने का संकल्प करना चाहिए ।

(3) हाजिरी लेते समय या बच्चों को बुलाते समय उनके जाति नामों या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

(4) अध्यापकों को चाहिए कि वे सभी बच्चों को स्कूल की पाठ्यक्रम संबंधी, सांस्कृतिक और खेल-कूद संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित करें ।

(5) स्कूल के कर्मचारियों, अध्यापकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के माता-पिता के बीच अक्सर बैठकें होनी चाहिए । इन बैठकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बनायी गयी योजनाओं को समझाया जाना चाहिए । उनके ऊपर यह प्रभाव डाला जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखें । उन्हें लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(6) यदि स्कूल में या उसके आसपास कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हों तो अध्यापकों द्वारा अशिक्षित माता-पिता को वहां व्यावहारिक साक्षरता कक्षाओं में जाने का सुझाव दिया जाना चाहिए तथा उसके लाभ बताए जाने चाहिए ।

क्रियाकलाप-2

स्कूल की निम्न स्थिति की कल्पना कीजिए—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बहुत से बच्चे पहली पीढ़ी के विद्यार्थी हैं । वे अपेक्षाकृत गरीब वातावरण से आते हैं । वे उतने साफ और चुस्त नहीं हैं । वे स्थानीय बोली के शब्दों को बड़े सुस्पष्ट ढंग से बोलते हैं । हो सकता है कि अपने सहपाठियों की तुलना में वे मान्य भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग न कर पाते हों और उनका शाब्दिक ज्ञान कम विकसित हो । हो सकता है उनकी प्रारंभिक गणित की धारणाएँ भी न बनी हों । दूसरी ओर, हो सकता है काम निकालने की उनकी कुशलता बेहतर विकसित हों । वे अपने अवलोकन में तेज और स्पष्ट हो । वे कुछ काम करने के लिए अधिक उत्साहित रहते हों और बैठकर बस सुनते रहना उन्हें कठिन लगता हो । घर में अनुकूल वातावरण न होने के कारण और घर में सुविधा के अभाव में हो सकता है कि ये बच्चे अपना गृहकार्य पूरा करने की स्थिति में न हों । दूसरी तरफ, चूंकि उनके माता-पिता अक्सर भूमिहीन मजदूर होते हैं या दूसरे शारीरिक श्रम या कृषि संबंधी कार्यों में लगे होते हैं, इसलिए ये बच्चे शिक्षित व्यक्तियों के रूप में अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते । वे अपने आपको नीचा समझते हैं क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं होता जिसे देख कर वे कुछ बनने की महत्वाकांक्षा पाल सकें ।

ऐसी स्थिति में एक अध्यापक शिक्षा का स्तर कैसे बनाए रख सकता है ? विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में कैसे घुल-मिल सकते हैं ? गरीब घर की पृष्ठभूमि के कारण उपजी प्रारम्भिक कठिनाइयों को कैसे हटाया जा सकता है ? यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चे अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते तो क्या किया जाना चाहिए ? अपने बारे में स्वस्थ धारणा बनाने में इन बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है ?

गरीब घर की पृष्ठभूमि से आने वाले और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों को तैयार करने के लिए अलग से कुछ प्रारम्भिक कक्षाएँ ली आने की आवश्यकता है । ये कक्षाएँ सामान्य दाखिले शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पहले ली जा सकती हैं । अध्यापक स्वास्थ्य, स्वभाव, व्यक्तिगत और वातावरण की सफाई, खाने की आदतों आदि के बारे में पाठ पढ़ा सकता है । बच्चों को तर्क करने, कहानी सुनाने, कविता पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । उन्हें शब्दों का उच्चारण सुधारने और मान्य भाषा का प्रयोग करने में मदद दी जानी चाहिए । गणित की प्रारम्भिक धारणाओं से भी उनका परिचय कराया जाना चाहिए । तैयारी के लिए प्रारम्भिक कक्षाएँ शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इन बच्चों की स्कूल में प्रवेश लेने की योग्यता बढ़े ताकि अध्यापक को ऐसी कक्षा मिले जो समरूप हो । अन्य कक्षाओं में भी यदि अध्यापक को ऐसा लगता है कि सीखने के स्तर में एकरूपता नहीं है तो कुछ समय के लिए पिछड़े विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए अलग से कक्षाएँ चलायी जा सकती हैं, जिनसे उन्हें काफी मदद मिल सकती है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों में आने वाले छात्र शैक्षिक क्षेत्रों में भी कमजोर हो सकते हैं । उन्हें सहायक शिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है । विद्यालय कुछ सहायक शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करा सकता है । ये अल्पकालिक आधार पर और विषय-वस्तु के लिए कुछ एकांशों को लेकर तैयार किये जा सकते हैं । पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएँ बनाकर, जैसे सहपाठियों के साथ ग्रुप में सीखना, कक्षानायक की सहायता से कुछ सीखना, निदान करके परीक्षण करना तथा पढ़ाना आदि से विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर सुधारा जा सकता है ।

बाहर खेले जाने वाले खेल तथा अन्य गतिविधियों, पाठ्यक्रम की सहायक गतिविधियों तथा अनुभव देने वाले अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था होने पर भी बच्चों को स्कूल में बनाये रखने में सहायता मिलती है । उनमें पढ़ाई जारी रखने की रुचि भी जागृत होती है ।

क्रियाकलाप-3

आइए हम फिर से एक नजर शिक्षा में समानता के सिद्धांत पर डालें, जिसका निरूपण राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे जैसे दस्तावेजों में किया गया है । इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की गयी है :

(1) सभी को समान अवसर प्रदान किए जायें, केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करने की स्थितियां बनाने में भी इसका ध्यान रखा जाय ।
(2) लड़के-लड़कियों के बीच समानता लायी जाय और भेदभाव दूर किया जाय ।
(3) पहली पीढ़ी के छात्रों की विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाय ।
(4) शिक्षा के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान किए जायें ।
(5) गरीब परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेजें ।
(6) निरंतर सूक्ष्म-नियोजन और पुष्टिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की भर्ती करने, पढ़ाई जारी रखने और पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य किसी भी अवस्था में अधूरा न रह जाय ।

माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहनों की योजना के बारे में समझाने में अध्यापकों को अहम् भूमिका निभानी है । केवल अध्यापक ही माता-पिता के संपर्क में आता है । वह उन्हें छात्रों की जरूरतों तथा उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन में शिक्षा के योगदान के बारे में समझा जा सकता है । कई माता-पिता इन प्रोत्साहनों और मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक बाद की कक्षाओं के लिए मिलने वाली वृत्ति का दुरुपयोग करते हैं । वे बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की भूमिका को समझ ही नहीं पाते । उन्हें अपने भविष्य की जरूरतों का कोई भान नहीं होता । अध्यापक की भूमिका एक मिशनरी, एक परिवर्तन लाने वाले एजेंट और एक सुविधा देने वाले व्यक्ति की होती है । माता-पिता के लिए अध्यापक से बढ़कर विश्वसनीय व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता ।

निम्न स्तर पर शैक्षिक योजना की नयी धारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्वीकार कर ली गयी है । शिक्षा में विकास की गतिविधियों को बनाने, आयोजित करने, लागू करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए जिला शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जा रहे हैं । निम्न स्तर पर योजनाएं बनाने का अधिकतम लाभ शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों और वर्गों को मिलेगा । हालांकि निम्न स्तर पर योजना बनाने की प्रशासनिक इकाई जिला स्तर की होगी पर वास्तविक इकाई अध्यापक की गतिविधियां होंगी क्योंकि वही सबसे पहले और सबसे तेज कार्य करता है । इस कार्यक्रम की सफलता उसके प्रयास में ही निहित है ।

क्रियाकलाप-4

अपने क्षेत्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के समुदायों में लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में राय बनाने के लिए ग्रुप में क्रियाकलाप तैयार कीजिए । क्रियाकलापों की सूची बनाइए और इन्हें अपने सहयोगी अध्यापकों में बांट दीजिए । आप अपने शिविर में इस क्रियाकलाप का अभिनय करके अभ्यास कर सकते है ।

मॉड्यूल-4 सी

महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना

भारत की नारी ने बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं । इतिहास साक्षी है कि वैदिक काल में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे । वे धार्मिक विधि-विधानों में भाग लेती थीं । यज्ञ करती थीं । धर्म में वे पुरुष की समानाधिकारिणी थीं । युद्धक्षेत्र में जाती थीं, वीरता से लड़ती थीं, सब त्योहारों में भाग लेती थीं, दर्शनशास्त्र पर वाद-विवाद करती थीं, विवाह की इच्छा न होने पर अविवाहिता रह जाती थीं, इस दृष्टि से उन्हें किसी प्रकार का कोई सामाजिक भय न था ।

परन्तु समय ने करवट ली, उनकी स्थिति का ह्रास हुआ, उनका स्तर गिर गया । मनुस्मृति में तो यहां तक कहा गया है कि "..............नारी स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है ।"[1]

हालांकि नारी के संबंध में ऐसे भी उदाहरण हमें मिलते हैं:—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैवास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रफलाः क्रियाः ।।[2]

(जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता बसते हैं ।

जहां इनकी पूजा नहीं होती, वहां सब विधि-विधान असफल हो जाते हैं ।)

यह सच है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं । अगर दोनों सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं और मिल-जुल कर काम करते हैं तो दोनों की दुनिया बदल सकती है । दोनों इन्सान हैं, दोनों सुख-दुख, कष्ट और आनन्द की अनुभूति समान रूप से करते हैं, तो फिर हमारे समाज में यह भेदभाव क्यों ? हमें आश्चर्य होता है कि आज के स्वतंत्र भारत में नारी के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का सा व्यवहार किया जाता है । वह दीन-हीन नहीं है, उसे दया नहीं चाहिए, वह अबला भी नहीं है तो फिर उसके साथ अबलाओं का सा व्यवहार क्यों ?

शिक्षाशास्त्रियों के लिए एक लम्बे अर्से से यह चिन्ता का विषय है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 86 में कहा गया है कि असमानता को दूर करने के लिए और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लड़कियों को समान अवसर दिए जाएंगे ।

इसे करने का एक तरीका यह है कि पाठ्यपुस्तकों में स्त्री-पुरुष में भेदभाव की रूढ़िगत नीति को समाप्त किया जाए ।

(पृष्ठ 107 : 5 (जी)

1. स्त्री-पुरुष में भेदभाव की नीति की समाप्ति

I. भूमिका

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात आप समझ सकेंगे कि पाठ्यपुस्तकों में "स्त्री-पुरुष में भेदभाव की नीति" का क्या अर्थ है। इसमें हम आपका ध्यान उन साधनों और मार्गों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिनके माध्यम से आप लड़के-लड़कियों के प्रति समभाव बरत सकें । इससे आपका अपने छात्रों के प्रति रवैया व व्यवहार बदलेगा और छात्रों के आपसी व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा । पाठ्यसामग्री एवं बच्चों की अन्य पुस्तकों में नारी की दीन-हीन छवि ही प्रतिबिम्बित होती है । इस स्थिति को बदलने के लिए सामाजिक चेतना बढ़ रही है । सरकार की तरफ से संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रयास किए जा रहे हैं । अतः अब आवश्यक हो गया है कि पाठ्यसामग्री में स्त्री-पुरुष के इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं क्योंकि बच्चों के मनमानस के निर्माण में पाठ्यसामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

II. उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :

(क) पाठ्यसामग्री का मूल्यांकन कर सकेंगे कि वहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया है या नहीं ?

(ख) विषयसूची में ऐसी सामग्री ढूंढ़ सकेंगे जो ऊपर से तो ठीक लगती है पर वास्तव में है नहीं ।

(ग) पाठ्यसामग्री में इन दो बातों का मूल्यांकन कर सकेंगे :

- क्या सामग्री लिंग भेद के प्रतिकूल है ? (नकारात्मक पहलू) ।
- क्या सामग्री स्त्री-पुरुष के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने वाली है ? (सकारात्मक पहलू) ।

---

1. मनुस्मृति 1: श्लोक 3; मैक्सम्युलर : पुनर्मुद्रित 1964, पृष्ठ 328 ।
2. गिरिजा खन्ना, "इंडियन विमेन टुडे"; नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 2 ।

III. नकारात्मक व सकारात्मक पहलू का स्पष्टीकरण

(क) नकारात्मक पहलू

स्त्री-पुरुष भेदभाव और पक्षपात का कारण है—स्त्री की भूमिका के प्रति समाज का पूर्वाग्रह और विभिन्न स्तरों पर नकारात्मक रवैया । इस प्रकार का भेदभाव पाठ्यसामग्री की विषय वस्तु, भाषा और सामग्री के प्रस्तुतिकरण में हो सकता है ।

(1) विषय वस्तु

हो सकता है, पुस्तकों में स्त्री से संबंधित प्रकरण असंतुलित हो । हो सकता है कि स्त्री से संबंधित प्रकरण पर ज्यादा जोर न दिया गया हो । हो सकता है कि पुस्तक में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री पात्रों की संख्या बहुत कम हो । हो सकता है कि किसी विशेष स्थल पर स्त्री की घिसे-पिटे और दीन-हीन रूप में ही दर्शाया गया हो ।

वस्तुतः पुस्तक की समीक्षा करते समय प्रत्येक पाठ/अध्याय का इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उसमें महिला को समान स्तर व समान रूप से प्रस्तुत किया गया है या नहीं ।

(2) भाषा संबंधी विषय वस्तु

विषय वस्तु की अभिव्यक्ति भाषा से होती है । भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों में भाषाई तत्व प्रमुख होते हैं और वहां विषय सिर्फ एक माध्यम होता है । जब कोई लेखक विभिन्न श्रेणियों, अवसरों या व्यक्तियों के लिए उपयुक्त व्याकरण के विभिन्न नियमों को समझाने के लिए और शब्दावली को स्पष्ट करने के लिए किसी विचार विशेष का प्रयोग करता है तो उसमें भी उसका व्यक्तियों या चीजों के प्रति रवैया प्रतिलक्षित होता है । इसलिए भाषा संबंधी विषयवस्तु, कथन या लाक्षणिक अभिव्यक्ति में जहां कहीं भी महिला की छवि को नीचा दिखाया गया हो, विषय वस्तु में जहां कहीं भी महिला की छवि कलुषित हो और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे वहां उस अंश को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए ।

(3) प्रस्तुतिकरण

किसी विषय पर विचार के प्रस्तुतिकरण का अपना खास ढंग होता है, उसके लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं । प्रस्तुतिकरण का अपना विशेष महत्व है । इस पर पुस्तक के मूल्यांकन के समय ध्यान दिया जाना चाहिए । प्रस्तुति का सबका अपना-अपना ढंग होता है—उससे व्यक्ति की छवि को जहां एक ओर ऊपर उठाया जा सकता है वहीं दूसरी ओर उसे नीचे भी गिराया जा सकता है ।

हमें पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ में इस पर ध्यान देना होगा कि वहां महिला की छवि को चित्रित करते समय कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया तो नहीं अपनाया गया है ? अगर हां तो उसे किस प्रकार बदला जा सकता है ?

2. स्त्री-पुरुष भेदभाव के क्षेत्र

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला की भूमिका को माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, सास-ससुर, समाज और आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वयं महिला द्वारा गलत समझा गया है । नकारात्मक रवैये का मुख्य कारण है : सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में महिला की उल्लेखनीय भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्व देना । आज भी उसे परिवार पर बोझ समझा जाता है, अबला माना जाता है और उसके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का सा व्यवहार किया जाता है ।

3. सामाजिक बुराइयां

हमारे आज के समाज को अधिकांश बुराइयों में महिला के प्रति पुरुष के पक्षपातपूर्ण रवैये की झलक मिलती है । दहेज प्रथा, वेश्यावृति, बाल-विवाह और गलत धारणायें जैसी सामाजिक बुराइयां समाज के लिए अभिशाप हैं और देश की प्रगति में बाधक हैं। दहेज प्रथा से पता चलता है कि महिला आज भी एक संपत्ति का टुकड़ा है जिसे पुरुष अपनी मनमर्जी से खरीदता है ।

4. कलक का टीका

विधवा और विधुर, अविवाहिता स्त्री और अविवाहित पुरुष के प्रति आज जो समाज का रवैया है उसमें "दो भांति" की नीति स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार बच्चा न होने पर स्त्री के साथ जो सलूक किया जाता है वह भी पक्षपातपूर्ण है। काम करती स्त्रियों और स्कूल जाती लड़कियों के माथे पर जो कलंक का टीका लगाया जाता है, उसे भी जड़मूल से समाप्त किया जाना चाहिए । पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के सन्दर्भों को ढूंढ कर रेखांकित किया जाना चाहिए ।

5. अक्षमताएं और अयोग्यताएं

आज भी बड़े पैमाने पर यह सोचा जाता है कि महिला जीवन के कई क्षेत्रों में पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती । आज भी कहा जाता है कि वह प्रबन्ध एवं नेतृत्व में पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, हालांकि यह बात स्त्री-पुरुष दोनों पर ही

लागू हो सकती है । जहां एक ओर बहुत से पुरुष ऐसे होंगे जो दब्बू और दुर्बल हैं तो वहीं दूसरी ओर बहुत सी महिलाएं दृढ़निश्चयी, सौम्य, ओजस्वी और बुद्धिमती हैं । इसलिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष किसी के साथ भी भेदभाव ठीक नहीं । पाठ्यपुस्तकों मे अगर इस प्रकार का कोई नकारात्मक पहलू है तो उसे नोट किया जाना चाहिए ।

6. पुरुष पर निर्भरता

आज भी यह सोचा जाता है कि महिला स्वतंत्र रूप से जीवन पालन नहीं कर सकती, वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती । इस प्रकार के दकियानूसी विचारों को भी नोट किया जाना चाहिए ।

7. चित्र

चित्र विषय से संबंधित होने चाहिए, विषय के स्पष्टीकरण में सहायक, मूल्यवर्धक व अनुपूरक होने चाहिए । महिलाओं को उनमें "सेक्स-सिम्बल" के रूप में नहीं अपितु प्रतिष्ठित ढंग से दर्शाया जाना चाहिए । चित्र उद्देश्यपूर्ण एंव अर्थपूर्ण होने चाहिए।

(ख) सकारात्मक पहलू

(1) योग्यता

महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि वे शारीरिक और बौद्धिक रूप से अगर पुरुष से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं हैं ॥ प्रशासन, प्रबन्ध व्यवस्था या नेतृत्व में वे पीछे नहीं हैं । पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करते समय ऐसे सब सन्दर्भों को ढूंढ निकालना जरूरी है ।

(2) आत्मनिर्भरता

महिला आत्मनिर्भर भी हो सकती है । ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां उन्होंने डटकर परिस्थितियों का सामना किया है, अपनी आत्मनिर्भरता का सबूत दिया है और प्रेरणा का स्रोत बनी हैं । मूल्यांकन करने वाले, को ऐसे सन्दर्भों को रेखांकित करना चाहिए ।

(3) भावात्मक संबंध

जहां तक भावनाओं का संबंध है, हमें महिलाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । वह अपने परिवार के लिए अपने को भुलाकर क्या कुछ नहीं करती, क्योंकि उसे अपने परिवार से मोह है । वस्तुतः परिवार को भावात्मक सूत्र में बांध रहने में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं । उसके साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि वह इस मोह बन्धन में बंधी है । यह तो एक ऐसा गुण है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए ।

(4) समान अवसर और वेतन

संविधान में स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों को गारण्टी दी गई है । उसमें यह भी कहा गया है कि दोनों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या वेतन मिलना चाहिए । हालांकि व्यावहारिक रूप से अभी भी भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों के व्यक्तित्व-विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक एंव वांछनीय है ।

महिला को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने चाहिए और इनका उल्लेख भी किया जाना चाहिए ।

(5) पारस्परिक सहकारिता

परिवार समाज का एक अभिन्न अंग है । इसलिए परिवार और समाज की प्रगति पारस्परिक सहकारिता, प्रेम और एकता की भावना पर निर्भर करती है । स्पष्टतः परिवार और समाज से संबंधित मामलों में दोनों को सहयोग से मिलजुलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहिए । अगर दोनों आपसी विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं तो सफलता की संभावना दुगुनी हो जाती है ।

(6) सामाजिक कलंक का निराकरण

महिला के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण, बांझ और विधवा के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये और विधवा के पुनर्विवाह की नामंजूरी की भरसक निन्दा की जानी चाहिए । पाठ्यपुस्तकों में उन अंशों को विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए जहां इन बुराइयों को समाप्त करने पर जोर दिया गया है ।

(7) महिलाएं अपनी स्थिति स्वयं सुधार सकती हैं

महिलाएं अपनी समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं । इस संदर्भ में उन महिलाओं की प्रशंसा की जानी चाहिए जिन्होंने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से नारी को ऊपर उठाने, महिला-कल्याण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है ।

(8) महिला-प्रेरणा का स्रोत

भारत में शिवाजी की मां जीजाबाई, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जैसी स्त्रियों ने जन्म लिया है जो अपने बच्चों व पति के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं । ऐसा किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में हो सकता है और होता है । ऐसे उदाहरणों को विशेष रूप से उभारा जाना चाहिए ।

(9) महिला-प्रेम और त्याग का प्रतीक

ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपने पति, बच्चों, समाज और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे उदाहरणों को रेखांकित किया जाना चाहिए ।

(10) महिला-पात्रों का सही ढंग से प्रस्तुतिकरण

पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में और सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए । लेखिकाओं का आज जाना-माना स्थान है और ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो सबल, सशक्त एवं आत्मनिर्भर नारी का प्रतिरूप हैं ।

IV. शिक्षा गतिविधियां

आप कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और कक्षा में बच्चों के साथ आपने कई सफल अनुभव किए हैं । अब आप यह बात अच्छी प्रकार जानते हैं कि पाठ्यसामग्री में लड़के और लड़कियों को लेकर कितना भेदभाव है ।

आइए अब हम कुछ पल को रुक कर उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश करें ।

क्रियाकलाप-1

–आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं । क्या आपने पाठ्यसामग्री में इस प्रकार के स्त्री-पुरुष भेदभाव पर ध्यान दिया है ? –एक अलग पत्र पर उन्हें लिखिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आपके सामने ऐसे कुछ अंश हैं जहां स्त्री-पुरुष को लेकर भेदभाव और पक्षपात सुस्पष्ट है, जिसका कारण है महिला की भूमिका के प्रति समाज का पूर्वाग्रह और विभिन्न स्तरों पर नकारात्मक रवैया । आइए इन पर दृष्टिपात करें और इस बात का पता लगाएं कि :

.............पाठ्यसामग्री में यह भेदभाव विषयगत है, भाषागत है या दोनों ही दृष्टियों से है ? या फिर क्या यह भेदभाव विषयवस्तु की शैली व प्रस्तुतिकरण में है ?

"नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं के अन्तर्गत चर्चा की जा चुकी है कि विषयगत एवं भाषागत भेदभाव से हमारा क्या तात्पर्य है ।

क्रियाकलाप-2

"विषयगत भेदभाव" से आप क्या समझते हैं, कुछ वाक्य लिखिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इस चर्चा के पश्चात् पाठ्यपुस्तकों में आप देख सकेंगे कि महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में कितना असंतुलन है ।

आप यह भी देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को कम महत्व दिया गया है । पुस्तकों में महिला पात्रों की संख्या भी पुरुष पात्रों की अपेक्षा कम है । स्पष्टतः प्रत्येक पुस्तक का प्रत्येक पाठ/अध्याय हमें इस दृष्टि से जांचना होगा कि वहां स्त्री को समान स्थान दिया गया है या नहीं (अध्यायों की संख्या सहित)

आप चर्चा से समझ गए होंगे कि विषयवस्तु में स्त्री-पुरुष को लेकर जो पक्षपात है वह बांझ, अविवाहिता एवं विधवा के प्रति नकारात्मक सामाजिक रवैये से जुड़ा है । जहां तक शिक्षा या ऐसे ही अन्य अवसर प्रदान करने का सवाल है, लड़कियों के साथ लड़कों से भिन्न व्यवहार किया जाता है । आर्थिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दहेज प्रथा, वधू की कीमत, बाल विवाह, अन्धविश्वास, गलत धारणाएं, स्त्री की पुरुषों पर निर्भरता आदि ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो स्त्री-पुरुष में भेदभाव व पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण पनपी हैं ।

पाठ्यसामग्री एंव बच्चों की पुस्तकों से वे सब अंश, जहां लड़कियों के साथ लड़कों से भिन्न व्यवहार की झलक मिलती है निकाल दिए जाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियां जीवन में कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। इस प्रकार यहां हमारा उद्देश्य नकारात्मक रवैये का पता लगाना है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिला की उल्लेखनीय भूमिका को काटता है।

क्रियाकलाप-3

क्या आप "विषय वस्तु" में से ऐसे अंशों की सूची बना सकते हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए ? **क्या आप ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिनसे कक्षा में छात्रों के दिमाग से स्त्रियों के प्रति इस नकारात्मक रवैये को दूर किया जा सके ?**	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चार्चा कीजिए

जी हां, निश्चित रूप से, अब आप यह जान गए होंगे कि आज हमारे समाज में जो बुराइयां है उनका मुख्य कारण स्त्री के प्रति पुरुष का प्रतिकूल रवैया है। दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां समाज के लिए अभिशाप है और हमारे राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। ये बुराइयां इस बात का प्रमाण हैं कि स्त्री आज भी संपत्ति का एक टुकड़ा है जिसे पुरुष मनमाने ढंग से स्वीकारता है।

क्रियाकलाप-4

अगर पाठ्यसामग्री में ऐसे स्थल आते हैं तो आप व्यवहार में संतुलन लाने के लिए कौन-सा रास्ता अपनाएंगे, कुछ वाक्यों में लिखिए। **और** **आप बच्चों का ध्यान इन बुराइयों की ओर कैसे मोड़ेंगे जिससे वे महिलाओं को सकारात्मक पहलू से देखना शुरू कर सकें ?**	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आपने पाठ्यसामग्री में भेदभाव और पक्षपातपूर्ण अंश ढूढ लिए है, अब आप उन गलतियों को ठीक कर सकते है जो छात्रों में स्त्रियों/लड़कियों के प्रति गलत रवैये को जन्म देती हैं। यही समय है जबकि लड़के-लड़कियों को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि महिलाएं शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है। प्रशासन, व्यवस्था या नेतृत्व में वे पुरुष का समरूपेण मुकाबला कर सकती हैं। इस काम को करने के दो रास्ते है

क्रियाकलाप-5

पाठ्यसामग्री/बच्चों की अन्य पुस्तकें पढ़िए। वे स्थल ढूंढ निकालिए जहां महिलाओं की सकारात्मक छवि है। नकारात्मक अंशों की भी सूची बनाइए जहां आप अपने छात्रों को यह बताना चाहेंगे कि समय बदल चुका है ऐसी कई महिलाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई हैं जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि वे पुरुषों से कम नहीं।

अब आपके पास एक "गणक" तैयार हो गया है। इससे आप छात्रों का ध्यान आसानी से इस ओर मोड़ सकेंगे कि आज की नारी अधिक आत्मनिर्भर, आत्मप्रेरक और आत्मनिर्देशी है

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला की भूमिका को माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य, समाज और आश्चर्य तो इस बात का है कि महिला स्वयं अच्छी प्रकार समझ नहीं पाई है।

अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराएं कि महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती है ऐसे कई उदाहरण हैं जहा उसने संघर्ष कर अपने आपको और अपनी आत्मनिर्भरता को सिद्ध कर दिया है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है

क्रियाकलाप-6

पाठ्यसामग्री एंव बच्चों की अन्य पुस्तकों में महिला की छवि से संबधित भाषागत स्थल ढूढ कर लिखिए	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप कोई भी विषयवस्तु भाषा की सहायता से किसी एक विशेष ढंग से प्रस्तुत करते हैं । लेखक द्वारा विषय--वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं उसकी लेखन शैली का अपना विशेष महत्व है इसलिए पुस्तक को जांचते समय इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । कोई बात किस तरह कही गई है, इसका व्यक्ति की छवि पर बहुत प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक पाठ में हमें सिर्फ इस बात का पता लगाना है कि महिलाओं के प्रति पक्षपात की नीति तो नहीं अपनाई गई है । अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को यह बताएं कि हमारे संविधान में स्त्री-पुरुष दोनों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर की गारण्टी दी गई है । उनमें यह भी कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या वेतन दिया जाए । स्त्री-पुरुष दोनों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक एवं वांछनीय है । महिला को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने चाहिए और छात्रों के सामने ऐसे सन्दर्भ रखने की कोशिश की जानी चाहिए ।

क्रियाकलाप-7

पुस्तक मे अगर कहीं परिवार के सदस्यों में सामंजस्यपूर्ण संबंधों का कोई प्रमाण है तो उसे लिखिए ।	**एकत्र कीजिए. मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

अपने छात्रों के दिमाग में यह भरने की कोशिश कीजिए कि परिवार समाज का एक अभिन्न अंग है । अतः परिवार और समाज की प्रगति मुख्यतः पारस्परिक सहयोग, प्रेम और एकता की भावना पर निर्भर करती है । परिवार और समाज मे संबंधित मामलों में पति को कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और प्रभावपूर्ण ढंग से कर्त्तव्य निभाना चाहिए । अगर दोनों आपस में विचार-विमर्श कर निर्णय लेते हैं तो जीवन कहीं अधिक सुखद और सफल बन सकता है ।

क्रियाकलाप-8

> **ठहरिए और सोचिए कि क्या आप अपने छात्रों में लड़के-लड़कियों दोनों के साथ समान व्यवहार करते है ? उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आपके सभी छात्रों ने समान रूप से भाग लिया है । उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रमी के क्रियाकलाप जैसे खेलकूद, नाटक, ललित कलाएं (गायन, नृत्य, ड्राइंग और पेंटिंग) लेखन आदि ।**

अब समय है कि आप अपने अन्तर्तम में झांककर देखें कि क्या आप अपने छात्रों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के समान अवसर दे रहे हैं या नहीं । अगर नहीं तो कारण दीजिए और अन्त में स्वयं से पूछिए :

क्या लड़के-लड़कियों में अन्तर करना और उनके साथ भेदभाव बरतना उचित है ? अगर नहीं तो आपने स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया है और भाषा पढ़ाने वाला अध्यापक स्त्री-पुरुष में भेदभाव मिटाने के लिए कौन-सी भूमिका अदा कर सकता है ?

मॉड्यूल-5 सी

पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति

एक दृष्टिपात

हमारी कक्षाओं में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें सहज रूप*से पढ़ने-लिखने में कठिनाई होती है । इन बच्चों की न सीख पाने की समस्या के दो कारण हैं या तो उनमें यह दोष जन्मजात होता है या फिर वह वातावरण दोषपूर्ण है, जहां वे शिक्षा पा रहे हैं । ये दोनों कारण एक साथ भी हो सकते हैं । इस मॉड्यूल का उद्देश्य है पिछड़े हुए बच्चों के एक विशेष वर्ग की समस्याओं को जानना और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के तरीकों पर गौर करना । उन्हें पढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे : –

(1) व्यक्तिगत रूप से लिखने-पढ़ने का अभ्यास कराना

(2) मिल-जुल कर समूह में अभ्यास कराना, और

(3) पूर्ण बैठकों में विचार विमर्श करना ।

पढ़ते हुए आपको कई रोचक लिखित अभ्यास कराने होंगे । इन अभ्यासों में आपको आनन्द आयेगा । इसलिए पढ़ना शुरू करने से पहले लेखन सामग्री अपने पास रखें । मॉड्यूल पूरा होने के बाद आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि आपने क्या और कितना सीखा है । इसके लिए अंत में प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने का प्रयास करें ।

उद्देश्य

मॉड्यूल पूरा होने के बाद :

(1) कम से कम एक ऐसा नया सुझाव दें, जिससे आप अपनी कक्षा के उन बच्चों की समस्याएं समझ सकते हैं, जिन्हें कुछ लिखने-पढ़ने में दिक्कत होती हैं ।

(2) जिन बच्चों में न सीख पाने की समस्या जन्मजात है, उनके कारणों का पता लगाने के लिए सही तरीके का विस्तार से वर्णन करें और इन कारणों के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण करें ।

(3) नियमित अध्यापकों के लिए कम से कम तीन ऐसे सुझाव दें जिनसे वे क्रमांक (2) वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी कर सकें ।

(4) उन एजेंसियों और संस्थाओं की सूची बनाएं, जरूरत होने पर जिनकी सहायता लेकर अध्यापक क्रमांक (2) वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी कर सकें ।

(5) अपनी कक्षा के ऐसे बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे ? सुझाव दें ।

शिक्षण गतिविधियां

आप कुछ समय से एक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, अपने शिक्षणकाल के दौरान आप के सामने ऐसे बच्चे अवश्य आए होंगे जिनकी योग्यता संतोषजनक रही होगी । साथ ही आपका वासता ऐसे बच्चों से भी पड़ा होगा, जो आप द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने के बावजूद आपकी आशा के अनुरूप न कुछ सीख सके होंगे और न ही उनका कार्य संतोषजनक रहा होगा । जाहिर है कि इन बच्चों की कुछ न सीख पाने की अपनी समस्याएं हैं। अन्य अध्यापकों ने भी आपसे औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत के दौरान ऐसी समस्याओं का जिक्र किया होगा । इन समस्याओं पर विचार करें और अध्यापक के रूप में अपने अनुभव के आधार पर उन कारणों की सूची बनाएं, जिनसे इन बच्चों में ये समस्याएं होती हैं ।

कक्षा में कुछ न सीख पाने की समस्या के सम्भावित कारण

क्रियाकलाप–1

मेरे विचार से मेरे छात्रों की न सीख पाने की समस्या के कारण निम्नलिखित हैं :

1.	2. ....
3.	4. ....
5.	6. ....
7.	8. ....
9.	10. ....

आपने अपने छात्रों की न सीख पाने की समस्या के कारणों की सूची बना ली है । कुछ समान बातों के आधार पर आप इन कारणों का वर्गीकरण कर सकते है । उदाहरण के लिए, गरीब और अशिक्षित माता-पिता को सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । कृपया प्रयत्न करें । यदि आप चाहे तो अपने सहयोगियों से भी इस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं । सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के बाद आपका वर्गीकरण इस प्रकार दिखाई देगा :

क्रियाकलाप-2 : शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्गीकरण

वर्ग	वर्ग के अन्तर्गत रखी गयी शिक्षा संबंधी समस्या
(1)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(2)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(3)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(4)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....
(5)	1. ....
	2. ....
	3. ....
	4. ....

जिन कारणों की सूची आपने बनायी है और जिनका वर्गीकरण किया है, उनकी जांच करने से पता चलता है कि इनमें से कुछ का संबंध स्कूल या घर के शिक्षा संबंधी परिवेश से है और कुछ बच्चे के व्यक्तित्व से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए माता-पिता का नकारात्मक रुख या सामाजिक पिछड़ापन घर और समुदाय के शिक्षा संबंधी परिवेश की ओर इंगित करता है । दूसरी ओर, अपर्याप्त अध्यापन-कार्य स्कूल के शैक्षणिक वातावरण से संबंधित है । कम बुद्धि, श्रवण दोष या दृष्टि दोष बालक के व्यक्तित्व से संबंधित हैं । इन कमियों से बच्चे को पढ़ने-लिखने में कठिनाई होती है । हालांकि, इन कारणों की जिम्मेदारी भी बच्चे के परिवेश पर डाली जा सकती है क्योंकि इन दोषों* को सुधारने के लिए या तो कदम उठाए ही नहीं गये या फिर उठाए भी गए तो वे पर्याप्त नहीं थे । लेकिन आप एक शिक्षक के रूप में इन बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते । उनकी कमियां दूर करने या सुधारने के लिए समुचित उपाय करने ही होंगे । यदि ऐसे कदम न उठाये गये तो इन बच्चों की शिक्षा ग्रहण न कर पाने की समस्याएं बढ़ती ही जायेंगी और कुंठा के दबाव में आकर देर-सवेर वे पढ़ना ही छोड़ देंगे । यदि माता-पिता के दबाव में आकर वे पढ़ाई नहीं भी छोड़ते तो उनमें आक्रामक प्रवृति का विकास हो सकता है । इससे उनके व्यवहार में ऐसे दोष आ जायेंगे जो न केवल स्वयं उनके हितों की हानि करेंगे बल्कि दूसरे बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा डालेंगे ।

---

* **शारीरिक दोष**

शारीरिक दोष का अर्थ है शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना जिससे शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा पड़ती है । बच्चे में समझने की क्षमता की कमी या स्मृति दोष आदि का भी इसमें समावेश किया जा सकता है ।

अपंगता

इससे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है । अतः व्यक्ति की यह "अक्षमता" ही "अपंगता" है ।

इस मॉड्यूल का प्रमुख लक्ष्य सामान्य स्कूलों में उक्त कोटियों के बच्चों को पढ़ाना है । दूसरे कारणों पर अलग से विचार किया गया है । हो सकता है कि ऐसे शारीरिक अक्षमता वाले कुछ बच्चे आपकी कक्षाओं में अब भी हों । इनमें से अधिकतर बच्चों में छोटे-मोटे दोष होते हैं--जैसे मानसिक पिछड़ापन, अपने आस-पास के वातावरण में स्वयं को ठीक से न ढाल पाना, ठीक से न सुन पाना, आंखें कमजोर होना, हाथ पैरों में कोई दोष होना आदि । स्वाभाविक है कि आप ऐसे बच्चों को ज्ञान और कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । जरा सोचें और इन कार्यों की सूची बनाएं । इस पर भी विचार कीजिए कि इस दिशा में और क्या किया जा सकता है ।

क्रियाकलाप-3 : अध्यापक के कार्य : विकलांग बच्चों की सहायता

विकलांगता	कार्य जो किया जा रहा है	कार्य जो किया जा सकता है
1- अंग दोष : हाथ पैरो मे कोई कमी होना	1.	1. ....
	2.	2. ....
	3.	3. ....
	4.	4. ....
2- बुद्धि दोष	1.	1. ....
	2.	2. ....
	3.	3. ....
	4.	4. ....
3- श्रवण दोष	1.	1. ....
	2.	2. ....
	3.	3. ....
	4.	4. ....
4- वाक् दोष : (गूंगा होना, हकलाना आदि)	1.	1. ....
	2.	2. ....
	3.	3. ....
	4.	4. ....
5- दृष्टि दोष : (नजर कमजोर होना)	1.	1. ....
	2.	2. ....
	3.	3. ....
	4.	4. ....

आप जैसे कई अध्यापकों ने सामान्य कक्षाओं में ही विकलांग बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं सुलझाने के कई प्रयास किये हैं । इस मॉड्यूल में यह बताया जायेगा कि उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कैसे प्रयास किये ।

इन बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं दूर करने की दिशा में सबसे पहला कदम है : ऐसे बच्चों का पता लगाना । शारीरिक कमी कभी-कभी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है । उदाहरण के लिए पतले सुकड़े पैर, कूबड़ या भैंगापन । कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हर दम बीमारी, सिरदर्द, थकान आदि की शिकायत करते हैं और स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में हमेशा पिछड़े रहते हैं । हो सकता है इन बच्चों में कोई दोष हो । ऐसे बच्चों के स्वभाव, चरित्र और व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षक उनकी समस्याओं को प्रमाणित कर सकता है । अगर ऐसे बच्चों का पता लगा लिया जाता है तो आपको उन बच्चों को ढूंढ निकालने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी जिनकी शिक्षा अक्षमता का कारण विकलांगता है । इन बच्चों को डॉक्टर के पास भेजा जाता है । उनका इलाज जरूरी है । उदाहरण के लिए, जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते, हो सकता है उन्हें चिकित्सा की जरूरत हो या स्पिरिंग एड की । जिन बच्चों की नजर कमजोर है, हो सकता है उन्हें लैंस या चश्में की जरूरत हो । जो बच्चे चलने से लाचार हैं, उन्हें बैसाखियों या पहिये वाली कुर्सी की जरूरत हो सकती है । कुछ बच्चों को सही ढंग से लिखने के लिए किसी ऐसे यंत्र की जरूरत हो सकती है जिसकी सहायता से वे ठीक से लिख सकें ।

उपचारात्मक और सुधारात्मक कदमों के साथ ही पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रक्रिया में भी सुधार किये गये हैं जिससे ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह ही पाठ्यक्रम को समझ सकें। विशेष रूप से इसी परिप्रेक्ष्य में विकलांगता के शारीरिक दोष के

हर पहलू पर विचार किया गया है । इन बच्चों में शारीरिक दोष का पता लगाने और उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए निर्देश लिये गये हैं ।

अंग दोष वाले बच्चे

शारीरिक रूप से पिछड़े हुए कुछ बच्चों का अंग-संचालन में कठिनाई हो सकती है । यह मांसपेशियों या जोड़ों से संबंधित समस्या है । इसका प्रभाव हाथों, पैरों और बाह्य अंगों पर पड़ता है । इन बच्चों को चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है । अन्यथा उसमें भी सामान्य बच्चों जैसी ही सीखने की क्षमता होती है । हालांकि उनकी कुछ खास समस्याएं हो सकती है, उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां जकड़ गई है तो उसे लिखने में परेशानी होगी । कुछ बच्चे ठीक से उठ, बैठ या खड़े नहीं हो सकते जिससे वे जल्दी थक जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य गतिविधियों में भी उनकी भागीदारिता सीमित रह जाती है। ऐसे बच्चों का दूसरे सामान्य बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते हैं और उनसे अलग अलग रहते हैं, जिससे इन बच्चों को स्वयं को अपने परिवेश के अनुकूल ढालने में दिक्कत होती है । ऐसे बच्चों को पहचानना आसान है क्योंकि अक्सर उनकी विकलांगता साफ दिखाई पड़ती है ।

(क) पहचान

1. दृश्य-विकलांगता

गर्दन	....	....
हाथ	....	....
उंगलियां	....	....
कमर	....	....
टांगें	....	....
2. बैठने, खड़े होने और चलने में परेशानी होती है ।	....	....
3. चीजों को उठाने, पकड़ने और जमीन पर रखने में कठिनाई होती है ।	....	....
4. प्रायः जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है ।	....	....
5. लिखने के लिए कलम पकड़ने में कठिनाई होती है।	....	....
6. झटके से चलता है ।	....	....
7. अंगों में अवांछित हलचल है ।	....	....
8. शरीर का कोई अंग कटा है ।	....	....

अध्यापक को चाहिये कि वह बच्चों के माता-पिता के सहयोग से बच्चे की इन कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये या उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करे । ये सेवाएं जिला पुनर्वास केन्द्रों मे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों से भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के जरिये ये सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं ।

(ख) शिक्षा

यह आवश्यक है कि शिक्षक खुद ऐसे बच्चों को स्वीकार करे । उसे स्वयं किसी बच्चे की अपंगता का मजाक नहीं बनाना चाहिये और न ही उसकी कमियों के लिए उसे ताने देने चाहिये । इसके अलावा जिन बच्चों को ऐसा व्यवहार करते हुए पाया जाये, उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए । परन्तु साथ ही विकलांग बच्चे को यह अहसास कभी नहीं होना चाहिये कि उसे अतिरिक्त रियायतें दी जा रही हैं अथवा उसके साथ इसलिए दया की जा रही है क्योंकि वह अपंग है या विक्लांग है । उसे अपने साथ के बच्चों के साथ ही शिक्षा संबंधी सभी गतिविधियों में समान रूप में भागीदार बनाना चाहिये । उससे भी अन्य बच्चों की तरह ही काम कराये जाने चाहिये । अध्यापक को चाहिये कि वह सभी सहपाठियों को आपसी सम्मान, सहायता और सहयोग के आधार पर घुलने-मिलने के लिए प्रेरित करे । यदि दूसरे बच्चे विकलांग बच्चे की कमजोरी को समझ लेंगें तो उन्हें आपसी मेल-जोल बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

कक्षा में बच्चे का विकलांगता के अनुसार उसे बैठाने का प्रबंध करना चाहिए । उदाहरण के लिए, बैशाखी या पहियेदार कुर्सी वाले बच्चों को आगे दायीं ओर बैठाना चाहिये ताकि अन्य बच्चों के आने-जाने में बाधा न पड़े । यहां उसे बैसाखियों को दीवार के सहारे खड़ा करने की सुविधा भी मिल जायेगी । व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे बच्चा स्वतंत्रता से हिल-डुल सके और शिक्षा का लाभ उठा सके । यदि कोई बच्चा पहियेदार कुर्सी पर आता है तो उसके लिए स्कूल व कक्षा तक पहुँचने के लिए विशेष प्रबंध करना होगा ।

यह भी देखा गया है कि विकलांगता की वजह से स्कूल में इन बच्चों के मनोरंजन की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें खेलों, शारीरिक क्रियाओं और मनोरंजन के लिये की जाने वाली गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर दिये जायें। उनके सहपाठियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे इन बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों में हिस्सा लें ।

जिन बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या यह है कि वे अपने अंगों को आसानी से हिला-डुला नहीं सकते, तो उन्हें विशेष अभ्यास करवाया जाना चाहिये । उदाहरण के लिए अगर लिखने के लिये हाथ में किसी सहायक उपकरण की जरूरत पड़े तो इसके लिए क्रमिक अभ्यास कराने और अतिरिक्त सहारा देने की आवश्यकता होती है । इन बच्चों के कार्य का मूल्यांकन करते वक्त, विशेषकर उन्हें ग्रेड या नंबर देते समय, उनकी विकलांगता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये । यदि उन्हें लिखने में कठिनाई होती है तो उन्हें अतिरिक्त समय दें और यदि जरूरी हो तो उनकी मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है । कुछ विषयों में उनके उत्तर कैसेट में रिकार्ड किये जा सकते हैं । उदाहरण के लिए, इतिहास के प्रश्नपत्र में जहां भाषा में वर्तनी की गलतियां नहीं मानी जातीं, उनके उत्तर कैसेट पर रिकार्ड किये जा सकते हैं । संभव होने पर उन्हें वर्ड-प्रोसेसर की सुविधा भी दी जा सकती है ।

क्रियाकलाप-4 : अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करें

क्या अध्यापक के रूप में आपको किसी ऐसे बच्चे को संभालना पड़ा है जो अंग-संचालन दोष से ग्रस्त हो ?
यदि हां, तो आपने अपने अध्यापन-कार्य और कक्षा में क्या कदम उठाये हैं ? इसका विवरण लगभग 25 शब्दों में दें ।

(क) चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे :

....
....
....
....

(ख) मांसपेशियों में तनाव के कारण उठने, बैठने, खड़े होने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे :

....
....
....
....

(ग) अध्ययन-गतिविधियों में मांसपेशियों की जकड़न के कारण कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे :

....
....
....
....

दृष्टि दोष वाले बच्चे

कुछ बच्चे अंधे होते हैं । वे अपना रास्ता भी नहीं खोज सकते । वे सामान्य किताब नहीं पढ़ सकते, उन्हें ब्रेल में लिखी किताब की जरूरत होती है जो स्पर्श द्वारा पढ़ी जाती है । इन बच्चों की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है । कुछ बच्चों की नजर कमजोर होती है । इन बच्चों की दृष्टि चश्मे से ठीक की जा सकती है । लेकिन कुछ बच्चे 18 प्वाइंट या उससे बड़े आकार के अक्षरों को ही पढ़ सकते हैं । कुछ को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है । कुछ बच्चों की दृष्टि का क्षेत्र सीमित होता है । ऐसे बच्चों का पता लगाना और पढ़ने में उनकी विशेष सहायता करना आवश्यक है ।

(क) पहचान

शैक्षणिक योग्यता पाने के लिए किताबों से बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है । ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल भी करना पड़ता है । दृष्टि कमजोर होने से शिक्षा संबंधी कई समस्याएं पैदा होती हैं । इन बच्चों का पता लगाना आवश्यक है । व्यवहार में दिखाई पड़ने वाले लक्षण हैं :—

1—ठीक से दिखाई न पड़ना
2—बारम्बार आंखे मलना
3—बार-बार आंखों का लाल होना
4—एक आंख को ढकना और सिर को आगे झुकाना
5—किताब आदि को आंखों के करीब रखना
6—ब्लैकबोर्ड से कुछ लिखते समय दूसरे बच्चों से पूछना
7—आंखें झपकाना
8—कनखी मारना
9—आंखों में पानी भरा रहना
10—आंखों पर जोर पड़ने वाले काम करने के बाद सिरदर्द की शिकायत करना
11—लोगों या चीजों से टकराना

यदि अध्यापक को लगे कि किसी बच्चे के व्यवहार में ऐसे कुछ लक्षण है तो वह उसे आंखें दिखाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल भेज सकता है। उसके माता-पिता को सूचित करना भी आवश्यक है। ऐसे मामलों में इलाज जरूरी है।

(ख) शिक्षा

अध्यापक को चाहिये कि वह ऐसे बच्चों को आगे की पंक्तियों में बिठाये ताकि वे आसानी से ब्लैकबोर्ड पढ़ सकें । उसे बड़े-बड़े अक्षरो में लिखना चाहिये जो सरलता से पढ़े जा सकें । अध्यापक जो ब्लैकबोर्ड पर लिखता है उसे जोर से बोल भी सकता है । 18 प्वाइंट या उससे बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें पुस्तकालय में होनी चाहिये ताकि इन बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें । जिला पुनर्वास केन्द्रों और अस्पतालों से उन बच्चों के लिये हाथ के लेंस या आवर्धक लेंस आदि लिये जा सकते हैं, जिनकी दृष्टि चश्में की सहायता से ठीक नहीं हो सकती ।

कमजोर दृष्टि वाले बच्चों पर से पढ़ने का बोझ घटाने के लिए, उन्हें एकाग्र होकर सुनने और समझने का प्रशिक्षण देना चाहिये । रेडियो प्रसारणों का समय बताकर उन्हें सुनने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । संभव हो तो उन्हें कैसेट सुनाये जाने चाहिये । विभिन्न विषयों के कैसेट पाने के लिए राजकीय शैक्षणिक तकनीकी संस्थान, राजकीय शिक्षा संस्थान, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् और केन्द्रीय शैक्षणिक तकनीकी संस्थान, एन. सी. ई. आर. टी. से संपर्क किया जा सकता है ।

अध्यापक को इन बच्चों से अलग स्तर का व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिये । उन्हें अपने काम की जगह साफ रखनी चाहिये । दूसरे बच्चों की तरह, जब वे आसानी से घूम-फिर सकते हों तो उनसे भी वही काम लिये जाने चाहिये जो उनके सहपाठियों से लिये जाते हैं । उन्हें प्यार से अपना व्यवहार ठीक करने की याद बराबर दिलाते रहना चाहिये । उन्हें शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अवसर देने चाहिये । कमजोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए बुक-स्टैण्ड भी लगाये जा सकते हैं ।

श्रवण दोष एवं वाक् दोष वाले बच्चे

(क) पहचान

संप्रेषण और शैक्षणिक ज्ञान के लिए भली-भांति सुन पाना महत्त्वपूर्ण है । ठीक से न सुन पाने का असर बच्चे की ग्रहण और कार्य क्षमता पर पड़ता है । जो बच्चे ठीक से सुन नही पाते, उन्हें बोलने में भी कठिनाई हो सकती है । इस लिए यह जरूरी है कि ऐसे बच्चों का पता लगाया जाये और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने की व्यवस्था की जाये ।

निम्नलिखित लक्षणों से ऐसे बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है :

1—कान में ऊपर से दिखायी देने वाली कोई कमी
2—कान का बहना
3—कान में दर्द की शिकायत

4—कान खुजाना
5—सुनने के लिए एक ओर सिर झुकाना
6—बार-बार अध्यापक से निर्देश, प्रश्न आदि दोहराने का अनुरोध करना
7—श्रुतलेख में बहुत गलतियां करना
8—अध्यापक की बात सुनते वक्त ध्यान से उसका चेहरा देखना
9—बोलने में कठिनाई होना

जिन बच्चों में ऐसा व्यवहार देखा जाये, उन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाना चाहिये । उनके माता-पिता को भी सूचित किया जाना चाहिये ।

(ख) शिक्षा

जिन बच्चों को ठीक से सुनने में कठिनाई होती हो, उन्हें अध्यापक को अपने पास बैठाना चाहिये ताकि वे अच्छी तरह सुन सकें । अध्यापक को चाहिये कि वह ऊंचे से बोले । शब्दों को बहुत धीमे न बोले । बहुत जल्दी-जल्दी भी न बोले। पाठ्यपुस्तक से पढ़ते वक्त इन बच्चों को अध्यापक के ओंठ हिलते हुए दिखाई पड़ने चाहिये ताकि ओठों के हिलने से वे यह पता लगा सकें कि क्या कहा जा रहा है । इसी प्रकार, ब्लैकबोर्ड पर लिखते हुए जब अध्यापक कुछ बोल रहा हो तो उसका चेहरा छात्रों की ओर होना चाहिये, न कि ब्लैकबोर्ड की तरफ । इसी वजह से अध्यापक को बोलते समय घूमना नहीं चाहिये । सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इन बच्चों में घुल-मिल जायें और सीखने में एक-दूसरे की सहायता करें । सामान्य अध्यापन के साथ ही इन बच्चों को अलग से या समूह में चित्रों वगैरह की सहायता से भी पढ़ायें ।

यदि वाक् दोष के कारण बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है तो उनका इलाज कराया जाना चाहिये । यदि श्रवण शक्ति कमजोर होने के कारण बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता तो उसे समुचित तरीके और अभ्यास से सही बोलने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है । अध्यापक को यह स्मरण रखना चाहिए कि विशेष रूप से हकलाहट (स्टेमरिंग) का कारण मनोवैज्ञानिक है । बच्चे के अचेतन में कहीं कोई डर या भय समा जाने का प्रतिफल उसका वह वाक दोष है, अस्तु उसे आवश्यकतानुसार बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये और समयानुसार अवसर भी प्रदान करते रहना चाहिये । उसमें इस प्रकार का आत्मविश्वास भरने और जगाने की आवश्यकता है कि यदि लोग उसकी हकलाहट पर हंसते भी हैं तो भी उसे दुख नहीं मानना हैं । बोलने के सतत अभ्यास से उसकी हकलाहट कम होगी और धीरे-धीरे दूर हो जाएगी, ऐसा विचार और संकल्प उस बच्चे में उत्पन्न करना चाहिए ।

(क) पहचान

कुछ बच्चे पढ़ाई में हमेशा पिछड़े रहते हैं । वे सामान्य बच्चों की तुलना में लगभग दो साल पीछे होते हैं । हो सकता है कि उनमें कोई शारीरिक कमी न हो । वे कक्षा मे भी ठीक से घुल-मिल नहीं पाते ।

निम्नलिखित लक्षणों से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है :

1—पढ़ाई-लिखाई मे पिछड़े रहते हैं ।
2—कुछ समय बाद ही पढ़ा हुआ भूल जाते हैं ।
3—कक्षा में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और इधर-उधर देखते रहते हैं ।
4—ठोस वस्तुओं के दिखाने पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं ।
5—तुरन्त इनाम पाना चाहते है ।
6—असफल होने से डरते हैं ।
7—अपने को हीन समझते हैं ।
8—आत्मविश्वास में कमी होती है ।
9—बातचीत कम करते हैं ।
10—सोचने और करने में सही तालमेल नहीं बैठा पाते ।
11—उन्हें बारम्बार एक ही बात दोहराने और अभ्यास कराने की जरूरत पड़ती हैं ।

(ख) शिक्षा

अध्यापक को चाहिए कि वह इन बच्चों को ठोस चीजों से अनुभव कराये । ये अनुभव सहज उपलब्ध चीजों से कराये जा सकते हैं या स्वयं अध्यापक कुछ चीजें बनाकर दिखा सकता हैं । वातावरण के बारे मे प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए उन्हें कक्षा से बाहर खेतों, मैदानों आदि में ले जाना चाहिए ।

इन बच्चों को अभ्यास और आवृत्ति की आवश्यकता सामान्य बच्चों से अधिक होती है । उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में पढ़ाएं । पढ़ाने के बाद उनका ध्यान महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर मोड़ें । पढ़ाते समय, उनसे कोई सरल प्रश्न पूछें जिसका सही

उत्तर देकर उन्हें अपनी सफलता का अहसास हो । इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए तुरन्त इनाम का लालच दें । ऐसे बच्चों को निम्नलिखित लक्षणों से तुरन्त पहचाना जा सकता है:—

—उसे अपना काम करने में कठिनाई होती है जैसे—खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने में ।

—जब बच्चे को कुछ करने के लिए कहा जाये और वह समझ न सके कि उससे क्या करने के लिए कहा गया है ।

—अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में वह सुस्त या निष्क्रिय दिखता है ।

—अपनी आयु के बच्चों की तुलना में उसे चीजें सीखने में कठिनाई होती है ।

—उसे अमूर्त चीजों को समझने में कठिनाई होती है ।

—उसे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक दोहराव या अभ्यास की जरूरत पड़ती है ।

—उसे काम सीखने में अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लगता है ।

—अपनी आयु के अन्य बच्चों के विपरीत कक्षा में विभिन्न कार्यों में हिस्सा लेने से जी चुराता है ।

—ठोस उदाहरणों पर बहुत अधिक निर्भर है ।

इन बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों में अभ्यास द्वारा बातचीत में दक्षता पाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । अध्यापक को ऐसे कार्यकलापों की व्यवस्था करनी चाहिये जिनमें बच्चे अपने सहपाठियों के साथ समूह बना कर हिस्सा ले सकें । इन बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे जितनी बार संभव हो, इन परिस्थितियों में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें । इन बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उन्हें सरल और रोचक तरीकों से पढ़ाना चाहिए । इस कार्य के लिए यह जरूरी है कि उन्हें पढ़ना, लिखना और कंठस्थ करके बोलना अच्छी तरह सिखाया जाये । इन बच्चों से काम कराने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत थोड़े समय तक एक चीज पर ध्यान केन्द्रित कर पाते हैं । उनकी रुचि बनाये रखने के लिए उन्हें तरह-तरह के रोचक कार्य देने होंगे ।

वे बच्चे, जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है

ऐसे बच्चे भी होते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से ऊंचा होता है । उनमें कोई श्रवण या दृष्टि दोष भी नहीं होता । पर फिर भी उन्हें पढ़ने, लिखने, हिज्जे करने या गणित में कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयां होती हैं । उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे हमेशा, "बी" को "डी", "नाम" को "मान", "21" को "12" पढ़ते और लिखते हैं । (अर्थात् उल्टा पढ़ते और लिखते हैं) । उनकी ये समस्या कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं (जैसे किसी चीज को ग्रहण करना और स्मरण रखना) में दोष के कारण पैदा होती है । इन बच्चों में शिक्षा संबंधी समस्या इनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में दोष के कारण है । इन बच्चों का पता लगाना और उन्हें पढ़ने में विशेष सहायता देना जरूरी है ।

(ख) पहचान

—पढ़ने की अक्षमता

—ठीक से नहीं पढ़ता जबकि उसके मौखिक उत्तर सही होते हैं ।

—हिज्जों में गलती करता है, विशेषकर शब्दों में अक्षरों को छोड़ देता है या उनका स्थान बदल देता है, जैसे—"नाम" को "मान", "लड़की" को "लकड़ी", "आसमान" को "सामान" पढ़ता या लिखता है ।

—अंक गलत लिखता है, जैसे—"12" को "21" ।

—ध्यान नहीं रखता और अपना टाइम टेबिल भूल जाता है ।

—हमेशा अव्यवस्थित रहता है, होमवर्क देर से देता है और कक्षा में देर से आता है ।

—परीक्षा में अच्छा कार्य नहीं करता जबकि बुद्धिमान है और कोई शारीरिक कमी नहीं है ।

—इतना उत्तेजित हो जाता है कि कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता ।

—पढ़ते वक्त शब्द और पंक्तियां छोड़ जाता है ।

—अलग-अलग अक्षर पढ़ लेता है परन्तु उन्हें जोड़कर शब्द पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, जैसे—क/ल/म को "कमल" या क/प/ड़ा को "पकड़ा" पढ़ देता है ।

—पढ़ते समय शब्दों को अनुमान से पढ़ देता है ।

—अंकों को गलत पढ़ता है, जैसे—"3" को "8" या "6" को "9" ।

निष्कर्ष

आपने अपने उन प्रयासों को रेखांकित कर लिया है जो आपने इन बच्चों की विकलांगता के कारण उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए किए हैं । क्रियाकलाप-3 में आपने सुझाव दिये हैं कि इस दिशा में और क्या कदम उठाये जा सकते हैं । अभी अभी आपने इन बच्चों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर अन्य अध्यापकों और विशेषज्ञों के सुझावों को भी पढ़ा है । क्या आप अपनी कक्षा में से बच्चों की पढ़ाई में

सुधार लाने के लिए कार्यो/सुझावों की सूची का पुनरावलोकन करना चाहेंगे ? आप अपने पहले सुझावों पर पुनर्विचार कर निम्नलिखित सूची पूरी कर सकते हैं ।

क्रियाकलाप : क्रियाकलाप सूची 3 की समीक्षा

विकलांग बच्चे	विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सहायता के लिए उठाए गए कदम
अंग-संचालन में कठिनाई	
श्रवण दोष और वाक् दोष	
दृष्टि दोष	
मन्द बुद्धि	
पढ़ने-लिखने की अक्षमता	

एक मनोवैज्ञानिक पहलू

जैसा कि विकलांग बच्चों की अलग अलग कोटियों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे बच्चों के मनोविज्ञान पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । वस्तुतः अपनी अपंगता अथवा विकलांगता के कारण इनमें दैन्य भाव आ जाता है । यदि समाज से इन्हें तिरस्कार भी मिला तो ये कुंठित हो जाते हैं और धीरे-धीरे कुसमायोजित होते जाते हैं । इसलिए आवश्यकता है कि इनके दैन्य भाव को इनमें आत्म विश्वास पैदा कर दूर किया जाय । इनके संगी साथियों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाय कि इनकी विकलांगता को लेकर वे इनकी हंसी न उड़ावें । ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर भी उन्हें उपयुक्त परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे इनकी पढ़ाई लिखाई और घर के अन्य सदस्यों को भी इनके प्रति व्यवहार के प्रति सावधान रहें और सावधान करें पर सब मिलाजुलाकर इनमें दृढ़ संकल्प और आत्म विश्वास पैदा करें ।

कक्षा में कभी-कभी अध्यापक को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के उदाहरण भी पेश करना चाहिए जिन्होंने अपने श्रम, निष्ठा और संकल्प शक्ति के कारण अपनी विकलांगता को परास्त कर दिया है और उन्होंने जीवन में उन्नति की है । ऐसे बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराए जाने चाहिए । कक्षा का वातावरण परस्पर प्रेम, सहयोग और सहकार का रखना चाहिए जिससे ये बच्चे यह न समझें कि उनकी विकलांगता के कारण उन पर दया की जा रही है साथ ही अन्य बच्चे इनको दी जाने वाली सुविधा के प्रति प्रतिक्रियावादी न हों ।

राष्ट्रीय संकल्प

मुख्यतः वे बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जो किसी शारीरिक या मानसिक अथवा अन्य किसी कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते । सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता हैं जबकि उन्हे शिक्षा प्राप्त करने में विशेष सहायता दी जाये जिससे वे असफल न हों और पढ़ाई न छोड़े । जो बच्चे किसी शारीरिक कमी के कारण स्कूल नहीं जाते, उन्हें स्कूल में भर्ती किया जाना जरूरी है । यह आवश्यक है कि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो ताकि वे अन्य बच्चों की तरह समाज में घुल-मिल सकें ।

राष्ट्रयी शिक्षा नीति 1986 के तहत ये लक्ष्य पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाये जायेंगे :—

(1) जहां तक संभव होगा, मामूली विकलांगता वाले या उठने, बैठने, खड़े होने में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चों को शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ ही दी जायेगी ।

(2) जहां तक संभव होगा, पूरी तरह विकलांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालय में छात्रावास सहित विशेष विद्यालय बनाए जायेंगे ।

(3) विकलांग बच्चों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रबंध किये जायेंगे ।

(4) शिक्षकों को, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ और चीजों का समावेश किया जायेगा, जिससे उन्हें विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद मिले ।

(5) विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्वेच्छा से किये जाने वाले हर प्रयास को हर संभव प्रोत्साहन दिया जायेगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम में यह निर्धारित किया गया है कि केवल उन्हीं विकलांग बच्चों को विशेष पाठशालाओं में पढ़ाया जाये, जिनकी शिक्षा संबंधी जरूरतें साधारण स्कूलों में पूरी नहीं हो सकतीं । विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधारभूत शैक्षणिक दक्षता प्राप्त कर लेने पर और आत्मनिर्भर हो जाने पर सामान्य स्कूलों में लाया जायेगा । इसका अर्थ यह है कि इन बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जायेगा । इसलिए हर अध्यापक को यह सीख लेना चाहिये कि उसे सामान्य बच्चों के साथ इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है ।

अनुवर्तन

चैक लिस्ट से अध्यापक को यह जानकारी मिल सकती है कि बच्चे में क्या कमी है और उसके कारण उसकी समस्या क्या है ? लेकिन यह एक संकेत मात्र है । शारीरिक दोष की पुष्टि वह विशेषज्ञ ही करेगा जिसके पास इस बच्चे को ले जाया जायेगा । पुष्टि करने के अतिरिक्त, विशेषज्ञ यह परीक्षण भी करेगा कि बच्चे की कार्यक्षमता का स्तर क्या है । इससे आपको यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या खास कदम उठाए जा सकते हैं । आपको इन बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी । निम्नलिखित पुस्तकों से आप इस विषय में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं:—

1—शर्मा, पी. एल. एण्ड जंगीरा, एन. के.—बुक फॉर ट्रेनिंग आफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली 1987
2—मुखोपाध्याय, एस. एण्ड जंगीरा, एन. के.— सोर्स बुक ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली 1987
3—जंगीरा, एन. के. एण्ड मुखोपाध्याय, एस.—प्लैनिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ आ.ई.डी. प्रोग्राम, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली 1987
4—दि प्राइमरी टीचर, वोल्यूम 12, नं. 1, जनवरी, 1987 (एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित विशेष अंक) ।
5—भारतीय आधुनिक शिक्षा, वोल्यूम 5, नं. 1, जुलाई, 1987 (एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित विशेष अंक) ।
6 कम्युनिकेशन इक्वल एजुकेशन ऑपरच्यूनिटी फॉर डिसएबल्ड, साप्ताहिक पी.आई.ई.डी. न्यूजलैटर फ्रॉम एन.सी.ई.आर.टी. ।
7—शर्मा, पी. एल. : हैण्ड बुक ऑन आई.ई.डी. फार प्राइमरी स्कूल टीचर्स, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली (प्रेस में है) ।
8—राष्ट्रीय विकलांग संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री ।

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया इस पते पर लिखें :

1—प्रोफेसर, स्पेशल एजुकेशनल, एन.सी.ई.आर.टी., श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली-110016
2—ऑफीसर्स इंचार्ज, आई.ई.डी. सैल, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/राजकीय शैक्षणिक संस्थान ।
3—ऑफीसर्स इन्चार्ज, स्पेशल एजुकेशन ।
(क) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैण्डीकैप्ड, 116, राजपुर रोड, देहरादून-248001
(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैन्टली हैण्डीकैप्ड, मनोविकास नगर, बोवन पल्ली, सिकंदराबाद-500011
(ग) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, किशन चन्द मार्ग, बान्द्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (डब्ल्यू), बंबई-400050
(घ) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैण्डीकैप्ड, बी. टी. रोड, बॉन हुगली, कलकत्ता ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा में हो रहे विकास की जानकारी रखें । इन बच्चों और इनके माता-पिता को आपकी मदद की जरूरत है ताकि इनका विकास अन्य बच्चों की तरह हो सके और ये देश के सक्षम नागरिक बन सकें ।

फीडबैक

निम्नलिखित प्रस्तावों को पढ़ें और उन पर निशान लगायें जो आपकी दृष्टि में बहुत अच्छे हैं:—

1. अंग-संचालन या हाथ-पैरों से मजबूर बच्चों को कक्षा में दायीं ओर के कोने में बैठाना चाहिये, ताकि:
(क) वह अध्यापक से अच्छी तरह सामंजस्य स्थापित कर सके ।
(ख) दूसरे बच्चों के चलने-फिरने में बाधा न पड़े ।
(ग) वह ब्लैकबोर्ड अच्छी तरह देख सके ।
(घ) वह कक्षा से बाहर सुगमता से जा सके ।

2. कक्षा में विकलांग बच्चे की सहायता का पहला कदम यह होना चाहिये कि :
(क) उसे समुचित केन्द्र या संस्थान में भेजा जाये ।
(ख) उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं का निदान किया जाये ।
(ग) उसकी विकलांगता को जाना जाये ।
(घ) कक्षा में विशेष प्रबंध किये जायें ।

3. अक्षमता का अर्थ है :
(क) अंगों में किसी प्रकार का दोष होना या उनका ठीक प्रकार से काम न कर पाना
(ख) कार्यक्षमता में कमी ।
(ग) सक्रिय रूप से काम करने में कठिनाई ।
(घ) किसी बच्चे पर लगाया गया प्रतिबन्ध जिससे उसकी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता

4. विकलांगता का अर्थ है :
(क) शरीर के किसी भाग का अस्वाभाविक होना ।
(ख) शारीरिक दोष के कारण कार्यक्षमता में कमी आना ।
(ग) किसी दुर्घटना में किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना ।

(घ) शरीर के किसी भाग का ठीक काम न करना ।

5. विकलांग बच्चे की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में माता-पिता का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि :

(क) उन पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है ।

(ख) उन्हें घर पर भी विकलांगता के साथ तालमेल बैठाना है ।

(ग) माता-पिता ही बच्चों के उपचार का प्रबंध करेंगे ।

(घ) माता-पिता ही बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं ।

6. नियमित अध्यापक को बच्चे की विकलांगता का पता होना चाहिए, क्योंकि:

(क) विकलांगता के कारण बच्चे की पढ़ाई में बाधा पड़ती है ।

(ख) वह समाज की बेहतर सहायता कर सकता है ।

(ग) इससे उसके अध्यापन में सुधार होगा ।

(घ) इससे स्वयं को समझने में सहायता मिलती है ।

7. मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे की सहायता अध्यापक निम्न प्रकार से कर सकता है :

(क) उसकी समस्याओं को परखना ।

(ख) उसे विशेष स्कूल में भेजना ।

(ग) उसे उपचार के लिए विशेष कक्षा में भेजना ।

(घ) उसे ठोस शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना ।

8. कम सुनने वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह बोलते समय अपना चेहरा छात्रों के सामने रखे, ताकि :

(क) अध्यापक और छात्र के बीच की भावनात्मक दूरी कम हो जाए ।

(ख) छात्रों पर नियंत्रण रखा जा सके ।

(ग) छात्रों को बेहतर सुनाई दे ।

(घ) छात्र ओठों के हिलने-डुलने को पढ़ सकें ।

9. शिक्षा में पढ़ने-लिखने की अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं :

(क) निम्न बौद्धिक स्तर ।

(ख) गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ।

(ग) मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की क्षति ।

(घ) शारीरिक क्षति ।

10. पढ़ने-लिखने की अक्षमता से निम्नलिखित क्षेत्रों में समस्याएं सामने आती हैं :

(क) सभी शैक्षणिक क्षेत्र ।

(ख) पढ़ना और लिखना ।

(ग) पढ़ना, लिखना और हिज्जे करना ।

(घ) पढ़ना, लिखना और गणित ।

फीडबैक से संबंधित प्रश्नों की कुंजी

1 (ब), 2 (स), 3 (अ), 4 (ब), 5 (द), 6 (अ), 7 (द), 8 (द), 9 (स), 10 (द)

मॉड्यूल–6 सी

छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण

एक दृष्टिपात

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की यह मान्यता है कि "मानव एक सकारात्मक सम्पत्ति एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय साधन है जिसे सावधानी पूर्वक सहृदयता से पोषित एवं विकसित करना चाहिए" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-86 पृष्ठ 2) । इस नीति से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर स्तर पर "गर्भावस्था से श्मशान तक" प्रत्येक व्यक्ति के विकास की अलग-अलग समस्याएं एवं आवश्यकताएं हैं । कहने का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं गरिमा का सम्मान होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में उसकी आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण व क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए (पृष्ठ 2) ।

भावी पीढ़ी को इस प्रकार शिक्षित करना होगा कि उनमें आत्मविश्वास व दृढ़ता से समस्याओं के रचनात्मक समाधान की योग्यता विकसित हो । वे मानव मूल्यों व सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा रख सकें । इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने "एक छात्र केन्द्रित अध्ययन प्रक्रिया" की वकालत की है । (राष्ट्रीय शिक्षा नीति पृष्ठ 11) इस मॉड्यूल में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा छात्र केन्द्रित अध्ययन अध्यापन की स्थिति की समझा व अपनाया जा सके ।

शिक्षा के प्रति छात्र-केन्द्रित दृष्टिकोण के अन्तर्गत अध्यापक की भूमिका में परिवर्तन किया गया है । अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया को सहज बनाने तथा ऐसी शिक्षण पद्धति को प्रेरित करेगा जिससे छात्र में उत्सुकता तथा स्वतंत्र चिंतन का विकास होगा । उसमें समस्या' के समाधान की दक्षता, योजना बनाने व क्रियान्वित करने की कुशलता, स्वयं अध्ययन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति व अपने परिवेश का निरीक्षण करने और रचनात्मक चिंतन का विकास होगा (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, पृष्ठ 6) ।

आइए विचार करें कि क्या आपके द्वारा अपनाई गई अध्यापन पद्धति से छात्र में ऊपर लिखित विशेषताओं का विकास होगा या नहीं :

क्रियाकलाप–1

आप अब तक किस अध्यापन पद्धति व नीति का प्रयोग करते रहे हैं ? अलग पृष्ठ पर लिखें ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

आपने उस अध्यापन पद्धति व नीति का उल्लेख किया है । आइये अब यह देखें कि क्या पद्धति एवं नीति में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है या अध्यापन केन्द्रित दृष्टिकोण ।

पर उससे पहले आइए हम देखें कि छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है ।

क्रियाकलाप–2

कक्षा में छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने से आपका क्या अर्थ है ?	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

जैसा कि विचार विमर्श से हमने देखा है कि छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि छात्र हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं न कि अध्यापक । इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण व क्षमताओं के आधार पर बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र आवश्यक दक्षता, ज्ञान, दृष्टिकोण व मूल्य प्राप्त कर सके ।

इस प्रकार मोटे तौर पर शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति न होकर, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिये । जब हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो वास्तव में उसका क्या अर्थ है ?

क्रियाकलाप–3

क्या आप विकास के विविध पहलुओं की सूची बना सकते हैं जो पाठ्यक्रम में होनी चाहिए	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

हां, महात्मा गांधी ने कहा था "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के गुणों—(शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक) —को पूरी तरह उभारना है" । अतः पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी पहलू—ज्ञान, दक्षता, दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, सौन्दर्य एवं कार्य-अनुभव शामिल होने चाहिए ।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण क्या है तो आइए हम क्रियाकलाप-1 की ओर लौटें और यह देखें कि आज तक हम कैसी शिक्षा पद्धति व नीति अपना रहे थे । वह छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है या अध्यापक केन्द्रित दृष्टिकोण की ओर ?

क्रियाकलाप–4

कुछ वाक्यों में लिखिए क्या आपका दृष्टिकोण छात्र केन्द्रित था या अध्यापक केन्द्रित ? कारण दीजिए ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

सामान्यतया अब तक अध्यापकों का दृष्टिकोण अध्यापक केन्द्रित था, छात्र केन्द्रित नहीं । आज की पद्धति में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूल में उपस्थिति तथा रहने और तथ्यों को वापस लिखने पर मुख्यतया जोर दिया जाता है जैसे अध्यापक सीधे पाठ्यक्रम से पढ़ाता है और छात्र से आशा की जाती है कि वह पाठ्यपुस्तक में लिखे शब्दों को दुहराकर उत्तर लिखे ।

दूसरी ओर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि हम अध्यापन-प्रक्रिया से हट कर अध्ययन प्रक्रिया पर बल दें । इसका अर्थ है कि "सीखने के लिए" सीखना की दक्षता का विकास करें यानी बच्चे में ऐसी क्षमता का विकास करें जिससे वह अपने आप सीखे तथा ज्ञान के बढ़ते भण्डार की मांग व चुनौती का सामना कर सके ।

क्या आप सोचते हैं कि इस दृष्टिकोण के अपनाने से अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका प्रभावित होगी ?

क्रियाकलाप–5

कुछ वाक्यों में लिखिए कि इस प्रकार अध्यापक की भूमिका किस प्रकार बदलेगी ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

जैसा कि हमने विचार किया है कि इस दृष्टिकोण का अर्थ है अध्यापक की भूमिका में निश्चित परिवर्तन । अध्यापक की परम्परागत व वर्तमान भूमिका एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका है जो छात्र को तथ्य व ज्ञान प्रदान करता है । अब अध्यापक के लिए जो भूमिका प्रस्तावित की गई है वह सहायक व मार्ग निर्देशक की भूमिका है जिसके अन्तर्गत सही जानकारी, अनुभव व वातावरण का निर्माण किया जाएगा । छात्रों व अध्यापकों के बीच आदान-प्रदान की व्यवस्था होगी ताकि प्रेक्षण की क्षमता, सूचना संग्रहीत करने व उससे निष्कर्ष निकालने की वृत्ति का विकास हो । इस क्षमता से वे स्वयं पढ़ने के योग्य बनेंगे ।

आइए एक उदाहरण लें । यदि तीसरी कक्षा के छात्र को विज्ञान की कक्षा में पौधे के विभिन्न अंगों का ज्ञान कराना है तो ये अध्यापक केन्द्रित व छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण दोनों द्वारा किया जा सकता है ।

क्रियाकलाप–6

दो अलग कालमों में लिखिए कि यह पाठ दोनों दृष्टिकोणों से कैसे पढ़ाया जाएगा ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

जैसा कि आपने स्वयं विचार किया है इस पाठ में सिर्फ नोट्स के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों का वर्णन नहीं करना चाहिए । इसके बजाए अध्यापक को बच्चों के लिए कुछ पौधों का प्रबंध करना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं उसे देख सकें, छू सकें तथा अध्यापक की मदद से पौधे के विभिन्न अंगों की स्वयं खोज सकें तथा व्यवस्थित ढंग से अपने आप उन्हें नोट कर सकें ।

स्वयं खोजने, देखने से छात्र में प्रेक्षण, निरीक्षण व व्याख्या करने की क्षमता तेज होगी और वे कई अन्य स्थितियों में इन क्षमताओं का प्रयोग कर अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे । दूसरी ओर नोट्स लिखा कर अध्यापक बच्चों को सिर्फ सीमित ज्ञान ही दे सकता है ।

जैसा कि आप स्वीकार करेंगे कि भाषण देने, नोट्स व सारांश लिखने, अच्छे उत्तर लिखाने और ज्ञान देने व उसे कापी में दुहराने की मांग करने की वर्तमान पद्धति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

जब हम अध्यापक की भूमिका में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें उसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए । अध्यापक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कर सकता है ? हम यहां सामाजिक व भावनात्मक दोनों पहलुओं को लेते हैं ।

क्रियाकलाप–7

संक्षेप में लिखिए कि अध्यापक छात्र के सामाजिक व भावनात्मक विकास में क्या योगदान कर सकता है ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

निश्चय ही हम अनुभव करते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के पक्ष के अलावा विकास में भी अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । बच्चे के सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को छात्रों के लिए साथ कार्य करने व खेलने संबंधी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए । तीसरी कक्षा के अध्यापक पर्यावरण संबंधी पाठ में "विभिन्न जानवरों के निवास केन्द्रों" की जानकारी के बारे में तैयारी करा सकता है । उसे कक्षा को तीन भागों में बांटना चाहिए और प्रत्येक समूह को (1) भूमि पर रहने वाले (2) आसमान में उड़ने वाले तथा (3) पानी में रहने वाले प्राणियों के बारे में लिखने को प्रेरित करना चाहिए । इस नीति से बच्चों में भागीदारी व सहयोग की भावना बढ़ेगी क्योंकि वे संयुक्त रूप से कार्य करेंगे ।

आइए, इसी प्रकार अब हम बच्चों के भावनात्मक पहलू पर विचार करें । बच्चों के प्रति अध्यापक का सहृदयता पूर्ण व्यवहार बच्चों को अधिक जानकारी प्राप्त करने को प्रेरित करेगा । सजा देने या नकारात्मक रुख रखने पर छात्र के व्यक्तित्व व स्कूली शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा ।

एक अन्य पहलू है छात्रों के मूल्यांकन पर विचार । क्या आप सोचते हैं कि परीक्षा प्रणाली वही रहनी चाहिए या इस दृष्टिकोण से उसे बदलना चाहिए ।

क्रियाकलाप-8

संक्षेप में लिखिए वे क्या तरीके हैं जिनसे मूल्यांकन प्रणाली को बदलना चाहिए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

आप में से कुछ लोगों ने सही सोचा है । इस दृष्टिकोण में तथ्यों को रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा । इसमें बच्चे के सभी पक्षों का विकास करने के लिए "क्षमता के विकास" पर जोर दिया जाएगा । ज्ञान से अधिक बच्चे की क्षमता-प्राप्ति का मूल्यांकन करना होगा यथा पहली और दूसरी कक्षा के छात्र की भाषा की पढ़ाई के लिए क्षमता विषयक सूची में यह ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा विभिन्न अक्षरों को मिलाकर बने शब्दों को अर्थ-पूर्ण ढंग से पढ़ सकता है या नहीं ? पढ़ने की परीक्षा सिर्फ बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में से पढ़ाकर ही नहीं लेनी चाहिए । पाठ्य पुस्तक तो उसने कक्षा में कई बार पढ़ी है और उसे बच्चे ने रट भी लिया है, उसे नये शब्द पढ़ने को देकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए ।

बच्चे का मूल्यांकन विकास के सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए; चाहे वह पढ़ाई-लिखाई का क्षेत्र हो, योग्यता या क्षमता का क्षेत्र हो, सामाजिक या भावात्मक विकास का क्षेत्र हो या कार्य कुशलता का । बच्चा कितना मिलनसार है, उसमें नेतृत्व की कितनी क्षमता है, वह किस हद तक दूसरों के साथ मिल-जुलकर काम कर सकता है, उसमें कितना आत्मविश्वास है, इत्यादि इन सब दृष्टिकोणों से भी उसका मूल्यांकन किया जाएगा । आजकल के समान नहीं कि मुट्ठी भर विषयों की परीक्षा

National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No....4831.......
Date....14/8/87.......

लेकर बच्चे को नम्बर दे दिए जाएं और रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाए । उसमें बच्चों की विशेषताओं और समस्याओं से संबंधित एक अध्याय भी होगा । इससे पता चल सकेगा कि बच्चे को कहां विशेष ध्यान की या प्रोत्साहन की आवश्यकता है जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके । इसीलिए बच्चे की लिखित योग्यता के अलावा मौखिक योग्यता और उसके पिछले रिकार्ड को भी देखा जाएगा । बच्चा कक्षा में प्रथम आया है अथवा दूसरे या तीसरे नम्बर पर इससे बच्चों की योग्यता को नहीं जांचा जाएगा अर्थात् एक बच्चे की दूसरी बच्चे की योग्यता से तुलना नहीं की जाएगी अपितु उसके अपने पिछले रिकार्ड से तुलना की जाएगी जिससे यह पता चल सके कि उसने कितनी प्रगति की है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशेष है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कमजोरियां हैं इसलिए यह उचित नहीं कि बच्चों की आपस में तुलना कीजिए । इससे बच्चे के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचेगी और कक्षा में उसकी योग्यता बढ़ने के बजाय घटती जाएगी ।

आइए अब हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से छात्र केन्द्रित प्रणाली की चर्चा करें । जब हम इस प्रणाली की बात करते हैं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि विभिन्न क्षेत्र के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होना चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उसे उनकी आवश्यकताओं और विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए । नई विचारधारा में एक ही पाठ्यक्रम का विचार कैसे ठीक बैठ सकता है ?

यह सच है कि पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखा जाएगा । पाठ्यक्रम सबके लिए एक होगा पर पद्धति और सामग्री भिन्न होगी । अन्य शब्दों में क्लासरूम के छात्रों की आवश्यकताओं एवं क्षेत्रीय संस्कृति व विशेषताओं को ध्यान में रखकर उस पाठ्यक्रम पर अमल किया जाएगा । उदाहरण के लिए पहली कक्षा का भाषा संबंधी पाठ्य लें । जहां तक भाषाई ज्ञान का सवाल है सभी राज्यों में एक ही पाठ्यक्रम लागू होगा, चाहे वह बिहार हो, राजस्थान है, या दिल्ली, परन्तु पठन सामग्री अर्थात् कहानियां, कविताएं, पुस्तकें और चार्ट भिन्न होंगे जिनका प्रयोग शिक्षक द्वारा बच्चे और पाठ्यक्रम में पहली कक्षा के लिए निर्धारित भाषाई जानकारी की हासिल कराने में किया जाएगा ।

आइए अब हम संक्षेप में इसका पुनरावलोकन करें ।

क्रियाकलाप–9

उपरोक्त विचार विनिमय को देखते हुये आपके विचार से शिक्षक का क्या लक्ष्य होना चाहिए ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, आजकल के अधिकांश शिक्षकों को पाठ्यक्रम को पूरा करने की चिंता रही है यद्यपि "छात्र केन्द्रित प्रणाली" के अनुसार प्रत्येक शिक्षक का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उसकी क्लास का हर बच्चा सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करें । शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने की चिंता नहीं होनी चाहिए (जैसा कि आजकल उससे आशा की जाती है) अपितु उसे विभिन्न सामग्री एवं पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा, जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे अच्छी प्रकार समझ सके । शिक्षक को परीक्षा भी उसी ढंग से लेनी होगी ।

आइए अब हम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सेकेण्डरी स्तर के बच्चों पर विचार करें और देखें कि उनके मानसिक विकास की स्थिति क्या है ? उनकी क्षमता क्या है ?

प्राथमिक स्तर

(क) प्राथमिक स्तर के बच्चे मुख्यतः दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं ।
(ख) बच्चों में मौखिक कौशलों का बहुत विकास नहीं होता इसलिए वे केवल तभी कुछ सीख सकते हैं जबकि उन्हें शारीरिक गतिविधि के लिए अवसर दिया जाए ।
(ग) प्राथमिक स्तर के छात्र सिर्फ उन्हीं विचारों को समझ सकते हैं जो उनके इर्द-गिर्द के माहौल में विद्यमान हैं ।

उच्च प्राथमिक स्तर

यह इस अवस्था में बच्चे बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं । इस आयु के बच्चों के लिए मुख्य शिक्षण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(क) अलग-अलग छात्रों का विकास स्तर अलग-अलग होगा । यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि लड़के इस अवस्था में प्रायः लड़कियों से पीछे होते हैं ।
(ख) इस अवस्था से आप देखेंगे कि छात्रों में बड़ी गति से परिवर्तन आ रहा है ।

(ग) छात्रों को स्वयं यह पता नहीं होगा कि वे बड़ों से बच्चों का सा व्यवहार चाहते हैं या वयस्कों का सा ।

इन विशेषताओं से यह तथ्य सामने आता है कि समूचे समूह के और अलग-अलग छात्रों के व्यवहार में बहुत उतार-चढ़ाव होता है ।

विकास संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक छात्रों की उपर्युक्त विशेषताओं की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है :

(1) वे अपेक्षाकृत अस्थिर होते हैं । इसलिए समझदार अभिभावकों या बड़ों को उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनमें स्थिरता या ठहराव आ सके ।
(2) उन्हें वास्तविक दुनिया की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं होती । इसलिए उन्हें अनुभव की आवश्यकता है जिससे वे दुनिया से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो सकें ।
(3) उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को जांचने या परखने का अवसर नहीं मिला है । इसलिए उन्हें अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वे अपनी योग्यता व क्षमता का पता लगा सकें ।
(4) उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है । इसलिए उन्हें जीवन में सफल अनुभव करने होंगे जिससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके और उनके व्यक्तित्व का उचित विकास हो सके ।
(5) उनके अपने बहुत से प्रश्न हैं, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, चिन्ताएं हैं । इसलिए यहां उन्हें बड़े बुजुर्गों के संग साथ की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है जिनके माध्यम से वे अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें, अपनी समस्याओं को हल कर सकें और अपनी चिन्ताएं मिटा सकें ।
(6) उच्च प्राइमरी स्तर के बच्चों में यौन संबंधी समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं । इस दृष्टि से लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा कुछ जल्दी होता है । ऐसी अवस्था में उन्हें समझदार बड़े बुजुर्गों को जरूरत होती है जिससे वे अपनी उन समस्याओं को हल कर सकें ।
(7) बचपन में उन्होंने माता-पिता या बड़ों के जिन प्रतिबन्धों की सहर्ष स्वीकारा था, वे ही इस आयु में उसके विद्रोह का कारण बन जाते हैं । इसलिए उन्हें ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जिससे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वे प्रतिबन्ध के प्रति विद्रोह न कर बात को, वस्तुस्थिति को समझने को कोशिश करें ।
(8) इन बच्चों में आत्मज्ञान की कमी होती है । इसलिए उन्हें बहुत से अनुभव करने की जरूरत है जिससे उन्हें पता चल सके कि वे कौन हैं, वे दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं और बड़े बुजुर्ग उनको कैसे लेते हैं ।

सेकेण्डरी स्तर

सेकेण्डरी स्तर इस बात का संकेत देता है कि छात्र ने एक विशेष शैक्षणिक इकाई अर्थात् विकास की एक विशिष्ट मंजिल को पार कर लिया है । इस मंजिल को पार करने के बाद उससे आशा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन के बारे में सोच सकेगा और कोई निर्णय ले सकेगा । इस अवस्था में उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जल्दी रहती है, अपने भविष्य के लिए बहुत से रास्तों में से एक को चुनना होती है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के दबाव उस पर रहते हैं । ऐसी स्थिति में इसका परिणाम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, वह फलोत्पादक अर्थपूर्ण निर्णय ले सकता है और संभ्रमित व व्याकुल भी हो सकता है । वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से सेकेण्डरी स्तर पर छात्र का शैक्षणिक, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक मार्ग निर्देशन किया जाना चाहिए । इसकी अपनी विशेष भूमिका है । इस भूमिका का लक्ष्य छात्र की व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता करना ही नहीं है, अपितु इससे छात्र जीवन का सामना कर सकेगा और समाज का एक फलोत्पादक व्यक्ति बन सकेगा । और इस प्रकार हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम के लक्ष्य की भी प्राप्ति हो सकेगी ।

हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी पेचीदा है साथ ही हमारा भौतिक एवं सामाजिक माहौल भी । छात्र जो 10 या + 2 परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे आप चौराहे पर खड़ा पाइएगा । हमारा श्रम बाजार और शिक्षा पद्धति दोनों द्वारा उसके लिए कई रास्ते खोल दिए गए हैं, उसके सामने जीवन की कई संभावनाएं हैं । दूसरी ओर विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रुचियां हैं, विभिन्न प्राथमिकताएं हैं, विभिन्न योग्यताएं एवं मूल्य हैं, अगर छात्र में इनमें से बहुत से गुण हैं तो कई व्यवसायों में जा सकता है । सेकेण्डरी स्तर पर चिन्ता के प्रमुख विषय है :

(1) प्रत्येक छात्र की सहायता किस प्रकार की जाए जिससे वह अपनी रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं और मूल्यों के प्रति (विशेष रूप से जो उसके भावी जीवन से जुड़े हैं) सचेत हो जाए ।
(2) प्रत्येक छात्र की सहायता किस प्रकार की जाए जिससे वह उचित निर्णय ले सके या प्रत्येक छात्र को निर्णय ले सकने के लिए अवसर कैसे प्रदान किया जाए ? इसके लघु एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के फायदे हैं । हालांकि सेकेण्डरी स्तर पर तात्कालिक आवश्यकता यह विशेष निर्णय लेने की होती है कि अब आगे किस दशा में कदम रखा जावे । इस समय लिया गया निर्णय उसके आगे के निर्णयों के लिए लाभप्रद हो सकता है । छात्र को आगे कदम उठाने से पहले काफी सूचना और जानकारी एकत्रित कर उसे नाप-तौल लेने की आवश्यकता से

परिचित होना चाहिए और हमारी शिक्षा का दीर्घकालीन लक्ष्य यह है कि हम पहले से छात्र की इसमें सहायता करें। हमारे श्रम-बाजार और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर विकास व परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि छात्र सिर्फ किसी एक व्यवसाय की योजना बना ले। उसे एक ही दशा में कई व्यवसायों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भविष्य के लिए योजना बनाने की योग्यता को छात्र के एक महत्वपूर्ण "औजार" के रूप में देखा जाना चाहिए विशेष रूप से सेकेण्डरी स्तर पर जबकि जीवन का पहला पड़ाव सन्निकट है।

(3) विकास और परिपक्वता की दृष्टि से सेकेण्डरी स्कूल के छात्र में सोचने समझने की पर्याप्त योग्यता होती है। इसलिए इस स्तर पर उसे कई प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। वह पत्राचार वाली पद्धति द्वारा शिक्षा केन्द्र से दूर रहकर भी पढ़ सकता है।

(4) इस स्तर पर छात्रों की ऐसी सहायता की आवश्यकता रहती है जिससे वे बाह्य दबावों का सामना कर सकें जो विभिन्न दिशाओं से उस पर पड़ रहे हैं। इसलिए उनकी सहायता की जानी चाहिए जिससे वे दबाव के भावात्मक पहलू अर्थात् उदासीनता, निःसहायता, असुरक्षा आदि से निपट सकें। व्यवसाय मार्गदर्शन के कुछ पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए भी उनकी सहायता आवश्यक है। इससे भी उस पर भावात्मक दबाव कुछ हद तक कम हो सकेगा। अतः छात्रों के लिए तकनीकी कौशल, व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के अवसर भी जुटाए जाने चाहिए: जैसे इन्टर्व्यू देने की दक्षता, निरीक्षण की दक्षता, बड़ों के साथ व्यवहार करने की बुद्धि आदि। इससे उसे कार्य क्षेत्र में अपने को फिट करने में कठिनाई नहीं आएगी और उसमें संतोष बढ़ेगा।

छात्र केन्द्रित पद्धति छात्र को कुछ सिखा सकी है या नहीं यह जानने के लिए आप स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं :

(1) आपने जिस शिक्षण अनुभव का आयोजन किया था क्या उससे छात्रों को विषय के ज्ञान का लाभ हुआ है और क्या उन्होंने नई परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया है ?

(2) क्या उनमें कुछ विशेष कौशलों का प्रादुर्भाव या परिष्करण हुआ है ?

(3) आपके प्रयास के परिणामस्वरूप क्या छात्रों में नई रुचियां एवं प्रवृत्तियां जागृत हुई हैं ? क्या आपके पास इसके कुछ प्रमाण हैं ?

(4) आपने छात्रों को शिक्षा का जो नया अनुभव कराया है क्या उससे छात्रों को स्वयं अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिली है ?

इस प्रकार छात्र केन्द्रित पद्धति में आप छात्र को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है ? आपको उन्हें अपने विचारों को, अपनी प्रवृतियों को स्वतंत्रता से प्रकट करने देना चाहिए, बिना नुक्ताचीनी के, बिना किसी टीका-टिप्पणी के। शिक्षण क्रियाकलापों की योजना आप उनके लिए उनके साथ मिलकर बनाइए। कक्षा का वातावरण तनाव रहित बनाने की कोशिश कीजिए। छात्र केन्द्रित शिक्षा पद्धति के लिए वातावरण किसी एक प्रकार की अध्यापन क्रिया का परिणाम नहीं है। यहां आप ऐसे शिक्षण अवसरों को जुटा सकते हैं और अपनी सृजनात्मक क्षमता का परिचय दे सकते हैं जो आपके छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकुल हों और उन्हें प्रोत्साहन दे सकें।

आप अब यह जानना चाह रहे होंगे कि उपरोक्त शैक्षणिक वातावरण को कैसे बनाया जाए ? इसका उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है :

(1) सद्भावनापूर्ण एवं स्वीकृति सूचक वातावरण जो प्रत्येक छात्र के आत्मसम्मान एवं सोद्देश्य व्यक्तित्व को बढ़ावा दे सकें। ऐसा वातावरण केवल तभी बनाया जा सकता है जबकि आप उन तत्वों से युक्त दर्शन का अनुसरण करें।

(2) आपको शुरू से ही अपनी क्लास में छात्रों को पढ़ाते समय उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा या नया अनुभव छात्र के पहले शैक्षणिक अनुभव से भिन्न होगा। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक इस बात पर विचार करना होगा कि नई तकनीक को किस तरह लागू किया जाए।

यहां महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों को प्रेरित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। कक्षा की शुरूआत आप छात्रों की समस्याओं से कर सकते हैं। आम समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उन पर चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि छात्र अपनी समस्याएं आपके सामने डरते-डरते हिचक के साथ पेश करें, इसलिए आप बड़े इत्मीनान से सुनें और स्वीकार करें। सबसे पहले तो उन समस्याओं से जुड़े रवैये को स्पष्ट करना होगा। इन समस्याओं पर चर्चा करते समय इनमें से धीरे-धीरे स्वयं अन्य मामले सामने आएंगे और आप अपने पाठ्यक्रम विषय पर पहुंच जाएंगे।

जो छात्र आठ दस वर्षों से क्लास में उदासीन व निष्क्रिय रवैये का अनुभव करते आए हैं, वे शायद पहले-पहले इस नई पद्धति से घबरा जाएं या गड़बड़ा जाएं या उन्हें यह पद्धति अच्छी न लगे। ऐसे में कटु नकारात्मक भावनाएं भी जागृत हो सकती हैं। पहले शायद वे कुछ न कहें क्योंकि वे अध्यापक को जवाब देने के या उसे सही करने के आदी नहीं हैं पर तनाव बढ़ेगा और कुछ साहसी बच्चे एकाएक क्लास में फट पड़ेंगे "हमारे ख्याल से हम अपना समय खराब कर रहे हैं। हमारे ख्याल से हमें विषय की एक रूपरेखा बनाकर उस पर चलना चाहिए और आपको हमें पढ़ाना चाहिए। हम यहां पढ़ने आते हैं, वाद-विवाद करने नहीं।" जब इस प्रकार के नकारात्मक पहलुओं को शिक्षक द्वारा समझ व स्वीकार कर लिया जाता

तब छात्र नये वातावरण में नए दृष्टिकोण को धीरे-धीरे समझने और स्वीकार करने लगते हैं । हो सकता है कुछ छात्रों को यह प्रक्रिया अच्छी न लगे, वे इसे हृदय से स्वीकार न करें पर हर छात्र कम से कम यह तो अनुभव करता ही है कि क्लास में स्थिति बदली है ।

अध्यापक—जो क्लास में उपर्युक्त पद्धति से नया प्रयोग करना चाहता है—सोचता है कि वह उसे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्लास को पहले के ही समान पहले वाली परीक्षा पास करनी है और उसे पाठ्यक्रम को पूरा करना है । ये कुछ मुद्दे हैं जो शिक्षक के रवैये पर प्रकाश डालते हैं । और साथ ही महत्वपूर्ण भी हैं । उदाहरण के लिए अगर उसकी क्लास को भी अन्य सेक्शनों के समान ही परीक्षा पास करनी है तो शिक्षक के रवैये को बदलना होगा । उसे पाठ्यक्रम को "छात्रों का पाठ्यक्रम" बनाना होगा और उसके लिए उन्हें प्रेरणा देनी होगी । यहां एक सीमा है जो शिक्षक के साथ-साथ छात्र के लिए भी है । और वह है : परीक्षा जिसे पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद प्रत्येक छात्र को पास करना है ।

संक्षेप में प्रत्येक समूह की कुछ सीमाएं हैं । ये सीमाएं नहीं लेकिन रवैया, छूट, स्वतंत्रता है जो उन सीमाओं के अन्दर है—और यही महत्वपूर्ण है । परिस्थितियों, सत्ता या शिक्षक द्वारा थोपी गई सीमाओं के भीतर ही छूट का, स्वतंत्रता का एक स्वीकार्य वातावरण बनाया जा सकता है । व्यवहारात्मक दृष्टि से एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका इस प्रकार हो सकती है :

- क्लास में आप अपने विश्वास के आधारभूत सिद्धान्तों से विश्वास का एक माहौल बना सकते हैं । इसे कई सूक्ष्म तरीकों से किया जा सकता है ।
- सभी लक्ष्यों को स्वीकारते हुए आप छात्रों के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं ।
- शिक्षा के पीछे स्वशक्ति के रूप में इन उद्देश्यों के क्रियान्वयन की छात्र की इच्छा पर आप भरोसा कर सकते हैं ।
- छात्र जिन संसाधनों का पढ़ने के लिए प्रयोग करना चाहता है उन्हें जुटाने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं ।
- आप स्वयं को एक लचीला साधन समझें जिससे छात्र समूह आपको अर्थपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में ला सके । वहां यह जरूरी है कि उनका आपके साथ सुखद अनुभव हो ।
- आपको यहां बौद्धिक विषयवस्तु एवं भावनात्मक रवैये को अपनाना होगा और प्रत्येक पहलू पर व्यक्ति व समूह को देखते हुए बल देना होगा ।
- जब क्लास में स्वीकार्य वातावरण बन जाए, तब आप अपनी भूमिका बदल सकते है और समूह के भागीदार, समूह के सदस्य बन सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में अपने विचार प्रकट कर सकते है ।
- छात्रों की गहरी भावनाओं से ओत-प्रोत अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत रहें और उन्हें वक्ता के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें ।
- जब समूह में भावनाओं से ओत-प्रोत अन्तःक्रिया शुरू ही जाए तो आपको तटस्थ रहकर समझदारी से काम लेना होगा । वहां विद्यमान विभिन्न भावनाओं को स्वीकारना होगा ।
- आप इन विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, विभिन्न स्थितियों को किस तरह संभालते हैं, यह आपकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर होगा ।

मॉड्यूल-7 सी

बच्चों में जिज्ञासा कौशल का विकास

एक दृष्टिपात

बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं । वे जो देखते हैं, अनुभव करते हैं तथा समाज में जिससे टकराते हैं, उनके संबंध में बहुत अधिक प्रश्न करते हैं । वे मूलतः अपने आसपास के वातावरण की खोज करने और उसे समझने के लिए प्रश्न करते हैं । बच्चों का मस्तिष्क अधिक से अधिक जानकारी चाहता है । आयु के साथ उनकी प्रश्न करने की क्षमता बढ़ती जाती है । वस्तुतः वे जितने प्रश्न पूछेंगे उनके व्यक्तित्व का उतना ही विकास होगा । उनकी यह उत्सुकता उन्हें समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है । प्रत्येक उन्नतिशील कदम के पीछे जिज्ञासु मस्तिष्क होता है । इस कारण यह अनिवार्य है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह प्रश्न पूछने, खोज करने तथा रचनात्मक कार्य करने के लिए आगे बढ़ें जिससे इस प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हो ।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम का ढांचा (जो कि एन. सी. ई. आर. टी. ने विकसित किया है) विद्यार्थियों में जिज्ञासा, स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने तथा उनमें वैज्ञानिक रुचि जागृत करने पर जोर देता है । जिज्ञासा के विकास के लिए अध्यापन के अनेक तरीके हैं । इस मॉड्यूल में बच्चों में जिज्ञासा विकसित करने के अनेक अध्यापन तरीकों में से एक का उल्लेख है । कोई घटना या कहानी सुना कर शिक्षा देने की प्रणाली पर इसमें जोर दिया गया है । सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषा और ललित कलाओं जैसे किसी भी विषय में किसी को भी पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह सभी अध्यापकों के लिए उपयोगी होगा ।

इस मॉड्यूल को पढ़ते समय आपको कुछ लिखित कार्य करने होंगे । आपको वे कार्य करने में आनन्द आयेगा । उन्हें छोड़ मत दीजियेगा । पत्र-पेन्सिल अपने पास रखिये तथा पढ़ने के लिए भी तैयार रहिये ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे :

1. विद्यार्थियों में जिज्ञासा के विकास के लिए किये जा रहे विशिष्ट शिक्षण प्रयत्नों के पक्ष में कम से कम तीन तर्क दे सकेंगे ।
2. यहां उल्लिखित जिज्ञासा के विकास के लिए शिक्षण तरीकों के कम से कम दो लक्ष्य लिख सकेंगे ।
3. जिज्ञासा विकसित करने के शिक्षण के लिए उठाये गये कदमों का उचित क्रमानुसार विवरण दे सकेंगे ।
4. आपके द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम में से जिज्ञासा प्रशिक्षण के लिए उचित विषय का चुनाव कर सकेंगे ।
5. अध्यापन में प्रयोग करने के लिए जिज्ञासा प्रशिक्षण पाठों की योजना बना सकेंगे ।

शिक्षण गतिविधियां

आइये, एक अध्यापक के अनुभव से अध्यापन के लिए ली गयी कहानी की जांच करें । इसे ध्यान से पढ़े । पढ़ने के बाद आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा ।

घटना—1

शांता का परिवार छुट्टियां मनाने बाहर गया हुआ था । लौटने पर उन्हें यह देख कर बहुत सदमा पहुंचा कि उनका बाग उजड़ा पड़ा है । जो बेलें कभी दीवारों पर चढ़ी हुई थीं, वे अब जमीन पर पड़ी हैं । फूल-पौधे बुरी तरह तहस-नहस हो गये हैं । लेकिन दरवाजे पर लगा ताला सही-सलामत है । ताला खोलकर वे बैठक में गये । दो बड़ी तस्वीरें फर्श पर गिरी हुई थीं और उनके शीशे टूट गये थे । सारे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी ।

उन्होंने खिड़कियों की ओर देखा । खिड़कियां बन्द थीं । हरेक के चेहरे पर एक ही प्रश्न था कि यहां क्या हुआ होगा । आप यह अनुमान लगाकर कि छुट्टियों में उनकी अनुपस्थिति में उनके बाग और बैठक में क्या हुआ होगा, शांता के परिवार की मदद कर सकते हैं ।

कक्षा में इस विषय पर हुए वार्तालाप की रिपोर्ट अध्यापक की डायरी से लेकर यहां दी जा रही है। "क्या हुआ होगा ?" कक्षा के अध्यापक जोशी जी ने पूछा ।

"वहां हमारे जैसे बच्चे रहे होंगे," एक बच्चे ने तुरन्त उत्तर दिया ।

"क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तूफान आया हो ?" मीना ने पूछा ।
"क्यों न संभावनाओं पर विचार करें ?" जोशी जी ने सुझाव दिया ।
"क्या हुआ होगा, मास्टरजी ?" एक अन्य बच्चे ने पूछा ।
"मैं नहीं बता सकता । तुम खुद अनुमान लगाओ," जोशी जी ने कहा ।
"क्या बाग में आवारा पशुओं के पैरों के निशान दिखायी पड़ते थे ?" एक बच्चे ने पूछा ।
"नहीं," अध्यापक ने जवाब दिया ।
"क्या किसी पालतू जानवर को बैठक के अन्दर बंद छोड़ दिया गया था ?"
"नहीं ।"
"क्या कोई चीज गायब थी ?"
"नहीं ।"
"फिर तो चोरी का संदेह नहीं किया जा सकता ।" एक बच्चे ने निष्कर्ष निकाला ।
"तूफान की संभावना से तो इंकार नहीं किया जा सकता ।" एक अन्य बच्चे ने कहा ।
"क्या इस दौरान तूफान आया था ?"
"तुम सिद्ध कर सकते हो," अध्यापक ने सुझाव दिया ।
"क्या खिड़कियां बन्द थीं ?"
"हां"
(ऊपर देखते हुए) "और रोशनदान ?"
"नहीं" ।
"सच यही है, तेज हवा रोशनदान से अन्दर घुसी होगी और तस्वीरें नीचे गिर गयी होंगी ।"
"क्या तुम इसकी और जांच-पड़ताल कर सकते हो ?" अध्यापक ने पूछा ।
"क्या इस दौरान स्थानीय अखबार में तूफान आने की खबर छपी थी ?"
"हां" ।
"इससे उपरोक्त संभावना की पुष्टि होगी है ।"

जिज्ञासा बढ़ाने के कई रास्ते हैं । यहां एक विशेष तरीके का उल्लेख किया गया है । विद्यार्थियों को यह रुख विकसित करने में मदद दी जाती है कि सारा ज्ञान अस्थायी है । विद्वत् जन व्याख्या करते और सिद्धांत बनाते हैं । इससे बच्चों को परिकल्पनाओं की जांच करने, प्रश्न पूछने, खोज करने, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाने और व्याख्या करने में मदद मिलती है । जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पांच कदम उठाये गए हैं ।

कहानी के माध्यम से पढ़ाने के इस तरीके का निरीक्षण करने से पता चलता है कि जब कोई समस्या सुलझानी पड़े या दिमाग को उलझाने वाली किसी घटना का सामना करना पड़े, तो दिमाग में कई संभव हल उभरते हैं । शुरू में विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं और उसका कोई कारण नहीं दे पाते । पूछताछ की एक खास प्रणाली द्वारा (जिसमें वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जिनका जवाब हाँ/ना में दिया जा सकता है) वे और अधिक जानकारी इकट्ठी करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं, जिसका कोई आधार होता है । इसी व्याख्या की अपेक्षा अध्यापक को होती है ।

इससे बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करने, वैज्ञानिक ढंग से योग्यता प्राप्त करने, प्रासंगिक जानकारी और आँकड़े एकत्र करने, उन कारणों को पहचानने, उनकी जांच करने, सूचना और आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने, संभव व्याख्या (परिकल्पना) तैयार करने, एकत्रित जानकारी के संदर्भ में व्याख्या की वैधता परखने, निष्कर्ष निकालने आदि में सहायता मिलती है । प्रश्न करने के इस तरीके से उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की रचनात्मक कला तथा स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता भी विकसित होती है । इसके साथ ही, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में शाब्दिक कुशलता की भी वृद्धि होती है । इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप जिज्ञासा विकसित करने के लिए अध्यापन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते हैं :

जिज्ञासा विकसित करने के लिए अध्यापन के लक्ष्य निम्न हैं :

1— ....

2— ....

3— ....

4— ....

जाहिर है कि जिज्ञासा विकसित करने के लिए अध्यापन के मूल में कई पूर्वानुमान होंगे । उदाहरण के लिए, एक पूर्वानुमान यह हो सकता है कि सारा ज्ञान अस्थायी है । जैसे-जैसे नयी जानकारियां मिलती हैं, समस्याओं की व्याख्या और उनके हल बदल जाते हैं । इससे यह अर्थ निकलता है कि किसी खास प्रश्न का कोई एक ही उत्तर नहीं हो सकता । इसके

आगे यह पूर्वानुमान भी किया जाता है कि मानव जाति स्वभाव से ही जिज्ञासु है और प्रश्न करने की उसकी कुशलता को योजनाबद्ध अध्यापन तथा प्रशिक्षण से और भी तीक्ष्ण बनाया जा सकता है । यह पूर्वानुमान भी लगाया गया है कि मिल-जुलकर समूह में आगे बढ़ने से (कक्षा के साथ या कक्षा में छोटे-छोटे समूहों में बंट कर) प्रश्न करने की क्षमता समृद्ध होती है। इसलिए व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर एक साथ मिलकर समस्याओं के हल ढूंढ़ना बेहतर है । आप इन पूर्वानुमानों के बारे में क्या सोचते हैं ? क्या आप इनसे सहमत हैं ? अपने दृष्टिकोण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्कों पर विचार कीजिए ।

जिज्ञासा विकसित करने के तरीके के पूर्वानुमानों के बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि :

जिज्ञासा विकसित करने का तरीका

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जिज्ञासा विकसित करने के कई तरीके हो सकते हैं । यहां एक विशेष तरीका अपनाया गया था । इसमें विद्यार्थियों के सामने एक जटिल स्थिति या कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है । कोई समस्या या पेचीदा घटना प्रस्तुत करने के बाद, विद्यार्थियों को अध्यापक से ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह उनका उत्तर "हां" या "ना" में दे सकें । विद्यार्थी को एक साथ क्रमानुसार कई प्रश्न पूछने की छूट दी जाती है ताकि वह अपनी जिज्ञासा के सहारे आगे बढ़ सके । आरम्भ में विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न अक्सर खोजपूर्ण होते हैं । इस जानकारी के आधार पर विद्यार्थी विशेष परिकल्पना (युक्तिसंगत व्याख्या) करते हैं । यह परिकल्पना उस समस्या, जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, के अस्थायी कारणों के संबंधों पर आधारित होती है । फिर इन परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए वे "हां" या "ना" जवाब वाले प्रश्नों के जरिये और अधिक जानकारी (आंकड़े) इकट्ठी करते हैं । ऐसा वे मौखिक प्रयोगों द्वारा यह जांचने के लिए करते हैं कि यदि..............................तो..............................संयोगवश संबंध है । दूसरे शब्दों में कहें तो वे अंतिम व्याख्या तक पहुंच जाते हैं । इस प्रकार वे उस घटना की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत विकसित कर लेते हैं, जिसे सुलझाया जाना है । अभ्यास करने से विद्यार्थियों में तर्क संगत विचार और जिज्ञासा की क्षमता विकसित होती है । यह विधि किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त की जा सकती है, चाहे वह सामाजिक ज्ञान हो, विज्ञान हो या साहित्य हो ।

जिज्ञासा विकसित करने की प्रणाली के पांच चरण हैं । इस मॉड्यूल में इन पांच चरणों का विवरण दिया गया है ।

1. समस्या से सामना

अध्यापक कोई समस्या या उलझी हुई घटना कक्षा के सामने प्रस्तुत करता हैं । यह प्रस्तुतिकरण मौखिक हो सकता है या ब्लैकबोर्ड अथवा कागज पर लिखा भी जा सकता है । इसे प्रोजेक्टर पर भी पेश किया जा सकता है । सुविधाओं की उपलब्धि के अनुसार अध्यापक प्रस्तुतिकरण का माध्यम चुन सकता है । क़ागज पर लिखित प्रस्तुतिकरण देने पर हर विद्यार्थी को समस्या से संबंधित पर्याप्त जानकारी मिल सकती है । इस संदर्भ का उपयोग वह खोज करने के अपने मार्ग को निर्धारित करने और फिर विभिन्न स्तरों पर खोज के तरीके की जरूरतों के अनुसार अपना मार्ग बदलने के लिए कर सकता है । यदि वह सुविधा उपलब्ध न हो तो इसे ब्लैकबोर्ड पर दर्ज किया जा सकता है । कागज पर लिख लेने से समस्या के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हमेशा विद्यार्थियों के पास रह सकते हैं ।

अध्यापक पहले कक्षा को तैयार करता है और फिर समस्या को प्रस्तुत करता है । समस्या को प्रस्तुत करने के साथ ही अध्यापक विद्यार्थियों की पूछताछ करने के नियम या तरीके समझाता है । नियम या तरीके निम्न हैं :

(1) प्रश्न ऐसे ढंग से पूछे जायें कि उनका जवाब "हां" या "ना" में दिया जा सके ।

(2) एक बार में विद्यार्थी जितने चाहे प्रश्न पूछ सकता है और उसके बाद ही दूसरे विद्यार्थी को प्रश्न करने के लिए बुलाया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि रचनात्मक सोच विचार में समय लगता है और निरंतरता की आवश्यकता होती है। उसे पूछताछ करते के अपने रास्ते पर चलने के लिए क्रमबद्ध तरीके से कई प्रश्न पूछने चाहिए ।

(3) अध्यापक उन वक्तव्यों पर "हां" या "ना" में जवाब नहीं देगा जिनमें पूछताछ के दौरान किसी परिकल्पना पर अध्यापक की सहमति लेने की कोशिश होगी ।

(4) विद्यार्थियों को एक-दूसरे से सलाह करने की छूट होनी चाहिये । यदि व चाहें तो विचार-विमर्श के लिए छोट-छोटे दल बना सकते हैं ।

(5) किसी खास परिस्थिति में आवश्यकता होने पर, विद्यार्थी चाहें तो उन्हें प्रायोगिक सामग्री, विचार पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों के साथ कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है ।

2. आंकड़े एकत्र करना (अन्वेषण)

जिस समस्या का समाधान किया जाना है उसके संबंध में संभव परिकल्पनाएं बनाने हेतु आवश्यक सूचना जुटाने के लिए विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति का सहारा लेते हैं । अध्यापक उन्हें संकेत और प्रोत्साहन देकर संबंधित जानकारी चुनने में उनकी मदद करता है, जैसा कि पहले दी गयी घटना में किया गया था ।

3. आंकड़े इकट्ठे करना (परीक्षण)

दूसरे चरण में आंकड़े एकत्र करने का कार्य जारी रहता है । अंतर यह है कि संबंधित कारणों (अस्थायी कारणों) को अलग करके विद्यार्थी परिकल्पना बनाते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और कारण तथा उसके प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रक्रिया में, यदि आवश्यक हो तो, पूछताछ की प्रणाली विकसित होने पर गहन जानकारी मिलने से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर परिकल्पना में संशोधन भी किया जा सकता है ।

4. परिकल्पना को प्रतिपादित करना

तीसरे चरण के आधार पर, उलझी हुई घटना की व्यावहारिक परिकल्पना प्रतिपादित की जा सकती है या समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है ।

5. पूछताछ करने की प्रणाली का विश्लेषण

विद्यार्थी स्वयं अपनायी गयी प्रणाली का विश्लेषण करते हैं ताकि उसके गुण-दोषों की जांच की जा सके । प्रश्न पूछने का जो उपरोक्त तरीका हमने चुना है, क्या वही एक रास्ता है या हम इसके विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं ? इन विकल्पों में से कौन-सा बेहतर है ? यदि ऐसा है तो किस प्रकार से यह विकल्प बेहतर है ? प्रश्न पूछने की प्रणाली से क्या पूछताछ के अधिक प्रभावशाली तरीके ढूंढने में तथा समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी ? (उपर्युक्त घटना में यह चरण नहीं लिया गया था) ।

घटना—2

एक घटना नीचे दी गयी है । इसे पढ़े और उन तथ्यों की पहचानने को कोशिश करें जो इस घटना में लिये गये हैं । पश्चिमी भारत के पहाड़ों में बहुत से हिरण थे, जो संख्या में कहीं कम तो कहीं अधिक थे । पहाड़ों में भेड़िये भी रहते थे । एक गांव के कुछ लोगों ने भेड़ियों के एक झुण्ड को हिरणों के समूह से दो छोटे हिरण झपट कर ले जाते हुए देखा । यह देख कर गांव वाले डर गये और उन्होंने सोचा कि ये भेड़िये तो सारे हिरणों का सफाया कर देंगे । इसलिए गांव वालों ने भेड़ियों को खत्म करने का अभियान चलाया । भेड़ियों को समाप्त करने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने पाया कि हिरणों की संख्या भी काफी कम हो गयी है । जब भेड़िया हिरण का प्राकृतिक भक्षक है, तो ऐसा क्यों होना चाहिये ?

अध्यापक : क्या हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ जानकारी खोज सकते हैं ?
कीर्ति : क्या दूसरे जानवर भी हिरणों को मारते हुए देखे गये हैं ?
अध्यापक : हां, वे भी मारते हैं ।
कीर्ति : अलग-अलग तरह के जानवर ?
अध्यापक : हां ।
संजय : मुझे एक विचार आया है, अध्यापक जी ।
अध्यापक : बहुत अच्छा, संजय (मुस्कराता है) पर कृपया कीर्ति की बात पूरी होने तक प्रतीक्षा करो ।
कीर्ति : क्या शिकार और शिकारी के संतुलन का कोई संबंध इस समस्या से है ?
अध्यापक : क्या तुम इसके पक्ष में कुछ तथ्य जुटा सकते हो ?
कीर्ति : जी हां, मुझे कोशिश करने दीजिए ।

जब भेड़ियों को खत्म कर दिया गया तो तेंदुए, चीते और चील जैसे बड़े पक्षी हिरण का शिकार अधिक सफलता से करने लगे होंगे । इसलिए उनकी संख्या कम हो गयी होगी । (कीर्ति ने शायद अपनी बात पूरी कर ली थी, इसलिए अध्यापक ने संजय की ओर देखा) ।

संजय : मेरा विचार दूसरा है ।
अध्यापक : अच्छा, चलो बताओ ।
संजय : जब हिरणों के भक्षकों की मार दिया गया तो उनकी आबादी बहुत बढ़ गयी होगी । इसलिए उनके प्राकृतिक वातावरण में उन्हें जिन्दा रहने के लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए, उनकी कमी हो गयी होगी । इससे वे भूख से मरने लगे होंगे और उनकी संख्या कम हो गयी होगी ।
अध्यापक : ठीक है, क्या हम तुम्हारे विचार के पक्ष में कोई जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं ?
किपू : क्या भेड़ियों को खत्म कर दिये जाने के बाद हिरणों के प्राकृतिक वास में अधिक तेंदुए देखे गये थे ।
अध्यापक : नहीं ।
किपू : और चीते ?
शोरी : क्या भेड़ियों को खत्म कर देने के बाद उस क्षेत्र में बहुत से छाल रहित पेड़ पाये गये थे ?
अध्यापक : हाँ ।

कीर्ति : क्या ऐसे पेड़ भेड़ियों को मारे जाने से पहले भी थे ?
अध्यापक : हाँ ।
कीर्ति : क्या बाद में ऐसे पेड़ों की संख्या बढ़ गयी ?
अध्यापक : हाँ ।
कीर्ति : क्या मरे हुए हिरण दुबले-पतले थे ?
अध्यापक : हाँ, अवश्य ही कुछ ऐसे थे ।
विनीत : क्या उस क्षेत्र के हिरण नर थे ?
अध्यापक : हाँ ।
कुमार : क्या चीलें वयस्क हिरण को भोजन के लिये मारती हैं ?
अध्यापक : शायद नहीं ।
पिंकी : क्या उस क्षेत्र में काफी सर्दी पड़ती है ?
स्मिथ : हाँ ।
अध्यापक : जो परिकल्पना तुमने सुझायी है, उस पर विचार करो और देखो कि ये सूचनाएं उसमें ठीक बैठती है या नहीं ।
सुधीर : मेरे ख्याल से पहली परिकल्पना छोड़ देनी चाहिये ।
अध्यापक : ऐसा क्यों, सुधीर ?
सुधीर : उस परिकल्पना के अनुसार यह सुझाया गया था कि हिरणों की संख्या घटने का कारण दूसरे शिकारी जानवर थे । लेकिन हमने पाया कि तेंदुओं की आबादी नहीं बढ़ी थी ।
अध्यापक : शाबाश, सुधीर ।
पिंकी : (उत्सुकता से हाथ उठाते हुए) मेरे विचार से हमें दूसरी परिकल्पना को भी थोड़ा-सा बदलना होगा ।
अध्यापक : अच्छा, तो तुम बताओ ।
पिंकी : हमने पाया कि कुछ हिरण जरूर भूख से मरे होंगे क्योंकि दुबले-पतले अस्थि पिंजर अपंग थे, जिससे प्रतीत होता है कि कुछ हिरण बीमारी से भी मरे होंगे । मेरे विचार से परिकल्पना यह होनी चाहिये कि हिरण के शिकारियों को मार दिये जाने के बाद, उनकी आबादी इतनी बढ़ गयी कि प्राकृतिक साधनों की कमी पड़ गयी और वे भूख और बीमारियों का शिकार होने लगे । भेड़िये सबसे कमजोर सदस्यों को ले जाते हैं और कुल मिलाकर हिरणों का पूरा झुण्ड स्वस्थ है ।
अध्यापक : बहुत अच्छा, पिंकी ।
आलम : हमें यह नहीं मालूम कि भेड़िये ऐसा करते हैं । क्या भेड़ियों को खत्म किये जाने से पहले भी हिरणों के अस्थि पिंजर मिलते थे ? क्या वे छोटे या वृद्ध होते थे या हर आयु के होते थे ?
अध्यापक : हाँ ।
शाह : फिर तो यह ठीक बैठता है । यह पिंकी का विचार मजबूत करता है कि भेड़िये झुण्ड के सबसे कमजोर हिरणों को ले जाते हैं ।

कक्षा को संतुष्टि हो गयी कि इस परिकल्पना की पुष्टि तथ्यों से होती है ।

जिज्ञासा विकसित करने का प्रशिक्षण देने के लाभ

हालांकि जिज्ञासु बनाने का प्रशिक्षण आरंभ में प्राकृतिक विज्ञान के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसके तरीके हर विषय के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त किये जा सकते हैं । सामाजिक विज्ञान में समस्याएं विकसित करने की अनेक संभावनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने की कला का प्रशिक्षण देने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं । इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र समाज-विज्ञान में अनेक समस्याएं हैं जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए तैयार की गयी समस्याओं के रूप में किया जा सकता है ।

कोई उलझी हुई समस्या बनाना अध्यापक के लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि उसे पाठ्यक्रम के विषयवस्तु को ही ऐसी समस्याओं में परिवर्तित करना होगा, जो विद्यार्थियों को हल करने के लिए दी जा सकें । लेकिन यह देखा गया है कि प्रशिक्षण पाने के बाद अध्यापक विषयवस्तु का उपयोग करके रोचक और उलझाने वाली समस्याएं बनाते हैं ।

यह जरूरी नहीं है कि इस प्रणाली में पूरे पाठ्यक्रम का समावेश किया जावे । परन्तु हमें विद्यार्थियों को पूरा अवसर देना चाहिये ताकि वे प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित कर सकें और इस कला में दक्षता प्राप्त कर सकें ।

समेकित अभ्यास

(1) जो पाठ्यक्रम आप पढ़ाते हैं, उसमें से एक ऐसा उलझी हुई समस्या चुनिये, जिसे आप विद्यार्थियों की जिज्ञासा विकसित करने के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं । उनके लिए तथ्यों की सूची बनाइये । अपने सहयोगियों को विद्यार्थियों के रूप में लेकर उनके साथ प्रश्नोत्तर कीजिए ।

(2) जो विषय आप पढ़ाते हैं, उसमें से एक रहस्यमय कथा लेकर कम से कम दो ऐसी समस्याएं बनाइये, जिनका प्रयोग आप प्रशिक्षण कार्यक्रम से लौटने के बाद अपनी कक्षा को प्रश्न करने का प्रशिक्षण देने के लिए करेंगे ।

यह जानने के लिए कि हमने जिज्ञासा विकसित करने के प्रशिक्षण के मॉड्यूल को कहां तक समझा है, हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए :—

1—निम्न में से कौन-सा तथ्य समस्याओं से सामना करने के लिए सही नहीं है :

अ—विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिये जिनका उत्तर "हां" या "ना" में दिया जा सके ।

ब—विद्यार्थी अपनी बारी आने पर जितने चाहे प्रश्न कर सकते हैं ।

स—प्रश्न करते समय विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी व्याख्या की जांच-परख कर सकते हैं ।

द—विद्यार्थी एक-दूसरे से सलाह-मशवरा नहीं कर सकते ।

2—एक अकेली घटना के लिए तथ्य इकट्ठे करने को कहा जाता है :

अ—परिस्थितियों का परीक्षण करना ।

ब—प्रयोग करना ।

स—पुष्टि करना ।

द—तथ्यों के आधार पर व्याख्या करना ।

3—यदि विद्यार्थी यह कहे कि "संतृप्त वसा असंतृप्त से बेहतर है" तो वह :

अ—एक स्थिति को सही सिद्ध कर रहा है ।

ब—सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहा है ।

स—परिकल्पना कर रहा है ।

द—एक प्रासंगिक अस्थायी तथ्य को अलग कर रहा है ।

4—यदि विद्यार्थी यह बिल्कुल ठीक बताता है कि पानी के उबलने के तापमान पर दबाव का क्या असर पड़ता है, तो वह :

अ—प्रयोग कर रहा है ।

ब—अवलोकन कर रहा है ।

स—तथ्य इकट्ठे कर रहा है ।

द—सार प्रस्तुत कर रहा है ।

5—यदि विद्यार्थी अपने निरीक्षण के आधार पर यह कहे कि "सुंदर माता-पिता के बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं" तो वह :

अ—परिकल्पना कर रहा है ।

ब—एक प्रासंगिक अस्थायी तथ्य को अलग कर रहा है ।

स—सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहा है ।

मूल्यांकन प्रश्नों की कुंजी

1. (अ), 2. (स), 3. (ब), 4. (अ), 5. (अ)

मूल्य-परक शिक्षा

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि "समाज में अनिवार्य मूल्यों में निरंतर कमी तथा बढ़ते हुए सनकीपन के कारण पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक हो गया है ताकि शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को विकसित किया जा सके ।

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता व सामाजिक मूल्यों के ह्रास के प्रति पहली बार चिंता प्रकट नहीं की गई है, न ही पहली बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाने में शिक्षा का भारी महत्व है । जब से देश स्वतंत्र हुआ है कई समितियों तथा शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के विविध पहलुओं पर विचार किया है तथा मूल्य-परक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है ।

इस बारे में दो राय नहीं हैं कि नैतिक, आध्यात्मिक एवं सौन्दर्य परक मूल्यों के विकास में शिक्षा की विशेष भूमिका है। न कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में अध्यापकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । लेकिन मूल्य परक शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि मूल्य-परक शिक्षा क्यों, कैसे और किस प्रकार हो । इस मॉड्यूल में हम आपको यही बताना चाहते हैं ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :

—शिक्षा और मूल्यों के बीच संबंधों को समझ सकेंगे ।

—मूल्य-परक शिक्षा को आवश्यकता को समझ सकेंगे ।

—स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा के उद्देश्य व सीमा को समझ सकेंगे ।

—राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाये गए मूल्यों को जान सकेंगे ।

—मूल्य-परक शिक्षा के विभिन्न स्रोतों को जान सकेंगे ।

—मूल्य-परक शिक्षा की जटिल प्रक्रिया को समझ सकेंगे ।

—मूल्य-परक शिक्षा के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत हो सकेंगे ।

—एक शिक्षक के रूप में मूल्य-परक शिक्षा की भूमिका समझ सकेंगे ।

—बच्चों में मूल्य-परक शिक्षा के विकास के लिए समुचित अध्यापन-अनुभव कर विकास कर सकेंगे ।

मूल्य एवं शिक्षा

हमारा पहला प्रश्न है कि मूल्य और शिक्षा का क्या रिश्ता है । मूल्य का संबंध उन चीजों से है जिसकी हम कामना करते हैं या इच्छा करते हैं और उन्हें उचित मानते हैं । ये मूल्य भौतिक हो सकते हैं (जैसे घर की, अच्छे भोजन की इच्छा) या अमूर्त गुण या आदर्श हो सकेते हैं जैसे सत्य, आनन्द, शांति । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने में सहायक होती है । विद्यार्थी के चिंतन में, व्यवहार में परिवर्तन द्वारा एक अच्छे जीवन का आरम्भ किया जा सकता है । दूसरे शब्दों में शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुणों, दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा व्यवहार का विकास किया जा सकता है जो उसके लिए एवं समाज के लिए हितकारी है । शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य और लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक स्वभाव, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र ये सब अच्छे जीवन के हमारे सिद्धान्त हैं । इन सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए हम शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं । बच्चों में गुणों, ज्ञान एवं दृष्टिकोण का विकास करते हैं जो हमारी सांस्कृतिक परम्परा से विकसित होते हैं । इस प्रकार आप देखेंगे कि शिक्षा—(अपने उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं पद्धति में)—मूल्यों से पूर्णतः जुड़ी हुई है । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव-समाज अपने मूल्यों को सुरक्षित रखता है, उन्हें आगे बढ़ाता है ।

क्रियाकलाप-1

—शिक्षा पद्धति में मूल्यों का प्रवेश कैसे होता है ?

—आधुनिक युग के संदर्भ में एक आदर्श शिक्षित युवा का आप कैसे वर्णन करेंगे ?

—हमारी शिक्षा को हमारे बच्चों में क्या विकसित करना चाहिए ?
(मस्तिष्क, हृदय, स्वभाव या विभिन्न कलाओं से संबंधित गुण)

—क्या आप प्रचार की शिक्षा मानते हैं ? क्यों और क्यों नहीं ?

—समस्त शिक्षा एक अर्थ में मूल्य-परक शिक्षा है, कैसे ?

मूल्य-परक शिक्षा की जरूरत

यदि शिक्षा के हर सिद्धान्त में मूल्य बुन दिये जाएं, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, तो फिर मूल्य-परक शिक्षा की अलग से क्या जरूरत है ?

निःसंदेह हरेक अच्छी शिक्षा मूलतः मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास—(बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक)—की प्रक्रिया है । लेकिन विभिन्न कारणों से इन दिनों समग्र व्यक्तित्व के विकास के प्रति उदासीनता बरती जा रही है । आजकल शिक्षा मात्र जानकारी देने वाली प्रक्रिया बन गई है जिसका एकमात्र उद्देश्य परीक्षा पास कर डिग्री हासिल करना रह गया है । अतः जब हम मूल्य-परक शिक्षा की बात करते हैं तो हम शिक्षा के प्रभावपूर्ण उद्देश्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें मानव-व्यक्तित्व के सामाजिक, नैतिक, सौन्दर्यगत एवं आध्यात्मिक विकास का समावेश है । यही वह पक्ष है जिसकी आजकल हमारे द्वारा अवहेलना हो रही है ।

दूसरे, हम अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे सदियों से चले आ रहे स्वीकृत मूल्यों को खतरा उत्पन्न हो गया है । धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जनतंत्र एवं व्यावसायिकता, नैतिकता पर अधिकाधिक दबाव बढ़ रहा है । जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है:—औपचारिक शिक्षा एवं हमारी समृद्ध व विविध परम्पराओं के बीच विभेद बढ़ रहा है । आधुनिक तकनीक के प्रति हमारा मोह हमारी नवीन पीढ़ी को उसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जड़ों से अलग न कर दे, हमें इसका ध्यान रखना हैं । हमें संस्कृति हीनता, अमानवीयता एवं अलगाव की भावना का हर कीमत पर मुकाबला करना होगा । समाज व राष्ट्र में व्याप्त विघटनकारी शक्तियां हमारी जनतांत्रिक पद्धति की कड़ी परीक्षा ले रही हैं । जनसंख्या में वृद्धि से जनता के जीवन स्तर में कमी आ रही है । उसके कारण सामाजिक तनाव व अशांति बढ़ रही है । अपराध, हिंसा व्याप्त पीड़ा और यातना जीवन के हर क्षेत्र में फैल रही है । सामाजिक जीवन में पूर्वाग्रह और दुराग्रह का बोलबाला है । जन्मगत उच्चता समानता की प्रगति में आड़े आ रही है । हमारा भौगोलिक वातावरण—(नदियां, पहाड़, वन, पौधे तथा पशु जीवन) दूषित हो रहा है । प्राकृतिक सम्पदा व साधनों में कमी आ रही है जिससे हमारा जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा है ।

संकीर्ण जातीयता, सम्प्रदायवाद, भाषावाद एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय जनता को विभाजित कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में बाधा डाल रहे हैं । आज विश्व के सामने विश्वव्यापी परमाणु विनाश का संकट खड़ा है । आज हमें शांति एंवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है । इन सभी समस्याओं का समाधान संकीर्ण एवं टुकड़ों में किय गए प्रयासों से नहीं हों सकता चाहे वे प्रयास शैक्षणिक हों या सामाजिक । आज जरूरत है आमूल-चूल परिवर्तन की । हमें यह परिवर्तन अपने दृष्टिकोण, अपने जीवन तथा अपने वातावरण में लाना है । इसीलिए हमारी शिक्षा में मूल्यों के विकास की दिशा में सजग प्रयास की आवश्यकता है ।

क्रियाकलाप.-2

(i) क्या आप सोचते हैं कि आज हमारी शिक्षा में प्रभावपूर्ण उद्देश्यों के प्रति उदासीनता बरती जा रही है ?

(ii) इनमें बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं :

(क) छात्र-अनुशासनहीनता

(ख) हिंसा

(ग) साम्प्रदायिक विभेद

(घ) हमारे समाज में अपराधों में वृद्धि ?

(iii) क्या आप सोचते हैं कि हमारे समाज में मूल्यों का संकट है ?

(iv) क्या हमारी शिक्षा पद्धति में मूल्यों पर जोर देना जरूरी है ? क्या आप सोचते हैं कि वर्तमान मूल्यों के संकट का शिक्षा द्वारा समाधान किया जा सकता है ।

मूल्य-परक शिक्षा के क्षेत्र

जब हम मूल्य-परक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा इरादा पाठ्यक्रम में एक और नया विषय जोड़ने का नहीं है । हम सिर्फ यह चाहते हैं कि समुचित मूल्यों, दृष्टिकोणों, भावनाओं एवं व्यवहार-पद्धति का शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से विकास किया जाए और उसे ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए । हमारा कहना है कि शिक्षा निर्माण के लिए होनी चाहिए,

जानकारी, प्रशिक्षण और कोरे तथ्यों के लिए नहीं । यहां समस्या यह है कि ऐसी शिक्षा में क्या हों और स्कूली शिक्षा में इसकी क्या सीमा है ।

(क) प्रथमतः यह ध्यान रहे कि मूल्य-परक शिक्षा या निर्माण के लिए शिक्षा वह है जो हमारे व्यक्तित्व के तीन पक्षों—(जानना, अनुभव करना एवं काम करना)—को छूती हो । बच्चे को सही मूल्यों, सही भावनाओं, सही विचारों और कार्यों से अवगत कराया जाना चाहिए ।

(ख) कुछ गुण बच्चे में आदतों के रूप में ढालने होंगे, जैसे सफाई, समय पर कार्य एवं सच्चाई । मूल्यों को तार्किक ढंग से समझने का कार्य उस समय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जब बच्चा तर्क करने की स्थिति में ही । मूल्य-परक शिक्षा बच्चे की मनोवैज्ञानिक तैयारी और अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए ।

(ग) ऊपर हम जिन मूल्यों का उल्लेख कर चुके हैं (जैसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति, समानता, पर्यावरण संरक्षण, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता) वे सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए जरूरी हैं । सिर्फ हमारा तरीका और गतिविधियां बच्चे की उम्र और कक्षा के स्तर की होनी चाहिए । आरंभिक स्तर पर मूल्य-परक शिक्षा ठोस गतिविधियों एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए ? बड़े होने पर छात्र स्वयं मूल्यों की तार्किकता को समझ सकेगा और उन्हें विचार व कार्य रूप में ढाल सकेगा । इसके लिए हमें उस व्यवहार व विचार के लिए उचित अवसर देने होंगे ।

सामान्यतया स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए :

(क) बच्चों में नैतिक, सौन्दर्यगत, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भावनाएं विकसित करना ।

(ख) छात्रों में जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ विकसित करना ।

(ग) बच्चों में इन मूल्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना ।

(घ) छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान कराना कि वे इन मूल्यों को जीवन में उतार सकें ।

क्रियाकलाप–3

(i) **क्या स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा एक अलग विषय होना चाहिए ?** (ii) **प्राथमिक स्कूलों में मूल्य-परक शिक्षा के कौन से मुद्दे उचित होंगे ?** (iii) **माध्यमिक स्तर पर मूल्य-परक शिक्षा के कौन से मुद्दे उचित होंगे ?** (iv) **प्राथमिक स्कूल के बच्चों में आप अन्य किन मूल्यों को आदतों के रूप में देखना चाहेंगे ?**	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

शिक्षा किन मूल्यों पर जोर दे

वे कौन से मूल्य हैं जिन्हें हम बच्चों में विकसित करना चाहेंगे । उनकी सूची बनाने का प्रयास करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि मानव अकेला "शून्य" में नहीं रहता । वह एक वर्ग का, समाज का, राष्ट्र व विश्व समुदाय का सक्रिय सदस्य है । अतः एक व्यक्ति की मूल्य-परक शिक्षा उसके विशिष्ट सामयिक व सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी होनी चाहिए । साथ ही साथ वह विश्वजनीन व शाश्वत मूल्यों से भी संबद्ध होनी चाहिए ।

आज हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय प्रश्न क्या हैं और वे मूल्य-परक शिक्षा से क्या मांग कर सकते हैं ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है :

"हमारे बहु-वर्गीय समाज में शिक्षा को सर्वव्यापी और शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि भारतीय जन में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े और संकीर्ण सम्प्रदायवाद, धार्मिक अतिवाद, हिंसा, अन्धविश्वास व भाग्यवाद को समाप्त किया जा सके ।

इस संघर्षपूर्ण भूमिका के अलावा मूल्य-परक शिक्षा में हमारी सांस्कृतिक परम्परा, राष्ट्रीय उद्देश्य तथा विश्वजनीन सिद्धान्तों पर आधारित सकारात्मक तत्व भी होने चाहिए । इस पक्ष पर हमें सर्वाधिक बल देना चाहिए ।"

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को रूपरेखा के अनुसार उपरोक्त सर्वव्यापी मूल्य हमारे संविधान में मौजूद हैं । ये मूल्य हैं : स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जनतंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, सभी भारतीयों को इनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए ।

शिक्षा द्वारा मानव मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए, यह विचार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल अंग है । इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें ऐसे राष्ट्रीय मूल्यों का निर्माण करना चाहिए जो सभी को मान्य हों तथा उनसे एक ऐसी मान्यता एवं मूल्य पद्धति की रचना होनी चाहिए जो भारतीय व्यक्तित्व को मजबूत कर सके । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धान्तों के अन्तर्गत भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले आवश्यक विषय शामिल होंगे । ये मूल सिद्धान्त विविध पाठ्य-विषयों के साथ जुड़े होंगे तथा उनका उद्देश्य होगा :—

— हमारी समान सांस्कृतिक विरासत

— समानता, जनतंत्र एवं समाजवाद

— स्त्री-पुरुषों की समानता
— पर्यावरण की सुरक्षा
— सामाजिक विभेदों को दूर करना
— छोटे परिवार के सिद्धान्तों का पालन
— वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

इन मूल्यों के अतिरिक्त हम यह भी चाहेंगे कि भारतीय जनता धर्मनिरपेक्षता, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, राष्ट्रीय एकता तथा श्रेष्ठता की खोज जैसे मूल्यों को भी विशेष महत्त्व दे ।

क्रियाकलाप–4

(i) आपके विचार से हमारी शिक्षा में किन मूल्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए ? (ii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता व समानता की व्याख्या कीजिए । (iii) निम्नलिखित मूल्यों के विकास का औचित्य बताइए : प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति सम्मान, छोटा परिवार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक विभेद की समाप्ति, शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग । (iv) हमारे संविधान में किन मूल्यों का उल्लेख है ? उनकी महत्ता बताइए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

मूल्य-परक शिक्षा की प्रक्रिया

मूल्यों का विकास कोई आसान काम नहीं है । हमारे पास ऐसी न कोई जादुई छड़ी है, न कोई तकनीक या समर-नीति है जिससे हाथों हाथ यह विकास हो सके । वस्तुतः मूल्य-परक शिक्षा की प्रक्रिया काफी कठिन है जो वंशगत एवं वातावरण के कई तत्वों से प्रभावित होती है । अधिक विस्तार में गये विना आइए अब हम मूल्य-परक शिक्षा के कुछेक सामान्य तथ्यों का आकलन करें :

(क) व्यापक रूप में मूल्य-परक शिक्षा के अन्तर्गत इन सबका समावेश है : मूल्यों के प्रति संवेदना, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के संदर्भ में सही मूल्य चुनना, उन्हें आत्मसात करना, उन्हें जीवन में उतारना और उन्हें व्यवहार में लाना । अतः यह एक समयवद्ध कार्य नहीं है वल्कि जीवनभर हमें इसकी खोज करनी है और अपने जीवन में उतारते रहना है ।

(ख) मूल्यों का विकास आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है जैसे घरेलू वातावरण, साथी-सहयोगी, समुदाय, प्रचार तंत्र तथा समाज । शिक्षा हमारे समाज की एक सहायक पद्धति है जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है लेकिन संकट के समय शिक्षा को एक रचनात्मक भूमिका निभानी होती है और सही मार्ग की ओर ले जाना होता है । अतः बच्चों को मूल्य-परक शिक्षा देने में स्कूलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । लेकिन स्कूल किस सीमा तक मूल्य-परक शिक्षा दे सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का वातावरण कैसा है और अध्यापक कितने आदर्शवादी हैं ।

(ग) अन्य अर्थों में भी मूल्य-परक शिक्षा जटिल प्रक्रिया है । इसमें सभी मानवीय पक्ष (जानना, विचारना तथा करना) शामिल हैं । बच्चों को न केवल सही और अच्छी बातें जाननी चाहिए लेकिन उन्हें सही बातों के प्रति भावनात्मक लगाव होना चाहिए तथा सही बातें जीवन में उतारनी भी चाहिए । दूसरे शब्दों में मूल्य-परक शिक्षा ज्ञान के सभी क्षेत्रों को छूती है । उसमें तार्किक ढंग से सोचने का, भावनाओं का तथा इच्छा शक्ति का विकास होता है ।

(घ) बच्चों को "मूल्यों" का ज्ञान क्रमशः होता है । नैतिक शिक्षा में शोध से पता चलता है कि विकास के तीन चरण है : (i) पूर्व-नैतिक चरण—जब बच्चा सजा से बचने तथा पुरस्कार पाने के लिए कार्य करता है । (ii) परम्परागत मूल्यों का पालन—इसके अन्तर्गत बच्चा दूसरे की पसंद या नापसंद को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। (iii) स्वतंत्र नैतिकता का चरण—इसमें बच्चा अपनी आत्मा की आवाज व दूसरों के प्रति सम्मान के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करता है । यहां महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मूल्य-परक शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण बच्चे के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए ।

क्रियाकलाप–5

(i)	ऊपर जो सामान्यीकरण किया गया है उसके उदाहरण दें ।
(ii)	"यदि हम जानते हैं कि सही क्या है तो हम सही काम करेंगे ।" क्या आप इससे सहमत हैं ?
(iii)	"भावनाओं की शिक्षा" से आपका क्या अर्थ है ?
(iv)	"हम छात्रों से सही व्यवहार चाहते हैं और ऐसा सही कारणों से चाहते हैं ।" क्या आप इससे सहमत हैं ?
(v)	छोटे और बड़े बच्चों में निम्नलिखित दुर्गुणों के क्या कारण हैं : झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना ।
(vi)	बच्चों में मूल्य-परक शिक्षा के विकास में आप परिवार का सहयोग कैसे लेंगे ?
(vii)	प्रचार तंत्र में मूल्यों के विकास के विरुद्ध जो हो रहा है उसका आप किस प्रकार प्रतिरोध करेंगे ?
(viii)	प्रत्येक मूल्य के प्रति बच्चे में ज्ञानपूर्ण समझ, सही भावना का विकास तथा उसे व्यवहार में लाने की ललक जगानी चाहिए । जानना, विचारना तथा इच्छा करना—इस संदर्भ में पर्यावरण चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य मूल्यों को समझाइये ।

मूल्य-परक शिक्षा के स्रोत

इसके कई स्रोत हैं और अध्यापक को उनका समुचित उपयोग करना चाहिए । प्रथमतः स्कूली पाठ्यक्रम के नियमित विषयों में मूल्यों का भण्डार छिपा है । हर विषय के अन्तर्गत मूल्य, दृष्टिकोण और पद्धति होती है जो उसकी अपनी विशेषता है । उदाहरण के लिए विज्ञान के साथ स्वतंत्र खोज, सत्य के प्रति निष्ठा तथा गणित में तार्किक विचार, सुघड़ता एवं संक्षिप्तीकरण का गुण है । इसी प्रकार साहित्य और इतिहास के अपने विशिष्ट मूल्य हैं । एक विषय का उचित अध्यापन सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है बल्कि बच्चे में उस विषय के साथ जो तार्किक व भावना संबंधी मूल्य हैं उन्हें समझाना है । कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमेशा हर विषय के मूल्यगत पक्ष को ही उजागर किया जाए । कहने का अर्थ यह है कि विषय का अच्छी तरह से अध्यापन मूल्यों को समझाए बिना नहीं होता । मूल्य उसका अविभाज्य हिस्सा है ।

विषयों के अतिरिक्त कई ऐसी सहायक गतिविधियां भी हैं जो बच्चों में मूल्यों के विकास का महत्त्वपूर्ण साधन हैं । स्वशासन, विभिन्न क्लबों व संघों का निर्माण, एन. सी. सी., स्काउट, गर्ल्स गाइड, रेडक्रास, खेलकूद, भ्रमण तथा सेवा व सफाई कार्य आदि से भी बच्चों में समान लक्ष्यों व आदर्शों के लिए मिल-जुलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है । बच्चों में रचनात्मक एवं विशिष्ट बौद्धिक विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक रुचि जगाने के साथ ही साथ अन्य गतिविधियों द्वारा उनमें जनतांत्रिक भावना, उत्तरदायित्व, सहयोग, सहिष्णुता तथा धर्म निरपेक्षता की भावना जगाई जा सकती है । इन गतिविधियों से उन्हें व्यावहारिक जीवन में मूल्यों को सीखने का अवसर मिलता है । ऐसी गतिविधियों का आयोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उद्देश्य क्या हैं ।

कई बार स्कूल का वातावरण ही मूल्यों का सृजन करता है । टैगोर तथा गांधीजी ने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं में रचनात्मक वातावरण के निर्माण पर बल दिया है । स्कूल वातावरण का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है । स्कूल कहां स्थित है ? उसकी कार्य पद्धति, परम्पराएं व आदर्श क्या हैं ? अध्यापक, छात्र, माता-पिता कैसे हैं ? दूसरे शब्दों में स्कूल की प्रकृति क्या है ? जहां उच्च आदर्श स्कूल को संचालित करते हैं, जहां अध्यापक निष्ठापूर्वक अपना कर्त्तव्य निभाते हैं, जहां छात्रों, माता-पिता, अध्यापक व समुदाय में आपसी सम्मान, स्नेह और प्यार है वहां बच्चों में मूल्यों व आदर्शों का स्वतः विकास होता है । लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे वातावरण का निर्माण धीरे-धीरे होता है और उसके लिए छात्रों, अध्यापकों एवं माता-पिता का सहयोग आवश्यक है । बड़े-बड़े शिक्षा-विशेषज्ञ अपनी संस्थाओं में अपने व्यक्तिगत प्रयास व कठिन श्रम से ही ऐसा वातावरण बना सके थे ।

क्रियाकलाप–6

(i)	मूल्य-परक शिक्षा का कोई अन्य स्रोत बताइये ।	
(ii)	उन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें इतिहास व साहित्य के अध्ययन द्वारा विकसित किया जा सकता है ।	
(iii)	ऐसी घटनाओं (इतिहास में या किसी महापुरुष के जीवन में या वर्तमान सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में) का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा आप प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लैंगिक समानता, श्रम की महत्ता प्रकट कर सकते हैं ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए
(iv)	उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो मिलकर अच्छे स्कूली वातावरण का निर्माण करते हैं ।	
(v)	एक ऐसी लिखित योजना बनाइए जिसके द्वारा : —पर्यावरण चेतना—सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति रुझान व —शांति का महत्त्व बताया जा सके ।	

(vi) अध्यापन व सीखने की उप-पद्धति का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा —अंधविश्वास —पूर्वाग्रह व —भाग्यवादी दृष्टिकोण का मुकाबला किया जा सके ।	

मूल्य-परक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

मूल्य-परक शिक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रसंगवश दी जा सकती है । प्रत्येक मूल्य-परक शिक्षा सोच-विचार कर, व्यवस्थित ढंग से एक विशेष समय में स्कूल में दी जाती है । कई राष्ट्रों में नैतिक शिक्षा इसी प्रकार दी जा रही है । जिन मूल्यों पर जोर देना होता है उन्हें दृष्टिगत करते हुए कहानियों, लोक कथाओं, चुटकुलों व नैतिक समस्याओं तथा वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं को चुना जाता है । अप्रत्यक्ष मूल्य-परक शिक्षा नियमित विषयों तथा विविध गतिविधियों द्वारा दी जा सकती है । प्रसंगवश मूल्य-परक शिक्षा का सहारा किसी विशेष घटना या स्थिति में लिया जाता है जैसे स्कूल के किसी बच्चे ने साहस या बहादुरी का कोई कार्य किया हो या अनुशासन भंग किया हो या नैतिक दृष्टि से गलत कार्य किया हो, जैसे चोरी, बेईमानी आदि । ऐसी स्थिति में अच्छी बात को आदर्श रूप में तथा गलत बात को अस्वीकृति के रूप में निरूपित किया जाता है ।

हर दृष्टिकोण की अपनी अच्छाइयां व कमजोरियां हैं । उनका उचित उपयोग होना चाहिए । यहां इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों में कितनी परिपक्वता है और वे दिल, दिमाग व इच्छा से उसमें शामिल होते हैं या नहीं । चरित्र-निर्माण की शिक्षा सम्पूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित होती है । इसके लिए अध्यापकों को कई गतिविधियों व नीतियों का सहारा लेना पड़ता है । इनमें प्रमुख है :

—अध्यापन, विश्लेषण व विचार विमर्श (ताकि नैतिक, सौन्दर्यगत एवं सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में ज्ञान को बढ़ाया जा सके) ।

—अच्छी आदतों का प्रशिक्षण ।

—कलाकृतियों, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं नैतिक कार्य (ताकि मूल्यों की भावना जगाई जा सके) ।

—ऐसी स्थितियों व अवसरों का निर्माण (जिससे मूल्यों की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और मूल्यों के प्रति उनमें संवेदना जगाई जा सके) ।

स्कूल के भीतर और बाहर विविध अनुभव बच्चों को मूल्यों को जीवन, कार्य व व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देंगे ।

क्रियाकलाप—7

विचार विमर्श के लिए प्रश्न

(i) पर्यावरण, शांति, जनतंत्र, धर्म निरपेक्षता व समानता की भावना के प्रसार के लिए कुछेक अनुभवों व घटनाओं का उल्लेख कीजिए ।

(ii) उन घटनाओं/स्थितियों की सूची बनाइए जो स्कूल में हो सकती हैं और जिनका उपयोग प्रसंगवश मूल्य-परक शिक्षा के लिए किया जा सकता है ।

(iii) उन विविध सहायक गतिविधियों का उल्लेख कीजिए जिनके आयोजन से बच्चों में मूल्यों को प्रेरित किया जा सके।

(iv) जनतांत्रिक मूल्यों के प्रोत्साहन के लिए आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे ?

अध्यापक की भूमिका

मूल्य-परक शिक्षा में आपकी क्या भूमिका है ? प्रथमतः आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मूल्य-परक शिक्षा आपके अध्यापन की सभी गतिविधियों से अलग चीज नहीं है । स्कूल के भीतर और बाहर विभिन्न गतिविधियों (अध्यापन, छात्रों के साथ सम्पर्क व अन्य गतिविधियों) द्वारा मूल्यों का सतत निर्माण होता है । स्कूल के सामान्य ढर्रे व तथाकथित "अदृश्य" गतिविधियों द्वारा भी मूल्यों का विस्तार होता है । अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक अध्यापन व्यवसाय के सर्वोच्च आदर्शों को लेकर ही आगे बढ़ें । इससे स्कूल का वातावरण अच्छा बनेगा । इससे ऊँचे आदर्शों एवं मूल्यों के निर्माण में सहायता मिलती है । मूल्य-परक शिक्षा के जिन विविध पहलुओं पर हमने ऊपर विचार किया है उसका सारांश तथा अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित निर्देशों (करें/न करें) में स्पष्ट है :

(क) स्कूल में प्रेम, विश्वास व सुरक्षा का वातावरण पैदा करें (याद रहे बच्चे डर के कारण झूठ बोलते हैं, असुरक्षा की भावना आक्रामक व्यवहार पैदा करती है) ।

(ख) बच्चे को समझें । उसके विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपनी अध्यापन-पद्धति का निर्माण करें (छोटे बच्चे झूठ, कल्पना व सत्य के बीच भेद नहीं कर सकते न वे सत्य का सिद्धान्त समझते हैं । इसी प्रकार चोरी करना बुरा है, इस बात का बच्चों के लिए तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वह सम्पत्ति के सिद्धान्त को नहीं समझता) ।

(ग)) मूल्य-परक शिक्षा को ठोस स्थितियों के साथ जोड़ें । विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा उपदेशक व आह्वानकर्त्ता न बनें ।

(घ) मूल्य-परक शिक्षा सह-पाठ्यक्रम की गतिविधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दें । बच्चों को जीवन की परिस्थितियों से सीखने दें ।

(ङ) जानबूझकर प्रत्यक्ष मूल्य-परक शिक्षा का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें । उपदेशात्मक पद्धति की अपनी सीमाएं हैं ।

(च) यह न भूलें कि कोई भी विषय पढ़ाते समय आप (जाने या अनजाने में) मूल्य-परक शिक्षा देते हैं । छात्र को विषय के समस्त पहलुओं (जानकारी, तर्क, बौद्धिक तत्व) से परिचित कराएं ।

(छ) याद रहे आप अपने समस्त व्यक्तित्व से छात्र को प्रभावित करते हैं । आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन खण्डों में नहीं अपितु पूर्ण व्यक्ति के रूप में होता है । अपने व्यक्तित्व का विकास करें ।

(ज) आप उदाहरण बनें । इसका अर्थ यह नहीं है कि आप गुणों के भण्डार हीं हीं । इसका अर्थ है कि आप छात्रों के प्रति व्यवहार में ईमानदार रहे । यदि आपको अपने विषय से प्रेम है तो बच्चा भी उससे प्रेम करेगा । यदि आप समय पर आते हैं, उत्तरदायी हैं, उदार हैं तो छात्र भी आपका अनुसरण करेगा ।

(झ) याद रहे मात्र अनुसरण ही शिक्षा नहीं है । हम तो यह चाहते हैं कि बच्चा अन्धश्रद्धा, परम्परा व रिवाजों के आधार पर कार्य न करे वरन् तर्क के आधार पर व्यवहार करे । यही मूल्य-परक शिक्षा का सारांश है ।

क्रियाकलाप–8

1. स्कूल के वातावरण को सुधारने के लिए आप नया कदम उठा सकते हैं । कुछ सुझाव दीजिए । 2. ऊपर (क) और (ग) में दिए गए सुझावों को दृष्टिगत करते हुए अपने स्कूल में वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

मॉडयूल–9 सी

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक

एक दृष्टिपात

भारत एक स्वतंत्र देश है । विश्व के सभी स्वतन्त्र देशों का अपना झण्डा, गीत और चिन्ह हैं । भारत का भी अपना तिरंगा झण्डा है । अपना गीत है "जन गण मन" और अपना चिन्ह है "अशोक चक्र" । ये हमारे राष्ट्र के तीन राष्ट्रीय प्रतीक हैं । ये हमारी एकता और पहचान के प्रतीक हैं । ये देश के स्वतन्त्रता-संग्राम से जन्में है । इस मॉड्यूल का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना है ।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पढ़ने के पश्चात् आप :

(1) बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों का अर्थ व महत्व बता सकेंगे ।

(2) ऐसी गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे जिनसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलेगा ।

हमारा राष्ट्रीय झण्डा

आपने देश के सभी शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा देखा होगा । देश के बाहर आपको यह भारतीय दूतावासों के भवनों पर लहराता मिलेगा । आपके स्कूल में भी स्वतन्त्रता समारोह के अवसर पर सम्मान व आदर से इसे लगाया जाता है ।

हमारा राष्ट्रीय झण्डा 22 जुलाई 1947 में अस्तित्व में आया था । इसमें समान चौड़ाई की तीन पट्टियां हैं, जिनके रंग हैं—भगवा (नारंगी), सफेद और हरा । इसमें तीन रंग हैं इसलिए इसे "तिरंगा" भी कहते हैं ।

यह आयताकार है । इसकी लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है । इसका मतलब है, अगर लम्बाई 15 सेन्टीमीटर है तो चौड़ाई 10 सेन्टीमीटर होगी । सबसे ऊपर भगवा रंग है । इस रंग का अपना लम्बा इतिहास व परम्परा है । यह उन वीरों की देशभक्ति व बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी बलि दी है । अतीत में राजपूत सैनिक युद्धभूमि पर जाते समय भगवा रंग के कपड़े पहनते थे । साधु-सन्यासी भी यही रंग पहनते हैं । अतः यह त्याग व पराक्रम का प्रतीक है ।

इसके बीच का रंग सफेद है । यह सत्यता और शुद्धता का प्रतीक है । इसका अर्थ है कि हमारे शब्द एवं कार्य सत्य पर आधारित होने चाहिए । हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए । महात्मा गांधी कहते थे : सत्य ही ईश्वर है । इन दोनों गुणों को सभी धर्मों में रेखांकित किया गया है । सफेद रंग हमें प्रेरणा देता है : सत्यता, शुद्धता और सरलता की । यह "शान्ति" का भी परिचायक है ।

इसके नीचे का रंग हरा है । हरा रंग जीवन और समृद्धि का द्योतक है । यह हमें हमारे देश की उपजाऊ मिट्टी की याद दिलाता है जो कि प्रकृति का वरदान है । हमें इस उपजाऊ धरती पर कड़ी मेहनत करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाया जा सके । तभी हम निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं और देश में समृद्धि ला सकते हैं । हरा रंग "विश्वास" का द्योतक भी है ।

इस प्रकार हमारा तिरंगा हमें हमारे गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है, सत्यनिष्ठा, शुद्धता व सरलता के लिए प्रेरित करता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए कड़ी मेहनत का आह्वान करता है ।

आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच सफेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना है । इसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है । वाराणसी के पास सारनाथ में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में एक स्तम्भ बनवाया था । यह अशोक स्तम्भ के नाम से प्रसिद्ध है ।

राष्ट्रीय झण्डे में जो चक्र बना है वह अशोक स्तम्भ से ही लिया गया है । झण्डे में यह चक्र श्वेत पट्टी की चौड़ाई का होता है । इसमें 24 अरे होते हैं । अशोक स्तम्भ में चक्र धर्म का प्रतीक है । चक्र गति और प्रगति का द्योतक है । हमारे झण्डे में जो चक्र है वह हमारी जनता को धर्म के पथ पर प्रगति की प्रेरणा देता है ।

यह झण्डा हमें स्वतन्त्रता संग्राम की भी याद दिलाता है । भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का झण्डा भी लगभग ऐसा ही था । उसमें सिर्फ इतना अन्तर था कि चक्र के स्थान पर चरखा बना था । चरखा महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था । उन्हें विश्वास था कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी चरखे की सहायता से स्वतन्त्रता संग्राम में अपना योगदान दे सकता है। स्वतन्त्रता के बाद चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली । इस प्रकार यह ध्वज हमारे वर्तमान को अतीत से जोड़ता है ।

क्या आप तिरंगे झण्डे से मिलते-जुलते अन्य राष्ट्रीय ध्वजों का पता लगा सकते हैं ? राष्ट्रीय झण्डे को सम्मान व आदर देना हमारा कर्त्तव्य है । पर क्या आप जानते हैं कि आप यह सम्मान व आदर कैसे दे सकते हैं ? राष्ट्रीय झण्डे को फहराते समय हमें कुछ सुनिश्चित नियमों का पालन करना होता है । सबसे पहले ब्लैकबोर्ड पर अपनी जानकारी के मुताबिक इन नियमों की सूची बनाएं । उसके बाद नीचे दी गई सूची से उसकी तुलना करें और देखें कि आपने सभी नियमों का उल्लेख किया है या नहीं ।

सूची

—झण्डा लगाते समय भगवा रंग ऊपर होना चाहिए ।

—कोई भी झण्डा या चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या दाईं ओर नहीं रखा जाना चाहिए ।

—अन्य झण्डे राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर लगाए जाने चाहिए ।

—अगर झण्डे एक लाइन से लगाए जाते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा होना चाहिए ।

—जलूस या परेड में राष्ट्रीय ध्वज दाईं तरफ होना चाहिए या और झण्डों के एकदम मध्य में ।

—सामान्यतः राष्ट्रीय झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय, उच्चायुक्त और समाहर्ता कार्यालय जैसे प्रमुख सरकारी भवनों पर ही लगाया जाना चाहिए ।

—गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयन्ती एवं अन्य राष्ट्रीय दिवसों पर आप अपने यहां राष्ट्रीय झण्डा पहरा सकते हैं । लेकिन इन अवसरों पर भी कारों या अन्य वाहनों पर इसे नहीं लगाया जाना चाहिए ।

—राष्ट्रीय झण्डा या इसकी प्रतिकृति व्यापार या व्यवसाय के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए ।

—राष्ट्रीय झण्डे को सूर्यास्त के समय उतार लेना चाहिए ।

हमारा राष्ट्रीय चिन्ह

अगर आपकी जेब में कोई सिक्का या नोट है तो उसे निकालकर गौर से देखिए । आपको उस पर राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई देगा । छोटे से छोटे सिक्के और बड़े से बड़े नोट पर यह चिन्ह अंकित है । यह सभी सरकारी पत्रों और पुस्तकों पर भी आपको मिलेगा । यह चिन्ह वस्तुतः शासन की "आत्मा" है ।

राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में बने अशोक स्तम्भ से लिया गया है । इसका हम राष्ट्रीय झण्डे के संदर्भ में पीछे उल्लेख कर चुके हैं । अशोक स्तम्भ में मूलतः चार सिंह हैं लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं । चौथा हम नहीं देखें सकते । चक्र के दाईं ओर एक बैल बना है और बाईं ओर एक घोड़ा । अगर आप इस चिन्ह को ध्यान से देखें तो एकदम दाईं और बाईं तरफ अन्य चक्रों की रेखाएं दिखाई पड़ेंगी । चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है : "सत्यमेव जयते" जिसका अर्थ है—केवल सत्य की जय होती है ।

राष्ट्रीय झण्डे के समान राष्ट्रीय चिन्ह का भी बहुत महत्त्व है । चक्र, जैसा कि आप जानते ही हैं, गति और प्रगति का प्रतीक है । सिंह शक्ति और ओजस्विता का द्योतक है तो घोड़ा ऊर्जा व गति का और बैल कठोर श्रम एवं स्थिरता का । यही वे गुण हैं जिन्हें हमारे देश के लोगों में होना चाहिए जिससे हमारी दुनिया बेहतर बन सके । आपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा है । क्या आप जानते हैं कि अंतिम युद्ध ने सम्राट अशोक का मन-मानस बदल दिया था और वह अहिंसा, शांति और भ्रातृत्व का पुजारी बन गया था । उसी के बाद उसने अपने बेटे, बेटी और अन्य लोगों को शान्ति व भ्रातृत्व के सन्देश के प्रचार व प्रसार के लिए भेज दिया था । सम्राट अशोक का यह स्तम्भ-शीर्ष अपनाकर हमने शांति और भ्रातृत्व में अपने विश्वास को उजागर किया है ।

राष्ट्रीय गीत

आपने देखा होगा स्कूल में स्वतन्त्रता दिवस मनाते समय राष्ट्रीय गीत गाया जाता है । वस्तुतः राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं । राष्ट्रीय झण्डा फहराने के बाद आप राष्ट्रीय गीत गाते हैं । राष्ट्रीय झण्डे की तरह राष्ट्रीय गीत भी एकता का सन्देश देता है ।

हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना महान कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने की थी । अपने विद्यार्थियों से पूछिए कि रवीन्द्र नाथ ठाकुर को अपनी पुस्तक 'गीतांजलि' के लिए नॉबेल पुरस्कार कब मिला था । महान कवि को ब्रिटिश राजा द्वारा 'नाइट' की पदवी से सम्मानित किया गया था—इस घटना के बारे में भी जानकारी हासिल कीजिए । उनके संबंध में और अधिक पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वे केवल महान कवि ही नहीं, अपितु महान देशभक्त भी थे ।

संविधान समिति में राष्ट्रीय गीत के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी । कई गीतों पर विचार किया गया था । अन्ततः 24 जनवरी 1950 में इस गीत को चुना गया था । मूलतः इसमें 5 पद हैं । लेकिन राष्ट्रीय गीत के रूप में केवल पहला पद ही लिया गया है । 27 दिसम्बर 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवसर पर यह पहली बार गाया गया था ।

राष्ट्रीय गीत में हमारी मातृभूमि की प्रशंसा है । इसमें सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का संदेश है । राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय जैसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है वैसे ही इसे गाते समय या जब इसकी धुन बजाई जाती है तब निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है :

—जब राष्ट्रीय गीत गाया जाता है या इसकी धुन बजाई जाती है तो सबको सीधे खड़े होना चाहिए ।

—राष्ट्रीय गीत याद होना चाहिए एवं इसका अर्थ आना चाहिए । इसे ठीक से गाया जाना चाहिए ।

—समूह में इसे सबको एक स्वर में पूरी शक्ति से गाना चाहिए ।

—सब जगह और सब अवसरों पर शांत सीधे खड़े होकर और स्वर में गाकर इसके प्रति आदर दिखाया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय गीत

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात मराठा
द्राविड़-उत्कल बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मागे,
गाहे तव-जय-गाथा ।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय, जय हे ।

उद्देश्य

1—स्कूल में गणतन्त्र दिवस एवं स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है । इन अवसरों पर स्कूलों में प्रायः झण्डा फहराया जाता है और राष्ट्रीय गीत गाया जाता है । बच्चों का झण्डे के आकार-प्रकार और रंग से तो परिचय होगा ही । ऐसे अवसर पर ही उन्हें बताया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए । यह आवश्यक है कि बच्चे राष्ट्रीय गीत का अर्थ जानें । आप उन्हें यह भी बताएं कि इसे कैसे गाया जाता है ।

2—प्रत्येक स्कूल का अपना चिन्ह होती है जिसमें स्कूल द्वारा चुना गया "आदर्श वाक्य" लिखा रहता है । स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे उसका आदर करें । यह चिन्ह स्कूल की "पहचान" और "एकता" का प्रतीक होता है । इन भावनात्मक विशिष्टताओं के कारण ही स्कूल शैक्षणिक परिणामों, खेल प्रतियोगिताओं और पाठ्येत्तर गतिविधियों में अच्छे से अच्छा करना चाहता है । इसी प्रकार देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी हम से सर्वोच्च आदर व सम्मान की आशा करता है । हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर यह वाक्य लिखा है "सत्यमेव जयते" जिसका अर्थ है : केवल सत्य की जय होती है । यह वाक्य मुण्डक उपनिषद् से लिया गया है । इसके तीन भाग (मुण्डक) हैं । और प्रत्येक भाग के दो खण्ड हैं । तीसरे मुण्डक में कहा गया है—

"सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ।।"
(सिर्फ सत्य की जय होती है, झूठ की नहीं ।
सिर्फ सत्य ही हमारे देश को प्रगति व समृद्धि के मार्ग पर ले जाएगा ।)

3—राष्ट्रीय गीत के अलावा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अन्य गीत भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं । राष्ट्रीय जीवन में उनका भी अपना महत्व है । ये विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं । छात्रों को उन्हें जानना चाहिए और गाना आना चाहिए । आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भारत के राष्ट्रीय ध्वज से मिलते-जुलते अन्य राष्ट्रीय झण्डे अपनी कापी में बनाएं । पहले आप उन झण्डों को ब्लैकबोर्ड पर बनाइए, उनमें रंग भरिए और प्रत्येक झण्डे के नीचे देश का नाम लिखिए ।

4—15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था । उसकी रिपोर्ट नीचे दी जा रही है । बच्चों को वह रिपोर्ट पढ़वाएं । पहले स्वतन्त्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर दिए गए भाषण के बारे में उन्हें बताएं और उसका सारांश लिखवाएं

जब लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया था । इस अवसर पर 15 अगस्त 1947 के 'नेशनल हैरल्ड' में प्रकाशित रिपोर्ट इस प्रकार है :

"प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अर्थात् भारतीय शासन ने प्रातः 8.30 बजे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया । इस समय लगभग ढाई लाख लोग वहां उपस्थित थे ।"

भारी जनसमूह को सम्बोधित करते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा :

"आप हिन्दुस्तान की आजादी की निशानी, इस झण्डे को इज़्ज़त देने के लिए यहां जमा हुए हैं । सिर्फ आपकी ही नहीं, सारी दुनिया के लाखों-करोड़ों लोगों की आंखें इस पर लगी हैं ।"

वे प्रातः ठीक 8.10 पर लाल किले पहुँचे । सरदार बलदेव सिंह (रक्षामंत्री) और दिल्ली क्षेत्र के कमाण्डर मेजर जनरल करिअप्पा ने उनका स्वागत किया । लेडी माउण्टबेटन, सरदार पटेल और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भी वहां उपस्थित थे । प्रधानमंत्री ने आर० आई० ए० एफ० सिख इन्फेन्ट्री और आर० आई० एन० के "गार्ड ऑफ ऑनर" का निरीक्षण किया । अपने भाषण में उन्होंने कहा:

"कल से हिन्दुस्तान और उसके सभी शहरों व गांवों के लिए नई जिन्दगी शुरू हुई है । आपको मालूम है कि पिछले 27 सालों में क्या कुछ हुआ है । इस झण्डे के नीचे हमने आजादी को लड़ाई लड़ी है और खून की बलि चढ़ाई है । मुझे यहां इतिहास को नहीं दोहराना है । आज यह न आपकी जीत है न मेरी, यह सारे मुल्क की जीत है । लड़ाई का हमारा तरीका है, हम अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करें......... हमारी आजादी एशिया के कई दूसरे मुल्कों की आजादी की तरफ हमारा ध्यान मोड़ती है । यह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की खुशी का दिन है ।

इस किले ने बहुत उतार चढ़ाव देखें हैं लेकिन आज हम यहां वह लेने आए हैं जो हमारा अपना है ।" सशस्त्र सेनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि वे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय हैं । वे राष्ट्र की थी, किसी बाहरी ताकत की नहीं । राष्ट्र और इसके झण्डे के सम्मान की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है ।

आप सब कसम खाएं—हम मिलजुल कर रहेंगे और अपनी आजादी और अपनी तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे । हालांकि हमने आजादी हासिल कर ली है लेकिन यह हमारे सफर का सिर्फ पहला कदम है, हमारा यह सफर अभी बहुत लम्बा है............ "

भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहानी भी नीचे दी गई है । अध्यापक को इसे बच्चों के सामने पढ़कर सुनाया जाना चाहिए । अध्यापक को बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि राष्ट्रीय झण्डे को इस रूप में यूं ही एकाध गोष्ठियों में विचार विमर्श करके नहीं अपना लिया गया बल्कि वर्षों के वाद-विवाद के बाद इसके विकास के कई चरणों को ध्यान में रखते हुए संविधान समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया था । इसके विभिन्न रंगों का मतलब विभिन्न समुदायों से नहीं है । इसके रंग तो समूची भारतीय जनता की भावनाओं के प्रतीक हैं ।

राष्ट्रीय ध्वज का विकास

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कहानी इस प्रकार है :

1906 : तीन रंग : भगवा, सफेद और हरा । भगवा रंग पर आठ सितारे बने थे, सफेद रंग पर "वंदे मातरम्" लिखा था और हरे रंग पर दाई ओर चन्द्रमा और बाई ओर सूरज बना था । भारत के राष्ट्रीय झण्डे की यह कल्पना इंग्लैंड और फ्रान्स में रहने वाले कुछ भारतीयों की थी । भारत में इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

1916 : दो रंग : लाल और हरा । इस पर पांच लाल और चार हरी पट्टियां थीं; बड़े भालू का चिन्ह बना था । ऊपर बाई ओर "यूनियन जैक" था । "स्वदेशी राज" वाले दिनों में यह प्रचलित हुआ था ।

1921 : तीन रंग : सफेद, हरा और लाल । सब रंगों पर एक चरखा बना था । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विजयवाड़ा अधिवेशन के समय गांधीजी इसे लाये थे । कांग्रेस अधिवेशनों में 1931 तक इसका प्रयोग किया जाता रहा, हालांकि अधिकाधिक रूप से कांग्रेस द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था ।

1931 : एक रंग : भगवा । इसमें ऊपर बाई ओर चरखा बना था । करांची कांग्रेस के बाद कार्यकारी समिति द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया । उसने इस झण्डे का प्रस्ताव रखा । लेकिन कार्यकारी समिति ने उसे मान्य नहीं किया ।

1931 अगस्त : तीन रंग : भगवा, सफेद और हरा । बीच में नीले रंग का चरखा बना था । इसका आकार था 3:2 । कार्यकारी समिति ने इसका सुझाव रखा था । गांधी जी ने जिस झण्डे का सुझाव दिया था, उसी में कुछ परिवर्तन करके यह

बनाया गया था । इसमें रंगों के क्रम और चरखे की स्थिति को बदल दिया गया था । बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया । रंग विभिन्न समुदायों के प्रतीक नहीं है । भगवा रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सत्य और शान्ति का, हरा रंग विश्वास और समृद्धि का द्योतक है । चरखा जनता के कल्याण का प्रतीक है ।

1931 से 26 अप्रैल "राष्ट्रीय झण्डा दिवस" के रूप में मनाया जाने लगा ।

1947 : 22 जुलाई : नया झण्डा अस्तित्व में आया । इसमे चरखा की जगह बीच में अशोक चक्र बना था । पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसका सुझाव रखा गया और संविधान सभा द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई ।

5—अगर आप एक भारतीय नोट अपनी जेब से निकाल कर देखें तो पाएंगे कि उस पर बहुत सी दिलचस्प चीजें बनी हैं । इस पर राष्ट्रीय चिन्ह भी अंकित है । प्रत्येक नोट हिन्दी और इंग्लिश में छापा जाता है । हिन्दी और इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाएं भी उस पर छपी हैं । उदाहरण के लिए एक रुपये के नोट की पिछली तरफ भारत की 13 विभिन्न भाषाओं में "एक रुपया" लिखा है । बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) नोट पर इतनी सारी भाषाएं लिखने का क्या प्रयोजन है ?

(2) नोट पर कौन-कौन सी भाषाएं हैं ?

(3) क्या नोटों पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को स्थान दिया गया है ?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 15 भाषाओं का उल्लेख है :

1—आसामी	6—काश्मीरी	11—संस्कृत
2—बंगला	7—मलयालम	12—सिंधी
3—गुजराती	8—मराठी	13—तमिल
4—हिन्दी	9—उड़िया	14—तेलगू.
5—कन्नड़	10—पंजाबी	15—उर्दू

क्या राष्ट्रपति भवन की कार की नम्बर प्लेट पर "अशोक चक्र" का प्रयोग उचित है ? यह प्रश्न लोकसभा में उठाया गया था । कहा गया था कि अशोक चक्र को सदैव सम्मानित स्थान दिया जाना चाहिए । विशिष्ट व्यक्तियों की विशिष्ट सेवाओं के लिए यह दिया जाता है । हो सकता है कि छात्र इस या ऐसे अन्य प्रश्नों पर आपसे चर्चा करना चाहें ।

मुख्य प्रश्न

(1) हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर क्यों करना चाहिए ? एक कारण दीजिए ।

(2) राष्ट्रीय झण्डे के तीन रंगों का क्या अर्थ है ?

(3) चरखे की जगह चक्र क्यों बनाया गया ?

(4) हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हमें हमारे अतीत की याद क्यों दिलाता है ?

(5) वह सर्वसाधारण स्रोत कौन सा है जहां से हमारे बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानकारी मिल सकती है ।

(6) हमारे राष्ट्रीय गीत का अर्थ क्या है ?

(7) राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय और राष्ट्रीय गीत गाते समय हम उनके प्रति अपना सम्मान कैसे प्रकट कर सकते हैं ?

(8) हमारा राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल कौन सा है ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचना—"जन-गण-मन"

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता, जिसका पहला पद राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया गया है, इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात मराठा द्राविड़-उत्कल बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना-गंगा उच्छल-जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागे,
गाहे तव-जय-गाथा ।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे, भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय-जय-जय, जय हे ।

1919 में कवि द्वारा स्वयं अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था जिसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है:

तुम जनमानस के अधिनायक हो, भारत के भाग्य के विधाता हो । तुम्हारा नाम पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्राविड़, उड़ीसा और बंगाल के जनमानस को आहलादित करता है, विंध्य और हिमालय की चोटियों में प्रतिध्वनित होता है, जमुना और गंगा के पानी के साथ कल कल करता है । हिन्द महासागर की लहरें उसका गान करती हैं । वे तुमसे तुम्हारा आशीर्वाद मांगते हैं, तुम्हारे प्रशस्ति में गीत गाते हैं । तुम जनता के मंगल की कामना करने वाले हो, तुम भारत के भाग्य विधाता हो । जय जय जय, तुम्हारी जय हो ।

मॉड्यूल–10 सी

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन

एक दृष्टिपात

विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने को बात बार-बार दुहराई जाती रही है । कोठारी कमीशन में इस बात पर जोर दिया गया है । शिक्षा का एक मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को तेजी से आगे बढ़ाना भी है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की गजेन्द्र गडकर कमेटी ने कहा है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिए :

— देशवासियों में भारतीय एकता और परस्पर आधीनता का भाव जागृत करना ।

— लोकतंत्र के सिद्धान्तों में विश्वास उत्पन्न करना ।

— देश में पारस्परिक समाज के आधार पर एक नए समाज की संरचना करना ।

इस संबंध में नवीनतम सूचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई है । शिक्षा के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए कहा गया है :

"शिक्षा की भूमिका छात्र को आगे बढ़ाने की होती है । इसके माध्यम से उन विचारों और भावनाओं का विकास होता है जो देश की एकता, वैचारिक शक्ति, मन-मस्तिष्क की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और इस प्रकार वे समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र (जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं) के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं ।"

देश में शिक्षा की एक नीति को बढ़ावा देने के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना होता जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित होगी । राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे मुख्य विषय होंगे जिन्हें सभी राज्यों में लागू किया जा सकेगा और कुछ तत्त्व ऐसे भी होंगे जिन्हें विभिन्न राज्य अपनी आवश्यकतानुसार मोड़ दे सकेंगे । राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उल्लिखित मुख्य विषय हैं :

— भारत के स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास

— संवैधानिक अनुबंध पत्र

— राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विषय-वस्तु

— भारत की समान सांस्कृतिक विरासत

— समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता

— स्त्री और पुरुष की समानता

— पर्यावरण-सुरक्षा

— सामाजिक रुकावटों को दूर करना

— छोटे परिवार के विचार को बढ़ावा देना

— वैचारिक क्षमता उत्पन्न करना ।

मूल्यों की शिक्षा के संबंध में दिए गए अध्याय "शिक्षा के विषय और प्रक्रिया का पुनर्गठन" में कहा गया है :

"विभिन्न संस्कृतियों वाले हमारे समाज में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सर्वव्यापी और सनातन ग्रन्थों को बढ़ावा देना होना चाहिए जो देशवासियों की एकता में सहायक हों । इस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा से धार्मिक कट्टरता, सुधार विरोधी तत्व, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवादिता के उन्मूलन में सहायता मिलेगी ।"

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक इसके अर्थ व इसके मूल्य को भली-भाँति समझें और अपने स्कूलों में ऐसे उपायों का प्रयोग करें जिससे शिक्षा के इन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक निभाया जा सके ।

उद्देश्य

— इस मॉड्यूल की पढ़ने के बाद आप :

— राष्ट्रीय एकता की भावना की समझ सकेंगे ।

— विभिन्नता में एकता की भावना की सराहना कर सकेंगे ।

— यह समझ सकेंगे कि जाति, धर्म, भाषा तथा संस्कृति के तुच्छ भेद किस प्रकार राष्ट्र के वृहत्तर हितों को हानि पहुँचा सकते हैं ।

— विभिन्न विषय पढ़ाते समय राष्ट्रीय एकता से संबंधित मूल्यों और भावनाओं पर बल दे सकेंगे ।
— राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने वाली सहपाठ्यक्रमी क्रियाओं का आयोजन व मूल्यांकन कर सकेंगे ।
— स्कूल में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले ।

शिक्षण गतिविधियां

विचार :

आपने राष्ट्रीय एकता के विषय में बार-बार सुना होगा और उस पर चर्चा की होगी । आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और कई बार इसके संबंध में वाद-विवाद भी किया होगा । आइये, अब हम एक सुनियोजित ढंग से कुछ प्रश्नों का हल ढूंढें ।

क्रियाकलाप—1

राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं ? इस संबंध में एक पैराग्राफ लिखें ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

भारतीय समाज विभिन्नताओं से भरा समाज है । यहां लोग अलग-अलग भाषायें बोलते है । उनके विभिन्न धर्म हैं । अलग-अलग संस्कृति है । इस विभिन्नता में एकता का एक ऐसा तार है जो हम सबको एक माला में गूंथ देता है । भारतीय होने की भावना, इस देश से जुड़े होने की अनुभूति, इसकी प्राप्ति और इसकी एकता में ही यह शक्ति निहित है । लोक कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता का भी यहां अपना स्थान है । भारतीय संस्कृति की विविधता उसका बल है, उसकी कमजोरी नहीं । जब कभी लोगों में जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के प्रति संकीर्ण निष्ठा उभरती है, तब यह विविधता निश्चय ही एक कमजोरी का रूप धारण कर लेती है ।

"विविधता" और "एकता" के इन दो पहलुओं के बीच हमें एक सन्तुलन बनाए रखना है । जब भी यह संतुलन बिगड़ता या डगमगाता है तो विघटनकारी शक्तियां एक होकर देश की शांति को भंग कर देती हैं । राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है विविधता और विभिन्नता की सराहना करना । यह एक सकारात्मक पहलू है । राष्ट्रीय एकता का अर्थ विभिन्नता से रहित अनम्य एकता नहीं है । इसमें विभिन्नता और विविधता का अपना महत्त्व है । यह तो केवल ऐसे सामाजिक संघर्ष का विरोध करती है जो संकीर्ण विचारों के कारण उत्पन्न होता है । इसका लक्ष्य जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रहों को कम करना है । एक अच्छा इन्सान बनने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरों की भावनाओं तथा उनके मूल्यों का आदर किया जाए । प्यार, सहानुभूति और सहनशीलता मानवीय व्यवहार के आवश्यक गुण हैं । इनके माध्यम से ही स्वस्थ समाज की संरचना हो सकती हैं । भारत के इतिहास और उसकी सांस्कृतिक परम्परा में एकता का बल है । देश से भूख, गरीबी और रोगों का निवारण कर देशवासियों को आर्थिक और सामाजिक न्याय देकर हम इस एकता को ठोस बना सकते हैं ।

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता

इस धारणा को समझने के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह हमारे देश के लिए आवश्यक क्यों है ।

क्रियाकलाप—2

राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है ? **विघटनकारी शक्तियां जोर क्यों पकड़ने लगती हैं ?** **दोनों प्रश्नों के उत्तर में एक-एक पैराग्राफ लिखें ।**	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

समाज में शांति स्थापित होने पर मानव मन को मुक्ति प्राप्त होती है । शांति स्वतंत्रता तथा समाज के प्रगति और विकास के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है । इतिहास साक्षी है कि शान्ति के समय राज्य अथवा देश के विद्वानों द्वारा नए विचार प्रतिपादित किए गए हैं, वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषण किए गए हैं और मानव समाज द्वारा आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रगति की गई है । जो देश संघर्षों और झगड़ों से ग्रस्त हैं और जहां लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा की चिन्ता लगी है, उस देश के निवासी अपने समाज की प्रगति तथा कल्याण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं ।

ब्रिटिश शासकों ने "फूट डालकर" राज करने की नीति पर चलकर देश के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न किया और खूब फूले-फले । समस्त देश गरीबी और असमानता का शिकार हो गया । तब समस्त देशवासी एक-जुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध करने और स्वतंत्रता पाने के लिए आगे बढ़े । लम्बे संघर्ष और बलिदान से 1947 में देश स्वतंत्र

हुआ । शीघ्र ही देशवासियों द्वारा बनाया गया संविधान भी लागू हुआ । संविधान लागू करते समय देशवासियों ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित नई समाज व्यवस्था लाने का संकल्प लिया था । हालांकि पूंजीपतियों, कट्टर धर्मपंथियों और सत्ताधारियों को यह डर लगा रहता है कि कहीं नई सामाजिक क्रांति के कारण उनके अधिकारों और सुविधाओं में कमी न आ जाये, इसलिए वे बार-बार नई समाज की संरचना में बाधायें डालते हैं और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं । बार-बार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर झगड़े होते हैं और नए समाज की संरचना में बाधा पड़ती है । आजकल ये शक्तियां बहुत बढ़ गई है और देश के सामने एक चुनौती लेकर खड़ी हैं । यदि लोगों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था हो तो इन विघटनकारी शक्तियों को नाकाम किया जा सकता है । आज समय की मांग है कि लोग एकता के सूत्र में बंध जाने और एक प्रगतिशील व कल्याणकारी समाज के निर्माण का प्रयास करें ।

शिक्षा की भूमिका

आइये, हम देखें कि राष्ट्रीय एकता की भावना के मूल्यों को प्रोत्साहित करने में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका क्या है ?

क्रियाकलाप-3

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है ? राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देने मे शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए ? दोनों विषयों पर अलग-अलग एक पैराग्राफ लिखिए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा की एक प्रमुख भूमिका हो सकती है । वस्तुतः अच्छी शिक्षण प्रणाली स्वतः राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सक्षम होती है । राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना स्कूलों के पाट्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए । स्कूलों में बच्चों को विभिन्न विषय पढ़ाते समय व विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते समय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । वस्तुतः स्कूल का पूरा वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों के मन में वह भावना घर कर ले । स्कूल में ऐसा वातावरण बनाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को बच्चों के मन-मस्तिष्क में भरने के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता है । भाषणों अथवा उपदेशों से छात्रों में राष्ट्रीय एकता के मूल्य नहीं भरे जा सकते । इसके लिए शिक्षकों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर दोनों ही स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन करना होगा जिनसे धीरे-धीरे राष्ट्रीय एकता की भावना को छात्रों में भरा जा सके । शिक्षकों को स्कूल में एवं अपने समुदाय में ऐसे अवसर खोजने होंगे जिनका वे अपने शिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग कर सकें ।

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल के बाहर विघटनकारी शक्तियां इतनी प्रबल हों कि शिक्षक का प्रयास स्कूल में व्यर्थ हो जाए । पर यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर स्कूल बाह्य प्रभावों का मुकाबला नहीं करता तो बढ़ते बच्चों के दिमाग में विघटनकारी प्रवृत्तियां स्थायी हो जायें । इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका को जारी रखे ।

शिक्षक को स्वयं छात्रों के सम्मुख आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना होगा । उसे स्वयं की राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता प्रतीक बनना होगा । उसे स्वयं को जाति, धर्म, भाषा और स्त्री–पुरुष के भेद–भाव से ऊपर उठना होगा ।

शिक्षक की विशेष भूमिका

आइये, अब हम देखें कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है ?

क्रियाकलाप—4

किन विषयों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के मूल्यों तथा भावनाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है ? और क्यों ? प्रत्येक विषय पर एक-एक पैराग्राफ लिखिए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

भाषा और साहित्य

भाषा और साहित्य में राष्ट्रीय एकता को बल देने की अधिक क्षमता है । प्रारम्भिक कक्षाओं में, जहां भाषा सम्बन्धी ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, वहां शब्द, वाक्य, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा भाषा सम्बन्धी पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए । जिन उदाहरणों द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, उन्हें उभारकर सामने लाया जाना चाहिए । उच्च कक्षाओं की भाषा की पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रायः विभिन्न विधाओं वाली

साहित्यिक कृतियों का चयन किया जाता है । साहित्य में राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी नहीं है । निश्चित रूप से उसका उपयोग देश की एकता से संबंधित भावों को जागृत करने के लिए किया जा सकता है । कभी-कभी विगत साहित्य उस सम~~ के विशेष पूर्वाग्रहों को दर्शाता है । यदि पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे अंश हों, तो शिक्षक को उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में उन अंशों को छात्रों के सम्मुख रखना चाहिए, जब वे लिखे गये थे । इस प्रकार के अंशों के माध्यम से जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर जो सामान्य धारणाएं बना ली जाती हैं, वे पूर्णतः सही नहीं भी हो सकतीं । साहित्य को पढ़ाते समय इन बिन्दुओं को स्पष्ट करना आवश्यक है । लेख लिखवाने के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

भाषा-शिक्षा के समय शिक्षक को अन्य भाषाओं का ज्ञान होता भी आवश्यक है । उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह अन्य भाषाओं के लेखकों और उनकी रचनाओं के विभिन्न सन्दर्भों का समय-समय पर उपयोग कर सके । उसे उन पुस्तकों का नाम भी मालूम होना चाहिए जिन्हें वह छात्रों को पढ़ने के लिए बता सके ।

इतिहास

भारतीय इतिहास के अध्ययन-अध्यापन को राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में अधिक विस्तृत परिप्रेक्ष्य मे देखना चाहिए । आज इतिहास का अर्थ केवल राजा-रानियों की कहानियों अथवा लड़ाइयों का वर्णन मात्र नहीं रह गया है । इसका ध्येय छात्रों को यह समझने में सहायता करना है कि मानव समाज का विकास किस प्रकार हुआ है जिससे वे मानव की उपलब्धि की सराहना कर सकें । इस प्रकार की सूझ-बूझ से उन्हें वर्तमान को ठीक ढंग से समझने और एक परिष्कृत भविष्य बनाने में सहायता मिलेगी । इस दृष्टिकोण के कारण स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों की विषयवस्तु में परिवर्तन आए हैं । फिर भी आपको कुछ पाठ्य पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जिनमें पारम्परिक ढंग से विषयवस्तु को प्रस्तुत किया गया है । इन पुस्तकों में जातीय, क्षेत्रीय और अन्य प्रकार के पक्षपात हो सकते हैं । ऐसी पुस्तकों को पढ़ाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी ।

यदि भारत के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाए, तो विविधता में एकता पर बल देना होगा । इससे छात्र भाषा व साहित्य संबंधी तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं की सराहना करना भी सीख लेंगे । उन्हें यह भी ज्ञान हो जायेगा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भारतीय संस्कृति और परम्पराओं में कितना योगदान दिया है ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम (जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है) के अध्ययन से छात्रों में अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग की सराहना करने की क्षमता उत्पन्न होगी और वे इतने संघर्षों द्वारा प्राप्त की गई स्वतन्त्रता के मूल्य को समझ सकेंगे ।

भूगोल

भूगोल में क्षेत्रीय व प्रादेशिक निर्भरता को स्पष्टतः देखा जा सकता है । एक क्षेत्र में उत्पन्न कच्चे माल का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत फैक्टरियों में होता है । इस आदान-प्रदान से लोग एक दूसरे के निकट आते हैं ।

भूगोल से हमें खान-पान, रहन-सहन, घर-बार, रीति-रिवाज, तीज-त्योहार में विभिन्नता की प्रक्रिया का ज्ञान होता है । इससे विभिन्न लोगों एवं जातियों के मेल-मिलाप की जानकारी भी मिलती है । अतः भूगोल के माध्यम से भौगोलिक एकता समझाई जा सकती है और समस्त देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है ।

नागरिक शास्त्र

नागरिक शास्त्र लोगों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान कराता है । इसके माध्यम से देश के संविधान का ज्ञान भी कराया जाता है जिससे एकता की धारणा को बढ़ाया जा सकता है । संविधान देशवासियों की इच्छा और देश की एकता का प्रतीक होता है । नागरिकता, मूल अधिकार, कर्त्तव्य, लोकतांत्रिक पद्धति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आदि ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से देश की एकता को बल मिलता है ।

अर्थशास्त्र

देशवासियों का आर्थिक कल्याण हमारा एक महत्त्वपूर्ण ध्येय है जिसके लिए समूचा देश प्रयत्नशील है । अर्थशास्त्र के शिक्षण द्वारा क्षेत्रीय परावलम्बन का ज्ञान होता है । इससे शान्ति की आवश्यकता भी महसूस होती है जो आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । इस विषय को पढ़ाने से एक समृद्ध देश की स्थापना करने का ध्येय परिलक्षित होता है । गरीबी हटाना, वंचित और कमजोर वर्गों को संरक्षण देना, रहन-सहन को बेहतर बनाना, जनसंख्या को सीमित रखना, धन का समान वितरण करना कुछ ऐसे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हर देशवासी को, चाहे वह किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या क्षेत्र का क्यों न हो, आगे आना है । किसी भी प्रकार से यदि शान्ति भंग होती है तो सफलता की ओर बढ़ते कदमों की गति धीमी हो जाती है । अर्थशास्त्र में इन्हीं सब पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है ।

विज्ञान

विज्ञान के शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि इसके द्वारा छात्रों में तर्क व युक्ति से सोचने की क्षमता आती है । इससे उनकी तर्कबुद्धि का विकास होता है । हमारे बहुत से पूर्वाग्रह जो क्षेत्रीयता की देन हैं और जिनका कोई ठोस आधार नहीं है, इस प्रकार की तर्कबुद्धि द्वारा दूर हो सकते हैं ।

विषयवस्तु के औपचारिक शिक्षण से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है । पर फिर भी इसमें स्कूल के समूचे वातावरण का अपना विशेष महत्व व उत्तरदायित्व है । इस वातावरण की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों द्वारा की जा सकती है । हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूलों में ऐसे कार्यकलाप कराए जाएं जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो सके । आइए, अब हम देखें कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए हम किन गतिविधियों, कार्यक्रमों या योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं ।

क्रियाकलाप—5

कुछ ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिल सकता है । राष्ट्रीय एकता के विषय से संबंधित एक "प्रोजेक्ट" तैयार कीजिए ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

स्कूलों में प्रस्तावित गतिविधियां

1— स्कूलों में शिक्षक/विषय समितियों को पाठ्य पुस्तकों में से राष्ट्रीय एकता विरोधी तत्वों को ढूंढ निकालना होगा । शिक्षकों को इस प्रकार की सामग्री बच्चों को पढ़ाते समय सावधानी बरतनी होगी । उन्हें पुस्तकों में से ऐसे अंश या स्थल भी ढूंढ निकालने चाहिए जिनका प्रयोग राष्ट्रीय एकता को भावना को बढ़ाने के लिए शिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सके ।

2— शिक्षक विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं और "प्रोजेक्ट" हाथ में ले सकते हैं जिनसे देश या उसके विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों के रहन-सहन को समझने में सहायता मिल सकती है । प्रोजेक्ट समस्त स्कूल के लिए या कुछ कक्षाओं के लिए हो सकता है । इन गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनको योजना बनाने एवं उन्हें साकार करने में छात्र की भूमिका प्रमुख हो । इनमें माता-पिता और समुदाय के सहयोग की भी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए । गतिविधियां सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए । छात्रों को पास-पड़ौस में ले जाना चाहिए जिससे उन्हें सीधा अनुभव हो सके । इसी प्रकार समुदाय को भी स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

3— स्कूल के दैनिक कार्यक्रमों में सुबह विशेष सभाओं का आयोजन किया जा सकता है जिसमें समुदाय के लोग छात्रों के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्षता की भावना से ओतप्रोत गीत गा सकते हैं । राष्ट्रीय एकता पर शिक्षक-छात्र वार्तालाप भी स्कूली कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व मानवाधिकार शिक्षा

एक दृष्टिपात

हमारे स्कूलों के आज के बच्चे 21वीं सदी की दुनिया देखेंगे । कैसी होगी वह दुनिया ? उसके लिए हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा चाहिए होगी ? अगर आज की दुनिया का रुख देखें तो लगता है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना होगा । अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के कारण, विनाश की शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य हो गया है । ये दो मुख्य तत्व हैं जिनके कारण विश्व शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है । साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हम किन नीतियों और तरीकों का सहारा ले सकते हैं ।

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि :

1. छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय समझ और मानवाधिकारों के प्रति चेतना जगाना क्यों आवश्यक है ?
2. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और मानवाधिकारों के प्रति चेतना को बढ़ावा देने के लिए आप किन विभिन्न तरीकों का सहारा ले सकते हैं और उन पर किस तरह अमल कर सकते हैं ।

क्रियाकलाप—1

आज विश्व-शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है ? आज के युग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग किन मुख्य तत्वों पर आधारित हैं ?	मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

हमारे सिर पर आणविक-युद्ध के बादल छाए हैं । अगर ये बादल बरस गए तो सारी मानव जाति और संस्कृति का अन्त हो जाएगा । हालांकि देशों के बीच तनावपूर्ण धमकियों और लड़ाइयों के समाचार तो हम आए दिन पढ़ते हैं । ये विश्व युद्ध का रूप भी धारण कर सकती हैं । हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अब परमाणु और अन्तरिक्ष युग में प्रवेश कर चुकी है । विज्ञान और तकनीक की नई खोजों ने वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन में अभूतपूर्व सम्भावनाओं के द्वार खोल दिए हैं । पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 20वीं और 21वीं सदी की शिक्षा को दृष्टिगत करते हुए एक बार कहा था—"मुझे उन लड़के-लड़कियों से ईर्ष्या है जो उस काल में जिएंगे । वह हमारे बच रहे लोगों के लिए बहुत रोमांचक काल होगा ।"

आज दुनिया में जहां समानताएं हैं वहां बहुत-सी असमानताएं भी हैं । रहन-सहन और सैन्य शक्ति की दृष्टि से देशों के बीच असंतुलन भयावह हैं । वास्तव में कोई भी देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, विकासशील हो या विकसित, दुनिया से कटकर नहीं रह सकता । एक देश की समस्याएं सारे विश्व की समस्याएं हैं । आणविक हथियारों की होड़, मानवाधिकारों की सुरक्षा, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरण-प्रदूषण जैसी बहुत-सी समस्याएं आज हमारी चिन्ता का विषय हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय समझ एवं भावना जागृत की जाए । विश्वशांति और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता व महत्व को देखते हुए ही "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" में कहा गया है : "भारत ने हमेशा देशों के बीच शांति व सद्भावना स्थापित करने के लिए कदम उठाया है । सारे विश्व को एक परिवार समझा है । इस पुरानी परम्परा का पालन करते हुए शिक्षा का उद्देश्य दुनिया की इस विचारधारा को मजबूत बनाना है, और युवा पीढ़ियों का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की तरफ आकर्षित करना है । इस पहलू की अवहेलना नहीं की जा सकती ।"

क्रियाकलाप—2

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल में आप कौन से क्रियाकलाप करेंगे ? आप इन क्रियाकलापों व राष्ट्रीय एकता को अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के साथ कैसे जोड़ेंगे ?	मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भारत बहुजातीय, बहुभाषीय व बहुधर्मीय देश है । इसलिए यहां के बच्चों को राष्ट्रीय एकता का जो पाठ पढ़ाया जाता है वही वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना-शिक्षा का आधार बन सकता है । भारत के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए जिस सहिष्णुता और सम्मान की आवश्यकता है वही सहिष्णुता और सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है । "यदि हम पाठशाला और विश्वविद्यालय में एक संघीय और बहु-सामुदायिक देश के नागरिक होने के नाते "मानव की सांस्कृतिक विविधता" इस उक्ति के औचित्य को सही मायनों में समझ लेते हैं तो यह उक्ति अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हमें याद रहेगी— जहां हम विभिन्न लोगों, धर्मों, संस्कृतियों व भाषाओं से टकराते हैं ।" *

एन. सी. ई. आर. टी. के 1975 में प्रकाशित दस वर्षीय स्कूल-पाठ्यक्रम में भी राष्ट्रीय चेतना और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है ।

दुनिया के प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों में आश्चर्यजनक समानता मिलती है । उदाहरण के लिए हिन्दू धर्म का यह स्वर्णिम सिद्धान्त ही लीजिए :

श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैतावधारयेत् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।। (वेदव्यास)

धर्म का अर्थ है, जो कार्य अपने प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए भी न करें ।

क्रियाकलाप—3

इससे मिलता-जुलता सिद्धान्त आपको कितने धर्मों में मिल सकता है ? **विभिन्न धर्म-ग्रन्थों पर दृष्टिपात कीजिए और इससे मिलता-जुलता सिद्धान्त ढूंढ़ निकालिए ।**	**मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

बौद्ध धर्म :

"जिस बात से आपको कष्ट पहुंचता है उससे दूसरों को भी कष्ट न पहुंचाएं ।"

ईसाई धर्म :

"आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे वैसा ही व्यवहार आपसे करेंगे ।"

इस्लाम :

"संसार में वह तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वह अपने ही भाई को स्वयं जितना प्रेम न करे ।"

ऐसे सिद्धान्त अन्य धर्मों में भी ढूंढ़े जा सकते हैं । इसी प्रकार की अन्य गतिविधि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित हो सकती है ।

हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गीत है । संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अपना अलग झण्डा है ।

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक शान्ति, मैत्री, त्याग और सत्यता के प्रतीक हैं । इसी तरह दूसरे देशों के राष्ट्रीय चिन्ह भी जनता की भावनाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं । अतः जैसे हम अपने राष्ट्रीय चिन्हों का मान करते हैं, हमें चाहिए कि हम दूसरे देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों का भी आदर करें । ऐसा करने से भावात्मक समानता उजागर होगी । अतः विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों व राष्ट्रीय गीतों के बारे में विस्तृत जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है ।

क्रियाकलाप-4

10 दिसम्बर प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है ? क्या आप अपने स्कूल में भी यह दिन मनाते हैं ? यदि हां, तो कैसे ? **क्या आप अपने देश के भीतर या बाहर मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई उदाहरण दे सकते हैं ?**	**मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

मानवाधिकारों से संबंधित विश्वव्यापी घोषणा-पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की बृहत सभा में 10 दिसम्बर 1948 में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया । तभी से 10 दिसम्बर का दिन प्रति वर्ष सारे विश्व में "मानवाधिकार दिवस" के रूप में मनाया जाता है । इस घोषणा पत्र में एक प्रस्तावना और 30 लेख हैं । उसमें उल्लिखित मानवाधिकार और स्वतंत्रता संबंधी नियम विश्व की समूची जनता को बिना किसी भेदभाव के लागू होते हैं । अब आपको यह ढूंढ़ निकालना है कि ये मानवाधिकार क्या हैं ?

---

* शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, भारत सरकार, 1966 पृष्ठ 17.

अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार प्रपत्र

मानवाधिकारों के सर्वव्यापी घोषणा-पत्र के बाद 1966 में दो प्रपत्र और निकाले गए :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रपत्र और

(2) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनैतिक अधिकार प्रपत्र ।

इन प्रपत्रों में मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण, और सदस्य देशों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

इन दो प्रपत्रों के अलावा "अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनैतिक विपत्र से संबंधित एक "वैकल्पिक संलेख" भी तैयार किया गया । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र के गठन का उल्लेख हैं, जिसका काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार बनने वाले लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना । विश्वव्यापी घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रपत्र, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक व राजनैतिक अधिकार प्रपत्र और वैकल्पिक संलेख "अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विपत्र" के रूप में देखे जाते हैं ।

विश्वव्यापी घोषणा पत्र अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है । इसने भारत के साथ-साथ अन्य देशों के संविधानों को भी प्रभावित किया है । इस घोषणा पत्र में उल्लिखित अधिकांश नागरिक व राजनैतिक अधिकार आपको भारतीय संविधान में भी मिलेंगे । इन सामाजिक आर्थिक अधिकारों का समावेश "डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पोलिसी" से संबंधित अध्याय में किया गया है ।

मानवाधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन दक्षिणी अफ्रीका में हो रहा है जो काले लोगों के प्रति रंगभेद के रूप में सामने आता है । यह दुःख की बात है कि दक्षिणी अफ्रीका की इस रंगभेद की नीति की निन्दा तो की जाती है पर विश्वव्यापी स्तर पर उसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते । हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाओं ने उसके विरोध में कई प्रस्ताव सामने रखे हैं और कई अपीलें की हैं । अपने देश में आप भी हर रोज मानवाधिकारों के अर्थात् बच्चों, महिलाओं, कमजोर वर्गों, जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन की खबरें पढ़ते हैं । आपको इन मामलों पर अपने छात्रों से चर्चा करनी चाहिए और उसका एहसास कराया जाना चाहिए । छात्रों को उसका एहसास कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें गरीबों की बस्तियां दिखाई जाएं और उनकी दीन-हीन दशा से परिचित करवाया जाए ।

मूल्यांकन

1. आपकी दृष्टि से विश्व शान्ति व सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है ?
2. छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना जगाना क्यों आवश्यक है ?
3. आपकी दृष्टि से किन क्रियाकलापों द्वारा छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है ।
4. किन क्रियाकलापों द्वारा छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति चेतना लाई जा सकती है ?

मॉड्यूल-12 सी

स्कूलों में छात्रों का प्रवेश एवं प्रतिधारण

एक दृष्टिपात

यह मॉड्यूल उन बच्चों के बारे में है जो विद्यालय नहीं जाते । ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी समस्या है ।

इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में आप में चेतना जगाना है । इसका आशय सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने और 14 वर्ष की आयु तक सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है ।

मॉड्यूल में सुझाए गए कार्यकलापों में भाग लेने के बाद आप छात्रों की भर्ती तथा पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे ।

शैक्षिक कार्यनीतियों और विद्यालय के वातावरण में उनकी कमियों का पता लगाया जाएगा तथा उन पर चर्चा की जाएगी, जिनसे स्कूल का वातावरण अनाकर्षक बनता है । इससे आपको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यनीतियों को सोचने और विद्यालय के वातावरण में सुधार के लिए योगदान करने का अवसर मिलेगा ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

— बच्चों को विद्यालय से अलग रखने वाले कारणों को बता सकेंगे ।
— समुदाय के उन वर्गों का पता लगा सकेंगे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते ।
— बच्चों के स्कूल में प्रवेश और पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका की चर्चा कर सकेंगे ।
— समुदाय के स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगा सकेंगे ।
— शिक्षा के लिए माता-पिता/बच्चों को प्रेरित करने वाली तकनीकों को समझ सकेंगे तथा उन्हें काम में ला सकेंगे ।
— स्कूल को अनाकर्षक बनाने वाली शैक्षिक कार्यनीतियों और स्कूल के वातावरण में कमियों का विश्लेषण कर सकेंगे ।
— शिक्षा को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से स्कूल के वातावरण में सुधार के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कार्यनीति सुझा सकेंगे ।
— प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कदम उठा सकेंगे ।

अध्ययन गतिविधियां

आप पर्याप्त समय से शिक्षक का कार्य कर रहे हैं । आपके स्कूल के द्वार समुदाय के सभी बच्चों के लिए खुले हैं । आप जानते हैं कि आपके समुदाय के कितने बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं । साथ ही आप इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते । कई बार आपने सोचा भी होगा कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते ? आपने उनके स्कूल न जाने के कारणों का अनुमान भी लगाया होगा ।

क्रियाकलाप—1

क्या आप उन कारणों को याद कर सकते हैं ? **यदि हां तो एक अलग पत्र पर ऐसे सभी कारण लिखिए ।**	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

आइए, इस समस्या को हम अब एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें । विद्यालय न जाने वाले ये बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं । वे समुदाय के विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं । आशा है आप इस बात से परिचित होंगे । आपने बारीकी से इसका अवलोकन भी किया होगा ।

निम्न दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए :

क्रियाकलाप—2

विद्यालय न जाने वाले बच्चों में लड़के अधिक हैं अथवा लड़कियां ? इसके क्या कारण हैं ? समुदाय के किन वर्गों के बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल जा रहे हैं ? इसके क्या कारण हैं ?	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

देखा गया है कि समुदाय के स्कूल न जाने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं । बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या प्राथमिक स्तर पर बहुत अधिक पाई जाती है । पढ़ाई छोड़ देने की इस ऊंची दर के अनेक कारण हो सकते हैं । ये कारण शैक्षिक भी हो सकते हैं और गैर-शैक्षिक भी ।

क्रियाकलाप—3

इस प्रकार पढ़ाई छोड़ देने के शैक्षिक कारण लिखिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अब आप इन बच्चों के स्कूल न जाने के कारणों से परिचित हो चुके हैं । आप यह भी जानते हैं कि ये बच्चे समुदाय के किन वर्गों से हैं ।

यह केवल आपकी समस्या नहीं है । दूसरे शिक्षकों को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है । यह राष्ट्रीय समस्या है । वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या, जिसे प्राथमिक/प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ते होना चाहिए था वे स्कूल के बाहर हैं । एक रिपोर्ट के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे पाठशाला नहीं जाते । (शिक्षा मंत्रालय की 1982 की रिपोर्ट) इस समस्या का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसे एक प्रकार से युद्ध स्तर पर हल किया जाना है ।

हमारे राष्ट्रीय नेता इस समस्या के प्रति सचेत थे । स्वाधीनता प्राप्ति से पहले ही उन्होंने इसके हल की आवश्यकता पर जोर दिया था । गोपालकृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के प्रयत्नों से यह समस्या जनता की दृष्टि में आई । इस चिन्ता का भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है । उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए । इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

— सभी के लिए शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान
— सभी के लिए स्कूल में प्रवेश का आश्वासन
— सभी के लिए स्कूल में उपस्थिति का आश्वासन
— सभी के लिए पढ़ाई जारी रखने का आश्वासन
— सभी के लिए प्राथमिक चरण की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने का आश्वासन
— शिक्षा में सुधार द्वारा सभी के लिए सुशिक्षा का आश्वासन ।

आइए, अब हम एक प्राथमिक शिक्षक के निजी अनुभव पर विचार करें । सत्र के प्रारम्भ में बच्चों ने कक्षा में काफी बड़ी संख्या में प्रवेश किया । लगभग एक मास तक वे नियमित रूप से कक्षाओं में आते रहे । धीरे-धीरे उपस्थिति गिरनी शुरू हो गई । कुछ छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ अनियमित हो गए । अंततः अनियमित रूप से विद्यालय जाने वाले छात्रों ने भी पढ़ाई छोड़ दी । उपस्थिति में गिरावट पर शिक्षक को चिन्ता हुई । उसने उन बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के लिए कुछ उपाय अपनाए ।

क्रियाकलाप—4

— क्या आप प्राथमिक शिक्षक द्वारा पढ़ाई छोड़ कर बैठे रहे छात्रों को स्कूल में वापस लाने के लिए अपनाए गए उपायों का अनुमान लगा सकते हैं ?
— आपके विचार से शिक्षक को पढ़ाई छोड़कर बैठ रहे छात्रों को अपनी कक्षा में वापस लाने के लिए किस बात से प्रेरणा मिली ?
— ऐसी स्थिति में स्कूल न जाने वाले और पढ़ाई छोड़ कर बैठे रहने वाले बच्चों को वापस लाने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है ?
— जिन बच्चों ने स्कूल में कभी प्रवेश नहीं लिया उन्हें स्कूल में लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ?

इस दिशा में पहला कदम समुदाय में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाना होगा ।

क्रियाकलाप—5

–उन व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिनसे आप ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए सम्पर्क करना चाहेंगे । **–ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए आप किन साधनों तथा उपायों को काम में लाएंगे ?**	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं :

1—उपस्थिति रजिस्टर देखना ।

2—उपस्थिति अधिकारी से सम्पर्क करना ।

आपके सर्वेक्षण में निम्न बातें हो सकती है :

(क) बच्चों/माता-पिता से सूचना प्राप्त करना
(यह सीधी बातचीत से संभव हो सकता है)

(ख) एकत्र की गई सूचना को दर्ज करना ।

यह सूचना आगे प्रदर्शित प्रपत्र में दर्ज की जा सकती है ।

(1) बच्चे का नाम.................

(2) आयु.................

(3) पिता/अभिभावक का नाम.................

(4) परिवार की आय का साधन.................

(5) काम, जिसमें बच्चा लगा है.................

(6) क्या बच्चा कभी स्कूल गया है ? (हां/नहीं).................

(7) स्कूल छोड़ने का कारण.................

(8) क्या वह स्कूल/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने को उत्सुक है ? (हां/नहीं).................
यदि नहीं तो क्यों.................

समुदाय में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगा लेने के बाद आपके मस्तिष्क में अगला यह प्रश्न पैदा होगा है कि उन्हें किस स्कूल में लाया जाए । इसके लिए माता-पिता और बच्चों को सही ढंग से प्रेरित करने की आवश्यकता है । इसके कुछ निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं :

(1) माता-पिता/अभिभावकों से नियमित रूप से मिलना और बातचीत करना ताकि उन्हें समझाया जा सके कि बच्चे का स्कूल जाना कितना और क्यों आवश्यक है ।

(2) हिचकिचाहट दिखाने वाले समुदाय के सदस्यों को प्रभावित और शिक्षित करने के लिए समुदाय के ऐसे लोगों से मिलना जिनकी राय को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जैसे बुज़ुर्ग लोग, पढ़े-लिखे लोग आदि ।

(3) स्कूल के नियमित कार्यक्रमों को देखने और कुछ विशेष उत्सवों में भाग लेने के लिए माता-पिता/अभिभावकों को आमन्त्रित करना ।

(4) मेलों/त्योहारों या कुछ ऐसे ही अवसरों पर छात्रों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं व अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन करना ।

(5) माता-पिता/बच्चों को स्कूल जाने पर उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं से परिचित कराना ।

आप समझ गए होंगे कि स्कूल छोड़ने का एक कारण नीरस पढ़ाई और विद्यालय का नीरस वातावरण हो सकता है । शिक्षक के नाते यहां आपके लिए यह एक अवसर है कि अपनी शैक्षिक कार्यनीतियों का विश्लेषण करें । साथ ही स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान करें जिससे बच्चे पढ़ाई जारी रखें ।

क्रियाकलाप—6

उन कदमों का उल्लेख कीजिए जो आप अपनी शैक्षिक कार्यनीतियों में सुधार के लिए उठा सकते हैं । **उन उपायों को सुझाइये जो आप स्कूल व वातावरण में सुधार के लिए काम में ला सकते हैं ।**	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

हम आरम्भ से मानते रहे हैं कि आप इन समस्याओं से कुछ सीमा तक परिचित हैं और उनके संबंध में सुझाव दे सकते हैं । हमें आशा है कि इस विचार-विमर्श से इस विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आपकी समझ और दृष्टिकोण में वृद्धि हुई होगी और वस्तुस्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई होगी । यदि यह सही है तो आपके समुदाय के स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आपकी चिन्ता बढ़ी होगी । अपने स्कूल के संदर्भ में अब आप ऐसे कार्य-सूत्र तैयार कर सकते हैं जिनसे स्कूल में भर्ती बढ़े तथा बच्चे स्कूल में बने रहें ।

प्रश्न

1—वे क्या कारण हैं जो बच्चों को स्कूल जाने से रोकते है ?

2—स्कूलों में प्रवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन से सम्भावित उपाय अपनाए जा सकते हैं ?

3—बच्चे पढ़ाई जारी रखें, इसके लिए स्कूल के वातावरण और शिक्षा में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है ?

4—कुछ बच्चों को स्कूल आकर्षक क्यों नहीं लगता ?

5—स्कूल के पठन-पाठन तथा वातावरण को आकर्षक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है ?

मॉड्यूल-13 सी

संस्था योजना एवं व्यवस्था

एक दृष्टिपात

आमतौर पर देखा गया है, अगर कोई काम ठीक से योजना बनाकर किया जाता है तो उसका नतीजा बिना योजना के ही किए गए काम से कहीं अधिक अच्छा रहता है । योजना बनाते समय वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए कि सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते है । यहां हमें उन कठिनाइयों को भी न भूलना चाहिए जो काम करते समय हमारे रास्ते में आएंगी । योजना बनाते समय हमें निरीक्षण व मूल्यांकन की पद्धति पर ध्यान देना होगा, बीच-बीच में आने वाली अड़चनों को देखना होगा और इस पर विचार करना होगा कि समय-समय पर सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकेंगे ।

हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास-योजना की शुरूआत 35 वर्ष पहले हुई थी । शिक्षा-योजना इसी का एक हिस्सा है । इन सालों में हम हमेशा "ऊपर से नीचे" की नीति अपनाते आए हैं । इसका परिणाम यह रहा है कि हमारे अधिकांश स्कूल राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई विकास-योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए है । शिक्षा आयोग (64-66) ने ठीक ही कहा है : "कोई भी व्यापक शिक्षा कार्यक्रम तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक उसमें सभी शिक्षा संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों अर्थात् शिक्षक, छात्र और स्थानीय समुदाय का समावेश न हो (पृ0 157) ।

संस्था स्तर पर यदि शिक्षा योजना और व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाता है तो हमारे लिए ऐसी योजना बनाना सम्भव होगा जिसमें सभी शिक्षा-अधिकारी जैसे स्कूल के मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र, माता-पिता और समुदाय के अन्य सदस्य सक्रिय भाग ले सकेंगे और वहा प्रत्येक की अपनी विशेष भूमिका होगी ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

- समझ सकेंगे कि संस्था योजना का अर्थ क्या है ?
- योजना प्रक्रिया में सभी संबंधित व्यक्तियों को शामिल करने के महत्व का अनुभव कर सकेंगे ।
- खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय योजना के संदर्भ में संस्था-योजना की भूमिका की सराहना कर सकेंगे ।
- समझ सकेंगे कि योजना की "ऊपर से नीचे" वाली प्रणाली के मुकाबले "नीचे से ऊपर" वाली पद्धति बेहतर है ।
- संस्था संबंधी आवश्यकताओं को समझ सकेंगे और इसके विकास के लिए परियोजना व कार्यक्रम बना सकेंगे ।

संस्था-योजना व व्यवस्था का विचार

योजना तीन प्रकार की होती हैं : लघु, मध्य और दीर्घ कालीन । स्कूल स्तर पर संस्था योजना अधिकांशतः लघु या मध्यकालीन होगी । लघुकालीन योजना की अवधि एक वर्ष होती है और मध्यकालीन योजना की 2-3 वर्ष ।

संस्था-योजना का विचार इस दृष्टि से विशेष है कि इसमें संस्था के सभी लोग शामिल होते है जैसे मुख्याध्यापक, शिक्षक, छात्र, माता-पिता एवं समुदाय के अन्य सदस्य ।

इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक संस्था अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकेगी, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकेगी तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बना सकेगी ।

कभी-कभी स्कूल कलैण्डर को ही "संस्थान योजना" समझ लिया जाता है जो कि गलत है । स्कूल कलैण्डर में तो मुख्याध्यापक अपने स्टाफ को दिए जाने वाले काम का लेखा-जोखा रखता है । इसमें शक नहीं कि स्कूल कलैण्डर अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है । पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह संस्था-योजना से भिन्न है । इसका स्कूल में शिक्षा के विकास से कोई वास्ता नहीं है । संस्था-योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कई विकास कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनसे शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सके और शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके ।

इस मॉड्यूल में प्रयुक्त "व्यवस्था" शब्द "प्रशासन" का समानार्थी है । इसमें व्यक्तिगत प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और मुख्याध्यापक की ऐसी गतिविधियों का समावेश होता है जो दिन-प्रतिदिन स्कूल चलाने के लिए जरूरी हैं ।

क्रियाकलाप-1

अपने शब्दों में संस्था योजना की परिभाषा लिखिए और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना के उद्देश्य

संस्था योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :

1. बढ़ती जनसंख्या वाले उन क्षेत्रों में विभिन्न आयु के बच्चों को शिक्षा सुविधायें प्राप्त कराना, जहां संस्थाएं हैं ।
2. मात्रा, गुणवत्ता और व्यय की दृष्टि से सुधार के लिए योजना बनाना । मात्रा की दृष्टि से सुधार का अर्थ है : अपव्यय और गतिरोध को समाप्त करना । व्यय की दृष्टि से सुधार का मतलब है : प्रति छात्र व्यय कम करना अर्थात् प्राप्त संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रयोग में लाना । गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का अर्थ है : योजना में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करना जिनसे छात्रों के ज्ञान और योग्यता में वृद्धि हो सके और उनका नैतिक, सामाजिक व शारीरिक प्रशिक्षण अधिक प्रभावात्मक बन सके ।

संस्था योजना की मूल विशेषतायें

–यह सहभागी योजना के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् यह सिर्फ मुख्याध्यापक की नहीं अपितु सभी शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता और स्थानीय समुदाय की योजना है ।
–यह संस्था की अपनी आवश्यकताओं पर और स्कूल की समस्याओं पर आधारित है ।
–इसमें संसाधनों (मानव और वस्तुओं दोनों) को इस्तेमाल में लाने का प्रयत्न किया जाता है चाहे वे स्कूल के भीतर हों या स्कूल के बाहर समुदाय में ।
–यह लचीली है ।
–यह वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सभी तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है ।
–यह मांगों का घोषणापत्र नहीं वरन् सच्चे अर्थों में एक व्यावहारिक योजना है ।

क्रियाकलाप—2

आपकी संस्था की जो हालत है उसे देखते हुए संस्था योजना के उद्देश्य क्या होने चाहिए ? क्या आप ऐसी कुछेक विशेषताओं की सूची बना सकते हैं जो आपके स्कूल द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में होनी चाहिए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना की तैयारी

संस्था योजना की तैयारी के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं :

1. प्राप्त भौतिक सुविधाओं, शिक्षा कार्यक्रमों, पर्यवेक्षण आदि का सर्वेक्षण करना और इन सभी क्षेत्रों में कमियों का पता लगाना ।
2. भविष्य में छात्रों की भर्ती की परियोजना बनाना ।
3. भौतिक सुविधाओं और स्टाफ की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ।
4. एक निश्चित अवधि में सरकारी और गैरसरकारी आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना ।
5. भावी आवश्यकताओं और निर्धारित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकताएं एवं उनके विकल्प निश्चित करना ।
6. निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों व परियोजनाओं पर सूक्ष्मता से विचार करना ।
7. मूल्य वृद्धि और प्राप्त संसाधनों के उचित प्रयोग को दृष्टिगत करते हुए विस्तार और सुधार कार्यक्रमों के व्यय का मूल्यांकन करना ।
8. प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों और लागत व्यय को क्रमबद्ध करना ।
9. योजना की प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों पर वाद-विवाद के लिए योजना को समुदाय के सामने रखना ।
10. जनमत को ध्यान में रखते हुए योजना को अंतिम रूप देना ।

क्रियाकलाप-3

अगर आप अपने स्कूल में संस्था योजना पद्धति शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे ? इनकी क्रमबद्ध सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

संस्था योजना का निर्माण, कार्यान्वयन, संचालन और मूल्यांकन

संस्था योजना सिर्फ मुख्याध्यापक द्वारा नहीं बनाई जाएगी, वरन् इसमें सभी शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता एवं स्थानीय समाज का हाथ होगा, इसलिए आशा है कि इसका कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण होगा । इसके लिए जरूरी होगा कि इससे जुड़े सभी व्यक्तियों की नियमितरूपेण सभा बुलाई जाए, जिससे आवश्यकताओं का पता लग सके और इनकी पूर्ति के लिए संसाधनों का मूल्यांकन किया जा सके । हो सकता है कि एक बार में ही संस्था के समूचे विकास के लिए एक योजना न बनाई जा सके। लेकिन संस्था की सभी विचारणीय आवश्यकताओं को तो जाना ही जा सकता है और कुछेक प्राथमिकताओं का निश्चय करने के बाद वर्तमान एवं अतिरिक्त संसाधनों (जिन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा) को देखते हुए एकाध परियोजनाओं या कार्यक्रमों की शुरू किया जा सकता है । इनके लिए हमें अलग से रूपरेखा तैयार करनी होगी । ऐसी सब परियोजनाओं व कार्यक्रमों का कुल योग ही वस्तुतः संस्था-योजना है ।

विभिन्न परियाजनाओं की रूपरेखा बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :

1– परियोजना की आवश्यकता व औचित्य ।
2– परियोजना के विशेष उद्देश्य (अगर संभव हो तो कम से कम शब्दों में) ।
3– परियोजना में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा ।
4– कार्यान्वयन का समय ।
5– संसाधन ।
6– जांच एवं मूल्यांकन के तरीके ।
7– सुधार के लिए सुझाव ।

प्रत्येक परियोजना को विभिन्न गतिविधियों में बांटा जाएगा और ऊपर दिए गए सात तत्वों में से प्रत्येक की जानकारी परियोजना की रूपरेखा में दी जाएगी ।

क्रियाकलाप-4

हो सकता है आप अपनी संस्था में सुधार लाने के लिए कुछ परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम हाथ में लेना चाहें । ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्राथमिकता को देखते हुए सूची बनाइए । कम से कम एक परियोजना के संदर्भ में इन विशेष बातों का उल्लेख कीजिए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

संस्था योजना के काम का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है । उद्देश्यों को देखते हुए प्रत्येक योजना, परियोजना या कार्यक्रम का जब तब मूल्यांकन किया जाना चाहिए । मूल्यांकन से प्राप्त अनुभव का आगे चलकर योजना के परिष्करण के लिए लाभ उठाया जा सकता है । मूल्यांकन स्वयं स्कूल अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है या किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा । यह भी संभव है कि दोनों द्वारा मूल्यांकन किया जाए ।

क्रियाकलाप-5

मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आवृत्ति अभ्यास के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए :	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

1– संस्था योजना के विचार की व्याख्या कीजिए ।
2– संक्षेप में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए जो खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाने वाली योजना के विपरीत संस्था-योजना के अंतर्गत आते हैं ।
3– इस मॉड्यूल में उन कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जिन्हें संस्था-योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा सकता है । क्या आप अपनी संस्था को ध्यान में रखकर कुछ अन्य विस्तार व सुधार संबंधी कार्यक्रमों का सुझाव दे सकते हैं ?
4– भागीदारिता संबंधी योजना और व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं ? वे किस हद तक व्यावहारिक हैं ?
5– संस्था-योजना की तैयारी के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और उसकी तकनीक क्या है ?
6– संस्था-योजना संस्था के अधिकतम विकास के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और संभावित सभी संसाधनों का प्रयोग करती है । आप इससे कहां तक सहमत हैं ?
7– संस्था-योजना की जांच व मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए । अपने स्कूल से संबंधित संस्था-योजना के किसी एक कार्यक्रम के निरीक्षण एवं मूल्यांकन की रूपरेखा बनाइए ।

मॉड्यूल-14 सी

शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल का उद्देश्य है : शिक्षा के कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षकों में अन्तर्दृष्टि पैदा करना और कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक समर्थन पाने की उनकी क्षमता को बढ़ाना ।

हमारे लिए समुदाय का अर्थ एक ऐसे वर्ग से है जिसके सदस्यों की रुचियां एवं आवश्यकताएं एक जैसी हैं और जो एक विशिष्ट क्षेत्र/ग्राम संस्थान में शिक्षा के प्रसार के काम में लगे हैं ।

कुछ समय से आप शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और इस काम के लिए आप समुदाय का समर्थन एवं प्रतिभागिता पाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं । लेकिन हो सकता है कि आपने उन कारणों की व्याख्या न की हो जिनसे सामुदायिक प्रतिभागिता प्रभावित होती है । ऐसा देखा गया है कि जो व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम सरकारी एजेन्सियों द्वारा आरम्भ किये गये हैं और जिन्हें पर्याप्त सामुदायिक समर्थन प्राप्त नहीं है वे प्रायः अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते । यह बात शैक्षिक कार्यक्रमों में भी लागू होती है । नई शिक्षा नीति लागू करने पर हमें कई काम करने होंगे । एक ओर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा और दूसरी ओर समुदाय को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने होंगे । इनके लिए सामुदायिक प्रतिभागिता एवं सहयोग आवश्यक है ।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण-मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप :

- सामुदायिक प्रतिभागिता के प्रकार एवं अर्थ की समझ सकेंगे ।
- शैक्षिक कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता को समझ सकेंगे ।
- शैक्षिक कार्यक्रमों में समुदाय की अपर्याप्त प्रतिभागिता के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे एवं उसका उपचार कर सकेंगे ।
- उन क्षेत्रों को पहचान सकेंगे जिनमें सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता पड़ सकती है और उसे प्राप्त किया जा सकता है ।
- स्कूल और समुदाय के संबंधों को सुधारने के काम में स्कूल की भूमिका की समझ सकेंगे और समुदाय की प्रतिभागिता को प्राप्त कर सकेंगे ।
- सामुदायिक प्रतिभागिता के मौलिक पक्षों को समझ सकेंगे ।
- सामुदायिक प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने के तरीके जान सकेंगे और उनको अपने काम में ला सकेंगे ।

शिक्षण गतिविधियां

काफी समय से आप शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं । आपने विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं में सामुदायिक प्रतिभागिता प्राप्त करने का भी यत्न किया होगा । इस बात पर विभिन्न लेखों में जोर दिया जाता है । अनेक प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों ने भी इस पर बल दिया है ।

सामान्यतः हम यह सोचते हैं कि समुदाय जो सहायता देता है वही उसकी प्रतिभागिता है । किन्तु यह बात हमेशा सही नहीं होती । प्रतिभागिता का व्यापक अर्थ है : कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समुदाय की भावना और इच्छा की दृष्टि से प्रतिभागिता विभिन्न प्रकार की हो सकती है । आइए, अब हम इसे निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा और अधिक अच्छी तरह समझने की कोशिश करें ।

क्रियाकलाप-1

सामुदायिक प्रतिभागिता के अर्थ एवं उसके प्रकार के बारे में सोचिए। एक अलग कागज पर उन्हें लिखिए।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

यह आवश्यक नहीं कि हर मौके पर समुदाय के सदस्य अपना योगदान दें। कभी-कभी वे केवल स्कूल के समारोह में शामिल हो सकते हैं, नियमित हाजिरी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपकी शैक्षिक क्रियाओं में सहायता कर सकते हैं, आपसे सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, सामुदायिक समारोहों को आयोजित करने के लिए स्कूल पर निर्भर हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि यह दो तरफा प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में यह परस्पर सहभागिता की प्रक्रिया है।

आपने अपने अनुभव से देखा होगा कि सामुदायिक प्रतिभागिता कभी तो ऐच्छिक होती है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह समुदाय पर थोपी जा रही है। प्रतिभागिता निम्न प्रकार की हो सकती है :

1. **स्वतः स्फूर्त या स्वजात** :- लोग बिना किसी बाहरी सहायता या दबाव के स्वयं भाग लेने के लिए आगे आते हैं।
2. **प्रायोजित** :- कुछ लोग इसलिए भाग लेते हैं कि उन्हें आधिकारिक रूप से या सरकार की ओर से आदेश आया है। उन्हें काम के लिए विवश नहीं किया गया है पर प्रेरणा बाहर से आई है।
3. **अनिवार्य** :- लोग प्रतिभागी इसलिए बनते हैं कि प्रतिभागिता अनिवार्य कर दी गई है। इसकी अवहेलना करने पर जबरदस्ती भी की जा सकती है।

अब हम एक ऐसी विशेष स्थिति को लेंगे जिसमें सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता होगी। वह प्रतिभागिता उक्त तीनों में से किसी एक प्रकार की हो सकती है। इससे ये तीनों स्थितियां ठीक से समझ में आ सकेंगी। कल्पना कीजिए कि एक स्कूल को समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। समुदाय उसकी आवश्यकता को समझकर धन तथा सामग्री इकट्ठी करने का निश्चय करता है। अपने बच्चों को स्कूल में भरती करवाता है। यह स्वजात प्रतिभागिता का एक उदाहरण है। यदि उसी काम के लिए अधिकारीगण समुदाय को प्रेरित करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं (जैसे भवन निर्माण, स्कूल के शिक्षकों तथा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनुदान) तो यह प्रायोजित प्रतिभागिता है। अगर माता-पिता को भवन निर्माण हेतु पैसा देने के लिए विवश किया जाता है और उनके द्वारा ऐसा न किए जाने पर उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके परिणाम को घोषित न किया जाए आदि। यह अनिवार्य प्रतिभागिता का उदाहरण है। इसी प्रकार स्कूल के अधिकारी या समुदाय के सदस्य माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आदेश देते हैं और वैसा न करने पर उन पर जुर्माना किया जाता है, उनके कुछ फायदे बंद कर दिए जाते हैं या उन्हें दण्ड दिया जाता है तो यह भी अनिवार्य प्रतिभागिता होगी।

हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अनिवार्य प्रतिभागिता ठीक नहीं है। स्वजात या स्वतः स्फूर्त और प्रायोजित प्रतिभागिता में स्वजात सबसे अच्छी है। यह अधिक दिन चल सकेगी और इससे आदर्श, सहकारी एवं सहभागी स्थिति पैदा होगी।

सामुदायिक प्रतिभागिता के अर्थ और प्रकार जानने के बाद यह उचित होगा कि हम शैक्षिक कार्यक्रम में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता को समझें। यह देखा गया है कि कोई भी विकास-योजना, विशेष रूप से शैक्षिक विकास योजना, जब समुदाय पर आधारित होती है तब वह अधिक सफल होती है। सफलता का कारण यह होता है कि लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई होगी जब आपने देखा होगा कि केवल सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं है। आप चाहते होंगे कि आपको समुदाय की सहायता प्राप्त हो और उसके लिए आप कुछ प्रयत्न करें। आइए हम ऐसी स्थिति पर पुनः विचार करें और शैक्षिक कार्यक्रम में सामुदायिक प्रतिभागिता की आवश्यकता पर चर्चा करें।

क्रियाकलाप-2

अपने अनुभव से कुछ ऐसी स्थितियों को याद कीजिए जहां आपको समुदाय की सहायता सहभागिता की आवश्यकता महसूस हुई हो।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

स्कूल ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे सीधे अपनी मां की गोद से और परिवार जैसी सर्वव्यापी संस्था से आते हैं। उनके यहां आने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व का निरंतर विकास है। कुछ समाजों में विशेष रूप से जनजातीय समुदायों में बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व कई परम्परागत संस्थाओं में बँटा हुआ है। अतः इसके लिए समुदायों की सहायता एवं सहभागिता अत्यावश्यक है।

एक शैक्षिक संस्था के सभी कामों के लिए समुदाय की प्रतिभागिता आवश्यक है, जैसे विविध गतिविधियों का संगठन एवं आयोजन, भौतिक सहायता, नियमित कार्य, निष्पक्षता, छात्रों की संख्या में वृद्धि, पर्यवेक्षण, शैक्षिक विकास में सहायता आदि।

नई शिक्षा नीति में, अन्य बातों के अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की योजना है । इसका मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक अवसरों की असमानताओं का निवारण, शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, प्रबंध का विकेन्द्रीकरण आदि । ये उद्देश्य समुदायों की सक्रिय सहभागिता के बिना पूरे करने कठिन हैं । नई शिक्षा नीति "विकेन्द्रीकरण" पर बल देती है और शैक्षिक क्रियाओं के लिए स्वायत्तता की भावना पैदा करना चाहती है ।

यदि आप स्कूल द्वारा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर विचार करें तो आप देखेंगे कि अधिकांश शिक्षक इस बात की शिकायत करते हैं कि समुदाय से संपर्क स्थापित करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है पर यदि यह पहलू आवश्यक है तो इसके लिए उन्हें समय निकालना चाहिए । स्कूलों में जिन समारोहों का आयोजन होता है उनमें से ज्यादातर आधिकारिक होते हैं । उनमें समुदाय की सहभागिता अपर्याप्त होती है । लेकिन बहुत से स्थानों पर समुदाय की आदर्श सहभागिता भी देखी गई है ।

हम पहले ही सामुदायिक प्रतिभागिता की संक्षेप में विवेचना कर चुके हैं । अब हम उन क्षेत्रों में समुदाय की सहायता प्राप्त करने की संभावना की चर्चा करेंगे जहां पर उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है ।

क्रियाकलाप-3

संस्थाओं के प्रबन्ध एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों/पक्षों की सूची बनाइए जिनमें समुदाय की प्रतिभागिता की आवश्यकता है ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जिन क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता या सहायता की आवश्यकता पड़ती है वे स्कूल के शैक्षिक, प्रबन्धात्मक एवं प्रशासनिक पहलुओं से जुड़े हैं । आइए, अब हम अपने अनुभवों का विश्लेषण करें :

1. यदि समुदाय से उपयुक्त संबंध हो तो वह अपने सदस्यों को इस दृष्टि से अभिप्रेरित करने तथा उन्हें मनाने में अच्छी खासी सहायता दे सकता है कि वे अपने बच्चें को स्कूल में भर्ती कराएं । समुदाय बच्चों के नियमित रूप से स्कूल में आने एवं पढ़ते रहने में सहायता दे सकता है । कभी-कभी समुदाय माता-पिता पर दबाव भी डाल सकता है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ।
2. स्कूल समुदाय का एक अंग है । अतः वह स्कूल को भौतिक सुविधाएं देने में सहायक हो सकता है । जैसे स्कूल के भवन का निर्माण एवं उसकी मरम्मत । कक्षाओं के लिए स्थान, डेस्क, सहायक सामग्री, शिक्षकों के लिए निवास स्थान आदि । वह स्कूल के विभिन्न समारोहों के लिए धन दे सकता है । वह विशेष रूप से ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्रों में मुफ्त श्रम देकर स्कूल की सहायता कर सकता है ।
3. समाज में अपने कुशल कारीगर होते हैं । वे स्कूल की कार्य अनुभव जैसी क्रियाओं में सहायता कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अभाव में शिक्षित लोग स्वेच्छा से अध्यापन के काम के लिए आगे आ सकते है ।
4. यह देखा गया है कि उस गाव में जहां समुदाय में शिक्षा की ओर रुझान है या उसे शैक्षिक क्रियाओं में रुचि है, वहा समुदाय स्कूलों के नियमित संचालन में सहायता करता है । स्कूल की दिन-प्रतिदिन की आकस्मिक समस्याओं का समाधान करता है, उसका निकट से निरीक्षण आदि करता है ।
5. स्कूल में अनुकूल वातावरण बनाए रखने में समुदाय सहायक होता है । वह शिक्षकों के आपसी झगड़ों तथा शिक्षकों और अभिभावकों के झगड़ों आदि में हस्तक्षेप करके उन्हें निपटाता है । वह कुछ सामाजिक अवांछित समस्याओं तथा अशान्ति को दूर करने में भी सहायता करता है ।
6. कई बार समाज स्कूल की प्रशासनिक समस्याओं को भी सुलझाता है । यह देखा गया है कि ऐसे मौकों पर पंचायत अथवा समुदाय के सदस्य स्कूल की सहायता करते हैं ।
7. शैक्षिक मामलों में भी समुदाय योगदान कर सकता है । क्रियाओं की योजना बनाने तथा उनको कारगर करने में वह बहुमूल्य सुझाव दे सकता है । समुदाय का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह स्कूल की कई तरह की प्रामाणिक प्रतिपुष्टि दे सकता है । बच्चों के अध्यापन तथा सह-शैक्षिक क्रियाओं आदि के बारे में भी वह सहायता दे सकता है । इससे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिल सकती है ।

और भी अनेक पहलू हैं जहां समुदाय सहभागी हो सकता है और एक शैक्षिक संस्था की सहायता कर सकता है ।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सहभागिता दो तरफा कार्य हैं । आइए अब हम स्कूल-समुदाय के संबंधों को सुधारने तथा समुदाय की सहभागिता को बनाए रखने में स्कूल की भूमिका का विश्लेषण करें ।

क्रियाकलाप-4

उन क्रियाओं का उल्लेख कीजिए जिनकी सहायता से स्कूल समुदाय के साथ अच्छे संबंध रख सकता है और उसकी सहभागिता प्राप्त कर सकता है ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

समुदाय की सहभागिता पाने में स्कूल एक निश्चित भूमिका निभा सकता है । इसके लिए उसे समुदाय के निकट आना होगा । निम्नलिखित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें स्कूल समुदाय की सहायता कर सकता है :

1. स्कूल अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है और गांव/क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए शिक्षा का केन्द्र बन सकता है । इसके लिए स्कूल को चाहिए कि वह अपने को अपने विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित न रखें बल्कि समुदाय के सदस्यों की भी पढ़ने में सहायता करें । यदि वे सदस्य स्कूल से शैक्षिक सहायता लेना चाहें, तो स्कूल उनकी सहायता करे और साथ ही उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें । इस तरह स्कूल समुदाय का केन्द्र बन सकता है ।
2. अधिकांश स्थानों पर स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी सभाएं व समारोह कर सकते हैं । ऐसी परिस्थितियों में स्कूल समुदाय को कुछ सुविधाएं दे सकता है जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि । पर ऐसा करते समय स्कूल को अपने नियमित कार्यक्रमों को भंग नहीं करना चाहिए ।
3. गांवों एवं बस्तियों में शिक्षकों को विद्वान एवं ज्ञानी समझा जाता है । लोग उनके पास सलाह और मार्गदर्शन के लिए आते हैं । उनकी सहायता की जानी चाहिए ।
4. समुदाय में परिवर्तन के साधन के रूप में स्कूल की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए । उसमे समुदाय में शिक्षा एवं विकास के कामों तथा गतिविधियों के बारे में नए विचार संकलित करने तथा उन्हें फैलाने के काम में सहायता मिल सकती है । कभी-कभी स्कूल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्संबंधी विभागों से सम्पर्क स्थापित करने में भी उनकी सहायता कर सकता है ।
5. स्कूलों में बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी की जा सकती है । माता-पिता को उन्हें देखने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है । इससे वे प्रसन्न होंगे । वे भी स्कूल के काम को, प्रयोगों को एवं गतिविधियों को देखकर कुछ सीख सकते हैं ।

अब तक हमने उन क्षेत्रों की विवेचना की है जिनमें स्कूल और समुदाय एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं । आइए अब हम अपने विचारों का संश्लेषण करें तथा कुछ मौलिक कारणों की व्याख्या करें । जिनका समुदाय की सहभागिता पर प्रभाव पड़ता है ।

क्रियाकलाप-5

आपके विचार से समुदाय की सहभागिता को प्रभावित करने वाले मूलभूत तत्व कौन से हैं ?	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

चर्चा से लगता है कि निम्नांकित कारणों से समुदाय की सहभागिता प्रभावित होती है :

1. स्कूल और समुदाय को सहभागियों के रूप में काम करना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि समुदाय स्कूल के मामलों में भाग लें । जब तक समुदाय के सदस्यों में अपनत्व की भावना पैदा नहीं होगी तब तक वे भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होंगे । स्कूल की सभी क्रियाओं में उनकी सहभागिता होनी चाहिए । यह सहभागी आयोजन तथा प्रवन्ध की प्रक्रिया कहलाती है ।
2. समुदाय के स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से समुदाय की सहभागिता को आगे बढ़ाया जा सके । आपने देखा होगा कि लगभग सभी गांवों एवं बस्तियों में इस काम के लिए समिति बनाई जाती है । उस समिति के अनेक नाम हो सकते हैं जैसे स्कूल-समिति, समन्वय-समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ आदि । किन्तु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने में उन समितियों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता ।
3. आपने देखा होगा कि जिन स्थानों पर नवयुवक या युवा पीढ़ी शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे आई है, इससे समुदाय की सहभागिता बढ़ी है । इस पहलू पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए ।
4. उन लोगों ने जो दूरस्थ जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, देखा होगा कि वहां कुछ परम्परागत संस्थाएं होती हैं, यदि इन सस्थओं का सफल प्रयोग किया जाए तो समुदाय की सहभागिता की गति तेज हो सकती है।

5. समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने में स्वयंसेवी संगठनों का योगदान उत्साहवर्धक रहा है । जहां कहीं भी इस प्रकार के संगठन हों, उनसे सम्पर्क किया जाना चाहिए ।
6. समुदाय की सहभागिता की सीमा को जानने और बढ़ाने के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि समुदाय/बस्ती का सर्वेक्षण किया जाए और समुदाय के साधनों का पता लगाया जाये । इस सर्वेक्षण में समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताएं, सामुदायिक समूहों का गठन, मानव साधन, गांव के अधिकारी, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण आदि सम्मिलित होने चाहिए । इससे स्कूल के सुधार में तथा स्कूल और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी ।

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं जिनसे समुदाय की सहभागिता पाने में सहायता मिल सकती है। समुदाय से सम्पर्क स्थापित करते समय शिक्षक इन कारणों को जान सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं ।

क्रियाकलाप-6

आपने देखा होगा कि आपमें से कुछ को समुदाय की सहायता मिल जाती है जबकि औरों को इसमें कठिनाई होती है । क्या आपने कभी समुदाय के साथ काम करने के महत्वपूर्ण तरीकों को ढूंढा है और उनका विश्लेषण किया है ? अगर नहीं तो आइए करके देखें ।

आपके विचार में समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने और समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं? कृपया संक्षेप में उनका उल्लेख कीजिए ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

सामुदायिक कार्य के लिए अनेक तरीके ढूंढे गए हैं । वे सभी लाभदायक हैं । फिर भी आइए हम अपने अनुभवों का संश्लेषण कर कुछ सामान्य तरीकों का उल्लेख करें :

1. **समुदाय से पूरी तरह सम्पर्क स्थापित करने से पहले यह आवश्यक है कि हम उस समुदाय की अच्छी तरह जान लें। जब आपकी नियुक्ति नए स्थान पर हो, तब उस स्थान के सामाजिक ढांचे, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक संगठन समस्याओं, भाषा, जीवनशैली आदि को समझने की कोशिश करें ।**
2. **केवल समुदाय को जानना ही पर्याप्त नहीं है । यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने को समुदाय के समरूप बनाएं । समुदाय के साथ समानता के स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करें और समुदाय के सदस्यों का सम्मान करें ।**
3. **यह बात महत्वपूर्ण है कि आप समुदाय या व्यक्तियों की समस्याओं को समझें । उनकी समस्याओं को बिना समझे अपने विचार उन पर न थोपें । आपका इस प्रकार का व्यवहार आपको समुदाय के निकट लाएगा ।**
4. **बच्चों के माता-पिता से उनके विरुद्ध शिकायत न करें । उन्हें निश्चित सुझाव दें । ये सुझाव उन दोनों को अच्छे लगेंगे ।**
5. **आप उभरते हुए नेताओं का, जो अधिकतर युवक और शिक्षित हों, सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें । समुदाय के विशिष्ट सदस्यों की सहायता लाभप्रद होगी ।**
6. **बस्ती में आयोजित सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य समारोहों में भाग लेने से शिक्षकों को समुदाय के निकट आने में सहायता मिलती है ।**
7. **प्रत्येक स्कूल में सक्रिय "अभिभावक शिक्षक संघ" या "समन्वय समिति" होनी चाहिए ।**

उक्त तरीकों के अतिरिक्त कुछ और भी ढंग हैं जैसे हंसमुख स्वभाव, बात करने का ढंग, सदस्यों के प्रति आदर आदि जिनकी समुदाय के साथ घनिष्ठता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है । समस्याओं के समाधान के लिए कोई निश्चित तरीके नहीं हैं । वे विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति या शिक्षा द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करते हैं । आपकी भूमिका केवल कक्षा में निर्देशन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए । आपको समुदाय का मार्गदर्शक एवं सहायक भी बनना होगा ।

माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस मॉड्यूल में सुझाई गई गतिविधियों के अतिरिक्त अभिभावक शिक्षक संघ के साथ और अधिक समीपी सम्बन्ध की सलाह भी दी जाती है ।

मॉड्यूल-15 सी

विद्यालय परिसर

भूमिका

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" और तत्संबंधी "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" का कहना है कि शिक्षा संबंधी योजना और व्यवस्था पद्धति की भलीभांति जांच पड़ताल को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । स्थानीय स्तर पर शिक्षा नीति के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन पर विचार करते समय "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" ने विद्यालय परिसर को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है । "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" ने कहा है :

विद्यालय परिसर की क्रियान्वयन पद्धति लचीली होगी जिससे विभिन्न संस्थाओं और सहक्रियात्मक गठबंधन के रूप में सुचारु रूप से काम किया जा सके, शिक्षकों में व्यावसायिक भावना को बढ़ावा मिल सके, अनुभवों व सुविधाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और नियमों का विधिवत पालन किया जा सके । इस मॉड्यूल में उन स्कूल शिक्षकों के लिए कुछ जानकारी देने का प्रयास किया गया है जो "सहक्रियात्मक गठबन्धन" का आधार होंगे ।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप :

(1) विद्यालय परिसर के विचार की और उसकी तार्किकता (विवेक) की प्रशंसा कर सकेंगे ।
(2) जान सकेंगे कि निम्नतम स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रशासन और शैक्षणिक योजना के विकेन्द्रीकरण में विद्यालय परिसर का क्या स्थान है ?
(3) विद्यालय परिसर के कार्य में प्रभावपूर्ण ढंग से सहयोग दे सकेंगे ।
(4) विद्यालय परिसर में भाग लेने वाले स्कूलों को जो सुविधाएं, सेवाएं और सहायता दी जा सकती हैं उनका आप प्रयोग व समर्थन कर सकेंगे ।
(5) अध्ययन-अध्यापन-प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय परिसर के अपने सहयोगियों के साथ मिल जुलकर काम कर सकेंगे । गे ।

नीति विषय

सहक्रिया का अर्थ है : दो या उससे अधिक गतिविधियों को मिलाना । ऐसी धारणा है कि अगर हम कुछ गतिविधियों को मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो हमें बनिस्पत अलग-अलग काम करने के इसमें अधिक सफलता मिल सकती है । इस दृष्टि से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86" व्यवस्था संबंधी कुछेक आधारभूत सिद्धान्तों और क्रियाओं को अपनाना चाहती है । विद्यालय परिसर की योजना और व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं

–विकेन्द्रीकरण
–भागीदारिता
–स्वायत्तता आदि

इस कार्य के लिए जो नीति अपनाई जाएगी उसे साकार करने के लिए "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" द्वारा आधारभूत संस्थाओं के अध्यक्षों और शिक्षकों के लिए नई भूमिका नियत की गई है । इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में वांछनीय परिवर्तन तभी आ सकता है जबकि शिक्षकगण उसमें सक्रिय भाग लें ।

विकेन्द्रीकरण

विभिन्न कार्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा (जो उस काम को करते आए हैं) अधिक अच्छे से किए जा सकते हैं इसलिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक बन जाता है । उदाहरण के लिए प्रेरणा का काम शिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके और संस्थाओं के तंत्र में लचीलेपन का बढ़ावा मिल सके ।

भागीदारिता

व्यवसायवाद, सुविधाओं एवं अनुभवों के बंटवारे और संचालन संबंधी नियमों के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षकों को विभिन्न सेवाओं और गतिविधियों के प्रबन्ध में लगाना होगा । उदाहरण के लिए नियमों और प्रक्रियाओं और संस्थानिक पद्धति में सुधार के आम मामलों की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है ।

स्वायत्तता

इसका मतलब है—शिक्षण संबंधित व्यक्तियों, समुदायों और उत्पादक क्षेत्रों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना ।

विद्यालय परिसर : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शिक्षा-व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कई नए मार्गों व साधनों को अपनाना होगा । यहीं "विद्यालय परिसर" के विचार का जन्म होता है । विचार एकदम नया नहीं है । इसे शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा बाकायदा पेश किया गया था । इससे पहले भी अर्थात् स्वतन्त्रता पूर्व के दिनों में अजमेर राज्य (जो आगे चलकर राजस्थान राज्य में आ गया था) में और बम्बई प्रान्त के कुछ भागों में (जहां आसपास के स्कूलों को बीच वाले स्कूल से जोड़ दिया जाता था) इसका अस्तित्व था । आसपास के स्कूल बीच वाले स्कूल के साथ मिलकर एक खण्ड बन जाते थे ।

कोठारी आयोग (1964-66)

"विद्यालय परिसर" के विचार को कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा उभारा गया था। मोटे तौर पर क्रियान्वयन के लिए कुछेक महत्वपूर्ण नीतियों के साथ बड़े व्यवस्थित ढंग से पांच से दस मील के ग्रामीण घेरे में एक माध्यमिक स्कूल, पांच उच्च प्राथमिक स्कूलों और 28 निम्न प्राथमिक स्कूलों तथा 80–100 शिक्षकों का मोटा अनुमान लगाकर आयोग ने सोचा कि इतना छोटा समूह आपस में मिलजुल कर अच्छे से काम कर सकेगा । एक दूसरे के समीप होने के कारण प्रबंध व्यवस्था में भी कठिनाई नहीं होगी । आयोग द्वारा यह सुझाव भी सामने रखा गया कि स्कूलों को दो स्तरों में जोड़ा जाए, इससे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सहकारिता के प्रयास में सहायता मिलेगी । आयोग ने कहा : उच्च प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक अपने अधीनस्थ निम्न प्राथमिक स्कूल को भी अपनी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करेगा । वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं—यह देखना उसकी जिम्मेदारी होगी । इस काम के लिए एक समिति होगा । उस क्षेत्र के प्रत्येक निम्न प्राथमिक स्कूल का मुख्याध्यापक उस समिति का सदस्य होगा । उच्च प्राथमिक शाला का मुख्याध्यापक उस समिति का अध्यक्ष होगी । वह समिति एक अकेले परिसर के रूप में सभी स्कूलों की योजना व विकास के लिए उत्तरदायी होगी । दूसरे स्तर पर एक और समिति होगी जिसकी अध्यक्षता माध्यमिक स्कूल का मुख्याध्यापक करेगा । उस क्षेत्र में स्थित सभी उच्च और निम्न प्राथमिक स्कूलों के मुख्याध्यापक उसके सदस्य होंगे । इसका काम कार्ययोजना बनाना होगा और प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल कॉम्पलैक्स (निम्न प्राथमिक स्कूलों के साथ मिलकर) द्वारा इस कार्य का क्रियान्वयन किया जायेगा । स्कूलों और शिक्षकों को अपना कार्यक्रम बनाने की पूरी स्वतंत्रता होगी हालांकि वे कार्यक्रम निरीक्षण स्टाफ का सामान्य मार्ग निर्देशन उन्हें प्राप्त होगा ।

आयोग की सिफारिश और प्रेरणा पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने प्रयोग के तौर पर कुछ "विद्यालय परिसर" बनाए ।

विद्यालय परिसर : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन"

विद्यालय परिसर के विचार को पुनर्जीवित किया गया है । उसके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए नई नीतियों और मार्गों को खोजकर उसे बढ़ावा दिया जा सकेगा । "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" द्वारा आगे कहा गया है कि विद्यालय परिसर क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत निम्नतम जीवनक्षम यूनिट के रूप में काम करेगा । यह 8-10 स्कूलों का एक "समूह" होगा जिसमें विभिन्न स्कूल संसाधनों, व्यक्तियों, शिक्षण सामग्री एवं साधनों आदि का मिल-जुलकर प्रयोग कर सकेंगे और एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे ।

विद्यालय परिसर दो प्रकार के होंगे । पहले प्रकार के परिसर में प्रत्येक माध्यमिक स्कूल अपने आसपास के 3-5 प्राथमिक स्कूलों से जुड़ा होगा । दूसरे प्रकार के परिसर में एक ही क्षेत्र के 8-10 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल एक सेकेण्डरी/उच्च सेकेण्डरी स्कूल से जुड़े होंगे । हालांकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में और रेगिस्तान में लचीली नीति अपनाई जा सकती है जहां स्कूलों की संख्या मैदानी क्षेत्रों की तुलना से कहीं कम होगी । घने बसे क्षेत्रों में भी एक परिसर में स्कूलों की संख्या औसत से कुछ कम होगी । विद्यालय परिसर को प्रबन्ध व्यवस्था में लचीली पद्धति पर विशेष जोर दिया गया है । परिसर में किन स्कूलों को "केन्द्र" बनाया जाये इसका निश्चय करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :

(1) उस क्षेत्र में स्कूल न जाने वाले बच्चों और प्रौढ़ लोगों के लिए बनाए गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों सहित पोषक स्कूलों की संख्या
(2) मुख्य स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बीच बहुत कम दूरी (5-8 किलोमीटर के लगभग)
(3) स्टाफ भवन, फर्नीचर आदि की दृष्टि से योगदान की क्षमता
(4) शैक्षणिक स्तर
(5) प्रशासनिक क्षमता

(6) मुख्य स्कूल को सामान्य रूप से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । लचीली नीति के अन्तर्गत कहीं प्राथमिक स्कूल को, तो कहीं माध्यमिक या सेकेण्डरी स्कूल को मुख्य स्कूल की भूमिका निभानी होगी ।

स्वायत्तता की नीति की दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा रहा है कि समय के प्रवाह में जब "विद्यालय परिसर" का पूर्ण विकास हो जाएगा तो वे निरीक्षण का बहुत सारा काम भी अपने ऊपर ले लेंगे जिससे भागीदारी स्कूलों, मुख्याध्यापकों और शिक्षकों के बीच अच्छा खासा तालमेल संभव होगा।

विद्यालय परिसर : शिक्षकों के लिए कुछ प्वाइन्ट्स

"विद्यालय परिसरों" से स्थानीय स्तर पर स्कूल शिक्षा की योजना एवं व्यवस्था में सुधार की आशा की जा रही है । उसमें शिक्षा के स्तर को बाकायदा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा । शिक्षकों कि लिए कुछ महत्वपूर्ण प्वाइन्ट्स इस प्रकार हैं :

(1) विद्यालय परिसर प्रत्येक स्कूल के शिक्षक की दैनिक व्यवसायगत समस्याओं को सुलझा सकेगा ।

(2) वह विभिन्न स्तरों पर स्कूलों व शिक्षकों में विचारों के आदान-प्रदान से शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सकेगा । यहां उसके द्वारा सहयोग को भावना को बढ़ावा दिया जाएगा और स्कूलों एवं शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक सामग्री, पुस्तकालय आदि का मिलजुल कर प्रयोग संभव होगा ।

(3) इसके द्वारा शिक्षकों की गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनों, फिल्मों और सेमिनारों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) उन स्कूलों में विज्ञान संबंधी प्रदर्शनियों का आयोजन संभव होगा जिनके पास परिसर में सबसे अधिक विज्ञान संबंधी सामग्री है ।

(5) स्कूलों के शिक्षक सेकेण्डरी, उच्च या निम्न प्राथमिक स्कूलों में जाकर अनुभवों का आदान--प्रदान कर सकेंगे, उनका मार्ग निर्देशन कर सकेंगे और उनकी सहायता में हाथ बंटा सकेंगे ।

(6) यह शिक्षकों में शैक्षणिक नेतृत्व की भावना को उभारने में सहायक होगा । इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में प्रयोगों और नवीकरण का आदान-प्रदान भी संभव होगा ।

(7) डी० आई० ई० टी० द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा लेकिन विद्यालय परिसर सामान्य रूप से मूल्य शिक्षा, राष्ट्रीय एकता आदि जैसे विषयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में सहायक होगा।

(8) अगर कोई शिक्षक छुट्टी पर जाता है तो विद्यालय परिसर द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि वह दूसरे स्कूल के शिक्षक को उस स्कूल में भेज दे । यह मुख्य स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा सिर्फ अस्थायी तौर पर ही किया जाएगा । इस प्रकार के मामलों पर अन्य सह स्कूलों के मुख्याध्यापक भी उत्तरदायी भूमिका निभाएंगे ।

(9) अगर शिक्षक का स्थानान्तरण हो जाता है या वह प्रशिक्षण के लिए जाता है तो इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की भेजी जाएगी ।

(10) शक्ति के विकेन्द्रीकरण से यह संभव होगा कि शिक्षकों को औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए बहुत घूमना नहीं पड़ेगा ।

(11) इससे शिक्षकों की छुट्टियों (पैसा आदि) से संबंधित समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकेगा । इसके लिए शिक्षकों एवं मुख्याध्यापकों की मासिक गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा । राज्य शिक्षा विभाग के और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसमें उपस्थित होंगे ।

(12) शिक्षक परीक्षाओं में अध्यक्ष की सहायता कर सकेंगे ।

(13) समय पालन, शिक्षकों के नियमित रूप से स्कूल आने, शिक्षण में उनके और अधिक योगदान, बेहतर माहौल आदि से संबंधित नियम बनाना आसान होगा ।

शिक्षकों की धारणा

कुछ शिक्षक समझते हैं कि "विद्यालय परिसर" से शिक्षकों की और शिक्षण सामग्री की कमी हो जाएगी । आपस में मिल बांटने से और मुख्याध्यापकों के तानाशाही रवैये से स्कूल के भवनों की हालत खराब हो जाएगी, कक्षाओं और फर्नीचर की कमी हो जाएगी, खेल के मैदानों की कमी पड़ जाएगी आदि पर इस धारणा को हमें समाप्त करना होगा । जैसा कि हमने पहले कहा है विद्यालय परिसर द्वारा उल्टे उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

नियोजकों और प्रशासकों के लिए गाइडलाइन्स

कई विशेषज्ञ स्कूल कॉम्पलैक्स के पहलू को क्रियान्वित करने के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद कर चुके हैं । इसके परिणामस्वरूप विद्यालय परिसर के नियोजकों और प्रशासकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आए हैं ।

इनका इस मॉड्यूल में उल्लेख नहीं किया गया है । हालांकि शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि विद्यालय परिसर शैक्षणिक व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।

अभ्यास

क्रियाकलाप-1

अगर आपके क्षेत्र में विद्यालय परिसर है तो विभिन्न तरह के विद्यालय परिसर के शिक्षकों की आवश्यकताओं की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए सूची बनाइए :

(क) आपके रुचि के विषय के लिए पाठों का प्रदर्शन
(ख) कला-शिक्षा और राष्ट्रीय एकता पर एक गोष्ठी
(ग) समूह गान पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रदर्शन
(घ) अगर संभव हो तो योगाभ्यास

क्रियाकलाप-2

अपके क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालय परिसर के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेण्डरी स्कूलों के बीच शैक्षणिक सहकारिता के संबंध में एक "एक्शन प्लान" तैयार कीजिए ।

क्रियाकलाप-3

आपके क्षेत्र के विद्यालय परिसर के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों द्वारा भौतिक सुविधाओं के प्रयोग के बारे में सुझाव दीजिए।

सन्दर्भ

यह मॉड्यूल कई प्रपत्रों के आधार पर तैयार किया गया है जैसे : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग रिपोर्ट, एन० आई० ई० पी० ए० गाइडलाइन्स फॉर स्टेट गवर्नमेंन्ट्स और शिक्षा व्यवस्था पर उप-समितियों में हुए वाद-विवाद । "भारत में विद्यालय परिसरों को पुनर्जीवित करना"—लेखक डॉ० आर० पी० सिंघल (कॉन्सेट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली 1983)" । यह आधारभूत संदर्भ पुस्तक है । स्कूल कॉम्पलैक्सेम : फार्मुलेशन ऑफ गाइडलाइन्स—विद्यालय परिसरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में वादवविाद के लिए तैयार किया गया पेपर । इसके लेखक हैं—श्री वी० वी० चिपलुंकर । विद्यालय परिसरों की योजना और व्यवस्था—यह मॉड्यूल डॉ० सी० एल० सप्रा और एस० एस० दुदानी द्वारा तैयार किया गया है, आदि आदि ।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

"प्रारम्भिक शिक्षा सबको दी जाए" यह हमारी शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है । हमारे संविधान में 14 वर्ष की वय तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है । यह 1986 के "20 सूत्री कार्यक्रम" और "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" का एक भाग है । "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" में भी "सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा" को प्राथमिकता दी गई है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार की रूपरेखा बनाई गई हैं । उसमें शिक्षा पद्धति में आज जो विभिन्नताएं हैं उन्हें दूर करने पर जोर दिया गया है । उसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाया जाना चाहिये जिससे सभी बच्चों को चाहे वे गरीब हों या अमीर, अच्छी शिक्षा मिल सके । "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में सुधार द्वारा शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए गये हैं । उसमें अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारण पर और अधिक शिक्षकों की व्यवस्था एवं स्कूलों को और अधिक सुविधाएं देने पर बल दिया गया है ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

—"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" का अर्थ समझ सकेंगे एवं कार्यान्वयन नीति को जान सकेंगे ।

—इस नीति के कार्यान्वयन में केन्द्र/राज्य सरकारों की भूमिका को जान सकेंगे ।

—योजना को और अधिक प्रभावात्मक बनाने में स्थानीय समुदाय की भूमिका को समझ सकेंगे ।

—यह भी समझ सकेंगे कि इसे सफल बनाने में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं ।

—इसके अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं का समुचित उपयोग कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सफल बना सकेंगे ।

शिक्षण गतिविधियां :

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और उसके तत्व

जैसा कि आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को सभी दृष्टियों से सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं । इनमें से एक है : "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" । यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है । इसका लक्ष्य है प्राथमिक स्कूलों को दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं में आवश्यक सुधार । 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" में अभी तक के सभी प्राइमरी स्कूलों को दी जाने वाली कम से कम सुविधाओं का स्तर निश्चित किया गया है ।

इसमें यह भी कहा गया है कि भविष्य में खुलने वाले सभी स्कूलों को कम से कम कितना पैसा दिया जाना चाहिए ।

"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के ये तीन मुख्य तत्व हैं :

(1) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को कम से कम दो बड़े कमरे दिए जाएं, जो हर मौसम में काम में आ सकें । उनके साथ एक बड़ा बरांडा और 2 टॉयलेट होने चाहिए—एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए ।

(2) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए, अगर सम्भव हो तो उनमें से एक महिला शिक्षिका हो ।

(3) प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को आवश्यक अध्ययन-अध्यापन सामग्री दी जाए । जैसे—ग्लोबनक्शे, शिक्षण चार्ट, कार्यानुभव क्रियाकलापों के टूल्स, विज्ञान किट, गणित किट, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, पत्रिकाएं आदि ।

क्रियाकलाप-1

आप प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आपके कुछ साथी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं । स्कूल के वातावरण और कार्य स्थिति को देखते हुए आवश्यक अध्ययन-अध्यापन सामग्री की सूची बनाइए जिससे शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण एवं रोचक बनाया जा सकता है ।	एकत्र कीजिए विचार कीजिए चर्चा कीजिए

क्रियान्वयन

हम सब जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों में संवैधानिक निर्देशों एवं विभिन्न प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है । इस असफलता के कई कारण हैं । इनमें से कुछ मुख्य कारण ये हैं :

स्कूल के लिए उचित भवनों, शिक्षकों और शिक्षण सामग्री का अभाव । "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" का उद्देश्य है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए इनका प्रावधान किया जाए ।

आर्थिक कमी के कारण सभी स्कूलों को एक साथ ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं इसलिए तीन वर्षों के समय में इसे पूरा करने का निश्चय किया गया है । 1987–88 में राज्य के केवल 20 प्रतिशत सामुदायिक विकास खण्डों और नगरपालिकाधीन क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया गया है । 1988–89 में 30 प्रतिशत खण्डों एवं नगरपालिकाधीन क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा और शेष 50 प्रतिशत को 1989–90 में ।

"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" योजना शासकीय, स्थानीय, पंचायती संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए है ।

स्कूल-भवनों, आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं एक-शिक्षक स्कूलों में दूसरे शिक्षक की आवश्यकता संबंधी सूचना इकट्ठी करने के लिए राज्य के सभी जनपदों को कहा गया था । वे एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रारूप के मुताबिक वर्तमान सुविधाओं का सर्वेक्षण कर सूचना प्रेषित कर चुके हैं ।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के क्रियान्वयन में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बड़ी जिम्मेदारी को अपने पर लिया है । "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलजुल कर काम कर रही है ।

(1) स्कूल भवनों का निर्माण

स्कूल भवनों के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था राज्य-सरकारों द्वारा उन योजनाओं के अन्तर्गत की जा रही है जिनके लिए भारत सरकार द्वारा पैसा दिया जा चुका है । राज्यों को स्कूल भवनों के निर्माण के लिए आठवें वित्तीय आयोग द्वारा दिए गए पैसे के प्रयोग से संबंधित रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है । प्राथमिक स्कूलों के भवन निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए उच्च स्तर पर उस धनराशि के न्यायिक आवंटन पर निर्णय भी लिया जा चुका है जो राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दिया गया है ।

स्कूल भवनों को बनाने के लिए राज्यों को निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए हैं :

(क) प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर होना चाहिए । बराण्डे को चौड़ाई लगभग 8–10 फीट होनी चाहिए । अगर पुराने बने 2 कमरों का क्षेत्रफल इससे कम है तो उन्हें दोबारा बनाया जाना चाहिए ।

(ख) लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाए शौचालय इस प्रकार के बनाए जाने चाहिएं जिससे बच्चों में अच्छी आदत डाली जा सके ।

(ग) स्कूल भवनों में विस्तार की गुंजाइश होनी चाहिए । जहां तक संभव हों निर्माण में स्थानीय सामग्री का ही प्रयोग किया जाए जिससे लागत कम आए । भवन आडम्बरहीन परन्तु स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल हों । उसमें वस्तुएं रखने के लिए स्टोर भी होना चाहिए । साथ ही कमरों में और बराण्डे में दोनों ओर बढ़िया ब्लैकबोर्डों का निर्माण भी किया जाए ।

योजना में स्थानीय समुदाय की भूमिका का उल्लेख इस प्रकार है :

(क) स्कूल के भवन और खेल के मैदान के लिए जमीन स्थानीय समुदाय द्वारा दी जाए ।

(ख) स्थानीय समुदाय को, जहां तक संभव हो, वहां की ग्राम शिक्षा समिति को औपचारिक रूप से भवन के रख-रखाव और मरम्मत का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए ।

(ग) यह भी स्थानीय समुदाय की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्कूल के अहाते के चारों तरफ दीवार बनाई जाए या तार वगैरह लगाया जाए ।

क्रियाकलाप-2

आप जानते हैं कि मात्र योजना बना लेने से वांछित फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता । शिक्षक होने के नाते आप इस योजना में स्थानीय समुदाय का अधिकाधिक एवं सतत सहयोग पाने के लिए क्या कदम उठाएंगे ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा-कीजिए

(2) एक-शिक्षक-स्कूल में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था

पिछले दस वर्षों से एक-शिक्षक-स्कूलों को कम करने की कोशिश की जा रही है । यहाँ यह बता देना जरूरी है कि आज देश में ऐसे स्कूलों की संख्या अब भी बहुत है । "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि सारे एक-शिक्षक-स्कूलों में दूसरे शिक्षक की नियुक्ति की जाए । भारत सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को दूसरे शिक्षक के वेतन के लिए अतिरिक्त पैसा देगी ।

इसके क्रियान्वयन के लिए

—राज्य सरकारों को केन्द्र को विश्वास दिलाना होगा कि नए खुलने वाले सभी प्राथमिक स्कूलों में दो शिक्षको की नियुक्ति की जाएगी ।

—जहां तक संभव होगा दूसरे शिक्षक के रूप में महिलाओं की ही नियुक्ति की जाय । प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक महिला शिक्षक का होना अच्छा है । ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यह संभव न हो तो दूसरा शिक्षक भी पुरुष हो सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें शहरी एवं अन्य क्षेत्रों में भी यह कदम उठाना होगा ।

—शिक्षकों की नियुक्ति के समय कुछ विशेष आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना होगा । दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिमसे शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विशाल नीति का उल्लंघन न हो । इसीलिए अनुसूचित जातियों/जन जातियों के प्रशिक्षित शिक्षकों की प्राथमिकता दी जानी जरूरी है ।

—नियुक्ति के समय यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षक ने प्रशिक्षण हासिल किया है या नहीं, अगर उसे दो-तीन वर्ष हो गए हैं और इस बीच उसने शिक्षक का काम नहीं किया है तो उसे लगभग एक महीने का पुनः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक तैयारियां तुरन्त की जानी चाहिए । "शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" के लिए एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ द्वारा तैयार की गई सामग्री के साथ ही अन्य स्रोतों को भी जोड़ा जाना चाहिए ।

क्रियाकलाप-3

इस प्रशिक्षण काल से प्राथमिक शिक्षा की नई विषयवस्तु और प्रक्रिया आपके सामने आएगी । नए नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए आयोजित नये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण क्षेत्रों व गतिविधियों की सूची बनाइए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

(3) कम से कम आवश्यक शिक्षण सामग्री

प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक कम से कम शिक्षण सामग्री की सूची इस मॉड्यूल के अन्त में दी गई है । यह समूचे देश के स्कूलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा पर्याप्त कारण दिए जाने पर कुछ छूट दी जा सकती है बशर्ते उससे लागत में वृद्धि न हो । इस सामग्री को खरीदने के लिए केन्द्र द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत-प्रतिशत पैसा दिया जायेगा । उसके बाद इसके लिए राज्यों को स्वयं पैसा लगाना होगा ।

इस तत्व के क्रियान्वयन के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित रूपरेखा बनाई गई है :

(क) "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के अन्तर्गत जो भी सामग्री खरीदी जाए वह बढ़िया किस्म की होनी चाहिए । प्रत्येक चीज कैसी होनी चाहिए इसका निश्चय एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ द्वारा किया जा चुका था । इसके उपरान्त राज्य सरकार भी अपने अनुसार 1987–88 के दौरान खरीदी जाने वाली सामग्री का विवरण तैयार कर चुकी है ।

(ख) एम॰ एच॰ आर॰ डी॰—एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ और भारतीय मानक केन्द्र के साथ मिलकर अच्छी किस्म की चीजों के कुल व्यय का आकलन किया गया है । यह आकलन व्यावहारिक रूप से भारत में हर भाग के लिए ला होगा । केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता उपर्युक्त "कुल व्यय आकलन" तक सीमित होगी । राज्य को उसी के अनुसार शिक्षण सामग्री खरीदनी होगी ।

(ग) उच्च प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में "कार्यानुभव कार्यक्रम" के अन्तर्गत बच् भी "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" के लिए आवश्यक यथासंभव ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बना सकते हैं । "पढ़ते सम कमाइए" इस योजना के अन्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थाओं एवं आई॰ टी॰ आई॰ को "उत्पादन यूनिट" बनाने के लि प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । राज्य में भी यह योजना जनपदों के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों में लागू ः गयी है ।

(घ) वस्तुओं की आपूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों या स्थानीय संघों का होगा । इसके लिए पैसा आठ पंचवर्षीय योजना के शुरू में विधिवत ढंग से दिया जाएगा ।

(ङ) शिक्षकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा जिससे वे स्कूल में उचित वातावरण का निर्माण कर सकें और सरकार द्वारा दी गई सामग्री का अच्छी तरह प्रयोग कर सकें और स्वयं बच्चों के साथ मिलकर कुछ शिक्षण सामग्री तैयार कर सकें । सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों में इस मुद्दे को जोड़ा जाना चाहिए ।

(च) सामग्री के उचित प्रयोग के लिए एस॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰/एस॰ आई॰ ई॰ द्वारा सरल-सरल पुस्तिकाएं प्रकाशित की जानी चाहिएं ।

क्रियाकलाप—4

इस योजना के अन्तर्गत आपके स्कूल को मिलने वाली आवश्यक सामग्री की सूची की आप जांच कर चुके हैं । एक सूची बनाएं कि आप इस सामग्री से स्वयं को और बच्चों को अधिक से अधिक फायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

निष्कर्ष

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आप जान गए हैं कि "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है । इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन राशि नहीं दी जाएगी । ग्रामीण क्षेत्रों में यह एन॰ आर॰ ई॰ पी॰, आर॰ एल॰ इ॰ जी॰ पी॰ एवं अन्य विशेष विकास योजनाओं (जैसे जनजातीय उपयोजना, पहाड़ी क्षेत्र व सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रमों) का एक भाग होगी । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, केन्द्रीय सरकार आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए और एक-शिक्षक-स्कूलों में दूसरे अध्यापक की नियुक्ति के लिए शतप्रतिशत पैसा देगी । उसके बाद यह उत्तरदायित्व राज्यों का होगा । इस समय राज्यों के ये-ये उत्तरदायित्व हैं :

—प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष 500/- देना ।

—स्कूल के भवन के लिए जमीन देना और उसके अहाते की दीवार बनाना ।

—यह आश्वासन कि भविष्य में सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए और कम से कम उतनी शिक्षण सामग्री के लिए पैसा राज्य सरकारें स्वयं देंगी जिनका "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" में उल्लेख है ।

—सामग्री की पुनः आपूर्ति के लिए पैसा राज्य सरकारों को देना होगा ।

राज्य सरकारों को प्रारम्भिक स्कूलों में (जो कि "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" की योजना का आधार है) सभी बच्चों की भर्ती और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए विस्तृत "माइक्रो-प्लेनिंग" भी बनानी होगी । उन्हें इसके लिए भी कदम उठाने होंगे कि सिर्फ योजना निर्माण एवं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के क्रियान्वयन में ही नहीं अपितु प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में भी शिक्षक एवं स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण योगदान दें । इसके लिए प्रशासनिक ढांचे को भी शक्तिशाली बनाना होगा ।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना

प्राइमरी स्कूलों के लिए आवश्यक साम्रगी की सूची

	संख्या	धनराशि (रु. में)
1. शिक्षकों के लिए सामग्री		
(क) सिलेबस (पाठ्यक्रम)	1 सैट	05
(ख) पाठ्य पुस्तकें	एक प्राइमरी सैट	15
(ग) शिक्षक निर्देश-पुस्तिका	"	15
2. कक्षा में शिक्षण साम्ग्री	संख्या	धनराशि (रु. में)
(क) नक्शे-जिला राज्य देश विश्व	प्रत्येक एक	175
(ख) प्लास्टिक ग्लोब	1	100
(ग) शैक्षणिक चार्ट (स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, भाषा)	एक सैट	90
खेल साम्रगी और खिलौने		
(क) विजडम ब्लॉक्स (तरह-तरह के)	3 सैट	120
(ख) पक्षियों और जानवरों से संबंधित पहेलियां (जिगसा पज़ल)	3 सैट	60

(ग) खिलौने (गुड़िएं, आदमी, जानवर, वैज्ञानिक खिलौन)	2 सैट	300
खेल सामग्री		
(क) कूदने की रस्सी	10	60
(ख) गेंदें–फुटबाल	02	70
वालीबाल	02	70
रबड़ बाल	10	50
(ग) एअर पम्प	01	35
(घ) छल्ला	05	50
(ड) टावर सहित झूलने की रस्सी	01	35
(च) प्राइमरी साईन्स किट (एन. सी. ई. आर. टी. का)	01	450
(छ) छोटा औजार बैग (एन.सी. ई. आर. टी. का)	01	300
(ज) गणित किट	01	300
(झ) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	02	100
क—संदर्भ पुस्तकें (कोश, ज्ञानकोश)	01	100
ख—बच्चों की पुस्तकें (कम से कम 200) (एन. बी. टी.,चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट) (नेहरू बाल पुस्तकालय एवं अन्य)		1600
ग– शिक्षकों और बच्चों के लिए पत्रिकाएं, जर्नल और समाचार पत्र (एक समाचार पत्र एवं पत्रिका और एक व्यावसायिक जर्नल)		450
(ञ) स्कूल की घण्टी	01	50
(ट) वाद्य यन्त्र		
ढोलक या तबला	01	100
हार्मोनियम	01	500
मंजीरे	02	50
(ठ) संभाव्य व्यय के लिए पैसा (छात्रों व शिक्षकों के लिए चटाइयां और फर्नीचर, एक शिक्षक के लिए एक मेज और एक कुर्सी और कुछ बड़े डिब्बे)		रेकरिंग
शिक्षक के लिए	02 सैट	700
चटाइयां	–	375
डिब्बे	02	300
(ड) ब्लैकबोर्ड (पिन अप बोर्ड कैनवास)*	02	400
	02*	30
(ढ) चॉक और डस्टर		
(ण) पानी के लिए ग्लास, घड़े और पानी निकालने का डब्बू		100
(त) कचरे के लिए डिब्बे	10	50
	कुल योग	7,215/-

मॉड्यूल-17 सी

अल्पव्ययी शिक्षण साधन

एक दृष्टिपात

भारत में 6,00,000 प्राथमिक स्कूलों में से लगभग पचहत्तर प्रतिशत गांवों में हैं । इन स्कूलों के पास साधन जुटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता । अतः शिक्षा को सुसंगठित और प्रभावी बनाने के लिए शायद यह आवश्यक है कि अल्पव्ययी साधनों की सहायता ली जाए । ये साधन स्कूल के निकट वातावरण में उपलब्ध सामान्य सामग्री तथा स्थानीय टैक्नोलॉजी से बनाए जा सकते हैं । आवश्यकता होने पर इसके लिए हम गांव के कलाकारों की सहायता भी ले सकते हैं । इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षकों को अल्पव्ययी शिक्षण साधनों को बनाने की, उनके प्रयोग की तथा उनके मूल्यांकन की विधि आती हो जिससे उनकी कक्षा अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी बन सके । इस मॉड्यूल में शिक्षा की उन समस्याओं का उल्लेख है जो गांव में स्कूलों के शिक्षकों एवं बच्चों के सामने आती हैं । उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों और साधनों पर भी यहां प्रकाश डाला गया है ।

छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक ही इसका निश्चय कर सकता है कि कक्षा में सहायक उपकरणों की जरूरत है या नहीं । आवश्यकता के मुताबिक ही शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है । योजना बनाते समय भी हमें अपने क्षेत्र में उपकरण के लिए आवश्यक चीजों की प्राप्यता और परिस्थिति की प्रासंगिकता पर ध्यान देना होगा । छात्र को स्कूल में तभी रुचि होती है जबकि वह शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है । शिक्षण गतिविधियों में शिक्षण साधन के प्रयोग के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे : (शिक्षण–साधन द्वारा सरलता से समझा सकने के लिए) कठिन विचार को ढूंढ निकालना, आस–पास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाना, उन्हें इकट्ठा करना, शिक्षण-उपकरण तैयार करना, बच्चों, शिक्षक एवं समुदाय के सहयोग से उसका परीक्षण व प्रयोग करना जिससे समय-समय पर वैसे उपकरण बनाए जा सकें ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

—कठिन विचारों को सरलता से समझने हेतु साधन तैयार करने के लिए आस-पास की उपलब्ध सामग्री का वर्णन कर सकेंगे ।

—स्थानीय स्रोतों व संसाधनों की सूची बना सकेंगे, जैसे : स्थानीय कारीगर/शिल्पी, बढ़ई, लुहार आदि तथा स्थानीय सामग्री,
जैसे—बांस, दियासलाई, शंख, फलों के बीज, साइकिल की पुरानी तीलियां, बल्ब, ट्यूब आदि ।

—शिक्षा में अल्पव्ययी साधनों का मूल्य समझ सकेंगे ।

—अल्पव्ययी साधनों के निर्माण के लिए स्थानीय कारीगरों तथा प्रतिभाशाली लोगों की सहायता प्राप्त करने के तरीके ढूंढ सकेंगे ।

—कम से कम पांच साधन तैयार कर सकेंगे और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया एवं उसके प्रयोग के बारे में लिख सकेंगे ।

अल्पव्ययी साधन क्या हैं ? एक चर्चा

अल्पव्ययी साधनों से हमारा तात्पर्य उन उपकरणों से है जो साधारण सामग्री से बनाए जाते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है और जिनके निर्माण में बच्चे और कारीगर दोनों भाग लेते हैं । भारत की कला और शिल्प के क्षेत्र में समृद्ध परम्परा भौतिक वातावरण में पनपी है, जैसे पेड़-पौधे, नदी-तालाब और समुद्र ।

खाली दियासलाई, बुझे हुए बिजली के बल्ब, टीन के डिब्बे, बीज, शंख आदि ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने यहां आसानी से मिल सकती हैं और इन पर आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता । अल्पव्ययी साधनों में चार्ट, मॉडल और अन्य सस्ते साधन भी शामिल हैं । इन्हें आप सरलता से थोड़े से या बिना पैसे खर्च किए बना सकते हैं । इससे शिक्षा को प्रभावपूर्ण, बोधगम्य व रोचक बनाया जा सकता है ।

विभिन्न शिक्षण गतिविधियां

कुछ समय से आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं । इस दौरान कुछ ऐसे विचार या उप-विचार आपके सामने आए होंगे जिन्हें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों को बिना मॉडलों, चार्टों, प्रयोगों या सहायक उपकरणों के समझाने में आपको कठिनाई हुई होगी । आप ऐसे विचारों या उप-विचारों की सूची बना सकते हैं जिन्हें समझने में बच्चों को कठिनाई होती है । आप उन साधनों या गतिविधियों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें आप अपने स्कूलों में करवा रहे हों । आपके स्कूल में भी कुछ मॉडल होंगे । क्या आप इन्हें खरीदकर लाए हैं या आपने इन्हें स्कूल में खुद बनाया है ? ऐसे मॉडलों और चार्टों का उल्लेख कीजिए । क्या आप ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहे है ? क्या आप उन कठिन विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोगों का सहारा लेते हैं या पुस्तकों द्वारा ही उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं ?

अल्पव्ययी साधनों के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका मुख्य है । सहायक साधन बनाने में वह कारीगरों और बच्चों को लगा सकता है । सामग्री जुटाने के लिए उसे पहल करनी होगी । आवश्यक साधनों के बारे में विचार देना होगा । उसके निर्माण की योजना बनानी होगी । वैज्ञानिक विधि से परीक्षण या गतिविधि का आयोजन करना होगा ।

उपकरण बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो विचार पुस्तकों द्वारा स्पष्ट नहीं किए जा सके हैं उन्हें कैसे समझाया जाए । बिना उपकरणों के बच्चों को विचारों या उप-विचारों के समझने में कठिनाई हो सकती है । बाजार से बने बनाए उपकरण खरीदने में पैसे की कमी हो सकती है । यह भी संभव है कि उस वातावरण में वे साधन न हों । यह भी हो सकता है कि बने बनाए उपकरणों का प्रयोग आप विश्वासपूर्ण ढंग से न कर सकें क्योंकि आपने उन्हें स्वयं नहीं बनाया है । उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से आपको विचारों के स्पष्टीकरण के लिए साधनों का प्रयोग करने में रुकावट आती है । आप अपने संसाधनों की उपकरण, सामग्री, सहायता, समय और पैसे की दृष्टि से जांच कीजिए ।

अल्पव्ययी शैक्षिक साधनों के निर्माण पर विचार

विषय के आधार पर आप अपने "विचारों" का वर्गीकरण कीजिए । कुछ कारण एक जैसे हैं । उन्हें आप आसानी से ढूंढ़ सकते हैं । उनमें से मुख्य हैं :

विषय का स्वरूप और अपर्याप्त प्रशिक्षण

अक्सर आप यह महसूस करते होंगे कि वर्तमान पाठ्यक्रम इतना भारी है कि आपको उसे पूरा करने में भी मुश्किल होती है । ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण सामग्री की सहायता से आप उसी समय में अधिक पढ़ा सकते हैं । आपने विज्ञान को एक विषय के रूप में भले ही न पढ़ा हो, किन्तु प्राथमिक स्तर पर आपको सभी कक्षाओं को यह पढ़ाना पड़ता है । यदि आप विज्ञान और सरल गणित समझते हैं तो विज्ञान और गणित के कठिन विचारों को आसानी से पहचान सकते हैं ।

अपर्याप्त धन और सामान्य परिस्थितियां

प्राथमिक स्कूलों को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं । उसी से आपको खड़िया, झाड़न, झाड़ू आदि खरीदना पड़ता है । उसके बाद सहायक-उपकरण खरीदने के लिए आप के पास पैसे नहीं बचते । स्कूलों में प्रायः एक ही कमरा होती है । कभी-कभी उसी में आपको एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है । स्कूल में प्रायः शिक्षण सामग्री भी नहीं होती । स्कूल में गोदाम भी नहीं होता । ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामग्री को ठीक से रखना भी कठिन होता है । प्रशासन ऐसे साधनों के प्रयोग के लिए खास प्रोत्साहन भी नहीं देता ।

सहायक सामग्री के लिए सुविधाएं

कई बार स्कूल में ब्लैकबोर्ड-पेन्ट या झाड़न आदि के अभाव में आपको ब्लैकबोर्ड जैसे मूल साधन का प्रयोग करते भी हिचकिचाहट होती है । हो सकता है कि आप अपने हाथों से कभी कुछ करना या बनाना चाहें । क्या आपको उस कारीगरों या शिल्पकारों के साथ काम करने में हिचक होती है जो आपके स्कूल के लिए कोई सहायक सामग्री बनाना चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे प्रश्न न करें ? क्योंकि आप डरते हैं कि कभी-कभी आपको उनका उत्तर देने में कठिनाई होती है ।

शिक्षा में सहायक उपकरणों का स्थान

वर्तमान शिक्षा पद्धति में सहायक उपकरणों को प्राथमिकता नहीं दी जाती । यद्यपि इन साधनों द्वारा वास्तविक सहभागिता से बच्चों को पढ़ने में रुचि आती है । क्या आप ऐसे तरीके व साधन ढूंढ़ सकते हैं जिनसे शिक्षण सामग्री के निर्माण और प्रयोग के लिए प्रेरणा मिल सके ? इसके लिए समुदाय का सहयोग आवश्यक होगा और विज्ञान व गणित में प्रयोगों/गतिविधियो के लिए आपको समय निकालना होगा ।

अल्पव्ययी साधनों के कुछ सरल उदाहरण

"गरम होने पर धातुओं के विस्तार" के विचार को आप साईकिल की तीली, आरे के ब्लेड, दंत मंजन के ढक्कन, मोमबत्ती तथा दियासलाई की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं । इसी प्रकार झाड़ू की सींखों की सहायता से आप गुणन के विचार को स्पष्ट कर सकते हैं । उसके लिए आपको सींखें नीचे दिए गए ढंग से रखनी होंगी । झाड़ू की सींखें आड़ी और खड़ी रखने से खाने बन जाएंगे जिन्हें आप आसानी से गिन सकते हैं ।

उत्तर होगा : 3 × 4 = 12 अर्थात 12 खाने ।

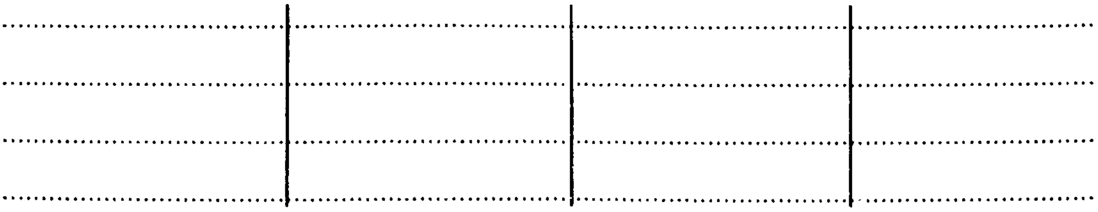

झाड़ू की सींख से रेखागणित के विचार को भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे अधिककोण, न्यूनकोण तथा समकोण ।

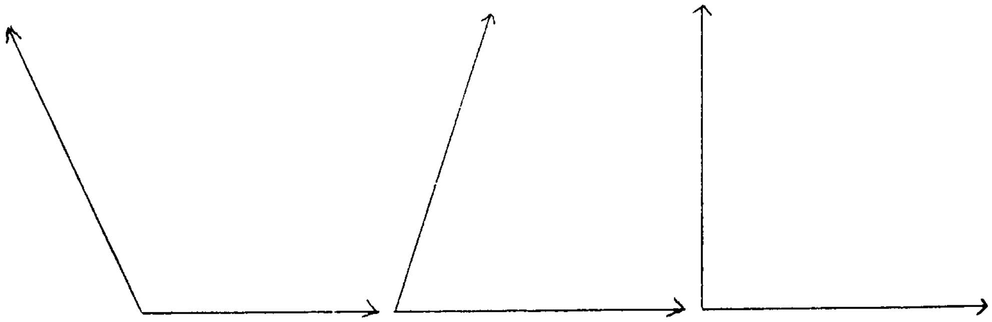

न्यूटन की डिस्क के स्पष्टीकरण के लिए आपको सिर्फ सफेद गत्ता, पानी के रंग, ब्रुश और धागा चाहिए । "स्थान मूल्य", "जोड़" और "गुणन" के विचार की "गणक" की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है । गुणक साईकिल की तीलियों, लकड़ी के तख्ते, गत्ते, रंगीन कागज के टुकड़ों, कुछ तिनकों आदि जैसे साधारण सामान से बनाया जा सकता है । रेखागणित की आकृतियां बच्चों को दियासलाई की तीलियों, साईकिल के वाल्व ट्यूब आदि की सहायता से समझाई जा सकती है । गरम करने पर गैस के विस्तार के विचार को सीधे सादे प्रदर्शन से स्पष्ट किया जा सकता है । एक बिजली का फ्यूज बल्ब लीजिए । उसके अन्दर की चीजों को निकाल दीजिए । बल्ब के मुंह पर गुब्बारा लगा दीजिए । ज्यों ही आप बल्ब को गरम करेंगे गुब्बारा उड़ जायेगा ।

पेड़ों, घरों, खम्बों आदि की ऊंचाई नापने के लिए आपको सिर्फ एक कोणमापक (जो एक गत्ते से ही बनाया जा सकता है), एक लकड़ी की डंडी (25 सेमी × 2 सेमी × 2 सेमी), डोरा (25 सेमी), एक छोटी कील और एक छोटा बाट चाहिए । कोणमापक लकड़ी की डंडी से चिपका दीजिए । कोणमापक का चपटा हिस्सा डंडी के एक छोर पर रख दीजिए । कोणमापक में वहां एक छेद कर दीजिए जहां 0° और 90° रेखाएं मिलती हैं । छेद में कील ठोक दीजिए जिससे कि वह लकड़ी में चली जाए । धागे में एक छोटा सा बट्टा लटका दीजिए और उस धागे को कील से बांध दीजिए । खम्बे की लम्बाई का अनुमान लगाइए । मान लीजिए उसकी लम्बाई x मीटर है । लकड़ी के डंडे की लम्बाई के साथ-साथ खम्बे के ऊपरी सिरे को देखिए । थोड़ा आगे-पीछे हटिए जिससे कि नीचे वाले धागे से कोणमापक पर 45° का कोण बन जाए । खम्बे से अपनी दूरी नापिए । अब आपको खम्बे की ऊँचाई मालूम पड़ जायगी ।

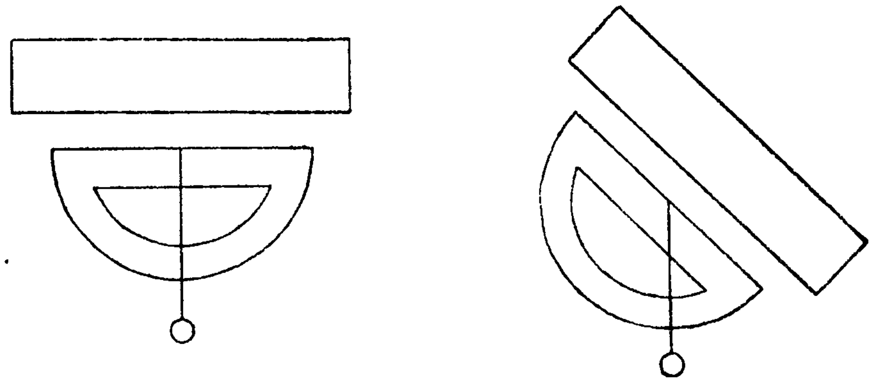

विज्ञान पढ़ाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास आसानी से बनाया जा सकता है । एक फ्यूज बल्ब में पानी भरिए । पानी के विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) को दिखाने के लिए वोल्टामीटर, कोकोनट-शैल और बैटरी के प्रयुक्त सेल की कार्बन राड से बनाया जा सकता है । इसी प्रकार आप और भी कई चीजें आसानी से मुफ्त में बना सकते हैं और इनके द्वारा अपनी कक्षा में कठिन विचारों को आसानी से समझा सकते हैं ।

क्रियाकलाप

बच्चों को एक ऐसे अल्पव्ययी साधन का सुझाव दीजिए जिसे आप अपने इलाके में उपलब्ध चीजों से बना सकते हों । आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कीजिए । उसकी लागत का अनुमान लगाइए । उसे बनाने की प्रक्रिया समझाइए और उन्हें बताइए कि उसका किस संदर्भ में प्रयोग होगा ।

अल्पव्ययी साधनों पर किया गया कार्य

एन० सी० ई० आर० टी० के केन्द्रीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान ने भारत के विभिन्न राज्यों में चुने हुए ग्रामीण प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए अल्पव्ययी साधन से संबंधित कई कार्यक्रमों का राज्य शिक्षा विभागों तथा ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिल कर आयोजन किया है । उन्होंने निम्नलिखित काम किए हैं

—युनेस्को द्वारा भारत में अल्पव्ययी/उपयोगी शैक्षिक सामग्री और उपकरण पर किए गए अध्ययन का संकलन किया है ।

—अल्पव्ययी साधनों पर लेख छापे हैं और 20 चार्टों की श्रृंखला निकाली है ।

—अल्पव्ययी साधनों की शैक्षिक टैक्नोलॉजी पर एक टेप एवं स्लाइड कार्यक्रम तैयार किया है ।

—विज्ञान एवं गणित के 25 विचारों से संबंधित अल्पव्ययी उपकरणों की एक सचित्र पुस्तिका छापी है । इस पुस्तिका का शिक्षकों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है ।

—हाल ही में अल्पव्ययी साधनों पर 12 वीडियो प्रोग्राम तैयार किए गए हैं ।

—अल्पव्ययी साधनों पर कीथ वारेन की पुस्तक "प्रीपरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग" का सी० आई० ई० टी० द्वारा हिन्दी में अनुवाद करवाया गया जिसे युनिसेफ ने प्रकाशित किया है ।

ये लेख, पुस्तिका एवं पुस्तकें सी० आई० ई० टी०, एन० सी० ई० आर० टी० (आई० पी० विंग), 10-बी, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध हैं ।

आप अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए सी० आई० ई० टी० से संपर्क स्थापित कर सकते हैं । इस क्षेत्र में जो स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएं महत्वपूर्ण काम कर रही हैं उनमें से कुछ के नाम और पते इस प्रकार हैं :

—किशोर भारती, पालिया पिपरिया ग्राम, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म० प्र०) ।

—विक्रम ए० साराभाई कम्यूनिटी साइन्स सेन्टर, नवरंगपुर, अहमदाबाद (गुजरात) ।

—सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर, टिलोनिया, अजमेर ।

—मित्र निकेतन, वेल्लानाद, जिला त्रिवेन्द्रम ।

—स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, उदयपुर (राजस्थान) ।

वाद-विवाद के लिए कुछ प्रश्न

(1) आप अपने वातावरण में उपलब्ध ऐसी दस वस्तुओं की सूची बनाइए जिनसे शिक्षण सामग्री तैयार की जा सकती है ।

(2) क्या आप कारीगरों को दस साधन बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं ? यदि हां तो कैसे ?

(3) क्या शिक्षण उपकरणों से वास्तविक सहभागिता द्वारा बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहन मिलता है ?

(4) साधनों के निर्माण की कीमत को ध्यान में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि भारतीय स्कूली व्यवस्था में ये बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं ?

(5) अध्ययन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अल्पव्ययी साधनों के निर्माण के लिए चार प्रमुख आवश्यकताएं कौन-सी हैं ?

(6) क्या आप बता सकते हैं कि शिक्षक द्वारा अल्पव्ययी साधनों के प्रयोग में किन कारणों से बाधा आती है ।

मॉड्यूल-18 सी

जन-माध्यम का प्रयोग

एक दृष्टिपात

इस मॉडयूल का उद्देश्य आपको जन-माध्यमों के प्रयोग के बारे में कुछ बातें समझने में सहायता करना है, यथा जन-माध्यम का क्या अर्थ है ? शिक्षा में जन-माध्यम की भूमिका क्या है ? शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूल और उसके बाहर जन-माध्यम का किस प्रकार सफल प्रयोग किया जा सकता है ?

आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से पूर्व शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम था, जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता था । वह मौखिक रूप से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता था । बाद में छपाई की तकनीक का विकास हुआ । पुस्तकें छपने लगीं । पुस्तकों से शिक्षकों को पढ़ाने तथा विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में बहुत लाभ हुआ । दिन प्रतिदिन अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है । उनसे उन्हें निश्चय ही विभिन्न बातों और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है । इधर कुछ दिनों से हमारे देश में शिक्षा के लिए रेडियो और टेलीविजन जैसे जन-माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है । जन-माध्यम का शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा शिक्षा के प्रसार के लिए और अधिक उपयोग किया जा सकता है ।

हमारा देश विशाल है । इसकी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है । बच्चे काफी बड़ी संख्या में स्कूलों में जाते हैं । लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते या शुरू में ही स्कूल छोड़ देते हैं । यदि हम शिक्षा के परम्परागत तरीकों पर ही निर्भर रहेंगे तो हम देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएंगे ।

आपको मालूम है कि मनुष्य के ज्ञान की सीमाएं बढ़ रही हैं । उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है । इसीलिए अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं और उसे नया रूप दिया जाता है । परन्तु इस पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के ज्ञान में परिवर्तन होना भी आवश्यक है । हो सकता है वे अपने आप नया ज्ञान प्राप्त न कर सकें । अध्यापन के नए तरीकों और नई विषय-सामग्री के बारे में शिक्षकों को बताने तथा जानकारी देने के लिए जन-माध्यम से बहुत सहायता मिल सकती है ।

इससे पूर्व कि शिक्षक जन-माध्यमों का अपनी और अपने बच्चों की भलाई के लिए सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें, यह आवश्यक है कि वे इसमें स्वयं विशेष ज्ञान और योग्यता प्राप्त करें । इस मॉड्यूल में हम कक्षाओं में रेडियो और टेलीविजन के सही प्रयोग की तकनीकों की भी चर्चा करेंगे ।

उद्देश्य

इस माड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

—अनेक शैक्षिक माध्यमो को अर्थपूर्ण वर्गीकरण कर सकेंगे ।

—अध्यापन में जन-माध्यम के प्रयोग के लाभ को समझ सकेंगे ।

—अध्यापन में रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग कर सकेंगे ।

—"फीड बैक रिपोर्ट" तैयार करके संबंधित एजेंसी को भेज सकेंगे ।

गतिविधियां

आपने अपने प्रशिक्षण एवं अध्यापन काल में विभिन्न शैक्षिक माध्यमों का प्रयोग किया होगा और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगा । क्या आप उन शैक्षिक माध्यमों को याद कर उनकी सूची बना सकेंगे हैं ?

क्रियाकलाप-1

एक अलग कागज पर विभिन्न शैक्षिक माध्यमों की सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इस तरह बनाई सूची को पढ़िए । आप देखेंगे कि इन माध्यमों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है यथा—मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम, मुफ्त, सस्ता और महँगा माध्यम, प्रक्षेप्य एवं अप्रक्षेप्य माध्यम इत्यादि ।

क्रियाकलाप-2

विभिन्न शैक्षिक माध्यमों का वर्गीकरण कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

इन माध्यमों का एक व्यापक वर्गीकरण निम्नांकित तरीके से किया जा सकता है :

मुद्रित माध्यम

टिप्पणी

1—किताबें
2—कार्य पुस्तिका आदि

माध्यम जिनमें मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है

1—खिलौने
2—खेल
3—चार्ट
4—नक्शे
5—रेखाचित्र
6—कट-आउट्स
7—चित्र
8—फ्लैश कार्ड
9—फलानेल कार्ड
10—मॉडल
11—नमूने

ये खरीदे जा सकते हैं । शिक्षक और विद्यार्थी आस-पास मिलने वाली कम कीमत या मुफ्त की वस्तुओं से भी उन्हें बना सकते हैं ।

माध्यम जिनके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है

1—स्लाइड
2— फिल्म
3—पारदर्शी चित्र
4—टेप अथवा कैसेट (श्रव्य)
5—टेप अथवा कैसेट (दृश्य)

जन माध्यम

1—फिल्म (16 एम० एम०, 35 एम० एम०)
2—रेडियो
3—टेलीविजन

इस मॉड्यूल में हम अधिकतर रेडियो व टेलीविजन और श्रव्य-दृश्य केसेटों की चर्चा करेंगे ।

आपको कक्षा में रेडियो व टेलीविजन तथा श्रव्य-दृश्य कैसेटों के प्रयोग करने का कुछ अनुभव तो होगा ही । आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग पचास वर्षों से रेडियो का उपयोग शैक्षिक लाभ के लिए किया जा रहा है । आकाशवाणी के लगभग 44 केन्द्र स्कूल के बच्चों के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । कुछ अन्य आकाशवाणी केन्द्र (लगभग चौंतीस) इन प्रोग्रामों को रिले करके अधिकतम लोगों तक उक्त कार्यक्रम पहुंचाने का काम करते हैं ।

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा स्कूलों के लिए बनाए गए कार्यक्रम निम्नलिखित श्रोता वर्गों के लिए होते हैं :—

1—शिक्षक
2—उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे
3—माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे
4—प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे
5—छोटे बच्चों के लिए सामान्य लाभ के कार्यक्रम
6—माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए पाठ ।

कोई भी आकाशवाणी केन्द्र इन सबको या इनमें से कुछ कार्यक्रमों को तैयार कर प्रसारित कर सकता है । ये पाठ्यक्रम प्रायः सुबह प्रसारित किए जाते हैं, दूसरी पारी के विद्यार्थियों के लिए अपरान्ह में वे फिर प्रसारित किए जाते हैं।

इन प्रोग्रामों की विषय सामग्री तथा शीर्षकों का चुनाव विभिन्न श्रोताओं के लिए संबंधित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रतिवर्ष होता है । इस काम के लिए इन केन्द्रों ने अपनी-अपनी सलाहकार समितियां बना रखी हैं । इन समितियों में राज्य के शिक्षा विभागों तथा अन्य शैक्षिक एजेन्सियों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं ।

आकाशवाणी केन्द्र ही अधिकतर शैक्षिक प्रोग्राम तैयार करते हैं । कुछ शैक्षिक संस्थाएं यथा एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली, सी० आई० ई० एफ० एल० हैदराबाद, तथा सी० आई० आई० एल० मैसूर भी शैक्षिक प्रोग्राम तैयार करती हैं । आकाशवाणी केन्द्र उन्हें भी प्रसारित करते हैं ।

अधिकांश आकाशवाणी केन्द्र या राज्यों के शिक्षा विभाग स्कूल प्रोग्रामों के प्रसारण की सूची प्रकाशित करते हैं और उस सूची को सूचनार्थ उन स्कूलों को भेज देते हैं जिनका नाम उनके यहां रजिस्टर पर चढ़ा होता है ।

क्रियाकलाप–3

अपने राज्य के उस आकाशवाणी केन्द्र (केन्द्रों) का पता लगाइए जो स्कूलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । उस केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के स्वरूप, तथा प्रसारण के समय का पता लगाइए । उस एजेंसी का भी पता लगाइए जो स्कूलों के लिए सूची छाप कर वितरित करती है । उनसे संपर्क स्थापित कीजिए तथा उनसे निवेदन कीजिए कि वे आपका नाम अपनी डाक सूची में शामिल कर दें ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

प्रत्येक राज्य के बहुत से ऐसे स्कूलों के नाम लिखिए जिनके पास कार्यक्रमों को सुनने के लिए रेडियो है । कुछ स्कूलों को शिक्षा विभाग से रेडियो मिलते हैं । अन्य स्कूल अपने पैसों से रेडियो खरीद लेते हैं । यह भी संभव है कि किसी स्कूल को किसी स्वैच्छिक या समाज सेवी संस्था से रेडियो मिल जाये ? राजकीय शैक्षिक तकनीकी एकक/राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्कूलों को सलाह देते हैं कि उनके लिए किस प्रकार के रेडियो अच्छे रहेंगे ।

क्रियाकलाप–4

यदि आपके पास पहले से रेडियो सैट नहीं है, तो अपने स्कूल के लिए एक रेडियो प्राप्त करने की संभावना का पता लगाइए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

रेडियो की तरह टेलीविजन भी पिछले पच्चीस वर्षों से हमारे देश में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए काम में लाया जा रहा है । पहली बार 1961 में दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन का प्रयोग किया गया था । बाद में इस योजना का बंबई, मद्रास और श्रीनगर के दूरदर्शन केन्द्रों ने भी अनुकरण किया । ये केन्द्र प्रायः मध्य स्तर और उसके ऊपर के बच्चों के लिए ही प्रसारण करते हैं । लेकिन इनमें से कुछ प्राथमिक स्कूलों के लिए भी काम करते हैं ।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के अधिकतम बच्चों तक इन कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए पहली बार 1975–76 में टेलीविजन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया । उसके लिए सैटलाइट प्रशिक्षण, टेलीविजन परीक्षण (एस० आई० टी० ई०) के समय एक अमरीकी सैटलाइट–ए० टी० एस०-6 की सहायता ली गई थी । यह परीक्षण एक वर्ष तक चलता रहा । इससे छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के बीस जिलों के 2330 गांवों के बच्चों को लाभ हुआ । स्कूलों में उन बच्चों द्वारा प्रतिदिन बीस मिनट का कार्यक्रम टेलीविजन पर देखा गया । 1975 में दशहरे की छुट्टियों में बारह दिन तक सैटलाइट का प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया गया । उसमें चौबीस हजार से भी अधिक शिक्षकों ने भाग लिया । 1975 की गर्मी की छुट्टियों में वही प्रशिक्षण अन्य शिक्षकों को भी दिया गया ।

उक्त परीक्षण के बाद जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर में स्थित ग्राउण्ड ट्रांसमीटरों की सहायता से कुछेक स्कूलों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते रहे ।

अप्रैल 1982 में भारतीय राष्ट्रीय सैटलाइट (इन्सैट) की स्थापना की गई । उसकी सहायता से प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए टेलीविजन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है । शैक्षिक टेलीविजन सेवा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से आरम्भ की गई थी । बाद में उसका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में विस्तार किया गया । इन राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों के स्कूलों के लिए भारत सरकार ने छः हजार से अधिक टेलीविजन सेट उपलब्ध कराए हैं ।

अक्तूबर 1964 के मध्य से शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम अधिक शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली प्रेषित्रों की सहायता से उक्त छः राज्यों तथा हिन्दी भाषी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रसारित किए जा रहे हैं । इन प्रसारण क्षेत्रों में आने वाले अन्य स्कूलों के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त सामुदायिक टेलीविजन का प्रबंध कर रही हैं । आपको मालूम होगा कि अब देश में 186 टेलीविजन प्रेषित्र हैं, उनसे सत्तर प्रतिशत जनता इन प्रसारणों को देख सकती है ।

क्रियाकलाप-5

पता कीजिए कि क्या आपका स्कूल शैक्षिक टेलीविजन प्रोगाम के प्रसारण क्षेत्र में आता है । उन प्रसारणों का क्या समय है ? इस विषय में स्थानीय दूरदर्शन केन्द्र और राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी संस्थान, राजकीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी सैल आपकी सहायता कर सकते हैं ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए सप्ताह में पांच दिन प्रातः पैंतालीस मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । उसमें बीस-बीस मिनट के दो कार्यक्रम हैं—एक पांच से आठ वर्ष के बच्चों के लिए और दूसरा नौ से ग्यारह वर्ष के बच्चों के लिए । सप्ताह में एक दिन शनिवार को शिक्षकों के लिए भी कार्य क्रम प्रसारित किया जाता है ।

आप सोच रहे होंगे कि स्कूलों में ब्लैकबोर्ड, किताबें, चार्ट आदि तो पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं तो फिर शिक्षा के लिए जन-माध्यम पर इनता खर्चा क्यों किया जा रहा है ?

क्रियाकलाप-6

शिक्षा में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग के संभावित लाभों पर विचार कीजिए । उन लाभों की एक सूची बनाइए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

रेडियो और टेलीविजन का सही प्रयोग करने पर शिक्षा का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा सकता है । बच्चे अपनी इन्द्रियों का जितना प्रयोग करेंगे, उनका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा ।

रेडियो कानों को अच्छा लगता है । अतः इससे बच्चों को भाषा और संगीत के विकास में विशेष सहायता मिल सकती है । ऐतिहासिक नाटकों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को भी आसानी से समझाया जा सकता है । टेलीविजन तो और भी अधिक सशक्त माध्यम है क्योंकि वह श्रव्य भी है और दृश्य भी । टेलीविजन के अनेक लाभ हैं । इससे बच्चों की रुचियों और मूल्यों को उभारा जा सकता है । सही जानकारी एवं तथ्यों को रोचक ढंग से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है । रेडियो और टेलीविजन की सहायता से बाहरी दुनिया को कक्षा में लाया जा सकता है । तथा बच्चों के अनुभव और उनकी बौद्धिक सीमाओं को विस्तृत किया जा सकता है । अन्य माध्यमों से इतना सब कुछ करना संभव नहीं है ।

शिक्षा में रेडियो और टेलीविजन के प्रयोग के अनेक लाभ हैं । लेकिन दोनों माध्यमों की कुछ सीमाएं भी हैं । क्या आप उन सीमाओं की कल्पना कर सकते हैं ?

क्रियाकलाप-7

शैक्षिक रेडियो एवं टेलीविजन की सीमाओं पर विचार कीजिए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

आपने ठीक ही सोचा है कि इन माध्यमों की निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीमाएं हैं :

1—इनसे एक तरफा संचार होता है, दर्शक न तो प्रश्न पूछ सकते हैं और न तुरंत स्पष्टीकरण ही प्राप्त कर सकते हैं ।

2—दर्शकों को प्रसारण की गति के साथ-साथ चलना होगा । वे न पीछे जा सकते हैं और न ही किसी विचार को दोहराने के लिए कह सकते हैं । पुस्तक पढ़ते समय हम पीछे के पन्ने भी पढ़ सकते हैं और आगे के भी । परन्तु रेडियो और टेलीविजन में यह संभव नहीं है ।

3—दोनों ही माध्यम जन-माध्यम हैं । उनके कार्यक्रम श्रोताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते है । हो सकता है कि वे किसी विशेष समुदाय के बच्चों के अनुभव के अनुकूल न हों । हम जानते हैं कि जब

कोई विचार/सूचना बच्चों के अपने अनुभव और उनके निकट के वातावरण से जुड़ी होती है तब वे उसे बड़ी अच्छी तरह और जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों द्वारा यह हमेशा संभव नहीं हो सकता। सौभाग्य से इन कमियों को काफी हद तक दूर करने के कई उपाय हैं । क्या आप ऐसे उपाय ढूंढ़ सकते हैं?

क्रियाकलाप-8

शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन की विभिन्न कमियों को दूर करने के तरीकों पर विचार कीजिए ।	**एकत्र कीजिए** **मिलान कीजिए** **चर्चा कीजिए**

वास्तव में जन-माध्यमों में इन कमियों के कारण ही शिक्षक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है । आप बच्चों की सहायता कर सकते हैं, उनका मार्ग दर्शन कर सकते हैं । सबसे पहले तो आप बच्चों को रेडियो और टेलीविजन से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें रेडियो सुनने और टेलीविजन देखने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं । बच्चे उन्हें तभी सुन और देख सकेंगे जब आप टेलीविजन अथवा रेडियो को चालू करेंगे । आपको चाहिए कि आप बच्चों की ऐसी आदत डालें कि वे नियमित रूप से इन माध्यमों का लाभ उठा सकें ।

दूसरी बात वह है कि आप कार्यक्रम सूची देखें और यदि संभव हो तो आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के विषय को पढ़ व समझ लें । प्रसारण समय से दस मिनट पहले आप बच्चों से सम्बन्धित विषय पर चर्चा कर लें । इससे एक तो बच्चों को पिछला कार्यक्रम याद आ जाएगा और दूसरे आप उन्हें आगे के कार्यक्रम को सावधानी से समझने के लिए प्रेरित एवं तैयार कर सकेंगे ।

आप बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम सुनें और देखें । कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के बारे में बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें ।

प्रसारण के बाद आपको चाहिए कि आप बच्चों के साथ कार्यक्रम की चर्चा करें । उनके संदेह दूर करें । उस कार्यक्रम को कक्षा-कार्य, बच्चों के पुराने अनुभवों एवं वातावरण से जोड़ें । उन्हें कुछ ऐसी क्रियाएं सुझाएं जिनसे उन्हें आगामी कार्यक्रम को समझने में सहायता मिल सके ।

कार्यक्रम के प्रसारण के समय आपकी उपस्थिति से एक और लाभ होगा ; बच्चे ठीक से बैठकर उसे सुन सकेंगे । प्रसारण के समय बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, हालांकि कुछ शिक्षक उन्हें अकेला छोड़ देते हैं ।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों का कहना है कि बच्चों के लिए बने कार्यक्रमों को सुनने और देखने से उन्हें भी बहुत लाभ होता है । वे इन कार्यक्रमों से बहुत सी नई बातें सीखते हैं ।

धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बच्चे कार्यक्रम देखने-सुनने में माहिर हो गए हैं । वे अपने आप उनसे लाभ उठाना भी सीख जाते हैं । वे आगे भी इन माध्यमों का प्रयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं ।

आपको एक और भूमिका निभानी पड़ेगी । आप इन कार्यक्रमों के निर्माताओं को अपनी और अपने बच्चों की प्रतिक्रियाएं भेजें । इससे उन्हें उन कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी । वे उन्हें बच्चों के लिए अधिक उपयोगी, साथ एवं रोचक बना सकेंगे । इसके लिए आप प्रत्येक कार्यक्रम. के लिए फीडबैक फार्म भरकर संबंधित एजेंसी को भेज दें ।

इसी तरह एक और महत्वूपर्ण काम आपको करना होगा वह यह कि आपको समय-समय पर यह देखना होगा कि उपलब्ध उपकरण ठीक से काम कर रहा है या नही ? जब भी उसमें कोई खराबी आए, उसे तुरन्त ठीक कराएं । कुछ राज्यों के पास उन्हें ठीक कराने के लिए विशेष प्रबन्ध है । महाराष्ट्र और गुजरात की ग्रामीण प्रसारण सेवाएं इसका उदाहरण हैं । कुछ राज्यों में गैर-सरकारी एजेन्सियों को इन उपकरणों की देखभाल का ठेका दे दिया गया है । आपके पास उनका पता होना चाहिए जिससे खराबी होने पर आप उन्हें सूचित कर सकें ।

अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बच्चों को रेडियो और टेलीविजन के सामने बिठाने का सही तरीका आना चाहिए । वह तरीका कक्षा में सामान्य रूप से बैठने के तरीके से भिन्न होगा । रेडियो सुनने के लिए बच्चों को रेडियो के आस-पास गोलाकार या अर्द्ध-गोलाकार पंक्तियों में बैठाया जा सकता है ।

बच्चों के लिए टेलीविजन के सामने बैठने का आदर्श तरीका यह होगा कि वे 30 डिग्री के कोण के अंदर बैठें । यदि उनकी संख्या अधिक हो तो उन्हें 40 डिग्री के कोण के अंदर बिठाया जा सकता है । इस बात का भी ध्यान रखिए कि टेलीविजन और बच्चों की पहली पंक्ति में कम से कम छः-सात फीट का अंतर हो । यदि वे टेलीविजन के अधिक

नजदीक बैठेंगे तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं । इसी तरह अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे टेलीविजन से पच्चीस फीट से अधिक दूरी पर न हों ।

जिस स्थान पर टेलीविजन रखा जाए उसकी ऊंचाई बच्चों की आंखों की सीध से थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए । यदि बच्चे फर्श पर बैठे हैं तो टेलीविजन दो-तीन फीट की ऊंचाई पर रखा जा सकता है ।

सिनेमा हॉल की तरह यह जरूरी नहीं है कि टेलीविजन वाले कमरे में अंधेरा किया जाये । कमरे में कुछ रोशनी रखी जा सकती है । लेकिन वह रोशनी सीधी टेलीविजन के पर्दे पर नहीं पड़नी चाहिए । दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने से कमरे में घुटन हो सकती है, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में ।

स्पष्ट है कि शिक्षक के रूप में शिक्षा में जन-माध्यम के सफल उपयोग के लिए आपकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है । आपकी पहल व प्रेरणा के बिना बच्चे उससे लाभ नहीं उठा सकेंगे ।

प्रश्न

1—शिक्षा में जन-माध्यम के प्रयोग के क्या लाभ हैं ?

2—शैक्षिक काम के लिए आपको अपने शहर/गांव में किस प्रकार के माध्यम से सहायता मिल सकती है ?

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल–रा 1 सी

विद्यालय में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन

भूमिका

बालक-बालिका के सर्वांगीण एवं सर्वतोमुखी विकास के लिए खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन की उपयोगिता अपरिहार्य है । बालकों को बौद्धिक विकास के लिए जहां पुस्तकीय ज्ञान देना आवश्यक है, वहीं उनको व्यावहारिक ज्ञान तथा सामाजिक कार्यकुशलता में निपुणता प्राप्त करने के लिए, खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन विद्यालयों में किया जाना आवश्यक है । बच्चों में अन्तर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों, अभिरुचियों को विकसित एवं मुखरित करना आवश्यक है और यह कार्य खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से ही सम्भव है ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आपको :

(1) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की उपयोगिता की पूरी जानकारी हो जाएगी ।

(2) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से बालकों में कौन-कौन से सद्गुणों का विकास हो जाता है, का ज्ञान हो जाएगा ।

(3) जीवन के लिए शारीरिक स्वस्थता तथा मानसिक स्वस्थता दोनों ही आवश्यक ह, की अनुभूति हो जाएगी ।

(4) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन करने की विधा की जानकारी हो जाएगी ।

(5) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन में किन-किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, का आभास हो जायेगा ।

(6) खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु किन-किन उपकरणों, सामानों तथा साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है, की परिचयात्मक जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

(7) विद्यालय में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की व्यवस्था तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन सरलतापूर्वक कर सकेंगे ।

संक्षिप्त विवरण

वैसे प्रारंभ से ही विद्यालयों में खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है । जनपदीय, मण्डलीय, राज्य, राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, किन्तु इनमें सभी बच्चों की सहभागिता नहीं हो पाती है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत खेल-कूद, योगासन, स्काउट-गाइड, रेडक्रास तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की व्यवस्था एवं आयोजन पर विशेष बल दिया गया है ।

क्रियापत्रक–1

खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी कार्यकलाप की आवश्यकता, महत्व बताइए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

(1) प्रतियोगिता के आयोजन में विचारणीय प्रकरण

1—भाग लेने वाली टीम की प्रविष्टि हेतु सूचित करना तथा संबंधित प्रेस नोट आदि जारी कराना ।

2—संख्या के अनुसार फिक्श्चर तैयार करना । नाक आउट प्रणाली में विजेता तथा उप विजेता को अलग-अलग हाफ में रखा जाएगा । लीग आधार पर हर एक टीम का आपस में मैच होता है ।

3—प्रतियोगिता के लिए मैदान और उससे संबंधित उपकरण की व्यवस्था करना ।

4—समय से मैदान की मार्किंग कराना ।
5—प्रतियोगिता के संचालन के लिए निर्णायकों का प्रबंध करना ।
6- प्रतियोगिता की नियमावली सरल तथा स्पष्ट रूप से तैयार करना । टीमों तथा निर्णायकों को सूचित करना ताकि उसी के अनुरूप प्रतियोगिता निर्विवाद करायी जा सके ।
7—खेल में निर्णायकों का निर्णय अन्तिम होता है, फिर भी किसी तकनीकी प्रकरण पर विवाद हो सकता है जिसके लिए प्रोटेस्ट समिति का गठन कर लिया जाना चाहिए ।
8- उद्घाटन की औपचारिकतायें भी आवश्यक होती हैं । मुख्य अतिथि से समय ले लिया जाए और उनके प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचने के पूर्व सभी व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए ।
9 समारोह में भाषण का स्थान तथा समय बहुत सूक्ष्म होना चाहिए आवश्यक प्रसारण के पश्चात खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि से परिचय कराकर खेल प्रारम्भ कराना चाहिए ।
10- खेल के स्तर तथा बजट के अनरूप ही व्यवस्था करायी जानी चाहिए । यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है कि व्यय में मितव्ययता बरती जाए और खेल में तकनीकी पक्ष पर विशेष बल दिया जाए
11- खेले गये मैच आदि का विवरण रखा जाए और परिणाम समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रसारित कराया जाए । खेल पत्रकारों को आमंत्रित कर सहयोग लिया जाए ।
12- समय समय पर पुराने खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाए और उनके सुझाव भी लिये जाए ताकि आगामी आयोजनों में स्तर बढ़ सके और आयोजन की कमियों को दूर किया जा सके
13- यदि प्रतियोगिता के आधार पर उच्चस्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन किया जाना हो तो जानकार लोगों की चयन समिति पहले से ही गठित कर ली जाए । खिलाड़ियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाये ।
14- आगे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयोजकों को समय से सूचना भेज दी जाए ।
15- समापन समारोह की व्यवस्था समय से की जाए तथा पुरस्कार आदि की व्यवस्था पहले से ही रहे और उसको ठीक प्रकार से लगाया जाए ताकि वितरण के समय कोई कठिनाई न हो
16—यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि भाषण आदि का कार्य पुरस्कार के वितरण के पूर्व करा लिया जाए अन्यथा पुरस्कार वितरण के बाद कोई भाषण ध्यान से नहीं सुनता और अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता दिखलाई पड़ने लगती है
17- यदि कभी खुली प्रतियोगिता करनी हो तो खेल विशेष के संघ से लागू नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है । स्तर के अनुसार जनपदीय, प्रदेशीय अथवा राष्ट्रीय संघ से मान्यता लेनी होती है और उसके लिए पहले से ही इसी माध्यम से आवेदन करना होता है ।

खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजकों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?	एकत्र कीजिए विचार कीजिए मिलान कीजिए

(2) (वार्मिंग अप) पूर्व शारीरिक गर्माहट

स्पोर्ट्स में जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उससे पूर्व शारीरिक गर्माहट का होना अति आवश्यक है क्योंकि खिलाड़ी अपने आपको शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भी व्यायाम करना है उसके लिये तैयार करना अति आवश्यक है। मानव शरीर विभिन्न मांसपेशियों से बना हुआ है जैसे स्कूटर चलाया जाता है तो सर्वप्रथम फर्स्ट गेयर फिर दूसरा गेयर और अन्त मे तीसरा गेयर लगाया जाता है इसी प्रकार शरीर भी एक मशीन है । इसको भी किसी खेल में खेलने मे पूर्व गर्म करना अति आवश्यक है । शरीर में जो मांसपेशियां बनी हुई हैं वार्मिंग अप करने से इनकी क्षमता बढ़ जाती है । शारीरिक गर्माहट दो प्रकार की होती है --

1. साधारण शारीरिक गर्माहट (जनरल वार्मिंग अप)
2. विशेष शारीरिक गर्माहट (स्पेसिफिक वार्मिंग अप)

1. साधारण शारीरिक गर्माहट

जनरल वार्मिंग अप हर खिलाड़ी के लिये अति आवश्यक है यह दस से पन्द्रह मिनट के बीच होनी चाहिए । सबसे पहले मन्द गति दौड़ (स्लो जॉगिंग) से प्रारंभ की जायेगी । इसके बाद अल्प काल के लिए मध्यम गति दौड़ (रनिंग स्लो पेस) पर की जायेगी इसके बाद शारीरिक व्यायाम, फैलाव संबंधी लचीलापन तथा व्यायाम (फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग तथा

फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज) की जायेगी । उसके बाद दो-तीन मिनट विन्डस्प्रिन्ट लगाया जायेगा, जिसकी दूरी 70 मीटर होगी । पहले 30 मीटर मन्द गति दौड़, 20 मीटर तेज तथा 20 मीटर मन्द की जायेगी ।

2. विशेष शारीरिक गर्माहट

साधारण वार्मिंग अप करने के बाद विशेष वार्मिंग अप की जाती है । यह हर खेल के अनुसार अलग-अलग होती है । जैसे हाकी के खिलाड़ी को कम से कम 6 व्यायाम क्रियाएं जो हाकी से संबंधित हों करना होगा । यदि वह धावक है तो वह अपने इवेन्ट से संबंधित व्यायाम क्रिया करेगा । जिस प्रकार एक धावक की 110 बाधा दौड़ (हर्डिल्स) में भाग लेना है तो वह धावक अपने इवेन्ट के अनुसार विशेष गर्माहट संबंधी व्यायाम क्रिया करेगा । विशेष वार्मिंग अप हर खेल के लिए अलग-अलग होता है ।

(3) (फिजिकल फिटनेस) शारीरिक क्षमता

स्पोर्ट्स में यह आवश्यक है कि खेल विशेष के अनुसार भाग लेने वाले खिलाड़ी में शारीरिक क्षमता विद्यमान हों । जैसे हाकी, फुटबाल, बैडमिण्टन, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, तैराकी आदि में खिलाड़ी को 2 घंटे से भी अधिक लगातार खेलना पड़ता है । यदि उसमें शारीरिक क्षमता नहीं है तो उसकी उपलब्धियों में गिरावट आ सकती है ।

शारीरिक क्षमता की परिभाषा

शारीरिक क्षमता का सीधा सा अर्थ यह है कि वह शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो और अपने खेल के अनुसार शरीर को मजबूत रख सके तथा शरीर का संतुलन बनाये रखे ।

स्पोर्ट्स में शारीरिक क्षमता बुनियाद का कार्य करती है । मकान बनाते समय नींव की गहराई के आधार पर ही इमारत बनायी जाती है । इसी प्रकार स्पोर्ट्स में शारीरिक क्षमता हर खेल में बुनियाद का कार्य करती है । शारीरिक क्षमता दो प्रकार की होती है :—

1. साधारण क्षमता (जनरल फिटनेस)
2. विशेष क्षमता (स्पेसिफिक फिटनेस)

साधारण क्षमता

साधारण क्षमता हर खिलाड़ी के लिये आवश्यक है । विशेष क्षमता हर खेल की अलग-अलग होती है । साधारण फिटनेस के लिये मुख्य रूप से निम्न चार गुणों का होना आवश्यक है :—

1. एन्ड्योरेन्स (गुणता)
2. स्ट्रेन्थ (बल)
3. स्पीड (गति)
4. फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन)

1. शारीरिक गुणता (एन्ड्योरेन्स)

शारीरिक गुणता का तात्पर्य यह है कि अधिक समय तक थकान के उपरांत भी खेलते रहने की क्षमता, ताकि खेल में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े । शारीरिक गुणता निम्नलिखित साधनों से प्राप्त की जा सकती है :—

1. शारीरिक व्यायाम
2. दौड़ (रनिंग)
3. हिल रनिंग
4. सैन्ड रनिंग
5. स्टेयर रनिंग (सीढ़ियों पर दौड़)

2. स्ट्रेन्थ (बल)

बल से तात्पर्य है थकान न हो सकने की क्षमता प्राप्त करना । अगर मांसपेशियों में शक्ति नहीं है तो कोई भी खेल नहीं खेला जा सकता है । बल निम्नलिखित साधनों से प्राप्त किया जा सकता है । स्ट्रेन्थ किसी भी खिलाड़ी की योग्यता है जब वह किसी बाधा के विरुद्ध कार्य करता है ।

साधन

1. शारीरिक व्यायाम
2. मेडिसिन बाल एक्सरसाइज
3. पार्टनर एक्सरसाइज
4. रोप क्लाइम्बिंग
5. हिल रनिंग
6. स्टेयर रनिंग तथा स्टेयर एक्सरसाइज

3. स्पीड (गति)

खिलाड़ी में स्पीड का होना अति आवश्यक है । आज के युग में हर खेल गति (स्पीड) तथा शक्ति (पावर) पर निर्भर करता है । गति का तात्पर्य ये है कि खेल में कोई भी मोटर ऐक्शन कम से कम समय में कर लें जैसे :—50 मी० की दौड़ लगायी जाय तो उसमें हर बच्चे का समय अलग-अलग आयेगा, उससे बालक की स्पीड (गति) देखी जा सकती है । यह गुण हर खिलाड़ी को जन्म से ही प्राप्त होता है । प्रशिक्षण द्वारा ये गुण केवल 15 प्रतिशत ही बढ़ाया जा सकता है । गति को बढ़ाने के लिए निम्न साधन प्रयोग किये जायेंगे । 20 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 40 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 60 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 80 मी० की शार्टस्प्रिन्ट, 100 मी० की शार्टस्प्रिन्ट ।

4. फ्लेक्सिबिलिटी

खेल में यदि लचीलापन का गुण नहीं है तो खिलाड़ी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । शरीर में विभिन्न ज्वाइन्ट तथा मांसपेशियां हैं । उसमें जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही उस समय खिलाड़ी में मूवमेन्ट का फैलाव बढ़ जायेगा । फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य है खिलाड़ी में गतिशीलता का प्रसार तथा लचीलापन का होना ।

फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करने के निम्न साधन है :—

1. स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज
2. जिम्नास्टिक एक्सरसाइज
3. हार्डलिंग एक्सरसाइज
4. हैण्डबाल, बालीबाल, आदि के खेलने से भी फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है ।

ऊपर लिखे ये चार गुण हर खिलाड़ी में होना आवश्यक है । हर खेल में एन्ड्योरेन्स, बल, गति, लचीलेपन की जरूरत है । जब किसी खिलाड़ी में साधारण शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है उसके बाद हर खेल के अनुसार उसको विशेष क्षमता अर्जित करायी जाती है ।

(4) न्यूट्रीशन

स्पोर्ट्स में संतुलित आहार का बहुत ही महत्त्व है । जब एक खिलाड़ी खेल खेलता है उसको अच्छे आहार की जरूरत पड़ती है । यदि खिलाड़ी को अच्छा आहार नहीं दिया जायेगा तो उसके खेल का स्तर नहीं बढ़ सकता है । जब हम खेल में भाग लेते हैं तो उस समय बहुत सारी कैलरीज खर्च होती है । एक आदमी को जो दफ्तर में कार्य करता है उसको 2000 कैलरीज की आवश्यकता होती है तथा जो स्पोर्ट्स में भाग लेता है उसको 5000 से 6000 तक कैलरीज की आवश्यकता है । किसी भी आयु पर सन्तुलित आहार स्वास्थ्य को पुनः लाभ प्रदान कर सकता है तथा पुनः सुधार सम्भव है । संतुलित भोजन में निम्नलिखित अवयवों का होना आवश्यक है :—

1. प्रोटीन
2. कार्बोहाइड्रेट
3. फैट्स (वसा)
4. विटामिन
5. खनिज पदार्थ
6. जल

भोजन में ताजी और साफ सब्जियों का होना आवश्यक है । तली हुई चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए । इससे लीवर को हानि पहुँचती है । खाने में हरा सलाद, सब्जियों, फल, दूध, पनीर, दही, शहद, जूस, मछली, मीट, अण्डा का प्रयोग करना चाहिए ।

1. प्रोटीन

शरीर के लिए विभिन्न सेल्स टीशू टूटते रहते हैं । प्रोटीन उसको बनाने का कार्य करती है जैसे—जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटों में गारा लगाया जाता है तो गारे से ईंट जुड़ जाती है उसी प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर में सेल्स टीशू को बनाने का कार्य करती है । प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित चीजों में प्राप्त होती है : सोयाबीन, पनीर, दूध, मटर, मीट, चना, साबूदाना इत्यादि ।

2. फैट्स

शरीर में तापमान को ठीक रखने के लिए फैट्स कार्य करती है । क्योंकि जब हम खेल में लंबे समय के लिए कार्य करते है उस समय फैट्स की आवश्यकता होती है । ये निम्नलिखित चीजों में पायी जाती है : मक्खन, घी, तेल, सूखा मेवा, दूध, चावल, अण्डा, मीट, मूंगफली, बादाम आदि ।

3. कार्बोहाइड्रेट

खिलाड़ी के भोजन में 60 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी को स्पोर्ट्स में तत्पर ऊर्जा मिलने वाला आहार प्रयोग करना चाहिए । कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है तथा शरीर के तापमान को भी ठीक रखता है । कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित चीजों में पायी जाती है : शहद, चीनी, गन्ने का रस, गुड़, अंगूर, चावल, आलू, प्याज, गाजर, मूली, आम, केला इत्यादि ।

4. विटामिन

शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए भोजन में विटामिन का होना अति आवश्यक है । मुख्य रूप से विटामिन छः प्रकार के होते हैं । विटामिन–ए, विटामिन–बी, विटामिन–सी, विटामिन–डी, विटामिन–ई तथा विटामिन–एफ होते हैं । स्पोर्ट्स में विटामिन–बी, विटामिन–$बी_{12}$ तथा विटामिन–सी काम आता है । विटामिन मुख्य रूप से सब्जियों में, फलों में प्राप्त होते हैं । विटामिन–डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है ।

5. पानी तथा खनिज

जब हम व्यायाम करते हैं तो उसमें पसीना आता है । उससे क्लोराइड्स निकलते है । उसको पूरा करने के लिए नमक व पानी का लेना अति आवश्यक है । खिलाड़ी को पानी शुद्ध पीना चाहिए । यदि पानी में मिलावट हो तो उसको नहीं पीना चाहिए । यदि हो सके तो पानी फिल्टर या उबाला हुआ पीना चाहिए । खिलाड़ी को ज्यादा पानी पीना चाहिए ।

खिलाड़ी को भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए । ज्यादा भोजन करने से शरीर में फैट्स बढ़ जायेगा तथा शरीर में भारीपन एवं सुस्ती आनी शुरू हो जायेगी, जो खिलाड़ी के लिए हानिकारक है । इसी प्रकार खिलाड़ी को आवश्यकता से कम भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन कम करने से उसके शरीर में कमजोरी आ जायेगी । भोजन का मुख्य सिद्धांत यह है कि जितनी कैलरीज हम लें उतने को हम खर्च करें । जैसे—एक खिलाड़ी को 5000 कैलरीज की जरूरत है, यदि वह 6000 कैलरीज ले रहा है तो 1000 कैलरीज जो बच गयी है वह फैट्स में परिवर्तित हो जायेगी । अतः सन्तुलित भोजन में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, खनिज तथा पानी का होना अति आवश्यक है ।

विशेष

खिलाड़ियों को सामान्यतया यह भ्रम होता है कि जब बहुत कीमती फल-फूल, मेवा आदि से परिपूर्ण भोजन न किया जाये अच्छा खिलाड़ी नहीं बना जा सकता है । वह यह भी सोचते हैं कि मांस, मछली, अण्डा से ही पौष्टिक तत्व प्राप्त किये जा सकते हैं । जबकि खिलाड़ियों को ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें सभी तत्व जैसे—प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स तथा पानी पर्याप्त मात्रा में हो । साधारण भोजन जो सुपाच्य हो, प्रयोग करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है । हम अपने खाद्य पदार्थ को इस प्रकार ग्रहण करें कि उनमें आसानी से कम कीमत में प्राप्त होने वाले सभी खाद्य-तत्व विद्यमान हो, जैसे दलिया, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां, मौसमी सस्ते फल आदि । लेकिन इन वस्तुओं का प्रयोग सही मात्रा, आवश्यकतानुसार करें तो हमें संतुलित आहार का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और इससे न केवल शारीरिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी बल्कि इससे शारीरिक विकास भी विधिवत होगा । अंकुरित चने के उपयोग से अधिक मात्रा में लाभ होगा । चने को पानी में भिगोकर, साफ कपड़े में बांधकर रखें एवं जब उसमें अंकुर निकल आयें तो उसका उपयोग करना श्रेष्ठकर होता है । इसी प्रकार से दलिया का सेवन अधिक लाभप्रद है एवं सुपाच्य है एवं इसमें अधिकांशतया सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते है । इसी तरह सब्जियों में पालक, गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर आदि का सेवन अधिक करना चाहिए । फलों का सेवन लाभप्रद है लेकिन इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि केवल महगे फल ही ग्रहण किये जायें । मौसम के अनुसार आसानी से कम लागत पर प्राप्त होने वाले फल सभी आवश्यक गुणों से परिपूर्ण होते हैं औ

गुणवत्ता के हिसाब से कीमती फलों से किसी प्रकार कम नहीं होते हैं । इस प्रकार शुद्ध, स्वच्छ एवं शाकाहारी भोजन से हम सभी आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं । हमें उसी प्रकार के भोजब की आदत डालनी चाहिए ।

अब विश्व में भी जहां पर लोग मूलतः मांसाहारी भोजन को ही वरीयता देते हैं, वे भी आज इस शाकाहारी भोजन को महत्व देने लगे हैं । दूध का सेवन तो लाभप्रद है ही क्योंकि उसको अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है । इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि हम बहुत कीमती या गरिष्ठ भोजन से ही आवश्यक पोषण-तत्व पा सकते हैं । इस प्रकार सादा स्वच्छ, संतुलित मात्रा में भोजन लेने से हमें हमारे शरीर के लिये आवश्यक पूर्ति होती है । हमारे विद्यार्थी जो 12 से 18 वर्ष की आयु के हैं एवं विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी के लिये एक संतुलित शाकाहारी आहार की सारणी (मीनू) प्रस्तुत की जा रही है । इसके लिये इस प्रकार से प्रयोग लाभकारी एवं श्रेष्ठतम होगा ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए तथा शक्ति संचय के लिए हमें दलिया का प्रयोग करना चाहिए । अंकुरित चने पौष्टिक होते हैं तथा इनमें स्वाद भी रहता है । दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, इनका नियमित प्रयोग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । सामयिक मौसमी फलों के उपयोग की आदत हमें डालनी चाहिए । अनेक कच्ची सब्जियां जैसे—टमाटर, गाजर का प्रयोग भी स्वास्थ्यवर्धक है ।

12 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों का शाकाहारी संतुलित आहार

प्रातः 7.00 बजे	नाश्ता 8.30 बजे	दोपहर का भोजन 12.00 बजे	सायं 5.00 बजे	रात्रि का भोजन 8.00 बजे
अंकुरित चना, गेहूं, मूंग गुड़	30 ग्राम दलिया 35 ग्राम दूध 30 ग्राम चीनी 4 डबल रोटी के टुकड़े 20 ग्राम मक्खन 2 केला/मौसमी का फल	चपाती, चावल दाल सब्जी दही हरे पत्ते की सब्जी सलाद फल	सिकंजी नींबू, चीनी, नमक, मीठा दूध एक गिलास	राजमा, सोयाबीन की बड़ी, मटर पनीर, दाल, फली की सब्जी, सलाद, खीरा, हरी पत्ती, नींबू, गुड़ या स्वीट डिश

रोटी—गेहूं, चना तथा सोयाबीन के आटे की बनानी चाहिए ।

(5) फुटबाल प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ग्राउन्ड

इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु 110 से 120 गज लम्बाई तथा 70 से 80 गज चौड़ाई निर्धारित हैं परन्तु उपलब्धता के आधार पर छोटी ग्राउन्ड बनाकर प्रतियोगिता की जा सकती है । हां, लम्बाई हमेशा चौड़ाई से अधिक रखनी होती । इसका गोल 8 गज का होता है और उसकी ऊंचाई 8 फिट होती है । इस खेल में कहीं से सीधे मारकर गोल किया जा सकता हैं केवल उन स्थितियों को छोड़कर जिसमें इनडायरेक्ट फ्री किक दिया गया है ।

खिलाड़ी

इसमें भी 11 खिलाड़ियों की टीम होती है । दो खिलाड़ी कभी भी बदले जा सकते हैं परन्तु एक बार बदला जा चुका खिलाड़ी दुबारा उस मैच में नहीं खेल सकता । छोटी ग्राउन्ड होने की दशा में कम संख्या के खिलाड़ियों की टीम बनाकर प्रतियोगिता कराई जा सकती है । बहुत छोटी ग्राउन्ड होने पर गोल पोस्ट की दूरी भी कम करना उचित होगा । दोनों ओर गोल पोस्ट से 18 गज की दूरी पर मार्किंग करके पेनाल्टी एरिया बनाया जाता है । इस अपने एरिया में गोलकीपर द्वारा हाथ का प्रयोग किया जा सकता है अन्यथा हर जगह उसके और दूसरे खिलाडियों के लिये हाथ का प्रयोग वर्जित है।

समय

पूरा मैच 90 मिनट का होती है जो कि 45 मिनट के दो भागों में विभाजित होता है और बीच में 10 मिनट का मध्यान्तर रहता है । बराबर रहने पर 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है और उसके पश्चात टाई ब्रेकर नियम लागू होता है । आवश्यकता तथा खिलाड़ियों की संख्या आदि को देखते हुए कम समय के मैच कराये जा सकते हैं ।

निर्णायक

इसमें एक रेफरी तथा दो सहायक (लाइन्समैन) होते हैं जोकि अपने-अपने हाथ में फ्लैग दिखाकर रेफरी की सहायता करते हैं । रेफरी सीटी बजाकर अपना निर्णय देता रहता है । चौथा टेबुल आफिशल होता है जोकि रेकार्ड आदि रखता है और चेतावनी तथा खिलाड़ी परिवर्तन आदि भी नोट करता रहता है ।

निर्णय

फुटबाल में भी जीत हार गोल के अन्तर से होती है । बराबर रहने पर अतिरिक्त समय दिया जाता है और उस पर भी निर्णय न हो पाने की दशा में टाई ब्रेकर नियम लागू होता है ।

सामान्य नियम

खेल के अन्तर्गत नियम भंग करने पर विपक्षी टीम को फ्री किक लगाकर फिर खेल प्रारंभ करने का अवसर रेफरी द्वारा दिया जाता है । नौ ऐसे फाउल होते हैं जोकि पैनल्ल अफेंस कहलाते हैं और जान बूझकर किये जावे पर डायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है अर्थात् सीधे गोल में मार देने की दशा में गोल दिया जायेगा । यदि फाउल का स्थान अपने पेनाल्टी एरिया में किया जाय तो पेनाल्टी किक दी जाती है और वह केवल गोलकीपर को खड़े करके 2 गज की दूरी से विपक्षी टीम के एक खिलाड़ी द्वारा लगाई जाती है । इन दो खिलाड़ियों को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को उस एरिया के बाहर खड़ा होना पड़ता है । इन नौ फाउल्स के अतिरिक्त नियम भंग करने पर रेफरी द्वारा 'इनडायरेक्ट किक' दी जाती है जिसका संकेत सीटी के साथ एक हाथ उठाकर देता है । इनडायरेक्ट किक में यह आवश्यक है कि बाल गोल में जाने से पूर्व किक लगाने वाले खिलाड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य ने भी छुआ हो अन्यथा गोल नहीं दिया जायेगा । पेनाल्टी किक के अवसर को छोड़कर फ्री किक के समय बाल से समस्त विपक्षी दस गज दूर खड़े होंगे । अपना खिलाड़ी नजदीक हो सकता है । पेनाल्टी में अपने खिलाड़ी को 10 गज दूर खड़ा होता आवश्यक है ।

(6) हाकी प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

हाकी प्रतियोगिता का आयोजन सामान्य तथा राष्ट्रीय हाकी संघ के मान्य नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए । परन्तु छोटे स्तर पर आयोजन हेतु सुविधानुसार परिवर्तन कर प्रतियोगिताए आयोजित की जा सकती हैं ।

ग्राउन्ड

इसके लिये 100 × 60 गज का पूरा मैदान होना चाहिए । दोनों ओर चौड़ाई की ओर बीच में गोल पोस्ट लगते हैं जिनकी आपस में दूरी 4 गज होती है और ऊंचाई 7 फीट । 16 गज की पोल से दूरी रखते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल बनाया जाता है । इसी सर्किल के अन्दर से विपक्षी द्वारा बाल मारकर गोल में फेंकने पर गोल होता है । परन्तु हर जगह पूरी माप का मैदान उपलब्ध नहीं हो पाता तो छोटे ग्राउन्ड पर मैच कराये जायें और यथासम्भव माप के अनुपात में मार्किंग की जाय ग्राउन्ड आयताकार होना चाहिए ।

खिलाड़ी

मैच के लिए दोनों ओर ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की टीम होती है । यदि मैदान छोटा है तो कम खिलाड़ियों की संख्या रखकर प्रतियोगिता की जा सकती है । बहुत छोटी ग्राउन्ड में खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने के साथ गोल पोस्ट भी कम दूरी पर लगाये जा सकते हैं । सुविधानुसार 6, 4 तथा 3 खिलाड़ी तक की टीम गठित कर प्रतियोगितायें कराई जा सकती हैं ।

सामान्य नियम

सामान्यतया खेल के लागू नियमों के आधार पर प्रतियोगिता की जानी चाहिए । परन्तु खिलाड़ियों की संख्या कम होने की दशा में "आफ साइड" नियम शिथिल किया जा सकता है ।

समय

पूरा मैच 70 मिनट के दो भागों में होता है । बीच में 35 मिनट के बाद 5 मिनट का विश्राम रहता है । खिलाड़ियों की संख्या तथा मैदान की माप के अनुसार कम समय का मैच निर्धारित किया जा सकता है परन्तु पूरा समय दो भागों में अवश्य विभाजित हो और मध्यान्तर के बाद साइड अवश्य बदली जावे ।

निर्णायक

मैच को खिलाने हेतु दो निर्णायक होते हैं जिन्हें "अम्पायर" कहते हैं । सामान्यतया दोनों अपने-अपने क्षेत्र के नियमानुसार सीटी बजाकर निर्णय देते रहते है । यदि बहुत छोटी ग्राउन्ड में कम संख्या के खिलाड़ियों का मैच करना हो तो एक अम्पायर से भी काम चलाया जा सकता है ।

निर्णय

मैचों के हार-जीत का फैसला गोलों के अन्तर के आधार पर होता है । पूर्ण समय तक बराबर रहने पर अतिरिक्त समय दिया जाता है और फिर फैसला न हो सके तो "टाईब्रेकर" नियम लागू करके निर्णय होता है । समयाभाव को देखते हुये पहले से ही बताकर सीधे टाईब्रेकर नियम लागू किया जा सकता है ।

यदि आयोजन लीग प्रणाली के आधार पर किया जाता है तो हर टीम को हर टीम से खेलना पड़ता है । जीतने वाले को दो तथा हारने वाले को शून्य प्वाइन्ट मिलते हैं । बराबर रहने की दशा में एक-एक प्वाइन्ट दोनों को मिलते हैं । अधिक प्वाइन्ट पाने वाली टीम विजयी होती है ।

नियम

हाकी स्टिक के चपटे वाले भाग की ओर का ही खेल में प्रयोग हो सकता है । शरीर के अंग का प्रयोग करना तथा स्टिक अथवा शरीर से विपक्षी को बाधा पहुंचाना वर्जित है । गोलकीपर रक्षा के लिये हाथ का प्रयोग कर सकता है । नियम का उल्लंघन करने की दशा में फ्री हिट, पेनाल्टी कारनर अथवा पेनाल्टी स्ट्रोक, स्थान व गम्भीरता के अनुसार, देकर अम्पायर उस टीम को दण्डित करता है ।

(7) कबड्डी प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ग्राउन्ड

इसके लिये 12.5×10 मी॰ के आयताकार मैदान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे चूने आदि से मार्क करके प्रतियोगिता के लिये तैयार किया जा सकता है । मध्य रेखा के दोनों ओर "बाक लाइन" बोनस लाइन बनाई जाती है । खिलाड़ियों की पकड़ की दशा में ही प्रयोग हेतु 1 मीटर की चौड़ाई वाली साइड में लाबी बनाई जाती है । खेल के दौरान आउट होने वाले खिलाड़ियों के लिये कोर्ट के भाग के पीछे ब्लाक बनाया जाता है । ग्राउन्ड के रेखांकित सीमा के बाहर की भूमि के सम्पर्क में आने पर खिलाड़ी आउट हो जाता है ।

समय

खेल बीस-बीस मिनट के दो भागों में बंटा होता है । बीच में पांच मिनट का मध्यान्तर रहता है । बराबर रहने की दशा में पांच-पांच मिनट के दो भाग में अतिरिक्त समय दिया जाता है और फिर भी बराबर रहने पर पहला प्वाइन्ट बनाने वाली टीम विजयी होती है ।

खिलाड़ी

सात-सात खिलाड़ियों की टीम होती है ।

निर्णायक

इसमें एक रैफरी तथा दो अम्पायर होते है जो वास्तविक निर्णय देते रहते है । उनकी सहायता के लिए स्कोरर तथा ब्लाक नियन्त्रक होते हैं ।

सामान्य नियम

एक खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से कबड्डी बोलते हुए विपक्षी के कोर्ट में कबड्डी बोलने जाता है । उसे एक सांस में कबड्डी शब्द का उच्चारण करते रहना होता है जिसे वह अपने कोर्ट से शुरू कर अपने ही कोर्ट में समाप्त कर सकता है अन्यथा उसे आउट कर दिया जायेगा । यदि वह किसी विपक्षी खिलाड़ी अथवा खिलाड़ियों को छूकर बिना सांस तोड़े अपने कोर्ट में सुरक्षित वापस आ जाता है तो वे सारे विपक्षी आउट कर दिये जायेंगे और उतने प्वाइन्ट उसकी टीम को मिल जायेंगे । बिना छुये वापस आने के लिये कबड्डी बोलने वाले को विपक्षी कोर्ट में वाक लाइन क्रास करना आवश्यक होता है वर्ना उसे आउट दे दिया जायेगा । खेल को तेज व संघर्षपूर्ण बनाने के लिये कबड्डी बोलने वाले खिलाड़ी के बोनस लाइन

क्रास करने पर एक बोनस प्वाइन्ट दिया जाता है । कबड्डी बोलने का अवसर बारी-बारी दोनों टीमों को मिलता रहता है । खिलाड़ी जिस क्रम में आउट होकर अपने ब्लाक में बैठता है उसी क्रम में विपक्षी के आउट होने पर उठता है । पूर्ण टीम के आउट होने पर दो प्वाइन्ट लोना के रूप में विपक्षी टीम को दिया जाता है । यदि विपक्षी टीम के खिलाड़ी कबड्डी बोलने वाले खिलाड़ी को अपने कोर्ट में पकड़ लेते हैं और वह कबड्डी बोलते हुए वापस कोर्ट में सुरक्षित नहीं पहुंच पाता है तो वह आउट कर दिया जायेगा ।

(8) खो-खो प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ग्राउन्ड

इसके लिए 26 × 15 मीटर ग्राउन्ड की आवश्यकता होती है । इसमें दो खम्भ दोनों चौड़ाई की लाइन से 2.70 मीटर पर बीच में गाड़े जाते हैं । फिर खम्भों से अन्दर की ओर 2.25 मीटर की दूरी पर दोनों ओर रेखा खींची जाती है और यहीं से 30 से० मी० के आठ चौकोर ब्लाक बनाये जाते हैं जिनकी आपसी दूरी 2.30 मीटर होती है । इन्हीं आठों खानों में चेंजर टीम के आठ खिलाड़ी क्रमशः एक दूसरे के निर्धारित दिशा में ग्राउन्ड की लम्बाई की ओर मुंह कर बैठते हैं ।

खिलाड़ी

मैच को नौ खिलाड़ियों की एक टीम खेलती है । मैच दो इनिंग का होता है । इस प्रकार प्रत्येक टीम दो बार रनर तथा दो बार चेंजर के रूप में ग्राउन्ड पर उतरती है । चेंज करने के समय आठ खिलाड़ी ब्लाक में बैठते हैं और एक एक्टिव चेंजर होता है । रनर टीम के खिलाड़ी तीन-तीन ग्रुप में आते हैं । पहले ग्रुप के तीनों खिलाड़ियों के आउट होने पर दूसरा ग्रुप मैदान में आता है ।

समय

पूरा मैच 7 मिनट के चार इनिंग में विभाजित होता है । एक टीम के खेल लेने पर दूसरी टीम 2 मिनट के विश्राम के बाद खेलती है । दोनों टीम के पहले इनिंग के 5 मिनट बाद दूसरी इनिंग आरम्भ होती है । टास जीतने वाली टीम का अधिकार होता है कि वह पहले रनर या चेंजर बनना चुने ।

निर्णायक

इसमें एक रेफरी तथा दो अम्पायर मैच को सीटी बजाकर खिलाते हैं । स्कोरर तथा टाइमकीपर बाहर टेबुल से सहयोग देते हैं ।

निर्णय

मैच में हार जीत प्वांइट के आधार पर होतीं है । एक रनर को आउट करने पर एक वाइंट मिलता है । चेंज करते वाली टीम के खिलाड़ी जल्दी-जल्दी एक दूसरे को "खो" देकर रनर को छूने की कोशिश करते हैं । चेंजर के पास के पीछे की एरिया को छोड़कर लावी से बाहर निकलते ही दिशा बदलने का अधिकार नहीं होता । एक वार जिस दिशा की ओर रुख कर लिया फिर उसी दिशा की ओर जा सकता है । उसका उल्लंघन करने पर निर्णायक सीटी बजाकर फिर उसी दिशा में भेजते हैं । इस प्रकार उस टीम का स्वयं समय नष्ट होता है । पोल के पीछे के ब्लाक में किसी भी दशा में घूम कर छू सकता है । रनर भी बैठे हुये चेंजर टीम के खिलाड़ियों को नहीं छू सकता हैं । इस प्रकार जीत दोनों इनिंग के योग के अनुसार अंकों के आधार पर होती है ।

(9) एथलेटिक प्रतियोगिता हेतु सामान्य ज्ञान

ट्रैक

एथलेटिक्स के लिए 400 मीटर का ट्रैक बनाया जाता है । 100 मी० तथा 110 मी० हर्डिल्स की दौड़ सीधी रखी जाती है। 100 मी० से ऊपर की सब दौड़ ट्रैक में होती है । सभी खिलाड़ियों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से ट्रैक में होने वाली दौड़ हेतु बाहर वाले धावकों की क्रमशः बायें वाले धावक से आगे खड़ा कर दौड़ाया जाता हैं । इसे "स्टैगर्ड"

स्टार्ट" कहते हैं । ट्रैक की एक लेन 4 फीट की होती है । सामान्यतया ट्रैक में 6 या 8 लेन होती हैं । एक पूरा चक्कर 400 मी. का होता है । पहला एथलीट स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा होता है, दूसरा उससे $23-1/2$"आगे और उसके बाद वाले एथलीट क्रमशः अन्दर वाले से $25-1 1/2$" आगे खड़े किये जाते हैं । 200 मी0 दौड़ में यह "स्टैगर" आधा होता है । बशर्ते ट्रैक 400 मी० का ही हो। यदि 400 मी० ट्रैक बनाने का स्थान न हो तो 200 मी० का ट्रैक बनाया जा सकता है और नियमानुसार स्टैगर देकर दौड़ कराई जा सकती है ।

इसके अतिरिक्त कूद के लिए अखाड़े या जम्पिंग पिट तथा फेंक के लिए सर्किल तथा सेक्टर आदि बनाये जाते हैं । लम्बी कूद तथा हाप स्टैप व जम्प के लिए मैदान के समतल अखाड़ा बनता है और हाई जम्प तथा पोल वाल्ट के लिए ऊंचा करके पिंट फूस, सैन्डबेग, फोम के टुकड़े तथा गद्दे आदि लगाकर इस प्रकार बनाये जाते हैं कि कूदने वाले को चोट न लगे । थ्रो में शाटपुट, हैमर तथा डिस्कस थ्रो गोले में से होता है और जेवलिन थ्रो एक आर्क बनाकर सीधी पट्टी में से होता है । शाटपुट तथा हैमर का 7 फीट तथा डिस्कस का $8'-2 1/2$" के डायमीटर का सर्किल होता है ।

उपकरण

एथलेटिक्स मीट के लिए बहुत से उपकरणों तथा सामानों की आवश्यकता पड़ती है । इसका प्रबन्ध पहले से कर लिया जाए । उसे सुरक्षित इस प्रकार उपलब्ध रखा जाए कि आवश्यकतानुसार निश्चित स्थान पर पहुंचाया जा सके और कार्य के बाद वापस लाया जा सके । सामान्यतया चूना, होरी, कील, फीता, शाटपुट, डिस्कस, हैमर, जैवलिन, हाई जम्प तथा पोल वाल्ट स्टैण्ड, क्रास बार, स्टाप बोर्ड, टेक आफ बोर्ड, ट्रफ, बैटन, हर्डिल्स, सीटी, झण्डी, स्टार्टिंग पिस्टल, कार्क, ऊन, स्टाप वाच, फिनिश पोस्ट, विक्टरी स्टैण्ड, ट्रिब्यून आफ आनर, जजेस व टाइम कीपर्स स्टैण्ड, फावड़ी तथा स्टेशनरी आदि की आवश्यकता पड़ती है । मीट के स्तर के अनुसार इसका प्रबन्ध करना होता है ।

निर्णायक

एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु अनेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें विभिन्न निर्णायक का कार्य सौंपा जाता है । मुख्यतया एनाउन्सर, स्टार्टर क्लर्क आफ द कोर्स, जज ऐड फिनिश, टाइम कीपर, ट्रैक अम्पायर, लैप स्कोरर, जजेस (फील्ड), जम्प तथा थ्रो, जूरी आफ अपील, रेकार्डर आदि-आदि । लोगों की उत्तरदायित्व उनकी योग्यता, अनुभव तथा उपयुक्तता के आधार पर दिया जाता है ।

उद्‌घाटन एवं समापन

एथलेटिक्स मीट के शुभारम्भ तथा समापन की विशेष औपचारिकताएं होती है । उद्‌घाटन के सबसे पहले मार्च पास्ट कराया जाता है और मुख्य अतिथि सलामी लेते हैं । टीमें मंच के सामने से गुजरते समय अपना झण्डा झुकाकर अभिवादन करती हैं और एथलीट क्रमशः दाहिने फिर सामने देखा करते है । मार्च पास्ट के बाद टीमें सामने खड़ी कर दी जाती हैं । फिर संयोजक द्वारा स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि से शुभारम्भ की उद्‌घोषणा के लिए अनुरोध किया जाता है । फिर मुख्य अतिथि द्वारा औपचारिक घोषणा की जाती है । उसके रहते मीट का झण्डा ऊपर चढ़ाया जाता है । कपोत तथा गुब्बारे आदि छोड़े जाते हैं । पटाखे भी दागे जाते है और उसके बाद शपथ ग्रहण किया जाता है । स्थानीय टीम के कप्तान या वरिष्ठ खिलाड़ी को सब खिलाड़ियों की ओर से शपथ करने का सम्मान दिया जाता है और इसके बाद खिलाड़ी अपने स्थान पर चले जाते हैं । तत्पश्चात प्रतियोगिता आरम्भ होती है ।

समापन के समय मार्च पास्ट सबसे अन्त में किया जाता है । प्रतियोगिता की आख्या प्रस्तुत की जाती है और मुख्य अतिथि का आशीर्वचन लिया जाता है और पुरस्कार वितरण होता है । सबसे अन्त में मुख्य अतिथि से समापन की घोषणा कराई जाती है और झण्डा उतारा जाता है ।

नियम

प्रतियोगिता के कुछ विशेष नियमों पर ध्यान देना आवश्यक है । खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर हीट्स बनाई जाती हैं । उनके लेन आदि का लाट निकाला जाता है । दौड़ के स्टार्ट का बहुत महत्व होता हैं । "आन योर मार्क" कहने पर खिलाड़ी लाइन पर आता है, सेट पर बिल्कुल स्तब्ध अवस्था होनी चाहिए और फायर होने पर दौड़ना चाहिए । इसका उल्लंघन करने पर एक चेतावनी दी जाती है और दूसरी बार निकाल दिया जाता है ।

दौड़ का निर्णय करने के लिए फिनिश लाइन से 5 मी० दूर स्टैण्ड रखकर जजेज बैठकर निर्णय करते हैं । फिनिश लाइन पर निगाह रखी जाती है और जिसका "टारसो" (सीने का भाग) सम्पर्क में पहले [illegible] है वह जीतता है ।

लम्बी कूद, हाफ स्टेप तथा चारों थ्रो में प्रत्येक को तीन अवसर दिये जाते हैं और सबसे अच्छे आठ प्रतियोगियों को तीन अतिरिक्त अवसर दिये जाते हैं एवं उनमें जो सबसे अच्छा माप होता हैं उसके अनुसार स्थान निर्धारित किया जाता है ।

माप करने के लिए फीता का जीरो एंड, पिट अथवा उपकरण थ्रो में जहां गिरता है उस ओर रखकर नापना चाहिए । हर प्रयास की नापना तथा माप को घोषित करना चाहिए ।

पोल वाल्ट तथा ऊंची कूद में प्रत्येक ऊंचाई पर तीन अवसर दिये जाते है और किसी भी समय लगातार तीन बार असफल रहने पर वह खिलाड़ी हटा दिया जाता है । सबसे अधिक ऊंचाई तक कूदने वाला विजयी होता है ।

खिलाड़ियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । कोई उपकरण इधर-उधर बिना आज्ञा के फेंकने नहीं दिया जाना चाहिए । थ्रो हो जाने पर उपकरण लेकर वापस फेंकने के स्थान पर पहुंचाना चाहिए, वापस फेंककर नहीं लौटाना चाहिए ।

नियमानुसार कार्य ठीक ढंग से चल सके इसलिए खेल नियमावली का अवश्य अध्ययन करना चाहिए । चूंकि इस खेल में बहुत से माप आदि की आवश्यकता रहती है, इसलिए पुस्तक की मदद लेना अत्यन्त आवश्यक है ।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन कैसे करें

1. प्रातः सभा

1. निर्धारित समय, निर्धारित स्थान पर सभा, उपस्थिति लेना, प्राचार्य द्वारा संचालन प्रार्थना, उद्बोधन सूचनाएं, राष्ट्र गान ।
2. श्याम पट पर समाचारों का लिखना ।
3. गणवेश—विद्यालय के लिए गणवेश का निधारण करना, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय वस्त्र विक्रेताओं, टेलर्स आदि का सहयोग प्राप्त करना । अध्यापक/अभिभावक संघ का गणवेश की महत्ता पर प्रकाश डालना, स्वतंत्र गणवेश में विद्यालय में उपस्थित होने को अनिवार्य बनाना ।
4. निरीक्षण के समय देखना कि विद्यालय में नित्य प्रातः सभा होती है । राष्ट्रीय गीतों का जिस विद्यालय में आदर्श रूप में गान होता है उसको टेप कराना और उसे अन्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना ।
5. सर्वधर्म प्रार्थनाओं और राष्ट्रीय गीतों का चयन तथा पुस्तकों के रूप में प्रकाशन, कैसेट्स का निर्माण एवं वितरण । सामूहिक गान प्रशिक्षण के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
6. राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टर के छात्र-छात्राओं के लिये गणवेश निर्धारित करना ।

2. सामूहिक पी० टी०.

1. प्रत्येक शनिवार को प्रातः आधे घण्टे तक सामूहिक व्यायाम की व्यवस्था करना ।
2. संभागीय रैली में सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, संभागीय रैली में सामूहिक पी० टी० की प्रतियोगिता आयोजित करना ।
3. बालिका विद्यालयों में जहां पद न हो, पी० टी० आई० के पद का सृजन ।

3. खेल-कूद

1. विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रों का विस्तार करना ।
2. क्रीड़ा शुल्क का समुचित उपयोग करना ।
3. विद्यालयी स्तर पर हाउस सिस्टम के आधार पर प्रतियोगितायें आयोजित करना, अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेना ।
4. विभिन्न खेलों के कैप्टन तथा विशिष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था करना ।
5. इण्डोर गेम्स की व्यवस्था करना ।
6. जनपदीय स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगितायें आयोजित करना, उदार संस्थाओं के माध्यम से शील्ड्स की व्यवस्था करना, एन० आर० ई० पी० सेवाओं से क्रीड़ा स्थलों का निर्माण एवं विस्तार करना ।
7. मंडल स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना ।
8. क्रीड़ा अनुदान उपलब्ध करना, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर रैलीज के लिये अनुदान स्वीकृत करना, विभिन्न स्तरों के लिये क्रीड़ा शुल्क निर्धारित करना जैसे कक्षा 1, 2 में 2 रुपये प्रतिवर्ष, 3–5 में 3 रुपये प्रतिवर्ष, 6–8 में 1 रुपये मासिक, 9–12 में 1.50 मासिक क्रीड़ा शुल्क लगाने के लिए आदेश निर्गत करना । छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करना।

9. अनुदान की व्यवस्था करना ।

4. क्लब, परिषद, संघ आदि

1. साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक विधाओं से सम्बन्धित क्लबों, संघों, परिषदों, आदि का गठन । विविध क्रियाकलापों जैसे वाद-विवाद, भाषण, लेखन, अंकन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिनव सामूहिक गान आदि का आयोजन, विषय की महत्ता के अनुकूल शुल्क लेना ।
2. निरीक्षण के समय इन क्लबों, परिषदों, संघों आदि के क्रियाकलापों से अवगत होना, उनको उन्नत बनाने के लिये सुझाव देना ।
3. जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
4. प्रत्येक छात्र के लिये कम से कम एक क्लब, परिषद अथवा संघ का सदस्य होना अनिवार्य बनाना । सदस्यता शुल्क का निर्धारण ।
5. संघ की सदस्यता शुल्क की दर निश्चित करके राजाज्ञा का निर्गत करना ।

5. प्रदर्शनी

1. वैज्ञानिक, रचनात्मक, कलात्मक आदि प्रदर्शनियों का आयोजन, आवश्यकतानुसार प्रदर्शनियों के आयोजन के लिये प्रति छात्र अभिभावक प्रदर्शनी शुल्क लेना ।
2. प्रदर्शनी प्रतियोगितायें आयोजित करना ।
3. संभागीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन ।

6. प्रीफेक्ट बोर्ड

1. विद्यालय के विविध कार्यकलापों जैसे स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य एवं सफाई, पुस्तकालय सेवा, अध्ययन आदि के लिये छात्र प्रीफेक्ट्स (नायकों) का चयन करना । बोर्ड की मासिक बैठक में विद्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करना ।
2. प्रतियोगितायें आयोजित करना ।

7. पुस्तकालयी सेवा

1. पुस्तकालय का संवर्द्धन, महापुरुषों की जीवनियों, साहसिक यात्राओं, चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं को विशेष स्थान देना ।
2. उत्कृष्ट पुस्तकों के सारांशों, उद्धरणों आदि का प्रकाशन, छात्र इसमें अधिक सहयोग दें, उन्हें पुरस्कृत करना, विषय कुछ भी जैसे पुस्तकालय सेवा, कक्षा पुस्तकालय सेवा का गठन, कक्षा अध्यापक, पुस्तकालय का इंचार्ज हो मानीटर, सहायक हो सकता है ।
3. पुस्तकालय सेवा का निरीक्षण-उपयोग हुआ है अथवा नहीं । छात्रों द्वारा विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का वीक्षण ।
4. चरित्र निर्माण में सहायक पुस्तकों की सूचना प्रकाशित करना ।
5. पुस्तकालय अनुदान में वृद्धि, चरित्र निर्माण सम्बन्धी सहित्य को सस्ते मूल्यों पर प्रकाशित करना, ऐसे प्रकाशकों की उत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कृत करना ।
6. उत्तम पुस्तकों को विद्यालयों के लिये संस्तुति ।
7. राजकीय विद्यालयों के रीडिंग रूम शुल्क को छात्रों की निधि के रूप में परिवर्तित किया जाय ।

8. अध्यापक अभिभावक संघ

1. विद्यालय का अभिभावकों से सम्बन्ध बढ़ाने के लिये अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना करना । संघ की सहायता से भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों को जुटाना, संघ के माध्यम से निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विद्यालय के पाठ्यक्रमीय पाठ्येतर क्रियाकलापों के सम्पादन में सहायता प्रदान कराना ।
2. निरीक्षण के समय अध्यापक अभिभावक संघ की सम्बोधित करना, उनकी समस्याओं को समझना और निराकरण करने हेतु समाधान निकालना ।

9. विद्यालय प्रांगण का सौन्दर्यीकरण

1. छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के सहयोग से विद्यालय परिसर की स्वच्छता, बागवानी, वृक्षारोपण, वृक्षों की सिंचाई, संरक्षण आदि की व्यवस्था ।
2. निरीक्षण तथा वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जन कल्याण विभाग आदि से विद्यालय को सुविधायें उपलब्ध कराना ।

10. विशिष्ट आयोजन

1. राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों के जन्म दिवस, महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहारों, वार्षिक उत्सव आदि का आयोजन करना, उत्कृष्ट प्रतिभागियों, (उत्कृष्ट प्रीफेक्ट्स, आदर्श छात्रों आदि) की कक्षा गौरव, कक्षारत्न, विद्यालय गौरव आदि की उपाधियों से सम्मानित करना ।
2. अलंकरण समारोह का आयोजन ।

11. राष्ट्रीय एवं समाज सेवा

1. एन० सी० सी० स्काउट्स तथा फर्स्ट एड सर्विस, रेडक्रास आदि राष्ट्रीय एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, सामाजिक सेवा कार्य जैसे सामुदायिक कार्य, श्रमदान आदि ।
2. निरीक्षण के समय इन सेवाओं को देखने तथा जिला कैम्प का आयोजन ।

12. छात्र कल्याण की योजना

1. विद्यालय परामर्श सेवा उपलब्ध कराना ।
2. प्रतिभावान छात्र की अन्तर्निहित क्षमता को विकसित करना ।
3. विकारग्रस्त को उनके विकारों से मुक्त कराना आदि ।
4. मण्डलीय मनोवैज्ञानिक से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त कराना ।

13. श्रव्य दृश्य उपकरण—टेलीविजन चलचित्र

1. साहसिक पुरुषों, अन्वेषकों, वैज्ञानिकों, महापुरुषों आदि के जीवन पर प्रकाश डालने वाले चलचित्रों का प्रदर्शन, दूरदर्शन पर आयोजित नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विचार-विमर्श को दिखाना ।
2. शैक्षिक चलचित्रों का निर्माण कराना, एतदर्थ आर्थिक सहायता प्रदान करना । दल द्वारा छात्र/छात्राओं में चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में विद्यालय के सत्रीय कार्यक्रम की माहवार रूपरेखा तैयार की गयी जो निम्नवत् है :—

क्रियापत्रक-2

भिन्न-भिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए विचार कीजिए

माह		सत्र पर्यन्त पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संचालन
जुलाई	1.	प्रधानाचार्य, अभिभावक, अध्यापक एवं छात्र/छात्रा संवाद ।
	2.	अध्यापक-अभिभावक संघ का गठन व प्रथम बैठक ।
	3.	वृक्षारोपण सप्ताह ।
अगस्त	1.	सदन प्रणाली का गठन ।
	2.	विद्यालय की सभी समितियों तथा परिषदों का गठन तथा छात्र/छात्रा पदाधिकारियों का चयन, मनोनयन ।
	3.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें तथा शरदकालीन खेल-कूद प्रतियोगिताओं की तैयारी ।
	4.	वृक्षारोपण ।
	5.	स्वतन्त्रता दिवस का आयोजन ।
सितम्बर	1.	5 सितम्बर, 8 सितम्बर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन ।
	2.	शरदकालीन प्रतियोगितायें ।
	3.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें ।
	4.	स्काउटिंग एवं गाइडिंग शिविर ।
	5.	अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक ।

अक्टूबर	1.	2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर पर्वों का आयोजन ।
	2.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें ।
	3.	खेल-कूद, स्काउटिंग, गाइडिंग, जूनियर रेडक्रास एवं सेन्ट जान एम्बुलेन्स, जनपदीय रैली ।
	4.	जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी ।
	5.	दशहरा उत्सव ।
नवम्बर	1.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें ।
	2.	शीतकालीन खेल-कूद प्रतियोगितायें ।
	3.	मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगितायें ।
	4.	मण्डलीय खेल-कूद प्रतियोगितायें ।
	5.	पैगम्बर मुहम्मद का जन्म दिवस ।
	6.	बाल-दिवस कार्यक्रम ।
	7.	गुरु नानक जन्म दिवस ।
दिसम्बर	1.	राज्य स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता ।
	2.	वृक्षारोपण (शीतकालीन)
	3.	अलंकरण समारोह ।
	4.	सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगिता (जनपदीय एवं मण्डलीय) ।
	5.	अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक ।
	6.	क्रिसमस पर्व ।
जनवरी	1.	राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगितायें ।
	2.	राज्य स्तरीय सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगितायें ।
	3.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें ।
	4.	गणतन्त्र दिवस का आयोजन ।
फरवरी	1.	सदन प्रणाली प्रतियोगितायें ।
	2.	वार्षिकोत्सव ।
मार्च	1.	बसन्तोत्सव ।
	2.	अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठक ।
अप्रैल	1.	वैसाखी पर्व का आयोजन ।
	2.	ईस्टर पर्व का आयोजन ।
मई	1.	अध्यापाक-अभिभावक संघ की बैठक ।
जून	1.	ईद मिलन ।

प्रश्न

1. विद्यालय में पठन-पाठन के अतिरिक्त किन-किन अन्य क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

2. खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेना क्यों आवश्यक है ?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

3. खेल-कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से बालक-बालिकाओं में किन-किन मूल्यों का विकास होता है ?

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्,
उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित

मॉड्यूल-रा 2 सी

रेडक्रास एक परिचय

रेडक्रास एक परिचय

(1) भूमिका

डॉ० की सहायता मिलने के पहले क्या करना चाहिए ? ऐसी ही परिस्थिति में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी होता है । प्राथमिक चिकित्सा द्वारा घायल मनुष्य की जान बचाई जा सकती है । यह एक महान उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का धर्म है ।

सन् 1859 में योरोप के देशों फ्रान्स तथा आस्ट्रेलिया के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें लगभग 40 हजार सैनिक घायल हुए और अधिकांश की मृत्यु ही गई । इसी बीच स्वीटजरलैण्ड के निवासी ड्यूनार उस रास्ते से गुजर रहे थे । यह सब खून खराब देखकर उनके मन में घायलों की सहायता का विचार हुआ, आस-पास के किसानों को लेकर वह कुछ दिनों तक उनकी जान बचाने का प्रयत्न करते रहे । उसका यह विचार ही रेडक्रास का जन्मदाता था । काफी प्रयास के बाद वह अपने इस संकल्प में सफल हुए और 1963 में रेडक्रास नामक अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य केवल युद्ध में पीड़ित या घायलों की सेवा ही नहीं वरन् प्रत्येक मानवता की सेवा करना था ।

भारतवर्ष में रेडक्रास की स्थापना 1920 मे हुई । इस समय सम्पूर्ण भारत में यह संस्था सेवारत है । इसका मुख्य कार्यालय रेडक्रास रोड, नई दिल्ली में है । प्रत्येक जनपद में एक रेडक्रास समिति है, जिसके अपने जिलाधिकारी एवं सचिव मुख्य चिकित्साधिकारी होते हैं ।

(2) उद्देश्य

आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक सहायता देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :—

(क) सबसे पहले रोगी की दशा देखनी चाहिए, जिससे तुरन्त इस बात का निर्णय किया जा सके कि रोगी को सर्वप्रथम कैस प्रकार की सहायता देनी चाहिए । उदाहरण के लिए, रोगी के किसी अंग के कट जाने पर यदि खून बह रहा है और साथ ही साथ वह मुर्छित हो गया है, तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम रोगी का खून बहना रोकना आवश्यक है ।

(ख) इस बात का निश्चय करना भी आवश्यक है कि रोगी को कितनी कैसी और कहां तक की सहायता की जावे । प्रथम सहायता में अपनी सीमा के बाहर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए ।

(ग) डॉ० के आने तक रोगी को किसी सुरक्षित स्थान पर या दुर्घटना स्थल पर ही ढक कर रखना चाहिए और उसे ढांढस देकर शान्त करना चाहिए ।

(3) रेडक्रास का दर्शन तथा आज की आवश्यकता

पीड़ा की अनुभूति ही रेडक्रास है । युद्ध भूमि में ही नहीं वरन् सार्वजनिक स्थानों, मेलों, त्यौहारों और उत्सवों के साथ-साथ प्राकृतिक विपदाओं—सूखा, बाढ़, आगजनी व दंगों आदि के समय भी इस संस्था की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं । हर जगह हर समय डॉ० की सहायता मिलना सम्भव नहीं होता । कभी-कभी डॉक्टरों के आने में घण्टों लग जाते हैं ऐसी स्थिति में रेडक्रास की सहायता लेना आवश्यक है ।

संगठन का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र

जूनियर रेडक्रास सोसाइटी

रेडक्रास के अन्तर्गत एक सब कमेटी गठित की गई है, जो केवल स्कूली बच्चों को रेडक्रास की शिक्षा देती है । इस सब कमेटी का नाम जूनियर रेडक्रास सोसाइटी रखा गया है । इसकी स्थापना 1919 में प्रथम युद्ध के पश्चात् लीग ऑफ रेड क्रास सोसाइटी के अन्तर्गत कनाडा में की गई । भारत में इसका जन्म 1925 में हुआ । जूनियर रेड क्रास को रेडक्रास की एक शाखा के रूप में जाना जाता हैं । यह संस्था स्कूली छात्रों में रेडक्रास के भावों को उत्पन्न करने की चेष्टा करती हैं । और यह एक प्रकार की सेवा समिति है, जिसके द्वारा बालक एवं नवयुवक अपने भाव प्रकट कर सकते हैं । संक्षेप में इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा ।

(2) सेवा ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌भावना एवं मित्रता ।

जूनियर रेडक्रास का संचालन करने के लिए एक समिति है, जिसके अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सचिव उप विद्यालय निरीक्षक होते हैं ।

(5) जूनियर रेडक्रास का संगठन (विद्यालय स्तर पर)

जूनियर रेडक्रास का शुल्क विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् है—

क्रम संख्या	स्तर	कक्षा	शुल्क दर
1.	प्राइमरी स्कूल	1 से 5 तक	शुल्क रहित ।
2.	जूनियर हाई स्कूल	कक्षा 6 से 8 तक	दस पैसे प्रति छात्र
3.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	कक्षा 9 से 12 तक	पन्द्रह पैसे प्रति छात्र

सर्वप्रथम विद्यालय का पंजीकरण राज्य मुख्यालय से कराना चाहिए । इसका शुल्क जूनियर हाई स्कूल स्तर तक रु० 02/- प्रति वर्ष तथा माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का शुल्क रु० 04/- प्रति वर्ष है । इसकी अवधि माह जनवरी से दिसम्बर के मध्य है । इसका प्रदेशीय कार्यालय रेडक्रास भवन राजा नवाब, अली रोड, केसर बाग लखनऊ में है । पंजीकरण करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र दिया जाता है ।

इस कार्य के लिए उन्हीं छात्र/छात्राओं को चुना जाना चाहिए, जो इस सेवा के कार्य में अपनी इच्छा व उत्साह से भाग लें । प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या विद्यालय के एक योग्य/अध्यापिका को जूनियर रेडक्रास के कार्य के लिए चुनेंगे जो विद्यालय में दलों की स्थापना और जूनियर रेडक्रास की विभिन्न गतिविधियों का संचालन कराएगा । ये अध्यापक/अध्यापिकाएं छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित कराकर जनपदीय, मण्डलीय व प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में पारितोषित कराने का अभ्यास करायेंगे ।

(6) जूनियर रेडक्रास का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

जूनियर रेडक्रास पंजीकृत टीम से पोस्टर, मॉडल एलबम, तथा नाटक को अध्यापक/अध्यापिका तैयार करवाते हैं और उन सभी तैयार की गई सामग्रियों को जिला/मण्डल/राज्य स्तर को प्रतियोगिता में ले जाते हैं । उन नियुक्त निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है । जो टीम सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है । उन्हीं में से प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान घोषित होता है । प्रत्येक दल में अधिकतम प्रतियोगियों की संख्या 05 होती है परन्तु 04 ही सदस्य इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं । प्रतियोगिता में प्राइमरी स्तर, जूनियर तथा इण्टरमीडिएट स्तर की टोलियाँ सम्मिलित हो सकती हैं ।

प्रत्येक सस्था को जुलाई 1976 से जूनियर रेडक्रास के नियमित शुल्क 50% में से 2% रेडक्रास सम्बन्धी साहित्य, 3% वैजकार्ट वाक्स 7% यात्रा भत्ता, 7% मॉडल, एलबम तथा चार्ट्स 7%, जनपदीय एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु और 12% जनपद व प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं पर व्यय करना चाहिए । शेष 50% शुल्क को चैक/ड्राफ्ट द्वारा प्रतिवर्ष 1 सितम्बर व 1 फरवरी को अवैतनिक सचिव जिला रेडक्रास शाखा को भेज दिया जाना चाहिए ।

(7) जूनियर रेडक्रास का समय एवं प्रशिक्षण

जूनियर रेडक्रास एवं सेन्ट जान्स अम्बुलेन्स के कार्य कलापों के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । प्रशिक्षण पूर्ण होने पर भारतीय रेडक्रास सोसाइटी दिल्ली से प्रमाण पत्र कराए जाते हैं । प्रमाण पत्र प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को वितरित किए जाते हैं । प्रशिक्षक समस्त प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के मध्य प्रमाण पत्र शुल्क तथा

कुछ अतिरिक्त शुल्क लेता है । शुल्क की दर से भिन्नता को समाप्त करने हेतु इस निदेशालय के आ० श० पत्रांक/9008-9142/18/81-82 दिनांक 26/8/81 द्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

1. सीनियर फर्स्ट एड प्रमाण पत्र	—	16 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 3/
2. सीनियर होम नर्सिंग	—	16 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 3/
3. सीनियर रेडक्रास तथा सीनियर होम नर्सिंग के दो प्रमाण पत्र	—	16 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 5/
4. जूनियर फर्स्ट एड प्रमाण पत्र	—	14 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 2/
5. मदर क्राफ्ट के प्रमाण पत्र	—	14 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 3/
6. जूनियर होम नर्सिंग प्रमाण पत्र	—	14 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 2/
7. जूनियर फर्स्ट एड एवं जूनियर नर्सिंग के दो प्रमाण पत्र	—	14 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 3/
8. मैकेन्जी स्कूल कोर्स प्रमाण पत्र	—	14 वर्ष से ऊपर वालों का शुल्क रु० 2/

अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बातों का समावेश आवश्यक है—

1. प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक/अध्यापिका अनिवार्यत: फर्स्ट एड के प्रशिक्षित हो, जिन विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका उपस्थित नहीं है उनमें चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें कुछ विद्यालयों में नेशनल हेड क्वार्टर नई दिल्ली से प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षक/शिक्षिकाएं हैं; उनकी सेवाए उन विद्यालयों हेतु ली जा सकती है जिनमें प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं का अभाव हैं । यह प्रथा प्रारम्भ में ही चलाई जाय सदैव नहीं ।
2. मैकेन्जी स्कूल कोर्स में एक प्रशिक्षक 30 प्रशिक्षणार्थियों के एक बैच को ही प्रशिक्षण दे सकता है ।
3. शिक्षक/शिक्षिका के प्रशिक्षण हेतु एम० बी० बी० एस० उपाधिकारी डॉक्टर राजकीय/अराजकीय ही सक्षम होगा । प्रशिक्षण के सम्पूर्ण कोर्स हेतु रु० 50/- का भुगतान देय होगा ।
4. प्रशिक्षक, चिकित्सक के साथ एक सहायक भी होगा । जिसे प्रशिक्षण सत्र में रु० 25/- देय होगा ।
5. डाक्टर द्वारा एवं केन्द्र में 30 शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जायगा । स्थान का चयन जिलाविद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर होगा तथा शिविर की कार्यवाही जिला रेडक्रास के तत्वाधान में होगी । इसके पश्चात् सम्पूर्ण परीक्षा व्याख्या महासचिव/जनरल सेक्रेटरी, सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन उ० प्र० रेडक्रास भवन राजा नवाव, अली रोड, लखनऊ को शुल्क के साथ भेजी जायगी ।
6. सभी प्रशिक्षित अध्यापक फर्स्ट एड की हैसियत से सभी विद्यालयों में फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देंगे ।
7. प्रशिक्षित अध्यापक जो छात्र/छात्राओं को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देगा वह रु० 25/- प्रतिमाह की दर से पाने का अधिकारी होगा । रेडक्रास के फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लास में केवल 8 प्रवक्ता होंगे । प्रत्येक प्रवक्ता की अवधि एक घन्टा होगी और इससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम सीधे महासचिव, सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली 110001 से प्राप्त करें ।

   वही से फर्स्ट एड से सम्बन्धित वस्तुएं भी प्राप्त कर सकते हैं ।

1. जनरल रेगुलेशन ऑफ सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस एवं बिग्रेड
2. रेगुलेशन फॉर क्लासेस
3. मैनुअल ऑफ ड्रिल
4. ड्रेसेस रेगुलेशन

   उपर्युक्त पुस्तकें रेडक्रास शुल्क से क्रय की जा सकती हैं ।

कार्य पत्रक

1. रेडक्रास शिक्षा से बच्चों में जिन जीवन मूल्यों को विकसित किया जा सकता है उन्हें संक्षेप में लिखिए—
   (i) एकत्र कीजिए
   (ii) मिलान कीजिए एवं विचार विमर्श कीजिए ।

(8) सेन्ट जॉन्स एम्बुलेन्स एसोसिएशन

यह इण्डियन रेडक्रास का एम्बुलेन्स विंग कहलाता है । इसमें फर्स्ट एड, होम, नर्सिंग, हाइजिन, सैनीटेशन, मदर क्राफ्ट तथा चाइल्ड वेलफेयर सम्बन्धित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है । इसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों की सहायता करना है । डॉक्टर के पहले प्राथमिक चिकित्सा देकर घायल या रोगी की सहायता यह संस्था करती है तथा लोगों को स्वस्थ रहने के

प्राथमिक सिद्धान्त तथा सफाई के विषय में प्रशिक्षण देती है । एम्बुलेंस कार्पस नर्सिंग कार्पस तथा ट्रान्सपोर्ट कार्पस स्थापित कर यह संस्था आम जनता की सहायता करती है । 1912 में इस संस्था की स्थापना के बाद से लाखों लोगों को उपर्युक्त सभी ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया गया । सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस तथा रेडक्रास जुड़वा भाइयों की तरह है और दोनों ही निःस्वार्थ भाव से पीड़ित लोगों की सहायता करती है । सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा सकती हैं:—

1. फर्स्ट एड (जूनियर एवं सीनियर)
2. होम नर्सिंग (जूनियर एवं सीनियर)
3. मदर क्राफ्ट एवं चाइल्ड वेल्फेयर
4. हाइजिन तथा सेनीटेशन
5. मैकेन्जी स्कूल कोर्स

यह प्रशिक्षण केवल एम० बी० बी० एस० उत्तीर्ण डाक्टर, रजिस्टर्ड नर्सों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही दिया जा सकता है । सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति मिलकर एम्बुलेंस ब्रिगेड की स्थापना करते हैं ; जिसमें फर्स्ट एड सर्टीफीकेट धारक ही सदस्य बन सकते हैं । महिलाओं के पास होम नर्सिंग का सर्टीफीकेट होना भी अनिवार्य है । ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट एड सर्टीफीकेट के धारकों को एकत्र कर एम्बुलेन्स एवं नर्सिंग के उद्देश्य से व्यक्तिगत प्रयत्न को सामूहिक रूप से जनता के हित में लगाना है । इसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों का समुचित ध्यान दिया जा सकता है । संस्था के समस्त छात्र/छात्राओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार करें जिसमें प्रत्येक छात्र/छात्रा की जन्म तिथि, ऊँचाई, वजन, ब्लड ग्रुप आदि स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाएँ अलग-अलग भरी जाएं । अच्छा होगा कि प्रत्येक संस्था में फर्स्ट एड की समस्त सुविधाओं के साथ-साथ एक रूम हो जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली औषधियाँ उपलब्ध हों । विद्यालय में जूनियर रेडक्रास की स्थापना योग्य अध्यापक/अध्यापिकाओं का चयन और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक निश्चित समय सारणी तैयार करना भी आवश्यक प्रतीत होता है । प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर या अधिक से अधिक 15 जनवरी तक ये प्रतियोगिताएं आयोजित करा लेनी चाहिए ।

कार्य पत्रक-2

विद्यालय परिवेश में रेडक्रास तथा सेन्ट जॉन्स एम्बुलेंस शिक्षा की क्या आवश्यकता है ? अपने विचार संक्षेप में बिन्दु में लिखें ।	एकत्र कीजिए । मिलान कीजिए विचारविमर्श कीजिए।

(ग) सीनियर प्राथमिक स्तर पर

पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सीनियर प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में स्काउटों के सिखाने का कार्यक्रम चलाना चाहिए । यह कार्य पी० टी० कक्षाओं की भांति भी किए जा सकते हैं । धार्मिक स्थलों, सामाजिक स्थलों, स्टेशनो तथा मेलों में पानी पिलाने, राह दिखाने, सफाई करने आदि के कोर्सों से छात्रों में सेवा की भावना विकसित की जा सकती है । इस तरह के स्थानीय शिविर भी आयोजित किए जा सकते हैं ।

(घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर

स्काउट/गाइड के उपयुक्त एवं योग्य प्रशिक्षणों द्वारा 12 से 32 संख्या केवल दो से लेकर चार टोलियों जिसमें 6 से 8 तक स्काउट/गाइड होते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । दक्षता बैजेज हेतु कठिन परिश्रम एवं सघन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है । स्काउट/गाइड तथा रोवर रेन्जर्स आदि के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार क्रियात्मक-समाजोपयोगी कार्य कराए जा सकते हैं । इनके लिए अलग-अलग प्रशिक्षण का आयोजन किया जाये ।

(ङ) प्रशिक्षित एवं कुशल प्रशिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक विद्यालय में स्काउट संगठन में स्काउट मास्टर दल का प्राण है उसकी दक्षता, चातुर्य, बुद्धिमत्ता, निःस्वार्थता, तत्परता पर ही संगठन की सफलता निर्भर है । अतः दल संगठन में पहली आवश्यकता एक सुयोग्य एवं निःस्वार्थ सेवा भावना से ओतप्रोत चतुर स्काउट मास्टर नियुक्ति है । सुयोग्य अध्यापकों में से एक को प्रौढ़ बालचर अध्यापक (रोवर लीडर) एक अन्य अध्यापक बालचर अध्यापक (स्काउट मास्टर) तथा एक तीसरे को बाल वीर (अध्यापक) (कब मास्टर) नियुक्त कर दें । उसी प्रकार बालिकाओं के विद्यालयों में रेन्जर लीडर, गाइड कैप्टन तथा फ्लाक-लीडर की नियुक्ति होती है ।

इसके प्रशिक्षण के लिए कतिपय स्थानों पर प्रत्येक जिले से कम से कम 12 (4 प्राथमिक, 4 जूनियर हाई स्कूल, तथा 4 उ० मा० वि० के अध्यापक) अध्यापकों को सन्दर्भ व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षित करना समीचीन होगा । जो आपने जनपद के अपने स्तर से सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे । इस प्रकार प्रशिक्षित स्काउट मास्टरों द्वारा स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण को प्रदेश व्यापी बनाया जा सकता है ।

क्रियापत्रक—12

उत्तर प्रदेश के स्काउट एवं गाइड प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए जो व्यवहारिक एवं सुगम हो	एकत्र कीजिए मिलाइए एवं चर्चा कीजिए

मॉड्यूल—रा 3 सी

स्काउट एवं गाइड—नियोजन एवं संचालन

1. भूमिका

स्वतन्त्रता के पश्चात् देश ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी के साथ प्रगति की है। मानव के रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है। देश ने कृषि, उद्योग, यातायात, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं विश्व पटल पर प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक विकास में भी आशातीत प्रगति हुई है, किन्तु जो बहुमूल्य वस्तु हमने खोयी है वह है नैतिकता एवं मानवता। बढ़ती वैज्ञानिक उपलब्धियों, सामरिक क्षमताओं ने मानवता को आतंकित कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में मानव, मानव कैसे रह सके, आपसी सद्भावना एवं सहयोग की वृद्धि कैसे हो सके आदि विचार मानवतावादी समाज के लिए एक चिन्ता के विषय बने हुए हैं। भारत सरकार इसके प्रति चिंतित एवं सजग है। वह विद्यालय एवं विद्यालय समाज के माध्यम से इस विचारधारा को प्रवाहित करना चाहती है। यही कारण है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी कार्य, बालचर एवं रेडक्रास की शिक्षा तथा कलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

इस विचारधारा के विकास एवं प्रसार के लिए स्काउटिंग एवं गाइडिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है।

2. उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् आपको निम्नलिखित विन्दुओं पर जानकारी हो सकेगी—

1—स्काउट/गाइड दर्शन तथा आज की आवश्यकता—स्तरवार
2—संगठन स्वरूप—कार्य क्षेत्र—स्तरवार
3—स्काउट/गाइड का विद्यालयों तथा अन्य इकाइयों में संगठन
4—स्काउट/गाइड का स्वरूप—टमटोला, कब, स्काउट, रोवर, वुलबुल, गाइड, रेंजर (दोनों का संक्षिप्त पाठ्यक्रम)
5—स्काउट/गाइड प्रशिक्षण—प्रारम्भिक—कैप्टेन तथा दक्षता बैज
6—स्काउट/गाइड प्रशिक्षण—समय एवं पाठ्यक्रम
7—प्रशिक्षण स्थल
8—शिविर, हाइक एवं अन्य साहसिक कार्यक्रम
9—सेवा के विभिन्न प्रकल्प
10—प्रार्थना, झण्डागान, गीत, नाद
11—स्काउट/गाइड के निर्माता—अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय
12—विद्यालयों, संस्थाओं में कार्य का प्रारम्भ, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चलाएं।

3. स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन तथा आज की आवश्यकता

(क) आवश्यकता

वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भौतिकता के इस युग में मानवता का ह्रास दिखाई देने लगा है। अतः बालक/बालिकाओं में समय के सदुपयोग, चरित्र निर्माण, आदर्श नागरिकता की शिक्षा, सेवा-भावना की जागृति, अच्छी आदतें, विश्वसनीयता के गुण, उत्तम स्वास्थ्य, प्रतिभा का विकास, प्रसन्न रहने की आदत तथा उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बालक/बालिकाओं में इन गुणों का विकास स्काउटिंग/गाइडिंग के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

(ख) स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन

स्काउटिंग/गाइडिंग का दर्शन इस संस्था के संस्थापक लार्ड बैडेन पावेल ऑफ गिलवलि के निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट होता है—

"यह मानव के हाथ में है कि वह अपने आपको शान्ति का वरदान तथा उसके कारण सबको समृद्धि एवं आनन्द प्राप्त कराये ।"

"इसके लिए सबसे पहला कदम है ईर्ष्या, घृणा तथा द्वेष के स्थान पर मंगल कामना, सहनशीलता, सत्य एवं न्याय की भावना जागृत करना ।"

"कुछ ही दिनों में हमारे आजकल के बालक अपने-अपने देश के नागरिक होंगे । ऐसा प्रतीत होता है कि इन स्काउटों को यह अवसर प्रदान किया गया है कि हम संसार का पलड़ा व्यावहारिक ज्ञान, प्रेम की उदारता एवं सेवा की ओर झुका दें ।"

"हमारा आन्दोलन, सौभाग्यवश, एक विश्व-बन्धुत्व बन गया है, जिसमें परस्पर की समझदारी तथा भ्रातृत्व की भावनाएं पहले से विद्यमान हैं ।"

यह विचार लार्ड बैडेन पावेल ने सन 1939 में व्यक्त किये थे जो स्काउट/गाइड दर्शन को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं । इन्हीं भावनाओं, आदर्शों एवं विचारों पर इस संस्था के संगठन की नींव रखी गई है ।

4. संगठन का स्वरूप—कार्यक्षेत्र एवं यूनीफार्म

(क) संगठन एवं कार्यक्षेत्र

स्काउट/गाइड कार्यपालिका में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित एसोसिएशन है जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं :—

(1) **राष्ट्र स्तरीय एसोसिएशन**—राष्ट्र स्तर पर नेशनल एसोसिएशन होता है जिसका सम्बन्ध राज्य स्तरीय एसोसिएशन्स से सदा बना रहता है ।

(2) **राज्य स्तरीय एसोसिएशन**—इस एसोसिएशन के निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं:—

1—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2—चीफ कमिश्नर 3—कमिश्नर स्काउट्स 4—कमिश्नर गाइड्स 5—हैड क्वार्टर कमिश्नर 6—असिस्टेन्ट स्टेट कमिश्नर्स स्काउट और गाइड 7—स्टेट आर्गनाइजिंग कमिश्नर्स स्काउट-1 तथा गाइड-1 8—असिस्टेंट आर्गनाइजिंग कमिश्नर्स स्काउट-1 तथा गाइड-1 9—स्टेट ट्रेजरार 10—स्टेट सेक्रेटरी ।

(3) **मण्डलीय एसोसिएशन**—प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय एसोसिएशन होते हैं जिनमें मण्डलीय स्तर के पदाधिकारी राज्य स्तरीय एसोसियेशन की भांति होते है ।

(4) जिला स्तरीय एसोसिएशन—1—अध्यक्ष 2—जिला सेक्रेटरी 3—जिला ट्रेजरार 4—टी० सी० स्काउट 5—सी० सी० गाइड्स 6—ए० डी० सी० स्काउट 7—ए० डी० सी० गाइड 8—डिस्ट्रिक्ट स्काउट मास्टर 9—डिस्ट्रिक्ट कम मास्टर 10—डिस्ट्रिक्ट रोवर लीडर 11—डिस्ट्रिक्ट फ्लाक लीडर 12—डिस्ट्रिक्ट रेंजर लीडर 13—डिस्ट्रिक्ट स्काउट आर्गनाइजर 14—डिस्ट्रिक्ट गाइड कैप्टेन 15—डिस्ट्रिक्ट गाइड आर्गनाइजर ।

(ख) यूनीफार्म

1—स्कार्फ 2—बैज 3—रैन्क बैजेज 4—शोलडर स्ट्रिप्स 5—पैदल बैज 6—लेन यार्ड 7—कोर्ड 8—ग्रेडेड ट्रेनिक स्काउट्स/गाइड्स (एप्रो० भाग—2 के अनुसार) ।

क्रियापत्रक

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन के पदाधिकारियों तथा उनके कार्य क्षेत्रों की जानकारी कीजिए तथा सूची तैयार कीजिए ।	**एकत्र कीजिए मिलाइए एवं चर्चा कीजिए**

5. विद्यालय स्तर पर स्काउट/गाइड संगठन

विद्यालय स्तर पर स्काउट/गाइड संगठन के निम्नलिखित स्वरूप होते हैं:—

(1) **कब/बुलबुल**—चार से लेकर छः शेर बच्चों/बुलबुल को मिलाकर एक सिक्स (छक्का) बनाया जाता है । दो से लेकर चार सिक्स की मिलाकर एक कब-पैक/बुलबुल फ्लाक बनाया जाता है । इसमें कम से कम 12 और अधिक से अधिक 24 शेर बच्चे/बुलबुल रखे जा सकते हैं । प्रत्येक सिक्स में एक सिक्सर तथा प्रत्येक पैक/फ्लाक में एक सीनियर सिक्सर होता है ।

(2) **स्काउड/गाइड**—छः से लेकर आठ स्काउट/गाइड को मिलाकर एक टोली (पैट्रोल) बनाई जाती है । टोली में एक टोली नायक होता है । दो-तीन या चार टोलियों को मिलाकर एक दल ट्रुप बनाया जाता है । इसमें कम से कम 24 स्काउट/गाइड और अधिक से अधिक 32 स्काउट/गाइड शामिल किये जाते हैं । प्रत्येक दल का एक दल नायक होता है ।

(3) **रोवर/रेंजर**—चार से लेकर छः रोवर/स्काउट/रेंजर गाइड की मिलाकर एक रोवर/रेंजर पैट्रोल और कम से कम दो पैट्रोल को मिलाकर एक क्यू बनाया जाता है । प्रत्येक रोवर/रेंजर पैट्रोल में एक रोवर मेट/रेंजर मेट और एक सहायक रोवर मेट/रेंजर मेट होता है । सीनियर मेट भी बनाया जाता है ।

(4) **शिक्षक**—कबिंग/बुलबुल के शिक्षक को कब मास्टर/फ्लाक लीडर, स्काउट/गाइड शिक्षक को स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन तथा रोवर/रेंजर शिक्षक को रोवर/रेंजर लीडर कहते हैं ।

उपर्युक्त चारों की मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है । प्रत्येक ग्रुप में एक स्काउट/गाइड लीडर होता है, जो स्काउटिंग के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था करता है ।

क्रियापत्रक-2

आप अपने विद्यालय में स्काउट/गाइड दल (ट्रुप), कब/बुलबुल पैक/फ्लाक का संगठन कीजिए । संगठन के आधारों के सुझाव प्रस्तुत कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलाइए एवं विचार-विमर्श कीजिए

6. स्काउट/गाइड का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

(1) **कब/बुलबुल का पाठ्यक्रम चार वर्गों में विभाजित है**—(1) कोमल पंख (2) रजत पंख (3) स्वर्ण पंख (4) हीरक पंख । इनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की सम्मिलित किया गया है ।

(2) **स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम**—उत्तर प्रदेश के कक्षा 6, 7 और 8 में संक्षिप्त पाठ्यक्रम इस प्रकार है—

कक्षा 6—स्वास्थ्य नियमों की जानकारी, झण्डागीत, सिंहनाद, खोज के चिन्ह, गाँठें, स्थानीय महत्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी, सेवा संस्थाओं की जानकारी, प्राथमिक सहायता ।

कक्षा 7—शिविर के औजारों की जानकारी, आग से रक्षा के उपायों की जानकारी, खाना बनाना, कम्पास की सहायता से 16 दिशाओं की जानकारी, दूर का अनुमान, शिविरों में भाग लेना, पट्टी बांधना, सिगनल देना, स्टेचर बनाना तथा जीवन रक्षक डोरी का प्रयोग, मेले में सेवा कार्य करना, जनसंख्या एवं प्रदूषण पर चर्चा करना ।

कक्षा 8—शिविर लगाना, कुर्सी गाँठ तथा भारवाहक गाँठों का लगाना, तैरने का ज्ञान, तैरने में सुरक्षा नियमों का ज्ञान, ऊँचाई-गहराई का अनुमान लगाना, नक्शा बनाना तथा परम्परागत चिन्हों की जानकारी रखना, सर्वे नक्शों को पढ़ना, उसके अनुसार मार्ग पर चलना, सदमा/बेहोशी/डूबने/हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचार, भोजन बनाना, कैम्प फायर में भाग लेना, कैम्प फायर का आयोजन करना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण शिक्षा पर विचार करना ।

क्रियापत्रक-—3

स्काउट/गाइड को प्रभावी प्रशिक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं ? प्रशिक्षण योजना तैयार कीजिए ।	**एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए**

7. स्काउट/गाइड प्रशिक्षण

सामान्यतः यह प्रशिक्षण निम्नांकित सोपानों के अन्तर्गत पूरा होता है :—

प्रवेश—(1) प्रथम सोपान (2) द्वितीय सोपान (3) तृतीय सोपान (4) राज्य पुरस्कार (5) राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट/गाइड । प्रवेश तथा प्रथम चरण का प्रशिक्षण स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन्स करते हैं ।

द्वितीय तथा तृतीय सोपान के प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र देने का अधिकार स्वयं वारंट प्राप्त स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन को है ।

तृतीय सोपान के प्रशिक्षण देने का अधिकार स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टेन को या जिला कमिश्नर द्वारा नियुक्त व्यक्ति को है । परीक्षा तथा प्रमाण-पत्र जिला संस्था द्वारा दिये जाते हैं ।

राज्य पुरस्कार का प्रमाण-पत्र प्रदेश के प्रादेशिक कमिश्नर द्वारा दिया जाता है ।

राष्ट्रपति स्काउट/गाइड का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है परन्तु परीक्षा राज्य स्तर पर ली जाती है तथा प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय प्रधान केन्द्र के द्वारा दिया जाता है ।

उपर्युक्त सोपानों में 7–10 दिन का प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करके किया जा सकेगा ।

क्रियापत्रक-4

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आप क्या सुझाव रखना चाहते हैं ? ऐसे व्यावहारिक सुझावों की सूची तैयार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए विचार-विमर्श कीजिए

8. स्काउटर/गाइडर के प्रशिक्षण का समय एवं पाठ्यक्रम

(क) समय

प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मौसम चुनना चाहिए जिसमें स्काउटर/गाइडर का पूर्ण प्रशिक्षण निम्नलिखित शिविरों के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा :—

(i) टोली नायक शिविर प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र के संगठन कमिश्नर द्वारा आयोजित होगा ।

(ii) दक्षता बैज शिविर, प्रारम्भिक स्काउट/गाइड मास्टर/कैप्टेन, शिविर/प्रीहिमालय/वुड बैज शिविर, प्रादेशिक स्तर की हाइक इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रोफिसियेन्सी बैज प्रशिक्षण हो सकते हैं ।

(ख) पाठ्यक्रम

(i) प्रारम्भिक स्काउटर्स/गाइडर्स

(अ) कब मास्टर—कब नियमावली और प्रतिज्ञाएँ; सलामी, बधाइयाँ, हाथ मिलाना; टेण्डर्स टेस्ट, फर्स्ट स्टार टेस्ट, ध्वज एवं उनका सम्मान; राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, कैम्पस फाइट्स, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कब के लिए झण्डी संकेत, खोज करना, मॉडल, रेखा चित्रण, कब के लिए खेल, वीर कहानियाँ, अभिनय, पोशाक और उसकी देख-रेख पैक की प्रणालियां, पैक अनुशासन, पैक अभिलेख, पैक डेन, माता-पिता और पैक, ग्रुप प्रणाली, कब मास्टर–उसकी योग्यताएँ, अधिकार कर्त्तव्य और दायित्व, पैक संचालन, टेण्डर पैक और फर्स्ट स्टार टेस्ट्स, सेकेण्ड स्टार टेस्ट्स ।

(ब) फ्लाक लीडर (महिला)—छः प्रणाली, फ्लाक संचालन; अभिभावक जनता से सहयोग; बुलबुल परीक्षण; यूनिफार्म; परीक्षण कार्य; गाइड टेण्डर फुट टेस्ट्स; प्रकृति दर्शन एवं निरीक्षण; दिशाएँ—कम्पास के 16 विन्दु; स्वास्थ्य के नियम—फर्स्ट स्टार टेस्ट; बुलबुल नियम, प्रतिज्ञा सूत्र, अच्छे कार्य का लेखन और सलामी; उत्सव, छः के संगीत, बुलबुल गीत, सैल्यूट, नाद, [illegible], कलरव, बुलबुल ट्री; खेलकूद; हस्त-उद्योग; प्राथमिक सहायता ।

(ii) **ट्रुप स्काउटर्स/कैप्टेन्स के लिए पाठ्यक्रम**—आदर्श, उद्देश्य, सिद्धान्त पद्धतियाँ; नियम और प्रतिज्ञा; स्काउट सलामी; संकेत देना, हाथ मिलाना, आदर्श सूत्र, अच्छे कार्यों का लेखा; ट्रुप का संगठन; टेस्ट्स प्रशिक्षण; रस्सी प्रयोग और देख-रेख गाठें, राष्ट्रीय ध्वज, स्काउट और गाइड ध्वज—इनका अर्थ, प्रयोग, सम्मान; राष्ट्रगान; स्काउट स्टाफ (लाठी)—प्रयोग, रख-रखाव ; वुड क्राफ्ट; संकेत चिन्ह; सेकेण्ड क्लास टेस्ट्स; प्राथमिक चिकित्सा-ज्ञान और अभ्यास; झण्डी संकेत—क्यों और कैसे; स्काउट पेस—क्यों और कैसे; दिशा ज्ञान; कम्पास; स्टार और कान्टेवेशन्स; अग्नि संचयन और आग जलाना, उसकी सावधानियाँ, खतरे, खाना बनाना, वुड क्राफ्ट, खेल प्रतियोगिताएँ और शरीर और उसकी देखभाल; प्रकृति दर्शन; हाइक्स और आउटिंग; पैट्रोल प्रणाली; ग्रुप प्रणाली; ग्रुप अभिलेख, पैट्रोल बैठकें स्काउट डेन; स्काउटिंग और धर्म; स्काउट और उत्सव; गुड टर्नस; प्रोफिसियेन्शी बैजेज; स्काउट मास्टर्स—योग्यताएँ, अधिकार; कर्तव्य तथा दायित्व; ट्रुप संचालन; पैट्रोल द्वारा एक दिन की हाइक।

क्रियापत्रक—5

उपरोक्त पाठ्यक्रम में वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में क्या सुधार/संशोधन/परिवर्तन करना चाहते हैं ? विचार करें तथा सूची बनाइए ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

9. प्रशिक्षण स्थल

स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण घर से बाहर आउटिंग के माध्यम से ही सम्भव है । अतः ऐसे स्थल का चुनाव अपेक्षित है जो बस्ती से दूर प्रकृति की गोद में हो । वातावरण स्वच्छ एवं वनस्पति पूर्ण हो । नदी तालाव/जल की सुविधा हो ।

आवश्यक सामान्य वस्तुओं की उपलब्धि हो सके । जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके । ऐसे स्थलों का होना इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे । स्थल का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना होता कि वहाँ टेण्ट आसानी से लगाए जा सकें । परिस्थितिवश विद्यालय प्रांगण, धार्मिक स्थल, धर्मशालाओं आदि का भी उपयोग किया जा सकता है ।

क्रियापत्रक—6

ऐसे स्थलों की सूची तैयार कीजिए जहां स्काउट/गाइड प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किये जा सकें । स्थल चयन विन्दुओं पर भी सुझाव दीजिए ।	एकत्र कीजिए तुलना कीजिए चर्चा कीजिए

10. शिविर हाइक एवं अन्य साहसिक कार्यक्रम

(क) शिविर

शिविर के आयोजन के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान अपेक्षित है :—

(1) प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा शिविर की तैयारियाँ जैसे—अभिभावकों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों की अनुमति ।

(2) शिविर स्थल का चुनावः—भीड़-भाड़ से दूर, संचार साधनों के समीप, जल के पास, जंगल का दृश्य, मैदान की सुविधा, छोटे बाजार की समीपता, जीव जन्तुओं से सुरक्षित तथा आस-पास कोई स्थायी निवास की सुविधा ।

(3) शिविर संचालन कार्यक्रम का नियोजन करना ।

(4) स्काउट शिविर सामग्री की व्यवस्था—व्यक्तिगत पैट्रोल तथा ट्रुप की आवश्यकताओं के अनुसार ।

(5) भोजन आदि की व्यवस्था करना ।

(6) शिविर नियमों का निर्धारण एवं कड़ाई के साथ पालन करने का निर्देश देना ।

शिविर में प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैम्प कमाण्डेण्ट को देख-रेख में सम्पादित होता है । इसकी सफलता शिविर नियमों तथा कार्यक्रम सारिणी के अनुपालन पर निर्भर करती हैं ।

क्रियापत्रक—7

एक शिविर आयोजक के रूप में शिविर आयोजन तथा सफलतापूर्वक संचालन के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

(ख) हाइक

विद्यालय अथवा शिविर के दौरान स्काउट/गाइड एक या दो दिन के लिए अपने दैनिक उपयोग की सभी सामग्री स्वयं अपने साथ लेकर मूल स्थान से 10-15 या 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरा करते हैं । खाने-पीने को व्यवस्था अपने हाथ से पूरी करते हैं, जिसमें वे आपसी सहयोग का सहारा ले सकते हैं । निश्चित अवधि के पश्चात् वे पुनः अपने स्थान पर उसी तरह वापस लौटते हैं । हाइक के लिए अपेक्षाकृत दुर्गम मार्गो अथवा स्थलों का चयन किया जाता है, जिससे स्काउट/गाइड को शारीरिक परिश्रम एवं साहसपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है ।

(ग) अन्य साहसिक कार्यक्रम

स्काउट/गाइड को अनेक प्रकार के साहसिक कार्यों की करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं । तैरना, डूबते हुए को बचाना, आग बुझाना, जंगली खूंख्वार जानवरों से सुरक्षा करना, बियाबान जंगलों में मार्ग खोजना, खुफियागीरी करना, रहस्यमय तथ्यों का पता लगाना, रस्सी से नदी पार करना, ऊँचे-नीचे संकरे मार्गों से चलना आदि । इन कार्यों के लिए दक्षता बैज भी प्रदान किये जाते है । अनेक प्रकार के दक्षता बैजेज के पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के ऐडवेन्चरस कार्यों को सम्मिलित किया गया है ।

क्रियापत्रक—8

विद्यालय परिस्थितियों में आप किन साहसिक कार्यों की अपेक्षा करते हैं ? सूची बनाइये ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

11. सेना के विभिन्न प्रकल्प क्यों और कैसे ?

स्काउट/गाइड सेवाओं के विभिन्न प्रकल्प हो सकते हैं । संस्थागत प्रकल्पों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग सेवाओं, रेलवे विभाग, डाक विभाग, पुलिस एवं पी० ए० सी० तथा सैनिक सेवाएं तथा यातायात आदि कार्यों में स्काउट/गाइड की सेवाएं महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । दैवी आपदाओं जैसे—बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी., विदेशी आक्रमण आदि में इनकी सेवाओं को समझा जा सकता है । मेलों, राष्ट्रीय पर्वो, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों एवं आयोजनों में इनकी सेवाओं का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है । इन प्रकल्पों में इनकी सेवाओं के समुचित उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपर्युक्त सभी प्रकल्पों में स्काउट/गाइड की सेवाएं विश्वसनीय, साहस, लगन, निःस्वार्थपूर्ण तथा बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के होती हैं । ये हर एक के साथ समान बर्ताव करते हैं ।

इनकी सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए पूर्व नियोजन, संचालन कार्यक्रम तथा संगठन की नितान्त आवश्यकता है ।

12. प्रार्थना, झण्डागान, गीत, नाद

(क) प्रार्थना

स्काउट/गाइड प्रशिक्षण के समय नियमतः प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं । यह कार्यक्रम का प्रारम्भ होता है । इसमें विभिन्न धर्मो/भाषाओं के प्रार्थना गीत पढ़े जाते हैं तथा सामूहिक रूप से अभ्यास किये जाते हैं । इस कार्यक्रम को संचालित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि स्काउट/गाइड की विभिन्न प्रार्थनाओं का संकलन एवं आयोजन करें तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्वर, लय एवं भाव के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करें ।

(ख) झण्डागान

प्रशिक्षण के समय भारत स्काउट एवं गाइड झण्डे का गीत गाया जाना आवश्यक है । प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह गान कण्ठस्थ होना चाहिए तथा आरोह-अवरोह के साथ समूह में गाने का सही अभ्यास अपेक्षित है । स्काउट/गाइड झण्डा गीत के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज गान को भी सफलतापूर्वक सही आरोह-अवरोह के साथ गाने का अभ्यास आवश्यक है । यह स्काउट/गाइड के मन में संस्था एवं राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना एवं कार्य करने में प्रेरक सिद्ध होता है ।

(ग) गीत

सभी स्काउट/गाइड को उपर्युक्त महत्वपूर्ण गानों के अतिरिक्त राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तथा अन्य गीतों के गाने का अभ्यास कराना वाछनीय है, अन्य गीतों में राष्ट्र प्रेम, एकता एवं समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले गीतों का अभ्यास कराना चाहिए । ये गीत समूहगान, मार्चगान, फॉग सांग होने चाहिए, जो इनमें सांस्कृतिक उत्साह भर सकें तथा सदैव प्रसन्न रख सकें । नाट्य नृत्य गानों का भी अभ्यास कराया जाना अपेक्षित है । कैम्प फायर के समूह प्रस्तुत किये जाने वाले सांस्कृतिक एकल एवं समूह सभी प्रकार के गीतों का समुचित गायन का अभ्यास कराया जा सकता है ।

क्रियापत्रक—9

भारत स्काउट गाइड झण्डागान का सही आरोह-अवरोह के साथ गाने का अभ्यास कीजिए तथा स्काउट/गाइड को सही लय के साथ सिखाइये ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

(घ) नाद

स्काउट/गाइड सदा प्रसन्न एवं साहसिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं । अतः प्रेरणा एवं जोश प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के नादों का बार-बार दुहराना आवश्यक है । कब/बुलबुल, स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर सबके लिए अनेक अलग-अलग प्रकार के सिंहनाद एवं नाद इस संस्था द्वारा संकलित एवं निर्धारित किये गये हैं । जब भी इनका समूह एकत्र हो या एकत्र होने का अवसर मिले, कार्य के दौरान इन नादों का प्रतिदिन प्रयोग होना चाहिए । इससे उद्दीपन वैभिन्य होता तथा कार्य में नव स्फूर्ति जागृत होगी ।

क्रियापत्रक—10

स्तरानुसार विभिन्न प्रकार के नादों का संकलन कीजिए । नये नादों की रचना यदि सम्भव है तो करने का प्रयास करें जो समय, परिस्थिति के अनुकूल हों ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

13. स्काउट/गाइड के निर्माता—अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय

(क) अन्तर्राष्ट्रीय

इसके जन्मदाता लार्ड बेडेन पावेल थे, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैण्ड में हुआ था । इनका जीवन आरम्भ से ही स्काउट जीवन था । ये जीवन पर्यन्त इस संस्था को समर्पित रहे तथा विश्व चीफ स्काउट भी रहे । इनकी बहन मिस एग्नेस बैडेन पावेल ने गाइडिंग का प्रसार प्रारम्भ किया । इनकी पत्नी श्रीमती ओलेव सेण्ट क्लेयर सोम्स ने भी अपना जीवन इस संस्था के प्रसार कार्य में व्यतीत किया ।

इनके अतिरिक्त विश्व के अनेक महापुरुषों ने इस कार्य में रुचि दिखाई, जिनमें विलियन जे० डी० बॉयस, अर्नेस्ट टामसन सेटन, जी० एस० अरुण्डेल, टी० एच० बेकर, रिवरेण्ड अलेक्जेंडर, कैप्टेन टॉड, मेजर पैकन हम वाल्श तथा डॉ० एनी बीसेन्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय स्काउट आन्दोलन को सफल बनाने का जीवनपर्यन्त प्रयास किया ।

(ख) राष्ट्रीय

भारत में स्काउट/गाइड का कार्य अनेक नामों से प्रारम्भ हुआ । मुख्य प्रसार कर्ताओं में पं० श्री राम बाजपेयी, डॉ० एनी बीसेन्ट, पं० मदन मोहन मालवीय, पं० हृदय नाथ कुंजरू का नाम इस संस्था के साथ भारत में सदैव सम्मान से लिया जाता रहेगा अन्य व्यक्तियों में श्री सुब्रह्मनियम आइयर, मोहन सिंह मेहता, संजीव कामथ, यज्ञनारायण आइयर, सत्यानन्द राय, जे० एस० घोस, डी० एन० बासू, श्री निवास, सी० पी० रामास्वामी आइयर आदि का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है ।

क्रियापत्रक—11

विश्व के प्रमुख तथा भारत के मुख्य स्काउट/गाइड निर्माताओं के जीवन तथा संस्था के प्रति कार्यों का संकलन कीजिए । उनके जीवन आदर्शों एवं कार्य प्रणालियों का भी संकलन कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

14. विद्यालयों/संस्थाओं में कार्य का प्रारंभः विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चलाएँ

(क) पूर्व माध्यमिक स्तर पर

पूर्व प्राइमरी अथवा नर्सरी विद्यालयों में बन्नी ब्रान्चेज की स्थापना कर टमटोला (दल) का संगठन किया जाना चाहिए । प्रत्येक टमटोला के लिए बन्नी आन्टी होनी चाहिए जो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाएँ तथा बन्नी खेलों का संचालन करें ।

(ख) जूनियर प्राइमरी स्तर पर

कब/बुलबुल दलों की स्थापना प्रत्येक जूनियर प्राइमरी विद्यालयों में की जानी चाहिए । इनके दल पैक/फ्लाक के संचालन हेतु विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कब मास्टर/फ्लाक लीडर प्रशिक्षित किये जाने चाहिए जो बच्चों को सेवा कार्यों (जैसे-पानी पिलाना, राह दिखाना, कक्षा में शान्ति स्थापित करना आदि) के माध्यम से स्काउटिंग का कार्य सिखा सकें । आवश्यकतानुसार विद्यालय परिसर में 2-2 दिवसीय शिविरों का आयोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करके स्काउटिंग का प्रसार किया जा सकता है ।

(ग) सीनियर प्राथमिक स्तर पर

पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सीनियर प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग सिखाने का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाना चाहिए । यह कार्य पी० टी० कक्षाओं की भांति भी किये जा सकते हैं । धार्मिक स्थलों, सामाजिक केन्द्रों और स्टेशनों तथा मेलों में पानी पिलाने, राह दिखाने, सफाई करने आदि के कार्यों से छात्रों में सेवा की भावना विकसित की जा सकती है । इस तरह के स्थानीय शिविर भी आयोजित किये जा सकते हैं ।

(घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्य को और सघन ढंग से चलाया जा सकता है । इनमें स्काउट/गाइड तथा रोवर/रेंजर्स आदि के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार क्रियात्मक समाजोपयोगी कार्य कराये जा सकते हैं । इनके लिए अलग-अलग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाय तथा स्काउट/गाइड के उपयुक्त एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । दक्षता बैजेज हेतु कठिन परिश्रम एवं सघन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है । अतः इन कार्यों को कुशल एवं अभ्यस्त प्रशिक्षक ही करा सकते है ।

(ङ) प्रशिक्षित एवं कुशल प्रशिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग/गाइडिंग के प्रचार/प्रसार एवं सुनियोजित कार्य संचालन के लिए प्रशिक्षित स्काउट/मास्टरों एवं प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी जिनका अभाव प्रायः सभी स्तर के विद्यालयों में है । इसके प्रसार के लिए आवश्यक

होगा कि प्रत्येक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार प्रशिक्षित स्काउट मास्टर उपलब्ध हों । इसके लिए प्रदेश व्यापी स्काउट मास्टरों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ।

इनके प्रशिक्षण के लिए कतिपय स्थानों पर प्रत्येक जिले से कम से कम 12 (4 प्राथमिक, 4 जू0 हाई स्कूल तथा 4 उ0 मा0 वि0 के अध्यापक) अध्यापकों को सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जाना समीचीन होगा जो अपने जनपद के अपने स्तर से सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे । इस प्रकार प्रशिक्षित स्काउट मास्टरों द्वारा स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण को प्रदेश व्यापी बनाया जा सकता है ।

क्रियापत्रक–12

उत्तर प्रदेश में स्काउट/गाइड प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए जो व्यावहारिक तथा सुगम हों ।	एकत्र कीजिए मिलाइए चर्चा कीजिए

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित

मॉड्यूल-रा 4 सी

सामाजिक वानिकी

सिंहावलोकन

संतुलित पर्यावरण की संरचना पर मानव जीवन का सुख निर्भर है और वन संतुलित पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है। यह तभी संभव है जब हम अपनी प्राकृतिक निधियों को नष्ट न होने दें बल्कि उन्हें संजोकर रखें। पर्यावरण में संतुलन होगा तो वर्षा होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा तथा वन बने रहेंगे अतः प्राथमिक स्तर पर सामाजिक वानिकी का समावेश करने का उद्देश्य; सामाजिक वानिकी के प्रति बच्चों में चेतना जागृत करना है। सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित सामग्री के अध्ययन से बच्चे वनों और समाज के अभिन्न सम्बन्ध को समझ सकेंगे। उनमें वनों तथा वनस्पतियों के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होगी। बच्चों में वृक्षों के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। वे वनों की रक्षा एवं उनके सम्बर्धन में सक्रिय सहयोग देंगे। वनस्पतियों का संवर्धन तथा संरक्षण होगा। परिणामतः वनों की रक्षा से पर्यावरण संतुलित होगा, जिससे सम्पूर्ण प्राणि-जगत का कल्याण होगा, वातावरण और परिस्थितिकी में संतुलन स्थापित होगा।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

—प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक वानिकी के समावेश के महत्व का पुनःस्मरण कर सकेंगे।
—सामाजिक वानिकी के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
—उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति का अवलोकन कर सकेंगे।
—वृक्षारोपण हेतु पौध-प्राप्ति के स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।
—विद्यालय में स्कूल नर्सरी की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था कर लेंगे।
—वृक्षारोपण से स्थानों का चयन कर लेंगे।
—वृक्षारोपण से जन-साधारण को होने वाले लाभों को जान सकेंगे।

सामाजिक वानिकी क्यों ?

वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथी हैं। मनुष्य प्राचीन काल से अद्यतन अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं वृक्षों से प्राप्त करता आ रहा है। यथा भवन-निर्माण हेतु इमारती लकड़ी, बांस, घासें, फर्नीचर की लकड़ी, औषधियां, खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल-फूल आदि।

पालतू पशुओं एवं वन्य जन्तुओं के लिए घास-पत्ती, फल-फूल तथा आवासीय सुविधाएं वृक्षों से ही प्राप्त होती है। मांसाहारी पशु शाकाहारी जन्तुओं पर आश्रित रहते हैं। शाकाहारी जन्तु वनस्पतियों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर आश्रित रहते है।

अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल वृक्षों से ही प्राप्त होता है, जैसे दियासलाई, कागज, प्लाईवुड, पैकिंग केस, लाख, कत्था, तारपीन, विरोजा एवं खेलकूद के सामान तथा विभिन्न प्रकार के काष्ठोपकरण हेतु उपयोगी काष्ठ।

वृक्ष, प्राण वायु (आक्सीजन) प्रदान करते हैं। श्वसन में प्रत्येक जीवधारी अशुद्ध वायु (कार्बन डाई–आक्साइड) छोड़ते हैं और शुद्ध वायु (आक्सीजन) ग्रहण करते हैं। वृक्ष अशुद्ध वायु (कार्बन डाई-आक्साइड) को अपने भोजन बनाने में ग्रहण करते हैं और शुद्ध वायु (आक्सीजन) छोड़ते हैं। यह शुद्ध वायु हम सभी प्राणियों के प्राण वायु है। इस तरह वृक्ष वायुमण्डल में विभिन्न गैसों का संतुलन बनाये रखते हैं। एक हेक्टेयर वन प्रति वर्ष सामान्यतया 3 मीटरिक टन अशुद्ध वायु (कार्बन डाइ-आक्साइड) ग्रहण कर 2 मीटरिक टन आक्सीजन प्रदान करते है।

वृक्षों से जलवायु का नियंत्रण एवं भूमि-संरक्षण होता है। वर्षा को संतुलित करना, गर्मी-सर्दी को अनुकूल रखना तथा हवा और पानी के वेग को नियंत्रित रखकर मिट्टी के कटाव (बहाव) को रोकना हमारे वृक्षों और वनों का ही काम है।

ईंधन के लिए लकड़ी उपलब्ध न होने पर कृषक गोवर के उपले बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए लकड़ी का प्रबन्ध हो जाय तो गोबर को बचाकर खाद के रूप में खेतों में डाला जा सकता है। इससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। खाद तथा बायो गैस हेतु गोबर को बचाने के लिए वृक्षों का लगाना अति आवश्यक है।

सुखमय भविष्य एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए वृक्षों का लगाना, वनों का संरक्षण एवं सम्वर्धन करना अति आवश्यक है। वृक्षों के द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना बहुत हद तक सम्भव हैं।

बढ़ती हुई जनसख्या से बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ गयी है । वृक्षारोपण से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं । कंजी, महुआ, नीम आदि के वृक्षों से तेल निकाला जा सकता है । ग्राम वासी अपने ग्राम में कोल्हू स्थापित कर संदर्भित फलों से तेल निकाल कर अपनी जीविका का अर्जन कर सकते हैं । सहजन, अगस्त, जैती आदि वृक्षों को पत्तियों से कागज बनाने का कुटीर उद्योग चलाया जा सकता है । तेंदू के पत्तों का आर्थिक महत्व सर्वविदित है । शीशम, आम, सागौन, बबूल से गांव के बढ़ई फर्नीचर बनाने का उद्योग चला सकते हैं । बबूल के वृक्षों से गोंद निकाल कर उसे बेचकर आमदनी बढ़ायी जा सकती है ।

अर्जुन व बबूल की छाल चमड़ा सिझाने के काम आती है । इन वृक्षों की छाल से गांव में चमड़े सिझाने का अच्छा व्यवसाय चलाया जा सकता है । रेशम के कीड़े शहतूत पर पाले जा सकते हैं ।

सामाजिक वानिकी का अर्थ

वनों के समीप के ग्रामीण वनों से अनियंत्रित चारा तथा लकड़ी काटने लगे । ठेकेदार आदि लाभ के लोभ में वनों की कटाई गलत ढंग से करने लगे जिससे वनों का ह्रास होने लगा । वनों के विनाश को देखकर वन विभाग द्वारा वृक्षों के रक्षण की नीति अपनायी गयी । ग्रामीणों को चारा तथा लकड़ी काटने पर वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गयी । इस तरह वन विभाग द्वारा वनों की काफी सुरक्षा होने लगी । वन विभाग की कड़ी सुरक्षा के कारण लोगों को असुविधा होने लगी । जिसके फलस्वरूप सामान्य जन का वनों से लगाव कम हो गया । ऐसी स्थिति में वन नीति पर पुनर्विचार किया गया । यह अनुभव किया गया कि वनों का विकास तभी संभव है जब वनों तथा सामान्य लोगों के मध्य पारस्परिक निर्भरता तथा उत्तरदायित्व का विकास किया जाय, वनों को समाजोन्मुख बनाकर सम्बर्धन तथा संरक्षण की नीति को सामाजिक वानिकी की नीति कहा गया है । सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जो वृक्ष लगाए गए हैं, उनसे एक तरफ तो समीप के ग्रामीणों को ईंधन, चारा, खाद्य, फल-फूल, छाजन के लिए घासें, मकान तथा कृषि उपकरण के लिए लकड़ी एवं औषधियां प्राप्त होती हैं दूसरी तरफ समाज के लोग स्वयं वृक्षों को लगाते हैं तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करते है तथा वनों के विकास में सहयोग देते हैं । यह योजना जन सहयोग पर आधारित है । लक्ष्य यह है कि कोई भी भूमि जहां पेड़ लग सकते हैं, पेड़ों से खाली न रहे । ग्राम-समाजों, विकास-खण्डों, जिला परिषदों तथा स्कूलों, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । वनों की सुरक्षा के लिए पशुओं के लिए अलग चरागाह होने चाहिए ।

वर्ष 1986-87 का लक्ष्य 45 करोड़ पौधे लगाने का था । सितम्बर 86 तक 41.55 करोड़ पौधे लगाये जा चुके हैं ।

प्रदेश में वनों की वर्तमान स्थिति

वातावरण के संतुलन हेतु देश के पूरे भूभाग के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए । परन्तु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 1/6 भाग पर ही वन हैं । ये वन भी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र और दक्षिणी भू भाग में ही हैं । प्रदेश के विशाल मैदानी भाग में केवल 7 प्रतिशत ही वन हैं । अनेक जनपद वन से विहीन हैं । इस स्थिति को बदलने के लिए मैदानी क्षेत्र के जनपदों में 1979 से सामाजिक वानिकी परियोजना लागू की गयी है । जनसंख्या तथा उद्योग धन्धों और विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वनों के क्षेत्र को बढ़ाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । अस्तु हमारे सामने एक ही विकल्प बचा है कि जहां कहीं भी सम्भव हो खाली क्षेत्रों में पेड़ लगाये जायँ तथा उनकी सुरक्षा की जाय । इस संदर्भ में कतिपय सुझाव इस प्रकार हैं :–

—सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, तालाबों के चारों ओर पेड़ लगाये जायं ।

—विद्यालयों, पंचायत घरों, सार्वजनिक भदनों तथा सरकारी भवनों के अहातों में पेड़ लगाये जायें ।

—निजी भवनों के सहन में, खेतों की मेड़ों पर तथा ग्राम समाज की खाली भूमि पर पेड़ लगाये जायं ।

कौन से पेड़ कहाँ लगायें ?

आप सभी जानते हैं कि एक तरह की मिट्टी में हर प्रकार के पेड़ नहीं उगाये जा सकते हैं । इसी तरह हर प्रकार का पेड़ सभी जगह शोभा नहीं देता है । इसलिए आप अपनी सुविधा और वृक्षों की भी उपयोगिता तथा आवश्यकता के अनुसार ही पेड़ लगायें । जैसे खेतों की मेड़ों पर गहरी जड़ तथा हल्के छत्र के पेड़ लगायें जायें और सड़कों, नहरों आदि के किनारे पर छायादार व फलदार वृक्ष लगाये जायं । इस संबंध में कतिपय बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

उपयोगिता के अनुसार वृक्षों का चुनाव

इमारती लकड़ी

मैदानी क्षेत्र-साल (साखू), सागौन, शीशम, महुआ, जामुन, नीम, बांस ।

पर्वतीय क्षेत्र-तुन, चीड़, कैल, सुरई, देवदार आदि ।

ईंधन

मैदानी क्षेत्र-बबूल, ढाक, अर्जुन, विलायती बबूल, नीम, इमली, बकापन, यूकेलिप्टस ।
पर्वतीय क्षेत्र-बांस, बांज, तिलोज (मोक) आदि ।

फल

मैदानी क्षेत्र-आम, अमरूद, आंवला, कटहल, महुआ, जामुन, बेल ।
पर्वतीय क्षेत्र-किमू, आड़ू, अखरोट, च्यूरा, नाशपाती, सेब, काफल आदि ।

छाया

मैदानी क्षेत्र-मौलसिरी, अशोक, जामुन, नीम, पाकड़, बरगद, पीपल, इमली, आम, कजी, महुआ ।
पर्वतीय क्षेत्र-तुन, पांगर आदि ।

शोभा

मैदानी क्षेत्र-गोल्ड मोहर, जकरण्डा, कचनार, अमलतास, बोतल ब्रश, अशोक, पीपल, यूकेलिप्टस ।
पर्वतीय क्षेत्र-पांगर, कोनेरा, सैलिक्स, बुरूंश, देवदार, चीड़ आदि ।

चारा

मैदानी क्षेत्र-बबूल, नीम, सिरिस, कचनार, सहजन, पीपल ।
पर्वतीय क्षेत्र-पांगर, खड़िक, भीमल, किमू, बांज आदि ।

मिट्टी के अनुसार वृक्षों का चुनाव

मटियारी मिट्टी

ढाक, काला सिरिस, असना, अर्जुन आदि ।

दोमट तथा बलुई मिट्टी

शीशम, सिरिस, बबूल, खैर, साल, सागौन, आम, कटहल, मौलसिरी, अशोक, पाकड़ । बरगद, पीपल, इमली, कंजी, अमलतास, कचनार, आंवला, अमरूद ।

नम मिट्टी

जामुन, ढाक, अर्जुन, असना, गुटेल आदि ।

ऊसर भूमि

ढाक, विलायती बबूल, नीम, कंजी, सिरिस आदि ।

शुष्क क्षेत्र

विलायती बबूल, सांदन, कंजी, झींगन, छिड़कर, बाकली, इमली, महुआ आदि ।

पथरीली भूमि

(विन्ध्य तथा बुन्देलखण्ड)—महुआ, चिरौंजी, तेंदू, करघई आदि ।

पहाड़ी क्षेत्र

चीड़, कैल, सुरई, देवदार, बांज, तिलौंज, पांगर, अखरोट, किमू, आड़ू, पापलर, कौनेरा, यूकेलिप्टस, भीमल, खड़िक, उतिस, आदि ।

इस विषय में परामर्श तथा सहायता देने के लिए जिला स्तर पर वृक्षारोपण समितियां स्थापित की गयी हैं । प्रत्येक जिलाधिकारी, वन-अधिकारी तथा जिला उद्यान अधिकारी के विभिन्न कार्यालयों में वृक्षारोपण संबंधी सूचना एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किये गये हैं। यहां सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा कृषकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध किया गया है । इस वर्ष अब तक प्रदेश में लगभग १० हजार कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

पौध कहाँ से प्राप्त करें ?

आपकी आवश्यकतानुसार पौधों को प्राप्त करने के लिए वन विभाग तथा उद्यान विभाग के निकटतम कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए । इन विभागों के अपने पौधालय (नर्सरी) हैं । शिक्षा विभाग और कहीं-कहीं जिला परिषदों के पास भी

ऐसे पौधालय हैं । प्रत्येक विकास खण्ड में पौधालय (नर्सरी) स्थापित किये गये हैं, जहां आसानी से पौधे प्राप्त किये जा सकते हैं । सुविधा हेतु अब ग्राम पंचायत स्तर पर पौधालय स्थापित किये जा रहे हैं ।

पौधों की कीमत

वृक्षारोपण योजना को प्रोत्साहन देने के लिए पौधों का मूल्य नाम मात्र ही रखा गया है ।

पौधों का अग्रिम आरक्षण

वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधों की जातिवार संख्या अप्रैल माह में अपने निकटतम राजि-अधिकारी/वृक्षारोपण अधिकारी को देकर पंजीकृत करवाया जा सकता है, तथा उनका मूल्य जमा कर पौध उठाने की तिथि मालूम को जा सकती है । अधिक पौधों की मांग करने वालों को वन कर्मचारी से रोपण स्थल का निरीक्षण करवाना हितकर होगा ।

विद्यालय पौधालय

विद्यार्थियों को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने एवं बच्चों में पेड़-पौधों के प्रति रुचि जागृत करने के लिये विद्यालयों में उपलब्ध भूमि पर नर्सरी स्थापित की जाती है । शिक्षा विभाग के अधिकारी वन विभाग से संपर्क कर नर्सरी के लिये विद्यालय का चयन करते हैं ।

विद्यालय में नर्सरी स्थापित करते समय निम्नलिखित सुविधाओं का होना आवपश्यक है:-

1—स्कूल के पास नर्सरी के लिये अपनी भूमि उपलब्ध हो ।

2—सिंचाई की सुविधा हो ।

3—सुरक्षा की व्यवस्था हो ।

प्रशिक्षण—विद्यालय पौधशाला के लिये वन विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक तथा दो बच्चों और एक अंशकालिक माली के तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है ।

क्रियापत्रक-1

क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि विद्यालय पौधशाला में किन-किन वृक्षों की पौध तैयार की जाय ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

क्रियापत्रक-2

पौधशाला के लिये आवश्यक संसाधनों की सूची बनायें ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

पौधशाला में उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध कराना

स्कूल पौधशालाओं में पौध उगाने के लिए समस्त सामग्री—पौलीथीन बैग, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पौध वाली डलिया, फावड़ा तथा गैंती आदि का प्रबन्ध वन विभाग द्वारा किया जाता है ।

पौधशालाओं में श्रम का कार्य

स्कूल-पौधशालाओं में क्यारी बनाकर बीज बोना, पोलीथीन बैग भरना, पौध लगाना, पानी देना, निराई-गुड़ाई, पौध का स्थान परिवर्तन, ग्रेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य प्रशिक्षित अध्यापकों एवं अंशकालिक माली के निर्देशन में स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता है ।

पौधशालाओं की सुरक्षा

पौधशालाओं की सुरक्षा तार की बाड़ घेर करके अथवा खाई खोदकर उसके अन्दर की ओर मेड़ पर कंटीली झाड़ियां लगाकर की जा सकती है । इसके अतिरिक्त रात्रि में तथा अवकाश के दिनों में अंशकालिक माली द्वारा सुरक्षा की जायगी तथा अवकाश के दिनों में माली सिंचाई भी करेगा ।

स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन देना

पौधशाला में पौध उगाने हेतु श्रम कार्य स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता है । अतः रोपण योग्य समस्त पौधों, जो वन विभाग द्वारा खरीदे जायेंगे, के लिए बच्चों को 10 पैसे प्रति पौध की दर से प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा ।

वृक्षारोपण कैसे तथा किसके लिए ?

(अ) राजकीय भूमि पर

राजकीय भूमि पर जैसे सड़क, नहर तथा रेलवे लाइन की पटरियां एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाता है

(ब) ग्राम समाज भूमि पर

ग्राम समाज को भूमि पर वृक्षारोपण के लिए निम्नांकित प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं:—

1—ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करती है ।

2—वृक्षारोपण कार्यों में परामर्श देने तथा ग्रामीणों में लकड़ी का बंटवारा करने हेतु गांव के प्रधान की अध्यक्षता में एक ग्राम समिति का गठन किया जाता है ।

3—ग्राम समिति के सुझाव पर गांव की आवश्यकता को देखते हुए वन विभाग उपर्युक्त भूमि पर वृक्षारोपण करवाता है ।

4—ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग वृक्षारोपण का रख-रखाव एवं सुरक्षा करता है ।

5—अनुबन्ध में जैसा उल्लिखित हो घास, पत्ता का चारा, महुवे का फूल एवं फल गांव वालों को मुफ्त दिया जाता है । शेष उपज को बेचकर वन विभाग और ग्राम समाज के मध्य बंटवारा होता है ।

6—ग्राम समिति एवं वन विभाग में जो अनुबन्ध होता है उसके अनुसार आय का 20% धनराशि ग्राम समाज को दे दी जायगी । शेष धनराशि वन विभाग वृक्षारोपण के खर्च के लिये लेता है ।

7—30 वर्ष या उसके पूर्व ही जब वृक्षारोपण की व्यय की गई धनराशि वन विभाग को वापस हो जाती है, तब सम्पूर्ण आय ग्राम समाज को मिलने लगती है तथा पूरी वन सम्पत्ति पर ग्राम समाज का अधिकार हो जाता है ।

8—ग्राम समाज की भूमि में रोपी गई वनस्पति का चारा तथा ईंधन का बंटवारा ग्राम समिति करती है ।

9—उपर्युक्त उपज के बंटवारे, वृक्षारोपण करने एवं रख-रखाव करने के कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्त्योदय तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को वरीयता दी जाती है ।

इस प्रकार ग्राम समाज को बिना खर्च किये आय का स्रोत तथा वृक्षों के रूप में सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है ।

वृक्षारोपण का रोजगारपरक महत्व

ऊसर उत्पादन हेतु अर्जुन रोपण

ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जुन के वृक्ष लगाकर उन पर टसर के कीड़े पालने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । यदि यह कार्य ग्राम समाज की भूमि पर किया जाता है तो आय का बंटवारा उपर्युक्त ढंग से होता है ।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत काफी बड़ी सख्या में कंजी, महुआ, नीम, सहजन, अगस्त, जैती, शीशम, आम, सागौन, अर्जुन तथा बबूल आदि लगाये जाते हैं ।

कंजी, महुआ, नीम आदि के वृक्षों के फल से तेल निकाला जाता है ।

सहजन, अगस्त व जैती आदि वृक्ष जिनकी पत्तियां चारे के काम में आती हैं, लकड़ी से कागज की लुग्दी बनायी जा सकती है ।

शीशम, आम, सागौन, बबूल आदि वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर का व्यवसाय चलता है ।

बबूल के वृक्षों से गोंद निकाला जाता है ।

अर्जुन व बबूल की छाल से चमड़े सिझाने का व्यवसाय चल सकता है ।

(स) निजी भूमि पर वृक्षारोपण

निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए वन विभाग ने ब्लाक मुख्यालयों तथा न्याय पंचायत स्तर पर पौधालयों की स्थापना की है । इन पौधालयों से जनता को नाम मात्र के मूल्य पर ईंधन एवं फल वाले पौधे रोपण हेतु उपलब्ध कराये जाते है । ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है । इस समस्या को हल करने के लिए निजी भूमि पर तथा खेतों की मेड़ों पर यूकेलिप्टस एवं बबूल के पौधों का रोपण किया जाना चाहिए । इस प्रकार के रोपण से प्रत्येक कृषक परिवार ईंधन एवं कृषि कार्यों के लिए लकड़ी हेतु आत्मनिर्भर बन सकते हैं ।

क्रियाकलाप–1

आप बच्चों से निम्नलिखित क्रियाकलाप करा सकते हैं:—

1—पौधघर का भ्रमण एवं निरीक्षण ।

2—पौधघर तैयार कराने से सम्बन्धित क्रियाकलाप ।

3—पौध लगवा सकते है तथा उसकी देख-रेख तथा संरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप करा सकते हैं ।

क्रियाकलाप–2

आप बच्चों से ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं:—

1—पौधे प्राणियों के लिए क्यों आवश्यक है ?

2—वातावरण संतुलन में पौधों का क्या महत्व है ?

3—भूमि का कटाव रोकने में पौधों का क्या महत्व है ?
4—पौधों से प्रत्यक्ष लाभ क्या है ?
5—किन-किन भूमियों में अलग-अलग उद्देश्यों से कौन-कौन से वृक्ष लगाये जा सकते हैं ?
6—औद्योगिक महत्व के वृक्षों पर विस्तार से लेख लिखें ।
7—स्कूल नर्सरी पर एक लेख लिखें ।

मॉड्यूल–19 पी

बच्चों की आवश्यकताएं और समस्याएं

परिचय

यह आवश्यक है कि अध्यापक को बच्चों की जरूरतों की गहरी समझ हो क्योंकि इससे बच्चों के व्यवहार का कारण समझने में मदद मिलती है । बच्चा जो महसूस करता है उसी के अनुसार एक खास तरह से व्यवहार करता है । नन्हा शिशु रोता है और अपने हाथ पैर मारता है क्योंकि शायद उसे भूख लगी होती है और आहार की जरूरत होती है । इसी प्रकार एक प्राथमिक स्कूल का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रहता है और ग्रुप की मांग के अनुसार व्यवहार करता है क्योंकि उसे उनके द्वारा स्वीकार्य होने की जरूरत होती है । विकास की हर अवस्था में बच्चों की जरूरतें उस अवस्था के मुताबिक विशिष्ट होती है और इन्हीं जरूरतों से उसका व्यवहार निर्धारित होता है । यदि इन जरूरतों को पूरा न किया जाये तो बच्चों में समस्यायें खड़ी हो सकती हैं । इसलिए अध्यापक के रूप में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विकास की हर अवस्था में बच्चों की जरूरतों को समझें और बच्चों के व्यवहार के कारणों को जानें ताकि हम उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी में उनकी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद कर सकें ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप :

–प्राथमिक स्कूल के बच्चों की जरूरतें समझने में सक्षम होंगे ।

–उनके सामने आने वाली संभावित आम समस्याओं की सूची बना सकेंगे ।

–इन समस्याओं का स्वरूप समझ सकेंगे ।

–इन समस्याओं का सामना करने के लिए बच्चों और उनके माता-पिता की मदद के लिए सरल योजनाएं बना सकेंगे ।

शिक्षण गतिविधियां

प्राथमिक स्कूल के अध्यापक के रूप में वर्षों के लम्बे अनुभव के आधार पर क्या आप प्राथमिक स्कूल के बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर गौर करना चाहेंगे ?

क्रियाकलाप-1

प्राथमिक स्कूल के बच्चों की उन जरूरतों की सूची बनाइये, जो आपके विचार से उनकी आयु के लिए विशिष्ट हैं ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अपनी सूची को ध्यान से पढ़ें । क्या आप उनकी जरूरतों को किन्हीं विशेष वर्गों में रखना चाहेंगे, जैसे शारीरिक आवश्यकतायें, सामाजिक आवश्यकतायें भावनात्मक आवश्यकतायें आदि । उदाहरण के लिए, भोजन की जरूरत शारीरिक आवश्यकता है, स्वीकार किये जाने की जरूरत एक सामाजिक आवश्यकता है और स्नेह पाने की जरूरत एक भावनात्मक आवश्यकता है ।

क्रियाकलाप-2

उन गतिविधियों की लिखिये, जो एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करता है ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में सोचें । हरेक जरूरत के अनुसार यह विचार करें कि बच्चे उन जरूरतों को पूरा करते समय किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं । उदाहरण के लिए, यदि बच्चा अध्यापक का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है तो वह अपना हाथ खड़ा कर सकता है, जोर से "मास्टर जी, मास्टर जी" चिल्ला सकता है या अपने स्थान पर ऊपर-नीचे कूद सकता है ।

क्रियाकलाप-3

अपने छात्रों की गतिविधियों के दो ऐसे उदाहरण दीजिए, जिनमें वे संलग्न हैं । इनमें से एक शैक्षणिक हो और दूसरा गैर-शैक्षणिक । हर गतिविधि के दौरान बच्चे की क्या जरूरतें रही होंगी, उनकी भी सूची बनाइये ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

उन जरूरतों की सूची बनाते समय (जिनके कारण बच्चा किसी गतिविधि में लगा होगा) आपने यह देखा होगा कि एक गतिविधि से एक से अधिक आवश्यकतायें पूरी होती हैं । उदाहरण के लिए, एक गैर-शैक्षणिक गतिविधि जैसे फुटबाल का खेल । यह शारीरिक गतिविधि की जरूरत, स्वीकार किये जाने की जरूरत, विजय पाने की जरूरत तथा स्वतंत्र कार्य करने की आवश्यकता आदि की पूर्ति करता है । कुछ जरूरतें अन्य जरूरतों से तीव्र होती हैं जबकि कुछ का अन्य आवश्यकताओं से टकराव हो सकता है ।

क्रियाकलाप-4

यदि बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं होतीं, तो आपके विचार में वह कैसा व्यवहार करेंगे ?

मान लीजिए, कक्षा के एक बच्चे की स्वीकार किये जाने की आवश्यकता पूरी नहीं होती, तो वह अपने को सबके सामने लाने की और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा । यह भी हो सकता है कि वह लड़ाका हो जाये और स्वीकृति की माँग करे या वह अपने आप में सिमट जाये और एक डरपोक तथा सहमे हुए व्यक्ति में बदल जाए । एक सहमे हुए, संकोची और अंतर्मुखी बच्चे पर अक्सर ध्यान नहीं जाता क्योंकि वह अध्यापक के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता । परन्तु इस बच्चे को भी अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए उतनी ही सहायता चाहिए जितनी कि एक लड़ाकू बच्चे को । संक्षेप में कहें तो जरूरतें पूरी न होने पर बच्चे अवांछित या समस्याप्रद व्यवहार करने लगते हैं । यदि ऐसा व्यवहार काफी समय तक जारी रहे तो इससे गहरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं ।

क्रियाकलाप-5

अपने अनुभव के दौरान, आपका वास्ता छात्रों के ऐसे समस्याप्रद व्यवहार से पड़ा होगा । ऐसे व्यवहार की सूची बनाइये ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

जैसा कि आपने सूची बनाते समय देखा होगा, समस्याप्रद व्यवहार विभिन्न प्रकार का हो सकता है । जैसे कुपोषण के कारण उदासीनता और आलस्य, ध्यान आकर्षित करने के लिए आक्रामकता और दूसरों को डराना-धमकाना, सुरक्षित महसूस न करने पर अंतर्मुखी और दब्बू हो जाना आदि । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी खास जरूरत के पूरा न होने पर सब बच्चों के व्यवहार में एक-सी समस्या ही पैदा होगी । उदाहरण के लिए, सुरक्षित महसूस करने की जरूरत पूरी न होने पर रमेश दब्बू और संकोची बन जाता है, लेकिन असुरक्षित महसूस करने पर राधा अपने सहपाठियों के सामने बोलते वक्त अटकने और हकलाने लगती है । दोनों को सुरक्षा की जरूरत है लेकिन उनकी आवश्यकता अलग-अलग तरह से व्यक्त होती है । दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों के व्यवहार में समस्या को समझने का प्रयास करते समय हमें बच्चों के व्यक्तित्व के अंतर पर ध्यान देना होगा ।

क्रियाकलाप-6

बच्चों को समस्याओं से सामना करने में मदद देने के लिए आपने क्या कदम उठाए, उनके बारे में लिखिए । क्या आप सोचते हैं कि इनका कोई असर हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

बच्चों को समस्या का सामना करने में मदद देने में अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । हमारे जैसे विकासशील देश में अध्यापक की जिम्मेदारी और भी बढ़ी है क्योंकि बच्चे को घर से मिलने वाला प्रोत्साहन सीमित होता है । बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे पहली पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, जिनके माता-पिता हो सकता है कि अपने बच्चों को काफी प्रभावशाली मदद देने की स्थिति में न हों । इसलिए अध्यापक को ही अनिवार्य रूप से मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है ।

दुर्भाग्य से ऐसी कोई निर्धारित "औषधि" नहीं है, जो बच्चों को उनकी मुश्किलें आसान करने में मदद करे । हर बच्चे की समस्या को और उनके पीछे छिपे कारणों को समझना अनिवार्य है जिसके बिना कोई सहायता नहीं दी जा सकती । आइये, हम विभिन्न बच्चों को लें । राधा को बोलते समय हकलाने और अटकने को समस्या है, वह असुरक्षित महसूस करती है और हर बार जब उसे कक्षा के सामने बोलना होता है, वह परेशान हो उठती है, अन्यथा वह ठीक रहती है । निश्चय ही उसमें आत्म विश्वास पैदा किये जाने की जरूरत है । उन परिस्थितियों को ढूँढ़ने के तरीके खोजने चाहिये, जिनमें राधा बढ़िया काम कर सके । इस प्रकार मिली सफलता के अनुभव से उसे अपनी कठिनाइयों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी । इसके साथ ही साथ, अध्यापक को दूसरे बच्चों को भी समझाना पड़ेगा जिससे वे राधा का मजाक न उड़ायें बल्कि उसकी सहायता करें । आइये अब राजू को लें जो सदा कक्षा में शरारतें किया करता है । शायद उसे कोई महत्वपूर्ण काम देना, जिसमें उसे काफी जिम्मेदारी उठानी पड़े, अच्छा रहेगा । उदाहरण के लिए, उसे मानीटर बनाया जा सकता है ।

यह आवश्यक है कि अध्यापक हर बच्चे को और उसके कठिन और असामान्य व्यवहार के कारणों को समझें । एक बार ऐसा प्रयास करने पर अध्यापक को शीघ्र ही मालूम हो जायेगा कि इसके मूल में कोई न कोई ऐसी आवश्यकता है जो पूरी नहीं हुई है । इसलिए यह अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ बनाये जहाँ बच्चे की अपूरित आवश्यकतायें पूरी हो सकें । हालांकि कई बार आप पायेंगे कि बच्चे की मदद करने के लिए घर का सहयोग अध्यापक को मिलना आवश्यक है ।

क्रियाकलाप-7

क्या आप अपने छात्रों के ऐसे मामले प्रस्तुत कर सकते है जहाँ आपको उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करने के लिए उनके घर वालों के सहयोग को जरूरत पड़ी हो ? क्या आपको यह सहयोग सरलता से मिल गया ? उनका सहयोग पाने के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

बच्चे के विकास में घर की महत्ता का बढ़ा-चढ़ा कर बखान नहीं किया जा सकता। पर इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि घर से सहयोग मिले तो अध्यापक बच्चे की सहायता अधिक अच्छे ढंग से कर सकता है। उदाहरण के लिए, विजय को लें जो कुपोषण और उदासीनता का शिकार है। जाहिर है कि विजय को बेहतर आहार की जरूरत है अतः अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह माँ की बुलाएं और उसे अधिक पौष्टिक आहार बनाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। हाँ, यह सही है कि वह गरीब हो सकती है और अपने बच्चे के लिए दूध या अन्य महँगे खाद्य पदार्थ जुटा पाने में असमर्थ हो सकती है। लेकिन यह संभव है कि उसे बेहतर पौष्टिक भोजन बनाने में मदद दी जा सके। उदाहरण के लिए उसे बताया जा सकता है कि वह चावल या रोटी जैसे मूल भोजन के साथ मौसमी और हरे पत्ते वाली सब्जियां बना सकती है। यदि उसके पास घर में थोड़ी जमीन हो तो उस पर सब्जियां उगाने के लिए विजय और उसकी मां को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आइये, अब सीता का उदाहरण लें, जो कम सफलता प्राप्त करती है। सीता अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करती। वह एक प्रतिभाशाली लड़की है पर कक्षा में अच्छा कार्य नहीं करती। हो सकता है कि उसके माता-पिता को उससे बहुत कम अपेक्षाएं हों। वे कह सकते हैं कि सीता लड़की है इसलिए उसका पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी नहीं है। इस स्थिति में यह जरूरी है कि अध्यापक सीता के माता-पिता से बातचीत करें और सीता को उनका सहयोग और प्रोत्साहन दिलाने का प्रयास करें, जिससे सीता की अपनी योग्यता के अनुसार सफलता मिल सके।

सारांश

भोजन और आवास की मूल जरूरतों के अतिरिक्त, बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकतायें भी होती हैं। स्वीकार किये जाने, ध्यान खींचने, मान्यता पाने, स्वतंत्रता प्राप्त करने आदि की जरूरतें सामाजिक आवश्यकता के उदाहरण हैं जबकि प्यार, सुरक्षा, आत्मसम्मान आदि की जरूरतें भावनात्मक आवश्यकतायें हैं। इन आवश्यकताओं के कारण ही बच्चे भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं। यदि अध्यापक को इन आवश्यकताओं की और मानव व्यवहार पर उनके प्रभाव की उचित जानकारी नहीं होगी तो वह बच्चे के कारणों के बारे में गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। यदि इन जरूरतों को ठीक से पूरा न किया गया तो उससे बच्चों के व्यवहार में कई प्रकार की समस्यायें पैदा हो सकती हैं। ये समस्यायें कई तरह से अभिव्यक्त हो सकती हैं– आक्रामकता, दब्बूपन, अंतर्मुखी होना, बोलने की समस्यायें, कम उपलब्धि आदि। परन्तु यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बच्चों में समस्याओं की अभिव्यक्ति अलग-अलग ढंग से हो सकती है। किसी न किसी अवस्था में बच्चों में समस्याप्रद व्यवहार देखा जा सकता है लेकिन यदि उसे ठीक से संभाला जाय, तो वे इन समस्याओं से उभर सकते हैं। माता-पिता और अध्यापक, दोनों की चाहिये कि वे इस समस्याप्रद व्यवहार के कारणों को समझें ताकि वे इन समस्याओं से जूझने में बच्चों की मदद करने के लिए कदम उठा सकें। बच्चों को सफलता पाने का अनुभव कराना, उन्हें स्नेह और प्यार देना, उचित मान्यता देना, स्वतंत्र कदम उठाने को प्रोत्साहित करना, मौखिक रूप से या रचनात्मक कला अनुभव के जरिये उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर देना आदि ऐसे कदम हैं जिनसे बच्चों को अपनी समस्यायें सुलझाने में मदद मिल सकती है।

मॉड्यूल 20 पी

प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन का उद्देश्य व पद्धति क्या है । इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन एक व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है । मूल्यांकन का मतलब बच्चे को सिर्फ उसकी सफलता या असफलता का प्रमाण-पत्र देना ही नहीं बल्कि उसकी योग्यता की बढ़ावा देना भी होना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे की बारम्बार परीक्षा ली जाए क्योंकि इस प्रकार हम यह आसानी मे परख सकते हैं कि बच्चे को अपनी आयु व कक्षा के अनुसार जितना आना चाहिए उतना उसने सीखा है या नहीं । सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल विचार इस तथ्य पर आधारित है कि सब बच्चे एक से नहीं होते, प्रत्येक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है और उसी के आधार पर उसका विकास होता है । इसके अलावा यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विकास टुकड़ों में नहीं बल्कि निरन्तर होता है । मूल्यांकन प्रक्रिया में इस बात के प्रमाण जुटाते हैं कि बच्चे की योग्यता या व्यवहार में कितना अन्तर आया है, उसने कितनी प्रगति की है । इसके लिए हम परीक्षाओं का सहारा लेते हैं और उनके परिणामों का विश्लेषण करते हैं मूल्यांकन का मतलब बच्चे की परीक्षा लेकर उसे ''पास'' या ''फेल'' का सर्टीफिकेट देना नहीं बल्कि उसकी योग्यता की देखना, उसकी कमियों को दूर करना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए ।

इस मॉड्यूल में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृष्टिगत करते हुए मूल्यांकन के विचार को स्पष्ट किया गया है । साथ में उदाहरण भी दिए गए हैं ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात आप जान जाएंगे कि छात्रों की योग्यता का अर्थात् दिमाग, दिल व हाथ से कार्य करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन बच्चे के चहुँमुखी विकास के लिए कितना आवश्यक है :

- –आप समझ सकेंगे कि सतत मूल्यांकन के लिए कक्षा के अन्दर और बाहर बच्चे की योग्यता की बारम्बार और सोद्देश्य जांच कितनी महत्वपूर्ण है ।
- –आप मूल्यांकन की सही तकनीक का चुनाव कर सकेंगे और उसके द्वारा अध्ययन-अध्यापन में सुधार ला सकेंगे ।
- –आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समुचित योजना बना सकेंगे ।
- –आप निदानकारी और उपचारात्मक शिक्षा पद्धति द्वारा छात्र की उपलब्धि और योग्यता के स्तर को सुधारने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के परिणामों का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे ।

विचार

''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–86'' में कहा गया है कि बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन पढ़ने-पढ़ाने की किसी भी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है । बढ़िया शिक्षा नीति वही है जिसमें परीक्षा का मतलब शिक्षा के स्तर में सुधार लाना हो । परीक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के विकास की कसौटी और अध्ययन-अध्यापन में आवश्यक सुधार का सशक्त माध्यम बन सके ।

अगर हम कक्षा में इस नीति की गतिविधियों के रूप में क्रियान्वित करते हैं तो प्राथमिक स्कूल में मूल्यांकन :

- –छात्र क विकास के सभी पहलुओं से संबंधित होगा;
- –अध्ययन-अध्यापन का एक अभिन्न अंग होगा;
- –शिक्षक, छात्र और माता-पिता के सम्मिलित प्रयास द्वारा पढ़ाई में सुधार का सशक्त साधन होगा;
- –छात्रों की पढ़ने में जो कठिनाइयां आती हैं, उनका पता लगाने, उसका समाधान ढूँढ़ने, करने में उपयोगी होगा और इस प्रकार शिक्षा में आवश्यक सुधार संभव होगा ।

अन्तिम विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि वाह्य परीक्षक के स्थान पर उसी शिक्षक द्वारा छात्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो उसे पढ़ा रहा है । **इससे शिक्षक की अखण्डता में और व्यक्तिगत परिश्रम तथा शिक्षक द्वारा उचित मार्ग निर्देशन से उच्च योग्यता प्राप्त करने की छात्र की क्षमता में विश्वास बढ़ेगा ।**

यह स्वाभाविक रूप से माता-पिता के सहयोग का अपना विशेष स्थान होगा ।

क्रियाकलाप-1

मूल्यांकन प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक, माता-पिता व बच्चे के लिए किन दो तरह से उपयोगी है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

बच्चे को पढ़ाते समय, उसकी परीक्षा लेते समय, उसका होमवर्क जाचते समय, खेल के मैदान में या कक्षा में उसके काम को देखते हुए हम निरन्तर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि वह कुछ सीख भी रहा है या नहीं अथवा हमें बच्चे की बेहतरी के लिए अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए या नहीं । मूल्यांकन का उद्देश्य विधिवत यह जानकारी जुटाना है कि क्या बच्चे ने उतना सब सीखा है जिसकी हमें उससे आशा और अपेक्षा थी ।

यहां सीखना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है । व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, रुचियां, प्रवृत्तियां और शारीरिक शिक्षा आदि के क्षेत्र में बच्चा बहुत कुछ सीखता है । हालांकि "कार्य-अनुभव" आदि की दृष्टि से बाद वाले क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

आप अपने लिए निम्नलिखित प्रश्न आजमाइए और उसका उत्तर दीजिए :

क्रियाकलाप-2

मनोवृत्ति संबंधी परिवर्तन कौन से हैं जिन पर कार्य-अनुभव द्वारा जोर दिया जाना चाहिए ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

प्राथमिक स्तर पर बच्चा भाषा व गिनती सीखता है, विभिन्न विषयों में उसका प्रवेश होता है, वस्तुओं को देखने-परखने, वर्गीकरण करने, नापने-तौलने, समय व स्थान के बीच आपसी संबंध को जानने, प्रयोग व विश्लेषण करने और अपनी बात कह सकने की योग्यता हासिल करता है यह कोई नई बात नहीं है । लेकिन सहनशीलता जैसी अभिवृत्तियों को उसके मन में बिठाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाना और भौतिक सामाजिक व सांस्कृतिक दायरे में सुधार लाने के लिए अपने हाथ से काम करने में उसकी रुचि पैदा करना आज की शिक्षा का लक्ष्य है जिस पर इस आयु में जोर दिया जाना चाहिए ।मूल्यांकन की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि हम इन सभी पहलुओं में बच्चे की उपलब्धि को नाप सकें ।

मूल्यांकन से उपलब्ध जानकारी का नियोजन और उपयोग

मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य छात्र का बहुमुखी विकास होना चाहिए । उस स्थिति में मूल्यांकन करते समय हम शायद यह नहीं देखेंगे कि बच्चा उन सब्जियों के नाम गिना सकता है या नहीं जो उसके लिए फायदेमंद हैं, बल्कि हम इस बात पर ध्यान देंगे कि वह उन्हें स्वाद से खाता है या नहीं । बच्चे के कार्यकलाप का मूल्यांकन करते समय हमें निश्चय ही यह भी देखना होगा कि बच्चा किन परिस्थितियों में पल रहा है या पढ़-लिख रहा है– इसके लिए हमें बच्चे के घर पर नजर डालनी होगी और क्लास रूम को देखना होगा, वहां की अच्छाइयों और बुराइयों को दृष्टिगत करना होगा । अगर पढ़ने-पढ़ाने के लिए सामान्य रूप से सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिर्फ तभी मूल्यांकन सार्थक हो सकता है और सिर्फ तभी बच्चे की योग्यता में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है । कभी-कभी, खास तौर से प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन यह देखने के लिए भी किया जा सकता है कि बच्चा किस तरह सीख रहा है न कि इसलिए, कि उसने क्या सीखा है ।

अगर बच्चा कोई काम करने में असफल रहता हैं तो उसे बच्चे की असफलता के रूप में नहीं आंका जाना चाहिए । हो सकता है कि शिक्षक ने बच्चे को उसके लिए तैयार न किया हो या वह उसे अच्छी तरह न समझा सका हो । उदाहरण के लिए अगर पर्यावरण की क्लास में बहुत से बच्चे यह कहते हैं कि बीज फल के साथ ही बनता है तो इसका मतलब यह हुआ कि :

–बच्चों से जरूरत से ज्यादा जानकारी की आशा की जा रही है;
–या फिर उन्हें जो उदाहरण दिए गए थे वे काफी नहीं थे या स्पष्ट नहीं थे ।

जो कुछ पढ़ाया जा चुका है, उसी पर पुनः दृष्टिपात करके शिक्षक छात्रों की कमियों को दूर कर सकता है । ऐसी स्थिति में मूल्यांकन को छात्र की योग्यता की कसौटी नहीं माना जाना चाहिए । शिक्षा में इसे उपचारात्मक कदम की संज्ञा दी गई है ।

क्रियाकलाप-3

पाठ्यक्रम में से ऐसे कुछेक अंश ढूंढ़ निकालिए जहां आप एक शिक्षक के रूप में छात्र की पर्याप्त या स्पष्ट उदाहरण नहीं दे पाए हैं । इस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई गतिविधि या विषय वस्तु समूह की क्षमता के स्तर से ऊपर को ही । आपने जिस गतिविधि या विषय वस्तु का चुनाव किया था, हो सकता हैं वह उस आयु के बच्चों के लिए ब ही ।

मूल्यांकन के बाद आप जो परिशोधन (फीड बैक) करें उसका विश्लेषण भविष्य को ध्यान में रखते हुए ठीक से किया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको उसके लिए बच्चों की पठन-सामग्री में, शिक्षा पद्धति या उपचारात्मक कक्षा में कोई परिवर्तन करना पड़े। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वह परिशोधन (फीड बैक) पाठ्यक्रम बनाने वालों और पाठ्य पुस्तकें वगैरह लिखने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। अधिकांश स्कूलों में साल में दो-तीन बार परिणामों का आयोजन किया जाता है। पर छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ही यह ज्यादा अच्छा है कि थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से बच्चों की कई बार परीक्षा ली जाय। इससे शिक्षक यह जान सकेगा कि छात्रों को कहां किस प्रकार की कठिनाई आ रही है या किस छात्र में क्या कमी है। मूल्यांकन सिर्फ यह जानने के लिए किया जाना चाहिए कि बच्चे को क्या समझ नहीं आया है या वह क्या सीख नहीं सका है। जहां आप यह देखें कि बच्चों की उपलब्धि उनके स्तर के अनुरूप नहीं हैं वहां परिणामों की अध्यापन नीति से परिवर्तन के लिए और पठन-पाठन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर हम पुरानी और नई तकनीक का प्रयोग करते हुए बच्चों का बारम्बार मूल्यांकन करते हैं सिर्फ तभी हम बच्चों की कमजोरियां जान सकते हैं और प्रत्येक बच्चे की सीखने की रफ्तार से परिचित हो सकते हैं।

स्कूल में विशेष रूप से प्राथमिक स्कूल में बच्चे को पढ़ते समय जो कठिनाइयां आती हैं उनका पता लगाना एक महत्वपूर्ण काम है। प्राथमिक स्कूल में बच्चों की भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान करवाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है और अन्य विषयों में उनका प्रवेश होता है। उस स्तर पर अगर बच्चे की कमजोरियों का पता न लगाया गया और उन्हें ठीक समय पर दूर न किया गया तो वह पढ़ाई में कमजोर होता चला जाएगा, और इसका परिणाम यह होगा कि पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा और ऐसी हालत में वह स्कूल से निकल भी सकता हैं। इसलिए सिर्फ मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि बच्चे की उपलब्धि एवं योग्यता को बढ़ाने के लिए भी विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चों की कमजोरियों को दूर करने के लिए खास कदम उठाए जाने चाहिए। बच्चे की योग्यता की बढ़ाने के लिए उपचारात्मक कार्य की योजना शिक्षक द्वारा ही बनाई जानी आवश्यक है।

बच्चों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए योजना बनाना जरूरी है। इसके लिए हमें निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना होगा :

1. अध्ययन का लक्ष्य और उसका न्यूनतम स्तर क्या है ?
2. पढ़ाई का प्रयोजन क्या है और बच्चों को किस तरह पढ़ाया जा रहा है।
3. क्या परीक्षाओं द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर छात्रों की प्रगति, श्रेणीकरण, उपलब्धि और आवश्यक सुधार के लिए आसानी से निर्णय लिया जा सकता है ?

विभिन्न उद्देश्यों के लिए जैसे (1) पठन-पाठन में कमजोरियों का पता लगाने के लिए या (2) बच्चे की अगली क्लास में भेजने के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करना जरूरी है।

प्राथमिक कक्षाओं में जहां बच्चों के पढ़ने और समझने की क्षमता व गति इतनी भिन्न होती है--मूल्यांकन को कैसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ? कक्षा में प्राय: सभी बच्चों के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है। हालांकि बच्चों के पढ़ने व समझने की क्षमता व गति की देखते हुए विभिन्न तरीकों से बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए; जैसे--मौखिक या लिखित परीक्षा द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क या प्रेक्टिकल आदि द्वारा। ये तरीके हैं जिनका हम बच्चे के मूल्यांकन के लिए, उसके स्तर व ग्रहण क्षमता को देखते हुए चुनाव कर सकते हैं। अगर हम पहले से यह निश्चित कर लेते हैं कि बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए (उदाहरण के लिए छठी या सातवीं क्लास के बच्चे को 24 नए शब्दों में से कम से कम 10 शब्दों के स्पेलिंग आने ही चाहिए) तो हम इसकी जांच मौखिक या लिखित रूप से या इन्हीं शब्दों को किसी एक पैराग्राफ या पोस्टर में से पढ़वा कर भी कर सकते हैं। जो बच्चे 10 शब्दों के भी स्पेलिंग नहीं बता सकते उन्हें अतिरिक्त अभ्यास करवाया जाना चाहिए। इस स्थिति में मूल्यांकन का मतलब बच्चे में सुधार लाना भी है।

छात्र के व्यवहार, रवैये एवं रुचि का मूल्यांकन कर और उसकी सही वृद्धि के लिए उचित अवसर जुटाकर हम बच्चों के सर्वतोमुखी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अन्य बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से उनके विचारों से बच्चे के व्यक्तित्व को और अधिक निखारा जा सकता है। औपचारिक या अनौपचारिक रूप से बच्चे की कार्यकुशलता के प्रमाण जुटाकर शिक्षक सुसंगत गतिविधियों का आयोजन कर सकता है। उनसे बच्चों की योग्यता व क्षमता को अधिकाधिक बढ़ावा मिलेगा।

विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियां और उनके परिणाम

यह सुस्पष्ट है कि मूल्यांकन के लिए कुछ न कुछ जानकारी हमें एकत्रित करनी होगी। इसे कई तरह से किया जा सकता है। जानकारी सही होनी चाहिए जिसका आप मूल्यांकन करना चाहते है। परिणाम इस प्रकार रिकार्ड किए जाने चाहिए, कि उनके आधार पर आसानी से निर्णय लिया जा सके।

छात्रों की प्रगति के प्रमाण कई प्रकार से जुटाए जा सकते हैं जैसे रोजमर्रा के कार्यकलाप से, लिखित परीक्षा से, होमवर्क से। उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं से और मौखिक परीक्षा से या उसके द्वारा किए गए प्रयोगों से, बच्चे की प्रगति के प्रमाण जुटाने में आख्यात्मक रिकार्ड का अपना विशेष स्थान है खासतौर से अशैक्षणिक क्षेत्रों में।

प्राप्त जानकारी के महत्वपूर्ण अंशों को रिकार्ड करने के लिए चेक लिस्ट आदि जैसे साधारण साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। नीचे एक उदाहरण दिया जा रहा है :

छात्र का नाम

विभिन्न गतिविधियों में अन्य बच्चों की सहायता करता है ?	हाँ/नहीं
दूसरों के अधिकारों का आदर करता है ? (दूसरों की चीजों का ख्याल रखता है ?)	
ईमानदारी से खेलता है ?	
सामूहिक गतिविधियों में सहयोग देता है ?	

इस प्रकार के प्रश्नों से हमें बच्चे के सामाजिक विकास का पता चलता है । इसी पद्धति से हम बच्चे की प्रवृत्ति और रुचि का भी मूल्यांकन कर सकते हैं ।

छात्र की प्रोग्रेस रिपोर्ट द्वारा नियमित रूप से बच्चे की प्रगति का लेखा-जोखा रखा जा सकता है । शिक्षक उसमें अपनी टिप्पणी भी लिख सकता है ।

उस जानकारी से हम बच्चे में जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं और सभी पहलुओं से उसके पूरे-पूरे विकास में सहायक हो सकते हैं । प्राथमिक स्कूलों में बच्चे विभिन्न वर्गों से आते हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिणक पृष्ठभूमि भिन्न होती है । पढ़ाई-लिखाई और मूल्यांकन को उनके पहले के अनुभवों से मेल खाना चाहिए । पढ़ाई की प्रक्रिया शायद पढ़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार बच्चे के लिए बारम्बार मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है । इससे वह अपनी सफलता या असफलता का बारम्बार अनुभव कर सकता है और शिक्षक उसकी कमियों को जान कर उन्हें दूर कर सकता है ।

अगर हम बच्चों की तुलना एक दूसरे से करते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम कमजोर हो, दूसरे बच्चे तुमसे ज्यादा होशियार हैं तो उनमें कुण्ठाएं बन जाती हैं । इसलिए हमें बच्चों की तुलना आपस में न कर बच्चे की अपनी पिछली सफलता या असफलता से करनी चाहिए ।

क्रियाकलाप-4

प्राथमिक स्तर पर छात्र की क्षमता को बढ़ाने, उनमें नए विचार भरने और उसे आधारभूत जानकारी कराने के लिए आप उसका किस-किस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

मॉड्यूल -21पी

प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या-शिक्षा

एक दृष्टिपात

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में "छोटे परिवार" को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है । उसमें कहा गया है कि यह हमारी नई शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है । "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" में "छोटे परिवार" के मानक को दस मुख्य पाठ्यक्रमीय क्षेत्रों में से एक माना गया है । छात्रों को सभी स्तरों पर इनकी पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए । इससे हम दिन पर दिन बढ़ती हुई जनसंख्या की रफ्तार को कम करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा सकेंगे । बढ़ती जनसंख्या को समस्या मूलतः हमारे देश के विकास संबंधी आवश्यकताओं से जुड़ी है । जनसंख्या एकमुखी नहीं अपितु बहुमुखी समस्या है इसलिए इसका हल बहुमुखी रणनीति द्वारा ही किया जा सकता है ।

जनसंख्या शिक्षा एक नियमावादी नीति है । इससे हम छात्रों को यह बताना चाहते हैं कि जनसंख्या और राष्ट्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच क्या रिश्ता है । आशा है कि इससे उनमें जनसंख्या के मामले के प्रति तर्कसंगत भावना जागृत होगी । वे इसे अपने परिवार के दायरे में देखेंगे, इसीलिए वे छोटे परिवार के विचार का समर्थन कर सकेंगे । **हालांकि इस विचार की सफलता बहुत हद तक छात्रों की वचनबद्धता पर निर्भर होगी ।**

इस मॉड्यूल में प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के कम से कम प्रमुख विचारों को निरूपित करने का प्रयत्न किया गया है । इसमें जनसंख्या शिक्षण के प्रभावी आदर्श को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है । इन दोनों पहलुओं का निरूपण करने के लिए इस मॉड्यूल में शिक्षण क्रियाकलापों का भी उल्लेख है । इसमें स्कूलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदमों का सुझाव भी दिया गया है ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात् और प्रस्तावित गतिविधियों को करने के बाद आप :

–प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी जाने वाली जनसंख्या शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक विचार को समझ सकेंगे ।

–जनसंख्या शिक्षा की नीति की समझ सकेंगे ।

–जनसंख्या शिक्षा के विचार को आत्मसात कर सकेंगे । विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में तत्संबंधी विषयक वस्तु पढ़कर और छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में उलझाकर उसके महत्व से परिचित करवा सकेंगे ।

शिक्षण क्रियाकलाप

यहां कुछ शिक्षण क्रियाकलाप भी प्रस्तुत किए गए हैं जिससे जनसंख्या शिक्षा के विचार को स्पष्ट किया जा सके और उसे पढ़ाने के महत्व की रेखांकित किया जा सके । ये क्रियाकलाप दो प्रकार के हैं । इनमें से कुछ क्रियाकलाप सिर्फ शिक्षकों के लिए हैं जबकि अन्य क्रियाकलाप कक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों के लिए हैं ।

क्रियाकलाप-1

आज जनसंख्या वृद्धि की समस्या चिन्ता का विषय है । आपने पढ़ा होगा कि इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है । समाचार पत्र, पत्रिकाएं व अन्य जन माध्यम इस मामले पर काफी प्रकाश डालते हैं । रेडियो और टी. वी. पर भी इसके सभी पहलुओं पर चर्चा की जाती है । आपने दीवारों और पोस्टरों पर लाल त्रिकोण देखा होगा एवं आदर्श वाक्य पढ़े होंगे । सरकारी और स्वयं सेवी एजेन्सियां भी इसका प्रचार करने में लगी हैं । वे घर-घर में "छोटा परिवार सुखी परिवार" का संदेश पहुंचाने में लगी हैं ।

अब हम आपका ध्यान इन दो विशेष प्रश्नों की ओर मोड़ना चाहते हैं :

(क) क्या जनता बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से और राष्ट्रीय विकास और मानव जीवन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है ?

(ख) ठीक है बहुत से लोग इस समस्या से परिचित होंगे पर क्या वे स्वयं परिवार को नियोजित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं ?

कुछ लोग निश्चय ही परिवार के आकार को नियोजित करने के हक में हैं और ऐसे लोगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ भी रही है । पर इनसे कहीं अधिक लोग ऐसे हैं जो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं । वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं । ऐसा क्यों ? कुछ कारण नीचे की तालिका में दिए गए हैं । अपने पूरे समूह की सहायता से आप इन कारणों की विस्तृत सूची बना सकते हैं ।

तालिका-1

"छोटे परिवार" के विचार को स्वीकार न करने के कारण
1. गरीब और अनपढ़ लोग जनसंख्या वृद्धि को समस्या की नहीं समझते ।
2. लोग नहीं मानते कि बड़े परिवारों का राष्ट्रीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।
3. गरीब और गांव वाले बच्चों को अपनी आय का साधन मानते हैं क्योंकि जितने हाथ होंगे, परिवार की आय उतनी ही बढ़ेगी ।
4. अधिकांश महिलाएं निरक्षर और अशिक्षित हैं ।
5. माता-पिता बच्चे पैदा करते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि उनके सब बच्चे जिएंगे ।
6. वृक्षारोपण, संरक्षण, साधनों का पूर्व उपयोग ।

क्रियाकलाप-2

बड़े बूढ़े लोगों की समझाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए भावी नागरिकों को जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में ही इस काम के लिए पकड़ना उचित समझा गया । जनसंख्या शिक्षा इसी दृष्टिकोण से शुरू की गई है । लेकिन जनसंख्या शिक्षा अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती । उसका अन्य विषयों में भी समावेश किया गया है । इसलिए छात्रों तक इन विचारों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में शिक्षक की भूमिका अहम् है । उसे जनसंख्या शिक्षा की विषयवस्तु और विचारों से भलीभांति परिचित होना चाहिए जिससे वह उस संदेश को छात्रों तक पहुंचा दे ।

प्राथमिक स्तर पर ये विचार और इसकी विषयवस्तु बच्चों के इर्द-गिर्द की दुनिया से जुड़ी है । उच्च स्तर के बच्चों के लिए राज्य और देश से इसे संबंधित किया जाएगा । विषय वस्तु को प्रभावपूर्ण ढंग से अन्य विषयों के साथ मिलाने के लिए सही विषयों का चुनाव महत्वपूर्ण है । प्राथमिक स्तर पर भाषा, पर्यावरण अध्ययन, समाजशास्त्र (इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सहित) और विज्ञान में जनसंख्या शिक्षा का समावेश करने पर विचार किया गया है ।

जनसंख्या शिक्षा के महत्वपूर्ण विचार और विषयवस्तु नीचे दी गई है । इन्हें किन विषयों के साथ जोड़ा जा सकता है, इस दृष्टि से आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं इसके लिए दी उदाहरणों सहित एक तालिका दी गई है । शेष बचे विचारों और विषयवस्तु का आप स्वयं वर्गीकरण कर उसे तालिका में जोड़ सकते हैं । यह बताना जरूरी है कि कई ऐसे विचार या तथ्य होंगे जिन्हें एक नहीं अपितु कई विषयों के साथ जोड़ा जा सकेगा । आप ऐसे विषयों का उल्लेख कर सकते हैं । जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विचार और विषयवस्तु :

सामाजिक और आर्थिक विकास

(क) परिवार छोटा होने पर आधारभूत आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छे से पूर्ति ।
(ख) अच्छे स्वस्थ बच्चे होना अधिक बच्चों की तुलना में कहीं बेहतर है ।
(ग) स्त्री-पुरुष की समान भागीदारिता ।
(घ) महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार ।
(ङ) शीघ्र विवाह की हानियां ।
(च) छोटा परिवार और संसाधनों सें आपका बढ़ा हिस्सा ।
(छ) बड़ा परिवार और भूमि का विभाजन ।
(ज) जनसंख्या में गति से वृद्धि और सामाजिक आर्थिक जीवन पर उसका असर ।

पर्यावरण (प्राकृतिक और सामाजिक)

(क) जनसंख्या और संसाधनों में सही संतुलन और संसाधनों का उचित प्रयोग ।
(ख) जनसंख्या वृद्धि और उसका भूमि, ऊर्जा, ईंधन, मिट्टी, पानी, वायु आदि पर दवाब एवं ध्वनि प्रदूषण, जंगलों को हानि, मिट्टी की बंजरता और पशु जीवन को भय ।
(ग) अधिक जनसंख्या, अधिक उत्पादन के बावजूद कम प्राप्ति, असंतोष और सामाजिक अपराध में वृद्धि ।

पारिवारिक जीवन

(क) छोटा परिवार, सुखी जीवन ।
(ख) अधिक बच्चे पैदा होने का मां व बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर ।
(ग) बेटी बेटे जैसी ही महत्वपूर्ण है, उसे शिक्षा का पूरा अधिकार है । मां पढ़ी-लिखी होगी तो पारिवारिक जीवन बेहतर होगा ।
(घ) पेड़ पौधे और पशुओं के जीवन की रक्षा और प्राकृतिक संतुलन ।
(ङ) उत्तरदायी माता-पिता और पारिवारिक जीवन में उनकी भूमिका ।

स्वास्थ्य एवं पोषण

(क) छोटा परिवार, बेहतर स्वास्थ्य की संभावना ।
(ख) स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा, कम बच्चों को आवश्यकता बच्चों का टीकाकरण ।
(ग) स्वच्छता, पीने का साफ पानी, संतुलित भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं ।
(घ) जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव ।

जन सांख्यिकीय विवक्षा

(क) परिवार, राज्य और राष्ट्र के स्तर पर जनसंख्या का परिमाण, ढांचा और गठन ।
(ख) मृत्युदर, शिशु मृत्युदर और जन्मदर कम करने की आवश्यकता ।
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शहरी क्षेत्रों में प्रवास का प्रभाव ।

तालिका-2

विचारों व विषयवस्तु का वर्गीकरण

संख्या	विचार/विषयवस्तु	विषय
1-	छोटा परिवार आधारभूत आवश्यकताओं को ज्यादा अच्छे से पूर्ति कर सकता है ।	समाज शास्त्र भाषा
2-	पानी, वायु और ध्वनि प्रदूषण	पर्यावरण अध्ययन विज्ञान
3-	पेड़, पौधों और पशुओं का संरक्षण	विज्ञान
4-		
5-		
6-		
7-		

क्रियाकलाप-3

जनसंख्या शिक्षा के उपरोक्त तथ्य आपके द्वारा सुझाए गए विषयों के अन्तर्गत अच्छे से पढ़ाए जा सकते हैं । हालांकि जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी । शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण तरीके अपनाने होंगे । जैसे :

विचार : उत्तरदायी माता-पिता और उनकी भूमिका

आप साँपिनी, बिल्ली और पक्षियों के व्यवहार से संबन्धित अपने अनुभव छात्रों के सामने रख सकते हैं ।

(1) बहुत बड़ी संख्या में अण्डे देने वाली साँपिनी, लेकिन बच्चों को खिलाने पिलाने और बचाने में उसकी असमर्थता, यह संतुलन को बनाए रखने का प्रकृति का अपना ढंग है ।

ब्लैकबोर्ड पर बनाइए

(2) बिल्ली अपने बच्चों को बिल्लों से बचाने के लिए उनकी गर्दन अपने मुँह में पकड़े हुए ले जा रही है । बिल्ले स्पष्टत: उनकी संख्या कम करना चाहते हैं– यह भी प्रकृति का अपना ढंग है ।

(3) चिड़ियों के जोड़े अपने परिवार में नए बच्चों के आगमन की प्रतीक्षा में मिलजुलकर अपना घोंसला तैयार करते हुए । अंडे सेते हुए और बच्चों को बारी-बारी से दाना खिलाते हुए माता-पिता, बच्चों के थोड़ा बड़े हो जाने पर माता-पिता का अलग हो जाना ताकि वे स्वयं अपना परिवार बना सकें । माता-पिता का निस्वार्थ रवैया ।

आप क्या करें ?

पहले आप अपने समूह में चर्चा कर सकते हैं कि इस प्रकरण को क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है । आप इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं :

(1) आप बच्चों को कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों, गाय, भैंसों वगैरह के बारे में अपने अनुभवों को सुनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ।

(2) क्लास में शिक्षक बच्चों के सामने पक्षियों, गाय, भैंसों या अन्य पशुओं के माता-पिता का अभिनय कर सकता है जिससे **बच्चे पशुओं के व्यवहार से आसानी से परिचित हो सकें ।**

(3) वे पक्षियों और इन्सानों के व्यवहारों की तुलना कर सकते हैं । उन्हें सुखी परिवार जीवन के लिए माता-पिता की भूमिका के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

(4) उन्हें विभिन्न परिवारों में माता-पिता की भूमिका का निरीक्षण करने के लिए कहा जा सकता हैं कि वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भले के लिए क्या कर रहे हैं ।

क्रियाकलाप-4

आप जनसंख्या शिक्षा के अन्य तरीकों की चर्चा कर सकते हैं ।

विचार : जनसांख्यिकीय विवक्षा

आप बच्चों को परिवार के आकार, प्रकार और उसकी जनसांख्यिकीय विवक्षा का महत्व बता सकते हैं ।

आप इस विचार को स्पष्ट करने के लिए ब्लैकबोर्ड पर तीन द्वीप बनाकर तीन तरह के छोटे, बड़े व मध्यम परिवारों का चित्र उपस्थित कर सकते हैं ।

(1) एक द्वीप पर दो परिवार हैं जिनके दो बच्चे हैं । एक लड़का और एक लड़की ।

ब्लैकबोर्ड पर बनाइए

या

चार्ट बनाइए

(2) दूसरे द्वीप पर भी दो परिवार हैं जिमें से एक परिवार के दो लड़कियां और एक लड़का एवं दूसरे परिवार के दो लड़के और एक लड़की है ।

(3) तीसरे द्वीप पर भी दो परिवार हैं । उनके चार-चार बच्चे हैं – दो लड़के और दो लड़कियां ।

आप क्या कर सकते हैं ?

आप अपने समूह में इससे संबंधित क्रियाकलाप का आयोजन कर सकते हैं कि तीन पीढ़ियों बाद प्रत्येक द्वीप की क्या हालत होगी ?

यह क्रियाकलाप कक्षा के लिए भी बहुत उपयुक्त है । आप निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिएगा :

1- प्रत्येक द्वीप पर दूसरी पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी का ही अनुसरण करती है । यह एक स्थायी नियम है । पहले द्वीप पर दोनों परिवारों की अगली पीढ़ी में भी दो बच्चों, दूसरे द्वीप पर तीन बच्चों और तीसरे पर चार बच्चों की परम्परा जारी रहती है ।

2- आप अपने समूह में अन्य सदस्यों की सहायता से और कक्षा में छात्रों की मदद से गिनती कर सकते हैं कि प्रत्येक द्वीप पर तीन पीढ़ियों के बाद दो परिवारों का आकार क्या होगा ?

3- प्रत्येक द्वीप पर उपलब्ध संसाधनों में पहली पीढ़ी का क्या हिस्सा था और तीसरी पीढ़ी का क्या हिस्सा होगा ?

4- प्रत्येक द्वीप पर परिवार के आकार का आंकलन करते समय आपको निम्नलिखित आंकड़े जुटाने होंगे :

(क) प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या ।
(ख) प्रत्येक परिवार में दम्पतियों की संख्या ।
(ग) तीनों द्वीपों पर कुल जनसंख्या (यह सोचते हुए कि तीनों पीढ़ियों के सभी सदस्य जीवित हैं) ।

5- बच्चे गुड्डे-गुड़िया बनाकर या चित्र खींचकर यह गणना कर सकते हैं । कुछ बच्चे गणित के रूप में यह गिनती कर सकते हैं ।

शिक्षक आगे क्या कर सकते हैं ।

(1) शिक्षक विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में तत्संबंधी अंशों को ढूँढ निकालकर छात्रों को उनसे परिचित करा सकते हैं और जनसंख्या शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं ।

(2) वे छात्र केन्द्रित नीति का अनुसरण करते हुए विभिन्न गतिविधियों की योजना बना सकते हैं और छात्रों के सहयोग से उनका आयोजन कर सकते हैं ।

(3) वे छात्रों को अपने पास-पड़ोस में सर्वेक्षण करने के लिए कह सकते हैं जिससे वे निम्नलिखित बातों को ज्यादा अच्छे से समझ सकें ।

(क) परिवार का आकार और मूलभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से वस्तुओं और सुविधाओं की उपलब्धता ।
(ख) परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं ।
(ग) आस-पड़ोस में परिवारों का आकार और पर्यावरण पर उसका प्रभाव ।
(घ) परिवार के सदस्यों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर और जीवन स्तर के प्रति उनका रवैया ।
(ङ) परिवार के आकार को प्रभावित करने वाले मूल्य और धारणाएं ।
(च) अनपढ़ स्त्रियों वाले परिवार और पारिवारिक जीवन पर उसका प्रभाव ।

छात्रों को शिक्षक द्वारा तैयार की गई एक सामान्य योजना के आधार पर आंकड़े एवं जानकारी एकत्रित करने का और क्लास में उन पर चर्चा का सुझाव दिया जाना चाहिए ।

मॉड्यूल-22 पी

प्राथमिक स्तर पर कला-शिक्षा

एक दृष्टिपात

कला जीवन के प्रत्येक पहलू को पूर्णता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है । यह शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । कला जीवन को देखने का नवीन ढंग प्रदान करती है । यह सृजनात्मक, उत्पादक तथा आनन्दपूर्ण ढंग से वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का सामना करने का एक रास्ता है ।

आजकल रटने तथा परीक्षाओं पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है । विद्यार्थी सीखने एवं ज्ञान प्राप्त करने में आनन्द नहीं लेते । स्कूल के विभिन्न स्तरों पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वह निश्चित सूत्रों, नियमों तथा विधियों पर आधारित है जिससे विद्यार्थी अपने अन्तःकरण से इनमें भाग नहीं लेते । ऐसी परिस्थिति में कला एक मुक्तिदायक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कला का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि सभी व्यक्ति अद्वितीय हैं और उनमें सृजनात्मक योग्यता होती है । वे अपनी गति, योग्यता और अनुभव के अनुसार सीखते हैं और कार्य करते हैं । इसलिए उन सबका एक ही जैसा बनना न संभव है न ही वांछनीय । प्रकृति की भाँति प्रत्येक मानक एक ऐसे वृक्ष की भांति है जिसका कोई प्रतिरूप नहीं है । स्कूली शिक्षा में कला के समावेश के विचार के अन्तर्गत सभी कलाएं आ जाती हैं । इन्हें हम मोटे तौर पर तीन समूहों में बाँट सकते हैं (1) दृश्य-श्रव्य (2) प्रदर्शनात्मक एवं (3) भाषा संबंधी कला । पहले समूह में आती है– चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, मिट्टी या चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने की कला । दूसरे समूह में संगीत, नृत्य, नाटक और तीसरे समूह में कविता, लेखन आदि की कला का समावेश किया जा सकता है ।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप

–इस विषय की तथा सृजनात्मक प्रोत्साहन हेतु समस्याओं की जानकारी कर सकेंगे ।

–शिक्षा के अपने वर्तमान उपागम में सुधार ला सकेंगे ।

–कक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का गठन कर सकेंगे । कला की शिक्षा बच्चे की संप्रेषण के विभिन्न मौखिक और गैर मौखिक साधनों की खोज करने तथा उसे अपने ही ढंग से व्यक्त करने में प्रोत्साहित करती है । यह उसके परिवेश के प्रेक्षण और निरीक्षण द्वारा उसकी ज्ञानेन्द्रियों को प्रबुद्ध करने तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री के निरीक्षण के माध्यम से प्राथमिकता को खोजने में उसकी सहायता करती है ।

–कला शिक्षा उसे अपनी अभिव्यक्ति का निजी रूप से ढूंढ़ने व खोजने में योगदान देती है । कला शिक्षा की सहायता से वह अपने परिवेश या स्थान सें प्रचलित विभिन्न कलाओं की जानकारी प्राप्त करती है । विभिन्न यंत्रों/उपकरणों तथा अन्य कला सामग्री के प्रयोग की कुशलताओं को विकसित कर सकती है । यह रंग-रूप, रेखाओं, गति, ध्वनि आदि की खोज करने की प्रक्रिया में सहायक हो सकती है और उसमें निजी हाव-भाव, घर, विद्यालय तथा समुदाय को व्यवस्थित करने का गुण भर सकती है ।

बाल केन्द्रित दृष्टिकोण

कला-शिक्षा पढ़ाई को आनन्दकारी बनाती है और उसकी उत्सुकता बनी रहती है । यह विद्यार्थी एवं अध्यापकों को अवसर प्रदान करती है कि वे सृजनात्मक ढंग से मिलजुलकर काम कर सकें । मानव इस भौतिक और अभौतिक संसार को प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, सुगन्ध, अनुभवों और ज्ञान के द्वारा जानता है । प्रभावी जानकारी एवं विकास प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा होता है । उस समय शिक्षा और जानकारी उत्कृष्ट होती है जब इसमें सभी ज्ञानेन्द्रियों, संवेगों तथा शारीरिक बोधात्मक क्षमताएं भाग लें । इसलिए कलाओं की शिक्षा में प्रेक्षण, परिवर्तन की अभिलाषा, विचारों का बोध तथा इन विचारों और संवेगों का विकास करने के लिए कौशल आदि सबकी आवश्यकता है । वह शिक्षा जो मात्र सुनने और पढ़ने पर आधारित हो, आंशिक शिक्षा होती है । जिसका परिणाम थोथा ज्ञान होता है । कलाएं ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अनुभव प्रदान करती हैं और इस प्रकार वाह्य और आंतरिक संसार के बीच की खाई को पाटने का कार्य करती हैं विद्यार्थी जो कुछ जानते हैं उन्हें उसे व्यक्त करने का अवसर देने को आवश्यकता है । अभिव्यक्ति में पिछले अनुभवों, प्रसंगों, विचारों और संकल्पनाओं को व्यवस्थित रूप में व्यक्त किया जाता है ।

अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है । लोग एक ही फूल को भिन्न-भिन्न रूपों में देखते हैं । कोई इसके रंग को पसंद करता है, तो कोई उसकी सुगन्ध पर मुग्ध होता है, कोई आकार तथा रूप की प्रशंसा करता है तो कोई उसकी संरचना की, कुछ लोग उसकी संवृद्धि पर मोहित होते हैं । कोई अकेला तरीका सर्वोत्तम या ठीक नहीं माना जाता । प्रत्येक व्यक्ति का

देखने और सोचने का अपना ढंग है । और सम्भवतया अपने जीवन को सुधारने की प्रत्येक की अपनी कसौटी है । शिक्षा के क्षेत्र में कलाएं विद्यार्थियों की इस बात का विरल अवसर देती हैं कि वे एक दूसरे से भिन्न भी हो सकें और साथ ही बिना सही या गलत हुए अपना योगदान दे सकें । इसमें अध्यापक की भूमिका यह है कि वह बच्चों को बिना भय तथा प्रतियोगिता के सीखने की दिशा में अनुकूल प्रोत्साहन दें । कोई भी भाषा केवल पढ़ने से ही नहीं सीखी जा सकती । उस पर सच्चा अधिकार तो उसे बोलने, लिखने और उसके साहित्य को पढ़ने से ही होता है । यह बात सभी भाषाओं पर लागू होती है ।

बच्चे द्वारा वाह्य प्रभाव के बिना की गई अभिव्यक्ति का आदर किया जाना चाहिए ।

संगीत, चित्र कला, त्रिविमीय रूप, गति तथा अभिनय आदि ये सभी कला की भाषाएं हैं जिनका विकास मानव ने अपने परिवेश को समझने के लिए किया है । साहित्य की भाषा शब्द होते हैं और अंकगणित की भाषा संख्याएं होती है । कलाएं वे अन्य भाषाएं हैं जिनका सृजन परिवेश के अन्य पक्षों को समझने और अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है । इन भाषाओं में से किसी एक के भी विकास के लिए अवसरों का अभाव संपूर्ण मानव सामर्थ्य की संवृद्धि को रोक सकता है ।

प्रक्रिया तथा कला संबंधी क्रियाएं

स्कूल में सिखाई जाने वाली कला की तुलना संग्रहालयों में रखी गई कला-कृतियों, सिनेमा घरों, नाटकगृहों, शास्त्रीय नृत्यों व संगीत प्रदर्शनियों, विज्ञापन पोस्टरों, वास्तुकला, संगीत, मुशायरों या कवि सम्मेलनों से नहीं की जा सकती । स्कूली कला-शिक्षा स्थानीय लोक कला, शिल्प कला तथा लोक रंगमंचन के समीप है । यह उस चित्रकला से भिन्न है जो हम अपने स्कूली काल में नकल लगाकर सीखी थी या जो कलाकृतियाँ मूर्धन्य कलाकारों ने अजन्ता तथा एलोरा में, मुगल या राजपूत शैली में या श्री नन्द लाल बोस या टैगोर ने बनाई है । हम अपने समय से ऐसे फूल पौधों, ज्यामिति आकारों या दृश्यों के ऐसे चित्र बनाते रहे हैं जो भावना, विचार और अनुभूति शून्य थे । रचनात्मक कला का अर्थ-कारीगरी से संबंधित या व्यवसाय प्रेरित गतिविधियों से नहीं है । रचनात्मक कला के अन्तर्गत हम जो कुछ भी करेंगे उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य भिन्न होगा ।

स्कूल में सृजनात्मक कला कार्यक्रमों में बच्चे सहज भाव से खेल-खेल में विभिन्न कलाकृतियां बनाते हैं जिनमें बच्चा अपने दैनिक अनुभवों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों और सामग्री से व्यक्त करता है और इसके द्वारा अपनी भावनाओं, विचारों, भावों और कल्पनाओं को मूर्त रूप देता है ।

ऐसे अनुभवों में यह जरूरी नहीं कि कोई ठोस मूर्त कलाकृति का निर्माण हो । कला शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है : छात्र का अनुभव और कुछ बनाने की क्रिया ।

कला शिक्षा के स्रोत

स्कूल के कला संबंधी कार्यक्रम में क्षेत्रीय सुगंध होनी चाहिए । कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत, कविता, नृत्य, रंगमंच और अन्य रूप मानव जीवन के अंग हैं । यह कोई नई बात नहीं है । यह मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग है । स्थानीय परिवेश और कलाओं से बच्चे का परिचय स्कूल कला कार्यक्रम की अनिवार्य क्रिया है ।

व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कलाएं इस बात का अवसर देती हैं कि इस क्षेत्र में अतीत और वर्तमान में मानव के योगदान का अध्ययन किया जा सके और उसको सराहा जा सके । संगीत, चित्रकला, नृत्य और रंगमंच की अनुशंसा की सीखने से व्यक्ति में अन्य संस्कृतियों से संबंधित लोगों के प्रति संवेदना विकसित होती है और उन्हें वे अधिक अच्छी प्रकार से समझता है । अनुशंसा की भावना से ही हम एक समेकित समाज या उत्पादक राष्ट्र या विश्व का निर्माण कर सकते हैं । यह जरूरी है कि स्कूली कला कार्यक्रम में बच्चे को क्षेत्रीय कलाओं की परंपराओं से परिचित करवाया जाय । इससे प्राप्त शक्ति और विश्वास के आधार पर उसके लिए दूसरों की संस्कृति तथा योगदान के प्रति आदर दर्शाना संभव होगा ।

बच्चे की मातृ भाषा उसकी अभिव्यक्ति का निकटतम और सर्वप्रिय माध्यम है । इस संदर्भ से गीत, लोरियां, रीति-रिवाज उनके घरों की दीवारों पर बने चित्र, उनके क्षेत्र के हाव-भाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें भी स्कूली कार्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए ।

कला शिक्षा में मूल्यांकन

तुलना, प्रतियोगिता या परीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की वाह्य प्रेरणा कला शिक्षा के आधार-भूत उद्देश्य के विपरीत है ।

मूल्यांकन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए :–

1. विभिन्न प्रकार के माध्यमों या सामग्री तथा विधियों द्वारा अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंगों में रुचियों या पहल की जाँच ।
2. तात्कालिक प्रबन्ध, विस्तार गठन व्यवस्था, आत्मानुशासन तथा सौंदर्य-बोध का आंकलन ।

यहाँ निःसंदेह इस बात पर विचार करना होगा कि कक्षा में बच्चे को चयन और स्वतंत्रता के कितने अवसर प्रदान किए गए हैं ।

सृजनात्मक क्रिया के कुछ पक्षों के मूल्यांकन में व्यक्तिगत क्रियाओं के बजाय सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सृजनात्मक कला क्रियाएं चाहे अकेले की जाएं या समूह में, उनमें विविध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया व विमर्श का हमेशा स्थान रहता है जो कि पदार्थों के प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन में स्पष्ट दिखलाई देना है। मूल्यांकन में ऐसे प्रदर्शनों में सहभागिता की भी परखा जाना चाहिए।

क्रियाकलाप-1

कला शिक्षा में मूल्यांकन के लिए संचयी रिकार्ड हेतु एक कार्ड या फार्म बनाइये।

प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में कलाओं में उपलब्धि का आंकलन संचयी रिकार्ड में उल्लिखित होना चाहिए और बच्चे को दिया जाना चाहिए।

पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं (1-5) के लिए कला-शिक्षा

छोटे बच्चों मे लय, लालित्य, जिज्ञासा तथा आनन्द के लिए स्वाभाविक रुचि होती है। इसलिए कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में इन क्षमताओं का निर्माण और विकास कर सके तथा शिक्षा का आनन्द लेने के लिए प्रेरित कर सके।

शिक्षा के इस चरण में विद्यार्थी विश्व का प्रेक्षण तथा उसकी खोज करना सीखता है। कला शिक्षा उसके अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए। इस स्तर पर छात्र की पेचीदा तकनीक और कुशल प्रदर्शनों में रुचि नहीं होती। इसलिए इस स्तर पर किसी विशेष तकनीक तथा विशेष कौशल की शिक्षा देना अनावश्यक है।

बच्चों को इस बात का अवसर देना चाहिए कि वे अभिव्यक्ति की भावना और ढंग को ध्यान में रखते हुए अपनी मनपसंद सामग्री और माध्यम का चुनाव कर सकें। बच्चों को कई प्रकार की सामग्री और माध्यम दिए जाने चाहिए जो साधारण, आकर्षक और स्थानीय रूप में उपलब्ध हों। प्राकृतिक सामग्री जैसे मिट्टी, रेत, फूल, पत्ते आदि में सौंदर्यात्मक गुण होते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त हैं।

घर तथा स्कूल के अनुभव बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे अपने मन पसंद माध्यम द्वारा इन अनुभवों की व्यक्त करें।

बच्चों को नकल कर चित्र बनाने के लिए नहीं कहना चाहिए बल्कि उन्हें स्वयं करने की प्रक्रिया और स्वयं सृजन करने का आनन्द लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण तथा मोहक होना चाहिए।

प्रस्तावित एकीकृत कला कार्यक्रम

प्राथमिक पाठशालाओं में कला शिक्षा की क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। कई बार अनेक क्रियाओं को मिलाकर चलाया जा सकता है।

(क) विषय मूलक क्रियाएं

बच्चों को यह कहा जा सकता है कि वे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का वर्णन करें या बताएं कि वे अभिनय ध्वनियों तथा चित्रों की सहायता से स्कूल में क्या सीख सकते हैं। अनेक प्रकर की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें विभिन्न योग्यताओं के लिए अवसर मिल सके।

(ख) समेकित दृष्टिकोण

विषय मूलक गतिविधियों को अन्य स्कूल क्षेत्रों सें समेकित किया जाना चाहिए। ऐसा उपागम एक-शिक्षक-पाठशाला के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। कला क्रियाएं (जैसे अभिनय, स्वांग, संगीत तथा अन्य सृजन कार्य) बच्चों को दूसरे विषयों में ज्ञान देने में भी सहायक होती हैं। सृजनात्मक चित्राभ्यास, अक्षर-गीत, गणना, वर्गीकरण और खेल आदि द्वारा भी बच्चे पढ़ाई सें आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।

माध्यम मूलक क्रियाएं

कला-शिक्षा स्वयं में एक अनूठा अनुभव है। इसमें साधारण स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मिट्टी, पत्थर, घास, पत्ते, त्रिपार्श्व गत्ते के प्रयोग से विभिन्न वस्तुएं बनाना, कागज, भूमि, रेत और दीवारों पर रंग, चाक व कोयले से चित्र बनाना या अन्य रद्दी सामग्री से तरह-तरह की चीजें बनाना।

लयात्मक गतियाँ, स्वांग तथा संगीत आदि क्रियाएं

लयात्मक गतियाँ तथा स्वांग आनन्द अभिव्यक्ति तथा शिक्षा का स्रोत हैं । ये गतियां सरल लयात्मक तालों तथा नकली उपकरणों या कंठ ध्वनियों के साथ की जा सकती हैं । इस स्तर पर यह जरूरी नहीं है कि गतियों एवं संगीत की अलग-अलग लिया जाए ।

सभी गतियां और ध्वनियां लयात्मक अनुभव हैं । फिर भी कुछ ध्वनि-अभ्यास ऐसे करवाए जा सकते हैं, जिनसे :

1. सुन कर और बोल कर ध्वनियों में भेद किया जा सके ।
2. लय के लिए समय व ताल का समायोजन किया जा सके ।
3. ध्वनि के उतार-चढ़ाव की नियंत्रित किया जा सके ।
4. विभिन्न प्रकार की लयात्मक ध्वनियों का सृजन किया जा सके ।
5. ध्वनियों के संसार का वर्णन किया जा सके ।

छोटे बच्चे समूहगान का बहुत अधिक आनन्द लेते हैं । कुछ विषयों के उदाहरण यहां दिए गए हैं । आप अपनी सूची तैयार कर सकते हैं ।

—गाड़ी, घर, पशु, वृक्ष, परिवार के सदस्य, डाक्टर, सिपाही, बस-चालक, तांगे वाले, खोमचे वाले आदि के खेल खेलना ।
—निम्न दृश्यों का अभिनय— खाना पकाना, जन्म दिन उत्सव, शादी, खेती, कटाई-बुवाई, हल जुताई, रेलवे स्टेशन तथा त्यौहार ।
—अनुभवों का पुनरावलोकन ।
—वर्षा, आंधी या किसी अन्य बात की कल्पना ।

प्रेरक गतिविधियां

प्रेरणादायक अनुभवों जैसे विचार विनिमय, स्कूल के बाहर स्थानों का भ्रमण, त्यौहारों में सहभागिता तथा अपनी रुचि की वस्तुओं के संग्रह आदि से पूर्व कक्षा में कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

कठपुतली का खेल तथा लोक कला प्रदर्शन

कठपुतली के खेल तथा लोक कला देखने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए । उन्हें कठपुतली आदि बनाने तथा स्वतंत्र रूप से ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।

मॉड्यूल-23 पी

प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव

एक दृष्टिपात

इस मॉड्यूल द्वारा आपको सभी स्तरों पर स्कूल शिक्षा के आवश्यक अंग के रूप में कार्यानुभव के कार्यक्रम को समझने में सहायता मिलेगी। इसके द्वारा आप कार्यानुभव के अर्थ तथा विस्तार एवं उसके क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका तथा सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता से परिचित हो सकेंगे।

इस मॉड्यूल को पढ़ने तथा उसमें प्रस्तावित क्रियाकलापों को करने के बाद आप समझ सकेंगे कि कार्यानुभव का लक्ष्य है : भावी नागरिकों में वैयक्तिक योग्यता, गौरव और दक्षता की प्रखर भावना उत्पन्न करना और उनमें आत्मोत्कर्ष तथा समाज सेवा की भावना को सुदृढ़ करना। कार्यानुभव संबंधी कार्यकलापों के रूप के मानदंडों से आपको उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए सर्वाधिक उपयोगी क्रियाओं के चुनाव में सहायता मिलेगी। सुझाए गए क्रियाकलापों की सूची से आप यह जान सकेंगे कि कार्यानुभव का पाठ्यक्रमीय क्षेत्र कितना बड़ा है।

आगे के पृष्ठों में आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल में लिखने और बोलने की पद्धति के बजाय कार्य करने की पद्धति का अनुसरण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपको कई अवसर दिए जाएंगे जिससे आप क्रियाकलाप में सक्रिय भाग लेकर अपनी योग्यता दिखा सकेंगे। विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नमूने के तौर पर आपको कुछ सामग्री दे दी जाएगी जिससे आप स्कूल लौटने पर तुरन्त काम शुरू कर सकें।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आप :

- —कार्यानुभव कार्यक्रम के विचार, लक्ष्य और विशिष्ट लक्षणों को समझ सकेंगे और उन पर चर्चा कर सकेंगे।
- —उपर्युक्त कार्यानुभव संबंधी कार्यकलापों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित कर सकेंगे।
- —कार्यानुभव संबंधी उत्पादनों को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने के तरीके निकाल सकेंगे।
- —कार्यानुभव कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहयोग के बारे में जानने तथा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकेंगे।
- —सही तरीके से कार्यानुभव संबंधी कार्यक्रमों की योजना बना कर उन्हें क्रियान्वित कर सकेंगे।
- —छात्रों को सक्रिय रूप से व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों में शामिल कर सकेंगे।

कार्यानुभव का अर्थ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के विचार के महत्व को पुनः स्वीकृत किया गया है और इसे "कार्यानुभव" का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित नीति-वक्तव्य इस प्रकार है :

> "उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक कार्य की दृष्टि से कार्यानुभव को, जो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है और जिसका परिणाम किसी सामग्री के रूप में अथवा समाजोपयोगी सेवा के रूप में प्राप्त होता है, शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक घटक के रूप में माना जाता है। कार्यानुभव सुनियोजित तथा स्तरीकृत कार्यक्रमों के रूप में करवाया जाना चाहिए।"

इसमें छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं तथा शैक्षिक स्तर के अनुरूप कार्यों का समावेश किया जाता है। यह अनुभव कार्य जगत में उनके प्रवेश होने पर सहायक सिद्ध होता है। यदि छात्र निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेता है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आसानी से चुनाव कर सकेगा।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि कार्यानुभव की परिभाषा निम्न बातों की पुष्टि करती है :

1. सीखने की प्रक्रिया में कार्य का विशेष महत्व।
2. कार्य से प्राप्त उत्पादन अथवा सेवा की आवश्यकता।
3. विद्यालय में तथा उसके बाद कार्य की सर्वव्यापकता।
4. सुनियोजित तथा स्तरीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता।
5. छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं से मेल खाती गतिविधियों की जानकारी।
6. शैक्षिक स्तर के अनुरूप दक्षता का स्तर बढ़ाना।

प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5)

प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विविध प्रकार के कार्य दिए जायेंगे । इन बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के अनुकूल विविध प्रकार के कार्यों की सूची तैयार की जानी चाहिए । विद्यालय के प्रधान-अध्यापक को चाहिए कि वे उस सूची में से उन 40-50 कार्यों को चुन लें जो इस स्तर पर निर्धारित समय में पूरे कराए जा सकें । इस स्तर पर कार्यानुभव के लिए पूरे शिक्षण काल का 20 प्रतिशत समय निर्धारित है ।

शिक्षा के इस स्तर पर कार्यानुभव के उद्देश्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के ही समान हैं । विशेषतः स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण-स्वच्छता तथा सौंदर्य-प्रियता पर बल दिया जाना चाहिए और बच्चों में कार्य जगत के प्रति चेतना विकसित की जानी चाहिए । एक अच्छा कार्यक्रम वही है जिससे बच्चे में वांछनीय अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास हो सके और बच्चे को काम करने की आदत पड़ सके ।

क्रियाकलाप-1

क्या आप स्कूल में कुछ ऐसी कार्य-स्थितियों का सुझाव दे सकते हैं जिनमें कार्यानुभव संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा सकें ? ऐसी कार्य-स्थितियों की सूची तैयार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

छोटे बच्चे स्कूल, घर तथा समुदाय के कार्यों में भाग लेने में आनन्द का अनुभव करते हैं ।

क्रियाकलाप-2

क्या आप स्कूल के बाहर कुछ कार्य-स्थितियों की सूची बना सकते हैं जिनमें कार्यानुभव संबंधी कार्य निर्धारित समय में आयोजित किए जा सकें ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

गतिविधियों का चुनाव

कार्यानुभव कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ कार्यों के सही चयन पर निर्भर करती है . प्राथमिक स्तर पर ये गतिविधियां बच्चों के लिए बहुत सरल और आनंददायक होनी चाहिए । ये पर्यावरण अध्ययन के रूप में होनी चाहिए । इनमें कार्य-स्थितियों, कार्य की प्रारम्भिक प्रक्रियाओं और स्थानीय तथा कम मूल्य की चीजों द्वारा रोचक और आत्माभिव्यक्ति संबंधित क्रियाओं के माध्यम से बच्चों द्वारा निराली वस्तुएं बनाई जानी चाहिए ।

गतिविधियों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे अपनी कल्पना की मूर्त रूप देने में आनन्द का अनुभव कर सकें । गतिविधियों से निम्न लाभ हो सकते हैं :

–उन्हें चीजों और उपकरणों का प्रयोग करना आएगा ।
–वे विभिन्न कार्य-स्थितियों में बड़ों की सहायता कर सकेंगे ।
–वे सामूहिक स्थितियों में कार्य में भाग लें सकेंगे ।
–वे व्यक्तिगत् जिम्मेदारी निभा सकेंगे ।

शिक्षार्थियों के कार्यों के चुनाव में उन कार्यों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो उनकी परिपक्वता- स्तर के अनुकूल हों, उनकी उत्सुकता को पूरा करें और जिनमें वांछित कार्यों तथा सामाजिक मूल्यों की विकसित करने की क्षमता हो ।

प्रत्येक कार्य के तीन आयाम हो सकते हैं :

1. कार्य-स्थितियों का प्रेक्षण और समस्याओं की पहचान ।
2. कार्य-स्थितियों में प्रतिभागिता और व्यर्थ सामान को उपयोगी तथा सुन्दर वस्तुओं में बदलना ।
3. बड़ी संख्या में उपयोगी तथा सुन्दर वस्तुओं का निर्माण करना ।

अब आप विभिन्न गतिविधियों तथा उनके चुनाव की कसौटी से परिचित हो गए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए :

क्रियाकलाप-3

क्या आप अपने विद्यालय में कुछ कार्यानुभव संबंधी गतिविधियों के बारे में सोच सकते हैं ? ऐसी गतिविधियों की सूची बनाइये ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप सभी अनुभवी अध्यापक हैं। आप आसानी से अपने वर्ग में से कुछ ऐसे सहयोगियों को चुन सकते हैं जो किसी विशेष कार्य में प्रवीण हों और पूरे समूह के सामने अपने कार्य को प्रदर्शित करना चाहते हों।

क्रियाकलाप-4

ऐसे प्रवीण अध्यापकों को तथा उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

साथी प्रतिभागियों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर एक सत्र का आयोजन किया जाएगा।

क्रियाकलाप-5

4-5 ऐसे कार्यों की छाँटें जिन्हें आप सभी स्वयं करना और सीखना चाहेंगे।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

आप अपने को छोटे-छोटे समूहों जैसे 5-5 की संख्या में विभक्त कर लें। उपर्युक्त कार्यों में से एक या दो को चुन लें और उन्हें सम्बन्धित प्रवीण अध्यापक प्रतिभागी के निर्देशन में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से करना शुरू कर दें।

कार्यानुभव के अध्यापक

आपके विद्यालय में भाषा, विज्ञान, गणित तथा अन्य विषय पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं किन्तु कार्यानुभव के लिए कोई विशेष अध्यापक नहीं है। तब कार्यानुभव कौन पढ़ाएगा और उससे संबंधित कार्यों का आयोजन कौन करेगा ? कार्यानुभव एक ऐसा पाठ्यक्रमीय विषय है जिसमें विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक भाग ले सकता है। इसमें संदेह नहीं कि किसी विशेष कार्य या कौशल में प्रशिक्षित अध्यापक की सेवाएं उत्पादनोन्मुख कार्यों को संपन्न करने में विशेष उपयोगी होंगी किन्तु प्रत्येक विषय के अध्यापक अपने विषय से संबंधित विविध कार्यों के बारे में सोच सकते हैं और उसकी योजना बना सकते हैं। इन विषयों पर आधारित कार्यों से छात्रों को सीखने में सहायता मिलेगी। कार्यानुभव कार्यक्रमों में कला शिक्षक की सेवाओं का उपयोग अवश्य होना चाहिए।

क्रियाकलाप-6

क्या ऐसे कार्यानुभव संबंधी कार्य सुझा सकते हैं जो विभिन्न विषयों के अध्यापकों द्वारा आयोजित किए जा सकें ? प्रत्येक विषय पर आधारित ऐसे कार्यों की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

एक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्य कराने के लिए आप छात्रों को पाँच कक्षाओं में नहीं बाँट सकते। आप बच्चों के दो-तीन समूह बना सकते हैं जो इतने ही कार्यों में लग सकते हैं। बड़े बच्चों की सहायता लीजिये जो कार्य करने में छोटे बच्चों का मार्ग दर्शन कर सकें।

संसाधन

निम्संदेह कार्यानुभव कार्यक्रम के लिए विद्यालय की प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, किन्तु आपको स्वयं भी कार्यानुभव कार्यों को चलाने के लिए सामुदायिक संसाधनों की खोज करनी होगी।

क्रियाकलाप-7

समुदाय में उन सुलभ संसाधनों के बारे में सोचिए जिन्हें विद्यालय के कार्यानुभव-कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों (मानव तथा पदार्थ दोनों) की सूची बनाइए।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

कार्यानुभव उत्पादनों का निपटान

अनेक कार्यानुभव कार्यों के फलस्वरूप कुछ निश्चित सामग्री तैयार होगी। उसकी बिक्री के लिए उचित साधन होने चाहिए। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि उस सामग्री की मांग का पहले से अनुमान लगाकर सामग्री का उत्पादन किया जाय। सामग्री की बिक्री के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे विद्यालय का सहकारी भंडार, विद्यालय के समारोहों के अवसर पर वस्तुओं की प्रदर्शनी और विक्रय की व्यवस्था तथा स्थानीय दुकानदारों, दूसरे विद्यालयों और संगठनों द्वारा चीजें बेचने की व्यवस्था।

कार्यानुभव-उत्पादनों को शीघ्र बेचना बहुत जरूरी है, विशेषत: उन चीजों को जो थोड़े समय में ही खराब हो जाती हैं, जैसे-फल, सब्जी, दूध, दूध से बने पदार्थ तथा अण्डे आदि । कार्य हांथ में लेने से पहले कुछ चीजों की माँग के उचित समय का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे– ग्रीटिंग कार्ड्स, राखी, ऊनी कपड़े, आइसक्रीम आदि ।

मूल्यांकन

मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए । संबंधित शिक्षक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन करते रहना चाहिए और उसका उल्लेख छात्र के रिपोर्ट कार्ड में करना चाहिए । सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्यांकन एक साथ होना चाहिए । वास्तविक व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ।

कार्यानुभव के मूल्यांकन को वही महत्व और सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे विषयों के मूल्यांकन को दिया जाता है । प्राथमिक स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन में उनके अभिवृत्ति विकास की सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए ।

क्रियाकलाप-8

कार्यानुभव में मूल्यांकन प्रपत्र का क्या रूप हो, इसके बारे में सोचिए । अपने विद्यालय में लागू करने के लिए विस्तृत तथा व्यावहारिक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कीजिए ।	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव

इस स्तर पर कार्यानुभव तीन विषयों पर आधारित होगा : (1) पर्यावरण अध्ययन और प्रयोग (2) सामग्री, औजारों व तकनीक का प्रयोग और (3) कार्याभ्यास । छोटे बच्चे अपने पर्यावरण की खोज करने में आनन्द लेते हैं । वे घर तथा विद्यालय दोनों जगह अनेक कार्यकलापों में भाग लेना चाहते हैं ।

अत: प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव निम्नलिखित रूप से सहायक होना चाहिए :

–कार्य-जगत के प्रति जागरूकता विकसित करना ।
–उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदत की बढ़ावा देना ।
–स्थानीय पर्यावरण और उसमें उपलब्ध रोजगारों से परिचित कराना ।
–सृजनात्मक आत्म-अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान कराना ।
–कार्य-नैतिकता का विकास करना, जैसे–समय पालन, अनुशासन, सहयोग, ईमानदारी आदि ।

प्रस्तावित कार्य

(क) पर्यावरण अध्ययन

स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान जैसे पेड़, पौधे, फूल, पक्षी, पशु, कीड़े, मकोड़े आदि । घर तथा कक्षाओं की सफाई और सजावट, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत चीजों की सुव्यवस्था, कार्य स्थलों, सांस्कृतिक तथा मनोरंजनकारी स्थानों पर जाना, आदि आदि ।

(ख) सामग्री, औजार एवं तकनीक का प्रयोग

दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बनाने के लिए कच्चे माल से अवगत होना, घरेलू सीने-पिरोने के उपकरणों का उचित प्रयोग, साबुन, धुलाई के पाउडर, कृमिनाशक दवाओं का ज्ञान, सामान्य बागवानी के औजारों का इस्तेमाल, भोज्य पदार्थों का ज्ञान, रंग, पेंट, ब्रुश आदि का प्रयोग, खड़िया, पत्र, कार्ड-बोर्ड, पत्तियों व फूलों का इस्तेमाल ।

(ग) कार्याभ्यास

ड्राइंग, पेंटिंग, आत्माभिव्यक्ति संबंधी कार्य, कागज का काम, मिट्टी के खिलौने बनाना, विभिन्न उत्पादन कार्यों में काम आने वाले सामानों का संग्रह, कार्ड-बोर्ड की चीजें बनाना, गमलों में पौधे लगाना, कक्षा की सफाई, सुई-कैंची का प्रयोग, खान-पान और स्वच्छता की आदत, जैसे कार्य लिये जा सकते हैं ।

प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण

भाषा का सीधा संबंध जीवन से है । मातृभाषा विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र नहीं है अपितु छात्रों के जीवन का अविभाज्य अंग है । मातृभाषा उन्हें उनके परिवार व समाज से जोड़ने वाली कड़ी तथा उनकी अभिव्यक्ति व विचारों का माध्यम हैं । बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अधिक सहायता मातृभाषा से ही मिलती है । राष्ट्रीय संस्कृति की प्रमुख वाहिका भी मातृभाषा हैं । इसके साथ यह विद्यालय के अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम भी है । अतः मातृभाषा को किसी एक घंटे का नहीं अपितु दिन भर का विषय समझना चाहिए । इसकी विषय वस्तु भी बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए काफी विस्तृत होनी चाहिए। मातृभाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है अतः यह आवश्यक है कि बच्चों के भाषा-संबंधी विभिन्न प्रकार के सामूहिक तथा वैयक्तिक अनुभवों द्वारा भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता दी जाय ।

यद्यपि मातृभाषा-शिक्षण कई बातों में अन्य भाषाओं के शिक्षण के समान ही है पर फिर भी इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं । संपूर्ण भाषा-शिक्षण द्वारा अनेक प्रकार की भाषा-संबंधी दक्षताएं एवं योग्यताएं विकसित की जाती हैं, जिन्हें मोटे तौर से निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है :

1. यांत्रिक योग्यता
2. अर्द्ध-यांत्रिक योग्यता
3. चिंतनात्मक तथा सृजनात्मक योग्यता

भाषा सीखते समय, भाषा की यांत्रिक योग्यता को प्राप्त करना शिक्षार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इनमें शुद्ध वर्तनी, सुलेख आदि की योग्यता निहित है । इस योग्यता के लिये मांसपेशियों का नियंत्रित संयोजन आवश्यक है जिसे पर्याप्त प्रशिक्षण तथा समय देने पर, सभी शिक्षार्थियों को संतोषजनक रूप से सिखाया जा सकता है ।

कुछ अर्द्ध-यांत्रिक योग्यतायें ऐसी हैं जो भाषा के प्रयोग से स्वतः आती हैं किन्तु वहां भी वैचारिक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक है । इस प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं के उदाहरण हैं– पारस्परिक वार्तालाप, पठन तथा लेखन । यह हम बिना किसी प्रयत्न के करते हैं । किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण व लेखन यांत्रिक कुशलता है । किसी शब्द की उपयुक्त प्रसंग में प्रयोग में लाना प्रारंभ में तो यांत्रिक रूप से नहीं होता, पर अत्यधिक प्रयोग से बहुत से शब्द हमारे होठों पर चढ़ जाते हैं अथवा कलम द्वारा स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं ।

सभी भाषाओं की यांत्रिक तथा अर्द्ध-यांत्रिक योग्यताएं समान होती हैं, चाहे उन्हें मातृभाषा के रूप में सिखाया जाय अथवा द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में । मातृभाषा-शिक्षण का उद्देश्य यांत्रिक एवं अर्द्ध-यांत्रिक योग्यताओं को सिखाने से कहीं अधिक व्यापक है । मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को भाषा के प्रयोग में चिंतनात्मक तथा सृजनात्मक स्तर पर पहुंचाना है । भाषा-शिक्षण में भाषा का वैचारिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है । यदि हम अपने बच्चों में मातृभाषा में ठीक ढंग से सोचने तथा महसूस करने की योग्यता का विकास नहीं कर सकते तो हम भाषा-शिक्षण के कार्य सें पूर्णतया असफल रहेंगे ।

भाषा पढ़ाते समय आवश्यक है कि भाषा की दक्षता तथा योग्यता के तीनों पक्षों को समान महत्व दिया जाय । होना तो यह चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं अर्थात् पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक बच्चा सभी यांत्रिक दक्षताओं को सीख ले और आठवीं कक्षा के अन्त तक सभी यांत्रिक एवं अर्द्ध-यांत्रिक कुशलताओं में परिपक्वता प्राप्त कर ले । इतना हो जाने पर माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षक स्वतंत्र रूप से अपना समय तथा शक्ति बच्चों के राष्ट्रीय तथा भावनात्मक व्यक्तित्व-निर्माण में लगा सकते हैं । इस पक्ष को सबल बनाने में मातृभाषा का बहुत बड़ा हाथ है । इस तरह मातृभाषा-शिक्षण द्वारा भाषा सम्बन्धी ज्ञान तथा उसका उपयुक्त प्रयोग, दोनों ही पक्षों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सकेगा ।

सुविधा के लिए भाषा संबंधी योग्यताओं का विभाजन सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की योग्यताओं में किया जाता है पर ये सभी योग्यतायें परस्पर संबंधित हैं अतः यह संभव नहीं कि हम बच्चों में सुनने की योग्यता का विकास, बोलने की योग्यता के विकास के बिना कर सकें । इसी तरह लिखने की योग्यता का विकास, पढ़ने की योग्यता के विकास के बिना नहीं हो सकता । पढ़ने की योग्यता के अन्तर्गत अन्य अनेक योग्यतायें भी सन्निहित हैं जो न केवल भाषायी दक्षताओं से संबंधित हैं बल्कि उनका संबंध व्यक्ति के अंतरंग से है । इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मातृभाषा की शिक्षा में केवल पढ़ने और लिखने पर ही बल न देकर भाषा संबंधी सभी योग्यताओं में विकास का प्रयास करना चाहिए ।

पढ़ना कैसे सिखाएं

पढ़ने जैसी महत्वपूर्ण योग्यता बच्चा पाठशाला में ही पाता है। वह अपनी पढ़ी हुई वस्तु का जीवन में उचित उपयोग करना सीख सके, यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में ही पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखी जाय। प्रायः यह देखा गया है कि अनेक बच्चे पाठशाला की पढ़ाई पूरी किये बिना ही स्कूल से निकल जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वे पाठशाला में पढ़ाई गई विषय-वस्तु को समझने में असमर्थ रहते हैं तथा उन्हें पढ़ने में आनन्द नहीं आता। यदि हमारे पास सही दृष्टिकोण हो, यदि हमें पढ़ना सिखाने की सही पद्धतियों का ज्ञान हो तो हम इस विषय में अपने बच्चों की अच्छे से सहायता कर सकते हैं। अतः सभी आग्रहों से मुक्त रहकर पढ़ना सिखाने के लिये मातृभाषा की प्रकृति को समझते हुए भाषा-वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे समन्वयवादी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो अपने देश की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक के लिए सहज ग्राह्य हो और बच्चों के लिए रोचक तथा उपयोगी हो।

पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल नई चीज होती है इसलिए मातृभाषा-शिक्षण का प्रारम्भ सीधे अक्षर-ज्ञान से नहीं किया जाना चाहिए। प्रारंभ में बच्चों की रुचि के अनुरूप पशु-पक्षियों, सवारियों, घर और घर के आस-पास के वातावरण से सम्बन्धित रंग बिरंगे चित्रों वाले चार्ट आदि के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। धीरे-धीरे बच्चों का ध्यान पुस्तक में दिए गए चित्रों पर केन्द्रित करना और इस प्रकार रोचक और उपयोगी बातचीत के लिए आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इससे बच्चों की आँख पुस्तक में छपे किसी चित्र का नाम देखने के लिए प्रशिक्षित होगी। इससे बच्चों की स्वाभाविक झिझक तो दूर होगी ही, साथ ही साथ भाषा का विकास तथा उसे समझने की शक्ति में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

मातृभाषा के लिखने के ढंग से भी बालकों का परिचय होता है, जैसे कि हिन्दी लिखने का स्वाभाविक क्रम बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे है। वे चार्ट तथा पुस्तकों से भाषा के स्वाभाविक क्रम का अभ्यास अनजाने में ही करते रहते है।

ध्वन्यात्मक लिपि वाली भाषाओं में पढ़ने एवं लेखन शिक्षण की मुख्यतः दो विधियाँ प्रचलित हैं :–

(क) संश्लेषणात्मक– इसमें वर्णों और मात्राओं का अलग-अलग ज्ञान करा कर उनके योग से शब्दों का पढ़ना सिखाया जाता है।

(ख) विश्लेषणात्मक– इसमें वाक्यों या शब्दों की पहचान करा कर उनके विश्लेषण द्वारा प्रत्येक ध्वनि प्रतीक से अवगत कराया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली द्वारा प्रणीत प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तक में विश्लेषणात्मक पद्धति ही अपनायी गयी है और यह ध्यान रखा गया है कि उन वर्णों और मात्राओं का पढ़ना और लिखना पहले सिखाया जाय जिनकी आवृत्ति भाषा में अधिक होती है, जिससे बच्चे उन्हें सीखने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र सार्थक वाक्यों तथा कहानियों का पठन करने लगें और पठन-क्रिया रोचक हो जाय। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपनायी गयी विधि के विषय में निम्नांकित बातें कही गयी हैं :–

पढ़ना कोई एकांगी क्रिया नहीं है। पढ़ना सीखते समय बालक विभिन्न ध्वनियों को सुनकर उनमें विभेद करता है वह विभिन्न लिपि-चिन्हों के मिश्रण से बने शब्दों को देखता है, उन्हें पहचानता है और उनके अर्थ समझता है। अतः पढ़ना सिखाते समय क्रमबद्ध रूप से किसी भाषा के लिपि-चिन्हों को, उनकी ध्वनियों और लिखित-संकेतों से बच्चों का परिचय करवाना मात्र ही अपेक्षित नहीं है। मातृभाषा पढ़ना सिखाते समय इस बात का विशेष महत्व है कि बच्चे के पूर्व अनुभवों द्वारा अर्जित भाषा के मौखिक ज्ञान की पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए, भाषा विशेष में बहु प्रयुक्त लिपि-चिन्हों की पढ़ना पहले सिखाया जाए और क्रमबद्ध लिपि-चिन्हों को बाद में। जिन लिपि-चिन्हों की आवृत्ति भाषा में अधिक है अर्थात् बारंबारिता की दृष्टि से जिन लिपि-चिन्हों का स्थान पहले है, उन्हें पहले लिखाया जाए। इससे एक लाभ होगा कि कुछ ही लिपि-चिन्हों को सीखने के बाद बच्चा अपनी मातृभाषा के दैनिक प्रयोग में आने वाले परिचित शब्दों को अनायास ही पढ़ने लगेगा और पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी।

उदाहरण के लिए, हिंदी के सभी लिपि-चिन्हों का प्रयोग समान रूप से नहीं होता। न, ल, प, ब, स, क, र, घ आदि व्यंजनों का प्रयोग छ, ठ, ण, ट, ष आदि की तुलना में कहीं अधिक होता है। कई स्वरों की तुलना में उनकी मात्राओं का प्रयोग अधिक होता है। बच्चों को यदि अधिक प्रयुक्त लिपि-चिन्हों को पहले सिखाया जाय तो वे उनसे बनने वाले अधिकाधिक शब्दों को सरलता से पढ़ना सीख सकेंगे प, न, ा, री इन चार लिपि-चिन्हों को सीखने के बाद बच्चा पान, पाना, नाना, नानी, पापा, पीना, पान, नापना आदि अनेक शब्द तथा– ''पानी पी'' ''नानी पानी पी'' आदि वाक्य पढ़ सकता है। इसका एक लाभ यह भी है कि बच्चा प्रारम्भ से ही सार्थक वाक्यों का अभ्यास कर सकता है।

एक बार में तीन या चार लिपि-चिन्हों का परिचय कराया जाय। उनकी ध्वनि तथा आकृति से भली-भांति परिचित हो जाने पर, उनके योग से बनने वाले परिचित शब्दों को पढ़ने के अभ्यास के लिए दिया जाए। इससे यह लाभ होगा कि इनके योग से बनने वाले शब्दों और इन शब्दों के मेल से बनने वाले वाक्यों को पढ़ने की योग्यता का बच्चे में साथ-साथ निरन्तर विकास होता जाएगा। पहले सीखे गए शब्दों की आवृत्ति आगे की पठन सामग्री में निरंतर होती रहेगी जिससे छात्रों के पढ़ने में गति आएगी। इस प्रकार कुछ ही सप्ताह में बच्चा

परिचित लिपि-चिन्हों के योग से बनी कोई भी सामग्री पढ़ने में समर्थ होगा। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित इस पद्धति से बच्चा कुछ सिद्धान्तों को समझने के बाद स्वयं सीखने की कोशिश करेगा।

सभी लिपि-चिन्हों का परिचय हो जाने पर पारंपरिक वर्णमाला का भी परिचय करा देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तक में अपनायी गयी विधि

देवनागरी लिपि के माध्यम से हिन्दी पठन-शिक्षण में परम्परागत रूप से संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग होता रहा है। इस विधि की अपनी महत्ता इस दृष्टि से अधिक है कि बच्चा एक ही स्थान से उच्चरित होने वाली समस्त ध्वनियों का पृथक-पृथक शुद्ध उच्चारण सीख जाता है। ध्वनियों एवं ध्वनि-संकेतों के परस्पर भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सहज रूप में हो उसे ध्वनि विज्ञान की जानकारी होने लगती है। वह सहज रूप में ही वर्णों को जोड़-जोड़ कर सार्थक शब्द और वाक्य भी पढ़ने लगता है। फिर क्रमशः मात्राओं का परिचय प्राप्त कर रोचक कविताएं और कहानियां भी पढ़ने लगता है।

ध्वन्यात्मक लिपि वाली पाश्चात्य भाषाओं की लिपियों में वर्णों के नाम तथा उनसे सम्बन्धित ध्वनियों में एकरूपता न होने के कारण शब्द और वाक्य विधि तथा विश्लेषणात्मक विधि अपनायी गयी। इस पद्धति से प्रभावित होकर इस प्रदेश में भी वर्ष 1956 से 1966 तक 'प्रवेशिका' नामक तत्कालीन पाठ्य पुस्तक में शब्द एवं विश्लेषणात्मक पद्धति अपनायी गयी थी। वर्ष 1977 में 'भाषा दीप' भाग-1 नामक एक अन्य पुस्तक में पुनः इसका प्रयोग किया गया। किन्तु यह विविध कारणों से दोनों बार सफल न हो सकी। इसका प्रमुख कारण कदाचित यह रहा कि इस पद्धति के पाश्चात्य विद्वानों ने 6 वर्ष की मानसिक आयु से पठन-शिक्षण प्रारम्भ करने की सलाह दी है जबकि उत्तर-प्रदेश में कक्षा एक में प्रवेश हेतु 5 वर्ष की शारीरिक आयु निर्धारित है।

विश्लेषणात्मक या शब्द एवं वाक्य विधि के प्रथम बार असफल हो जाने पर वर्ष 1966 में संश्लेषणात्मक (वर्ण माला) पद्धति पर कक्षा-1 की दूसरी प्रवेशिका लिखी गयी। इस विधि को अधिक रोचक बनाने की दृष्टि से वर्ष 1977 में उसकी पुनः रचना की गयी और कक्षा एक में प्रचलित प्रवेशिका तथा बेसिक हिन्दी रीडर भाग-1 को संयुक्त कर एक पुस्तक लिखी गयी तथा उसके प्रारम्भ में पठनारम्भ योग्यता निर्माण सम्बन्धी सामग्री जोड़कर इसे संशोधित रूप दिया गया। इसी समय शब्द और विश्लेषणात्मक पद्धति पर उपर्युक्त सन्दर्भित पुस्तक भाषा दीप भाग-1 की भी रचना की गयी थी और वस्तुतः बेसिक हिन्दी रीडर भाग-1 में पठनारम्भ योग्यता निर्माण सम्बन्धी सामग्री, उसी से प्रेरित होकर रखी गयी थी। आगे चलकर बेसिक हिन्दी रीडर का नाम बदलकर ज्ञान भारती कर दिया गया। वर्ष 1988-89 में इसे पुनः संशोधित और विकसित रूप दिया गया है। इसके आधार पर पठन एवं लेखन शिक्षण में अध्यापकों को निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए :–

(1) पढ़ना सिखाते समय पहले यह प्रयास किया जाय कि बच्चा पहले चित्रों के आधार पर मौखिक बातचीत द्वारा भाषा का मानक रूप सीख ले। तत्पश्चात् मौखिक रूप से ही वह इस बात से भी अवगत हो जाय कि वह जो कुछ बोलता है उसमें अनेक छोटी-छोटी ध्वनियां हैं। यह जानकारी विभिन्न वस्तुओं के नाम अंशतः उच्चारित कर बार-बार के अभ्यास से करायी जा सकती है। इसके लिए 'आधे-आधे नाम बताओ' का खेल या पहेली बुझाने का कार्य भी कराया जा सकता है। फिर वर्ण माला क्रम का ध्यान रखते हुए एक ही वर्ण से आरम्भ होने वाले कुछ शब्दों का चयन कर लिया जाय। इसमें कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो किसी स्थूल वस्तु के नाम हों और उनका चित्र बन सके। चित्र दिखाकर अथवा प्रश्नों के द्वारा बच्चों से इन शब्दों का उच्चारण कराया जाय। इसके पश्चात् उनका ध्यान प्रत्येक शब्द की पहली ध्वनि पर आकृष्ट किया जाय जैसे– अनार, अमरूद, अगरबत्ती, अजगर, अखरोट, अमचुर, अनाज इत्यादि में 'अ' फिर पुस्तक में दिये गये सचित्र शब्द को पहली ध्वनि पर ध्यान आकृष्ट कर बताया जाय कि यह कहां, किस प्रकार लिखी गयी है। सम्बन्धित अक्षर की बनावट समझने के लिए उसे श्यामपट पर लिखा जाय और लिखते समय उसके प्रत्येक भाग, उसकी बनावट के ढंग आदि पर भी बच्चों का ध्यान आकृष्ट किया जाय। यही क्रम अन्य वर्णों के साथ भी अपनाना उचित होगा।

(2) शिक्षण-विधि को रोचक बनाने के लिए सम्बन्धित वर्ण की बनावट से सम्बन्धित कविताएं सुनायी जा सकती हैं और साथ-साथ वर्ण की आकृति भी बनायी जा सकती है। ऐसी भी कविताएं सुनायी जा सकती हैं जिसमें उसी वर्ण से प्रारंभ होने वाले अनेक शब्दों का प्रयोग हो। इसके विषय मे उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक एवं उसकी संदर्शिका में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

(3) कुछ वर्ण अथवा समस्त वर्णमाला पढ़ा लेने के पश्चात् क्रमशः दो तीन तथा चार वर्णों से बने सार्थक शब्दों के पढ़ने का अभ्यास कराया जाय। शब्द पठन कराते समय उचित होगा कि बालक पहले चित्र देख कर उसका पूरा नाम एक साथ पढ़े। फिर उसके विश्लेषण द्वारा शब्द की प्रत्येक ध्वनि पर छात्रों का ध्यान आकृष्ट किया जाय। उचित पठन गति हेतु पूरे शब्द या पूरे वाक्य अथवा वाक्यांश को एक साथ पढ़ने का अभ्यास नितान्त आवश्यक है। यहाँ भी ऐसे शब्दों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जो स्थूल वस्तुओं के नाम हों और जिनका चित्र बन सके। जैसे ही बच्चे कुछ अमात्रिक शब्द पढ़ने में सक्षम हो जायँ उनसे सम्बन्धित वाक्य, दो-तीन वाक्यों के वर्णनात्मक पाठ, कहानी या कोई कविता बच्चों को पढ़ने के लिए दी जा सकती है। पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार की सामग्री दी गयी है। अध्यापक इसी प्रकार के अन्य पाठ भी चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

(4) मात्राओं का ज्ञान कराते समय बच्चों को मौखिक रूप में ही यह हृदयंगम कराना आवश्यक है कि स्वर मुख्यत: दो प्रकार से बोले जाते हैं – स्वतंत्र रूप से तथा किसी व्यंजन ध्वनि से संयुक्त कर । जब ये स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं तब लिखने में इनका स्वरूप वर्णमाला में दिये गये आकार के अनुसार होता है, जैसे– अनार में 'अ', आम में 'आ', ईख मे 'ई' इत्यादि । किन्तु जब ये किसी व्यंजन से संयुक्त होकर उच्चरित होते हैं तब इनका रूप भिन्न हो जाता है और व्यंजन में मिला संकेत 'मात्रा' कहलाता है जैसे–काम में 'ा', तीर में 'ी' आदि । बच्चों को यह भी बताना आवश्यक है कि विभिन्न स्वरों को मात्राएं व्यंजन वर्णों के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं सब ओर लगा करती हैं । प्रत्येक स्वर की मात्रा का स्थान और प्रकार निश्चित होता है ।

(5) यह भी बताने की आवश्यकता है कि 'अ' प्रत्येक व्यंजन वर्ण की ध्वनि में ही उच्चारणार्थ सम्पृक्त रहता है । इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है । व्यंजन वर्णमाला का बोध इसी स्वर को सहायता मे कराया जाता है । वर्णमाला एवं मात्राओं के बोध के बाद पाठ्य पुस्तक में दिये गये पाठ (कहानियां, कविताएं आदि) पढ़ाये जायं ।

(6) संयुक्त व्यंजन पढ़ाये जाते समय भी छात्रों को यह बताना आवश्यक है कि व्यंजन भी दो प्रकार से बोले जाते हैं – स्वर सहित तथा स्वर रहित । स्वर सहित बोले जाने पर यदि 'अ' का संयोग है तो व्यंजन वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा । यदि अन्य स्वरों का संयोग है तो उसकी मात्रा लगेगी । किन्तु जब व्यंजन का व्यंजन से संयोग होगा और बीच में कोई स्वर नहीं उच्चरित होगा तब स्वर रहित व्यंजन पाठ्य पुस्तक में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिखा जायेगा ।

शिक्षक को पहली कक्षा के बालकों को मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते समय एक समस्या का और सामना करना पड़ता है । पहली कक्षा में आने वाले बच्चे अपने घर में हिंदी की विभिन्न बोलियों का उपयोग करते हैं परन्तु पाठशाला में पाठ्य पुस्तकों द्वारा उन्हें मानक हिंदी पढ़ाई जाती है । इस स्थिति में ऐसे बच्चों को हिंदी पढ़ाने का काम व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए ।

हिंदी की विभिन्न बोलियों का उपयोग करने वाले बच्चों को भाषा सीखने में निम्नलिखित कठिनाइयां आती हैं :

क- मानक हिंदी के शब्दों की ध्वनि प्रणाली सीखने में ।

ख- शब्द के सही व्याकरणिक रूपों को सीखने में ।

ग- वाक्य रचना सीखने में ।

हिंदी भाषा-भाषी प्रांतों में प्रचलित बोलियां बोलने वाले पहली से तीसरी कक्षा के बालकों के शब्द भंडार पर एक शोध द्वारा प्राप्त परिणामों के अनुसार उनके शब्दों में काफी विविधता पाई गयी है । यह विविधता शब्दों की ध्वनियों, रूपों तथा बनावट तक हो सीमित नहीं है । कहीं-कहीं दूसरे शब्दों का भी उपयोग किया गया है और वाक्य की क्रिया भी बदल गई है ।

शिक्षक को इस समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए । उन्हें ऐसे शब्दों और ध्वनियों की सूची बना लेनी चाहिए जो बच्चों को हिंदी ठीक तरह सिखाने में कठिनाई पैदा करती हैं । इस समस्या का निवारण हम इस प्रकार से कर सकते है :

क- शिक्षक को बोलते या पढ़ते समय अपने उच्चारण के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए ।

ख- शिक्षक को बच्चों को कक्षा या कक्षा के बाहर भाषा को मानक रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जहां वे गलत उच्चारण करते हो उसी समय उसे सुधारना चाहिए ।

ग- शिक्षक को बच्चों को कहानी सुनाने और फ्रि बच्चों द्वारा उसे सुनाने तथा अपनी ओर से कहानी कहने का अभ्यास करवाना चाहिए ।

घ- बच्चों से शब्दों का शुद्ध उच्चारण बार-बार करवाया जाय । संभव हो तो टेपरिकार्डर का प्रयोग किया जा सकता है । उसके द्वारा बार-बार शब्दों को दोहराकर बच्चों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जा सकता है ।

ङ- शिक्षक बच्चों को ऐसे अभ्यास दें जिससे वे मिलती-जुलती ध्वनियों के सूक्ष्म भेद सुन सकें और बोल सकें ।

शब्द-भंडार :

पाठशाला में प्रवेश लेने वाला औसत बच्चा अपने प्रतिदिन के व्यवहार में लगभग बारह सौ शब्दों का सार्थक प्रयोग करता है । वह पाठशाला न आने पर भी अपने आस-पास के वातावरण तथा प्रति दिन के व्यावहारिक जीवन से अपने लिए उपयुक्त शब्द भंडार एकत्रित कर लेता है और आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करता है । बालकों के बोलचाल के इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर प्राथमिक कक्षाओं में उनके शब्द-भण्डार मे उत्तरोत्तर वृद्धि को जाती है । बोलचाल के शब्द-भण्डार तथा पढ़ने के शब्द-भण्डार में अंतर होता है । शुरू-शुरू में पढ़ना सीखने पर बच्चा बोलचाल के शब्दों का व्यवहार मौखिक अभिव्यक्ति में ही कर पाता है । शब्दों के प्रत्यय तथा उनके प्रयोग के विषय में निश्चित होने पर भी लिखित-संकेतों अर्थात् लिपि-चिन्हों की जानकारी तथा उनका उपयुक्त अभ्यास न होने के कारण पठित सामग्री तथा लेखन में उसका प्रयोग नहीं कर पाता । पांचवीं कक्षा के अन्त तक बच्चे का शब्द-भण्डार बारह सौ शब्दों से बढ़कर ढाई से तीन हजार (2500-3000) शब्दों तक हो जाता है । यद्यपि प्रयोग की दृष्टि से पढ़ने की शब्द संख्या इससे बहुत अधिक होगी । क्योंकि पढ़ना सीख लेने पर बच्चा परिचित शब्दों के संदर्भ में अपरिचित शब्दों की आकृति तथा उनके अर्थ भी समझ लेगा । पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त नये विशेष रूप से कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों को समझा दिये जाने पर उनसे निर्मित अन्य अनेक शब्दों के अर्थ वे

प्रसंग-संकेत द्वारा जान लेते हैं । इन शब्दों के अतिरिक्त सहायक सामग्री तथा अन्य विषयों के अध्ययन के द्वारा बच्चे और बहुत से शब्दों से परिचित ही जाते हैं ।

मौखिक अभिव्यक्ति :

मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है । हम अपना अधिकांश कामकाज मौखिक रूप से चलाते हैं और हमारा अधिकतर समय मौखिक रूप से ही विचारों के आदान-प्रदान में व्यतीत होता है । आजकल की परीक्षा प्रणाली में मौखिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर हो मूल्यांकन किया जाता है । इसलिए विद्यालयी जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को उतना स्थान नहीं दिया जाता । वास्तव में होना तो यही चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं की तीन चौथाई परीक्षा मौखिक हो और शिक्षक अध्यापन में अधिकांश समय का उपयोग बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने में व्यतीत करें ।

पाठशाला में प्रवेश लेने के बाद प्रथम कुछ सप्ताह बच्चों को पाठ्य-पुस्तकों से न पढ़ाकर मौखिक रूप से ऐसी कुशलताएं सिखाने में लगाया जाना चाहिए जिनसे उन्हें आगे चलकर पढ़ना-लिखना सिखाने में सुविधा हो । भारत में लगभग 90 प्रतिशत बच्चों के लिये पाठशाला आने का यह पहला अवसर होता है क्योंकि बहुत कम बच्चे आंगनवाड़ियों या नर्सरी वगैरह में जा पाते हैं । अध्यापक की देखरेख में अपनी आयु के तीस-चालीस बच्चों में घर के किसी अपने व्यक्ति के बिना बैठने में उन्हें डर सा लगता है । इस आयुवर्ग के बच्चों में एक स्वाभाविक झिझक भी होती है । ऐसी अवस्था में मौखिक रूप से बातचीत द्वारा शिक्षक उनकी झिझक की दूर कर सकता है । उनसे इस प्रकार के विषयों पर बातचीत की जाये कि उसे लगे कि पाठशाला का वातावरण घर से बहुत प्यारा है अथवा बहुत भिन्न नहीं है । इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनका व्यक्तित्व सुलझेगा ।

पाठशाला के अन्य कार्यक्रम तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ना सिखाने में भी मौखिक अभिव्यक्ति ही सहायक होती है । अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख रखना और दूसरों की कही हुई बात को समझना, ये बातें पढ़ना सीखने तथा किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है । मौखिक भाषा अनुभवजन्य घटना तथा लिखित रूप के बीच की कड़ी है । इसी के द्वारा बच्चा सारी बात समझ सकता है क्योंकि वह स्वयं अपनी बात कहने में मौखिक अभिव्यक्ति का लिखित रूप मात्र है । जिस बच्चे के घर में बोलने पर कोई अंकुश नहीं होता, जिस के प्रश्नों और समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना जाता है उसे भाषा की सभी कुशलताओं में अनायास ही योग्यता मिलती है । वह किसी भी घटना का आसानी से मौखिक विवरण दे सकता है । उसे छिपे हुए शब्दों के अर्थ समझने में भी अपेक्षाकृत आसानी रहती है । पाठशाला के सभी विषयों को समझने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है ।

भाषा चिन्तनशीलता का भी आधार है । भाषा का ज्ञान व्यवहार से आता है । बच्चा सबको बोलते हुए सुनता है और सुनकर स्वयं भी उसका प्रयोग करने लगता है । अतः शिक्षक होने के नाते हम उसे ऐसे अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें जिससे वह मौखिक भाषा का प्रयोग करने में समर्थ हो सके ।

कक्षाओं सें भाषा-संबंधी योग्यताओं के मूल्यांकन का आधार भी मौखिक अधिक और लिखित कम होना चाहिए ।

मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध :

जैसा कि पहले कहा जा चुका है मातृभाषा का शिक्षण स्कूल के दिन भर के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । छोटे बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा नहीं लगता या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाषा छोड़कर किसी एक विशिष्ट पीरियड में कोई अन्य विषय पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सभी विषय भाषा की सम्पन्नता को बढ़ाते है । भाषा-शिक्षण योग्यता-केंद्रित नहीं है । भाषा के शिक्षण के लिए अन्य विषयों से विषय-वस्तु का चयन किया जाता है अतः जहाँ तक हो सके शिक्षक कहानी या पाठ में आए विभिन्न विषयों को पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों की संगत बातों से संबंध स्थापित करें । उदाहरणार्थ चिड़िया की कहानी पढ़ते समय सामान्य रूप सें विज्ञान के विषयांश के संदर्भ में चिड़ियों, उनकी आदतों, उनके भोजन, उनके रहने-सहने और अन्य संबंधित विषयों की चर्चा करने का अवसर मिल सकता है ।

कहानी में भोजन के संबंध में आने वाले किसी प्रसंग सें स्वास्थ्य, भोजन के पोषक तत्वों आदि विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा पाठ्यक्रम का एक अलग थलग विषय नहीं अपितु सभी से जुड़ा व गुंथा है । भाषा के पाठ में अन्य विषयों के साथ संबंध जोड़ने की अधिक संभावना होती है और शिक्षक को इन संभावनाओं का लाभ उठाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए ।

नैतिक मूल्य :

नैतिक मूल्यों से तात्पर्य अच्छे संस्कारों से है जो हम बच्चों में डालना चाहते हैं । छोटे बच्चों में प्यार, सहायता, मिल बाँटकर खाना, परिश्रम, ईमानदारी, दया (पशु-पक्षियों पर), समय की पाबंदी, सफाई, शिष्टाचार, बड़ों का आदर, पेड़-पौधों से प्रेम आदि और पाँचवीं कक्षा की समाप्ति तक इन गुणों के अतिरिक्त निर्भयता, अनुशासन, कर्तव्यपालन, देशप्रेम, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, उत्तरदायित्व को भावना, श्रम के महत्व को समझना, दूसरों की सम्पत्ति, प्राकृतिक साधनों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का ध्यान रखना, विभिन्न धर्मों का आदर करना आदि चारित्रिक गुणों का विकास शिक्षक स्वयं के उदाहरण द्वारा करें । पठन सामग्री तथा अतिरिक्त सहायता सामग्री द्वारा उपरोक्त गुणों की बच्चों के सम्मुख रखें और उनमें अच्छी प्रवृत्तियों के विकास की ओर ध्यान दें ।

व्याकरण

प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण की औपचारिक शिक्षा न देकर अनौपचारिक ढंग से भाषा के व्याकरण संबंधी प्रयोग सिखाने पर बल दिया जाता हैं। तीसरी कक्षा से व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया जाय। पर व्याकरण की परीक्षाओं को न रखा जाए। पाँचवीं कक्षा तक बच्चों को व्याकरण में संज्ञा, लिंग, व्यंजन का ज्ञान, क्रिया के कर्ता व कर्म तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की पहचान वाक्यों के मुख्य अंगों–कर्ता, कर्म, क्रिया अवयव का यथोचित प्रयोग समझ लेना चाहिए। इससे व्याकरण के प्रयोग की क्षमता बढ़ती है और अगली कक्षाओं में व्याकरण का औपचारिक ज्ञान प्रारंभ होने से पहले पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है।

मातृभाषा-शिक्षण के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव :

–बच्चे कक्षा में सक्रिय रहें।

–प्रत्येक बच्चे की ओर ध्यान दिया जाय जिससे बच्चे को यह लगे कि उसे दिया गया समय केवल उसी का था।

–शिक्षक कक्षा में स्वयं कम बोलें और बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे बच्चों की स्वाभाविक झिझक दूर हो सके।

–किसी न किसी रूप में बच्चों को प्रशंसा अवश्य ही मिलनी चाहिये। कहानी, कविता, गाना, चुटकुले आदि को समूह में सुनवाना तथा प्रशंसा में तालियां बजवाना बच्चों को बोलने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं।

–बच्चों के उच्चारण और वर्तनी पर हर समय ध्यान दें और उन्हें शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी का ज्ञान सिखाएं।

–तीसरी कक्षा तक आते-आते बच्चे वर्तनी की अशुद्धियां स्वयं निकालें या एक दूसरे की अशुद्धियां ठीक करें।

–दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में पूछें तथा सभी बच्चों को बारी-बारी बोलने का अवसर प्रदान करें।

–पढ़ना सिखाते समय सहायक सामग्री फ्लैश-कार्ड, शब्द-कार्ड, वाक्य फीतियों आदि का यथासंभव प्रयोग करें क्योंकि बच्चे दृश्य-सामग्री से शीघ्र सीखते हैं और इससे पढ़ने में उन्हें रुचि भी आती है।

–बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वे चित्र बनायें और चित्रों के नीचे उनके बारे में कुछ लिखें।

–बच्चों द्वारा चित्रित लिखित सामग्री की दीवार पर लगायें जिससे अन्य बच्चे उन्हें पढ़ने तथा बनाने में रुचि लें।

–कक्षा की दीवारों को सुंदर चित्रों और चार्टों से सुसज्जित रखें, इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी।

–अभिनय, बालगीत, चुटकुले, पहेलियां सामूहिक वार्तालाप द्वारा बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का निरंतर विकास करें।

–बाल-पत्रिकाओं तथा अन्य बालोपयोगी सामग्री का चयन कर कक्षा में पढ़ाने के लिए उपलब्ध कराएं।

–ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैसेट-प्लेयर, टेलीविजन आदि से बच्चों का परिचय करवायें तथा भाषा के विकास के लिए इनकी सहायता लें।

–अंत में अध्यापन में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जबकि वह पढ़ने के प्रति बालक में तीव्र रुचि और इच्छा पैदा कर सके। सजावट एवं सुरुचिविहीन कक्षा बच्चों के साथ-साथ शिक्षक को भी निरुत्साहित करती है। इसलिए उसकी दीवारों पर चार्ट, चित्र, सुभाषित वाक्य आदि लगाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि वे चीजें खरीदकर ही लगाई जायें। बहुत सी चीजें जिन्हें हम अनावश्यक समझ कर फेंक देते हैं, उपयोग में लायी जा सकती हैं, केवल इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आकर्षक कक्षा के कमरे, सुरुचिपूर्ण पठन-सामग्री और सबसे अधिक शिक्षक का उत्साह हमारे प्राथमिक विद्यालयों में नया जीवन फूंक सकते हैं।

मॉड्यूल 25-पी

प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन

(सामाजिक अध्ययन)

एक दृष्टिपात

इस स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य है :– आस-पास के या दूर के समूचे भौतिक एवं सामाजिक वातावरण की जानकारी के लिए बच्चों में चेतना जागृत करना । पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन से बच्चा शुरू में ही पर्यावरण के साथ और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के साथ मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध एवं पारस्परिक प्रभाव को समझ सकेगा । बच्चा आस-पास के वातावरण से प्रेरित होकर उसकी जानकारी हासिल करता है और यही जानकारी बच्चे में पर्यावरण के अध्ययन की इच्छा जगाती है ।

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

–पर्यावरण के विचार को समझ सकेंगे ।
–जान सकेंगे कि पर्यावरण उपागम से हमारा क्या मतलब है ?
–समझ सकेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण उपागम को अपनाना क्यों जरूरी है ?
–प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे ।
–प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण-उपागम की आवश्यकता समझ सकेंगे ।

पर्यावरण क्या है ?

व्यक्ति के आस-पास का ज्ञात और अज्ञात, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण ही पर्यावरण है । यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन और कार्य को प्रभावित करता है ।

प्राकृतिक पर्यावरण में दो तत्व मुख्य हैं : जड़ और चेतन । धरती, पानी और वायु जड़ हैं । ये "भौतिक पर्यावरण" के अन्तर्गत आते हैं । पौधे व जानवर चेतन अर्थात् सजीव हैं, ये "जैविक पर्यावरण" के अन्तर्गत आते हैं । भौतिक पर्यावरण विभिन्न रूपों में जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और जैविक पर्यावरण से मनुष्य को जीवन के अस्तित्व के लिए खाना, पीना एवं अन्य चीजें मिलती हैं । मनुष्य पेड़-पौधे और जानवरों के बिना नहीं रह सकता । मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को खेतों खलिहानों, फैक्ट्रियों, खानों, बांधों, भवनों, सड़कों, पुलों आदि के बोझ से लाद दिया है । भौतिक और जैविक पर्यावरण का एक दूसरे पर सतत् प्रभाव पड़ता है और उसके फलस्वरूप निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । सामाजिक पर्यावरण में इनका समावेश किया जा सकता है, स्कूल परिवार, धार्मिक स्थल, बिरादरी, समाज, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं, समुदाय द्वारा आयोजित विभिन्न सेवाएं, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, उनकी प्राप्ति, आपूर्ति आदि-आदि । इससे सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत आदतों व प्रवृत्तियों का भी निर्माण होता है जिससे इन्सान समाज में अच्छी तरह रह सके और काम कर सके ।

पर्यावरण सम्बन्धी पद्धति के प्रमुख तत्व क्या हैं ?

(1) पर्यावरण-अध्ययन में बच्चा अपने प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण की सुसंगठित ढंग से खोज बीन और सुव्यवस्थित ढंग से जांच-पड़ताल करता है ।

(2) बच्चा जब अपने आस-पास का वातावरण देखता है, उसका अध्ययन करता है तो उससे कुछ विचारों, योग्यताओं और अभिवृत्तियों के विकास की अपेक्षा की जाती है । उसमें स्थान व समय के साथ अन्य परिस्थितियों का, अपने से दूर के वातावरण का अध्ययन करने की इच्छा जागती है ।

(3) पर्यावरण अध्ययन स्वयं सीखने की विधि है । तथ्यों या सूचनाओं को ग्रहण करने के बजाय आप इस पद्धति द्वारा स्वयं अध्ययन कर सकते हैं । पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया और विषयवस्तु दोनों महत्वपूर्ण हैं । पर्यावरण संबंधी अध्ययन में आप क्या पढ़ते हैं इसके बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप "कैसे" पढ़ते हैं ? "कोई चीज कैसे सीखी जाय" इसके लिए पर्यावरण अध्ययन में आजकल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चा स्वयं समस्या का समाधान करे, स्वयं खोजबीन करे और गतिविधि में सक्रिय भाग ले ।

(4) पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन से इस पर जोर दिया जाता है कि बच्चा अपने आस-पास के वातावरण से सीखे और सीधा अनुभव करे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी सीमा अपने आस-पास की दुनिया तक ही सीमित हो जाए । वस्तुतः इस तरीके से अध्ययन का लक्ष्य यह है कि धीरे-धीरे बच्चे को जानकारी बढ़े, वह ज्ञात से अज्ञात को, आसपास के वातावरण से दूर के वातावरण की और मूर्त से अमूर्त को जाने ।

(5) पर्यावरण साधन है, साध्य नहीं जिसका लक्ष्य है : बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वतोन्मुखी विकास ।

प्राइमरी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन क्यों तर्क संगत है ?

पर्यावरण सम्बन्धी पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें बच्चा अपने आस-पास के वातावरण से सीखता है जिससे वह अच्छी तरह परिचित है । जिस वातावरण में बच्चा रहता है वह बच्चे के लिए सर्वाधिक परिचित स्थान है जिसका बच्चे के ज्ञान को ठोस और प्रभावात्मक बनाने के लिए लाभ उठाया जा सकता है । इस प्रकार की पद्धति में विषयों या नियमों के सभी बंधन टूट जाते हैं और बच्चा अपने विशिष्ठ अनुभवों के विशाल धरातल पर सहज जानकारी हासिल करता है ।

पर्यावरण अध्ययन की कार्यप्रणाली क्या है ?

कार्यप्रणाली क्या है, यह आप निम्नलिखित गतिविधियों से आसानी से जान सकेंगे । गतिविधियों का चुनाव विषय और शिक्षक की सुविधा के मुताबिक किया जा सकता है:

1- आप बच्चों को मौका दें कि वे अपने आस-पास की चीजों को, समस्याओं को, घटनाओं को देखें तथा समाज और पौधों व पशुओं में सतत् होने वाले परिवर्तन को महसूस करें ।

2- आप बच्चों को सजीव और जड़ वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए कहें । इसके लिए आधार आप तैयार कर सकते हैं या बच्चे स्वंय इस आधार का चुनाव कर सकते हैं ।

3- बच्चा जब अपने आस-पास के वातावरण को, चीजों को देखेगा और उनका वर्गीकरण करेगा तो निश्चय ही वह किसी नतीजे पर भी पहुंचेगा, जिसमें आप उसकी सहायता कर सकते हैं ।

4- कक्षा के बाहर गतिविधियों का आयोजन कीजिए, जिससे बच्चा अपने आस-पास के वातावरण से सीख सके ।

5- आप बच्चों से कहें कि वे अपने आसपास की चीजों को देखकर उनके बारे में कुछ लिखें या कागज या मिट्टी से उन चीजों को बनाने को कोशिश करें— इसमें आप उनकी सहायता कर सकते हैं ।

6- आप उदाहरण के लिए, बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर सामने से गुजरने वाले व्यक्तियों, पशुओं, साइकिलों, कारों या बैलगाड़ियों की गिनती करवाकर गिनती का अभ्यास करवा सकते हैं । आप बगीचों में बच्चों को मौसम के अनुसार सब्जियां व फल दिखाकर उनकी जानकारी करवा सकते हैं । पेड़ कैसे बढ़ते हैं, छोटा सा मटमैला कीड़ा एक रंगबिरंगी तितली कैसे बन जाता है आदि अनेकों बातों की जानकारी आप बच्चों को करवा सकते हैं ।

7- आप बच्चों के साथ उनके दैनिक जीवन के बारे में, उनके वातावरण के सामाजिक व भौतिक पहलुओं के बारे में बात-चीत कर सकते हैं (प्रश्नोत्तर रूप में) ।

8- आप बच्चों को तथ्यों से भरपूर या कल्पनात्मक किस्से कहानियाँ सुना सकते हैं, कविताओं का अभ्यास करवा सकते हैं, गीत गवा सकते हैं और विषय व परिस्थिति के मुताविक अभिनय करने के लिये कह सकते हैं ।

9- जन्म दिन और सामाजिक या राष्ट्रीय त्यौहार मनाने में आप बच्चों की मदद कर सकते हैं ।

10- आप उन्हें ऐसे विषय और प्रश्न दे सकते हैं जिनका उत्तर वे अपने मां बाप, बड़ों या साथियों के साथ बातचीत कर पा सकें ।

पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक भौतिक व सामाजिक वातावरण का प्रयोग कैसे कर सकता है, यह समझने के लिये, आइये हम तीन उदाहरण लें ।

उदाहरण-1

प्रकृति की देन-मिट्टी

प्रकृति की देन के रूप में मिट्टी के अध्ययन का लक्ष्य यह है कि बच्चा प्राकृतिक श्रोतों की ज़रूरत को जाने और उनके संरक्षण के महत्व को समझे । इससे बच्चों को पता चलेगा कि मिट्टी मनुष्य को प्राप्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत है । पेड़-पौधे के माध्यम के रूप में मिट्टी अपरिहार्य है इससे मनुष्य और पशु को भोजन मिलता है । विभिन्न प्रकार की उपज के लिये विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है । मिट्टी का निर्माण धीरे-धीरे होता है । खेती के लिये उपयुक्त कुछेक सेन्टीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और बढ़ती जनसंख्या एंव लम्बे अर्से से भूमि के सतत् प्रयोग के कारण मिट्टी को विशेष देखभाल बहुत जरूरी है ।

यह विषय बच्चों को पास के किसी खेत में ले जाकर अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है । आप उन्हें तरह-तरह की मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कह सकते हैं । इस उम्र के ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि वे जो कुछ खाते हैं उनमें अधिकतर चीजें मिट्टी में ही उगती हैं ।

मिट्टी एक मूलभूत और पेड़ पौधे उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पर इसका क्रमशः ह्रास होता चला जा रहा है । इस तथ्य को समझाने के लिए बच्चों को निम्न प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है ।

उन्हें दो गमले दें जिनमें से एक में रेत भरा हो और दूसरे में मिट्टी । बच्चों को दोनों गमलों में जौ उगाने के लिए कहें । दो सप्ताह बाद पूरी कक्षा परिणाम को देख सकेगी और उचित नतीजे पर पहुंच सकेगी ।

इस अवस्था में बच्चों को अलग-अलग तरह की मिट्टी की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए **कि खेत के** लिए **कौन-सी मिट्टी अच्छी है।**

बच्चों को पास के खेत में ले जाकर बताया जाना चाहिये कि खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताइए कि अगर हम लम्बे समय तक भूमि पर निरंतर खेती करते चले जाते है तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती। कई बार हवा और पानी के साथ भी पृथ्वी के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इससे भूमि बंजर हो जाती है। बंजर या अनुपजाऊ भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। बच्चे खेतों में किसानों से बातचीत कर यह जान सकते हैं कि भूमि को किस तरह बंजर या अनुपजाऊ होने से बचाया जा सकता है या उपजाऊ बनाया जा सकता है।

इसी समय बच्चों को कक्षा में पाठ्यपुस्तक से मिट्टी के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा सकती है। उसके बाद कक्षा में उस पर वाद-वेवाद किया जा सकता है। बच्चों की निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है :

1- हमें मिट्टी से सीधे कौन-कौन से पदार्थ मिलते हैं ?
2- हमें मिट्टी से अप्रत्यक्ष रूप से कौन-कौन से पदार्थ मिलते हैं ?
3- मिट्टी को किन तरीकों से उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है ?

उदाहरण-2

हमारे राष्ट्रीय त्यौहार और प्रतीक

राष्ट्रीय त्यौहारों और प्रतीकों के अध्ययन का लक्ष्य है : बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करना। बच्चों को यह अनुभूति कराई जानी चाहिए कि हम सब एक हैं। हम भारत के किसी भी कोने से क्यों न हों, कोई भी भाषा क्यों न बोलते हों, कैसे भी कपड़े क्यों न पहनते हों, हम सब एक ही देश, भारत के वासी हैं। हमें अपने राष्ट्रीय त्यौहारों में भाग लेने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता और एकता के प्रतीक हैं। इनकी रक्षा के लिए हम कोई भी बलिदान कर सकते है।

बच्चों को यह सब स्कूल में राष्ट्रीय त्यौहारों का आयोजन कर सिखाया जा सकता है। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पर्वों से जुड़े हैं इसलिए ये पर्व मनाते समय बच्चे अपने आप राष्ट्रीय प्रतीकों से परिचित हो जाते हैं। आप इन अवसरों पर बच्चों को कक्षा में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे ने उससे पहले भी झंडा देखा हो पर झंडे के बारे में विस्तृत जानकारी पाने का उसका यह पहला मौका होगा। झंडे के रंगों और चक्र का अर्थ बताने के लिए आप एक चित्र का सहारा ले सकते हैं। पाठ्यपुस्तक खोलकर तत्संबंधी पाठ पढ़कर बच्चों को सुना सकते हैं। उस पर वाद-विवाद कर सकते हैं। इसी समय शिक्षक सचमुच का झंडा बच्चों के सामने रख सकता है और दिखा सकता है कि राष्ट्र ध्वज कैसे फहराया जाता हैं और उसे समुचित आदर देने के लिए किन औपचारिकताओं को निभाना जरूरी है। आप बच्चों से यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं:

1- राष्ट्रीय ध्वज कब-कब फहराया जाता है ?
2- कुछ विशेष भवनों और स्थानों पर ही राष्ट्रीय ध्वज क्यों लगाया जाता है ?
3- राष्ट्रीय ध्वज को कब आधा झुकाया जाता है ? आदि।

उदाहरण-3

भारत का स्वतंत्रता संग्राम

पर्यावलोकन

इस आयु के बच्चों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रारम्भिक जानकारी पाठ्यक्रम का एक भाग है। स्वाभाविक रूप से इस आयु के बच्चों को विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी नहीं दी जा सकती पर प्रमुख विशेषताओं और तथ्यों से उन्हें जरूर अवगत कराया जा सकत है। स्वतंत्रता सेनानियों की आत्म कथाओं, कहानियों और कविताओं का बोध कराया जा सकता है। साहसी बच्चों के किस्से सुनाये जा सकते हैं और तत्संबंधी गतिविधियों से बच्चे को शामिल किया जा सकता है।

गतिविधियां

1. स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित कहानियों, आत्मकथाओं और स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं के जीवन वृत्तान्त को संकलित किया जा सकता है। शिक्षक अपनी भाषाओं से प्राप्त ऐसी सामग्री की सूची बना सकता है।

   कई आन्दोलनों में बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। कई बच्चे शहीद हुए हैं। शिक्षक इनसे संबंधित लेख व कहानियां इकट्ठी कर सकते हैं।

2. अपनी बस्ती में या पड़ोस के क्षेत्र में स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ी घटनाओं को ढूँढ़ निकालने के लिए वैयक्तिक या सामूहिक रूप से योजना बनाई जा सकती है। हो सकता है कि आपके घर के आस-पास स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित कोई स्मारक या स्थान हो, हो सकता है कि आपकी बस्ती में या आस-पास के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया हो।

इन पर सूचना इकट्ठी करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बस्ती में या आस-पास के क्षेत्रों में घटी घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार की जा सके ।

3- इनके अलावा भी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है, जैसे— स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर बनाना, किसी घटना को नाटकीय रूप देना, अपनी या अन्य भाषाओं में स्वतंत्रता गीतों का संग्रह करना और उन्हें गाना आदि । महत्वपूर्ण भाषाओं, वक्तव्यों और प्रस्तावों से उद्धरणों या अंशों का चयन किया जा सकता है और राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस आदि पर बच्चों को उन्हें पढ़कर सुनाया जा सकता है । दिसम्बर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन के समय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसका एक अंश अंत में उदाहरण के रूप में दिया गया है ।

मूल्यांकन

1- शिक्षक उन गतिविधियों की उपयोगिता और प्रभाव पर वाद-विवाद कर सकता है और आस-पड़ोस से प्राप्त सुविधाओं का फायदा उठाते हुए अन्य गतिविधियों के लिए सुझाव दे सकता है ।

2- कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी के उस भाषण की महत्ता पर वाद-विवाद कीजिए जो अन्त में दिया गया है । क्या भाषण में स्वतंत्रता आन्दोलन के महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है ? वाद-विवाद कीजिए ।

राष्ट्रध्वज—भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक

लाहौर में 29 दिसम्बर, 1929 को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसी का एक अंश नीचे दिया जा रहा है:—

"मैंने अभी-अभी हिन्दुस्तान का झंडा फहराया है । इस झंडे का क्या मतलब है ? यह हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता का प्रतीक है । याद रखिए, अगर देश का झंडा एक बार ऊंचा कर दिया जाता है तो उसे तब तक नीचा नहीं किया जा सकता जब तक देश की एक भी आत्मा जीवित है । आज आप लोग यहां राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के वास्ते इकट्ठे हुए हैं । यह एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है । यह हमें स्वतंत्रता संग्राम में आगे ले जाएगा । झंडा लहराने के बाद क्या आप में इस भावना ने जन्म नहीं लिया है कि यह झंडा कभी नीचा नहीं होगा । मैं चाहता हूं— आप सब वादा करें कि आप इस झंडे की अपनी पूरी ताकत से हिफाजत करेंगे और आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार रहेंगे ।

वह झंडा, जिसके नीचे आज आप खड़े हैं और जिसे आपने अभी-अभी सलामी दी है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है । यह हमारे मुल्क का झंडा है । अगर आपने अभी तक देश का अहित करते हुए किसी एक कम्युनिटी के लिए काम किया है तो आपने गलत काम किया है । आज जो भी इस झंडे के नीचे खड़ा है वह न हिन्दू है, न मुसलमान है, सिर्फ हिन्दुस्तानी है । जिस किसी ने भी आज इस झंडे को सलामी दी है उसे इसके सम्मान में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए । एक बार याद कर लें, आज हमने यह झंडा फहराया है उसे तब तक नीचा नहीं होने देना है जब तक हिन्दुस्तान में एक भी हिन्दुस्तानी आदमी, औरत या बच्चा जिन्दा है ।"

मॉड्यूल-26 पी

प्राथमिक विद्यालयों में बहुकक्षा-शिक्षण

एक दृष्टिपात

बहुकक्षा-शिक्षण का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें शिक्षक को एक साथ एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। भारत में लगभग तीन लाख गांव हैं जहाँ प्राय: आबादी बहुत कम है। प्राय: ऐसे गांवों की जनसंख्या 500 से कम हैं। इनमें से लगभग आधे गांवों में 300 से भी कम व्यक्ति रहते हैं। इस जनसंख्या का प्रभाव गांव के स्कूलों पर भी पड़ता है। इन गांवों में 6-11 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या की 15 प्रतिशत होती है। अत: इस प्रकार के गांवों में केवल बहुत कम संख्या में ही बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। यदि शिक्षक और शिष्य के अनुपात को 1:30 रखा जाए तो मुश्किल से एक या दो शिक्षक ऐसे स्कूलों में होंगे। अत: ऐसे स्कूलों में बहुकक्षा-शिक्षण लगभग आवश्यक हो जाता है। भारत में यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस मॉड्यूल में ऐसी स्थिति से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। इसमें बच्चों को प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षा प्रदान करने के उपायों पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार इस मॉड्यूल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप :

–जिन स्कूलों में बहुकक्षा-शिक्षण हो रहा है उनकी समस्याओं का पता लगा सकेंगे।

–निम्न समस्याओं का समाधान ढूंढ़ सकेंगे :

(क) कक्षा में बैठने का प्रबन्ध

(ख) समय तालिका तैयार करना

(ग) अध्ययन अध्यापन संबंधी नीतियां तथा

(घ) संयोजन व संगठन संबंधी अन्य पहलू

–स्कूल में बहुकक्षा शिक्षा की स्थिति की गहराई से जांच कर सकेंगे तथा ऐसे स्कूलों की वर्तमान स्थिति तथा उनके स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य योजनाएं बना सकेंगे।

विचार कीजिए

संभव हैं, शिक्षक होने के नाते आपने भी एक या दो शिक्षक वाले स्कूलों में कार्य किया हो अथवा अपने साथियों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते देखा हो। उन बाधाओं तथा समस्याओं का विचार कीजिए जो ऐसे स्कूलों में विद्यमान हैं। आइए, हम ऐसी समस्याओं तथा बाधाओं पर दृष्टिपात करें। इनमें से कुछ समस्याओं का परिशिष्ट में उल्लेख किया है। इनका अध्ययन कीजिए और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए एक सूची बनाइए।

क्रियाकलाप

नीचे दी गई समस्याओं के बारे में अपने सहयोगी शिक्षकों से बातचीत कीजिए और समस्याओं की एक तालिका बनाइए :

1- क्या दो या तीन शिक्षकों वाले स्कूलों में किसी एक शिक्षक के साथ कक्षा संयोजन की कोई कसौटी है ? 2- क्या ऐसे स्कूलों की कक्षाओं में शिक्षण का ढंग अन्य स्कूलों से भिन्न है ? 3- ऐसे स्कूलों में शिक्षण का प्रारूप अन्य सामान्य स्कूलों से किस प्रकार भिन्न है ? 4- क्या ऐसे स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों का अनुपात अन्य स्कूलों की अपेक्षा अधिक है ? 5- ऐसे बच्चों की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है ? 6- ऐसे स्कूलों में भौतिक, आर्थिक अथवा वित्तीय बाधाएं क्या हैं ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

अभी काफी अर्से तक एक या दो शिक्षक वाले स्कूलों में बहुकक्षा-शिक्षण एक सत्य हैं और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। अत: यह आवश्यक है कि बहुकक्षा-शिक्षण की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रबन्धात्मक तथा शैक्षणिक नीतियां बनाई जाएं।

प्राथमिक स्कूलों में बहुकक्षा-शिक्षण से संबंधित समस्याएं तीन क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती हैं।

(क) बहुकक्षा-शिक्षण के लिए कक्षा में बैठने की प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारु बनाना

बहुकक्षा-शिक्षण की स्थिति में शिक्षण से यह अपेक्षा की जाती है कि कक्षा का प्रबन्ध कुछ इस प्रकार किया जाए जिसमें एक ही कक्ष में बैठने वाले अन्य छात्रों का ध्यान इधर-उधर न बँटे। दूसरी बात यह कि शिक्षक को ज्ञानोपार्जन के लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा। विभिन्न कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठते हैं। यदि सोच-समझ कर इन छात्रों को बैठाया जाए तो एक ही शिक्षक के पास एक ही कक्ष में बैठने वाले कक्षा-1 और 2 के इन छात्रों में जो 6-11 वर्ष की आयुवर्ग के होते हैं, एक अनोखा तालमेल हो सकता है। बेमेल जोड़ी में छोटे आयुवर्ग के बच्चों का बड़े बच्चों के साथ बैठना, पढ़ना यहां तक कि खेलना भी असुविधाजनक लगता है। शिक्षक को कोई भी सामूहिक गतिविधि अथवा खेलकूद का आयोजन करने में कठिनाई होती है। अतः छात्रों की यथासम्भव समान आयुवर्ग, उनके हित तथा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही एक साथ बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

बहुकक्षा-शिक्षण की स्थिति में छात्रों के बैठने की योजना व्यवहार में चली आ रही योजना से भिन्न होनी चाहिए। आजकल बच्चों को एक ही ओर मुख करके एक ही ब्लैकबोर्ड पर एक ही तरह का प्रयोग करते हुए पंक्तिबद्ध रूप से बैठाया जाता है। जिस समय शिक्षक एक कक्षा के बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर कुछ समझा रहा होता है तो दूसरी कक्षा के छात्रों का ध्यान बंटता है। कक्षा में बच्चों को बैठाने का प्रबन्ध करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का ध्यान कम से कम बंटे और विभिन्न कक्षाओं के बच्चों की पढ़ने-पढ़ाने में भी सुविधा हो। यह प्रबन्ध कक्षा की विभिन्न गतिविधियों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होगा। एक ही कक्ष में विभिन्न कक्षा के छात्रों को अलग-अलग दीवार की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। सामूहिक कार्य में सफलता के लिए बच्चों के बैठने का प्रबंध करते समय तेज, औसत तथा कमजोर बच्चों को एक साथ बैठाने पर विचार किया जा सकता है। बहुकक्षा-शिक्षण में शिक्षक को काफी हद तक मानीटर की सहायता की भी समुचित योजना बनानी पड़ती है। मानीटर कई प्रकार की भूमिकायें निभा सकता है—जैसे शिक्षक के सहायक के रूप में, सह-शिक्षकों के रूप में अथवा अपने साथियों के मार्गदर्शक के रूप में। अतः कुछ तेज बच्चों को छांटकर मानीटर बनाना चाहिए।

क्रियाकलाप-2

1- अन्य अध्यापकों के साथ बहुकक्षा के अध्यापन के बारे में अपने अनुभवों पर विचार-विमर्श कीजिए। 2- एक अध्यापक या दो अध्यापकों वाले प्राथमिक स्कूल की समस्याओं का समाधान इन कार्यों द्वारा हो सकता है : (क) --------------------- (ख) --------------------- (ग) --------------------- (घ) --------------------- (ङ) --------------------- (च) ---------------------	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

(ख) गतिविधियां तथा विभिन्न विषयों के लिए समय की सूची बनाना

प्रायः प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को एक कक्षा में सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता है। बहुकक्षा-शिक्षण स्थिति में वह विषय के अतिमहत्वपूर्ण पहलू पर ही ध्यान दे सकता है अथवा चुने हुए कार्यकलाप ही करा सकता है। उसे प्रायः समय के दबाव में रहना पड़ता है अतः समय के सदुपयोग के लिए समय सूची निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय सूची बहुकक्षा-शिक्षण को ध्यान में रखकर किस प्रकार बनानी चाहिए ? मान लीजिए कि शिक्षक को तीन कक्षायें एक साथ लेनी हैं तो उसे काफी हद तक मानीटरों अथवा तेज छात्रों की सहायता पर निर्भर होना होगा। जिस समय शिक्षक एक कक्षा को पढ़ा रहा हो मानीटर की सहायता का पूर्ण उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ? बच्चों को स्वतः पढ़ने अथवा सामूहिक अध्ययन में किस प्रकार लगाया जाये ? मान लीजिए कि एक घंटे के समय का सदुपयोग करना है— तो उसका विभाजन इस प्रकार हो सकता है :

एक घण्टे के समय का विभाजन	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3
पहले 20 मिनट	शिक्षक	मानीटर	स्वतः अध्ययन
अगले 20 मिनट	स्वतः अध्ययन	शिक्षक	मानीटर
अन्तिम 20 मिनट	मानीटर	स्वतः अध्ययन	शिक्षक

बहुकक्षा-शिक्षण के समय शिक्षक को समय सारिणी इस प्रकार बनानी चाहिए कि एक कक्षा को पढ़ाते समय वह अन्य दो कक्षाओं का, जिन्हें मानीटर पढ़ा रहा है अथवा जो स्वतः अध्ययन में लगी हैं— निरीक्षण भी कर सके।

सामूहिक शिक्षण इस योजना का एक अन्य पक्ष है जिसकी योजना बनाना आवश्यक है । इससे संबंधित कुछ गतिविधियां हैं : कक्षा और स्कूल के अहाते की सफाई करना, खेलकूद, कहानी कहना, नाटक करना, कविता पाठ करना, खेल प्रतियोगिता में भाग लेना आदि । समय की सही योजना बनाने से ही प्रणालीबद्ध कार्य हो सकता हैं ।

क्रियाकलाप-3

1- यदि दो अध्यापक वाले स्कूल में एक अध्यापक छुट्टी पर जाए तो जो समस्यायें उत्पन्न होंगी उनका वर्णन कीजिए । 2- मानीटर की सहायता लेने से क्या लाभ व नुकसान होंगे ? 3- प्राथमिक स्कूल में हर 20 से 30 मिनट के बाद शिक्षण गतिविधियों में परिवर्तन क्यों आवश्यक है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

(ग) शिक्षण संबंधी नीतियां

सामाजिक लक्ष्य, शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और छात्रों की मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की ध्यान में रखते हुए शिक्षण गतिविधियों की इन स्थितियों में सफल होने के लिए कुछ विषय वस्तुओं तथा प्रकरणों का पता लगाना होगा । ये गतिविधियां कक्षा के अन्दर भी हो सकती हैं और बाहर भी । अध्यापक शिक्षण संबंधी कुछ सुझाव और निर्देश भी दे सकता है । वह छात्रों को बता सकता है कि वे स्वयं पढ़ाई कैसे कर सकते हैं ।

उदाहरण के लिए प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन भी एक विषय है । इस क्षेत्र में पुस्तकीय ज्ञान से अधिक जोर प्राकृतिक अथवा सामाजिक तत्वों पर किया जा सकता है । दूसरे पर्यावरण शिक्षा की विषय-वस्तु का उपयोग भाषा, गणित, व्यावहारिक कार्य, कला आदि में भी किया जा सकता है । वास्तव में शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधियां खोजनी होंगी जो सम्यक व सुसंगठित हों । अध्ययन अध्यापन संबंधी पद्धति में सबसे पहला कदम यह होगा कि कक्षा में एक जनतांत्रिक वातावरण बनाया जाये । वहां शिक्षक एक सेनापति के स्थान पर पथ प्रदर्शक, चतुर मित्र और समझदार माता-पिता के रूप में कार्य करता है । एक बार सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाने के पश्चात् बच्चों में स्वतः ही कुछ खोजने, कुछ पाने, जानने और समझने की ललक उत्पन्न हो सकती है ।

अनेक विद्यालयों में, जहां बहुकक्षा-शिक्षण है, अनेक बच्चे गरीब व शोषित परिवारों से आते हैं । न तो इन बच्चों को और न इनके माता-पिता को ही यह ज्ञान होता है कि आर्थिक उन्नति में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है । ऐसे बच्चे असंतुलन, अपर्याप्त शब्द ज्ञान तथा बुरी आदतों से ग्रस्त होते हैं । ऐसे बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे वे अच्छी आदतें सीखने, सफाई से रहने, अच्छे व्यवहार अपनाने और सुस्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम हो सकें ।

कक्षा-1 और 2 को पढ़ाते समय ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हो सकें । सबसे पहले तो उनकी भाषा संबंधी योग्यताओं पर ध्यान देना आवश्यक है । दूसरी बात है कि उनमें देखने, परखने, समझने की दक्षता विकसित की जाये । वे आस-पास की वस्तुओं को छुयें उनके रूप तथा आकार को समझें, तथा उनकी समानताओं की तुलना करें । उनका ध्यान कुछ विशिष्ट परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, जैसे गतिशील वस्तुओं की ओर, पौधों व पशुओं की बढ़ोत्तरी की ओर, घरों तथा पशुओं के बाड़ों के विभिन्न आकार-प्रकार की ओर । बच्चों में जब कुछ सीमा तक अवलोकन दक्षता आ जाये तब उनकी अभिरुचि जागृत करने के लिए उनसे तरह-तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए । बाद के चरण में बच्चों को छोटे-छोटे दलों में बांटकर अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इस स्तर पर उनकी पढ़ाई व अनुभवों को व्यवस्थित करने का प्रयास होना चाहिए ।

कक्षा 3-4 के लिए भी यही नीति अपनानी चाहिए । कक्षा में तथा कक्षा के बाहर की वस्तुओं को नापने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं । हम उनके साथ अलग-अलग मौसमों में खाने-पीने, कपड़े पहनने एवं रहने-सहने के बारे में चर्चा कर सकते हैं । कभी हम उनके लिए सामाजिक मेल-मिलाप एवं सामूहिक कार्यकलापों का आयोजन भी कर सकते हैं । उनके समान ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं जिनके माध्यम से वे नागरिक और सामाजिक जीवन के व्यापक तत्वों को समझकर उसमें सफल और प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने लगें । विभिन्न कार्यकलापों द्वारा उचित सामाजिक व नैतिक मूल्य पैदा किये जा सकते हैं । बच्चों को यदि बोध या अनुभव कराया जा सकता है कि जड़ और चेतन वस्तुओं में विविधता है किंतु उनमें इस विविधता के साथ-साथ अन्तर्निहित एकता भी है । अतः विविधता का अर्थ यह नहीं होता कि उसे ठुकरा दिया जाये अथवा अस्वीकार कर दिया जाये । केवल विविधता के कारण कोई अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा नहीं होता ।

इस स्तर तक आते-आते बच्चों को पढ़ना और लिखना दोनों ही आ जाते हैं । उन्हें अपने प्रेक्षण-निरीक्षण पर नोट तैयार करना सिखाया जाना चाहिए । उन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे आपस में अपने-अपने नोटों की तुलना करें और अपने अनुभवों की चर्चा करें । बच्चे प्रायः गतिशील, क्रियाशील और स्वयं अपने आप कार्य करने में रुचि रखने वाले होते हैं अतः काम करने के अनुभव और खेलों द्वारा उनमें हस्त कौशल के विषय पर अधिकाधिक जोर दिया जाना चाहिए । उन्हें मातृभाषा, गणित आदि में पारस्परिक संबंधों को ढूंढ़ने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए । इस प्रकार एक विषय से दूसरे विषय में तारतम्य बना रहेगा और उनके अनुभव में वृद्धि होगी ।

क्रियाकलाप-4

1- बहुकक्षा-शिक्षण की स्थितियों में सामूहिक शिक्षण का क्या महत्व है ? कक्षा-1 और 2 के लिए 15 तथा कक्षा 3 और 4 के लिए ऐसे 10 कार्यकलापों की सूची बनाइये । 2- एक या दो शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में किन कार्यकलापों द्वारा स्वयं पढ़ने की आदत डाली जा सकती है ?	एकत्र कीजिए मिलान कीजिए चर्चा कीजिए

भारत में बहुकक्षा-शिक्षण संबंधी समस्यायें

1- सामान्य स्कूलों में वही पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जो एक कक्षा में एक शिक्षक वाले स्कूलों में प्रयुक्त होती हैं । परिणाम स्वरूप शिक्षकों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है :

–अपेक्षित कोर्स पूरा नहीं हो पाता ।

–शिक्षण कुछ मूल विषयों तक ही सीमित रह जाता है जैसे भाषा और गणित, सामान्य विज्ञान अथवा सामाजिक विषयों पर उचित ध्यान देना संभव नहीं हो पाता ।

–शिक्षकों को उन वरिष्ठ छात्रों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है जो मानीटर बनाये जाते हैं । यदि मानीटर उसी कक्षा का छात्र हो, तो शिक्षण में उसकी सहायता अपर्याप्त होती है ।

–सामान्यत: कक्षा-1 और 2 मानीटर को सौंप दी जाती है और शिक्षक की अपेक्षा मानीटर उन कक्षाओं में अधिक समय व्यतीत करता है ।

–कक्षा-3 से आगे ही शिक्षक का सहयोग बढ़ता है– विशेषकर कक्षा-5 में । उसका समस्त प्रयास इसी दिशा में रहता है कि उसके छात्रों का परीक्षाफल अच्छा हो ।

–खेलकूद पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों, कला आदि की ओर कम ध्यान दिया जाता है । फलस्वरूप बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और उसका व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है ।

2- ब्लाक में स्थित स्कूल का मूल्यांकन 5 वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से किया जाता है । यह परीक्षा स्कूल के बाहर से आये प्रश्नपत्रों के आधार पर होती है ।

– ऐसी स्थिति में जिन कक्षाओं को कक्षा-5 के विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता है उन कक्षाओं के छात्रों को नुकसान होना है क्योंकि अधिक ध्यान 5 वीं कक्षा के छात्रों पर होता है ।

3- शिक्षक पर अधिक कार्यभार होने के कारण प्राय: वह विभिन्न विषयों को अपनी सुविधानुसार बहुत हल्के-फुलके ढंग से पढ़ाता है । परिणामस्वरूप छात्रों की नियमित रूप से विभिन्न विषयों को सही ढंग से पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती ।

4- एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली कई कक्षाओं के समायोजन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता ।

5- बहुकक्षा-शिक्षण के लिए शिक्षक को कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिये जाते ।

6- शिक्षक को छात्रों को शैक्षिक यात्रा के लिए ले जाने में कठिनाई होती है ।

7- शिक्षकों को उपचारात्मक शिक्षण के लिए समय नहीं मिल पाता । अत: बच्चों की भाषा बोलने तथा लिखने संबंधी और गणित आदि की त्रुटियां वैसी की वैसी रह जाती हैं । इसका प्रभाव उनकी सफलता पर पड़ता है ।

8- योग्य अथवा पढ़ाई में कमजोर छात्रों को व्यक्तिगत सहायता नहीं मिल पाती ।

9- प्राय: स्कूल में प्राप्त होने वाले भौतिक साधन स्कूल में शिक्षकों की संख्या पर आधारित होते हैं । उदाहरण के लिए एक या दो शिक्षकों वाले, कक्षा-5 तक के स्कूल में पांच के स्थान पर दो ही ब्लैकबोर्ड दिये जाते हैं । इस कारण स्कूल की 2 या 3 कक्षाओं को ऐसे कार्य में लगाना पड़ता है जिसमें ब्लैकबोर्ड की आवश्यकता न हो । इससे पढ़ाई में हानि होती है ।

10- यदि एक शिक्षक छुट्टी पर चला जाये तो दो शिक्षक वाले स्कूलों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है । ऐसी स्थिति में एक शिक्षक वाले स्कूल को तो उस दिन बंद ही करना पड़ता है । दो शिक्षक वाले स्कूल में एक ही शिक्षक को लगभग दुगुने विद्यार्थियों को संभालना पड़ता है । ऐसी स्थिति में स्वयं उस अध्यापक के शिक्षण कार्य का नुकसान होती है ।

11- स्कूल में कार्यभार अधिक होने के कारण शिक्षक बच्चों की अनिवार्य भर्ती के कार्य में कोई रुचि नहीं लेते । इसके अतिरिक्त स्कूल में भर्ती छात्रों को स्कूल में बनाये रखने की दिशा में भी बहुत कम प्रयास किया जाता है ।

मॉड्यूल 27-पी

प्राथमिक स्तर पर गणित का अध्यापन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में है । इस समय के दौरान आपने अपने आपको इस नीति के प्रमुख तत्वों के अनुकूल तैयार कर लिया होगा । आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 "छात्र केन्द्रित और गतिविधि आधारित" अध्ययन प्रक्रिया को मान्यता देती है । इसका अर्थ है कि हम कक्षा में गतिविधि और अनुभव से सम्बद्ध प्रयास करें जिससे छात्र की प्रवृत्ति, दिलचस्पी और स्तर के आधार पर शिक्षा दी जाय जो उसके लिए अर्थपूर्ण एवं उपयोगी हो । अध्ययन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण छात्र की आगामी शिक्षा के लिए नींव रखने में सहायक होगा ।

इस मॉड्यूल से आप यह समझ सकेंगे कि छात्र केन्द्रित तथा गतिविधि आधारित अध्ययन प्रक्रिया से हमारा क्या तात्पर्य है तथा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में हम किस नीति का अनुसरण करें । इसके अलावा इससे यह भी स्पष्ट होगा कि अध्ययन को अर्थपूर्ण व उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है । अध्यापन व विविध सिद्धांतों के बारे में दिशा निर्देश की दृष्टि से तीन सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं :

(क) स्थान मूल्य
(ख) संख्याओं का विभाजन
(ग) परिमाप, क्षेत्र तथा वॉल्यूम

उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद आप :

—गणित के अध्ययन की प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्वों को जान सकेंगे ।
—गणित के सन्दर्भ में छात्र केन्द्रित व गतिविधि आधारित बातों की व्याख्या एवं खुलासा कर सकेंगे ।
—मोटे तौर पर प्राथमिक स्तर पर इच्छित अध्यापन-अध्ययन की नीतियों के बारे में जान सकेंगे जो गणित पढ़ाने के विविध सिद्धांतों व दक्षता से सम्बद्ध है ।
—आवश्यक संशोधन के साथ सुझाई गई नीतियों को अध्ययन के सिद्धांतों, मूल्य, संख्याओं का विभाजन, परिमाप, क्षेत्र तथा वॉल्यूम के बारे में प्रयुक्त कर सकेंगे ।
—इस मॉड्यूल में सुझाई गई नीतियों के आधार पर पाठों की योजना व अन्य सिद्धांत विषय तैयार कर सकेंगे ।

स्वतः जांच के प्रश्न : इस मॉड्यूल के अध्ययन से पूर्व नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब दें ताकि बाद में आप जान सकें कि इस मॉड्यूल ने आपकी प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने में किस प्रकार व किस सीमा तक सहायता की है:

1- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गणित के अध्ययन की प्रक्रिया तथा तत्व के बारे में क्या प्रमुख बातें कही गयी हैं ।
2- "छात्र केन्द्रित तथा गतिविधि आधारित" गणित की पढ़ाई से आप क्या समझते हैं।
3- वे कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पढ़ाई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं ।
4- आप मूल्य, संख्या का विभाजन, क्षेत्र, परिमाप व वॉल्यूम के सिद्धांतों को किस प्रकार लागू तथा विकसित करेंगे ।

अध्ययन में विशेष बातें : पढ़ाई में दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं :

—मूल रुचि, जो छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है ।
—उपलब्धि की भावना, जो बच्चों को अपने प्रयासों के बारे में संतोष देती है ।

पढ़ाई की अनिवार्य पूर्व-शर्त है कि बच्चे के मन में विशेष तौर पर गणित की जानकारी की प्रक्रिया व तत्व के बारे में रुचि जागे । बच्चे में रुचि विकसित करने के लिए अध्ययन सामग्री बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होने के साथ ही उसकी समझ एवं योग्यता व पिछले अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए । इसका अर्थ यह है कि अध्यापक को व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से बच्चे की जरूरत व योग्यता के अनुकूल गतिविधियों व अनुभवों का संचालन करना होगा । यदि रुचि बनाये रखनी है तो छात्र के प्रयास सफल होने चाहिए । प्रभावपूर्ण पढ़ाई के लिए संतोष की भावना जरूरी है । इसके लिए कार्य बच्चे की क्षमता की परिधि में होना चाहिए । काम पूरा कर लेने पर बच्चे की प्रशंसा भी होनी चाहिए ।

गतिविधि आधारित अध्ययन प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गतिविधि आधारित गणित के अध्ययन में बच्चों को गणित के सिद्धांतों को स्थायी रूप से सीखने में सहायता मिलेगी । वास्तविक एवं अर्थपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने से अध्ययन प्रक्रिया में बच्चा सक्रिय भागीदार बनता है । अध्यापक द्वारा

सावधानी पूर्वक चुनी गई एवं संगठित गतिविधियों से छात्र को खोजपरक बनने की प्रेरणा मिलती है और वह प्रतिमानों व सामान्यीकरण से परिचित होता है। ऐसी स्थिति में छात्र को काफी प्रेरणा मिलेगी तथा गणित के सिद्धांतों को समझने में उसकी पूरी सहायता होगी। गतिविधिपरक दृष्टिकोण बच्चों को अपने खेल की दुनिया से एक ऐसे वातावरण में आ गया है जो औपचारिक है। यह दृष्टिकोण बच्चों को गणित की पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखने तथा सकारात्मक रुख अपनाने में मदद देता है।

क्रियाकलाप-1

गणित के क्षेत्र से उदाहरण देते हुए बताइये कि आप "छात्र केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित" अध्ययन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं।

उन्हें सभी बच्चों पर लागू करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों को दो समूहों में बांटा जाए :

1. प्रथम व दूसरी कक्षा के छात्र
2. तीसरी, चौथी व पांचवीं कक्षा के छात्र

प्रथम वर्ग में 5 से 7 वर्ष के बच्चे होंगे। जीन पियाजे के अनुसार यह पूर्व- तैयारी की उम्र है। इस उम्र के बच्चे खेलों में गहरी रुचि लेते हैं जैसे– निशाना लगाना, भागना, छिपना, पकड़ना, बोर्ड या कार्ड जैसे खेलों की सहायता से बच्चे संख्या का सिद्धांत अच्छी तरह समझ सकते हैं। शोध से पता चलता है कि अगर दैनिक अनुभवों के आधार पर सामग्री का चुनाव करके देखी गयी चीजों पर विचार करके एवं उनका सामान्यीकरण करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो वे गणित को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। निःसंदेह इस पद्धति को अपनाने के लिए आवश्यक सामग्री को जरूरत होती है। अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया को लागू करने व कक्षा में अध्यापन को आकर्षक, दिलचस्प व सहज बनाने के लिए विविध प्रकार को अध्यापन सामग्री का उपयोग करना जरूरी है। वास्तव में हर प्राथमिक स्कूल में एक गणित पिटारी होनी चाहिए जिसमें भले ही मंहगी चीजें न हों। ऐसी सामग्री स्थानीय चीजों से तैयार की जा सकती है। इस स्तर पर बच्चों को समूह में एक साथ मिलकर अपने आप गणित के सत्य/तथ्य का पता लगाने की अनुमति देनी चाहिए। समूह में जब बच्चा एक दूसरे की गलती सुधारता है और बीच-बीच में अध्यापक भी उसकी गलती बताता है तो वह उसके लिए अधिक अर्थपूर्ण अनुभव होगा बजाय इसके कि अध्यापक अलग-अलग लड़के को कापी को चेक करें।

दूसरे समूह में 7 से 10 या 11 वर्ष के बच्चों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यह ठोस तैयारी की उम्र है, इस उम्र में बच्चों में एक खास प्रकार को तार्किक समझ आने लगती है। गणित के सिद्धांतों को समझने के लिए तार्किक विचार आवश्यक है। जो भी हो बच्चों को गणित के अमूर्त विचार को समझाने के लिए हमें कुछ ठोस चीजों का इस्तेमाल करना होगा। जब बच्चा उन चीजों से खेलता है तो एक स्तर पर वह उसमें से गणित विषयक विचार निकालने व समझने के योग्य हो जाता है। अत: यह जरूरी है कि छात्र अमूर्त गणित को समझने के लिए भौतिक दुनिया की चीजों का इस्तेमाल करे। सिर्फ "कहना", "खुलासा करना" या "दिखाना" काफी नहीं है। बच्चों को स्वयं अपने प्रयासों से चीजों, रेखाओं व अन्य सहायक तत्वों की सहायता से गणित सीखना चाहिए। विचार एवं तर्क शक्ति के विकास में गणित की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें गणित के विचारों की अपेक्षा खोज व समझ पर अधिक ध्यान दिया गया है। इससे दक्षता के लिए अभ्यास को जो जरूरत है वह बाद में सामने आयेगी। पहले उसे गणित के सिद्धांतों, उसकी रचना व ढांचे का ज्ञान कराया जाए। बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वह अपने आप विचार खोजे। अपने आप कुछ दिलचस्प रेखाएं व डिजाइन बनाए, उनके आपसी संबंधों के साथ ही अपने सामान्य सिद्धांत विकसित करे। पाठ्यक्रम में प्रश्नों के हल तथा सही बात जल्दी से समझने के लिए काफी अभ्यास, तार्किक विचार, पैटर्न रेखाओं, गणित के ढांचे एवं दक्षता पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि अध्ययन-अध्यापन के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जो बच्चों को समस्या निदान की सुविधा प्रदान करे। बच्चों को विचार करने, प्रश्न करने, प्रयोग करने, अनुमान लगाने, खोजने व उसका खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक में प्राप्त सामग्री से कहीं अधिक विविध अवसर बच्चों को दिये जाने चाहिए। उन्हें ठोस सामग्री को देखने समझने, गतिविधियों में भाग लेने, गणित विषयक बातचीत में हिस्सा लेने तथा समस्याओं से जूझने के अवसर प्रदान करने चाहिए।

क्रियाकलाप-2

गणित के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए उचित अध्ययन-अध्यापन नीतियां अपनाने के बारे में कुछ वाक्य लिखिए।

स्थान मूल्य, संख्या का विभाजन, माप, क्षेत्र व वॉल्यूम के सिद्धान्तों को समझाने के लिए अध्यापन-नीतियां

यहां स्थान मूल्य, संख्या विभाजन, माप, क्षेत्र व वॉल्यूम के सिद्धान्त पढ़ाने के लिए कुछ सही व प्रभावी नीतियों का सुझाव दिया जा रहा है। आशा है कि ये नीतियां सिद्धान्त पढ़ाते समय इसी से मिलती-जुलती नीतियों के निर्माण में सहायक होंगी। यहां आपको सिर्फ नीति विषयक सुझाव दिये जा रहे हैं। एक अनुभवी अध्यापक होने के नाते आप इससे एक अच्छी व प्रभावात्मक नीति बना सकते हैं।

(क) स्थान मूल्य

1- संख्या की हमारी पद्धति दस संख्या के समूह पर आधारित है ।

2- संख्या में अंक का अपना मूल्य है ।

3- स्थान मूल्य के विचार का दशमलव में विस्तार ।

अध्यापन नीति

दस तक गिनना सीख लेने के बाद बच्चे को संख्या के स्थान मूल्य का सिद्धान्त समझाया जाना चाहिए । संख्या के स्थान मूल्य के सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए हमें दस के आगे संख्या सिखाना आरंभ करना चाहिए ।

1- जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, बच्चे के सामने कुछ कंचे फैला दें और पूछें : ये कितने हैं ?

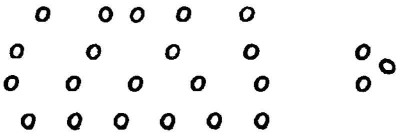

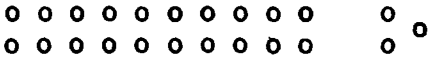

बच्चों से पूछें कि ऊपर व नीचे जो कंचे बिछाए गए हैं उनमें क्या फर्क नजर आता है । बच्चा संभवत: यह जवाब देगा कि कंचे समूह में या लाइन में रखे गए हैं । वह यह भी कह सकता है कि दूसरी बार कंचों को 10 की पंक्ति में सजाया गया है । दस-दस के दो समूह हैं । इसके अलावा 3 और हैं । कुल मिलाकर 23 कंचे हैं । बच्चों से कहें कि वे इन बातों पर ध्यान दें कि 23 कंचों की 3 कंचों के साथ दस के दो समूहों में रखकर दिखाया गया है ।

2- अन्य सामग्री लें, जैसे कापियां । उन्हें नीचे लिखे ढंग से रखें तथा पूछें कि वे कितनी हैं ?

दस-दस कापियों के तीन समूह और
5 का एक समूह

10 के तीन समूह तथा 5 का अलग समूह । बच्चे दो उत्तर दे सकते हैं । कुछ कहेंगे पैंतीस, कुछ कहेंगे दस के तीन समूह और पांच का एक समूह । उनका ध्यान दस के 3 और पांच के एक समूह की ओर मोड़ें ।

3- अन्य चीजें लेकर ऐसे कुछ और उदाहरण दोहराएं । बच्चों को चीजें गिनने के लिए प्रोत्साहित करें और उनसे दो अलग-अलग रूपों (पूर्ण संख्या व समूहों) में उत्तर देने को कहें ।

4- अब बच्चों की यह सीखने में सहायता करें कि 23 में 2 दहाई है व 3 इकाई । इसी प्रकार 35 की संख्या में 3 दहाई है और 5 इकाई ।

बच्चों को यह महसूस करायें कि संख्या को 10 के समूह में रखने से उन्हें गिनने में आसानी होती है । बच्चों की विभिन्न चीजों को 10 के समूह में रखें । उन्हें यह देखने तथा तय करने दें कि कुल संख्या कितनी है ?

1. एक पंक्ति में रखे गये मनके

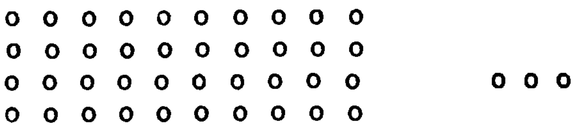

4 दस्सियां 3 एकक = 43

2. तीलियों के बण्डल

4 दस्सियां 3 एकक = 43

3. 4 पट्टियां और तीन खाने

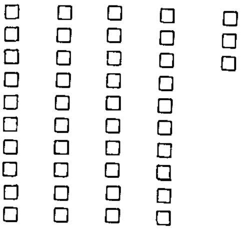

3 एकक = 43

4 दस्सियां

4. 100 मनकों वाला बोर्ड

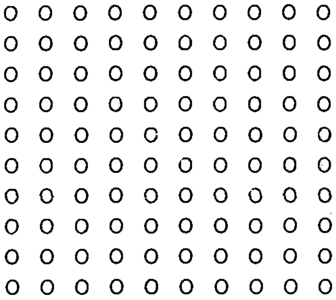

दस दस्सियां

अभ्यास– बच्चे को यह बताने को कहें कि किसी संख्या विशेष में कौन सी दहाई की संख्या है और कौन सी इकाई की ?

सहायक साधनों का प्रयोग

स्थान मूल्य के विचार को समझाने के लिए विभिन्न सहायक साधनों का प्रयोग किया जा सकता है । दो सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रभावशाली साधन हैं :

1- कील गिनतारा (स्पाइक एबाक्स)

2- स्थान मूल्य चार्ट

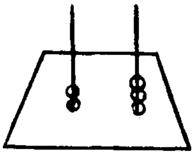

कील गिनतारा

दहाई	इकाई
10	1
2	3

स्थान मूल्य चार्ट

कील गिनतारे से इकाई का अर्थ समझाइए । 5, 6 और 9 की इकाई वाली संख्याएं नीचे इस प्रकार दर्शायी गई हैं :

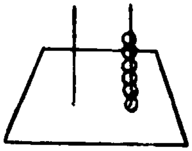

5

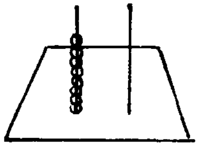

6

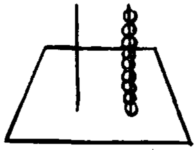

9

छात्रों से पूछें कि क्या वे गिनतारे पर 10 संख्या का प्रदर्शन कर सकते हैं ? उन्हें यह भी बताइए कि 10 मोती एक कील में नहीं आएंगे । एक कील में अधिक से अधिक 9 मोती डाले जा सकते हैं । इसलिए हम एक मोती दहाई वाली कील में डालेंगे । दहाई वाली कील में एक मोती इकाई वाली कील में डाले गए 10 मोतियों के बराबर है । अतः गिनतारे पर 10 की संख्या इस प्रकार दिखाई जा सकती है :

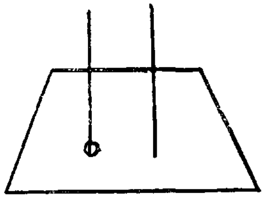

10

इसका अनुसरण करते हुए आप छात्रों को दिखाइए कि 11 से लेकर 99 तक 2 संख्याओं वाले अंक कील गिनतारे पर कैसे दर्शाए जा सकते हैं ।

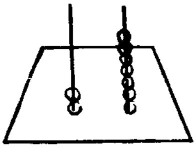

27

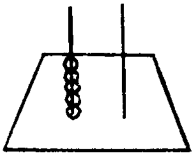

50

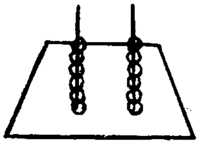

66

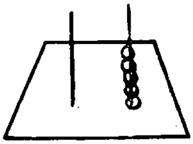

80

यहां आप बच्चों को यह भी बताएं एक शून्य (0) स्थान धारक (प्लेस होल्डर) है ।

एक बार ठोस पदार्थों और गिनतारे की सहायता से स्थान मूल्य का अर्थ पता चल जाने पर बच्चों को अर्ध ठोस पदार्थों या सहायक उपकरणों की सहायता से स्थान मूल्य समझाने के लिए कहिए । स्थान मूल्य चार्ट अर्ध ठोस सहायक उपकरण का उदाहरण है । स्थान मूल्य चार्ट का प्रयोग करते हुए इकाई और दहाई की संख्याओं का प्रदर्शन करने में बच्चों की सहायता करें । उदाहरण के रूप में नीचे संख्याएं–

7, 9, 10, 53, 69 दी गई हैं–

दहाई	इकाई
10	1
	7

दहाई	इकाई
10	1
	9

दहाई	इकाई
10	1
	0

दहाई	इकाई
10	1
5	3

दहाई	इकाई
10	1
6	9

—एक संख्या से शुरू कीजिए। एक नम्बर मान लीजिए 4 से इसे भाग दीजिए। उसका जो उत्तर है उसे 4 से गुणा कर दीजिए। आप उसी संख्या पर पहुंच जायेंगे जिससे आपने शुरू किया था।

—एक संख्या सोच लीजिए जो शून्य से बड़ी हो, इसे किसी को बताइए नहीं। इस संख्या को लेकर हम यह खेल कर सकते हैं।

2 से गुणा कीजिए
2 घटाइए
5 जोड़िए
2 से भाग दीजिए।

अंत में आपके पास आपकी सोची हुई संख्या रह जायेगी।

बच्चों से पूछिए कि उन्हें इसकी ट्रिक समझ में आयी? कुछ स्वयं को इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे। पहले चार से भाग किया फिर हमने 4 से गुणा किया। इसी प्रकार पहले हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, 5 जोड़े, 5 घटाए। जी हां इस पूरी प्रक्रिया के कारण ही हम अपने नम्बर पर लौट आते हैं।

4- भागफल

भागफल, उदाहरण के लिए 30 ÷ 5 का भागफल हम इस प्रकार निकालेंगे—

भाज्य		भाजक		भागफल	गुणक		गुणक		गुणनफल
30	÷	5	=	?	?	X	5	=	30

30 में कितने 5 हैं? 30 में छः 5 हैं।

उत्तर है 6। एक दम छोटा बच्चा वस्तुओं की सहायता से यह उत्तर निकालने की कोशिश करेगा। थोड़ी बड़ी आयु का बच्चा वस्तुओं के चित्र, विन्दुओं, लाइनों या ऐसी ही किसी अन्य पद्धति का सहारा लेगा। उससे भी बड़ा बच्चा पहाड़ों से उसका उत्तर ढूंढ़ सकेगा। इसके बाद यह सिखाया जा सकता हैं:

1. अगर भाज्य संख्या 0 है और भाजक शून्य रहित संख्या हैं तो भागफल 0 ही होगा। $8\overline{)0}$

   सोचिए – $0 \div [\ ?\ ]$ और $[\ ?\ ] \times 8 = 0$

   $[\ ?\ ] = 0$

2. अगर भाजक 1 है तो भाज्य संख्या ही भागफल होगी।

   $1\overline{)7}$

   सोचिए $7 \div 1 = [\ ?\ ]$ और $[\ ?\ ] \times 1 = 7$

   $[\ ?\ ] = 7$

3. अगर भाज्य और भाजक संख्या समान हैं (शून्य को छोड़कर) तो भागफल 7 होगा।

   $6\overline{)6}$

   सोचिए $= 6 \div 6 = [\ ?\ ]$ और $[\ ?\ ] \times 6 = 6$

   $[\ ?\ ] = 1$

आप बच्चों को यह बता सकते हैं कि शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। अगर कोई बच्चा प्रश्न उठाता है तो आप उसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं:

सभी प्रक्रियाओं से हमें सिर्फ एक ही उत्तर चाहिए। भाग जैसे 5 ÷ 0 और 0 ÷ 0 के लिए या तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा या फिर बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। इस दुविधा को हल करने के लिए गणितज्ञों ने स्वीकार कर लिया कि हम शून्य से कभी भाग नहीं देंगे। शीघ्रता से भागफल निकालने पर जोर दीजिए। बच्चों को 9 तक (81 ÷ 9 = 9) पहाड़े रटने के लिए कहिए।

एक अंक वाली संख्या से भाग देना

उपरोक्त अभ्यास के बाद बच्चे को 100 सें नीचे की संख्या को 10 से नीचे की संख्या से भाग देना सिखाया जा सकता है। इसके लिए हम यह विधि अपना सकते हैं–

क– एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें न पुनर्समूहीकरण हो और न कुछ शेष बचे।

ख– एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें पुनर्समूहीकरण न हो पर कुछ शेष रह जाय।

ग– एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें पुनर्समूहीकरण भी हो और शेष भी बचे।

(क) एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें ना पुनर्समूहीकरण हो और ना ही शेष बचे। इसके लिए आप निम्नलिखित उदाहरण ले सकते हैं–

"क्रिकेट खेलने के लिए हमें 24 बच्चों के क्लास को दो समान समूहों सें बांटना है, तो प्रत्येक समूह सें कितने बच्चे होंगे ?"

इसका (24 ÷ 2) भागफल निकालने के लिए बच्चों की सहायता करें। आप यहां खानों वगैरह का सहारा ले सकते हैं। मान लेते हैं एक खाना □ एक बच्चा है।

10 बच्चे 10 खाने– इसकी हम एक लम्बी पट्टी बना लेंगे :

□□□□□□□□□□ 24 छात्रों के लिए हमें दो पट्टियां और चार खाने बनाने होंगे।

□□□□□□□□□□ □ □

□□□□□□□□□□ □ □

बच्चों सें इन पट्टियों और खानों के सहारे दो समान समूह बनाने के लिए कहिए। इस काम में आप उनकी इस प्रकार सहायता कर सकते हैं :

प्रत्येक समूह में एक पट्टी और दो खाने हैं अर्थात् प्रत्येक समूह में 12 छात्र हैं अतः 24 ÷ 2 का भागफल 12 होगा। हम संख्याओं और चिह्नों में इस प्रकार लिखेंगे– $24 \div 2 = 12$

जांच कीजिए– $12 \times 2 = 24$

इसी प्रकार के कई प्रश्न बच्चों को अभ्यास के लिए दीजिए।

आगे हम भाज्य संख्या को थोड़ा फैलाकर भी लिख सकते हैं जैसे 20 + 4। इसका भागफल हम इस प्रकार निकालेंगे :

$$2\overline{)20+4}\quad \text{भागफल } 10+2 \text{ या } 12 \qquad \text{या} \qquad 2\overline{)24}\quad \text{भागफल } 12$$

या $24 \div 2 = 12$

बात एक ही है। इसका भी अभ्यास कराएं।

भाग के लिए पुरानी एल्गोरिथ्म पद्धति भी सिखाएं :

```
    12
2 ) 24
   - 2
   ---
    ×4
   - 4
   ---
     0
   ---
```

जांच कीजिए $12 \times 2 = 24$

इसका अभ्यास कराने के लिए बच्चों को 10 - 15 प्रश्न दें।

(ख) एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें पुनर्समूहीकरण न हो पर कुछ शेष बच जाए । एल्गोरिथ्म पद्धति से आप इसे इस प्रकार करेंगे—

```
     13
    ----
2 )  27
      2
    ----
     ×7
      6
    ----
      1  शेष
    ----
```

(ग) एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें पुनर्समूहीकरण हो पर शेष कुछ न बचे । यहां आप इस प्रकार के प्रश्न ले सकते हैं :

64 बिस्किट के एक समान चार पैकेट हैं तो प्रत्येक पैकेट में कितने बिस्किट हुए ?

इसके हल के लिए भी हम (क) में अपनाई गई तीनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं । एक बिस्किट को हम एक खाना मान लेते हैं ।

10 बिस्किट 10 खाने हुए । 10 की एक पट्टी बन गई, जैसे—

□□□□□□□□□□

64 बिस्किटों के लिए 6 पट्टियां और 4 खाने बनाने होंगे । जैसे—

```
□□□□□□□□□□        □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□        □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□        □   □   □   □
□□□□□□□□□□
```

बच्चों को इन पट्टियों और खानों को चार समान समूहों में बांटने के लिए कहिए । जैसे—

```
□ □ □   □ □ □   □ □ □   □ □ □
□ □ □   □ □ □   □ □ □   □ □ □
□ □ □   □ □ □   □ □ □   □ □ □
□       □       □       □
□       □       □       □
□       □       □       □
□       □       □       □
□       □       □       □
□       □       □       □
□       □       □       □
```

अगर बच्चे समझ नहीं सके हैं तो उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाइए । हम एक एक पट्टी एक-एक समूह में रखेंगे । दो पट्टियां बच जाती हैं । ये दो पट्टियां चार समूहों में नहीं रखी जा सकतीं । उन्हें हम अलग-अलग कर लेते हैं । इस प्रकार हमारे पास 24 खाने ही जायेंगे । इन खानों को आप बांटकर चार पट्टियों के साथ रखें । हमने बाँटने की प्रक्रिया 6 बार की अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचता । प्रत्येक समूह में एक पट्टी और 6 खाने हैं अर्थात् 16 बिस्किट । अतः $64 \div 4 = 16$

जांच कीजिए $16 \times 4 = 64$

अगर हम भाज्य संख्याओं को फैलाकर लिखते हैं ।

$4\overline{)\;64} = 4\overline{)\;60+4}$

60 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं : $40 + 20 = 60$ और $60 + 4$ को : $40 + 24$ ।

इस प्रकार $4\overline{)\;64}$, $4\overline{)\;40+24}$ के बराबर है ।

अतः $4\overline{)\;64}$ $4\overline{)\;60+4}$ के = $\begin{array}{r} 10+6 \text{ या } 16 \\ 4\overline{)\;40+24} \end{array}$

एल्गोरिथ्म पद्धति से आप यह प्रश्न इस प्रकार हल करेंगे--

```
      16
    ----
4 ) 64
    4
    ----
    24
    24
    ----
     0  शेष
```

बच्चों को इसका पर्याप्त अभ्यास करायें ।

(घ) एक अंक वाली संख्या से भाग देना जिसमें पुनर्समूहीकरण भी हो और शेष भी बचे । पर जहां न पुनर्समूहीकरण हो और न ही शेष भी बचे उन प्रश्नों का पर्याप्त अभ्यास हो जाने के बाद आप बच्चों को उसी पद्धति से निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए कह सकते हैं :

(क) $82 \div 4$ (ख) $42 \div 5$ (ग) $84 \div 9$

इन्हें हल करने के लिये हम एल्गोरिथ्म पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं ।

```
           20                  12                  9
         ----                ----                ----
क.  4 )  82      ख.  5 )  62       ग.  9 )  84
         -8                  -5                 -81
         ----                ----                ----
         ×2                  12                  3
         -0                 -10                 ----
         ----                ----
          2                   2
         ----                ----
```

बच्चों को समझाइए कि (ग) में भागफल 9 चार पर क्यों लिखा है, 8 पर क्यों नहीं ?

अब आप बच्चों को 3 अंकों वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से भाग देना सिखाएं पर इसके लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चों ने एक अंक वाली संख्या से दो अंक वाली संख्या को भाग देना अच्छी तरह सीख लिया या नहीं । पहले अब हम तीन अंकों वाली एक संख्या लेते हैं जैसे– $275 \div 5$ बच्चों को भाज्य संख्या के प्रत्येक अंक का स्थान मूल्य बताने को कहिए । 275 सैकड़े वाली संख्या है इसमें दो सौ हैं । दो सौ से हम सौ-सौ के 5 समूह नहीं बना सकते अतः हम 200 को 20 दस्सियों में बदल लेते हैं। हमारी भाज्य संख्या 275 है अतः कुल मिलाकर 27 दस्सियां हुईं । 27 दस्सियों की अगर हम 5 समान समूहों में बांटते हैं तो प्रत्येक समूह में 5 दस्सियां होंगी और दो दस्सियां बच

रहेंगी। दो दस्सियों के 10-10 के 5 समूह नहीं बन सकते इसलिए हम इन्हें इकाई की संख्या में बदल लेते है अब हम इन्हें 5 से विभाजित कर सकते हैं। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस प्रकार प्रत्येक समूह में 5 दस्सियां और 5 एक होंगे। हम उपरोक्त प्रक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं:

```
       55
    ------
 5)  275
    - 25
    ------
      25
    - 25
    ------
       0
    ------
```

बच्चों को जब इन पर पूरा अधिकार हो जाय सिर्फ तभी आप निम्नलिखित सवाल उन्हें दे सकते हैं :

$3\overline{)603}$ $\quad 5\overline{)408}$ $\quad 4\overline{)800}$

6. 2 अंकों वाली संख्या से भाग

2 अंकों वाली संख्या से भाग कुछ अधिक कठिन है। यहां हम दो पद्धतियां दे रहे हैं :

पहली पद्धति : हमारा सवाल है : $31\overline{)93}$

भागफल निकालने के लिए आइए हम गुणा के रूप में

जैसे $\square \times 31 = 93$

स्पष्टतः $1 \times 31 = 31$, जो कि 93 से कम है।

$10 \times 31 = 310$, जो कि 93 से अधिक है।

अतः भागफल 1 और 60 के बीच में है अर्थात् भागफल एक अंक वाली संख्या में होगा।
भागफल के और निकट पहुंचने के लिए हम भाज्य और भाजक संख्या को 90 और 30 मान लेते हैं–

$30\overline{)90}$। बच्चों को समझाइए कि $30\overline{)90}$ $3\overline{)9}$ के समान है क्योंकि भाज्य और भाजक को 10 से भाग करने पर भागफल वही रहेगा। $3\overline{)9}$ में भागफल 3 होगा। अतः $31\overline{)93}$ में अनुमानित भागफल 3 होगा।

```
        3
      ----
 31)   93
     - 93
      ----
        0
      ----
```

कभी-कभी हमारा अनुमान बहुत बढ़ा-चढ़ा हो सकता है जैसे– $13\overline{)69}$ में अगर हम भागफल सात की कल्पना करते हैं तो वह गलत होगा यह संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि $7 \times 13 = 91$ है और हमारी संख्या सिर्फ 69 है। तो आइए संख्या 6 लें यह भी ठीक नहीं। तो 5 लें– यह ठीक है।

इसी प्रकार आइए आगे बढ़ें। $13\overline{)237}$ में भी हम भागफल का अनुमान लगाने वाली पद्धति अपनायेंगे। शुरू गुणा से करते हैं :

$\square \times 13 =$	237
$1 \times 13 = 13$	237
$10 \times 13 = 130$	237
$100 \times 13 = 1300$	237

इससे पता चल गया कि भागफल 10 और 100 के बीच में है । अर्थात् भागफल दो अंकों वाली संख्या है । भागफल के और निकट पहुंचने के लिए हम भाज्य और भाजक दोनों संख्याओं को क्रमशः 100 और 10 के गुणक में ले आते हैं । 13)237 के लिए हम 10)200 की कल्पना करते हैं जो 1)20 या 20 के समान है । अतः अनुमानित भागफल 20 है ।

लेकिन $20 \times 13 = 260$ 237

हम 19 की कल्पना करते हैं :

$19 \times 13 = 247$ 237

अब हम 18 की कल्पना करते हैं :

$18 \times 13 = 234$ 237

```
अतः            18      भागफल
भाजक       13 ) 237     भाज्य
              -234
              ----
                 3     शेष
```

जांच कीजिए— $(18 \times 13) + 3 = 237$

दूसरी पद्धति

दूसरी पद्धति एल्गोरिथ्म को पुरानी पद्धति है ।

31)93

भाज्य संख्या में प्रत्येक अंक को हम उसके स्थान मूल्य से जानेंगे । यहां भाज्य संख्या में 9 दस्सियां हैं जिन्हें दस के रूप से 31 समूहों में नहीं बांटा जा सकता । अतः हम 9 दस्सियों को 10 एककों में बांट लेते हैं । हमारे पास कुल 93 एकक हैं । 93 एककों को 31 समूहों में बांटा जा सकता है । भागफल भी एकक में होगा । हम एक अंक वाली ऐसी संख्या की कल्पना करते हैं जिससे 31 द्वारा विभाजित करने पर 93 के आसपास की संख्या निकल आए पर वह 93 से बड़ी नहीं होनी चाहिए । इस संख्या की कल्पना करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रकार से भाग दीजिए—

```
        3
31 )   93
      -93
      ---
        0
```

अब 13)237 लीजिए । 237 में दो शतक हैं जिन्हें सौ के 13 समूहों में नहीं बांटा जा सकता अतः दो सौ को हम 20 दस्सियों (दशकों) में परिवर्तित कर लेते हैं और इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर 23 दस्सियां हो जाती हैं । 23 दस्सियों को जब हम समूहों में बांटते हैं तो प्रत्येक समूह में एक दस्सी के बाद हमारे हाथ में 10 दस्सियां बच जाती हैं जिन्हें हम 13 समूहों में नहीं बांट सकते । अतः इन 10 दस्सियों को हम 100 एकक में बदल लेते हैं । अब कुल मिलाकर 107 एकक हमारे पास हैं । 100 को 13 समूहों में बांटने पर अर्थात् प्रत्येक समूह में 8 एकक रखने के बाद हमारे पास तीन एकक बच रहते हैं ।

```
         18
13 )    237
        -13
        ---
        107
       -104
       ----
          3
```

बच्चों द्वारा किए गए भाग के सवाल जांचते समय यह भी देखें कि

1. उन्होंने कहीं) की जगह)‾‾‾(का प्रयोग तो नहीं किया ?

2. उन्होंने भागफल के अंकों की सही स्थान पर रखा है या नहीं ?

3. उन्होंने भाग और गुणा के आपसी संबंध का लाभ उठाते हुए अपना उत्तर चेक किया है या नहीं?
(भाज्य = भागफल x भाजक + शेष)

ग. परिमाप क्षेत्र और वॉल्यूम

परिमाप

मुख्य विचार

1. आकृति के परिमाप का विचार
2. बन्द रेखाकृति का परिमाप ढूंढ़ना

सिद्धान्त

विभिन्न आकृतियां बनाकर बंद रेखाकृति का विचार बच्चों के सामने रखें । जैसे–

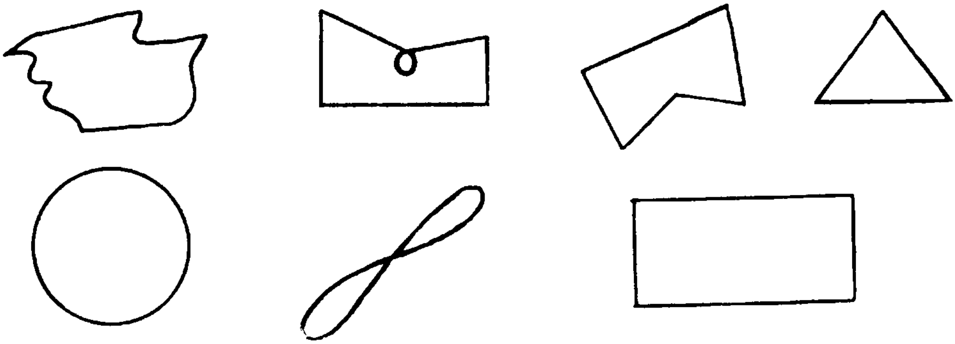

अगर रेखा का आदि और अंत मिला दिया जाता है तो वह बंद आकृति कहलाती है । अगर वह कहीं कटती नहीं है, तो उसे सरल बंद आकृति कहा जाता है । उपरोक्त सब बंद आकृतियां हैं लेकिन 2 और 6 **सरल बंद आकृतियां नहीं हैं** । जबकि अन्य सब आकृतियां सरल बंद आकृतियां हैं । बच्चों को सरल बंद आकृतियां गौर से देखने को कहें । उसके बाद उनसे कहें कि उनमें कौन सी आकृतियां केवल रेखा-खण्डों से बनी हैं । आकृतियां (3), (4) और (7) रेखा-खण्डों से बनी हैं । बच्चों को समझाएं कि हम परिमाप के विचार को सिर्फ सरल बंद आकृतियों के संदर्भ में बताना चाहते हैं ।

परिमाप के विचार को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट कीजिए :

1. बच्चों को निम्न आकृतियों की रेखाओं को नापने के बाद उनकी लम्बाई ढूंढ़ निकालने के लिए कहिए ।

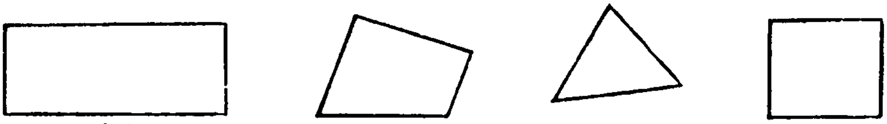

(1) (2) (3) (4)

उनसे प्रत्येक आकृति के सभी प्रश्नों की कुल लम्बाई पूछिए । मान लीजिए कि उनकी कुल लम्बाई इस प्रकार है :

आकृति	पार्श्वों की संख्या	कुल लम्बाई
1	4	8 सेमी.
2	4	8.5 सेमी.
3	3	4.7 सेमी.
4	4	6 सेमी.

"आकृति के परिमाप" के रूप में बच्चों को आकृति के पार्श्वों की लम्बाई के जोड़ के सवाल सिखाइए । आकृति 1, 2, 3, 4 का परिमाप क्रमशः इस प्रकार है : 8 सेमी., 8.5 सेमी., 4.7 सेमी. और 6 सेमी.

2. आयत और वर्ग का परिमाप ढूंढ़ने के लिये एक नियम या सिद्धांत बनाने में बच्चों की सहायता करें । छोटे-बड़े आयत लेकर उनके परिमाप को निश्चित करने की 3 पद्धतियों पर उनसे बातचीत करें ।

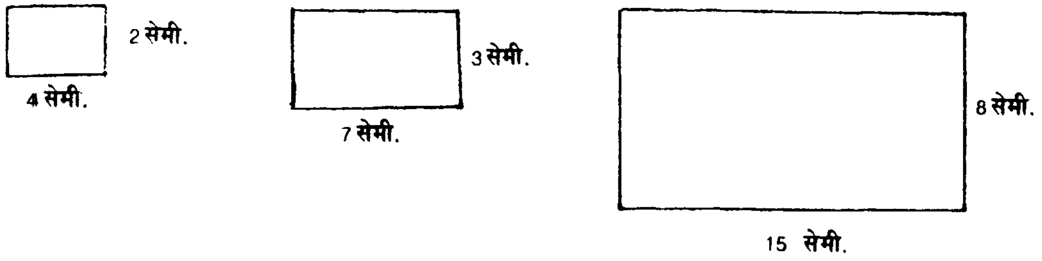

पहली पद्धति : परिमाप = लम्बाई + चौड़ाई + लम्बाई + चौड़ाई

दूसरी पद्धति : परिमाप = (2 x लम्बाई) + (2 x चौड़ाई)

तीसरी पद्धति : परिमाप = 2 x (लम्बाई + चौड़ाई)

आयत का परिमाप = 2 x (लम्बाई + चौड़ाई)

3. वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं इसलिए उपर्युक्त तीनों पद्धतियों को वर्ग के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया जा सकता है ।

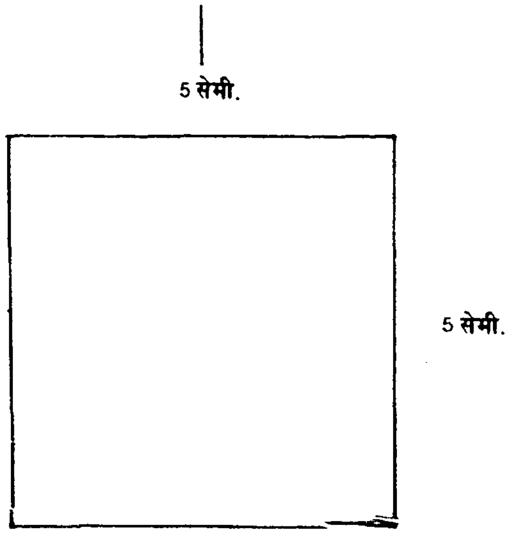

हम उपर्युक्त तीनों पद्धतियों से इसका "परिमाप" निकाल सकते हैं ।

1. परिमाप = 5 सेमी. + 5 सेमी.+ 5 सेमी + 5 सेमी. = 20 सेमी.
2. परिमाप = (2 x 5 सेमी.) + (2 x 5 सेमी.) = 10 सेमी. + 10 सेमी. = 20 सेमी.
3. परिमाप = 2 x (5 सेमी. + 5 सेमी.) = 2 x 10 सेमी. = 20 सेमी. इस प्रकार वर्ग का परिमाप होगा 4 x (वर्ग के पार्श्वों की लम्बाई)।
4. लगभग एक मीटर लम्बी रस्सी और कुछ कीलें लें । कीलें जमीन में गाड़कर तीन आकृतियाँ बनाइए ।

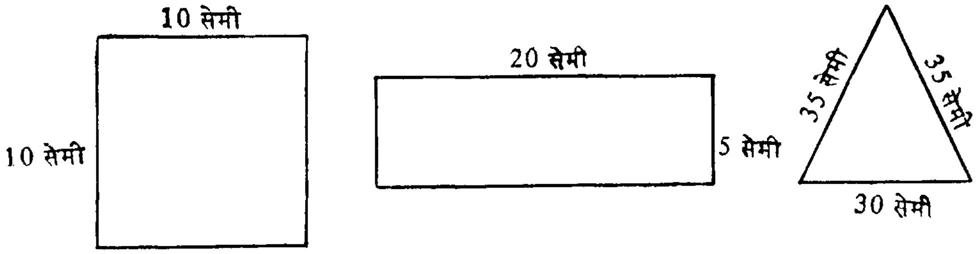

बच्चों से प्रत्येक आकृति का परिमाप निकालने के लिए कहिए। उन्हें स्वयं यह पता लगाने दीजिए कि इन आकृतियों का परिमाप समान है। ऐसा क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर देने में उनकी सहायता कीजिए। सारी आकृतियां लगभग एक मीटर लम्बी रस्सी से बनाई गई हैं। इसलिए प्रत्येक का परिमाप समान है।

5. विभिन्न परिमाप के आयत एवं वर्ग बच्चों के सामने रखिए। फार्मूले का प्रयोग करते हुए बच्चों से उनका परिमाप ढूंढ़ निकालने को कहिए।

6. दैनिक जीवन से संबंधित परिमाप के विचार वाले विभिन्न मामले उनके सामने रखिए।

   जैसे— 1. खेल के मैदान की बाड़
   2. रजाई की गोट
   3. खेल के मैदान के चारों तरफ दौड़ना

7. छात्रों में परिमाप के विचार को और अधिक गहन करने के लिए—

   —समान परिमाप वाले तीन विभिन्न आयत बनाइए।

   —समान परिमाप वाले तीन विभिन्न त्रिकोण बनाइए।

   —समान परिमाप वाले तीन विभिन्न वर्ग बनाइए।

(3) क्षेत्र

मुख्य विचार

1. एक स्थान के क्षेत्र का विचार।
2. वर्ग सेमी.—क्षेत्र की एक मानक इकाई।
3. स्थानों के क्षेत्रों की तुलना।
4. मानक इकाई को प्रयोग करते हुए क्षेत्र नापना।
5. फार्मूले का प्रयोग करते हुए आयताकार स्थान का क्षेत्रफल बताना।

सिद्धान्त

1- विभिन्न उदाहरण देकर स्थान का विचार स्पष्ट कीजिए। बच्चों के सामने एक आयत बनाइए। यह एक फ्रेम जैसा दिखता है।

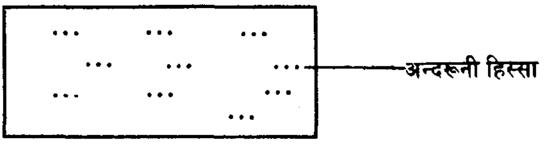

आयत और उसके अन्दरूनी हिस्से को ही हम स्थान या प्रदेश कहते हैं।

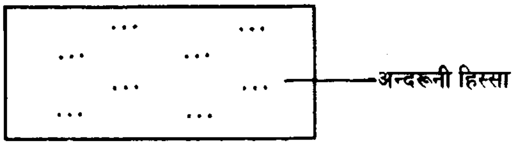

स्थान या प्रदेश के विचार को स्पष्ट करने के लिए बच्चों का ध्यान मेज, ब्लैकबोर्ड, दीवार वगैरह की ओर मोड़ा जा सकता है ।

2- बच्चे जानते हैं कि मानक इकाई क्या है । इसका प्रयोग रेखा-खण्ड की लम्बाई नापने के लिए किया जाता है ए बी एक सेन्टीमीटर है। इसे लम्बाई की एक इकाई मानते हुए हम किसी भी रेखा-खण्ड की लम्बाई निश्चित कर सकते हैं ।

इसी प्रकार स्थान या प्रदेश के क्षेत्र को जानने के लिए "क्षेत्र की इकाई" की हमें जरूरत होगी । क्षेत्र की इकाई स्वयं में एक स्थान या प्रदेश है इसे "इकाई-प्रदेश" कहा जाता है । कई बार मापे जाने वाले प्रदेश में अन्तर्निहित हवाई-प्रदेश ही प्रदेश का क्षेत्र होता है । इकाई-प्रदेश एक वर्ग है इसका प्रत्येक पार्श्व एक सेमी. का है इसे वर्ग सेन्टीमीटर भी कहते हैं ।

इकाई-प्रदेश भी एक वर्ग हो सकता है जिसका प्रत्येक पार्श्व एक मीटर लम्बा है । यहां इसे वर्ग मीटर कहा जाएगा ।

3- स्थान/प्रदेश के विभिन्न माडल प्रस्तुत कीजिए, जैसे :

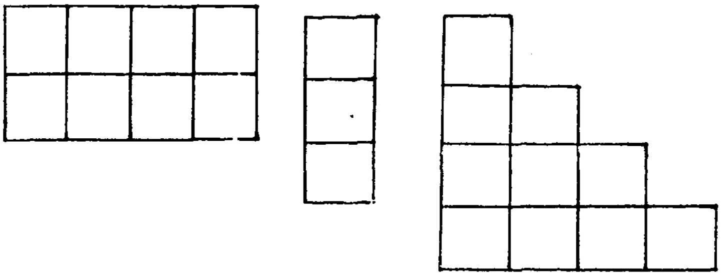

अब बच्चों से पूछिए कि प्रत्येक प्रदेश में कितने इकाई-प्रदेश (वर्ग सेंटीमीटर) हैं ? बच्चों की यह ढूँढ़ निकालने में सहायता कीजिए कि उपर्युक्त स्थानों का क्षेत्र क्रमशः 10 वर्ग सेंटीमीटर, 3 वर्ग सेंटीमीटर और 8 वर्ग सेंटीमीटर है ।

4- बच्चों को यह बताइए कि विभिन्न दिखाई देने वाले प्रदेशों का क्षेत्रफल समान हो सकता है । जैसे:

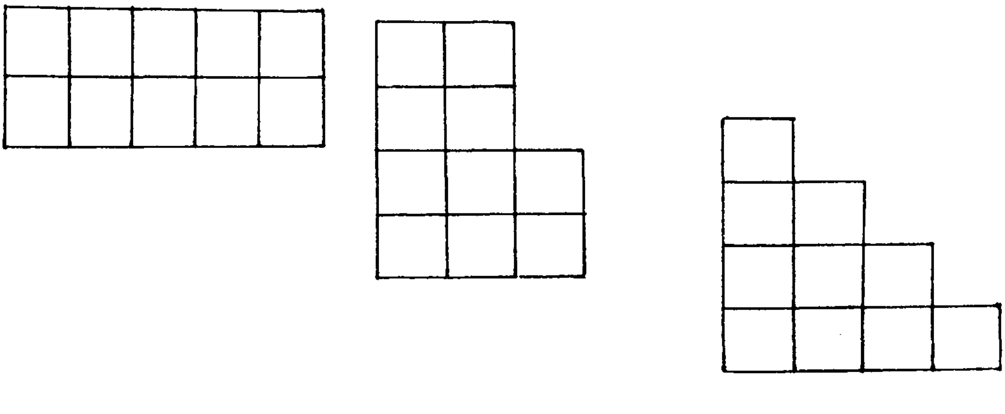

इन सबका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है ।

5- बच्चों को गत्ते के एक-एक सेंटीमीटर के टुकड़े दीजिए और उनका क्षेत्रफल पूछिए। गत्ते के टुकड़ों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपने ईर्द-गिर्द के विभिन्न स्थानों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहिए।

6- इकाई-प्रदेश के रूप से क्षेत्रफल निश्चित करना अर्थात् क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से नापना सीखने के बाद बच्चों को क्षेत्रफल ढूंढ़ने का अप्रत्यक्ष तरीका भी बताएं। इसके लिए पहले एक आयत फिर एक वर्ग में इस प्रकार की आकृतियाँ बनाएं :

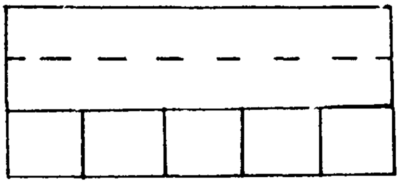

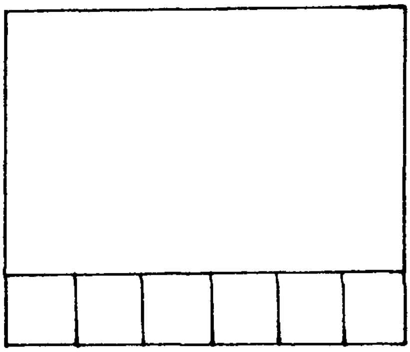

बच्चों से क्षेत्रफल निकालने के लिए कहिए। पूरे प्रदेश की इकाई प्रदेशों में बांटकर और फिर उनकी कुल संख्या गिनकर छात्र सही उत्तर दे सकते हैं। इस स्तर पर बच्चों को अप्रत्यक्ष पद्धति से भी परिचित कराएं/अप्रत्यक्ष पद्धति है लम्बाई x चौड़ाई। उन्हें यह भी बताएं कि अप्रत्यक्ष तरीका छोटा हैं और इसमें कम समय लगता है।

7- अप्रत्यक्ष पद्धति से विभिन्न आयतों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहिए उन्हें यह फार्मूला दीजिए:

आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई x चौड़ाई

8- उन्हें यह भी बताइए कि आयत का क्षेत्रफल निकालते समय हम सबसे पहले यह देखते हैं कि लम्बाई और चौड़ाई एक ही इकाई में है या नहीं तो हमें पहले उन्हें एक ही इकाई में रखना होगा। तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकेंगे।

9- क्योंकि सभी वर्ग समकोणीय हैं, इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल भी अप्रत्यक्ष पद्धति में निकाल सकते हैं। नीचे दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है।

वर्ग का क्षेत्रफल = 4 सेमी. x 4 सेमी.

16 वर्ग सेमी.

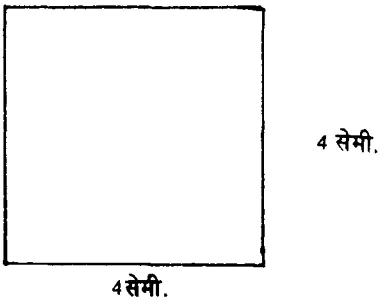

10- बच्चों को वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूले बताने में सहायता कीजिए।

वर्ग का क्षेत्रफल = पार्श्व x पार्श्व।

11- आप बच्चों को उस प्रदेश का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कह सकते हैं जो न चौकोर है और न ही आयताकार लेकिन समकोणीय वर्गों से बने होने की कल्पना की जा सकती है।

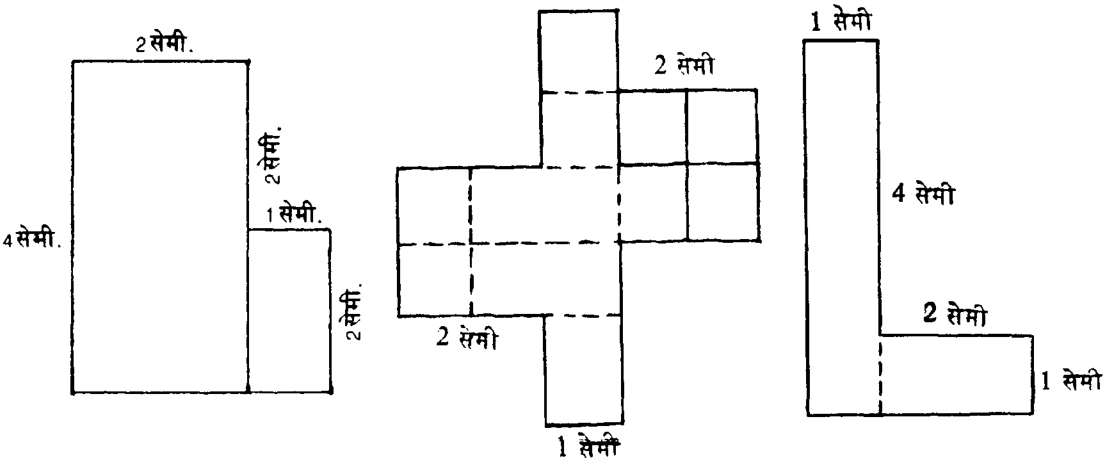

12- क्षेत्रफल के संदर्भ में दैनिक जीवन से संबंधित कुछ तथ्य बच्चों के सामने रखिए । जैसे :

1- एक आदमी को कमरे की दीवारों की सफेदी करनी है । वह कितनी सफेदी खरीदे, इसके लिए पहले उसे यह जानना होगा कि दीवारों के कितने हिस्से पर सफेदी होगी ।

2- बढ़ई एक आयताकार खिड़की के लिए शीशा खरीदना चाहता है पर उसे पहले यह जानना होगा कि फ्रेम के अन्दर का हिस्सा कितना है ?

13- आस-पास के माहौल से कुछ उदाहरण लीजिए । उनके आधार पर बच्चों को परिमाप और क्षेत्रफल के बीच अन्तर बताइए । उदाहरण के लिए जब हम एक खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने की बात करते हैं तो वहां परिमाप का विचार सामने आयेगा । वहां जब हम बीज बोते हैं तो उसमें क्षेत्रफल का विचार निहित होगा ।

(3) परिमा (वॉल्यूम)

मुख्य विचार

1. परिमा का विचार ।
2. घन सेन्टीमीटर– परिमा की मानक इकाई ।
3. मानक इकाई का प्रयोग करते हुए परिमा को नापना ।
4. फार्मूले का प्रयोग करते हुए आयताकार डिब्बों की परिमा बताना ।

सिद्धान्त

1- बच्चों को याद दिलाइए कि लम्बाई को नापने के लिए हमें एक "रेखा खण्ड" की आवश्यकता होगी और क्षेत्रफल को नापने के लिए इकाई-प्रदेश यानी कि वर्ग सेन्टीमीटर की " 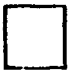 " ।

अब आप उन्हें परिमा नापने के लिए प्रयुक्त इकाई से परिचित कराएं ।

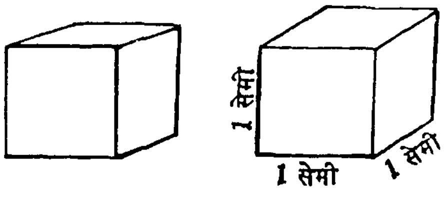

यह एक चौकोर टुकड़ा है इसके किनारे एक-एक सेन्टीमीटर के हैं । इसे हम एक वर्ग सेन्टीमीटर का या एक घन सेन्टीमीटर का टुकड़ा कहेंगे ।

2- ऐसी ही और वस्तुएं बच्चों के सामने रखिए—

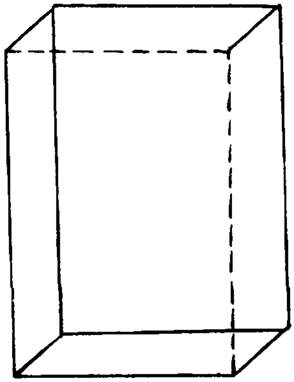

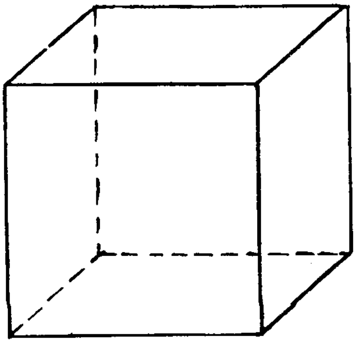

इन्हें दिखाकर बच्चों को बताइए कि इनकी परिमा (वॉल्यूम) उन वस्तुओं में समा सकने वाले एक सेन्टीमीटर के टुकड़ों की संख्याओं से निश्चित होगी । जितने टुकड़े होंगे उतनी ही परिमा होगी । मान लीजिए डिब्बे (क) में एक सेन्टीमीटर के 9 टुकड़े आते हैं तो इसकी परिमा होगी 9 घन सेन्टीमीटर यह परिमा जानने का प्रत्यक्ष तरीका है ।

3- कक्षा में बच्चों के लिए एक सेन्टीमीटर के टुकड़े और छोटे-बड़े डिब्बे इकट्ठे कीजिए (डिब्बों के अंदर का परिमाप पूरे-पूरे सेन्टीमीटर में होना चाहिए) । एक-एक बच्चे को एक डिब्बा दीजिए । अब उन्हें यह ढूंढ़ निकालना है कि उनके डिब्बे में कितने टुकड़े आयेंगे ।

4- बच्चों को डिब्बे में एक सेन्टीमीटर वाले टुकड़े भरने के लिए कहिए । वे यह काम कैसे करेंगे यह नीचे दिया गया है :

क— सबसे पहले डिब्बे में सिलसिलेवार एक परत बिछानी होगी । आप देखेंगे डिब्बे में चार-चार टुकड़ों की तीन पंक्तियां बन गई हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि पहली परत में 4 x 3 = 12 टुकड़े हैं ।

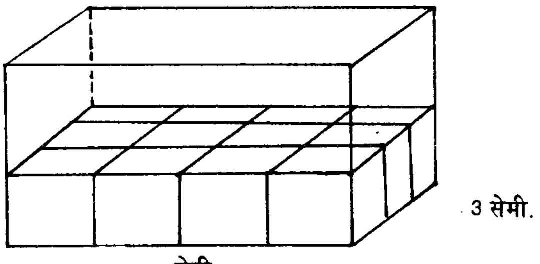

ख— इस पर दूसरी परत बनाइए । इन दो परतों में ही डिब्बा भर गया है ।

ग— अब बच्चों से पूछिए कि डिब्बे में कितने टुकड़े हैं ? बच्चों को संख्या का पता लगाने दीजिए ।

सही उत्तर है :

4 x 3 x 2 या 24

आवृत्ति से इसका अभ्यास करवाइए ।

5- डिब्बे का वॉल्यूम निकालने के लिए एक नियम या फार्मूला ढूंढ़ निकालने में बच्चों की सहायता कीजिए। नियम इस प्रकार होगा: लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई में रखे गये टुकड़ों की संख्या को गुणा करने से डिब्बे का वॉल्यूम मालूम हो जायेगा।

इसके आधार पर हमारा फार्मूला होगा :

वॉल्यूम = लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई

6- बच्चों को विभिन्न डिब्बे देकर इस फार्मूले के आधार पर खूब अभ्यास करवाइए।

7- बच्चों के सामने दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण रखें जो वॉल्यूम (परिमा) के विचार को साकार करने में सहायक हों। क्षेत्रफल और वॉल्यूम के विचार के अन्तर समझने में भी उनकी सहायता करें। उदाहरण के लिए हम टीन का एक डिब्बा बिस्किटों से भरना चाहते हैं। उसमें कितने बिस्किट आयेंगे, यह जानने के लिए हमें उसका वॉल्यूम जानना होगा। अगर हम टीन के डिब्बे को एक कपड़े में लपेटना चाहते हैं तो हमें उसके 6 पार्श्वों का क्षेत्रफल निकालना होगा।

क्रियाकलाप-3

इस माड्यूल में अध्ययन-अध्यापन के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनसे आपको क्या लाभ हुआ है और क्लास में गणित के शिक्षण में आप क्या सुधार ला सकेंगे ? संक्षेप में लिखिए।

क्रियाकलाप-4

छात्र केन्द्रित और क्रियाकलाप पर आधारित अध्ययन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कम में कम एक विचार पर एक पाठ तैयार कीजिए।

मॉड्यूल-28 पी

प्राथमिक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन-अध्यापन

भूमिका

बच्चे के सर्वांगीण विकास में भाषा का प्रमुख स्थान है। परिवार और शिक्षक दोनों इसके लिए उत्तरदायी हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां शिक्षा का व्यापीकरण हो रहा है, प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में २१वीं शताब्दी के बहुत से पहली पीढ़ी वाले छात्र हैं। इससे शिक्षक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि इन छात्रों के परिवारों में या तो कोई उपभाषा बोली जाती है या कोई जनजातीय या स्थानीय भाषा जो शिक्षा के माध्यम से बहुत भिन्न होती है। शिक्षक को स्थानीय भाषा और हिन्दी (साथ ही साथ अंग्रेजी भी) सीखने में छात्र की मदद करनी चाहिए। कुछ छात्र प्राचीन या कोई विदेशी भाषा भी सीखेंगे। पर इन सब भाषाओं को सीखने का लाभ क्या होगा ? शिक्षक छात्रों के सामने भाषा अधिगम के समेकित रूप को कैसे प्रस्तुत कर सकता है और उसके लिए उन्हें कैसे प्रेरित कर सकता है ? शिक्षा भाषा अधिगम द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास का कैसे विश्वास दिला सकती है?

उद्देश्य

यह मॉड्यूल पढ़ने के बाद :

- शिक्षक अपने अनुभवों व विचारों के आधार पर उपरोक्त समस्या का समाधान ढूंढ़ सकेगा।
- इच्छानुसार भाषा-शिक्षण की योजना बना सकेगा ।
- भाषा अधिगम के रास्ते ढूंढ़ सकेगा।
- पठन-पाठन गतिविधियों को और अधिक छात्र केंद्रित बना सकेगा।
- छात्र और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से बातचीत कर सकें, इसके लिए वह उनकी सहायता कर सकेगा।
- छात्रों में आधारभूत मूल्यों व प्रवृत्तियों का विकास कर सकेगा ।
- छात्रों को पुस्तकों, समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन जैसे माध्यमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।
- प्रत्येक स्तर पर आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण व व्याख्या करने के विभिन्न तरीकों का सुझाव दे सकेगा।

भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है। अध्यापक इस तथ्य से परिचित हैं। यहां कई भाषाए व उपभाषाएं बोली जाती हैं। हममें से कई एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि भाषा सीखने में कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं, खासतौर पर अपनी भाषा से सर्वथा भिन्न दूसरी या कोई विदेशी भाषा सीखने में समाज, क्षेत्र और शैली की दृष्टि से भाषागत अंतर से भी हम भिज्ञ (अवगत) हैं। अपने जीवन में हम आवश्यकतानुसार अधिकतर दो या तीन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भाषा-शिक्षक होने के नाते हमें प्रयत्न करना चाहिए कि छात्र कम से कम तीन भाषाएं सीखें।

विषय : भाषा सीखने के उद्देश्य

- भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य है : छात्र में अपने आस-पास के लोगों से बातचीत करने को क्षमता को बढ़ाना।
- भाषा सिखाने का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि छात्र भाषा को लिख व बोल सकें और उसका प्रयोग कर सकें।

> आइए, हम स्वयं से पूछें :
> बच्चे अपने घर में बोली जाने वाली भाषा कैसे सीखते हैं ?
> बच्चे अपने मित्रों की भाषा कैसे सीखते हैं ?
> व्यक्ति जिस भाषा में बातचीत व कर सकता हो तो क्या हम कह सकते हैं कि वह उस भाषा को जानता है ?

1- अगर सब सामान्य बच्चे घर में बोली जाने वाली भाषा सीख लेते हैं तो हमें क्लास में किन बिंदुओं पर जोर देना होगा? पढ़ने के लिए क्या जरूरी है ? बच्चों के आसपास वाले लोग उसके लिए एक आदर्श हैं । बच्चे उसी को दोहराते हैं जिसे वे दूसरों से सुनते हैं फिर उसी की बार-बार आवृत्ति करते हैं । हालांकि वे एकदम सही नहीं होते । गलतियां काफी बाद में सुधारी जाती हैं, बच्चे सतत् भाषा बोलते हैं । क्या भाषा के और भी कई ऐसे तत्व हैं जिन्हें जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है ?

2- दूसरे प्रदेशों से आए छात्र जो अपने साथियों की भाषा नहीं बोलते-बड़ी शीघ्रता से भाषा सीख लेते हैं । इसका क्या कारण है । कक्षा-परिस्थितियों में इसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है ? अपने साथियों में बच्चा क्यों जल्दी सीखता है ? दूसरी भाषा सीखने में इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। क्या हमें इससे यह पता नहीं चलता कि सामूहिक शिक्षण पद्धति शिक्षक की भाषण पद्धति की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है ?

3- भाषा का मुख्य कार्य संप्रेषण है। अतः भाषा-शिक्षण में मौखिक एवं लिखित कौशलों पर जोर दिया जाना चाहिए । इन कौशलों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए :

(क) बोली जाने वाली भाषा को अच्छी प्रकार समझना ।

(ख) बोली गई भाषा में नए शब्द जोड़ना ।

(ग) लिखित भाषा को अच्छी प्रकार समझना ।

(घ) लिखित भाषा में नये शब्द जोड़ना । बोल-चाल की भाषा में आने वाले व्याकरण के स्थान पर प्रकाश डालना पुस्तकीय व्याकरण की व्याख्या से कहीं बेहतर है ।

(क) क्या आप भाषा अधिगम से संबंधित उपरोक्त बातों से सहमत हैं ?

(ख) क्या आप विभिन्न सामाजिक पर स्थानीय समूहों में प्रयुक्त प्रयोगों पर प्रकाश डाल सकते हैं और अपनी भाषा, हिंदी या इंग्लिश के मानक प्रयोगों से उनकी तुलना कर सकते हैं या अंतर बता सकते हैं ।

(ग) सभी स्तरों पर सिखाये जाने वाले कौशलों की सूची तैयार कीजिए ।

विषय : 2 पढ़ना सीखना

पढ़ना सीखना एक कठिन काम है । अधिकांश शिक्षक मानते हैं कि शब्दों की पहचान और उनका सही उच्चारण पढ़ना सीखने में विशेष महत्वपूर्ण है;

1- स्कूल में पढ़ना सीखने के लिए कौन से कौशल किस क्रम से सिखाए जाने चाहिए ?

2- क्या आप सोचते हैं कि पहली कक्षा के छात्रों के लिए "पढ़ना सीखना" आनन्दप्रद हो सकता है ?

3- सभी कक्षाओं में आप किन विशेष तकनीकों और सामग्री का प्रयोग करते हैं जिससे छात्र पठन-सामग्री के माध्यम से दुनिया जान सकेगा ?

4- बच्चे प्रायः कहानियां बना लेते हैं । अगर आप इन्हें लिख लें तो क्या छात्र कक्षा में उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे ? क्या ऐसा सिर्फ पहली कक्षा में ही किया जा सकता है। छात्र अपनी पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु के बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं ? बच्चों की किसमें रुचि आती है और किसमें नहीं, इसका निश्चय कौन अधिक अच्छी तरह से कर सकता है?

1- स्कूल में बच्चा ध्वनि प्रतीकों के माध्यम में पढ़ना सीखता है । उसे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ पहले से ही मालूम होता है । भाषा पढ़ना सीखते समय उन छात्रों के सामने प्रायः कठिनाई नहीं आती जो घर में भी वही भाषा बोलते हैं जो स्कूल में सिखाई जाती है । उन छात्रों को जो अल्पसंख्यक समूहों से या अनुसूचित जनजातियों के तबके से आते हैं– बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । केवल भाषा की दृष्टि से भी वे एकदम नई दुनिया से टकराते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें धीरे-धीरे पहले स्थानीय शुद्ध भाषा सिखाई जाय और वांछनीय तो यह होगा कि उन्हें पहले अपनी भाषा (बोली) में ही पढ़ना भी सिखाया जाए । जब तक वे भाषा बोलने न लगें तब तक उन्हें पढ़ना सिखाना व्यर्थ है । उनके स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए । उन्हें अपनी जाति, भाषा और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक को छात्रों की संस्कृति और भाषा का सम्मान करना चाहिए । यहां यह भी आवश्यक है कि –सही भाषा के महत्व पर चर्चा की जाए। भाषा का वही प्रयोग ठीक माना जाता है जिसे हमारे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो । हम भाषा के किसी एक प्रयोग को दूसरे प्रयोग से अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। यदि आरंभ से ही बच्चों को उनकी सतत आलोचना करके निरुत्साहित नहीं किया जाता तो वे शीघ्र ही "स्तरीय या मानक भाषा" सीख लेते हैं । हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी के द्वारा स्तरीय भाषा को मान्यता दी गई है, पर फिर भी उसे किसी पर यहां तक छात्र पर भी थोपा नहीं जा सकता है ।

देखा गया है कि भाषा ज्ञान और उसका बोधगम्य विकास दोनों साथ-साथ होते हैं । 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चा कई बोधगम्य कौशलों को सीख सकता है तो क्या उन कौशलों को उस भाषा में, व्यवहार से लाना उचित नहीं होगा जिसमें वह सोचता है ?

क्या दूसरी भाषा, विदेशी या प्राचीन भाषा पढ़ने से छात्रों का और अधिक ज्ञानात्मक विकास नहीं होता ? अनुसंधान से पता चलता है कि उनका ज्ञानात्मक विकास होता है । हर भाषा का दुनिया को देखने का अपना नजरिया होता है, इसलिए विभिन्न भाषाएं पढ़ने वाला छात्र अपने इर्द-गिर्द की वास्तविकताओं का अलग-अलग ढंग से विश्लेषण करना सीखता है तो भाषाएं पढ़ानी कब शुरू की जानी चाहिए ?

2- पढ़ने में कितना आनन्द आता है, यह हम जानते हैं । तो क्या बच्चों के लिए भी पढ़ना सीखना एक आनन्दप्रद गतिविधि है ? क्या हमने कभी कोई प्रयोग किया है ? "पढ़ना सीखने" को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ?

3- पढ़ने से हमारे लिए इतनी बड़ी दुनिया के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं ? क्या भाषा पढ़ाने के लिए जिस सामग्री को चुना जाता है उसका प्रयोग विभिन्न चर्चाओं के लिए भी किया जा सकता है ? नई भाषा पढ़ने में छात्र को तब अधिक रुचि आ सकती है जबकि पठन सामग्री द्वारा नया अनुभव कराया जाए । अगर उसके सामने कुछ नई और प्रेरक सामग्री प्रस्तुत नहीं की जाती तो वह भला क्योंकर दूसरी भाषा पढ़ने की प्रोत्साहित होगा ? इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भाषा की सांस्कृतिक विशेषता वाले प्रसंग ढूंढ़े जाएं और भाषा पढ़ाते समय उन्हें महत्व दिया जाए ।

क्रियाकलाप-2

1. ऐसी पाठ्य सामग्री की सूची बनाइए जिसे छात्र पढ़ना पसन्द करते हैं ।
2. ऐसी पाठ्य सामग्री की सूची बनाइए जिसे आपको पढ़ना पसन्द है ।
3. ऐसी पाठ्य सामग्री की सूची बनाइए, जो खास आपकी मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी की है ?
4. रोचक पठन सामग्री द्वारा भाषा को अच्छी प्रकार सीखा जा सकता हैं– इस पर चर्चा कीजिए ।
5. भाषाएं पढ़ना सीखते समय किस प्रकार का संज्ञात्मक विकास संभव है ? क्या आप संवाद के प्रारूपों का उल्लेख कर सकते हैं ?क्या आप विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संयुक्त पठन सामग्री का उल्लेख कर सकते हैं ? उदाहरण के लिएवैज्ञानिक संवाद कार्यकारण संबंधों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है ।

1- "पढ़ना सीखने" में असफलता भी बच्चों द्वारा स्कूल के बीच में ही छोड़ देने का एक मुख्य कारण है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों एवं विकलांगों की शिक्षा पर जोर देती है । उसमें इसका भी उल्लेख है कि उनकी पढ़ने में आने वाली समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए । जब कभी उपरोक्त कम सुविधा प्राप्त समूह अधिक सुविधा प्राप्त समूहों के समान काम कर सकने के लिए दक्षता हासिल करना चाहते हैं तो उनके सामने निश्चय ही कुछ कठिनाइयां आती हैं । अतः इन लोगों के लिए पाठ्य सामग्री को सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए जिससे इनके आत्मसम्मान की और अधिक ठेस न पहुंचे और इनकी छवि और अधिक नीची न हो जाए । पुस्तकों में जाने-अनजाने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं आदि के प्रति भेदभाव आ जाता है और उन पुस्तकों की भाषा भी इन वर्गों की भाषा से भिन्न होती है । इससे उनके पढ़ने का उत्साह कम हो सकता है । सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है कि इन अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों को पाठ पुस्तकों में स्थान दिया जाए बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे इन पाठ्य पुस्तकों के लेखक भी बनें । यह देखा गया है कि बच्चों को अपने बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाने के बजाय अगर छात्रों द्वारा क्लास सें शिक्षक की सहायता सें लिखी सामग्री पढ़ने की दी जाए तो वे उसमें अधिक रुचि लेते हैं । यह सच्चे अर्थों में एक छात्र केन्द्रित क्रियाकलाप है । भाग लेने की भावना से छात्र में आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती है । विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण में अगर छात्रों को भी भागीदार बनाया जाए तो इससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि उन्हें किसमें रुचि है किसमें नहीं ।हमें अपने छात्रों को रोचक सामग्री लिखने और पुस्तकों में से रोचक सामग्री ढूंढ़ निकालने की क्षमता की जांच भी करनी चाहिए।

क्रियाकलाप-3

1. क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ने में कौन सी कठिनाइयां आती हैं ? आप अपने अनुभव पर इसका उत्तर दीजिए ।
2. भाषाएं पढ़ने में दक्षता दिखाने वाला छात्र-समूह कौन सा है ? अन्य छात्रों को भाषा पढ़ने में आने वाली समस्याओं पर विजय पाने के लिए हमें किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए ?
3. क्या आपको छात्र केन्द्रित शिक्षा में विश्वास है ? हम इस तकनीक का पाठ्य पुस्तकें लिखने एवं समीक्षा करने में किस प्रकारप्रयोग कर सकते हैं ?
4. क्या आप सोचते हैं कि अधिकांश पुस्तकें पक्षपातपूर्ण हैं ? क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं ?

हम मानते हैं कि घर में बोली जाने वाली भाषा में औपचारिक रूप से बातचीत करना सीख लेने के बाद छात्र को धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषा की औपचारिक शैली एवं परिष्कृत स्वरूप पर भी अधिकार करना चाहिए । हालांकि यह सच है कि इसमें कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं । विशेषकर उन छात्रों को जो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/जन जातियों से आते हैं या जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं । इनके लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिए । यद्यपि औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व कुछ बच्चे शब्द का अर्थ पहचानने लगते हैं; तथापि दोनों कौशल एक दूसरे के सहायक होते हैं । अतः बच्चों को पढ़ने-लिखने की कला साथ-साथ सिखाई जानी चाहिए । शिक्षक और छात्र यह भी समझते हैं कि हमारे जैसे बहुभाषा-भाषी देश में विभिन्न भाषाओं को जोड़ने वाली एक

सम्पर्क भाषा होनी चाहिए जिससे विभिन्न समुदाय एक दूसरे को समझ सकें। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में पहली भाषा का क्या स्थान है ? छात्र के संज्ञानात्मक विकास में दूसरी भाषा का क्या योगदान हो सकता हैं ?

विषय-3 : भाषा अधिगम विश्वव्यापी मानव क्षमता है

1. कोई छात्र भाषा जल्दी सीखता है तो कोई देर में, पर इसके बावजूद क्या आप सोचते हैं कि भाषा अधिगम विश्वव्यापी मानवक्षमता है ?
2. हम इसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं कि बच्चा जो भाषा घर में बोलता है, उसे आदर से देखा जाए और उसका मजाक न उड़ायाजाए ?
3. हम बच्चों को पढ़ने की आदतों को डालने के लिए परिवार का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

भाषाएं पढ़ाते समय क्या आपने इस पर विचार किया है कि भाषा अधिगम विश्वव्यापी मानव क्षमता है इसलिए देर या सबेर सभी छात्र अपने इर्द-गिर्द बोली जाने वाली भाषा सीख जाते हैं। हालांकि सीखने की रफ्तार विभिन्न होती है। इसका हमारी अध्यापन योजना पर क्या असर पड़ता है ? क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं तो विभिन्न छात्रों की विभिन्न रफ्तार के साथ हम तालमेल कैसे बैठा सकते हैं ? अलग-अलग भाषा का ज्ञान कैसे करा सकते हैं और उसे भाषा में दक्ष कैसे बना सकते हैं ?

क्रियाकलाप-4

1. वैयक्तिक भाषा अधिगम के लिए किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री आवश्यक है ? क्या इसका सभी स्तरों के लिए प्रयोग किया जा सकता है ?
2. जो छात्र आसानी से भाषा पढ़ लेते हैं, उन्हें प्रोत्साहन कैसे दिया जा सकता है ?
3. जिन छात्रों को भाषा पढ़ने में कठिनाई आती है उनके लिए क्या किया जा सकता है ?
4. क्या हम भाषा अधिगम को नापने और तुलना करने के लिए किसी "साधन" विशेष का प्रयोग कर सकते हैं ?
5. भाषा अधिगम के लिए प्रसारित रेडियो व टी. वी. कार्यक्रमों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ?
6. क्या भाषा अधिगम क्षमता आनुवांशिक है ?

भाषा कौशल : निदानकारी तालिका

(क) भाषा की दृष्टि से जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में बच्चे का विकास– (0-6 वर्ष)

1- बोलना सीखने से पहले भाषा को समझना, हावभाव, स्वरोच्चारण ।

2- बोलना, भाषा का ज्ञान, वाक्य रचना, वाक्य की लम्बाई, भाषा की प्रतिक्रिया, सामाजिक बोलचाल (नमस्ते वगैरह), मौखिक संकेत, चित्र शब्दावली, ध्वनियों का उच्चारण, संख्याओं की आवृत्ति, वाक्य याद रखना और गाना ।

3- सामान्य ज्ञान और अच्छी प्रकार समझने की क्षमता ।

4- तत्परता ।

5- पढ़ने की योग्यता ।

6- लिखने की योग्यता ।

(ख) स्कूल में प्रवेश के समय और प्राथमिक स्कूल स्तर पर आधारभूत योग्यता की तालिका

1- पढ़ने की तत्परता

2- पढ़ना, शब्दों को पहचानना, शब्दों का विश्लेषण और शब्दावली

3- भाषा कला (जिसमें लेखन, व्याकरण, स्पेलिंग और उल्लेख करने की कला का समावेश है)

(ग) निदानकारी उद्देश्य के लिए आधारभूत भाषा तालिका

– शब्दों को पहचानना

– मौखिक पढ़ना

– समझकर पढ़ना

– शब्दों को समझना
– शब्द विश्लेषण
– शिड्यूल और ग्राफ के प्रयोग में दक्षता
– संदर्भ
– लेखन
– स्पेलिंग/वर्तनी
– मौखिक संप्रेषण
– तत्परता
– संभाषण
– सोद्देश्य शब्दों को समझना
– सुनना
– रेखाचित्रों और नक्शों के प्रयोग में दक्षता

(घ) पठन समस्याओं की जांच सूची

कौशल	तिथि (जब आपने देखा)

1- शब्द पहचान और विश्लेषण का कौशल

1. अज्ञात शब्दों को बूझने का प्रयत्न नहीं करता
2. अपर्याप्त अवलोकन शब्दावली
3. अज्ञात शब्दों का अनुमान लगाता है
4. शब्दों को बूझने का असफल प्रयास करता है
5. शब्द विन्यास, आकार और प्रकार पर बहुत अधिक निर्भर करता है
6. अक्षरों या शब्दों को उलट-पलट देता है
7. ध्वनि और अक्षरों में सम्बन्ध नहीं जोड़ पाता

2- बोधात्मक कौशल

8. मुख्य समाचारों को स्मरण नहीं कर पाता
9. सूक्ष्मताओं को याद नहीं रख सकता
10. निष्कर्ष नहीं निकाल पाता
11. तर्क संगत परिणाम नहीं निकाल सकता
12. संदर्भ पर बहुत अधिक निर्भर करता है
13. प्रसंग का अपर्याप्त प्रयोग

3- मौखिक तथा मौन अधिगम कौशल

14. शब्दशः पठन
15. झिझक
16. आवृत्ति
17. विरामादि चिन्हों का प्रयोग नहीं करता या गलत करता है
18. गति का ठीक न होना
19. वाक्यों का गलत प्रयोग
20. गलत आदतें (जैसे पढ़ते समय सिर हिलाना, होठों को आवश्यकता से अधिक हिलाना, फुसफुसाहट, ठीक से ध्यान केन्द्रित न करना आदि)

निर्देश : कोई गलत आदत है तो उसे बताएं और सुधारने की कोशिश करें ।

(ङ)–पठन-निदानात्मक पत्र

जानकारी एकत्रित करने की अक्षमता
शब्दकोश देखना न आना
स्पेलिंग न आने के कारण लिखने में कठिनाई
पठन सामग्री कठिन होने के कारण पढ़ने की गति घट जाती है ।
सरसरी तौर पर पढ़ने की अक्षमता
स्वर नियमन–होठों का हिलना
परिशुद्धता की कमी
पढ़ने की धीमी गति
असंतोषजनक प्रतिक्रिया
स्मरण शक्ति कम है
कम समझता है
संकेत नहीं समझता
संदर्भ नहीं समझता
रचनात्मक विश्लेषण की कमी है
संयुक्ताक्षर नहीं जानता
स्वर नहीं जानता
व्यंजन नहीं जानता
शब्दों के तुक्के लगाता है
दृश्य शब्दावली पर्याप्त नहीं
आधारभूत शब्दावली की कमी
स्थानापन्नता
निवेशन
उल्टाव या विपर्यय
आवृत्ति
बीच-बीच में छोड़ देना
गलत उच्चारण
अशुद्ध पदविन्यास
शब्दशः पठन

मॉडयूल– 29 पी

प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

दृष्टिपात

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का अंतरंग भाग है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बच्चा ही शिक्षा का केन्द्र है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षक के मन में प्रत्येक छात्र के प्रति समुचित आदर हो और एक अच्छे मानव के रूप में बालक के विकास एवं उन्नति की भावना हो । छात्र केन्द्रित नीति बालक के प्रति आदर की अपेक्षा करती है और परिणाम की अपेक्षा विधि पर अधिक बल देती है । उसी भावना से सभी शिक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे बालक के सम्मान, प्रतिष्ठा, गुण तथा सम्पूर्ण विकास की रक्षा करें ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्वास्थ्य की परिभाषा मनुष्य के "शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास" से सम्बद्ध है । स्वास्थ्य का तात्पर्य बीमारी अथवा दुर्बलता से बचाव करना ही नहीं है । स्वास्थ्य एक सकारात्मक संकल्पना एवं धारणा है । इसका तात्पर्य है :

(1) बहुत अधिक मात्रा में क्रियाकलाप–शारीरिक क्रिया में जिससे गतिमान होने की क्षमता का विकास हो सके ।
(2) सही मात्रा में पौष्टिक तथा संतुलित भोजन ।
(3) पर्याप्त विश्राम, आराम तथा नींद ।
(4) सुरक्षित रहने की भावना ।
(5) सुखद मानवीय सम्बन्ध ।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों को यथासम्भव स्कूल के सम्पूर्ण कार्यक्रमों में भलीभाँति पिरो दिया जाना चाहिए ।

प्रस्तुत मॉडयूल द्वारा आपको स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी ।

लक्ष्य

इस मॉड्यूल के माध्यम से आप:

–उन सभी धारणाओं से अवगत हो जायेंगे जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है,
–छात्रों की साधारण स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से परिचित हो सकेंगे,
–स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आदत डाल सकेंगे,
–खेलकूद में भाग लेने की इच्छा जागृत कर सकेंगे,
–स्कूल में एक ऐसा वातावरण बना सकेंगे जिससे छात्रों में क्रीडा कौशल उत्पन्न हो सके ।

दर्शिकायें

शिक्षकों के विचारार्थ कुछ बिन्दु यहाँ दिये जा रहे हैं :

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का सीधा सम्बन्ध अनौपचारिकता से है । इससे शिक्षक व छात्र दोनों को ही पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है । शिक्षक को चाहिये कि वह अनौपचारिक रूप से छात्रों के सर्वोच्च्य गुणों को उभारने का प्रयास करे । यदि स्कूल में एक या दो प्रकार के खेलों में अच्छी टीम बन गयी है, तो शिक्षकों को उससे ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये क्योंकि इसमें कुछ ही छात्र सम्मिलित हो सकेंगे । स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित क्रियाकलापों को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उससे लाभान्वित हो सके । स्कूल को इस बात से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि केवल एक शारीरिक शिक्षक अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है । प्रत्येक अध्यापक को शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिये । शिक्षकों की अपने प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे सभी छात्रों के स्वास्थ्य विकास में सहयोग दे सकें । प्रायः देखा गया है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम यह कहकर टाल दिये जाते हैं कि स्कूल मे पर्याप्त साधन नहीं है । किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उपलब्ध वातावरण और सामुदायिक सहयोग द्वारा बिना लागत वाले अनेक कार्यकलाप आयोजित किये जा सकते हैं ।

स्कूल के शिक्षकों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए कम से कम निम्नलिखित कार्यक्रम बनाना चाहिए :

(1) उन छात्रों की सूची बनायें जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है - जैसे आँखों सम्बन्धी, श्रवण सम्बन्धी, दाँत सम्बन्धी अथवा नाक, गला, त्वचा, बाल या अंगविन्यास सम्बन्धी ।
(2) ऐसे सभी छात्रों को आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ या स्कूल के डाक्टर के पास या सिविल अस्पताल भेजें ।

(3) बीमार छात्रों के विषय में डाक्टर, विशेषज्ञ अथवा अभिभावकों से चर्चा करें ।
(4) चिकित्सक की राय के अनुसार छात्र का इलाज करवायें और देखें कि वह स्वस्थ ही रहा है या नहीं ।
(5) इस बात पर जोर दें कि छात्रों को यथासमय डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, काली खाँसी, हैजा, पोलियो, टाइफाइड आदि के टीके लगवाये जायें । यह भी उचित होगाकि स्कूल में ही प्रतिरक्षण कार्यक्रम हो तथा बच्चों के परिवारों को भी प्रतिरक्षण की सुविधाएँ दी जायें ।
(6) ऐसी खान-पान सम्बन्धी तथा अन्य कमियों का पता लगायें जिनका बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है । बच्चों के स्वास्थ्य का रिकार्ड रखें तथा उन्हें समय-समय पर उचित सलाह दें ।
(7) बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे समूह बनायें जिनमें आवश्यकतानुसार शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कराये जा सकें । अन्ततः इनमें से कुछ बच्चे शारीरिक शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे ।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों की एक योजना बना लेनी चाहिए । इस सम्बन्ध में कुछ कार्यकलापों का प्रस्ताव दिया जा रहा है:

(1) रोजमर्रा के कार्यकलापों का प्रोग्राम बनायें । स्कूल में उपलब्ध खुले स्थान में, बच्चों को आयु की क्षमता के अनुसार तीव्र गति से चलने एवं दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करें ।
(2) कार्यकलापों का एक ऐसा वृहद् कार्यक्रम बनायें जिसमें बाहर खेले जा सकने वाले खेलकूद, छोटे क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले खेल, व्यायाम, योग आदि सम्मिलित हों । इनके लिए छात्रों के समूह बनायें । छात्रों को बारी-बारी से सभी खेलों में भाग लेने की सुविधा दें ।
(3) दोपहर में, अथवा खाना खाने के पहले या तुरन्त बाद शारीरिक कार्यकलाप करना उचित नहीं है । छात्रों की शारीरिक क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही समय का चुनाव करना चाहिए ।
(4) जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं उन्हें प्रत्येक कक्षा को सप्ताह में दो बार अवश्य लेना चाहिए । उन्हें छात्रों को आवश्यक मूल क्रियायें और विभिन्न क्रियाओं को करने के तरीके सिखाने चाहिए । अच्छा होगा यदि अन्य शिक्षक भी इन क्रियाकलापों को ध्यान से देखें ।
(5) प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षण ही वह धुरी होनी चाहिए जिसके चारों ओर अन्य कार्यकलाप घूम सकें । अनौपचारिक वातावरण में खेलकूद कराने चाहिए जिससे बच्चे उनके प्रति आकर्षित हो सकें और उनमें रुचि ले सकें । वास्तव में छात्र के स्वकार्यान्वियन में खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है ।

कार्यकलापों का सुझाव

इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों के बारे में विचार-विमर्श करके उन्हें आयोजित कर सकते हैं :

क्रियाकलाप – 1

खाने की उन सभी चीजों की एक सूची बनायें जो प्रायः बच्चे एक सप्ताह में खाते हैं । बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके पौष्टिक तत्वों को नोट करें । आप माता-पिता की आर्थिक स्थिति, उनके रीति-रिवाजों को ध्यान में रखकर उनमें क्या परिवर्तन चाहेंगे ? चर्चा कीजिये ।

क्रियाकलाप – 2

आयु को ध्यान में रखकर आप जिन बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षित कर रहे हैं, उनके विकास की विशिष्टताओं की सूची बनायें । उनके आधार पर अपने स्कूल में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बनायें ।

क्रियाकलाप – 3

आमतौर पर होने वाली संक्रामक बीमारियों के लक्षण क्या हैं ? चर्चा कीजिये । बच्चों व आस-पास के लोगों को अवगत कराने के लिए कुछ पोस्टर बनायें, बुलेटिन बोर्ड के लिए सामग्री तैयार करें और कुछ सन्देश लिखें ।

क्रियाकलाप – 4

प्रत्येक छात्र के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी रिकार्ड का एक फार्म तैयार करें । आपस में अन्य शिक्षकों से इस पर परामर्श करें । इनका उपयोग अपने स्कूल में करें ।

क्रियाकलाप – 5

सत्र के आरम्भ में ही बच्चों को यह सिखाने के लिए कि यदि स्कूल, खेल के मैदान अथवा बाहर या विज्ञान प्रयोगशाला में कोई दुर्घटना हो जाय तो वे किस प्रकार आचरण करें – इसके लिए एक दर्शिका तैयार कीजिए । इसमें यह भी बतायें कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार प्राथमिक सहायता दी जानी चाहिए ।

क्रियाकलाप – 6

छात्रों के लिए ऐसी दर्शिका बनाइये जिसमें यह लिखा हो कि वे स्कूल के गलियारों में, बाथरूम अथवा शौचालयों में, हाथ धोने और पीने के पानी के सम्बन्ध में, नाश्ता अथवा भोजन करते समय, स्कूल के बाहर खोम्चे वालों से खरीदते समय, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलते समय, बिजली के प्वाइन्ट अथवा उपकरणों का प्रयोग करते समय, खिड़की दरवाजों को खोलते-बन्द करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखें ।

क्रियाकलाप – 7

इस बात के लिए भी एक दर्शिका बनायें कि आवश्यकता पड़ने पर छात्र आस-पास के क्षेत्र से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें स्वयं स्वस्थ रह कर चिकित्सा से दूर रहने का भी ज्ञान देना आवश्यक है ।

क्रियाकलाप – 8

ऐसे कार्यकलापों की सूची तैयार कीजिये जिनके माध्यम से आप अपने छात्रों की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में मदद कर सकते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य कौन से कार्यकलापों में आप उन्हें दक्षता प्राप्त कराना चाहेंगे ? अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा कीजिये ।

क्रियाकलाप – 9

आप अपने क्षेत्र में अपने सहयोगियों और छात्रों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम–विशेषकर तम्बाकू तथा अन्य नशीली वस्तुओं आदि से होने वाली हानियों को ध्यान में रखकर किस प्रकार लागू करेंगे । आप पास-पड़ोस के लोगों से उनके अग्रगणियों से, अन्य शैक्षिक संस्थाओं से इस कार्य में किस प्रकार सहयोग प्राप्त कर सकते हैं ?

प्राथमिक विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए सुझाव

(1) संचालन, कक्षा गति, हस्तसाध्य गतिविधियाँ, अपना भार हल्का करना, असरदार ढंग से भार सहन करना, विभिन्न प्रकार के भार उठाना और उन्हें लेकर चलना, धक्का लगाना और सहन करना ।
(2) स्थिर रहना, सीमित और व्यापक क्षेत्र में गतिमान होना, जमीन पर गिरना और उठना, लुढ़कना, पहिये की तरह घूमना ।
(3) पिरेमिड बनाना ।
(4) सरल योगासन ।
(5) लय तथा गति : समय और स्थान के अनुसार, संगीत के आधार पर , ताली बजाकर और रचनात्मक रूप से गतिशील होना ।
(6) जो खेल बच्चे प्रायः खेलते हैं, उनके नियमों से परिचित होना ।
(7) रिले रेस (चौकी दौड़) ।
(8) छोटे अथवा खुले स्थानों में होने वाले खेलकूद ।

हम शिक्षक हैं– इस नाते हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे छात्र एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें । हमें प्रत्येक छात्र के विकास का ध्यान रखना चाहिए । छात्र स्वस्थ हो और उसका सर्वांगीण विकास हो, यही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० द्वारा निर्मित/रा० 1 पी

मॉड्यूल

परिषद् विद्यालयों के रख-रखाव की व्यवस्था

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के संचालन का उत्तर दायित्व स्थानीय निकायों का था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा का संचालन सम्बन्धित जनपद की जिला परिषदें तथा नगर क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा किया जाता था। जिला परिषदों तथा नगर निगमों से यह अपेक्षा की जाती थी कि बेसिक शिक्षा में शासकीय अनुदान के अतिरिक्त, वे निजी स्रोतों से उपलब्ध आय से बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले व्यय भार को वहन करेंगी। परन्तु इस दिशा में स्थानीय निकायों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ एक ओर भवनहीन विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती रही, वहीं दूसरी ओर जिन विद्यालयों में भवन उपलब्ध थे वे मरम्मत के अभाव में जर्जर होते गये। वर्षा, गर्मी तथा शीत में खुले स्थानों पर विद्यालयों को संचालित करने का प्रतिकूल प्रभाव समूचे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। परिणामस्वरूप शिक्षा का प्रयोजन (छात्रों का सर्वांगीण विकास) एवं स्तर अपूर्ण ही रहा।

स्थानीय निकायों द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित ध्यान न देने तथा बेसिक शिक्षा के स्तर में निरन्तर ह्रास को दृष्टिगत रखते हुए उ० प्र० शासन ने जुलाई 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया तथा जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना कर बेसिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद् की सौंप दिया। वर्ष 1976-77 से प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सौंप दिया गया। वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक मैदानी क्षेत्र के 40 जनपदों में यह निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया जबकि वर्ष 1979-80 से आठ पर्वतीय जनपदों में प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया। क्योंकि विद्यालय भवनों का स्वामित्व बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के उपरान्त भी स्थानीय निकायों का ही बना रहा, भवनों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा पूर्व की भाँति अनुदान स्थानीय निकायों को ही उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक बहुत बड़ी धनराशि स्थानीय निकायों को भवन मरम्मत के निमित्त दी गयी। स्थानीय निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा विद्यालय भवनों की मरम्मत मे उनके द्वारा अपेक्षित रुचि न लिये जाने के कारण उस धनराशि का समुचित उपयोग न हो सका। वर्ष 1985-86 में विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य पंचायत राज विभाग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। किन्तु फिर भी कोई आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। इस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त भी विद्यालय भवनों की मरम्मत समुचित ढंग से सम्पन्न नहीं हो सकी। संसाधनों की कमी तथा मरम्मत कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में किसी स्पष्ट नीति के अभाव में विद्यालय भवनों की स्थिति निरन्तर जर्जर हो गयी।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। संसाधनों के अभाव को अनुभव करते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूसरे शब्दों में यह अनुभव किया गया कि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना होगा तथा समुदाय को यह सोचने के लिए अभिप्रेरित करना होगा कि विद्यालय उनके हैं और उनके लिए हैं। उसकी देख-रेख, मरम्मत और विकास का उत्तरदायित्व भी स्थानीय समुदाय का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 के अनुसार – "जिस हद तक सम्भव होगा, विभिन्न तरीकों से साधन जुटाये जायेंगे। चन्दा इकट्ठा करना, इमारतों का रख-रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों को मदद लेना .... से सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिए किये जायेंगे अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जबावदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिए भी कारगर होंगे। तथापि साधनों की समूची वित्तीय आवश्यकता के मुकाबले में इन उपायों से थोड़े ही अंश में योगदान ही पायेगा। वास्तव में सरकार तथा देशवासियों को ही मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन जुटाने होंगे, यथा प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, निरक्षरता निवारण, देशभर में सभी वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा का सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिता बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना .... ।" (11-2)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप उ० प्र० सरकार ने अगस्त, 1986 से प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल के भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव की नई व्यवस्था के निमित्त रुपये 380 प्रति प्राइमरी स्कूल तथा रुपये 450 प्रति जूनियर हाईस्कूल की दर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को प्रतिवर्ष कुल 3 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया । इस धनराशि में से रुपये 200 प्रति प्राइमरी स्कूल तथा रुपये 225 प्रति जूनियर हाईस्कूल भवनों की मरम्मत के लिए चिन्हित किये गये तथा शेष धनराशि विद्यालय साज-सज्जा के लिए आवंटित की गयी । यह धनराशि विद्यालय के निकटवर्ती डाकघर अथवा शिड्यूल बैंक में एक सेविंग खाता खोलकर जमा करने का निर्णय लिया । इस खाते को 'विद्यालय रख-रखाव खाता' कहा जायेगा तथा इसका संचालन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्याक अथवा प्रधानाध्यापिका के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा । नगर क्षेत्र में इस खाते का संचालन एकल रूप से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा किया जायेगा । इस मद में अभिभावकों तथा अन्य ग्रामवासियों द्वारा स्वेच्छा से दी गयी धनराशियाँ भी जमा की जायेंगी ।

क्रियाकलाप – 1

विद्यालय भवन मरम्मत के अन्तर्गत आप किन कार्यों को पहले करवाना चाहेंगे, प्राथमिकता की दृष्टि से एक सूची बनाइये ।	एकत्र करिये चर्चा करिये

नवीन व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों में 1000-00 तक की सीमा के अन्दर, धन की उपलब्धता के आधार पर, अपेक्षित मरम्मत का कार्य नगर ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा आगणन तैयार करके उसका पूर्वानुमोदन नगर/ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त करके अमानी तौर पर कराया जायेगा । रुपये 1000-00 से अधिक विशेष मरम्मत के कार्य का आगणन नगर क्षेत्र स्थानीय निकाय के अवर अभियन्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता से बनवाया जायेगा।

इस आगणन का अनुमोदन नगर/ग्रामीण शिक्षा समिति से प्राप्त कर निविदायें आमंत्रित की जायेंगी तथा न्यूनतम निविदा का अनुमोदन उक्त समिति से प्राप्त कर समस्त मरम्मत कार्य सम्बन्धित प्रधानाध्यापक /प्रधानाध्यापिका एवं ग्राम सभा प्रधान की देख-रेख और नियंत्रण में पूरा कराया जायेगा । मरम्मत कार्य हेतु एक अलग रजिस्टर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा रखा जायेगा और उसमें प्रतिदिन अमानी कार्य से सम्बन्धित भुगतान दर्ज किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी समस्त बाउचर्स सुरक्षित रखे जायेंगे ।

"विद्यालय रख-रखाव खाता" के माध्यम से उक्त प्रकार के विद्यालय भवनों की छुटपुट मरम्मत के अतिरिक्त विशेष मरम्मत का कार्य पंचायत राज विभाग द्वारा कराया जायेगा । विशेष मरम्मत के कार्यों को सम्पादित करने के लिए पंचायत राज विभाग के बजट में प्रतिवर्ष 3 करोड़ 16 लाख का प्राविधान किया जायेगा तथा मरम्मत सम्बन्धी आगणन प्रतिवर्ष निश्चित समय सारिणी के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

"विद्यालय रख-रखाव खाता" के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में एक "विकास अभिदान खाता" भी प्रारम्भ किया गया है जिसमें छात्रों के विकास शुल्क एवं दान के रूप में प्राप्त धनराशि रखी जाती है । विद्यालय की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस खाते से भी नगर/ग्रामीण शिक्षा समिति की स्वीकृति के उपरान्त विद्यालय भवन की छुटपुट मरम्मत का कार्य कराया जा सकता है ।

क्रियाकलाप– 2

आपके विचार से "विकास अभिदान खाते" का उपयोग किन मदों में करना अधिक उपयुक्त होगा, कारण सहित संक्षेप में उल्लेख करिये ।	एकत्र करिये चर्चा करिये

क्रियाकलाप–3

विकास अभिदान खाते में दान के रूप में धनराशि प्राप्त करने का प्रयास यदि आपने किया है, तो कितनी सफलता मिली, यदि सफलता नहीं मिली, तो उनके कारणों का भी संक्षेप में उल्लेख करें ।	एकत्र करिये चर्चा करिये

वृहत् सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1989
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (संदर्भदाता/शिक्षक प्रशिक्षण दस दिवसीय कार्यक्रम)

दिवस	समय					
	10.00-11.00	11.00-11.15	11.15-01.15	01.15-2.30	2.30-4.30	4.30-5.00
पहला दिन	रजिस्ट्रेशन उद्घाटन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक परिचय	चाय	राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्राइमरी स्तर के परिप्रेक्ष्य में	भोजन	– बाल केन्द्रित शिक्षा – निहितार्थ एवं विशेषताएं – बौद्धिक विकास की अवस्थाएं	चर्चा विचार-विमर्श (सतत मूल्यांकन)
दूसरा दिन	– बाल केन्द्रित शिक्षा – प्राइमरी स्तर पर बालक की प्रवृत्तियां – छोटे समूहों में आधारित क्रियाएं एवं कक्षा-कक्ष व्यवस्था	चाय	– बाल केन्द्रित शिक्षण रणनीति तथा पाठ्यक्रम निर्धारण एवं शिक्षण सामग्री का सहयोजन – मूल्यांकन पद्धतियां	भोजन	– बाल केन्द्रित शिक्षा पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों की समस्याएं – विशिष्टीकृत शिक्षण	चर्चा विचार-विमर्श (सतत मूल्यांकन)
तीसरा दिन	– ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना–संकल्पना – उद्देश्य – विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाएं	चाय	– प्रदेश स्तर पर योजना का क्रियान्वयन – योजना की सफलता में शिक्षण की भूमिका	भोजन	– विद्यालयों की दी जाने वाली सुविधाओं के साथ अल्पव्ययी शिक्षण साधनों का उपयोग	चर्चा विचार-विमर्श (सतत मूल्यांकन) (समूहगत विभाजन)
चौथा दिन	विज्ञान किट प्रदर्शन/प्रयोग	चाय	विज्ञान किट प्रदर्शन/प्रयोग	भोजन	गणित किट प्रदर्शन/प्रयोग	गणित किट प्रदर्शन/प्रयोग
पांचवां दिन	मिनी टूल्स किट प्रदर्शन/प्रयोग	चाय	क्रीड़ा सामग्री प्रदर्शन/प्रयोग	भोजन	पुस्तकालय का उपयोग एवं पुस्तकों का रख-रखाव	चर्चा विचार-विमर्श (सतत मूल्यांकन)

दिवस	समय					
	10.00-11.00	11.00-11.15	11.15-01.15	01.15-2.30	2.30-4.30	4.30-5.00
छठवां दिन	योग शिक्षा—महत्व, उद्देश्य, विद्यालयों में इनका संचालन	चाय	– क्रिया-प्रतिक्रियात्मक शिक्षण अधिगम – संकल्पना, उद्देश्य, सोपान – विद्यालयों में खेलकूद/स्काउट-गाइड कार्यक्रमों का आयोजन	भोजन	– शिक्षण में खेल क्रियाएं – संकल्पना – उद्देश्य – सोपान	चर्चा विचार-विमर्श मूल्यांकन
सातवां दिन	विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन	चाय	प्रदर्शनात्मक पाठ (1) गणित (2) पर्यावरणीय अध्ययन विज्ञान/सा. विषय (3) भाषा (4) क्रीड़ा सामग्री (5) कार्यानुभव/कला (6) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण (पृथक-पृथक समूहों में)	भोजन	अभ्यास प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा (समूहगत)	चर्चा विचार-विमर्श मूल्यांकन
आठवां दिन	स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, निदान/निराकरण	चाय	संदर्भदाताओं/शिक्षकों द्वारा पाठ्य-पुस्तक आधारित क्रियापरक/खेलपरक शिक्षण अधिगम क्रियाओं का चयन	भोजन	चयनित क्रियाओं पर प्रदर्शनात्मक पाठ (अभ्यास) संदर्भदाताओं/शिक्षकों द्वारा	चर्चा विचार-विमर्श मूल्यांकन
नवां दिन	पर्यावरण सुरक्षा एवं वृक्षारोपण (सामाजिक वानिकी)	चाय	प्रदर्शनात्मक पाठ (अभ्यास) संदर्भदाताओं/शिक्षकों द्वारा	भोजन	मूल्यांकन प्रपत्रों को पूर्ण करना	प्रत्येक समूह से एक अच्छे पाठ का चयन
दसवां दिन	सदन के सम्मुख		अच्छे समूहगत पाठों की प्रस्तुति	भोजन	समापन	

नोट— प्रशिक्षण कार्यक्रम स्काउट-गाइड शिविर के रूप में आयोजित किया जायेगा ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

भाग 1

भूमिका

1.1 मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है । प्रत्येक देश अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपाने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है, लेकिन देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने की नितान्त जरूरत हो जाती है । आज वहीं समय है ।

1.2 हमारा देश आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हम अब तक के संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का प्रबल प्रयास करें । शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है ।

1.3 इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जायेगी । शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई । कई स्रोतों से सुझाव व विचार प्राप्त हुए, जिन पर काफी मनन-चिंतन हुआ ।

1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद

1.4 1968 की राष्ट्रीय नीति आजादी के बाद के शिक्षा के इतिहास में एक अहम कदम थी । उसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा तथा सामान्य नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था । उसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने पर जोर दिया गया था । साथ ही उस शिक्षा नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नैतिक मूल्यों को विकसित करने तथा शिक्षा और जीवन में गहरा रिश्ता कायम करने पर भी ध्यान दिया गया था ।

1.5 1968 की नीति लागू होने के बाद देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है । आज गांवों में रहने वाले 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए एक किलोमीटर के फासले के भीतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं । अन्य स्तरों पर भी शिक्षा की सुविधाएं पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी हैं ।

1.6 पूरे देश में शिक्षा की समान संरचना और लगभग सभी राज्यों द्वारा 10+2+3 की प्रणाली को मान लेना शायद 1968 की नीति की सबसे बड़ी देन है । इस प्रणाली के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को एक समान शिक्षा देने के अलावा विज्ञान व गणित को अनिवार्य विषय बनाया गया और कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया ।

1.7 स्नातक स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई । स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध के लिए उच्च अध्ययन के केन्द्र स्थापित किए गए । हम देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके हैं ।

1.8 यद्यपि ये उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किन्तु यह भी सच है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बनी, न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए, और न ही वित्तीय एवं संगठन संबंधी व्यवस्थाएं हो सकीं । नतीजा यह है कि विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुँचाने, उसका स्तर सुधारने और विस्तार करने और आर्थिक साधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए, और आज इन कमियों से एक बड़े अंबार का रूप धारण कर लिया है । इन समस्याओं का हल निकालना वक्त की पहली जरूरत है ।

1.9 मौजूदा हालात ने शिक्षा को एक दुराहे पर ला खड़ा किया है । अब न तो अब तक होते आये सामान्य विस्तार से, और न ही सुधार के वर्तमान तौर-तरीकों या रफ्तार से काम चल सकेगा ।

1.10 भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमत संपदा है, अमूल्य संसाधन है । जरूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो और सावधानी से की जाये । हर इन्सान का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, जन्म से मृत्युपर्यन्त, जिन्दगी के हर मुकाम पर उसकी अपनी समस्याएं और जरूरतें होती हैं । विकास की इस पेचीदा और

गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने और उस पर पूरी लगन के साथ अमल करने की आवश्यकता है ।

1.11 आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के हास का खतरा पैदा हो गया है और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा व्यावसायिक नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं ।

1.12 देहात में रोजमर्रा की सहूलियतों के अभाव में पढ़े-लिखे युवक गांवों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं । इसलिए गांव और शहर के फर्क को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बड़ी जरूरत है ।

1.13 आने वाले दशकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार पर काबू पाना होगा । इस समस्या को हल करने में सबसे अहम उपाय कारगर साबित हो सकता हैं, वह है महिलाओं का साक्षर और शिक्षित होना ।

1.14 अगले दशक नए तनावों और समस्याओं के साथ अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करेंगे । उन तनावों से निपटने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए मानव संसाधन को नए ढंग से विकसित करना होगा । आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरुरी होगा कि वे नए विचारों को सतत सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सकें । उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करनी होगी । यह सब अधिक अच्छी शिक्षा से ही संभव है ।

1.15 अतएव इन चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे । इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है ।

भाग 2

राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था

2.1 हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में "सबके लिए शिक्षा" हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है ।

2.2 शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है । यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके के अमल की संभावना बढ़ती है और समझ और चिंतन में स्वतन्त्रता आती है । साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है ।

2.3 शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है । शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है जो राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता की आधारशिला है ।

2.4 कुल मिलाकर, यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है । इसी सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है ।

भाग 3

शिक्षा का सार और उसकी भूमिका

3.1 जिन सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई है वे हमारे संविधान में ही निहित हैं ।

3.2 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात-पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो । इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी । 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जाएंगे ।

3.3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत यह जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना हो । 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है । इस ढांचे के पहले दस वर्षों के संबंध में यह प्रयत्न किया जाएगा कि उसका विभाजन इस प्रकार हो । प्रारम्भिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर और 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर, तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर ।

3.4 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे पर आधारित होगी जिसमें एक "सामान्य केन्द्रिक" (कॉमन कोर) होगा और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा । "सामान्य केन्द्रिक" में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे । ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में पिरोये जाएंगे । इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इन्सान की सोच और जिन्दगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जायेगी । इन राष्ट्रीय मूल्यों में ये बातें शामिल हैं : हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके अमल की जरूरत । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्म निरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित हों ।

3.5 भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाई-चारे के लिये सदा प्रयत्न किया है, और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के आदर्शों को संजोया है । इस परम्परा के अनुसार शिक्षा-व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़े । शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

3.6 समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिये सभी को शिक्षा समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था होना भी जरूरी है जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिलें । इसके अतिरिक्त, समानता की मूलभूत अनुभूति केन्द्रिक शिक्षाक्रम के द्वारा करवाई जाएगी । वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुंठाएं दूर हों ।

3.7 प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जायेगा । ऐसे उपाय भी किये जांएगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें । सम्पर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा, पुस्तकों का एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और बहुभाषी शब्द-कोशों और शब्दावलियों के गरिमा पहचानने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा ।

3.8 उच्च शिक्षा, खास तौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले हर छात्र को बराबरी के मौके दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की सुविधा दी जायेगी । विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं के सार्वदेशिक स्वरूप पर जोर दिया जायेगा ।

3.9 शोध और विकास तथा विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक तानाबाना (नेटवर्क) स्थापित करने के लिये विशेष उपाय किए जायेंगे ताकि वे अपने-अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें ।

3.10 शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए तथा इस प्रकार के अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा ।

3.11 आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है, और सार्वजनीन साक्षरता उसका अभिन्न पहलू । युवा वर्ग, गृहिणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर मुहय्या करवाए जायेंगे । भविष्य में खुली शिक्षा एवं दूरशिक्षण की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ।

3.12 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को संवारने में अपनी भूमिका अदा कर सकें । इन सभी संस्थाओं को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो तथा अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम मजबूत बन सकें । इन संगठनों को, तथा अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी शिक्षा संस्थान को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जाएगा ।

सार्थक सहभागिता

3.13 वर्ष 1976 का संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था । उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो । शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उनके दायित्व में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में अब तक से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी :—शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समाकलनात्मक (इंटेग्रेटिव) रूप को बल देना, गुणवत्ता एवं स्तर बनाए रखना (जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं स्तर शामिल है), विकास के निमित्त जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और देख-रेख, शोध एवं उच्च अध्ययन की जरूरतों को पूरा करना, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलूओं पर ध्यान देना और सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता

लाने का निरन्तर प्रयास । समवर्तिता एक ऐसी भागीदारी है जो स्वयं में सार्थक व चुनौतीपूर्ण है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे हर मायने में पूरा करने की ओर उन्मुख रहेगी ।

भाग 4

समानता के लिए शिक्षा

विषमताएं

4.1 नई नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहय्या करेगी ।

महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा

4.2 शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा । अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा । राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं, समर्थ और सशक्त हों । नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों का पुनःप्रशिक्षण किया जायेगा । इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृतसंकल्प होकर किया जायेगा । महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा ।

4.3 महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रूकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी । इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जायेंगी समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और उनके कार्यान्वियन पर कड़ी निगाह रखी जायेगी । विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा । लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारम्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन (सेक्स स्टीरियोटाइपिंग) को खत्म किया जा सके तथा गैर-परम्परागत आधुनिक काम-धन्धों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके । इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी

अनुसूचित जातियों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें । यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरुरी है : ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में ।

4.5 इस मकसद के तहत नई नीति में ये उपाय सोचे गए हैं :—

(i) निर्धन परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें ।

(ii) सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरु की जायेगी । ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना, उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जायेगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरु किये जाएंगे ।

(iii) ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और जांच-पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रुप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है । साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना ।

(iv) अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना ।

(v) जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाना ।

(vi) स्कूल भवनों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना ।

(vii) अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग करना ।

(viii) अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज जारी रखना ।

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

4.6 अनुसूचित जनजातियों की अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाएंगे –

(i) आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी । इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जनजातीय कल्याण योजनाओं आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा ।

(ii) आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती हैं । पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरूआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाये तथा ऐसा इन्तजाम किया जाये कि आदिवासी बच्चे शुरु के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

(iii) पढ़े-लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

(iv) बड़ी तादाद में आश्रमशालाएं और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ।

(v) अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जिन्दगी के तौर-तरीकों और उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हों । उच्च शिक्षा के लिए दी जाये वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जायेगा । सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यचर्या और अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें ।

(vi) आंगन-वाड़ियां, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा आदिवासी-बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे ।

(vii) आदिवासियों को समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का जरुरी हिस्सा होगी ।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र

4.7 शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा । पहाड़ी रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी ।

अल्पसंख्यक

4.8 अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफी पिछड़े और वंचित हैं । समाजी इन्साफ और समता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों की तालीम पर पूराध्यान दिया जाये । संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिये गए हैं, वे भी इनमें शामिल हैं । साथ ही पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुगतता रखी जायेगी तथा "सामान्य केन्द्रिक शिक्षाक्रम" के अनुरुप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाएंगे ।

विकलांग

4.9 शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिएं । इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :–

(i) विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो ।

(ii) गंभीर रुप से विकलांग बच्चों के लिये छात्रावास वाले खास स्कूलों की जरुरत होती । इस तरह के स्कूल, जहां तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे ।

(iii) विकलांगों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी ।

(iv) शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों, के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायेगा ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सकें ।

(v) विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासो को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा ।

प्रौढ़ शिक्षा

4.10 हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है : "सा विद्या या विमुक्तये", शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है । शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को लिखना-पढ़ना तो आना ही चाहिए क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है । इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व अत्यन्त अधिक है ।

4.11 आज विकास का अहम मुद्दा यह है कि किस तरह कुशलताओं को निरन्तर बढ़ाया जाए और समाज को जिस तरह की और जिस मात्रा में जनशक्ति की जरुरत हो उसे तैयार किया जाये । विकास के कार्यक्रमों में उन लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है जिनको उनका लाभ मिलना है । प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जायेगा । इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में ये सब शामिल हैं : निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन, छोटे परिवार के आदर्श का पालन, महिलाओं की समानता, इत्यादि । प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके उन्हें मजबूत बनाया जाएगा ।

4.12 समूचे देश की निरक्षरता उन्मूलन के लिए निष्ठापूर्वक कटिबद्ध होना है, खासकर 15–35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, राजनैतिक दलों तथा उनके जनसंगठनों, जन-संचार के माध्यमों और शिक्षा संस्थाओं को विविध प्रकार के जन-साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा । इस कार्य में शिक्षकों, युवावर्ग, छात्र-छात्राओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और नियोजकों आदि को बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा । शोध संस्थानों की सहायता से शैक्षिक पहलुओं में सुधार लाने के ठोस प्रयास किए जाएंगे । साक्षरता के अलावा, कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं का विकास, तथा शिक्षार्थियों में सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता की समझ पैदा करना और इस स्थिति को बदल सकने की संभावना के प्रति उन्हें सचेत बनाना प्रौढ़ शिक्षा का अंग होगा ।

4.13 विभिन्न पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा । इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार कार्यक्रम आएंगे :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना;
(ख) नियोजकों, मजदूर संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा;
(ग) उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा;
(घ) पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन;
(ङ) जन-शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग;
(च) शिक्षार्थियों के समूहों और संगठनों का सृजन;
(छ) दूर-शिक्षण के कार्यक्रम;
(ज) स्वाध्याय और स्वयं-शिक्षण में सहायता की व्यवस्था; और
(झ) आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

भाग 5

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन

शिशुओं की देखभाल और शिक्षा

5.1 बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाये, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है ।

5.2 बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता । पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य को और बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को समेकित रूप में ही देखना होगा । इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहां भी संभव हो, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा । प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केन्द्र खोले जाएंगे, जिससे अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके । साथ ही निर्धन तबके की कार्यरत स्त्रियों को भी इन केन्द्रों से मदद मिल सकेगी ।

5.3 शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केन्द्र पूरी तरह बाल-केन्द्रित होंगे । उनकी गतिविधियां खेल-कूद पर और बच्चों के व्यक्तित्व पर आधारित होंगी । इस अवस्था में औपचारिक रूप से पढ़ना-लिखना नहीं सिखाया जाएगा । इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाएगा ।

5.4 शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह समेकित किया जायेगा ताकि इससे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मानव संसाधन विकास में सामान्य रूप से सहायता मिल सके । इसके साथ ही स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जायेगा ।

प्रारम्भिक शिक्षा

5.5 प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया जाएगा : (क) 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों की विद्यालयों में भर्ती और उनका विद्यालय में टिके रहना, और (ख) शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार ।

बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण

5.6 बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब वहां का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों । प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल-केन्द्रित और गतिविधि पर आधरित होनी चाहिए । पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए । ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जाएंगे और अभ्यास के द्वारा वे कुछ कुशलताएं भी ग्रहण करते चलेंगे । प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जायेगी । बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा । शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्ड को सर्वथा हटा दिया जाएगा और विद्यालय के समय और छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुये किया जायेगा ।

विद्यालय में सुविधाएं

5.7 प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है । हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होंगे, जिनमें एक महिला होगी । यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक-एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी । पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा जिसका सांकेतिक नाम "आपरेशन ब्लैकबोर्ड" होगा । इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयं सेवी संस्थाओं और व्यक्तियों को पूरी भागीदारी होगी । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों का पहला उपयोग स्कूल की इमारतों के बनाने में होगा ।

अनौपचारिक शिक्षा

5.8 ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकतीं, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा ।

5.9 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधुनिक टैक्नालॉजी के उपकरणों की सहायता ली जाएगी । इन केन्द्रों में अनुदेशक के तौर पर काम करने के लिये स्थानीय समुदाय के प्रतिभावान और निष्ठावान युवकों और युवतियों को चुना जाएगा और उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाएगी । अनौपचारिक धारा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे योग्यतानुसार औपचारिक धारा के विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे । इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा का स्तर औपचारिक शिक्षा के समतुल्य हो ।

5.10 "राष्ट्रीय केन्द्रिक शिक्षाक्रम" की तरह का एक शिक्षाक्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिये भी तैयार किया जाएगा, लेकिन यह शिक्षाक्रम विद्यार्थियों की जरूरतों पर आधारित होगा और इसका संबंध स्थानीय पर्यावरण से रहेगा । उच्चकोटि की शिक्षण सामग्री बनाई जाएगी और वह सभी विद्यार्थियों को मुफ्त दी जाएगी । अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में सहभागी होते हुए शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उपलब्ध किया जाएगा, और इसमें खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि की व्यवस्था की जाएगी ।

5.11 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज की संस्थाएं करेंगी । इस कार्य के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर दिया जाएगा । इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की कुल जिम्मेवारी सरकार पर रहेगी ।

एक संकल्प

5.12 नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्या के सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन

किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोज कर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनाई जाएगी । इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा, या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा, अवश्य मिल जाए । इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी ।

माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा

5.13 माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है । इसी अवस्था पर बच्चों को इतिहास बोध और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है । साथ ही इस अवस्था पर अपने संवैधानिक दायित्व और नागरिकों के अधिकारों से भी उन्हें परिचित हो जाना चाहिए । अच्छे शिक्षाक्रम द्वारा उनमें चेतन रूप से कर्मशीलता के और करूणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जाएंगे । इस स्तर पर विशेष संस्थाओं में व्यवसायों की शिक्षा के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा को पुनर्रचना के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिये मूल्यवान जनशक्ति जुटाई जा सकती है । जिन क्षेत्रों में अभी सेकेंण्डरी शिक्षा नहीं पहुंची है वहां तक इसे पहुंचाकर अधिक सुलभ बनाया जाएगा । दूसरे क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण पर बल रहेगा ।

गतिनिर्धारक विद्यालय

5.14 यह एक सर्वमान्य बात है कि जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या अभिरुचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए । उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उनको ऐसे अवसर मिलने चाहिए ।

5.15 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढाँचे पर गतिनिर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी । इनमें नई-नई पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट रहेगी । मोटे तौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि वे समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता लाएं । अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये इन विद्यालयों में आरक्षण रहेगा । इन विद्यालयों में देश के विभिन्न भागों के, मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के, प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा । इन विद्यालयों में बच्चों को अपनी क्षमताओं के पूरे विकास का अवसर मिलेगा । सबसे बड़ी बात यह है कि ये विद्यालय समूचे देश में विद्यालय सुधार के कार्यक्रम में उत्प्रेरक का काम करेंगे । ये विद्यालय आवासीय और निःशुल्क होंगे ।

व्यवसायीकरण

5.16 शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है । इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं ।

5.17 व्यावसायिक शिक्षा अपने में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में चुने हुए काम-धन्धों के लिये विद्यार्थियों को तैयार करना होगा । ये कोर्स आम तौर पर सेकेण्डरी शिक्षा के बाद दिए जायेंगे । लेकिन इस योजना को लचीला रखा जाएगा ताकि आठवीं कक्षा के बाद भी विद्यार्थी ऐसे कोर्स ले सकें । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बड़ी व्यावसायिक शिक्षा के ढांचे के अनुसार चलेंगे ताकि इनमें प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके ।

5.18 स्वास्थ्य नियोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रबंध को उस क्षेत्र के लिये आवश्यक जनशक्ति प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए । इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी । प्राथमिक और मध्य स्तर पर स्वास्थ्य की शिक्षा पाने से व्यक्ति परिवार और समाज के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा । इससे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्क्रमों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी । कृषि, विपणन, सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे । व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृत्तियों, ज्ञान और कुशलताओं पर बल रहेगा जिनसे उद्यमीपन और स्वरोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले ।

5.19 व्यावसायिक पाठ्यचर्याओं या संस्थाओं को स्थापित करने का दायित्व सरकार पर और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सेवा नियोजकों (एम्प्लायर्स) पर होगा, तो भी सरकार स्त्रियों, ग्रामीण और जनजातियों के विद्यार्थियों और समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकता पूरी करने के लिये विशेष कदम उठाएगी । विकलांगों के लिये भी समुचित कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे ।

5.20 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को ऐसे अवसर दिये जायेंगे जिनके फलस्वरूप वे पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार व्यावसायिक विकास कर सकें, कैरियर में तरक्की पा सकें और सामान्य तकनीकी एवं उच्च स्तरीय व्यवसायों के कोर्सों में प्रवेश पा सकें ।

5.21 नव साक्षर लोगों, प्राथमिक शिक्षा पूरी किये हुए युवाओं, स्कूल छोड़ जाने वालों और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुये व्यक्तियों के लिये भी अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जायेंगे । इस संबंध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

5.22 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अकादमिक धारा के स्नातक यदि चाहें तो उनके लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाएगा ।

5.23 यह प्रस्ताव है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का दस प्रतिशत 1990 तक और 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक पाठ्चर्या में आ जाए । इस बात के लिये क़दम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा । माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकार अपने अधीन की जाने वाली भर्ती की नीति पर भी पुनः विचार करेगी

उच्च शिक्षा

5.24 उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सकें । विशिष्ट ज्ञान और कुशलताओं के प्रसारण के द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक बनती है । इसलिये समाज के जीवन में उसकी निर्णायक भूमिका है, शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते समूची शिक्षा व्यवस्था के लिये अध्यापक तैयार करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है ।

5.25 आजकल ज्ञान का जो अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है उसे देखते हुए उच्च शिक्षा को पहले से कहीं ज्यादा गतिशील होना है और अनजाने अध्ययन-क्षेत्रों में निरन्तर कदम बढ़ाते रहना है ।

5.26 आज भारत में करीब 150 विश्वविद्यालय और 5000 कालेज हैं । इन संस्थाओं में सभी प्रकार का सुधार लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में मुख्य बल विद्यमान संस्थाओं को दृढ़ करने और उनकी सुविधाओं के विस्तार पर हो ।

5.27 उच्च शिक्षा-व्यवस्था को गिरावट से बचाने के लिए सभी संभव उपाय किये जायेंगे ।

5.28 विश्वविद्यालयों से कालेजों के अनुबंधन (एफिलिएशन) की प्रथा का अनुभव कहीं सन्तोषप्रद और कहीं असंतोषप्रद रहा है । इसलिए अनुबंधन को घटाकर बड़ी संख्या में कालेजों को स्वायत्तता देने पर बल दिया जाएगा । उद्देश्य यह है कि वर्तमान अनुबंधन की प्रथा के स्थान पर विश्वविद्यालयों और कालेजों के बीच एक स्वतंत्र और अधिक सृजनशील संबंध का जन्म हो । इसी तरह विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विभागों को भी स्वायत्तता देने को प्रोत्साहित किया जाएगा । स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी अवश्य ही रहेगी ।

5.29 विशिष्टीकरण की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिये पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को नये सिरे से बनाया जायेगा । भाषिक क्षमता पर विशेष बल दिया जाएगा । विद्यार्थी कौन-कौन से कोर्स एक साथ ले सकते हैं, यह तय करने में अधिक लचीलापन रहेगा ।

5.30 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय संपन्न करने हेतु शिक्षा परिषदें बनाई जाएंगी । शिक्षा के स्तर पर निगरानी रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ये परिषदें समन्वय पद्धतियां बनायेंगी ।

5.31 न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश उनकी ग्रहण-क्षमता के अनुसार किया जायेगा । शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जाएंगे । दृश्य-श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ होगा । विज्ञान और टेक्नालॉजी के शिक्षाक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर और अनुसंधान अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जायेगा । इसके लिए अध्यापकों की सेवा-पूर्व तैयारी और बाद में उनकी सतत शिक्षा आवश्यक होगी । अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जायेगा । सभी पद योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे ।

5.32 विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए अधिक सहायता दी जायेगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे । विश्वविद्यालय में किये जा रहे अनुसंधान और अन्य संस्थाओं द्वारा किये जा रहे अनुसंधान के बीच,, विशेषकर विज्ञान और टेक्नालॉजी के अग्रवर्ती क्षेत्रों में तालमेल बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी । राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं की सुविधाओं को विश्वविद्यालयीन प्रणाली के अंतर्गत स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे और इन संस्थाओं में स्वायत्त प्रबंध की समुचित व्यवस्था की जाएगी ।

5.33 भारत विद्या, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिये पर्याप्त सहायता दी जायगी । ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संश्लेषण लाने की दृष्टि से अंतरविजयी अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जायेगा । इस बात का भी प्रयत्न होगा

कि भारत के प्राचीन ज्ञान के भंडार में पैठा जाए और उसे समकालीन वस्तुस्थिति से जोड़ा जाए । इसके लिये संस्कृत और अन्य श्रेष्ठ भाषाओं के गहन अध्ययन का विकास करना जरूरी होगा ।

5.34 नीति में अधिक समन्वय और सामंजस्य लाने के लिये, उपलब्ध सुविधाओं का सबके द्वारा उपयोग करने और अंतरविजयी अनुसंधान का विकास करने की दृष्टि से सामान्य, कृषि, चिकित्सा, कानून और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा ।

खुला विद्यालय और दूरस्थ अध्ययन

5.35 उच्च शिक्षा के लिये अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई है ।

5.36 इन उद्देश्यों के लिये 1985 में स्थापित "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय" को सुदृढ़ किया जायेगा ।

5.37 इस प्रबल साधन का विकास एवं विस्तार सावधानी से और सोच समझकर करना होगा ।

डिग्री को नौकरी से अलग करना

5.38 कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिये कदम उठाये जाएंगे ।

5.39 विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों, जैसे इंजीनियरी, चिकित्सा, कानून, शिक्षण, आदि में इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आदि में, जहां विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, अकादमिक अर्हताओं की आवश्यकता बनी रहेगी ।

5.40 डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिए । इस योजना को लागू करने से विशेष कार्यों में अपेक्षित कुशलताओं पर आधारित नये पाठ्यक्रम बनने लगेंगे और इससे उन प्रत्याशियों के साथ अधिक न्याय हो सकेगा जिनके पास किसी विशेष काम को करने की क्षमता तो है लेकिन उन्हें वह काम इसलिये नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिये स्नातक प्रत्याशियों को अनावश्यक रूप से तरजीह दी जाती है ।

5.41 नौकरियों को डिग्री से अलग करने के साथ-साथ क्रमिक रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रारंभ की जाएगी । इसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से विशिष्ट कामों के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता की जांच की जाएगी और इससे देश भर में समतुल्य योग्यताओं के मानक स्थापित हो सकेंगे ।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

5.42 ग्रामीण विश्वविद्यालय के नये ढ़ाचे को सुदृढ़ किया जाएगा और इसे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जाएगा । इसका उद्देश्य होगी कि ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन के लिये सूक्ष्म रूप से आयोजन प्रक्रिया ग्राम स्तर पर चलाने की दृष्टि से योग्य शिक्षा दी जाय । महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से संबद्ध संस्थाओं और कार्यक्रमों को सहायता दी जायगी ।

भाग 6

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा

6.1 यद्यपि तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा अलग धाराओं के रूप में चल रही है तथापि उनके आपसी घनिष्ठ संबंध और पूरक मकसदों को ध्यान में रखते हुए दोनों पर इकट्ठा विचार करना आवश्यक है । तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरंभ में जिस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है, उसे ध्यान में रखना होगा । अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में संभावित परिवर्तन, ज्ञान में तेजी से होते फैलाव तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति को इस संदर्भ में देखना होगा ।

6.2 अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्रों के साथ-साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्र को भी उन्नत टेक्नालॉजी की और तकनीकी और प्रबंधकीय जनशक्ति की बेहद जरूरत है । सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जायेगा ।

6.3 जनशक्ति सूचना के संबंध में स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में स्थापित तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली को आगे विकसित तथा सुदृढ़ किया जायेगा ।

6.4 वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

6.5 क्योंकि संगणक (कम्प्यूटर) महत्वपूर्ण और सर्वव्यापक साधन बन गया है अतः संगणक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उनके प्रयोग में प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा का अंग बनाया जायेगा । संगणक-साक्षरता (कंप्यूटर लिटरेसी) के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे ।

6.6 औपचारिक पाठ्यक्रमों में दाखिले की वर्तमान कड़ी शर्तों के कारण साधारण लोगों में अधिकांश को आज तकनीकी तथा प्रबंधकीय शिक्षा नहीं मिलती । ऐसे लोगों के लिये दूर शिक्षण सुविधाएं, जिनमें जन संचार माध्यम का उपयोग भी शामिल है, प्रदान की जायेंगी । तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा कार्यक्रम, पालिटेक्निक शिक्षा सहित, लचीली मॉड्यूलर पद्धति के अनुसार चलेंगे और इसमें विभिन्न स्तरों पर प्रवेश की सुविधा होगा । इसके लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई जायेगी ।

6.7 प्रबंध शिक्षा की प्रासंगिकता को, विशेष रूप से गैर-नियमित तथा कम व्यवस्थित क्षेत्रों में, बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबंध शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीय अनुभव एवं अध्ययन पर आधारित दस्तावेजी जानकारी तैयार की जायेगी और ऊपर बताये गये क्षेत्रों के लिये उपयुक्त ज्ञान एवं शिक्षा कार्यक्रमों का भंडार तैयार किया जायेगा ।

6.8 महिलाओं, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं विकलांगों के लाभ के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे ।

6.9 व्यावसायिक शिक्षा और उसके विस्तार पर बल देने के लिये व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम विकास आदि के लिये अनेक शिक्षकों और पेशावरों की आवश्यकता होगी । इस मांग को पूरा करने के लिये कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे ।

6.10 यह आवश्यक है कि "स्वयं रोजगार" को छात्रगण जीविका-विकल्प के रूप में स्वीकार करें । इसके लिये उन्हें उद्यम-विषयक (आन्त्रप्रिन्योरशिप) प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसकी व्यवस्था डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर मॉड्यूलर तथा वैकल्पिक कोर्सों द्वारा की जायेगी ।

6.11 पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने की सतत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नवीकरण द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और विषयों को शुरू करना होगा तथा पुराने और अर्थहीन होते विषयों को क्रमशः हटाना होगा ।

संस्थागत झुकाव की शिक्षा

6.12 ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पालिटेक्निकों ने सामुदायिक पालिटेक्निकों की प्राली के माध्यम से कमजोर वर्गों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण देना शुरू किया है । सामुदायिक पालिटेक्निक प्रणाली का मूल्यांकन किया जायेगा और उसे समुचित रूप से मजबूत बनाया जायेगा ताकि इसकी गुणवत्ता और प्रसार को बढ़ाया जा सके ।

नवाचर शोध और विकास

6.13 शिक्षा की प्रक्रियाओं के नवीकरण के साधनों के रूप में सभी उच्च तकनीकी संस्थाएं शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जायेंगी । इनका पहला मकसद होगा उच्च कोटि की जनशक्ति उपलब्ध कराना, जो शोध और विकास में उपयोगी साबित हो सके । विकास के लिए शोध कार्य, मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज औद्योगिकी की ईजाद तथा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरतों को पूरा करने सं संबंधित होगा । प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने और नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिये भी उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी ।

6.14 इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं और उनका उपयोग करने वाली प्रणालियों के बीच सहयोग, सहकार्य और आदान–प्रदान के रिश्ते कायम करने के अवसरों का पूरा लाभ उठाया जायेगा । उपयुक्त रखरखाव तथा रोजमर्रा के जीवन में नये–नये प्रयोग करने के और उन्हें सुधारने की मनोवृत्ति को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जायेगा ।

सभी स्तरों पर दक्षता और प्राथमिकता बढ़ाना

6.15 तकनीकी और प्रबंध शिक्षा खर्चीली होती है । लागत के हिसाब से इसको कारगर बनाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित मुख्य उपाय किये जायेंगे :—

(i) आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जायगी और पुरानापन हटाया जायेगा । आधुनिकीकरण को महज फैशन के तौर पर या प्रतिष्ठा चिन्ह के रूप में नहीं बल्कि कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिये अपनाया जायेगा ।

(ii) जो संस्थाएं समाज को और उद्योगों को अपनी सेवाएं देने की क्षमता रखती हैं, उन्हें ऐसे अवसर देकर अपने संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा । उन्हें अद्यतन शिक्षण संसाधनों, पुस्तकालयों और कम्प्यूटर सुविधाओं से सज्जित किया जायेगा ।

(iii) पर्याप्त छात्रावास व्यवस्था, विशेषतः लड़कियों के लिये, की जाएगी । खेल-कूद, रचनात्मक कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी ।

(iv) प्रशिक्षकों की भर्ती में ज्यादा प्रभावशाली प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जायेगा । वृत्तिका विकास के अवसरों, सेवा शर्तों, कन्सलटेंसी के मानदंडों, तथा अन्य सुविधाओं को सुधारा जायेगा ।

(v) शिक्षकों की बहुमुखी भूमिकाएँ निभानी होंगी, तथा शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबंध में हाथ बंटाना । संकाय सदस्यों के लिये सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिये जायेंगे और पर्याप्त प्रशिक्षण रिज़र्व उपलब्ध किये जायेंगे । स्टाफ विकास कार्यक्रम राज्य स्तर पर समेकित, तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वित किये जायेंगे ।

(vi) तकनीकी और प्रबंध कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या का लक्ष्य यह होगा कि उद्योगों तथा उनका उपयोग करने वालों की वर्तमान और भावी आवश्यकताएं पूरी हो सकें । तकनीकी अथवा प्रबंध संस्थानों और उद्योगों के बीच सक्रिय कार्य-संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा । यह संबंध कार्यक्रम-नियोजन में, कार्यान्वयन में, कर्मचारियों के विनिमय में प्रशिक्षण-सुविधाओं और संसाधनों में, अनुसंधान और कन्सलटेन्सी (सलाहकारी) में और पारस्परिक लाभ के अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा ।

(vii) संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जायेगी और पुरस्कृत किया जायेगा । घटिया स्तर की संस्थाओं का उभरना रोका जायगा । प्रशिक्षण संकाय के पूर्ण सहयोग से एक ऐसा संस्थागत माहौल तैयार किया जायेगा जिसमें उत्कृष्टता और नव-प्रयास को पनपने का अवसर प्राप्त हो सके ।

(viii) चुनिन्दा संस्थाओं की शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता विभिन्न हदों तक दी जायेगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के समुचित निर्वाह के लिये जवाबदेही की व्यवस्था भी की जायेगी ।

(ix) तकनीकी शिक्षा का संबंध उद्योग, अनुसंधान और विकास संगठनों से, ग्रामीण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा-क्षेत्रों से स्थापित किया जायेगा ।

प्रबंध कार्यकलाप और परिवर्तन

6.16 प्रबंध पद्धतियों में संभावित परिवर्तनों को और इन परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता को ध्यान में रख़ते हुए, परिवर्तन प्रक्रिया के स्वरूप और दिशा को समझने की कारगर पद्धतियां तैयार की जायेंगी । परिवर्तन को पहचानने की दक्षता का विकास किया जाएगा ।

6.17 इस कार्यक्रम के संश्लिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक और प्रबंध शिक्षा के बीच, संतुलित विकास का समन्वय करेगा । इसी प्रकार तकनीशियनों और शिल्पियों की शिक्षा को भी समन्वित किया जायगा ।

6.18. व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जायेगा और उन्हें इस योग्य बनाया जायेगा कि वे तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकें ।

6.19 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को विधिक प्राधिकार प्रदान किया जाएगा । परिषद इस प्राधिकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा का नियोजन करेगी, स्तरों और मानदंडो का निर्धारण और अनुरक्षण, प्रत्यापन, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिये वित्तीय व्यवस्था, अनुश्रवण और मूल्यांकन, प्रमाणन एवं पुरस्कारों की समकक्षता का निर्वहन, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बीच समन्वय-ये सब कार्य संपन्न करेगी । समुचित रूप से गठित एक मान्यता प्राप्त बोर्ड निश्चित अवधियों पर अनिवार्य रूप से तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगा ।

6.20 शिक्षा प्रमाणों को बनाये रखने तथा अन्य अनेक माकूल कारणों को ध्यान में रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जायेगा । इसके विकल्प के रूप में स्वीकृत मान-दंडों और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप इन क्षेत्रों में निजी और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने की एक नई पद्धति तैयार की जायेगी ।

भाग 7

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना

7.1 यह स्पष्ट है कि शिक्षा से संबंधित ये तथा अन्य बहुत से नये कार्य अव्यवस्था की दशा में नहीं किये जा सकते । शिक्षा का प्रबंध परम बौद्धिक अनुशासन और गंभीर सोद्देश्यता की मांग करता है । अवश्य ही इसके साथ वह स्वतंत्रता भी होनी चाहिये जिसमें नये प्रयोगों और सृजनशीलता को पूरा अवसर मिले । शिक्षा की गुणवत्ता में और उसके विस्तार के संबंध में तो दूरगामी परिवर्तन करने ही होंगे, किन्तु जो कुछ आज की स्थिति है, उसी में अनुशासन स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ तुरंत ही करना होगा ।

7.2 देश ने शिक्षा-व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है और लोगों को यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था से ठोस परिणामों की आशा करें । सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिया बनाना है । यह आवश्यक है कि सभी अध्यापक पढ़ाएं और सभी विद्यार्थी पढ़ें ।

7.3 इसके लिए निम्नलिखित युक्तियां अपनाई जायेंगी :

(क) अध्यापकों को अधिक सुविधाएं और साथ ही उनकी अधिक जवाबदेही ।

(ख) विद्यार्थियों के लिय सेवा में सुधार और साथ ही उनके सही आचरण पर बल ।

(ग) शिक्षा-संस्थाओं की अधिक सुविधाएं दिया जाना ।

(घ) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तय किये गये मानदंड के आधार पर शिक्षा-संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति का सृजन ।

भाग 8

शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

8.1 इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक खाई है, जिसे पाटना आवश्यक है । आधुनिक टेक्नालॉजी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल से ही कट जाये । संस्कृतिविहीनता, अमानवीयता और अजनबीकरण (एलिएनेशन) के भाव से हर कीमत पर बचना होगा । परिवर्तनपरक टेक्नालॉजी और सतत चली आ रही देश की सांस्कृतिक परंपरा में एक सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है और शिक्षा इसे बखूबी कर सकती है ।

8.2 शिक्षा की पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषयवस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा । इस बात का प्रयत्न होगा कि सौन्दर्य, सामंजस्य और परिष्कार के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़े । सांस्कृतिक परंपरा में निष्णात व्यक्तियों को, उनके पास औपचारिक शैक्षिक उपाधि के न होने पर भी, शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों का योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । इस काम में लिखित और मौखिक दोनों परंपराएं शामिल होंगी । सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परंपरागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं और उस्तादों की सहायता की जाएगी और उनके कार्य की मान्यता दी जाएगी ।

8.3 विश्वविद्यालय प्रणाली के और कला, पुरातत्व, प्राच्य अध्ययन आदि की उच्च संस्थाओं के बीच संपर्क कायम किया जाएगा । ललित कलाओं, संग्रहालय-विज्ञान, लोक साहित्य आदि विशिष्ट विषयों पर उचित ध्यान दिया जाएगा । इन क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की अधिक व्यवस्था की जायगी ताकि उनके लिए आवश्यक विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी को पूरा किया जाता रहे ।

मूल्यों की शिक्षा

8.4 इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों पर से ही लोगों का विश्वास उठता जा रहा है । शिक्षाक्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके ।

8.5 हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहु-आयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनीन और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सकें । इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अन्त करने में सहायता मिलनी चाहिए ।

8.6 इस संघर्षात्मक भूमिका के साथ-साथ मूल्य-शिक्षा का एक गंभीर सकारात्मक पहलू भी है जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्य और सार्वभौम दृष्टि है, जिस पर मुख्य तौर से बल दिया जाना चाहिए ।

भाषाएं

8.7 1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था । उस नीति की मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगि पहले थीं उतनी ही आज भी हैं । किन्तु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक सामन नहीं हुआ । अब इस नीति को अधिक सक्रियता और सोद्देश्यता से लागू किया जाएगा ।

पुस्तकें और पुस्तकालय

8.8 जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है । समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे । साथ ही पुस्तकों की गुणात्मकता को सुधारने, पढ़ने की आदत का विकास करने और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे । लेखकों के हितों की रक्षा की जाएगी । विदेशी पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में अच्छे अनुवादों को सहायता दी जाएगी । बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इनमें पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तकें भी सम्मिलित होंगी ।

8.9 पुस्तकों के विकास के साथ-साथ मौजूदा पुस्तकालयों के सुधार के लिए और नए पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा । प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रावधान किया जाएगा और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर को सुधारा जाएगा ।

संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

8.10 आधुनिक संचार-प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया है कि पहले की दशाब्दियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कइयों को लांघकर आगे बढ़ा जाए । इस टैक्नालॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पा सकना संभव हो गया है । हमारा समाज दो खंडों में बंटा न रहे, इसके लिए आवश्यक है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी संपन्न वर्गों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में पहुंचे जो इस समय अधिक से अधिक अभावग्रस्त हैं ।

8.11 शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थाई मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा । औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस टैक्नालॉजी का प्रयोग होगा । मौजूदा व्यवस्थाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा । जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां प्रोग्राम चलाने के लिए बैटरी अथवा सौर ऊर्जा पैक से काम लिया जाएगा ।

8.12 शैक्षिक टैक्नालॉजी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों । इस उद्देश्य के लिए देश में विद्यमान सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा ।

8.13 संचार माध्यमों का प्रभाव बच्चों और बड़ों के मन पर बहुत गहरा पड़ता है । आजकल इन संचार माध्यमों के कुछ प्रोग्राम अति उपभोग की संस्कृति और हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं और उनका प्रभाव हानिकारक है । रेडियो और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों को बंद किया जाएगा जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हों । फिल्मों और अन्य संचार माध्यमों में भी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे । बच्चों के लिए उच्च कोटि की और उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चलाया जाएगा ।

कार्यानुभव

8.14 कार्यानुभव को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए । कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और जिससे समाज को वस्तुएं या सेवाएं मिलती हैं । यह अनुभव एक सुसंगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए । कार्यानुभव की गतिविधियां विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होंगी । शिक्षा के स्तर के साथ ही कुशलताओं और ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जाएगी । इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा । माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व-व्यावसायिक कार्यक्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चुनाव में सहायता मिलेगी ।

शिक्षा और पर्यावरण

8.15 पर्यावरण के गपति जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है और यह जागरूकता बच्चों से लेकर समाज के सभी आयुवर्गों और क्षेत्रों में फैलनी चाहिए । पर्यावरण के प्रति जागरूकता विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा का अंग होनी चाहिए । इसे शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में समाहित किया जायगा ।

गणित शिक्षण

8.16 गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है । एक विशिष्ट विषय होने के अतिरिक्त गणित को ऐसे किसी भी विषय का सहवर्ती माना जाना चाहिए जिसमें विश्लेषण और तर्कशक्ति की जरूरत होगी है ।

8.17 अब विद्यालयों में भी कम्प्यूटरों का प्रवेश होने लगा है । इससे शैक्षिक कम्प्यूटरी का मौका मिलेगा । कार्यकारण संबंध को और चरों को पारस्परिक क्रिया की समझने और सीखने की प्रक्रिया की नई दिशा मिलेगी । गणित-शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक टैक्नालॉजी के उपकरणों के साथ जुड़ सके ।

विज्ञान शिक्षा

8.18 विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता, प्रश्न करने का साहस और सौंदर्यबोध जैसी योग्यताएं और मूल्य विकसित हो सकें ।

8.19 विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनसें विद्यार्थियों में समस्याओं को सुलझाने और निर्णय करने की योग्यताएं उत्पन्न हो सकें और वे स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा जीवन के अन्य पहलुओं के साथ विज्ञान के सम्बन्ध को समझ सकें । जो जोग अब तक औपचारिक शिक्षा के दायरे के बाहर रहे हैं उन तक विज्ञान की शिक्षा को पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा ।

खेल और शारीरिक शिक्षा

8.20 खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्यसिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा । शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की राष्ट्रव्यापी अधोरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा ।

8.21 इस अधोरचना के तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी । शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी । शहरों में उपलब्ध खुले क्षेत्र खेलों के मैदान के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए वैधानिक कार्यवाही को जाएगी । ऐसी खेल संस्थाएं और छात्रावास स्थापित किए जाएंगे जहां आम शिक्षा के साथ-साथ खेलों की गतिविधियों और उनसे संबद्ध अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । खेलकूद में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा । भारत के पारंपरिक खेलों पर उचित बल दिया जाएगा । शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा । सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे और इस दृष्टि से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग की शिक्षा भी सम्मिलित की जाएगी ।

युवा वर्ग की भूमिका

8.22 शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे । इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि जो योजनाएं चल रही हैं उनसें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा । संस्थाओं के बाहर भी युवाओं को विकास सुधार और विस्तार के कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना को सुदृढ़ किया जाएगा ।

मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार

8.23 विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंश है । एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए ।

8.24 परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सकें और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके । क्रियात्मक रूप में इसका अर्थ होगा :

(1) अत्यधिक संयोग (चान्स) और आत्मगतता (सब्जेक्टिविटी) के अंश को समाप्त करना;
(2) रटाई पर जोर को हटाना;
(3) ऐसी सतत और सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और शास्त्रेतर पहलू समाविष्ट हो जाएं और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहें;
(4) अध्यापकों, विद्यार्थियों और मात-पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग;
(5) परीक्षाओं के आयोजन में सुधार;
(6) परीक्षा में सुधार के साथ-साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में भी सुधार;
(7) माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सत्र-प्रणाली का प्रारंभ;
(8) अंकों के स्थान पर "ग्रेड" का प्रयोग ।

8.25 ये उद्देश्य बाह्य परीक्षाओं और शिक्षा-संस्थाओं के अंदर के मूल्यांकन दोनों के लिए प्रासंगिक है । संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा ।

भाग 9

शिक्षक

9.1 किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि का पता लगता है । कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता । सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले । अध्यापकों की इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और संप्रेषण की उपयुक्त विधियां और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें ।

9.2 अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति-निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके । शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक-व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों । यह प्रयत्न किया जाएगा कि पूरे देश में वेतन में, सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता को वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके । अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति-निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धांत बनाए जाएंगे । उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जाएगी जो प्रकट होगी, आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होगी और जिसमें सबका योगदान होगा । ऊपर के ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों को उचित अवसर दिए जाएंगे । जवाबदेही के मानक तय किये जाएंगे । अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा और निष्क्रियता को निरुत्साहित । शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी ।

9.3 व्यावसायिक प्रामाणिकता की हिमायत करने, शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक-संघों को अहम भूमिका निभानी चाहिए । शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक आचार-संहिता बना सकते हैं और उसका अनुपालन करा सकते हैं ।

अध्यापकों की शिक्षा

9.4 अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता । कदम के रूप में अध्यापकों की शिक्षा की प्रणाली को आमूल बदला जाएगा ।

9.5 अध्यापकों की शिक्षा के नये कार्यक्रम में सतत शिक्षा पर और इस शिक्षा नीति की नई दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा ।

9.6 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए जाएंगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी । इन संस्थानों की स्थापना के साथ बहुत-सी घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जाएगा । कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक-प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में काम कर सकें । राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद् को सामर्थ्य और साधन दिए जाएंगे जिससे यह परिषद् अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए आधिकारिक हो और उनके शिक्षाक्रम और पद्धतियों के बारे में मार्ग-दर्शन कर सकें । अध्यापक-शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों में आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जाएगी ।

भाग 10

शिक्षा का प्रबन्ध

10.1 शिक्षा की आयोजना और प्रबंध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । इस सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जायेगा वे निम्नलिखित हैं :—

(क) शिक्षा की आयोजना और प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना;

(ख) विकेन्द्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना;

(ग) लोकभागीदारी को प्रधानता देना, जिसमें गैरसरकारी एजेंसियों का जुड़ाव तथा स्वैच्छिक प्रयास शामिल हैं;

(घ) शिक्षा की आयोजना और प्रबंध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना;

(ङ) प्रदत्त उद्देश्यों और मानदण्डों के सम्बन्ध में जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) के सिद्धांत की स्थापना ।

राष्ट्रीय स्तर

10.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा । बोर्ड उपयुक्त समितियों के माध्यम से एवं मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्पर्क तथा समन्वयन के लिए बनाए गए प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा । केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को लाया जायेगा ।

भारतीय शिक्षा सेवा

10.3 शिक्षा के प्रबंध के उपयुक्त ढांचे के निर्माण के लिए तथा इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाये । इस सेवा से सम्बन्धित बुनियादी सिद्धान्तों, कर्तव्यों तथा नियोजन की विधि की बाबत निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा ।

राज्य स्तर

10.4 राज्य सरकारें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह के राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगी । मानव संसाधन विकास से संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के समाकलन के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए ।

10.5 शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए मुनासिब चरणों में संस्थागत प्रबन्ध किए जाने चाहिए ।

जिला तथा स्थानीय स्तर

10.6 उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकारें यथाशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगी । शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजना, समन्वयन, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभायेंगी ।

10.7 शिक्षा व्यवस्था में संस्थाध्यक्षों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए । उनके चयन तथा प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । लचीला रवैया अपनाते हुए विद्यालय संगमों (स्कूल काम्पलेक्सेज) को विकसित किया जायेगा ताकि वे शिक्षा संस्थाओं के आपसी तने बाने (नेटवर्क) का माध्यम बनें तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनके द्वारा कर्त्तव्यनिष्ठा के मानदण्डों के पालन में सहायक हों । साथ ही विद्यालय संगमों के द्वारा, संबंधित संस्थाओं के लिए अनुभवों का आपसी आदान-प्रदान करना तथा एक दूसरे की सुविधाओं में साझेदारी का रिश्ता बनाना संभव हो सकना चाहिए । यह अपेक्षा की जा सकती है कि विद्यालय संगमों की व्यवस्था के जमने के साथ वे निरीक्षण कार्य का ज्यादातर जिम्मा संभाल लेंगे ।

10.8 उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे

स्वैच्छिक एजेंसियां तथा सहायता प्राप्त संस्थाएं

10.9 गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को [illegible] जिनमें समाजसेवी सक्रिय समुदाय भी शामिल हैं, प्रोत्साहन दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी बशर्ते कि उनकी प्रबन्ध व्यवस्था ठीक हो । इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जाएगा जो शिक्षा को व्यापारिक रूप दे रही हैं

संसाधन तथा समीक्षा

[illegible] शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) और शिक्षा से संबंधित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि [illegible] व्यावहारिक व विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि इस कार्य के [illegible] अनुरूप शिक्षा [illegible] पूंजी निवेश हो ।

[illegible] जिस [illegible] तक सम्भव होगा इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे— चन्दा इकट्ठा करना, इमारतों का रख-रखाव तथा रोजमर्रा [illegible] आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर [illegible] करना । वे संस्थाएं जो अनुसंधान में या वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास के [illegible] काम कर रही हैं [illegible] काम के उपयोग करने वाली एजेंसियों पर [illegible] प्रभार लगा कर कुछ साधन [illegible]

अपने काम का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर उपकर या प्रभार लगा कर कुछ साधन जुटा सकती हैं । इन एजेंसियों में सरकार और उद्योगों को शामिल किया जा सकता है । ये सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिये किये जाएंगे, अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिए भी कारगर होंगे । तथापि, साधनों की समूची वित्तीय आवश्यकता के मुकाबले में इन उपायों से थोड़े ही अंश में योगदान हो पाएगा । वास्तव में सरकार तथा देशवासियों को ही मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिये वित्तीय साधन जुटाने होंगे, यथा : प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनीकरण, निरक्षरता निवारण, देश भर में सभी वर्गों के लिये समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा की सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिकता बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना, ज्ञान तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वयं-स्फूर्त आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिये अनिवार्य माने गये मूल्यों के प्रति चेतन जागरूकता पैदा करना ।

11.3 शिक्षा में आवश्यक पूंजी न लगाने या अपर्याप्त मात्रा में लगाने के हानिकारक परिणाम वास्तव में बहुत गम्भीर हैं । इसी तरह, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की उपेक्षा से होने वाली हानि अस्वीकार्य होगी । इन क्षेत्रों में पूरी तरह संतोषप्रद स्तर के कार्य का निष्पादन न होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्य क्षति होगी । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुचारु बनाने के लिये स्वतन्त्रता से अब तक समय-समय पर गठित संस्थाओं के नेटवर्क को पर्याप्त मात्रा में और तत्परता से आधुनिक बनाने की जरूरत होगी क्योंकि ये संस्थाएं बड़ी तेजी से पुरानी पड़ती जा रही हैं ।

11.4 इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिये पूंजी लगाने का एक अत्यन्त आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए ताकि वह यथा-शीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक पहुंच सके । चूंकि तब से अब तक शिक्षा पर लगी पूंजी का स्तर उस लक्ष्य से काफी कम रहा है, अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अब इस नीति में निर्धारित कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प दर्शाया जाए । यद्यपि समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के जायजे के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाएगा, पर इस नीति के कार्यान्वयन में पूंजी निवेश जिस हद तक जरूरी होगा, उस हद तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ाया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करके वह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से सर्वदा अधिक हो ।

समीक्षा

11.5 नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों में अवश्य ही की जाएगी । कार्यान्वयन की प्रगति और समय-समय पर उभरती हुई प्रवृतियों की जांच करने के लिये मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे ।

भाग 12

भविष्य

12.1 भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं है । फिर भी, हमारी उन परम्पराओं को देखते हुये कि जिन्होंने हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व दिया है, इसमें किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे ।

12.2 सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना; उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अन्त तक लगभग सौ करोड़ लोग होंगे । यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों । अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल स्रोतों ने भलीभांति सिंचित रखा, लेकिन विदेशी आधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया । अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनश्च शुरू होना चाहिये जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....4841.......
Date....19/8/89.....

NIEPA DC
D04841